हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2025-26

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2025-26

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग

हिमाचल प्रदेश

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कर रहा है। यह वार्षिक दस्तावेज केवल एक नियमित प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति का पारदर्शी तथा समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। अपने विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से यह हमारे विकासात्मक उपलब्धियों को रेखांकित करता है, संरचनात्मक चुनौतियों की पहचान करता है तथा राज्य की प्रगति का एक प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण केवल सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज है जो सूचित एवं प्रमाण–आधारित निर्णय लेने के लिए सुदृढ़ विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है। कृषि, बागवानी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, अवसंरचना तथा सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन को समाहित करते हुए यह हमें अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने तथा भविष्य की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। इस दस्तावेज में प्रस्तुत अंतर्दृष्टियाँ ऐसी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती हैं, आर्थिक लचीलापन को सुदृढ़ करती हैं तथा राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास को दिशा प्रदान करती हैं।

मैं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी लगन, पेशेवर दक्षता तथा शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता ने सुनिश्चित किया है कि यह सर्वेक्षण विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के उच्च मानकों को बनाए रखे। उनका योगदान राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रमाण–आधारित शासन की संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ करता है।

आगे बढ़ते हुए, इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष हमें ज्ञान को व्यावहारिक रणनीतियों में रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले, राजकोषीय स्थिरता सुदृढ़ हो तथा समावेशी विकास को गति मिले। सुशासन के मूल सिद्धांतों से प्रेरित होकर हम सतत विकास को प्रोत्साहित करने और हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आइए, हम सभी मिलकर ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में कार्य करें जहाँ विकास के लाभ टिकाऊ, व्यापक और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सुलभ हों।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

प्राक्कथन

हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राज्य की विकासात्मक दृष्टि को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज बना हुआ है। इस वर्ष का संस्करण आर्थिक प्रवृत्तियों, कार्यक्रमों के परिणामों तथा उभरती प्राथमिकताओं का स्पष्ट, व्यापक और दूरदर्शी आकलन प्रस्तुत करता है। इसमें प्रमुख व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को समाहित किया गया है, सरकार की प्रमुख पहलों के परिणामों का मूल्यांकन किया गया है तथा उन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहाँ समयबद्ध और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 राज्य की डेटा–आधारित शासन व्यवस्था तथा परिणाम–उन्मुख निर्णय लेने के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अठारह विश्लेषणात्मक अध्यायों में संरचित, तथा संक्षिप्त कार्यकारी सारांशों द्वारा समर्थित इस संस्करण में डिजिटल शासन, हरित विकास, जलवायु लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन विकास, स्टार्ट–अप प्रोत्साहन, ग्रामीण परिवर्तन तथा महिला–नेतृत्वित विकास पर विशेष बल दिया गया है। ये प्राथमिकताएँ सतत, समावेशी और भविष्य–उन्मुख विकास को आगे बढ़ाने के हमारे सामूहिक संकल्प को प्रतिबिंबित करती हैं।

यह सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक संरचना, राजकोषीय प्रबंधन, अवसंरचना विस्तार तथा सामाजिक क्षेत्र की प्रगति का संतुलित अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को आवास, सुरक्षित पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, डिजिटल संपर्कता तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के हमारे निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, यह शासन सुधारों का भी उल्लेख करता है जिनका उद्देश्य पारदर्शिता को सुदृढ़ करना, कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा नागरिक–केंद्रित सेवा वितरण को प्रोत्साहित करना है, ऐसे सुधार जो हमारे विकास एजेंडा के केंद्र में हैं।

मैं सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सहयोगी संस्थानों के प्रति उनके समयबद्ध योगदान और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मैं आर्थिक सलाहकार तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समर्पित टीम की पेशेवर दक्षता, विश्लेषणात्मक शक्ति और इस समृद्ध संस्करण को प्रस्तुत करने में उनके समर्पण की भी सराहना करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 नीति–निर्माताओं, प्रशासकों, शोधकर्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों तथा नागरिकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ दस्तावेज सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि यह सूचित निर्णय–निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा हिमाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

(संजय गुप्ता, आइ.ए.एस.)
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार बजट सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रस्तुत किया जाता है, जो राज्य की विकासात्मक प्रगति की एक व्यापक समीक्षा प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश की आर्थिक दिशा का एक सूक्ष्म आकलन प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रमुख व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को समाहित किया गया है और साथ ही सरकार की प्रमुख नीतियों, प्रमुख कार्यक्रमों तथा विकासात्मक पहलों के भौतिक एवं वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। यह क्षेत्र–विशिष्ट कमियों, उभरती चुनौतियों तथा उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी रेखांकित करता है जिन पर समयबद्ध और रणनीतिक नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्ष 2025–26 का यह संस्करण अठारह विश्लेषणात्मक रूप से समृद्ध अध्यायों से युक्त है, जिनमें से प्रत्येक के साथ त्वरित संदर्भ हेतु एक संक्षिप्त कार्यकारी सारांश भी दिया गया है। पिछले वर्षों में आरम्भ किए गए सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाते हुए यह सर्वेक्षण अधिक डेटा–आधारित, परिणाम–उन्मुख और दूरदर्शी ढाँचा अपनाता है। इसमें डिजिटल शासन, हरित एवं सतत विकास, जलवायु लचीलापन, पर्यटन पुनरुत्थान, स्टार्ट–अप तथा नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ग्रामीण परिवर्तन तथा महिला–नेतृत्वित विकास पर विशेष बल दिया गया है।

सभी प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों, क्षेत्रीय प्रवृत्तियों, चुनौतियों तथा आगे की दिशा को प्रस्तुत करते हुए यह सर्वेक्षण नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा हितधारकों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखता है, जिससे वे उत्तरदायी, साक्ष्य–आधारित और भविष्य के लिए तैयार नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार कर सकें। यह हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत करता है जिसमें इसकी संरचनात्मक संरचना, विभिन्न क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) प्रदर्शन, राजकोषीय प्रबंधन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ शामिल हैं। यह सर्वेक्षण आवास, सुरक्षित पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, डिजिटल संपर्कता तथा सामाजिक सुरक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जारी प्रयासों को भी रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, यह पारदर्शिता, कार्यकुशलता और नागरिक–केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए प्रगतिशील शासन सुधारों का भी दस्तावेजीकरण करता है, साथ ही समावेशी और सतत विकास को तीव्र गति देने की रणनीतियों को भी रेखांकित करता है।

यह समयोचित प्रकाशन सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्य निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मूल्यवान सहयोग से संभव हो पाया है, जिनके आँकड़ों और विचारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है।

मैं आर्थिक सलाहकार तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों एवं टीम के प्रति भी अपनी सराहना अभिलेखित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पेशेवर दक्षता, परिश्रम और सूक्ष्म प्रयासों से आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के इस समृद्ध संस्करण को तैयार किया है।

मुझे आशा है कि यह सर्वेक्षण विधायकों, नीति–निर्माताओं, प्रशासकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग से जुड़े हितधारकों तथा आम नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय और उपयोगी संदर्भ दस्तावेज सिद्ध होगा, जो सूचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा को दिशा देने में सहायक होगा।

(देवेश कुमार, आई.ए.एस.)
प्रधान सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

परिचय

हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो राज्य की आर्थिक स्थिति तथा विकास संबंधी प्राथमिकताओं का स्पष्ट एवं साक्ष्य–आधारित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण नीति–निर्माताओं, प्रशासकों, शोधकर्ताओं तथा डेटा–आधारित सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज बना हुआ है।

नई पहलें

- प्रमुख प्रवृत्तियों एवं महत्वपूर्ण निष्कर्षों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक कार्यकारी सार सम्मिलित किया गया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण प्रगति एवं प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए "मुख्य उपलब्धियाँ" शीर्षक से नए अनुभाग जोड़े गए हैं।
- राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर "मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ" से संबंधित समर्पित अनुभाग शामिल किए गए हैं, जिससे विकासात्मक अंतरालों एवं प्राथमिक चिंताओं की स्पष्ट समझ प्राप्त होती है।
- सर्वेक्षण में क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा नीतिगत परिणामों की बेहतर व्याख्या हेतु अधिक सुदृढ़ विश्लेषणात्मक तत्वों को सम्मिलित किया गया है।
- स्पष्टता और सुलभता को बढ़ाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण को अधिक सुव्यवस्थित, केंद्रित एवं पाठकों तथा हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाया गया है।
- उन्नत संरचना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि सर्वेक्षण वर्तमान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा भविष्य की योजना आवश्यकताओं के साथ अधिक समन्वित रहे।

इस दस्तावेज की तैयारी के लिए व्यापक डेटा संकलन तथा सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मैं सभी विभागों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय पर विश्वसनीय आँकड़े एवं आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराकर इस सर्वेक्षण की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस प्रकाशन में प्रस्तुत विश्लेषण और निष्कर्ष संतुलित क्षेत्रीय विकास, बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण, वित्तीय अनुशासन तथा राज्य और जिला स्तर की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की निरंतर प्रगति के साथ यह सर्वेक्षण सूचित एवं साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बना रहेगा।

मैं इस संस्करण की तैयारी में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और राज्य के विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में भी निरंतर सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

(डॉ. अभिषेक जैन, आई.ए.एस.)
सचिव (वित्त, अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 हिमाचल प्रदेश के आर्थिक प्रदर्शन तथा राजकोषीय परिदृश्य का एक स्पष्ट और विश्लेषणात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है। यह सतत और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, साथ ही क्षेत्रीय उपलब्धियों तथा हरित विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को भी समाहित करता है। यह सर्वेक्षण उन प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की भी पहचान करता है जो राज्य की भावी विकास यात्रा को निर्धारित करेंगे।

इस सर्वेक्षण की तैयारी एक अत्यंत सहयोगात्मक प्रयास रहा है, जिसमें राज्य सरकार के सभी विभागों की भागीदारी रही तथा विशेषज्ञों, अधिकारियों और हितधारकों के विचारों से इसे समृद्ध किया गया। इस सहभागी दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया गया है कि यह दस्तावेज तथ्यपरक, विश्लेषणात्मक रूप से सुदृढ़ और वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित बना रहे।

मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रेरणादायी नेतृत्व तथा निरंतर प्रोत्साहन से इस आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी संभव हो सकी है। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन तथा साक्ष्य–आधारित सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने इस प्रकाशन की गुणवत्ता तथा नीतिगत प्रासंगिकता को अत्यंत सुदृढ़ बनाया है।

मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री संजय गुप्ता, आई.ए.एस. के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके अमूल्य मार्गदर्शन, निरंतर सहयोग और दूरदर्शी नेतृत्व ने इस सर्वेक्षण की तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके रणनीतिक मार्गदर्शन, विचारशील सुझावों और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने इस प्रकाशन की गहराई, सटीकता और गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से समृद्ध किया है।

मैं श्री देवेश कुमार, आई.ए.एस., प्रधान सचिव (वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके गतिशील नेतृत्व और निरंतर मार्गदर्शन ने इस संस्करण की विश्लेषणात्मक दृढ़ता और गहराई को और अधिक सुदृढ़ किया है। सर्वेक्षण की स्पष्टता और समन्वय उनके उत्कृष्ट निर्देशन का प्रतिफल है।

मैं डॉ. अभिषेक जैन, आई.ए.एस., सचिव (वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) का भी आभारी हूँ, जिनकी सूक्ष्म समीक्षा और मूल्यवान सुझावों ने इस दस्तावेज के समयबद्ध और परिष्कृत अंतिम रूप को संभव बनाया।

मैं विशेष रूप से श्री अक्षय सूद, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके व्यापक अनुभव और विश्लेषणात्मक क्षमता ने इस दस्तावेज की विषयवस्तु को अत्यंत समृद्ध बनाया। नवीनतम विकासों को समाहित करने, प्रमुख अंतदृर्ष्टियों को परिष्कृत करने तथा दस्तावेज की संबद्धता और सुलभता को बेहतर बनाने में उनके प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं।

मैं सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों तथा विभिन्न विभागों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सहयोग को भी कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने अद्यतन आँकड़े, नीतिगत सुझाव और सतत प्रतिक्रिया प्रदान की। उनके योगदान ने इस सर्वेक्षण की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं विशेष रूप से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों को भी स्वीकार करता हूँ, जिनके परिश्रमी कार्य जैसे आँकड़ों का संकलन, सत्यापन, विश्लेषण और लेखन ने इस प्रकाशन की समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली तैयारी सुनिश्चित की है। उनकी पेशेवर दक्षता और प्रतिबद्धता वास्तव में प्रशंसनीय है।

अंत में, मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस सर्वेक्षण की तैयारी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। यद्यपि शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कोई अनजानी त्रुटि या चूक रह गई हो तो उसके लिए खेद है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव और प्रतिक्रिया ecostat-hp@nic.in पर साझा करें, जिससे भविष्य के संस्करणों के निरंतर सुधार में सहायता मिलेगी।

(डॉ. विनोद कुमार राणा)
आर्थिक सलाहकार
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रकाशन में योगदानकर्ता अधिकारी व कर्मचारी

श्री देवेश कुमार, आई.ए.एस.,
प्रधान सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी)

श्री अक्षय सूद, आई.ए.एस.
(सेवानिवृत्त)

श्री अनुपम शर्मा
संयुक्त निदेशक

श्री सुरेश वर्मा
उप निदेशक–II

डॉ. राकेश कुमार
अनुसंधान अधिकारी

श्री राजीव कुमार
अनुसंधान अधिकारी

श्री संजय कुमार शर्मा
सहायक अनुसंधान अधिकारी

श्री दीवान चंद
सांख्यिकी सहायक

श्रीमती शीतल शर्मा
सांख्यिकी सहायक

श्री सुनील कुमार
सांख्यिकी सहायक

श्री अनिश कुमार
प्रोग्रामर

श्री धर्मेन्द्र कुमार
अन्वेषक

श्रीमती लीला चौहान
अन्वेषक

डॉ. अभिषेक जैन, आई.ए.एस.,
सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी)

डॉ. विनोद कुमार राणा
आर्थिक सलाहकार

श्री चन्द्र मोहन शर्मा
उप निदेशक–I

श्री अश्वनी कुमार
अनुसंधान अधिकारी

श्रीमती शिल्पा रानी
अनुसंधान अधिकारी

श्रीमती निर्मल शर्मा
सहायक अनुसंधान अधिकारी

सुश्री गीतांजलि
सांख्यिकी सहायक

श्री अखिल ठाकुर
सांख्यिकी सहायक

सुश्री हेमा देवी
सांख्यिकी सहायक

श्री अभिनंदन प्रभात
सांख्यिकी सहायक

श्री जय सिंह
अन्वेषक

श्री हेमंत कुमार
अन्वेषक

श्रीमती किरण राव
अन्वेषक

हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में प्रस्तुत प्रमुख पहलें

हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कई संरचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सुधार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सर्वेक्षण को साक्ष्य–आधारित नीतिनिर्माण एवं विकास नियोजन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में सुदृढ़ करना है। संशोधित रूपरेखा से स्पष्टता, विश्लेषणात्मक गहराई तथा सुगमता में वृद्धि हुई है, जिससे नीति–निर्माताओं, योजना निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों को आर्थिक प्रवृत्तियों एवं क्षेत्रीय प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।

1. **अध्याय–वार कार्यकारी सारांश**
2. **मुख्य उपलब्धियों पर समर्पित अनुभाग**
3. **प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों की पहचान**
4. **परिणाम–उन्मुख विश्लेषणात्मक ढांचा**
5. **उभरते विकास क्षेत्रों पर विस्तारित विशेष ध्यान**
6. **सुदृढ़ आँकड़ा एवं साक्ष्य आधार**
7. **प्रस्तुतीकरण एवं आँकड़ा दृश्यांकन में सुधार**
8. **नीति एवं योजना प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य**
9. **भावी दिशा**

उपरोक्त सभी पहलों के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 को अधिक संरचित, विश्लेषणात्मक एवं नीति–उन्मुख दस्तावेज बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में सूचित निर्णय लेने एवं विकास नियोजन को सशक्त बनाता है।

*****

भाग — I

आर्थिक सर्वेक्षण

2025–26

विषय–सूची

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	संदेश	
	प्राक्कथन	
	प्रस्तावना	
	परिचय	
	आभारोक्ति	
	परिवर्णी शब्द	**i - xv**
1	**सामान्य समीक्षा**	**1–14**
	कार्यकारी सारांश	1
	विश्व अर्थव्यवस्था का अवलोकन	2
	अवलोकन : भारतीय अर्थव्यवस्था	4
	अवलोकन : हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था	9
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	12
2	**राज्य आय–दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन**	**15–31**
	कार्यकारी सारांश	15
	परिचय	16
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद– 2025–26 के लिए एक दृष्टिकोण	16
	प्रति व्यक्ति आय	18
	क्षेत्रीय विकास प्रक्षेपवक्र	19
	क्षेत्रीय योगदान	25
	मूल्य वर्धित और रोजगार का क्षेत्रवार वितरण	26
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	29
3	**सार्वजनिक वित्त एवं कराधान**	**32–49**
	कार्यकारी सारांश	32
	परिचय	33
	हिमाचल प्रदेश की वित्तीय रूपरेखा	34
	सरकारी व्यय	41
	राज्य की ऋण स्थिति	43
	लिगं आधारित बजट	44
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	46
4	**बैंकिंग संस्थागत वित्त**	**50–72**
	कार्यकारी सारांश	50
	प्रस्तावना	51
	वित्तीय समावेशन पहल	54

	बैंकों की व्यवसायिक स्थिति	58
	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	61
	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	64
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	70
5	**मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन**	**73–98**
	कार्यकारी सारांश	73
	परिचय	74
	हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति के रुझान	76
	उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) मुद्रास्फीति	78
	मासिक थोक मूल्य सूचकांक	85
	साप्ताहिक खुदरा मूल्य	88
	हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली	91
	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	94
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	96
6	**कृषि और बागवानी**	**99–134**
	कार्यकारी सारांश	99
	परिचय	101
	कृषि और इसके उप–क्षेत्रों का योगदान	102
	भूमि उपयोग पैटर्न	104
	कृषि और संबद्ध गतिविधियां: उत्पादन में रुझान	109
	सरकार पहलें	113
	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज विपणन समिति	121
	बागवानी	125
	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम	129
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	131
7	**पशुपालन**	**135–161**
	कार्यकारी सारांश	135
	परिचय–पशुपालन	137
	दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता	139
	पशुधन हेतु सरकारी पहल	144
	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	148
	ऊन खरीद एवं विपणन महासंघ	150
	मत्स्य पालन एवं जलकृषि	153
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	158
8	**वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन**	**162–193**
	कार्यकारी सारांश	162
	परिचय–हिमाचल प्रदेश के वन	163

	वनों का पर्यावरणीय लेखांकन –2025	164
	वानिकी और लकड़ी कटाई का योगदान और विकास	168
	वनों के लिए सरकारी पहल	170
	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	176
	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद	182
	जल जीवन मिशन	184
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	191
9	**उद्योग**	**194–227**
	कार्यकारी सारांश	194
	परिचय–उद्योग क्षेत्र	195
	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति	195
	लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) का वर्गीकरण	200
	हिमाचल में निवेश के लिए लक्षित क्षेत्र	203
	सरकारी पहलः राज्य प्रायोजित योजनाएँ	204
	रेशम उत्पादन उद्योग	215
	राज्य के सकल मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र और उसके उप–क्षेत्रों का योगदान	217
	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोड	221
	हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड	222
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	224
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	225
10	**ऊर्जा**	**228–260**
	कार्यकारी सारांश	228
	परिचय	230
	ऊर्जा निदेशालय	231
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	233
	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	240
	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	250
	हिमऊर्जा	256
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	258
11	**श्रम और रोजगार**	**261–287**
	कार्यकारी सारांश	261
	परिचय	263
	श्रम बाजार में उभरते रुझान	264
	श्रम बल भागीदारी दर	269
	हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल	277
	रोजगार कार्यालय	279
	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	281
	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण	284

	बोर्ड	
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	285
12	**पर्यटन सड़क एवं परिवहन**	**288–314**
	कार्यकारी सारांश	288
	परिचय	289
	हिमाचल में पर्यटन–आर्थिक विकास के लिए एक अभिन्न संचालक	291
	पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल	294
	नागरिक उड्डयन	296
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	300
	सड़कें और पुल	300
	परिवहन विकास	303
	हिमाचल पथ परिवहन निगम	309
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	312
13	**शिक्षा**	**315–336**
	कार्यकारी सारांश	315
	प्रस्तावना	317
	विद्यालय शिक्षा	318
	उच्च शिक्षा	320
	समग्र शिक्षा	325
	तकनीकी शिक्षा	331
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	334
14	**स्वास्थ्य**	**337–361**
	कार्यकारी सारांश	337
	परिचय	339
	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	347
	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी	355
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	359
15	**समाज कल्याण**	**362–381**
	कार्यकारी सारांश	362
	परिचय	363
	समाजिक कल्याण	363
	राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं	364
	महिला एवं बाल विकास	373
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	378
16	**ग्रामीण विकास और पंचायती राज**	**382–399**
	कार्यकारी सारांश	382
	प्रस्तावना	384

	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	385
	दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना	387
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	392
	पंचायती राज	395
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	397
17	**आवास और शहरी विकास**	**400–415**
	कार्यकारी सारांश	400
	शहरी विकास	402
	हिमुडा	403
	स्मार्ट सिटी मिशन	408
	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना	410
	नगर एवम् ग्राम योजना	410
	हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट नियामक अधिनियम	411
	भवन निर्माण लागत सूचकांक	412
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	413
18	**डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन**	**416–433**
	कार्यकारी सारांश	416
	परिचय	417
	डिजिटल अवसंरचना और डेटा प्रशासन	417
	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	430
	प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	431
	शब्दावली	**434–437**

परिवर्णी शब्द

आधार	विशिष्ट पहचान संख्या आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली
ए.एम.एस.वाई.	अंबेडकर माइक्रो सेक्टर योजना
ए.एम.सी.यू.	स्वचालित दूध संग्रह इकाई
ए.एम.आई.	कृषि विपणन बुनियादी ढांचा
ए.एस.पी.	अधिकृत सेवा भागीदार
ए.एस.आई.	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना
ए.एच.पी.	साझेदारी में किफायती आवास
ए.एच.सी.	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र
ए.एफ.एम.सी.	सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज
ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ए.एल.आर.वाई.	अंबेडकर लघु ऋण योजना
ए.ई.	अग्रिम अनुमान
एक्स–रे	एक्स विकिरण (एक्स–रेडियेशन)
एम.एम.एस.एस.	मुख्यमंत्री सेवा संकल्प
एम.एम.एस.वाई.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
एम.एम.के.एस.वाई.	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना
एम.एस.	मास्टर ऑफ सर्जरी
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम.एस.ई.	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एम.एस.ई.–सी.डी.पी.	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम
एम.एस.बी.वाई.	मातृ–शक्ति बीमा योजना
एम.एस.हिपा	डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.एस.सी.	बहु–सेवा केंद्र
एम.एस.वाई.	महिला समृद्धि योजना
एम.एन.आर.ई.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एम.एल.	मशीन लर्निंग
एम.एल.डी.	दस लाख लीटर प्रति दिन
एम.यू.	मिलियन यूनिट
एम.ई.ए.	विदेश मंत्रालय
एम.बी.बी.एस.	बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी
एम.के.यू.एस.वाई.	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना
एम.के.सी.एल.	महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एम.पी.सी.ई.	मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय
एम्स	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम.सी.एच.	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
एम.सी.सी.	मॉडल करियर केंद्र / दूध शीतलन केंद्र
एम.डी.	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन
एम.डी.एम.	मीटर डेटा प्रबंधन
एम.डी.एस.	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी

एम.डी.एफ.	मध्यम घने जंगल
एम.डी.आर.	मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट (बहु–औषधि प्रतिरोधी)
एम.वी.ए.	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.आई.एस.	बाजार हस्तक्षेप योजना/प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.आई.डी.एच.	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
एम.आई.टी.	मेहसाणा प्रौद्योगिकी संस्थान
एम.आई.आई.यू.एस.	संशोधित औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना
एम.आर.आई.	चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग
एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम.ओ.एच.यू.ए.	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
एम.ओ.एच.यू.पी.ए.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.ओ.ई.एफ. एंड सी. सी.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.पी.	बिजली मंत्रालय
एम.ओ.सी.	प्रतिबद्धता का ज्ञापन
एम.ओ.टी.	पर्यटन मंत्रालय
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.ओ.आर.टी.एच.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
ए.पी.एम.सी.	कृषि उपज विपणन समिति
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.पी.वाई.	अटल पेंशन योजना
ए.पी.आई.	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एस.एम.ए.एम.	कृषि यंत्रीकरण पर उप–मिशन
एस.एम.एस.	लघु संदेश सेवा
एस.एम.एस.पी.	बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन
एस.एम.एफ.	बीज गुणन फार्म
एस.एम.एफ.पी.	खाद्य प्रसंस्करण पर राज्य मिशन
एस.एम.सी.	स्कूल प्रबंधन समिति
एस.ए.पी.	सिस्टम एप्लीकेशन और उत्पाद (एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर)
एस.ए.पी.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस.एस.सी.	कर्मचारी चयन आयोग
एस.एस.सी.एल.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
एस.एस.ओ.	सिंगल साइन–ऑन
एस.एच.पी.	लघु जलविद्युत परियोजना
एस.एच.पी.एस.सी.	राज्य उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एफ.सी.	राज्य वित्त आयोग
एस.ए.जी.	किशोरियों के लिए योजना
एस.एन.एफ.	सॉलिड्स–नॉट–फैट (दूध में वसा रहित ठोस)
एस.एन.पी.	पूरक पोषण कार्यक्रम

एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय संचालन समिति
एस.एल.बी.सी.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एस.एल.टी.सी.	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति
एस.यू.	अर्ध–शहरी (सेमी–अर्बन)
एस.यू.आई.एस.	स्टैंड अप इंडिया योजना
एस.ई.पी.	स्वरोजगार कार्यक्रम
एस.ई.सी.सी.	सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना
एस.बी.एम.–जी	स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण
एस.बी.आई.	भारतीय स्टेट बैंक
ए.सी.पी.	वार्षिक ऋण योजना
एस.पी.वी.	विशेष प्रयोजन वाहन
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.सी.ए.आर.डी.बी.	राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक
एस.सी.ई.आर.टी.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एस.सी.डी.पी.	अनुसूचित जाति विकास योजना
एस.डब्ल्यू.एम.	ठोस कचरा प्रबंधन
एस.डब्ल्यू.एस.एम.	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.जी.एस.टी.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एस.जे.एस.आर.वाई.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एस.जे.पी.एन.एल.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड
एस.टी.	अनुसूचित जनजाति
एस.टी.यू.	राज्य पारेषण उपयोगिता (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी)
एस.टी.पी.	सीवेज उपचार संयंत्र
एस.टी.पी.आई.	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एस.टी.आई.	यौन संचारित संक्रमण
एस.आर.	द्वितीय संशोधित अनुमान
एस.आर.एस.	नमूना पंजीकरण प्रणाली
एस.ओ.पी.	मानक संचालन प्रक्रिया
एड्स	एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक
एच. एंड टी.	आतिथ्य और पर्यटन
एच.एस.बी.क्यू.	रक्तस्रावी सेप्टीसीमिया और ब्लैक क्वार्टर (पशु रोग)
एच.एच.	परिवार/घर
एच.एफ.ए.	सभी के लिए आवास
एच.ई.पी.	जलविद्युत परियोजना
एच.पी.	हिमाचल प्रदेश
एच.पी.एम.एफ. एंड डी. सी.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
एच.पी.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन और प्रसंस्करण निगम
एच.पी.एस.ए.एम.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.पी.एस.ई.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

एच.पी.एस.ई.बी.एल.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड
एच.पी.एस.ई.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम
एच.पी.एस.पी.सी.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एच.पी.एस.सी. एंड एस. टी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम
एच.पी.एस.सी.एस.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
एच.पी.एस.सी.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक
एच.पी.एस.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना
एच.पी.एस.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा केंद्र
एच.पी.एस.आई.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
एच.पी.एस.आर.एल.एम.	हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एच.पी.यू.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
एच.पी.ई.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र
एच.पी.ई.आर.सी.	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
एच.पी.बी.सी.एफ. एंड डी.सी.	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
एच.पी.के.वी.एन.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम
एच.पी.के.वी.आई.बी.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी.	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
एच.पी.पी.टी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
एच.पी.रेरा	हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण
एच.पी.सी.ई.डी.	हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र
एच.पी.सी.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना
एच.पी.जी.बी.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
एच.पी.टी.ए.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर
एच.पी.टी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
एच.पी.आई.डी.बी.	हिमाचल प्रदेश बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड
एच.डब्ल्यू.सी.	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
एच.डी.एस.	बागवानी विकास योजना
एच.डी.एफ.सी.	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
एच.डी.आर.	मानव विकास रिपोर्ट
एच.वाई.वी.	उच्च उपज वाली किस्म
एच.वाई.वी.पी.	उच्च उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम
एच.टी.	हाई टेंशन (उच्च तनाव)
एच.आई.वी.	ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस
एच.आर.टी.सी.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम
एफ.एम.	फोर्टिफाइड सरसों
एफ.एम.सी.जी.	फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं)
एफ.एस.पी.एफ.	कृषि क्षेत्र संवर्धन कोष
एफ.एच.टी.सी.	कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
एफ.ए.आई.डी.एफ.	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर बुनियादी ढांचा विकास कोष
एफ.ए.आर.	फ्लोर एरिया रेशियो
एफ.एल.सी.	वित्तीय साक्षरता केंद्र

एफ.पी.एस.	उचित मूल्य की दुकानें
एफ.पी.पी.	खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र
एफ.पी.ओ.	किसान उत्पादक संगठन
एफ.वाई.	वित्तीय वर्ष
एफ.आई.	वित्तीय संस्थान
एफ.आई. एंड ई.डी.	वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास
एफ.आर.	फोर्टिफाइड रिफाइंड ६ प्रथम संशोधित अनुमान
एफ.आर.ए.	वन अधिकार अधिनियम
एफ.आर.ए.एस.	चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली
एफ.आर.एच.	वन विश्राम गृह
ए.जे.सी.	सेब के रस का सांद्रण
एन.ए.एफ.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
एन.एम.एस.ए.	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
एन.एम.बी.ए.	नशा मुक्त भारत अभियान
एन.ए.पी.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एन.एस.ए.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र
एन.एस.क्यू.एफ.	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ६ संगठन
एन.एच.	राष्ट्रीय राजमार्ग
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.एच.पी.सी.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन
एन.एफ.एम.एस.	राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.एफ.एच.एस.	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एन.ए.आई.पी.	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
एन.यू.एल.एम.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एन.ई.एल.एस.	राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन सहायता
एन.ई.पी.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एन.ई.सी.	अन्यत्र वर्गीकृत नहीं
एन.पी.–एन.सी.डी.	गैर–संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एन.पी.ए.	गैर–निष्पादित संपत्ति
एन.सी.ए.पी.	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एन.सी.डी.	गैर–संचारी रोग
एन.सी.आर.एफ.	राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क
एन.डी.ए.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
एन.डी.एल.	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
एन.डी.डी.बी.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एन.डी.आर.आई.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.टी.ई.पी.	राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम
एन.टी.पी.सी.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
एन.टी.सी.पी.	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
एन.आई.क्यू.	कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना
एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

एन.आई.टी.टी.टी.आर.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
एन.आर.एम.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
एन.आर.एल.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
ए.टी. एंड सी.	सकल तकनीकी और वाणिज्यिक
ए.टी.एम.	स्वचालित टेलर मशीन
ए.टी.एस.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन
ए.आई.	कृत्रिम गर्भाधान
ए.आई.एफ.	कृषि–बुनियादी ढांचा कोष
ए.आई.डब्ल्यू.एफ.एस.	उन्नत वाइड फील्ड सेंसर
ए.आर.वी.	एंटी–रेबीज वैक्सीन
ए.आर.टी.	एंटी–रिट्रोवायरल थेरेपी
एल.एम.वी.	हल्का मोटर वाहन
एल.एफ.पी.आर.	श्रम शक्ति भागीदारी दर
एल.एन.2	तरल नाइट्रोजन
एल.एल.पी.डी.	प्रति दिन लाख लीटर
एल.पी.सी.डी.	प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर
एल.पी.डी.	लीटर प्रति दिन
एल.पी.जी.	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एल.जी.डी.	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एल.टी.	लो टेंशन (निम्न तनाव)
एल.आई.टी.	कम इनपुट तकनीक
रूसा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
यू–5	पांच वर्ष से कम (मृत्यु दर)
यू.एस.	सामान्य स्थिति (यूजुअल स्टेटस)
यू.एस.डी.	अमेरिकी डॉलर
यू.ए.वी.	मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन)
यू.एन.डी.पी.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यूको	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
यू.पी.	उत्तर प्रदेश
यू.पी.एस.सी.	संघ लोक सेवा आयोग
यू.पी.आई.	यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
यू.डी.आई.डी.	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान
यूडाइस	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस
यू.जी.	स्नातक (अंडरग्रेजुएट)
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यू.आई.डी.	विशिष्ट पहचान
यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यू.आर.	बेरोजगारी दर
ई–बात	इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण
ई–नाम	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई.एम.पी.	पर्यावरण प्रबंधन योजना
ई.एम.डी.ई.	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ई.ए.पी.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना

ई.एस.जेड.	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र
ई.एस.आई.सी.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ई.एस.ओ.एम.एस.ए.	अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों का सशक्तिकरण
ई.एच.वी.	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
ई.ई.एम.आई.एस.	रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली
ई.बी.सी.	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
ई.पी.सी.	इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
ई.सी.सी.ई.	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ई.डी.पी.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ई.वी.	इलेक्ट्रिक वाहन
ई.टी.	एंटरोटॉक्सिमिया (पशु रोग)
ई.आई.ए.	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
ई.ओ.डी.बी.	व्यापार करने में आसानी (इज ऑफ डूइंग बिजनेस)
बी.एम.डब्ल्यू.	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट
बी.एस.बी.डी.ए.	बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
बी.एड.	शिक्षा स्नातक
बी.एफ.एस.आई.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बी.ई.एस.एस.	बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
बी.पी.ई.ओ.	ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
बी.सी.	बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट
बी.सी.एम.	अरब घन मीटर
बी.सी.सी.आई.	भवन निर्माण लागत सूचकांक
बी.डी.एस.	दंत शल्य चिकित्सा स्नातक
बी.वी.पी.सी.एल.	ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
बी.वोक	व्यवसाय स्नातक
बी.आर.ए.पी.	व्यापार सुधार कार्य योजना
बी.आर.सी.सी.	ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक
बी.आर.ओ.	सीमा सड़क संगठन
बी.ओ.सी.डब्ल्यू.	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक
बी.ओ.टी.	निर्माण–संचालन–हस्तांतरण
बी.टेक	प्रौद्योगिकी स्नातक
प्रसाद	तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान
बूट	निर्माण–स्वामित्व–संचालन–हस्तांतरण
क्यू.पी.	योग्यता पैक (क्वालिफिकेशन पैक)
काफरी	ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन, लचीलापन और वित्त
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सत्र
के.एल.	किलोलीटर
कैम्पा	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
के.पी.आई.	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड
के.सी.सी.बी.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक

के.वी.	किलोवोल्ट
के.वी.के.	कृषि विज्ञान केंद्र
के.वी.आई.बी.	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
के.वी.आई.सी.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
के.जी.बी.वी.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
क्लैट	कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट
मेरु	बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय
मे.वा.	मेगावाट
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
कि.मी.	किलोमीटर
कि.वा.	किलोवाट
कि.वा.पी.	किलोवाट पीक
हिंदी रूपांतरण (न्दपबवकम)	पूर्ण रूप (हिंदी में)
हिमऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी
हिमकाड	हिमाचल प्रदेश कमांड क्षेत्र विकास
हिमकोस्टे	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद
हिमस्वान	हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
हिमुडा	हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण
हिमअप	हिमाचल स्टार्टअप योजना
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
क्रिस्प	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस
निष्ठा	स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल
निफ्ट	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
हाइटस	अस्पताल बुनियादी ढांचा और तकनीकी सेवाएं
पी.	अनंतिम (प्रोविजनल)
पी.एम. स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि
पी.एम.–यशस्वी	जीवंत भारत के लिए प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना
पी.एम.–कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
पी.एम.–उषा	प्रधानमंत्री–उच्चतर शिक्षा अभियान
पी.एम.–अजय	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
पी.एम.एम.एस.वाई.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पी.एम.एम.वी.वाई.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पी.एम.एस.एम.ए.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
पी.एम.एस.एस.वाई.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पी.एम.एस.बी.वाई.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पी.एम.ए.वाई. (शहरी)	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
पी.एम.ए.वाई.–एच.एफ.ए.	प्रधानमंत्री आवास योजना–सभी के लिए आवास (शहरी)
पी.एम.ए.वाई.–जी	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
पी.एम.एफ.एम.ई.	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना
पी.एम.एफ.बी.वाई.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पी.एम.एन.डी.पी.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.एम.वी.	प्रधानमंत्री विश्वकर्मा
पी.एम.जे.ए.वाई.	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन–धन योजना
पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पी.एम.आर.वाई.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
पी.एस.एम.पी.	पावर सिस्टम मास्टर प्लान
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
पी.ए.सी.	बिजली उपलब्धता प्रमाणपत्र/परियोजना मूल्यांकन समिति
पी.एस.सी.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण
पी.एस.वी.	यात्री सेवा वाहन
पी.एच.एच.	प्राथमिकता वाले परिवार
पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पी.एफ.सी.	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
पी.एफ.आर.	पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट
पी.एन.बी.	पंजाब नेशनल बैंक
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी.ई.सी.	स्थायी नामांकन केंद्र
पी.के.के.के.वाई.	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना
पी.के.वी.वाई.	परंपरागत कृषि विकास योजना
पी.पी.ए.	बिजली खरीद समझौता
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पी.पी.आर.	पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पशु रोग)
पी.सी.सी.	प्रदूषण जांच केंद्र
पी.सी.आई.	प्रति व्यक्ति आय
पी.डब्ल्यू.एम.यू.	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई
पी.डब्ल्यू.डी.	दिव्यांग व्यक्ति
पी.डी.एम.सी.	प्रति बूंद अधिक फसल
पी.डी.एस.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी.डी.पी.	पंचायत विकास योजनाएं
पी.जी.	स्नातकोत्तर
पी.जी.डी.सी.ए.	कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पी.आई.ए.	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पी.आई.पी.	गरीबों की सहभागी पहचान
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पोषण	समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना
पैक्स	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पेसा	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम
पेट–सीटी	पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी–कंप्यूटेड टोमोग्राफी
रैम्प	एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना
संकल्प	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता
स्काडा	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण

सी. एंड डी.एस.टी.	संवर्धन और औषधि संवेदनशीलता परीक्षण
सी–डैक	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र
सी.ए.	नियंत्रित वातावरण
सी.एम.	मुख्यमंत्री
सी.एस.एम.सी.	केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति
सी.एस.एस.	केंद्र प्रायोजित योजना
सी.एस.पी.	ग्राहक सेवा बिंदु
सी.एस.सी.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
सी.एस.सी.–एस.पी.वी.	सामान्य सेवा केंद्र – विशेष प्रयोजन वाहन
सी.एस.आर.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सी.ए.डी.	कमांड क्षेत्र विकास
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सी.एफ.सी.	सामान्य सुविधा केंद्र
सी.ए.जी.आर.	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सी.एन.सी.पी.	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
सी.एल.एस.एस.	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
सी.एल.यू.	भूमि उपयोग परिवर्तन
सी.एल.सी.	शहर आजीविका केंद्र
सी.एल.आई.डी.	समुदाय आधारित संस्थान विकास
सी.ई.ए.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सी.ई.पी.ए.	संचार, शिक्षा, भागीदारी और जागरूकता
सी.ई.टी.पी.	सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र
सी.बी.	छावनी बोर्ड
सी.बी.बी.ओ.	क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन
सी.बी.डी.डी.	चुनौती आधारित गंतव्य विकास
सी.बी.जी.	संपीड़ित बायो–गैस
सी.बी.नैट	कार्ट्रिज आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट
सी.के.टी.	सर्किट
सी.पी.एस.यू.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सी.पी.सी.बी.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.पी.आई.–यू	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–शहरी
सी.पी.आई.–सी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त
सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.पी.आई.–आर	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण
सीपेट	केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान
सी.सी.ए.–आर.ए.आई.	भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
सी.सी.टी.वी.	क्लोज्ड–सर्किट टेलीविजन
सी.डब्ल्यू.एस.	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति
सी.डब्ल्यू.एस.एन.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
सी.डब्ल्यू.सी.	केंद्रीय जल आयोग
सी.डी. रेशियो	ऋण–जमा अनुपात
सी.डी.आर.	ऋण–जमा अनुपात
सी.वी.	विचरण गुणांक

सी.जी.टी.एम.एस.ई.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
सी.जेड.ए.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
सी.टी.	कंप्यूटेड टोमोग्राफी
सी.टी.ई.	स्थापना हेतु सहमति
सी.टी.सी.	केंद्रीय उपकरण कक्ष और प्रशिक्षण केंद्र
सी.टी.ओ.	संचालन हेतु सहमति
सी.आई.	कास्ट आयरन (ढलवां लोहा)
सी.आई.एफ.	सामुदायिक निवेश कोष
सी.आई.सी.एल.	कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे
सी.आर.सी.	चाकी पालन केंद्र
सी.आर.सी.सी.	क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक
सी.ओ.ई.	उत्कृष्टता केंद्र
स्वैप्स	राज्य जल कार्य योजनाएं
सुयोग	सुरक्षा योजना गारंटी
डब्ल्यू.ई.डी.	विश्व पर्यावरण दिवस
डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना
डब्ल्यू.पी.एम.एफ.	ऊन उत्पादक विपणन महासंघ
डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यू.पी.आर.	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास
डब्ल्यू.डी.सी.	वाटरशेड विकास घटक
डब्ल्यू.डी.सी. प्लस	वाटरशेड विकास घटक प्लस
डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के. एस.वाई.	वाटरशेड विकास घटक–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
डी–जय (एस)	दीनदयाल जन आजीविका योजना दृ शहरी
डी.एम.ई.	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय
डी.एम.सी.	आपदा प्रबंधन सेल ६ नामित माइक्रोस्कोपी केंद्र
डी.एम.ओ.	गंतव्य प्रबंधन संगठन
डी.एस.सी.	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
डी.एस.टी.	औषधि संवेदनशीलता परीक्षण
डी.एफ.एल.	रोग मुक्त लेयिंग्स (रेशम कीट पालन)
डी.एन.बी.	नेशनल बोर्ड के डिप्लोमेट
डी.ई.एस.टी. एंड सी.सी.	पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग
डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डी.पी.एम.सी.यू.	डिजिटल दूध खरीद और संग्रह इकाई
डी.पी.आई.आई.टी.	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.सी.ए.	कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डी.डी.टी. एंड जी.	डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग
डी.डी.आर.टी.बी.सी.	जिला औषधि प्रतिरोधी तपेदिक केंद्र
डी.जी.सी.ए.	नागरिक उड्डयन महानिदेशालय
डी.टी.एस.	ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल
डी.टी.आर.	वितरण ट्रांसफार्मर

डी.आई.	डक्टाइल आयरन
डी.आई.सी.	जिला उद्योग केंद्र
डी.आर.सी.	जिला पुनर्वास केंद्र
डी.आर.टी.बी.सी.	औषधि प्रतिरोधी तपेदिक केंद्र
डी.ओ.एल.आर.	भूमि संसाधन विभाग
डी.ओ.ई.	ऊर्जा निदेशालय
डाइट	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
उड़ान	उड़े देश का आम नागरिक
डे–एन.आर.एल.एम.	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
वी.एस.सी.	वाहन कबाड़ केंद्र
वी.बी.–जी राम जी	रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी
वी.पी.एन.	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वी.डी.एस.	सब्जी विकास केंद्र
वी.डी.एफ.	बहुत घना जंगल
वी.वी.पी.	जीवंत ग्राम कार्यक्रम
वाई–ओ–वाई	वर्ष–दर–वर्ष
वाश	जल, स्वच्छता और स्वच्छता (वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन)
वेबएक्स	वेब एक्सचेंज
जी–20	ग्रुप ऑफ ट्वेंटी
जी–7	ग्रुप ऑफ सेवन
जी.एस.सी.	कॉलेजों को मजबूत करने हेतु अनुदान
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य वर्धित
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
जी.एन.एम.	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
जी.एल.ओ.एफ.	ग्लेशियर झील फटने से आई बाढ़
जी.ई.सी.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
जी.बी.एस.	सकल बजटीय सहायता
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.पी.डी.पी.	ग्राम पंचायत विकास योजना
जी.डी.एस.	अदरक विकास केंद्र
जी.वी.ए.	सकल मूल्य वर्धित
जी.वी.ओ.	उत्पादन का सकल मूल्य
जी.आई.	गैल्वेनाइज्ड आयरन/भौगोलिक संकेतक
जी.आई. एंड ई.आई.	लिंग समावेशन और समानता पहल
जी.आई.ए.	सहायता अनुदान
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.आई.जेड.	जर्मन विकास सहयोग एजेंसी
जी.आर.एस.	ग्राम रोजगार सहायक
जी.टू.बी.	सरकार से व्यवसाय
जी.टू.सी.	सरकार से नागरिक
जी.टू.जी.	सरकार से सरकार
जायका	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी
जे.एस.एस.के.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जे.एस.वाई.	जननी सुरक्षा योजना
जे.एल.जी.	संयुक्त देयता समूह
जेम	गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस
जे.पी.	जिला परिषद
जेड.एल.डी.	शून्य तरल निर्वहन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज)
जे.जे.एम.	जल जीवन मिशन
नीट	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
नाइलिट	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नैबकॉन्स	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज
अमृत	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
अमृत 2.0	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0
टी.एल.	ट्रांसमिशन लाइन (पारेषण लाइन)
टी.ई.एफ.आर.	तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट
टी.ई.सी.	तकनीकी–आर्थिक मंजूरी
टी.बी.	तपेदिक (क्षय रोग)
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टी.सी.पी.	नगर एवं ग्राम नियोजन
टी.डी.एफ.	जनजातीय विकास कोष
टी.टी.	टेबल टेनिस
अपार	वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट
आयुष	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
आई. एंड सी.	निरीक्षण और प्रमाणन
आई. एंड सी.बी.	संस्थागत और क्षमता निर्माण
आई.ए.	औद्योगिक क्षेत्र
आई.एम.एफ.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आई.एम.सी.	इंडियन मेजर कार्प (मछली की प्रजाति)
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एम.आर.	शिशु मृत्यु दर
आई.एस.ए.एम.	कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना
आई.एस.एफ.आर.	भारत वन स्थिति रिपोर्ट
आई.एच.एच.एल.	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आई.ई.	औद्योगिक संपदा (इंडस्ट्रियल एस्टेट्स)
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा और संचार
आई.पी.एम.	एकीकृत कीट प्रबंधन
आई.पी.पी.	स्वतंत्र बिजली उत्पादक
आई.पी.डी.एस.	एकीकृत बिजली विकास योजना
आई.सी.ए.आर.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई.सी.टी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.सी.आई.सी.आई.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आई.जी.एम.सी.	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.टी.–आई.टी.ई.एस.	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
आई.टी.–ओ.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी दृ परिचालन प्रौद्योगिकी

आई.टी.ई.एस.	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
आई.टी.डी.सी.	भारत पर्यटन विकास निगम
आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आई.आई.एम.	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आई.आई.एल.बी.	भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक
आई.आई.पी.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आई.आई.टी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.आई.टी.–जे.ई.ई.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–संयुक्त प्रवेश परीक्षा
आई.आर.एल.	मध्यवर्ती संदर्भ प्रयोगशाला
आई.आर.सी.ए.	नशों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र
आई.आर.डी.पी.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आई.ओ.सी.एल.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आई.ओ.टी.	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आर. एंड डी.	अनुसंधान और विकास
आर. एंड आर.	पुनर्वसन और पुनर्वास
आर.एम.	खुदरा प्रबंधन (रिटेल मैनेजमेंट)
आर.एम.एस.	रबी विपणन सत्र/राजस्व प्रबंधन प्रणाली
आर.एस.	रिमोट सेंसिंग (सुदूर संवेदन)
आर.ए.डी.	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
आर.एफ.	रिवॉल्विंग फंड (आवर्ती निधि)
आर.एफ.ए.	रिकॉर्ड किया गया वन क्षेत्र
आर.एफ.आई.डी.	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आर.एन.टी.सी.पी.	संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम
आर.एल.सी.	ग्रामीण आजीविका केंद्र
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आर.ई.जी.पी.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.के.वी.वाई.–रफ्तार	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण
आर.पी.एल.	पूर्व शिक्षा की मान्यता (रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग)
आर.पी.डब्ल्यू.डी.	दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार
आर.पी.जी.एम.सी.	राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज
आर.सी.एम.एस.	राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली
आर.सेटी	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर.डी.एस.एस.	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना
आर.डी.टी.सी.	क्षेत्रीय डेयरी प्रशिक्षण केंद्र
आर.वी.एस.एफ.	पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधा
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आर.टी.ई.	शिक्षा का अधिकार
आर.टी.डी.ए.एस.	रीयल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली
आर.टी.ओ.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष
आर.आर.बी.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आत्मा	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी

ओ. एंड एम.	संचालन और रखरखाव
ओ.एस.सी.	वन स्टॉप सेंटर
ओ.एफ.	खुला वन
ओ.एफ.पी.ओ.	ऑफ–फार्म उत्पादक संगठन
ओ.ई.एम.	मूल उपकरण निर्माता
ओ.बी.सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओ.पी.एस.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
ओ.पी.डी.	बाह्य रोगी विभाग
ओ.सी.एम.एम.एस.	ऑनलाइन सहमति प्रबंधन और निगरानी प्रणाली
ओ.डी.ए.	आधिकारिक विकास सहायता
ओ.डी.एफ.	खुले में शौच मुक्त
ओ.डी.ओ.पी.	एक जिला एक उत्पाद
ओ.टी.एस.	एकमुश्त समझौता
ओ.टी.एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा अन्य
ओ.ओ.	का कार्यालय
ओ.ओ.पी.	जेब से होने वाला खर्च (आउट–ऑफ–पॉकेट)
गो.एच.पी.	हिमाचल प्रदेश सरकार
गो.आई.	भारत सरकार
गवर्नमेंट	सरकार
ग्राम	ग्राम
लीनैक	रैखिक त्वरक (लीनियर एक्सेलेरेटर)

अध्याय
1

सामान्य समीक्षा

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**वैश्विक विकास परिदृश्य**	वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2026 में 3.3 प्रतिशत और 2027 में 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसे महंगाई में कमी, मजबूत मांग और अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों का समर्थन मिलेगा।
2	**सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत**	भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में 7.4 प्रतिशत जी.डी.पी. वृद्धि दर्ज की, जो विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और मजबूत उपभोग से प्रेरित रही, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।
3	**वैश्विक स्तर पर भारत की उभरती हुई स्थिति**	भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र और विनिर्माण इसके प्रमुख विकास चालक बने हुए हैं।
4	**हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि**	हिमाचल प्रदेश ने वित्त वर्ष 2024–25 में 10.1 प्रतिशत नोमिनल सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि और 6.4 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर्ज की, जो महामारी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार को दर्शाती है।
5	**दस वर्षों में मजबूत वृद्धि**	2010–11 से 2020–21 के बीच हिमाचल प्रदेश ने अपनी सबसे तेज आर्थिक वृद्धि अर्जित की, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 167 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 272 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
6	**संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन**	वित्त वर्ष 2024–25 में सेवा और उद्योग क्षेत्रों का हिस्सा बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 86.3 प्रतिशत हो गया है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटकर 13.7 प्रतिशत रह गया है, जो संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।
7	**जलवायु से संबंधित आर्थिक हानियाँ**	पिछले चार वर्षों में आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो प्रतिवर्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत के बराबर है, जिससे आधारभूत ढांचे और बागवानी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा।
8	**कृषि और बागवानी का महत्व**	हिस्सेदारी में कमी आने के बावजूद, कृषि और बागवानी ग्रामीण आजीविका के लिए अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ सेब और विविधीकृत फसलें आय को सहारा देती हैं।
9	**नवीकरणीय ऊर्जा और जलविद्युत क्षेत्र की मजबूती**	जलविद्युत अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो ऊर्जा सुरक्षा, राजस्व वृद्धि और निजी क्षेत्र की भागीदारी में योगदान देता है।
10	**सकारात्मक मध्यम अवधि का परिदृश्य**	जलवायु–सहिष्णु बुनियादी ढाँचे, कल्याणकारी कार्यक्रमों और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं के साथ, राज्य का मध्यम अवधि का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है।

1.1 विश्व अर्थव्यवस्था का अवलोकन

वैश्विक उत्पादन के 2026 में 3.3 प्रतिशत और 2027 में 3.2 प्रतिशत तक विस्तार करने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य की तुलना में हल्के ऊपर की ओर संशोधन को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी से संबंधित मजबूत निवेश, सहायक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियाँ तथा निजी क्षेत्र की लचीलापन हाल के व्यापार नीति समायोजनों के प्रभाव को कम कर रहे हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति के अपने गिरावट वाले रुझान को जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, निचले स्तर के जोखिम अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी–आधारित विकास अपेक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन की संभावना और भू–राजनीतिक तनावों के तीव्र होने की आशंका।

वर्ष 2025 बहुत परिवर्तनशील और अस्थिर रहा है, जहाँ अधिकांश गतिशीलता संयुक्त राज्य अमेरिका में नीतिगत प्राथमिकताओं के पुनर्संयोजन तथा अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा नई परिस्थितियों के अनुरूप अपनी नीतियों को अपनाने से प्रेरित रही है। व्यापार से जुड़ी खबरों ने सुर्खियों पर प्रभुत्व बनाए रखा है और इनके साथ–साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावित संभावनाएँ भी उतार–चढ़ाव करती रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नई टैरिफ (शुल्क) उपायों की एक श्रृंखला ने टैरिफ दरों को ऐसे स्तर तक पहुँचा दिया है, जो एक सदी में नहीं देखे गए, और अधिकांश देशों के लिए यह दरें लगभग 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के दायरे की ओर बढ़ गई हैं।

चित्र 1.1

2025, 2026 और 2027 के लिए चयनित अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि के अनुमान

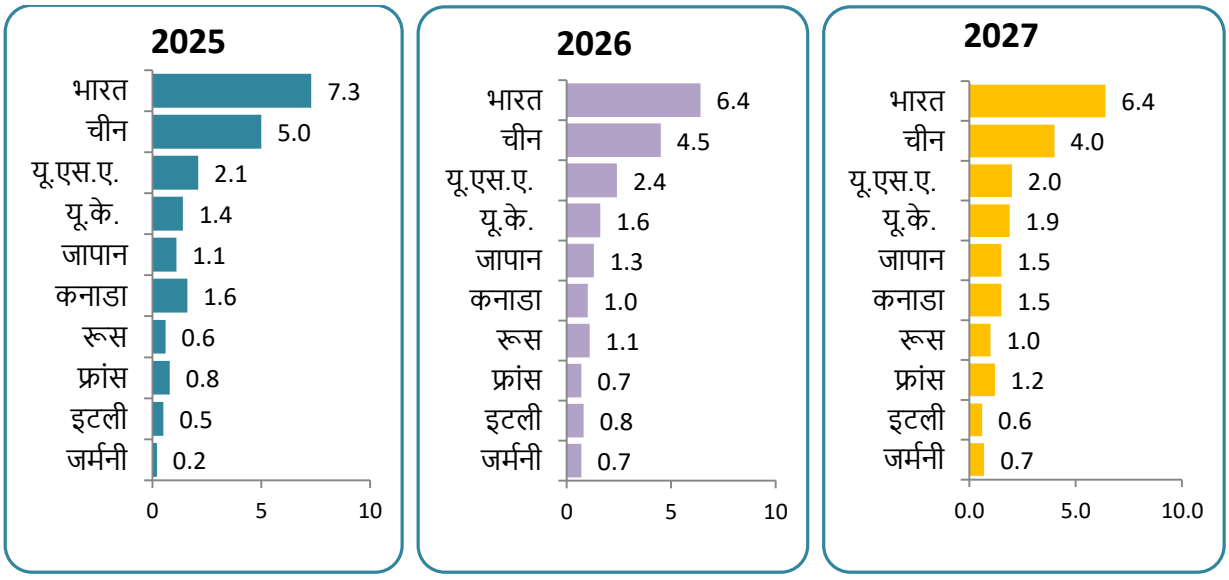

स्त्रोत: विश्व आर्थिक परिदृश्य, जनवरी 2026.

चित्र 1.1 दर्शाती है कि भारत 2024, 2025 और 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। इन तीनों वर्षों में चीन भारत का सबसे निकटतम प्रतिस्पर्धी प्रतीत होता है, जबकि अन्य सभी अर्थव्यवस्थाएँ उस वृद्धि दर से काफी पीछे दिखाई देती हैं जिसे भारत हासिल करेगा। 30.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्तर पर निर्विवाद आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है, और आने वाले वर्षों में भी इसके इस अग्रणी स्थान को बनाए रखने की उम्मीद है।

हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका आकार के मामले में प्रमुख है, लेकिन कई प्रतिस्पर्धी वृद्धि और गति के मामले में आगे हैं। इसका सबसे निकटतम प्रतिस्पर्धी चीन वर्ष 2000 से अब तक वास्तविक जी.डी.पी. में औसतन 8 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि भारत, वियतनाम और फिलीपींस जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने इससे भी तेज आर्थिक विस्तार की लगातार अवधि दर्ज की है।

नीचे दीए गए चित्र में आई.एम.एफ. के नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के आँकड़ों के आधार पर 2000–2025 के बीच विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जी.डी.पी. तथा वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि को दर्शाया गया है।

चित्र 1.2

2000–2025 के दौरान औसत वार्षिक वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि

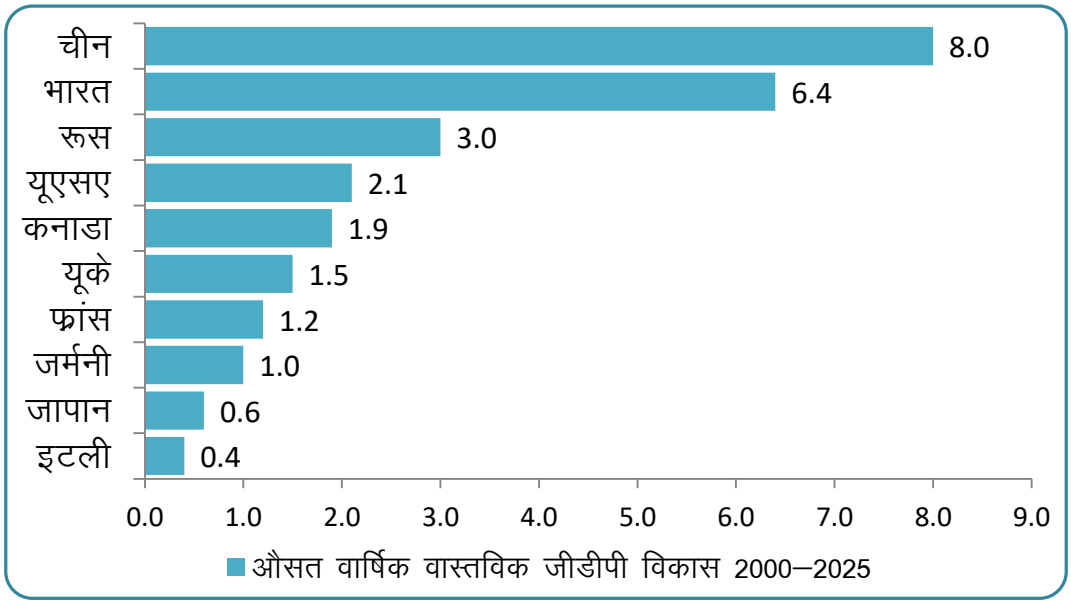

स्रोत: विजुअल कैपिटलिस्ट, विश्व की 50 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ और वर्ष 2000 के बाद से उनकी वृद्धि की गति।

कुल मिलाकर, वास्तविक रूप में चीन से तेज किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था ने वृद्धि नहीं की है। हालांकि पिछले 25 वर्षों में भारत की औसत वृद्धि दर (6.4 प्रतिशत), चीन (8.0 प्रतिशत) से कम रही है, लेकिन हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति उलट गई है।

उदाहरण के लिए, 2026 में भारत के 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि चीन की वृद्धि दर केवल 4.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

मुख्य उपलब्धियाँ

- राज्य ने मजबूत आर्थिक वृद्धि हासिल की, जहाँ वित्त वर्ष 2024–25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा 6.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई, जो महामारी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार को दर्शाती है।
- 2020–21 से प्रति व्यक्ति आय में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो जीवन स्तर में व्यापक सुधार को दर्शाती है।
- 2010–11 से 2020–21 का दशक सबसे तेज आर्थिक विस्तार का साक्षी रहा, जिसे औद्योगिक विकास, जलविद्युत, बागवानी और निरंतर सार्वजनिक निवेश ने प्रेरित किया।
- अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसमें अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मिलकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 86 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं।
- निर्माण, सेवा क्षेत्र, जलविद्युत, पर्यटन, औषधि उद्योग और बागवानी में निरंतर वृद्धि और विविधीकरण देखा गया है।
- हिमाचल प्रदेश बागवानी में अग्रणी के रूप में उभरा, विशेष रूप से सेब में, साथ ही फूलों की खेती, मशरूम और उप–उष्णकटिबंधीय फलों में भी विस्तार किया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा और जलविद्युत में निरंतर प्रगति ने राजस्व सृजन और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है।
- कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास में निवेश ने समावेशिता और मानव विकास को बढ़ाया है।
- प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप, राज्य ने जलवायु–सहिष्णु बुनियादी ढाँचा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है।

1.2 अवलोकन: भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इस गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष तक

उच्च, मध्य–आय वर्ग तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ, देश आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार और सामाजिक प्रगति की मजबूत नींव पर अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है।

एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर नोमिनल जी.डी.पी. के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जैसा कि सरकार की वर्ष–समाप्ति आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। इसके अलावा, आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी को भी पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है।

चित्र 1.3

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक

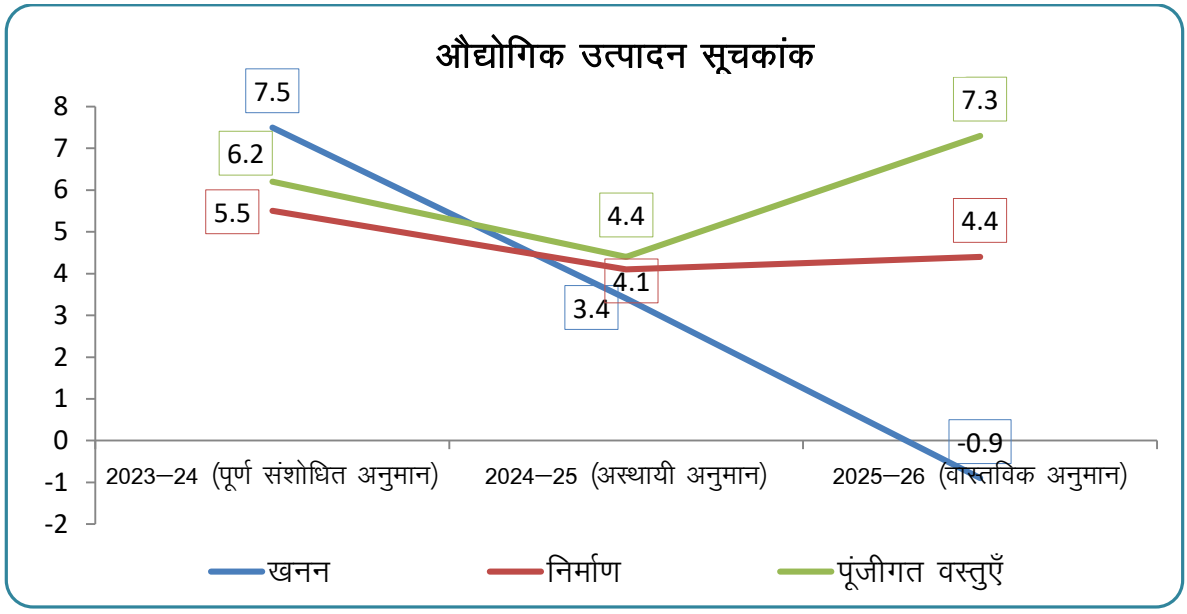

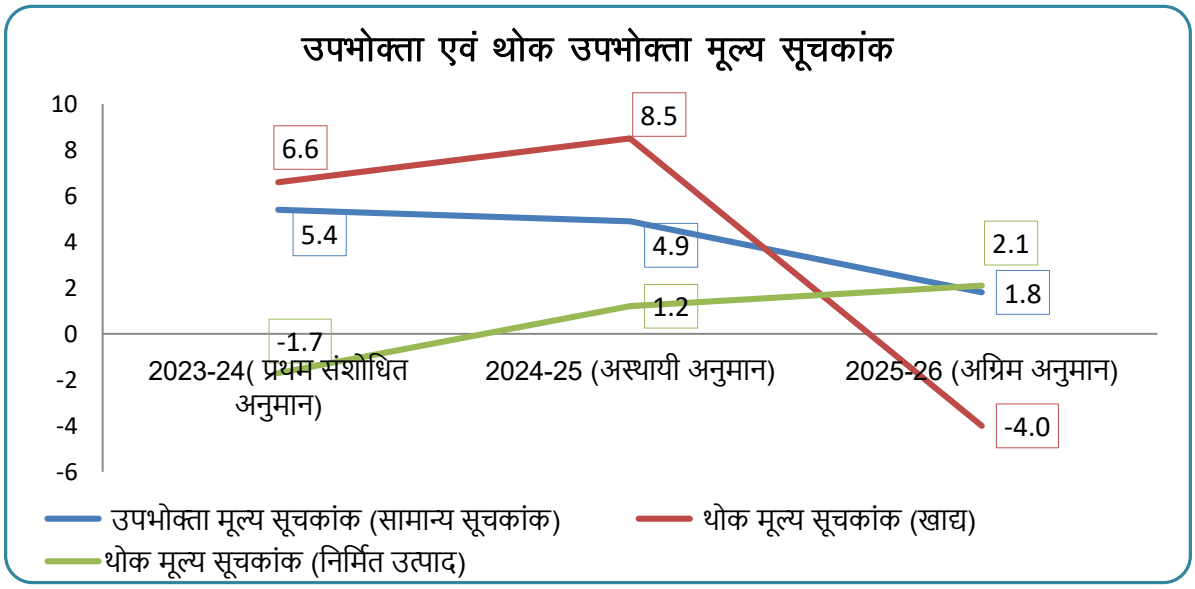

स्त्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ।

पूंजीगत वस्तुओं और विनिर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि का संकेत है, जबकि मुद्रास्फीति, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापी जाती है, कम बनी हुई है।

वित्तीय परिस्थितियाँ भी सहायक बनी हुई हैं, जिसका संकेत व्यवसायों को उपलब्ध स्वस्थ ऋण विस्तार से मिलता है, जबकि मांग भी लचीली बनी हुई है, जिसका समर्थन शहरी उपभोग में और वृद्धि कर रहा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय 7 प्रतिशत रहा, जबकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 5.2 प्रतिशत रहा।

स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025–26 में यह ₹201.90 लाख करोड़ के स्तर तक पहुँच जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अस्थायी अनुमान ₹187.97 लाख करोड़ था, जिसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई।

नोमिनल सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025–26 में यह ₹357.14 लाख करोड़ के स्तर तक पहुँच जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह ₹330.68 लाख करोड़ था, जिसमें 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई।

चित्र 1.4

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा– 2024–25 और 2025–26 के लिए

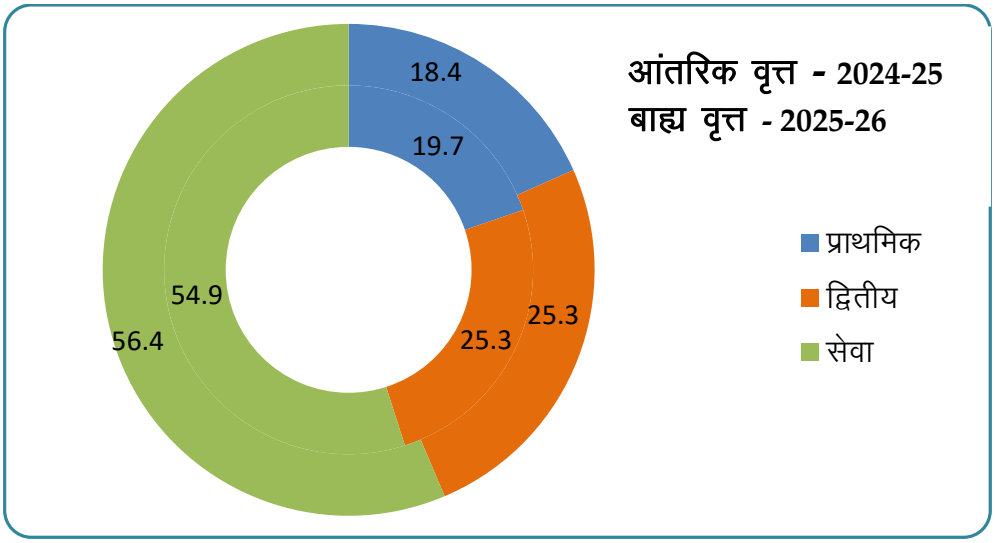

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ।

द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा पिछले दो वर्षों में स्थिर बना रहा, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की हानि तृतीयक क्षेत्र के लिए लाभ साबित हुई है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भी

मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2024–25 में 8.4 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में 9.5 प्रतिशत हो गई। वहीं, वस्तुओं और सेवाओं के आयात में गिरावट आई, जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025–26 में 9 प्रतिशत रह गई।

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्त वर्ष मार्च 2026 में समाप्त होने तक 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने की उम्मीद है। यह पिछले वित्त वर्ष में दर्ज 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद आती है।

चित्र 1.5

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर: क्षेत्रवार

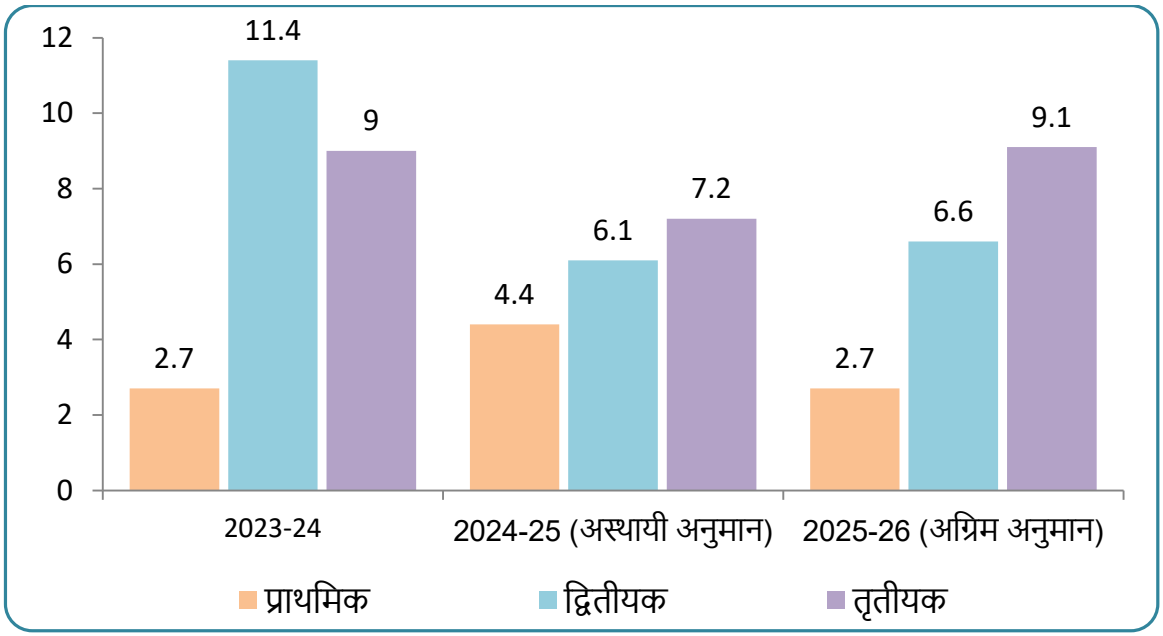

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ।

क्षेत्रवार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025–26 (अग्रिम अनुमान) में प्राथमिक क्षेत्र में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2023–24 में 4.4 प्रतिशत थी। द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि 6.6 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 6.1 प्रतिशत थी, लेकिन यह वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में अभी भी कम बनी हुई है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों पर भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ₹201.90 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अस्थायी अनुमान ₹187.97 लाख करोड़ था, जिसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई।

चित्र 1.6

स्थिर (2011–12) मूल्य पर जी.वी.ए. वृद्धि

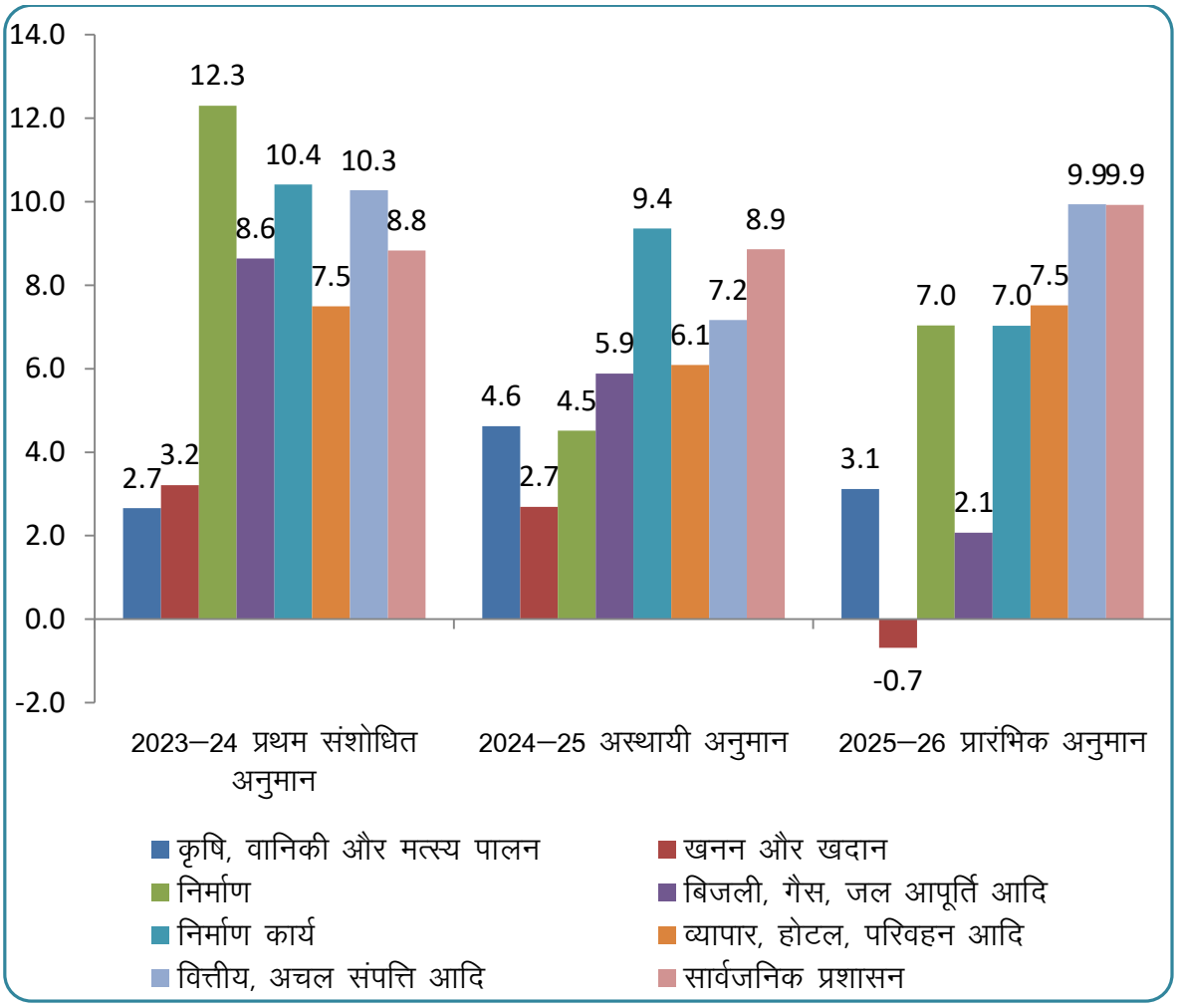

स्त्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ।

वित्त वर्ष 2025–26 में स्थिर मूल मूल्य स्तर पर सकल मूल्य वर्धित में सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्र थे–वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएँ तथा लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ, जिनमें प्रत्येक ने 9.9 प्रतिशत योगदान दिया। व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्र इस वर्ष सकल मूल्य वर्धित में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023–24 की तुलना में कम रही।

सकल घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के संदर्भ में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आर्थिक प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.7 में प्रस्तुत की गई है।

चित्र 1.7

स्थिर मूल्यों (2011–12 मूल्यों) पर सकल घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक वृद्धि दर

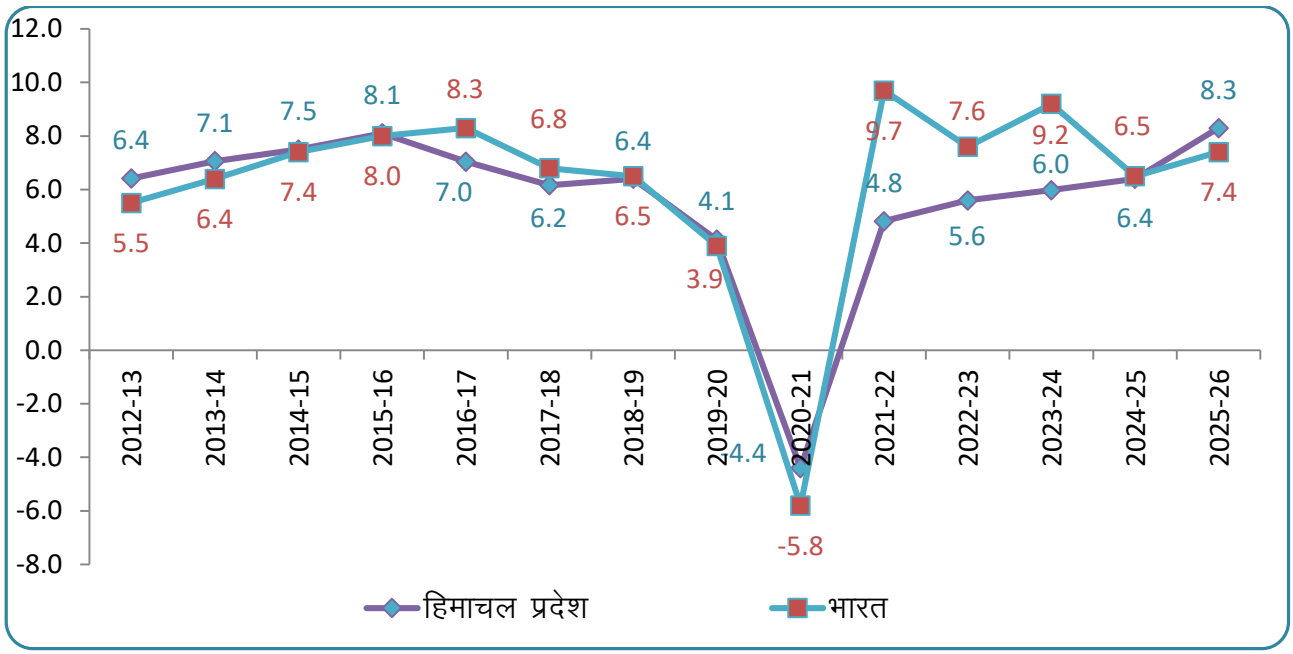

स्त्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

महामारी के बाद, राज्य की आर्थिक सुधार प्रक्रिया भारत की तुलना में अधिक स्थिर रही है। इसका कारण यह है कि भारत की बड़ी और विविधीकृत अर्थव्यवस्था औसतन तेजी से पुनः उभरती है।

1.3 अवलोकन: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था

हिमाचल प्रदेश, जो भारत के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, की सीमाएँ उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण–पूर्व में उत्तराखंड, और पूर्व में तिब्बत (चीन) से मिलती हैं। सीमित प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि लौह अयस्क और कोयला जैसी प्रमुख खनिज जमा की अनुपस्थिति और राज्य के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि के बावजूद, हिमाचल प्रदेश ने मजबूत सामाजिक और आर्थिक प्रगति दिखाई है। यह मुख्यतः निरंतर सार्वजनिक निवेश, सामुदायिक सहभागिता और प्रगतिशील नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा संभव हुआ है।

वित्त वर्ष 2024–25 (प्रथम संशोधित) के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर ₹2,30,587 करोड़ अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2023–24 (द्वितीय संशोधित) में ₹2,09,385 करोड़ था, और यह 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर (2011–12) मूल्यों पर, वित्त वर्ष 2024–25 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹1,44,656 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है।

चित्र 1.8

सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर, 1970–71 से 2024–25 तक

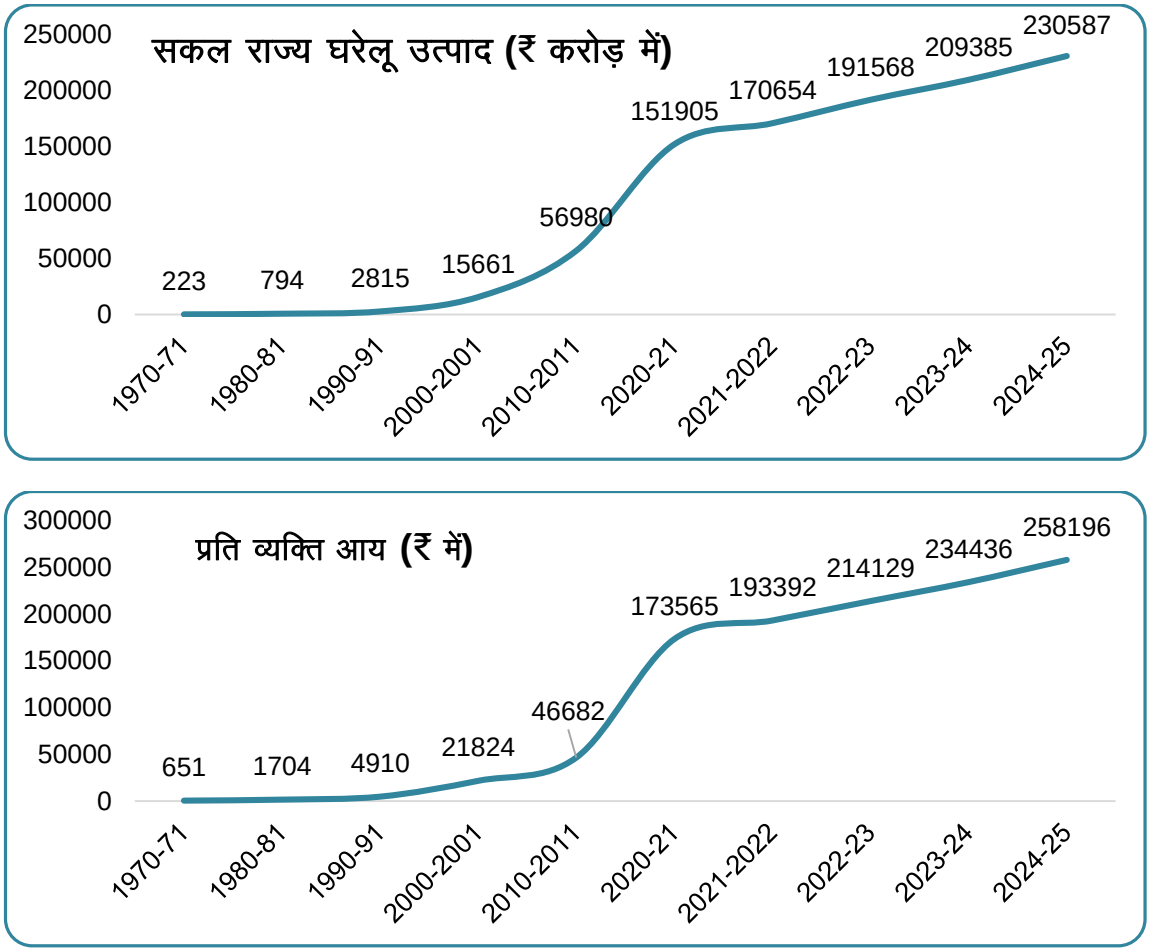

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने 2020–21 से अब तक लगभग 52 प्रतिशत का संचयी वृद्धि दर्ज की है, जो महामारी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, प्रति व्यक्ति आय लगभग 49 प्रतिशत बढ़ी, जो यह संकेत देती है कि आर्थिक वृद्धि ने निवासियों के लिए औसत आय स्तर में वृद्धि में रूपांतरित किया है, बावजूद इसके कि प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु–संबंधी व्यवधानों जैसी चुनौतियाँ रही हैं।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2010–11 से 2020–21 का दशक राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे तेजी से वृद्धि का चरण रहा। इन दस वर्षों में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 167 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 272 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई जो हाल के दशकों में सबसे उच्च दशक वार विस्तार है। इस असाधारण प्रदर्शन का श्रेय कई संरचनात्मक और नीतिगत कारकों को दिया जा सकता है, जैसे कि (क) राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन, धीमी वृद्धि वाले कृषि क्षेत्र से

उच्च वृद्धि वाले उद्योग और सेवा क्षेत्रों की ओर (ख) विनिर्माण और जलविद्युत का विस्तार (ग) सार्वजनिक निवेश और कल्याण–उन्मुख विकास और (घ) बागवानी और कृषि में विविधीकरण (विशेष रूप से सेब की खेती)।

चित्र 1.9

राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान, 1970–71 से 2024–25 तक

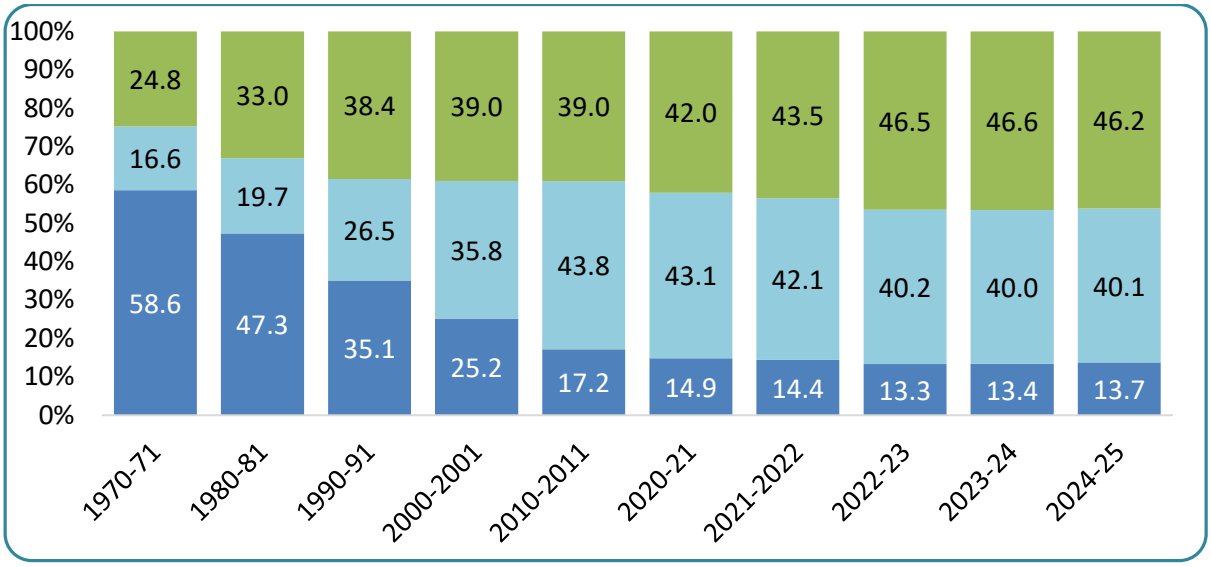

संरचनात्मक परिवर्तन

दशकों के दौरान, राज्य ने एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। यह परिवर्तन अधिक औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र का विस्तार और प्राथमिक गतिविधियों से विविधीकरण को दर्शाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी में कमी के बावजूद, कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि कुल प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि कृषि और बागवानी के रुझानों पर निर्भर करती है। यह क्षेत्र आजीविका का समर्थन करता है, रोजगार उत्पन्न करता है, और व्यापार, परिवहन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी सहायक गतिविधियों को बनाए रखता है। हालांकि, सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन वर्षा और मौसम की परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है।

राज्य ने बागवानी में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, जिसे विविध भौगोलिकता, ऊँचाई में भिन्नताएँ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी समर्थन देती हैं, जो उष्णकटिबंधीय और उप–उष्णकटिबंधीय फलों की खेती के साथ–साथ फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स जैसे सहायक उत्पादों की खेती को संभव बनाती हैं।

बढ़ते जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए, हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य कार्य योजना के माध्यम से व्यापक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपाय लागू किए हैं, जो संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सतत भूमि उपयोग, जलवायु–सहिष्णु कृषि, और बेहतर प्रारंभिक चेतावनी एवं आपदा प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित हैं।

विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना भी एक प्राथमिकता रही है जोकि राज्य में प्रमुख तौर पर नवीकरणीय संसाधन जलविद्युत ऊर्जा सुरक्षा और राजस्व सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उत्पादन, संचार और वितरण में सुधार, साथ ही राज्य विद्युत नीति में क्षमता वृद्धि, किफायती दर, पर्यावरणीय स्थिरता और रोजगार पर बल देने से क्षमता और दक्षता बढ़ी है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया है।

बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ–साथ, सरकार ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य सुरक्षा कवरेज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच, आजीविका समर्थन और लक्षित वित्तीय सहायता के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना है। मजबूत कार्यान्वयन और निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि ये पहलें राज्य के समान और संतुलित विकास की दृष्टि के अनुरूप हों।

1.4 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

राज्य स्तरीय समस्याएँ और चुनौतियाँ

समस्या/चुनौती	साक्ष्य	प्रभाव
1. उच्च जलवायु संबंधी आर्थिक नुकसान	राज्य ने चार वर्षों में आपदाओं के कारण ₹46,000 करोड़ का नुकसान उठाया, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक है।	लगातार वित्तीय दबाव, बुनियादी ढाँचे, कृषि और बागवानी को नुकसान, उच्च पुनर्निर्माण लागत।
2. जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि और बागवानी की संवेदनशीलता	सेब उद्योग पर बर्फबारी और ठंडे घंटे कम होने का प्रभाव पड़ा, कृषि मुख्यतः वर्षा–निर्भर है और मौसम में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।	उत्पादन में अस्थिरता, किसानों के लिए आय में नुकसान, फसल पैटर्न में बदलाव, अनुकूलन लागत में वृद्धि।
3. हिमालयी भू–भाग में बुनियादी ढाँचे की नाजुकता	बार–बार होने वाली बादल फटने की घटनाएँ, भूस्खलन और अचानक बाढ़ें महत्वपूर्ण सड़कों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे पर्यटन और बागवानी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ता है।	परिवहन में बाधाएँ, उच्च रखरखाव और लागत, आर्थिक गतिविधियों में कमी

4. पूंजीगत व्यय में गिरावट और सीमित वित्तीय क्षेत्र	सीमित राजस्व स्रोतों और केंद्रीय सहायता जैसे आर.डी.जी. में कमी के कारण पूंजीगत व्यय घट रहा है।	विकास खर्च में सीमितता, प्रमुख बुनियादी ढाँचे में देरी, और सीमित आर्थिक बहुगुणक प्रभाव।
5. उच्च युवा बेरोजगारी	युवा बेरोजगारी (15–29 वर्ष) 16.3 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 10.2 प्रतिशत से काफी अधिक है।	बढ़ता सामाजिक तनाव, कौशल असंगति, पलायन, और धीमी आर्थिक विविधीकरण।
6. प्राथमिक क्षेत्र से संरचनात्मक बदलाव से समायोजन दबाव उत्पन्न हो	प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 13.7 प्रतिशत तक घट गया, जबकि सेवा और उद्योग अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 86.3 प्रतिशत बनाते हैं।	कर्मचारियों के पुनःकौशल विकास की आवश्यकता, और कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा में कमी।
7. जलवायु संवेदनशील बागवानी पर भारी निर्भरता	बागवानी के सकल मूल्य वर्धित में सेब का हिस्सा 76 प्रतिशत और फलों के क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत है, जो उच्च सघनता को दर्शाता है।	जलवायु झटकों, कीट संक्रमण और बाजार उतार–चढ़ाव के प्रति आर्थिक संवेदनशीलता।

1.5 भावी दिशा

- **समर्पित बुनियादी ढाँचा कोष:** राज्य बदलते जलवायु परिस्थितियों और युवा व नाजुक हिमालयी पर्वतों में स्थित होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। बढ़ती जलवायु अस्थिरता आने वाले वर्षों में इस संवेदनशीलता को और बढ़ा सकती है। केंद्र–राज्य का 90:10 समर्पित बुनियादी ढाँचा कोष से बार–बार होने वाले बुनियादी ढाँचा नुकसान से उत्पन्न वित्तीय बोझ को कम करने और दीर्घकालिक स्थिरता बनाने में मदद मिल सकती है।

- **बागवानी में विविधीकरण को तेज करना:** सेब राज्य की बागवानी में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, जो बागवानी के सकल मूल्य वर्धित में लगभग 76 प्रतिशत योगदान देता है और फल क्षेत्रों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा घेरता है। हालांकि, इसकी भौगोलिक सघनता और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विविधीकरण की आवश्यकता को दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश में संतरा, कीवी, अनार, स्टोन फ्रूट्स, अखरोट और अन्य सूखे मेवों की खेती की मजबूत संभावनाएँ हैं, इसके विविध जलवायु क्षेत्रों के कारण। अधिक विविधीकृत बागवानी मॉडल की ओर बढ़ना किसानों की आय को सुदृढ़ करेगा और जलवायु–संबंधी जोखिमों को कम करेगा।

- **आपदा तैयारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना:** उन्नत पूर्वानुमान तकनीकों, स्वचालित मौसम स्टेशनों, और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्रों में निवेश की आवश्यता है। भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित जिले स्तर की स्थायित्व योजनाएँ बनाएं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढलान स्थिरीकरण और सतत बुनियादी ढाँचा डिजाइन को बढ़ावा दें।

- **मानव संसाधन और कौशल विकास को सशक्त बनाना:** कौशल विकास कार्यक्रमों को उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित करें जैसे हॉस्पिटैलिटी, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करें और स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर डिजिटल कौशल को शामिल करें। महिलाओं–केंद्रित कौशल और उद्यमिता कार्यक्रमों को बढ़ावा दें।

- **औद्योगिक वृद्धि को तेज करना:** राज्य में फार्मास्यूटिकल उद्योग फल–फूल रहे हैं, और 2022 में इसके कुल निर्यात का 65 प्रतिशत हिस्सा दवा निर्माण और जैविक उत्पादों से बना था। इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण राज्य में औद्योगिक वृद्धि को और तेज करेगा।

*****

अध्याय
2

राज्य आय-दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन

कार्यकारी सारांश

क्र. सं.	प्रमुख बिंदु	सारांश
1	**मजबूत जी.एस.डी.पी. वृद्धि**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में हिमाचल प्रदेश ने वास्तविक जी.एस.डी.पी. में 8.3 प्रतिशत तथा नोमिनल जी.एस.डी.पी. में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो राज्य की मजबूत एवं व्यापक आर्थिक विस्तार को दर्शाती है।
2	**प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ₹2,83,626 हो गई, जिसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह निरंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी हुई है तथा जीवन स्तर में सुधार को दर्शाती है।
3	**तृतीयक क्षेत्र का प्रभुत्व**	सेवा क्षेत्र ने जी.एस.वी.ए. का 46.3 प्रतिशत योगदान दिया और 8.6 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2025–26 में आर्थिक वृद्धि का प्रमुख प्रेरक बना।
4	**औद्योगिक क्षेत्र का सतत विस्तार**	द्वितीयक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. में 39.4 प्रतिशत योगदान रहा तथा इस क्षेत्र ने 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसे निर्माण और उपयोगिता सेवाओं के मजबूत प्रदर्शन से समर्थन मिला।
5	**प्राथमिक क्षेत्र में पुनरुद्धार**	प्राथमिक क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें फसल क्षेत्र में 11.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि तथा वानिकी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में स्थिर वृद्धि शामिल रही।
6	**उत्पादन–रोजगार अंतर**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषि क्षेत्र जी.एस.वी.ए. में 14.3 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि इसमें लगभग 53.9 प्रतिशत कार्यबल संलग्न है, जो संरचनात्मक उत्पादकता असंतुलन को दर्शाता है।
7	**सेवा क्षेत्र की ओर संरचनात्मक परिवर्तन**	समय के साथ तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में कुछ कमी आई है, जो सेवामुखी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का संकेत देती है।
8	**क्षेत्रीय मूल्य संवर्धन की मजबूत स्थिति**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रचलित मूल्यों पर, जी.एस.वी.ए ₹2,36,137 करोड़ रहा, जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान ₹1,09,341 करोड़, द्वितीयक क्षेत्र का ₹92,953 करोड़, तथा प्राथमिक क्षेत्र का ₹33,843 करोड़ रहा।
9	**राष्ट्रीय वृद्धि दर से बेहतर प्रदर्शन**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य की 8.3 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर, भारत की 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक रही, जो राज्य की मजबूत आर्थिक गति को दर्शाती है।
10	**दीर्घकालिक आय वृद्धि**	प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2011–12 में ₹87,721 से बढ़कर 2025–26 में ₹2,83,626 हो गई, जो 8.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है तथा दीर्घकालिक आय वृद्धि को प्रमाणित करती है।

2.1 परिचय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अनुमान है, जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान दोहराव के बिना गिना जाता है, जिसके सामान्यता एक वर्ष की अवधि रहती है।यह आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख उपाय है, जो क्षेत्रीय योगदान और समग्र विकास के रुझान पर प्रकाश डालता है। जी.एस.डी.पी. राज्य की प्रगति पर निवेश, नीतिगत पहलों और आर्थिक अवसरों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है।

जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर समय के साथ राज्य के आर्थिक प्रदर्शन को इंगित करती है, जो इसके विस्तार और लचीलेपन को दर्शाती है। राज्य आय के रूप में भी जाना जाता है, जी.एस.डी.पी. आर्थिक विकास के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। नियोजित विकास के संदर्भ में, राज्य आय और प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) दोनों ही प्रशासकों, नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए नीतियों को आकार देने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये प्रवृत्तियाँ अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से अधिक सेवा–प्रधान संरचना की ओर अग्रसर होने का संकेत देती हैं, जिसके साथ अवसंरचना–आधारित औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में स्थिरता परिलक्षित होती है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता संबंधी असंतुलन, जलवायु संवेदनशीलता, तथा सतत पर्यटन प्रबंधन की आवश्यकता अभी भी प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों के रूप में विद्यमान हैं। यह अध्याय क्षेत्रवार प्रदर्शन की नवीनतम प्रवृत्तियों, उत्पादन संरचना में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों, तथा हिमाचल प्रदेश में संतुलित, समावेशी और स्थिर आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने हेतु आवश्यक नीतिगत प्राथमिकताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद – 2025–26 के लिए एक दृष्टिकोण

2.2.1 प्रचलित और स्थिर (2011–12) भावों पर जी.एस.डी.पी.

अग्रिम अनुमानों (अ.अ.) के अनुसार, वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2025–26 के लिए प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹2,53,886 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में यह ₹2,30,587 करोड़ था जोकि वर्ष 2025–26 में 10.1 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर प्रदर्शित करता है।

अ.अ.के अनुसार, वितीय वर्ष 2025–26 के लिए स्थिर (2011–12) भावों या वास्तविक राज्य सकल घरेलू उत्पाद ₹1,56,681 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह ₹1,44,656 करोड़ था और यह वित्त वर्ष 2024–25(प्र.स.अ.) के 6.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2025–26 के लिए 8.3 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदर्शित करता है। वर्षवार विवरण चित्र 2.1 और 2.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 2.1

प्रचलित और स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)

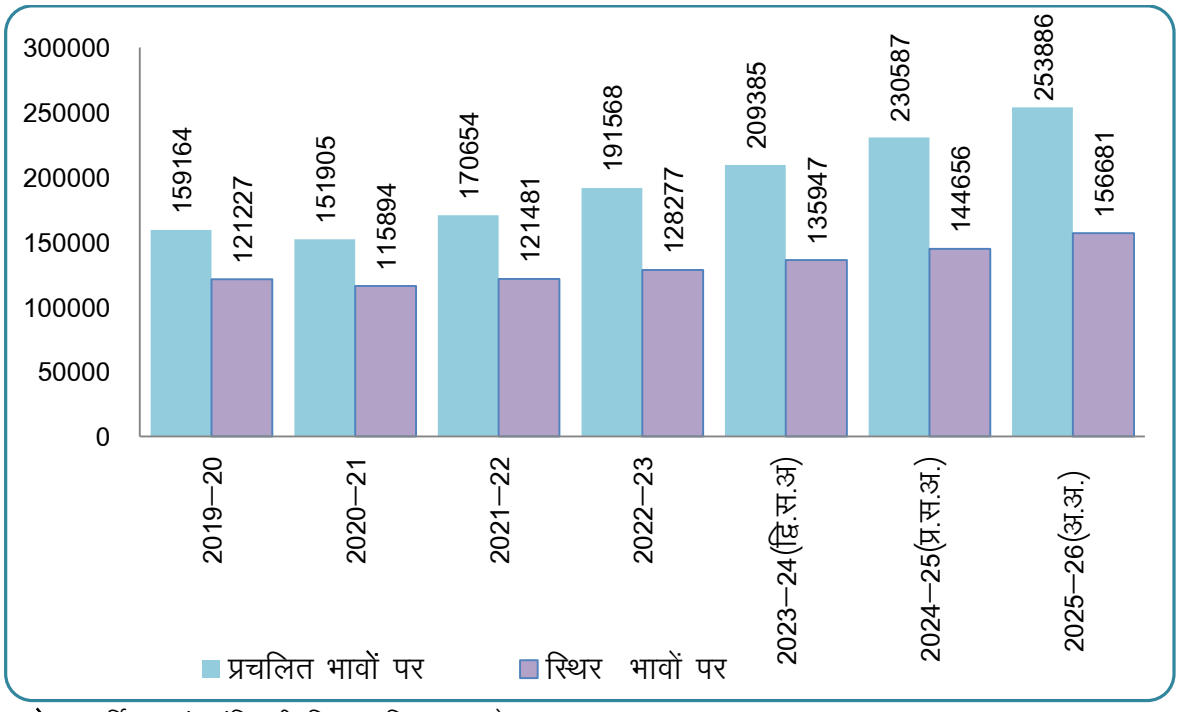

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 2.2

प्रचलित और स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)

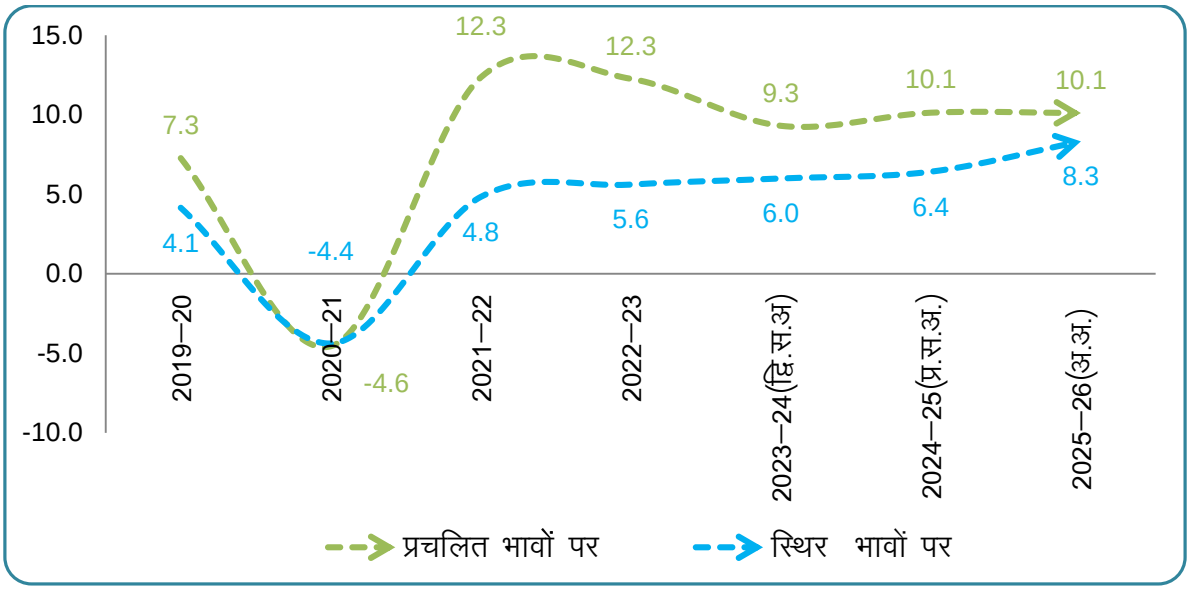

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
द्वि.स.अ.=दूसरा संशोधित अनुमान
प्र.स.अ.=प्रथमसंशोधित अनुमान
अ.अ.=अग्रिम अनुमान

2.2.2 प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.)

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.) का अनुमान, जब राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में अध्ययन किया जाता है, तो उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन के स्तर को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय संबंधित वर्ष में राज्य की अर्धवार्षिक जनसंख्या द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को विभाजित करके प्राप्त की जाती है।

अ.अ. के अनुसार, प्रचलित भावों पर (पी.सी.आई.) 2024–25 में ₹2,58,196 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025–26(अ.अ.) के लिए ₹2,83,626 अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2025–26 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की पी.सी.आई भारत की आय से अधिक रही है। राज्य के पी.सी.आई. में 2011–12 में ₹87,721 से 2025–26 में ₹2,83,626 की तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2011–12 की तुलना में 8.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) दर्ज करती है।

वर्ष 2011–12 में भारत की पी.सी.आई. ₹63,462 थी, जो वित्त वर्ष 2025–26 में बढ़कर ₹2,19,575 हो गयी है, जो 2011–12 की तुलना में 10.0 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. दर्ज करती है। भारत की तुलना में हिमाचल प्रदेश की पी.सी.आई और प्रचलित भावों पर उनकी वृद्धि के रुझान क्रमशः चित्र 2.3 और 2.4 में दर्शाए गए हैं।

चित्र 2.3

प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (₹)

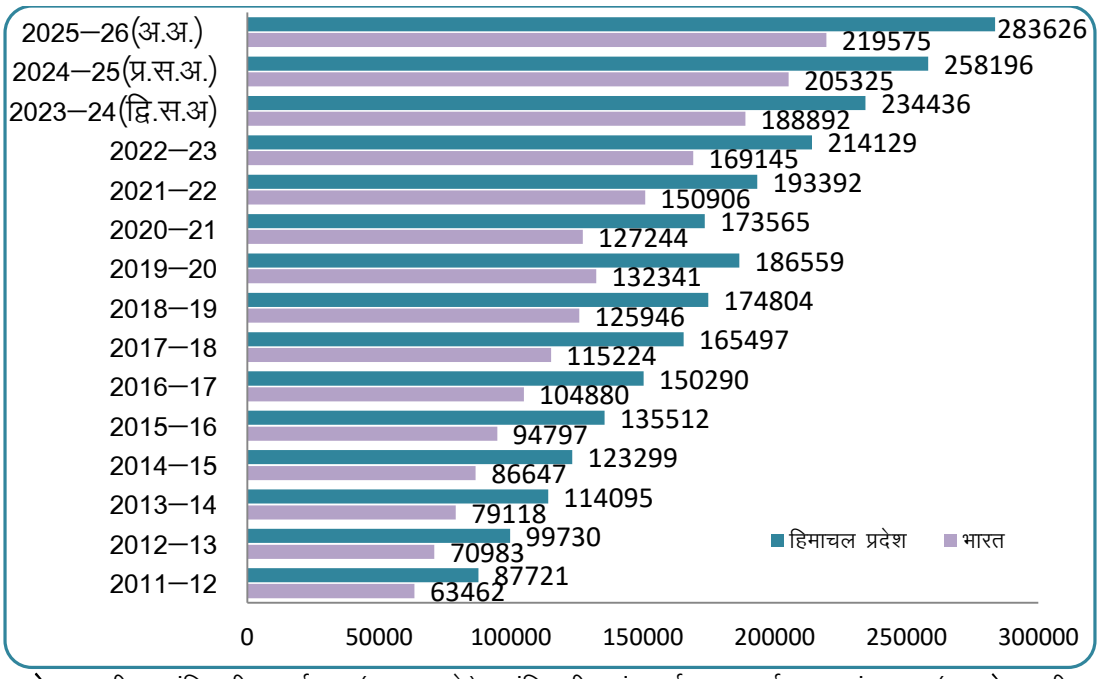

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) भारत सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश।

चित्र 2.4

प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक वृद्धि दर

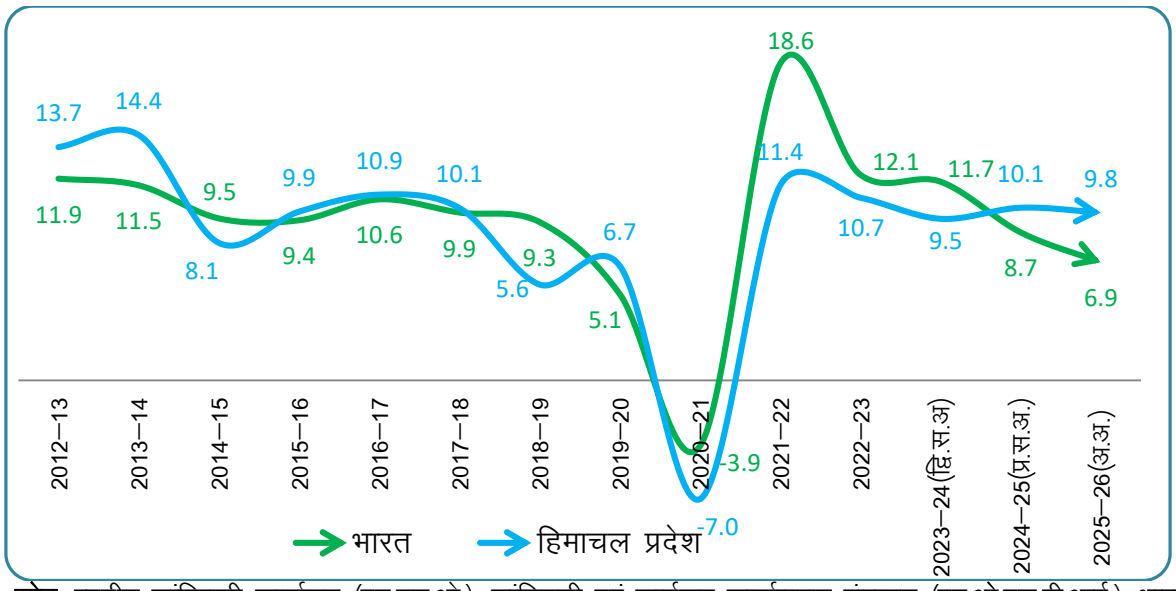

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.), भारत सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश।

2.2.3 क्षेत्रीय विकास प्रक्षेपवक्र

अर्थव्यवस्था को तीन व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की विकास दर को मूल भावों पर जी.एस.वी.ए. के संदर्भ में मापा जाता है। मूल कीमत को निर्माता की कीमत के रूप में समझा जा सकता है। इन क्षेत्रों के घटकः

- **प्राथमिक क्षेत्रः** इस क्षेत्र में शामिल हैं; फसल, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग, मतस्य पालन, खनन और उत्खनन।
- **द्वितीयक क्षेत्रः** यह क्षेत्र में शामिल हैं जैसे विनिर्माण; बिजली; गैस; जल आपूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण।
- **तृतीयक क्षेत्रः** इस क्षेत्र शामिल हैं, जैसे व्यापार; होटल; परिवहन; संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं; रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व; लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं।

2.2.3.1 प्राथमिक क्षेत्र

वित वर्ष 2025–26 (अ.अ.) में प्राथमिक क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में स्थिर भावों पर 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। वित्त वर्ष 2025–26 (अ.अ.) के दौरान प्राथमिक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. स्थिर भावों पर 2024–25 (प्र.स.अ.) में ₹17,362 करोड़ के मुकाबले ₹18,824 करोड़ हो गया। (चित्र 2.5)

चित्र 2.5

प्राथमिक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. (₹करोड़ में)

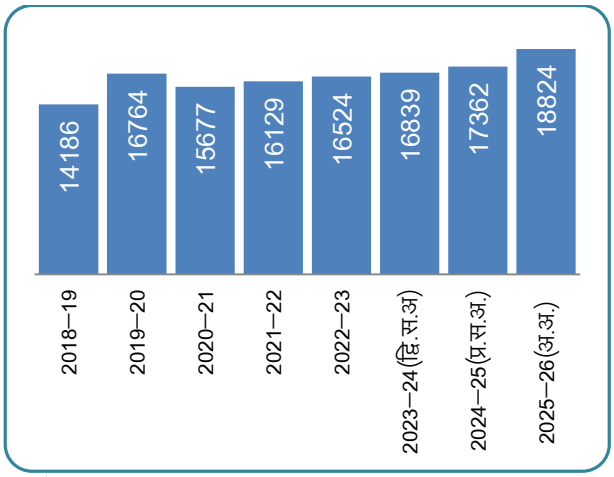

प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि (प्रतिशत)

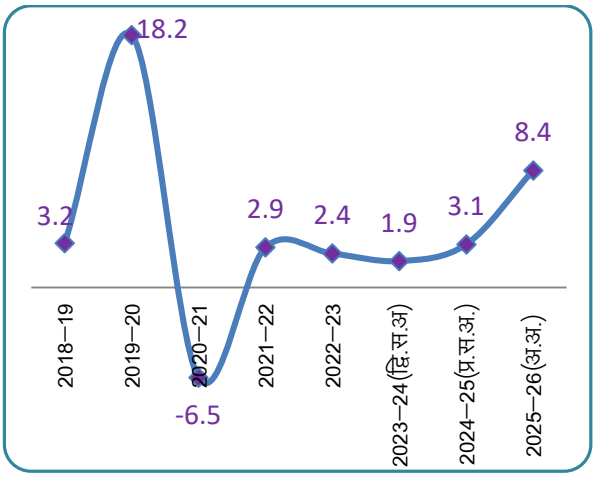

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थिर भावों पर जी.एस.वी.ए. में प्राथमिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023–24, 2024–25 और 2025–26 में क्रमशः 1.9 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। यह उल्लेखनीय है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले प्राथमिक क्षेत्र राज्य की 53.98 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार देते हैं। इसलिए, हिमाचल प्रदेश में जीवन स्तर में सुधार के लिए इसकी आर्थिक सफलता महत्वपूर्ण है।

सारणी 2.1

स्थिर भावों (2021–22 से 2025–26) पर उप–क्षेत्र–वार जी.एस.वी.ए. (₹ करोड़ में) और वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्षेत्र	2021–22		2022–23		2023–24 (द्वि.स.अ.)		2024–25 (प्र.स.अ.)		2025–26 (अ.अ.)	
	जी.एस.वी.ए	वृद्धि	जी.एस.वी.ए	वृद्धि	जी.एस.वी.ए	वृद्धि	जी.एस.वी.ए	वृद्धि	जी.एस.वी.ए	वृद्धि
फसल	8297	6.1	8231	–0.8	7589	–7.8	7516	–1.0	8413	11.9
पशुधन	2473	4.1	2478	0.2	2829	14.2	3025	6.9	3235	6.9
वानिकी और लॉगिंग	4904	–3.8	5181	5.6	5468	5.5	5764	5.4	6018	4.4
मत्स्य	116	7.8	126	9.1	134	6.3	145	8.6	156	7.0
खनन और उत्खनन	339	22.8	508	49.8	819	61.1	910	11.2	1002	10.1

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त वर्ष 2025–26(अ.अ.) के अनुसार फसल क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. वास्तविक रूप से 11.9 प्रतिशत के विस्तार के साथ वित्त वर्ष 2024–25(प्र.स.अ.) में ₹7,516 करोड़ के मुकाबले ₹8,413 करोड़ रहने का अनुमान है। वास्तविक रूप से वित्त वर्ष 2025–26(अ.अ.) के लिए वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वित्त वर्ष 2024–25 (प्र.स.अ.) में ₹5,764 करोड़ की तुलना में ₹6,018 करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025–26 (अ.अ.) में पशुधन क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि, मत्स्य क्षेत्र में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि और खनन और उत्खनन क्षेत्र में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र और इसके उप–क्षेत्र के वृद्धि के रुझान और स्थिर भावों पर जी.एस.वी.ए. सारणी 2.1 में दर्शाए गए हैं।

2.2.3.2 द्वितीयक क्षेत्र

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अ.अ. के अनुसार, स्थिर (2011–12) भावों पर द्वितीयक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. ₹66,324 करोड़ अनुमानित है जोकि वित्त वर्ष 2024–25 (प्र.स.अ.) के लिए ₹61,561 करोड़ था और पिछले वर्ष की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है। (चित्र 2.6)

चित्र 2.6

द्वितीयक क्षेत्र जी.एस.वी.ए. (₹करोड़ में)

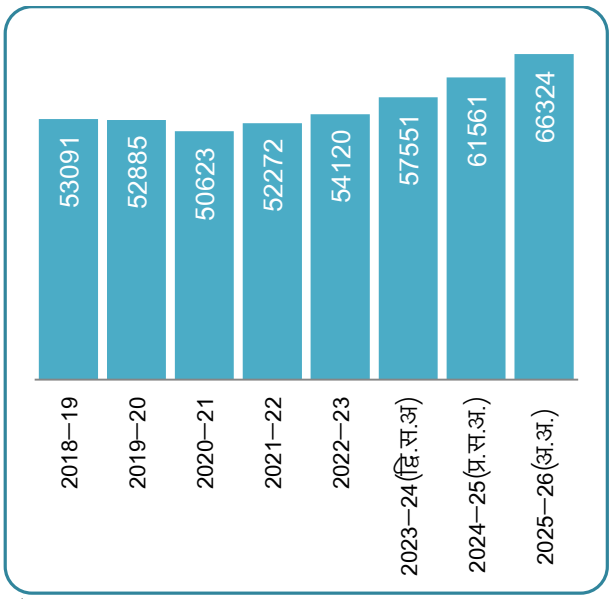

द्वितीयक क्षेत्र विकास (प्रतिशत में)

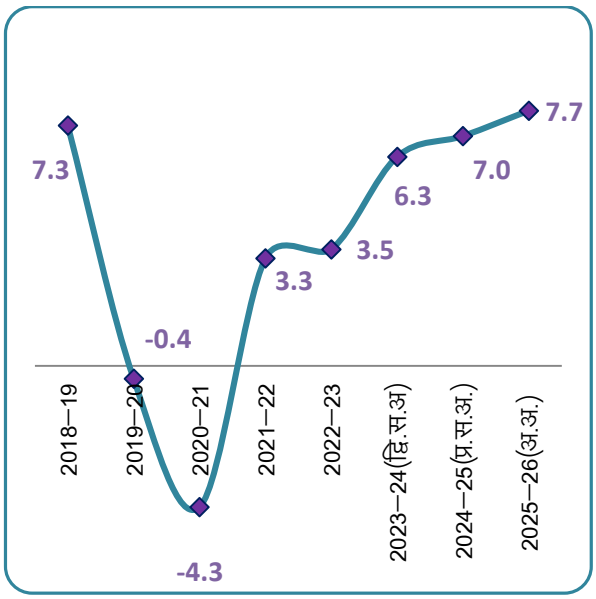

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2025–26 के लिए अ.अ. के अनुसार, स्थिर (2011–12) भावों पर विनिर्माण क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है और 2024–25 (प्र.स.अ.) में ₹40,250 करोड़ की तुलना में 2025–26 में ₹42,559 करोड़ होने का अनुमान है।

सारणी 2.2

स्थिर भावों (2021–22 से 2025–26) पर उप–क्षेत्र–वार जी.एस.वी.ए. (₹ करोड़ में) और वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र	2021–22		2022–23		2023–24 (द्वि.स.अ.)		2024–25 (प्र.स.अ.)		2025–26 (अ.अ.)	
	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि
विनिर्माण (संगठित और असंगठित)	35986	1.5	36394	1.1	38600	6.1	40250	4.3	42559	5.7
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	7101	7.7	7561	6.5	7740	2.4	8930	15.4	9830	10.1
निर्माण	9186	6.9	10166	10.7	11211	10.3	12380	10.4	13936	12.6

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2025–26के लिए अ.अ. के अनुसार बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ क्षेत्र ने 10.1 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज की है। निर्माण क्षेत्र में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने की आशा है और 2025–26 में 13,936 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2024–25 (प्र.स.अ.) में यह ₹12,380 करोड़ था, जैसा कि सारणी 2.2 में दिखाया गया है।

2.2.3.3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र

राज्य में सेवा क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. और रोजगार में सबसे अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2025–26 (अ.अ.) के लिए सेवा क्षेत्र के लिए स्थिर (2011–12) भावों पर ₹62,581 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 (प्र.स.अ.) में यह ₹57,643 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। (चित्र 2.7)

चित्र 2.7

तृतीयक क्षेत्र जी.एस.वी.ए. (₹करोड़ में)

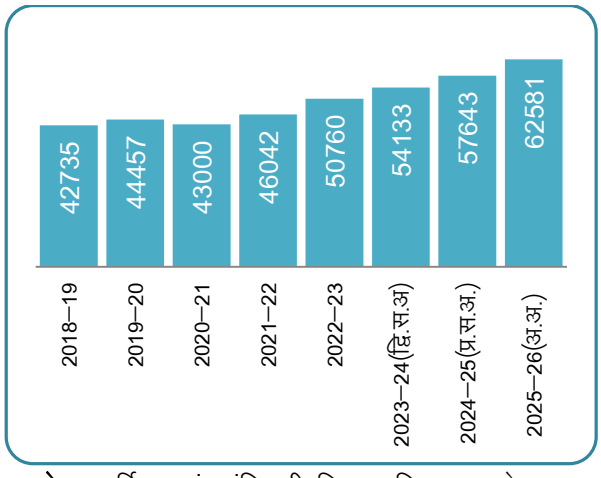

तृतीयक क्षेत्र विकास (प्रतिशत में)

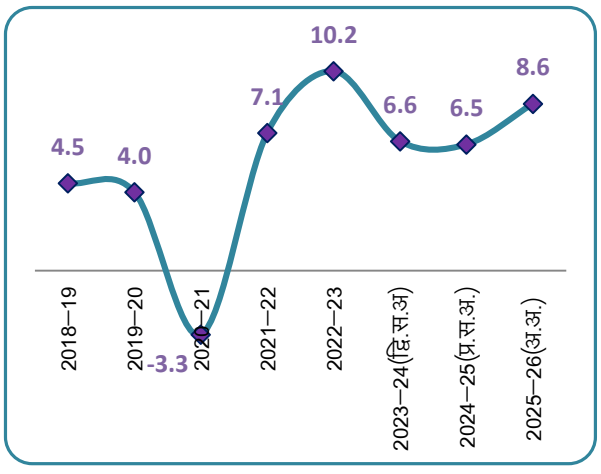

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा क्षेत्र के सभी प्रमुख उप–क्षेत्रों ने हिमाचल प्रदेश में 2025–26 (अ.अ.) में तीव्र वृद्धि दर को दर्शाया है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान व्यापार, मुरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट क्षेत्र के जी.एस.वी.ए. में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार, परिवहन, भंडारण, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि रियल एस्टेट, आवास स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाओं में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सारणी 2.3 2021–22 से 2025–26 तक सेवा क्षेत्र के भीतर विभिन्न उप–क्षेत्रों की वृद्धि को दर्शाती है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था – प्रमुख उपलब्धियाँ (वित्त वर्ष 2025–26)

1. सुदृढ़ एवं व्यापक आधार वाला जी.एस.डी.पी. विकास

वित्त वर्ष 2025–26 में राज्य ने 8.3 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि तथा 10.1 प्रतिशत की नोमिनल वृद्धि दर्ज की, जो अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ गति और लचीलेपन को दर्शाती है।

2. प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि

प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ₹2,83,626 हो गई, जो राष्ट्रीय औसत से लगातार अधिक बनी हुई है तथा जीवन स्तर में सुधार को प्रतिबिंबित करती है।

3. सेवा क्षेत्र का प्रमुख विकास प्रेरक के रूप में उभरना

तृतीयक क्षेत्र 46.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जी.एस.वी.ए. का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा और इसमें 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे व्यापार, पर्यटन तथा संबद्ध सेवाओं से बल मिला।

4. औद्योगिक एवं अवसंरचना–आधारित स्थिर विस्तार

द्वितीयक क्षेत्र ने जी.एस.वी.ए. में 39.4 प्रतिशत योगदान दिया तथा 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसमें विनिर्माण, निर्माण और उपयोगिता सेवाओं के सुदृढ़ प्रदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

5. प्राथमिक क्षेत्र में पुनरुद्धार एवं सुधार

प्राथमिक क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार (11.9 प्रतिशत) तथा पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति देखी गई।

6. सभी क्षेत्रों में जी.एस.वी.ए. का समग्र विस्तार

वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.वी.ए. बढ़कर ₹2,36,137 करोड़ हो गया, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन में वृद्धि दर्ज की गई।

7. राष्ट्रीय जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर से बेहतर प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025–26 में राज्य की 8.3 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर भारत की 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक रही, जो राज्य के अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाती है।

सारणी 2.3

उप–क्षेत्रवार जी.एस.वी.ए. (₹करोड़ में) और स्थिर भावों पर जी.एस.वी.ए. की वृद्धि दर (2021–22 से 2025–26) प्रतिशत में।

क्षेत्र	2021–22		2022–23		2023–24 (द्वि.स.अ.)		2024–25 (प्र.स.अ.)		2025–26 (अ.अ.)	
	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि	जी.एस.वी.ए.	वृद्धि
व्यापार, मुरम्मत होटल और रेस्तरां	8753	0.4	9607	9.8	10871	13.2	11257	3.5	13387	18.9
परिवहन भंडारण और संचार	5476	24.1	5704	4.2	5856	2.7	6404	9.4	6785	5.9
वित्तीय सेवाएं	3770	6.9	3823	1.4	4090	7.0	4423	8.1	4879	10.3
रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवा	12221	10.9	13355	9.3	14502	8.6	15363	5.9	16354	6.5
लोक प्रशासन	5482	–2.5	6690	22.0	6750	0.9	7067	4.7	7078	0.2
अन्य सेवाएं	10341	6.6	11581	12.0	12063	4.2	13129	8.8	14098	7.4

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 2.8

स्थिर भावों पर जी.एस.वी.ए की तुलनात्मक क्षेत्रवार वृद्धि दर (2018–19 से 2025–26)

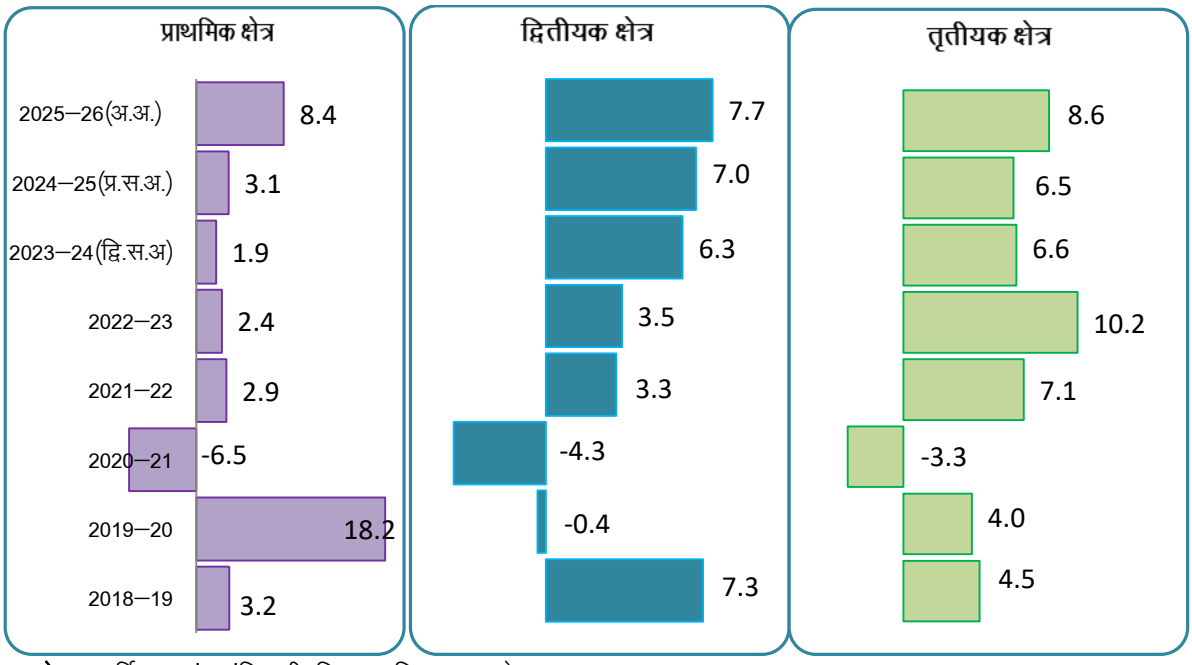

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.2.4 क्षेत्रीय योगदान

किसी भी राज्य का जी.एस.डी.पी. तीन प्रमुख क्षेत्रों–प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक द्वारा किए गए आर्थिक योगदान के संदर्भ में मापा जाता है। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है, इसके बाद द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रों का स्थान है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए जी.एस.वी.ए. के अ.अ. के आधार पर, तृतीयक क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर राज्य के जी.एस.वी.ए. में 46.3 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का 39.4 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 14.3 प्रतिशत है।

चित्र 2.9

प्रचलित भावों पर जी.एस.वी.ए. की क्षेत्रीय संरचना (2018–19 से 2025–26)

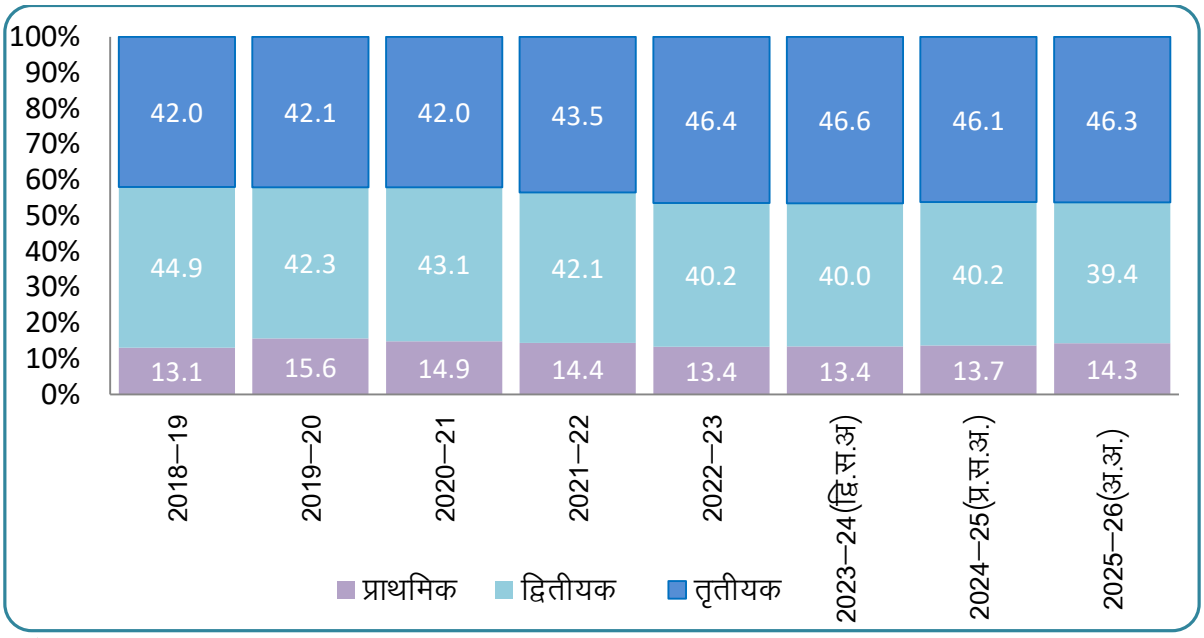

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। यद्यपि द्वितीयक क्षेत्र राज्य के आर्थिक ढाँचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, तथापि जी.एस.डी.पी. में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। यह हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018–19 में लगभग 44.9 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025–26 अ.अ. में 39.4 प्रतिशत रह गई है।

इसके विपरीत, तृतीयक क्षेत्र में निरंतर विस्तार परिलक्षित हुआ है। इस क्षेत्र की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 42.0 प्रतिशत से बढ़कर 46.3 प्रतिशत हो गई है, जिससे यह राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरकर सामने आया है।

प्राथमिक क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी सामान्यतः 13 से 15 प्रतिशत के मध्य उतार–चढ़ाव करती रही है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अ.अ. के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) प्रचलित भावों पर ₹33,843 करोड़, द्वितीयक क्षेत्र ₹92,953 करोड़, जबकि सेवा क्षेत्र ₹1,09,341 करोड़ अनुमानित है।(सारणी2.4)

सारणी 2.4

प्रचलितभावों पर जी.एस.वी.ए. का क्षेत्रवार योगदान (मूल्य ₹ करोड़)

क्षेत्र	2022–23	2023–24 (द्वि.स.अ.)	2024–25 (प्र.स.अ.)	2025–26 (अ.अ.)
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ,खनन और उत्खनन (प्राथमिक क्षेत्र)	23,893	25,967	29,482	33,843
2. विनिर्माण और संबद्ध सेवाएं (द्वितीयक क्षेत्र)	72,172	77,622	86,083	92,953
3. सेवाएं (तृतीयक क्षेत्र)	83,317	90,292	99,038	1,09,341
4. प्रचलित मूल भावों पर सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.)	1,79,382	1,93,881	2,14,603	2,36,137
5. कुल कर (उत्पाद कर जमा और सब्सिडी घटा)	12,186	15,504	15,984	17,749
6. बाजार मूल्य पर जी.एस.डी.पी.	1,91,568	2,09,385	2,30,587	2,53,886

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.2.4.1 मूल्य वर्धित और रोजगार का क्षेत्रवार वितरण

हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था और कार्यबल की संरचना स्पष्ट रूप से शेष भारत में अर्थव्यवस्था और कार्यबल की संरचना से अलग है।यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. में योगदान केवल 13.74 प्रतिशत है, फिर भी यह कुल कार्यबल के लगभग 53.98 प्रतिशत को रोजगार प्रदान करता है। यह स्थिति उत्पादकता में उल्लेखनीय अंतर तथा आजीविका के लिए कृषि पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है।

सारणी 2.5

सकल मूल्य वर्धित और रोजगार हिमाचल और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान

क्षेत्र	जी.वी.ए. में हिस्सा 2024–25		रोजगार में हिस्सा 2023–24	
	हि.प्र.	भारत	हि.प्र.	भारत
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	13.16	17.94	53.95	46.08
खनन और उत्खनन	0.58	1.80	0.03	0.23
प्राथमिक	**13.74**	**19.74**	**53.98**	**46.31**
विनिर्माण	26.08	13.89	8.60	11.44
बिजली, गैस जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.66	2.69	1.89	0.54

निर्माण	8.37	8.75	11.52	11.98
द्वितीयक	40.11	25.33	22.01	23.96
व्यापार, होटल परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवा	12.56	17.51	12.41	17.86
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	16.57	22.92	1.14	1.94
लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं	17.02	14.50	10.46	9.93
तृतीयक	46.15	54.93	24.01	29.73
	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी विभाग (जी.एस.वी.ए.) और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (जी.वी.ए.), और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) के लिए भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2023–24 में किया गया।

इसके विपरीत, द्वितीयक क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. में योगदान 40.11 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। तथापि, यह क्षेत्र कुल कार्यबल के केवल 22.01 प्रतिशत को ही रोजगार प्रदान करता है, जो अपेक्षाकृत पूँजी–प्रधान औद्योगिक संरचना का संकेत देता है (सारणी 2.5)। तृतीयक क्षेत्र, जी.एस.वी.ए.में 46.15 प्रतिशत तथा रोजगार में 24.01 प्रतिशत का योगदान करता है, उत्पादन और रोजगार दोनों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है, जिससे उच्च–मूल्य सेवा गतिविधियों में सीमित विविधीकरण का संकेत मिलता है।

क्षेत्रवार उत्पादन और रोजगार हिस्सेदारी के बीच यह असंतुलन एक संतुलित एवं समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए सुविचारित संरचनात्मक परिवर्तन रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि, श्रम–प्रधान विनिर्माण को प्रोत्साहन तथा रोजगार–सृजनकारी सेवा गतिविधियों के विस्तार पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है।वर्ष 2011–12 से 2025–26 तक हिमाचल प्रदेश और भारत के प्रचलित और स्थिर (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान सारणी 2.6 में दिया गया है।

सारणी 2.6

हिमाचल प्रदेश और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2011–12 से 2025–26(अ.अ.) प्रचलित और स्थिर भावों पर (मूल्य ₹करोड़ में और विकास दर प्रतिशत में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश				भारत			
	जी.एस.डी.पी. प्रचलित भावों पर	वृद्धि	जी.एस.डी.पी. स्थिर भावों पर (2011–12)	वृद्धि	जी.एस.डी.पी. प्रचलित भावों पर	वृद्धि	जी.एस.डी.पी. स्थिर भावों पर (2011–12)	वृद्धि
2011–12	72,720	–	72,720	–	87,36,329	–	87,36,329	–
2012–13	82,820	13.9	77,384	6.4	99,44,013	13.8	92,13,017	5.5
2013–14	94,764	14.4	82,847	7.1	1,12,33,522	13.0	98,01,370	6.4

2014–15	1,03,772	9.5	89,060	7.5	1,24,67,959	11.0	1,05,27,674	7.4
2015–16	1,14,239	10.1	96,274	8.1	1,37,71,874	10.5	1,13,69,493	8.0
2016–17	1,25,634	10.0	1,03,055	7.0	1,53,91,669	11.8	1,23,08,193	8.3
2017–18	1,38,551	10.3	1,09,407	6.2	1,70,90,042	11.0	1,31,44,582	6.8
2018–19	1,48,383	7.1	1,16,414	6.4	1,88,99,668	10.6	1,39,92,914	6.5
2019–20	1,59,164	7.3	1,21,227	4.1	2,01,03,593	6.4	1,45,34,641	3.9
2020–21	1,51,905	–4.6	1,15,893	–4.4	1,98,54,096	–1.2	1,36,94,869	–5.8
2021–22	1,70,654	12.3	1,21,481	4.8	2,35,97,399	18.9	1,50,21,846	9.7
2022–23	1,91,568	12.3	1,28,277	5.6	2,68,90,473	14.0	1,61,64,913	7.6
2023–24 (द्वि.स.अ.)	2,09,385	9.3	1,35,947	6.0	3,01,22,956	12.0	1,76,50,591	9.2
2024–25 (प्र.स.अ.)	2,30,587	10.1	1,44,656	6.4	3,30,68,145	9.8	1,87,96,955	6.5
2025–26 (अ.अ.)	2,53,866	10.1	1,56,681	8.3	3,57,13,886	8.0	2,01,89,919	7.4

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.), भारत सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य ने भारत की विकास दर के साथ कदम रखा है जैसा कि सारणी 2.7 में दिखाया गयाहै।

सारणी 2.7

हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक विकास दर

अवधि		औसत वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)	
योजना	वर्ष	हिमाचल प्रदेश	भारत
पहली पंचवर्षीय योजना	1951–56	1.6	3.6
दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956–61	4.4	4.1
तीसरी पंचवर्षीय योजना	1961–66	3.0	2.4
वार्षिक योजना	1966–67 से 1968–69	..	4.1
चौथी पंचवर्षीय योजना	1969–74	3.0	3.4
पंचवी पंचवर्षीय योजना	1974–78	4.6	5.2
वार्षिक योजना	1978–79 से 1979–80	–3.6	0.2
छठी पंचवर्षीय योजना	1980–85	3.0	5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985–90	8.8	6.0
वार्षिक योजना	1990–91	3.9	5.4
वार्षिक योजना	1991–92	0.4	0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992–97	6.3	6.2
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997–02	6.4	5.6

दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–07	7.6	7.8
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007–12	8.0	8.0
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	2012–17	7.2	7.1
वार्षिक योजना	2017–18	6.2	6.8
	2018–19	6.4	6.5
	2019–20	4.1	3.9
	2020–21	–4.4	–5.8
	2021–22	4.8	9.7
	2022–23	5.6	7.6
	2023–24	6.0	9.2
	2024–25	6.4	6.5
	2025–26	8.3	7.4

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

2.3 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

मुद्दा / चुनौती	साक्ष्य	प्रभाव
1. उत्पादन में कम हिस्सेदारी के बावजूद रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर उच्च निर्भरता	प्राथमिक क्षेत्र में केवल 14.3 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि 53.9 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है।	संरचनात्मक असंतुलन, श्रम उत्पादकता में कमी, आय असमानता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरा रोजगार।
2. उच्च–मूल्य सेवाओं में अपेक्षाकृत धीमा संरचनात्मक परिवर्तन	तृतीयक क्षेत्र में 46.3 प्रतिशत योगदान देता है, जो राष्ट्रीय हिस्सेदारी (54. 93 प्रतिशत) से कम है।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं पेशेवर सेवाओं जैसी उच्च–मूल्य सेवाओं में सीमित वृद्धि तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन में बाधा।
3. अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी	द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018–19 के 44.9 प्रतिशत से घटकर 2025–26 अ.अ.में 39.4 प्रतिशत रह गई है।	औद्योगिक गतिशीलता में कमी, आर्थिक विविधीकरण में मंदी तथा बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि।
4. कृषि क्षेत्र की जलवायु एवं प्राकृतिक आघातों के प्रति संवेदनशीलता	हाल के वर्षों में फसल क्षेत्र में नकारात्मक अथवा निम्न वृद्धि दर्ज हुई (जैसे –7.8 प्रतिशत, –1 प्रतिशत, पुनरुद्धार से पूर्व)।	ग्रामीण आय में अस्थिरता, सहायता योजनाओं के माध्यम से राजकोषीय दबाव में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम।
5. क्षेत्रीय उत्पादकता में असमानता के कारण आय असंतुलन	विनिर्माण एवं उपयोगिता क्षेत्र में उच्च योगदान देते हैं, किंतु केवल लगभग 22	उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में सीमित रोजगार अवसर, जिससे उत्पादन–रोजगार अंतराल

	प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करते हैं।	बढ़ता है।
6. ऐतिहासिक उच्च वृद्धि चरणों की तुलना में वास्तविक वृद्धि अपेक्षाकृत मध्यम	वास्तविक वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत तक पहुँची है, परंतु पूर्व वर्षों में उतार–चढ़ाव और पुनरुद्धार चक्र देखे गए हैं।	बाहरी झटकों, जलवायु प्रभावों तथा संरचनात्मक बाधाओं के कारण दीर्घकालिक स्थिर विकास बनाए रखने की चुनौती।
7. राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि अपेक्षाकृत मध्यम	राज्य की प्रति व्यक्ति आय की सी.ए.जी.आर. 8.7 प्रतिशत है, जबकि समान अवधि में राष्ट्रीय सी.ए.जी. आर. लगभग 10 प्रतिशत है।	आय अंतराल के लाभ में क्रमिक कमी तथा घरेलू कल्याण में अपेक्षाकृत धीमा सुधार।

2.4 भावी दिशा

- कृषि नीति को केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित न रखते हुए आय वृद्धि पर केंद्रित करना आवश्यक है। इसके लिए उच्च–मूल्य फसलों को बढ़ावा देना, एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं का विकास, गुणवत्ता–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली, फसल कटाई पश्चात् अवसंरचना का विस्तार, जलवायु–अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन तथा किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सामूहिक एकत्रीकरण को सुदृढ़ करना आवश्यक है।
- औद्योगिक विकास को क्लस्टर–आधारित विशेषज्ञता, दक्ष लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, जलवायु–लचीले अवसंरचना मानकों, पूर्वानुमेय नियामक ढाँचे, वित्तीय रूप से टिकाऊ विद्युत क्षेत्र सुधारों तथा मांग–उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके।
- सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उच्च–मूल्य तथा विनियमित पर्यटन ढाँचे को विकसित करना आवश्यक है, जिसे उन्नत शहरी अवसंरचना, डिजिटल संपर्क, श्रम का औपचारिकीकरण, कौशल प्रमाणीकरण तथा विश्वसनीय परिवहन प्रणालियों का समर्थन प्राप्त हो, जिससे उत्पादकता और स्थिरता दोनों में वृद्धि हो सके।

संक्षेप में, वित्त वर्ष 2025–26 में हिमाचल प्रदेश का आर्थिक प्रदर्शन पर्वतीय राज्य की संरचनात्मक परिस्थितियों के भीतर सतत् विस्तार को दर्शाता है। विकास को मुख्यतः सेवा–प्रधान गति, अवसंरचना–आधारित औद्योगिक गतिविधियों तथा कृषि क्षेत्र में क्रमिक सुधार से बल मिला है, जो अर्थव्यवस्था के निरंतर संरचनात्मक विकास को प्रतिबिंबित करता है। हालाँकि, उत्पादन योगदान और कार्यबल निर्भरता के मध्य असंतुलन विशेषकर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से संबंधित अंतर्निहित चुनौतियों को दर्शाता है।

राज्य की विकास प्रक्रिया घरेलू मांग, पर्यटन पुनरुद्धार, पूंजी निर्माण तथा वित्तीय एवं पेशेवर सेवाओं के विस्तार से प्रभावित होती रहेगी, जबकि भौगोलिक सीमाएँ और पारिस्थितिक संवेदनशीलता नीति–निर्माण को आकार देती रहेंगी। जलवायु जोखिमों में वृद्धि तथा लॉजिस्टिक सीमाएँ विकास रणनीति में लचीलापन को समाहित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। भविष्य की प्रगति उत्पादकता वृद्धि, मूल्य संवर्धन, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर निर्भर करेगी। सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था, अनुकूल अवसंरचना तथा सतत् शासन के माध्यम से राज्य संतुलित एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

******

अध्याय
3

सार्वजनिक वित्त

कार्यकारी सारांश

क्र. सं.	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**स्वयं के अधिक राजस्व के साथ वित्तीय समेकन**	वित्त वर्ष 2025–26 बजटीय अनुमान (बजटीय अनुमान) के लिए राजस्व प्राप्तियाँ ₹42,343 करोड़ अनुमानित हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 16.68 प्रतिशत बनाती हैं, और केंद्रीय अनुदानों में गिरावट के बावजूद राज्य कर राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।
2	**केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता में कमी**	अनुदान में तीव्र गिरावट दर्ज की गई और यह ₹10,243 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 4.03 प्रतिशत) रह गया, जो केंद्रीय समर्थन के संरचनात्मक वापसी और राज्य संसाधनों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
3	**खर्च प्राथमिकताओं को बनाए रखा गया**	वित्त वर्ष 2025–26(बजटीय अनुमान) के लिए कुल व्यय ₹58,514 करोड़ है, जिसमें राजस्व व्यय का उच्च हिस्सा है और शिक्षा (₹9,787 करोड़) तथा स्वास्थ्य (₹2,997 करोड़) के लिए संरक्षित आवंटन शामिल हैं।
4	**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**	वेतन, पेंशन और ब्याज कुल व्यय का 57.59 प्रतिशत बनाते हैं, जो वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹33,697 करोड़ है।
5	**बढ़ता ऋण भार**	वित्त वर्ष 2023–24 में ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 40.74 प्रतिशत है।
6	**लिंग आधारित बजटिंग को सुदृढ़ बनाना**	लिंग आधारित बजट का आवंटन ₹4,080 करोड़ है, जो महिलाओं–केंद्रित स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
7	**स्वास्थ्य और कृषि अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना**	अनुसंधान एवं विकास व्यय मुख्य रूप से चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (₹824 करोड़) और कृषि अनुसंधान (₹234 करोड़) में केंद्रित है, साथ ही स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है।
8	**राजस्व प्रशासन में सुधार**	वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान राजस्व सृजन में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) उत्पाद शुल्क सुधार, शुल्क और टोल नीति में सुधारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
9	**राज्य कर राजस्व में वृद्धि**	राज्य कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित) में 15.28 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान में ₹24,208 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹27,907 करोड़ हो गया, जिससे मजबूत कर गतिशीलता का प्रदर्शन हुआ।
10	**पूंजीगत और राजस्व व्यय के रुझान**	वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.28 प्रतिशत बनाता है, जबकि पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 6.74 प्रतिशत है, जो सीमित वित्तीय क्षेत्र के बावजूद आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने को दर्शाता है।

3.1 परिचय

सार्वजनिक वित्त वह महत्वपूर्ण ढाँचा है जो यह नियंत्रित करता है कि सरकार सार्वजनिक धन को कैसे जुटाती, आवंटित करती और खर्च करती है ताकि समाज के सामूहिक हितों की सेवा की जा सके। इसमें एक अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य कर योग्य संस्थाओं से कर एकत्रित करना शामिल है, जिन्हें फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा आदि जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने में लगाया जाता है।

किसी राज्य के वित्तीय संसाधन आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक पूँजी, जैसे बुनियादी ढाँचा (सड़कें, इमारतें, ऊर्जा सुविधाएँ) और मानव पूँजी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यबल प्रशिक्षण में निवेश, सतत आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। यद्यपि भौगोलिक असुविधाएँ, सीमित प्राकृतिक संसाधन, दूरस्थता या अन्य कारकों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर सकती हैं, राज्य सरकारें अक्सर अपने वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उन्हें प्रमुख विकास क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे रणनीतिक निवेश आर्थिक मानकों को उठाने, गरीबी कम करने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य के वित्तीय संसाधन सामान्यतः कर राजस्व (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों), गैर–कर राजस्व (जैसे शुल्क, शुल्कों और जुर्माने), केंद्रीय सरकार के कर राजस्व में हिस्सेदारी, और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के संयोजन से प्राप्त होते हैं। ये संसाधन राज्य को अपने विभिन्न विकास कार्यक्रमों, सार्वजनिक सेवाओं और नीतिगत पहलों को वित्तपोषित करने की अनुमति देते हैं।

हालाँकि, राज्य सरकार की वित्तीय रणनीति में सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों प्रकार के रुझान दिखाई देते हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि राज्य अपने कर राजस्व को बढ़ाने में सफल रहा है, जिससे कर संग्रह दक्षता में सुधार या कर योग्य आधार के विस्तार का प्रदर्शन होता है। हालांकि, इस कर राजस्व वृद्धि की भरपाई अनुदानों (सहायता अनुदान) में कमी से होती है, जो अक्सर विशेष परियोजनाओं को वित्तपोषित करने या सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे–जैसे राज्य को बाहरी वित्तीय सहायता में कमी का सामना करना पड़ता है, इसे पूंजीगत व्यय प्रबंधन में अधिक अनुशासित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाना, बड़े बुनियादी ढाँचे परियोजनाओं की सीमा को सीमित करना और मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है।

3.2 हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति

राज्य की वित्तीय स्थिति मुख्यतः प्राप्तियों, व्यय और ऋण को शामिल करती है। राज्य सरकार की प्राप्तियाँ विभिन्न स्रोतों से होने वाली राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों से बनी होती हैं, जबकि सार्वजनिक व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल हैं। ऋण राज्य की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025–26 का बजट आर्थिक वृद्धि और वित्तीय विवेक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजटीय आवंटन और राजस्व पूर्वानुमान राज्य की आर्थिक आधार को बढ़ाने और सतत विकास सुनिश्चित करने पर बल देते हैं। हिमाचल प्रदेश वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लागू होने से यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप वित्त का सतत प्रबंधन करे।

3.2.1 राज्य के वित्तीय संकेतक

राज्य सरकार को अपने प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के व्यय को पूरा करने के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष कर, गैर–कर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, और केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। कुल राजस्व प्राप्तियाँ वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹42,343 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2021–22 में ₹37,309 करोड़ थी। कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित) में 15.28 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जो ₹24,208 करोड़ (वित्त वर्ष 2024–25, संशोधित अनुमान) से बढ़कर ₹27,907 करोड़ (वित्त वर्ष 2025–26, बजटीय अनुमान) होगा। सहायता अनुदान ₹17,633 करोड़ (वित्त वर्ष 2021–22) से घटकर ₹10,243 करोड़ (वित्त वर्ष 2025–26, बजटीय अनुमान) रह गया है। गैर–कर राजस्व वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹4,193 करोड़ होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए कुल व्यय ₹58,514 करोड़ निर्धारित है। राजस्व व्यय ₹48,733 करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 83.28 प्रतिशत बनाता है। पूंजीगत व्यय ₹3,941 करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 6.74 प्रतिशत योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025–26 में ब्याज भुगतान में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह ₹6,739 करोड़ तक पहुँच गया है। सरकार के कुल व्यय से प्रमुख आवंटन शिक्षा के लिए ₹9,787 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹2,997 करोड़ किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 16.68 प्रतिशत हैं। कर राजस्व वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में सकल राज्य

घरेलू उत्पाद का 10.99 प्रतिशत होने का अनुमान है। कुल व्यय को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 23.05 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

(क) कर राजस्व

जैसा कि सारणी 3.1 में दिखाया गया है, राज्य का कर राजस्व (केंद्रीय करों सहित) वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹27,907 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में ₹24,208 करोड़ से 15.28 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि यह वित्त वर्ष 2021–22 में ₹17,064 करोड़ था।

चित्र 3.1 में कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व के घटक दिखाए गए हैं।

चित्र 3.1

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व के घटक

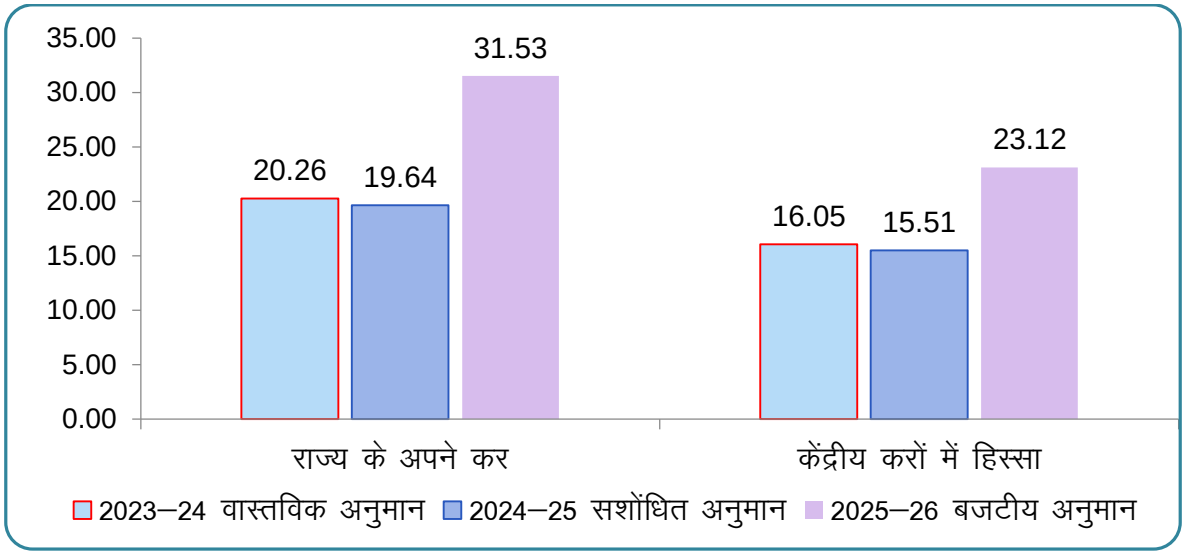

स्त्रोत: हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज।

सारणी 3.1

प्रमुख वित्तीय संकेतक (₹ करोड़ में)

मद / वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24 (वास्तविक अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजटीय अनुमान)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	37,309	38,090	39,173	43,704	42,343
1.1 कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित)	17,064	18,479	21,210	24,208	27,907

1.2 गैर–कर राजस्व	2,612	2,876	3,021	4,231	4,193
1.3 सहायता अनुदान	17,633	16,734	14,942	15,266	10,243
2. विनिवेश प्राप्तियाँ (अऋण प्राप्तियाँ)	7	13	2	0	0
3. ऋण वसूली	41	83	27	29	28
4. कुल व्यय	46,989	60,701	58,364	74,758	58,514
5. राजस्व व्यय	36,195	44,425	44,732	50,190	48,733
6. पूंजी व्यय	6,029	6,029	5,630	8,767	3,941
7. वितरित ऋण	378	111	107	186	34
8. ब्याज भुगतान	4,641	4,829	5,648	6,265	6,739

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने करों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में 20.26 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में 31.53 हो गया है। कुल प्राप्तियों में केंद्रीय करों का हिस्सा भी वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में 16.05 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में 23.12 हो गया है। कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदानों की प्राप्तियों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में 25.58 से घटकर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में 20.06 रह गया है।

(ख) गैर–कर राजस्व

गैर–कर राजस्व मुख्य रूप से ऋण पर प्राप्त ब्याज, विद्युत बिक्री से प्राप्तियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों से लाभांश और मुनाफा, तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्तियाँ शामिल हैं, जिनमें लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक सेवा क्षेत्र और आर्थिक सेवाएँ शामिल हैं। गैर–कर राजस्व वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹4,193 करोड़ तक घटने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में ₹4,231 करोड़ था, जो 0.89 प्रतिशत की कमी है। कुल प्राप्तियों में गैर–कर राजस्व का प्रतिशत वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में 5.17 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में 8.21 प्रतिशत हो गया है। आर्थिक सेवाएँ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर–कर राजस्व घटक के लिए सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं।

चित्र 3.2 में कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–कर राजस्व के घटक दिखाए गए हैं।

चित्र 3.2

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–कर राजस्व के घटक

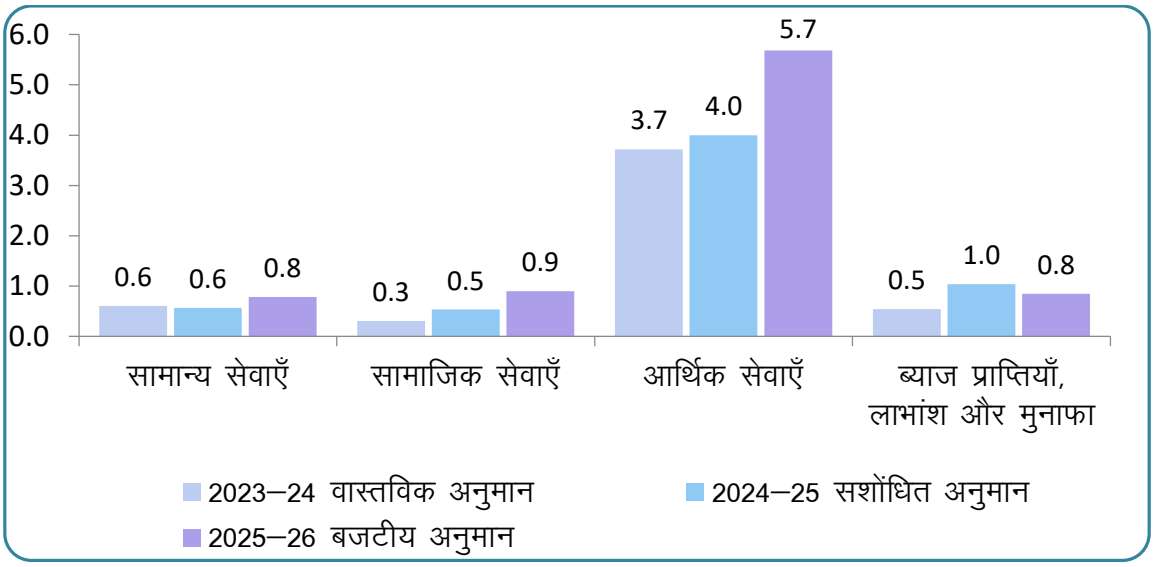

स्त्रोत: हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज।

आर्थिक सेवाओं में विद्युत, गैस और जल आपूर्ति शामिल हैं, जो लगातार राज्य के गैर–कर राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे हैं, जबकि सामाजिक सेवाएँ और ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं मुनाफा सबसे कम योगदान देने वाले घटक हैं।

(ग) सहायता अनुदान

संपूर्ण रूप में, भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹10,243 करोड़ तक घट गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में ₹15,266 करोड़ था।

चित्र 3.3 में कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान दिखाया गया है।

चित्र 3.3

कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदान का प्रतिशत

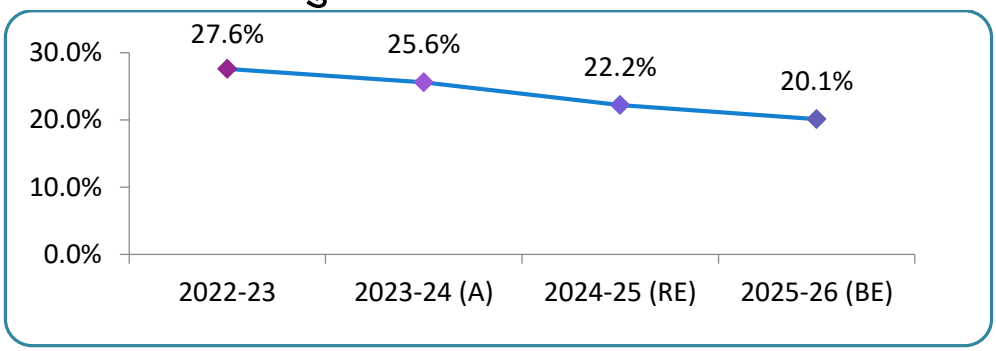

स्त्रोत: हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज।

वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के दौरान कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदान का योगदान 20.06 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) की तुलना में 5.5 प्रतिशत अंक कम है।

3.2.2 राज्य के प्रमुख वित्तीय संकेतक

सारणी 3.2 में दिखाया गया है कि वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में कर राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि 15.28 प्रतिशत है, इसके बाद ब्याज में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राजस्व व्यय में वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में 2.90 प्रतिशत की कमी देखी गई है। कुल व्यय और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 21.73 और 55.04 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में सहायता अनुदान में 32.91 प्रतिशत की गिरावट हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में यह गिरावट 10.71 प्रतिशत थी।

सारणी 3.2

राज्य सरकार के वित्तीय संकेतकों की वृद्धि (प्रतिशत में)

मद / वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24 (वास्तविक अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजटीय अनुमान)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	11.58	2.09	2.84	11.57	-3.11
2. कर राजस्व (केंद्रीय हिस्सेदारी सहित)	32.93	8.29	14.78	14.13	15.28
3. गैर–कर राजस्व	19.37	10.10	5.03	40.04	-0.89
4. सहायता अनुदान	-4.23	-5.10	-10.71	2.17	-32.91
5. ब्याज भुगतान	3.76	4.05	16.98	10.92	7.56
6. कुल व्यय	-6.59	29.18	-3.85	28.09	-21.73
7. राजस्व व्यय	7.93	22.74	0.69	12.20	-2.90
8. पूंजीगत व्यय	13.56	-0.01	-6.62	55.72	-55.04

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार।

3.2.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय संकेतक

वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 16.68 प्रतिशत अनुमानित हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में यह 18.95 प्रतिशत था। इसी तरह, वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.99 प्रतिशत अनुमानित है,

जबकि वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में यह 10.50 प्रतिशत था। गैर–कर राजस्व वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.65 प्रतिशत है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में यह 1.83 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.05 प्रतिशत अनुमानित है, राजस्व व्यय 19.19 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.55 प्रतिशत होगा। सारणी 3.3 में सकल राज्य घरेलू उत्पादके प्रतिशत के रूप में वित्तीय संकेतक दिखाए गए हैं।

सारणी 3.3

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय संकेतक

मद / वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (वास्तविक अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजटीय अनुमान)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	22.01	21.86	19.88	18.71	18.95	16.68
1.1 कर राजस्व (केंद्रीय हिस्सेदारी सहित)	8.45	10.00	9.65	10.13	10.50	10.99
1.2 गैर–कर राजस्व	1.44	1.53	1.50	1.44	1.83	1.65
1.3 सहायता अनुदान	12.12	10.33	8.74	7.14	6.62	4.03
2. विनिवेश प्राप्तियाँ (गैर–ऋण प्राप्तियाँ)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
3 ऋण की वसूली	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01
4. कुल व्यय	33.12	27.53	31.69	27.87	32.42	23.05
5. राजस्व व्यय	22.08	21.21	23.19	21.36	21.77	19.19
6. पूंजीगत व्यय	3.50	3.53	3.15	2.69	3.80	1.55
7. वितरित ऋण	0.21	0.22	0.06	0.05	0.08	0.01
8. ब्याज भुगतान	2.94	2.72	2.52	2.70	2.72	2.65

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार।

मुख्य उपलब्धियाँ

1. **राज्य कर राजस्व में मजबूत वृद्धि**
   कर राजस्व में 15.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2024–25 संशोधित अनुमान में ₹24,208 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹27,907 करोड़ हो गया, जो कर प्रशासन में सुधार और कर गतिशीलता को दर्शाता है।
2. **राज्य के अपने राजस्व का उच्च योगदान**
   वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में राज्य के अपने कर अब कुल प्राप्तियों का 31.53 प्रतिशत बनाते हैं, जो वित्त वर्ष 2023–24(वास्तविक) में 20.26 प्रतिशत था, जो आंतरिक राजस्व सृजन में मजबूती को दर्शाता है।
3. **राजस्व प्रशासन में सुधार**
   जी.एस.टी. और उत्पाद शुल्क में सुधार, संशोधित उपकर और तर्कसंगत टोल नीतियों से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर, 2025 तक) के दौरान ₹4,421.76 करोड़ का राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) एकत्र किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान यह ₹4,401.12 करोड़ था।
4. **लिंग आधारित बजटिंग को सुदृढ़ बनाना**
   वित्त वर्ष 2025–26 में लिंग आधारित बजट के अन्तर्गत कुल ₹4,080 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो महिलाओं–केंद्रित स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों पर जोर देते हैं।
5. **सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना**
   वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में मुख्य आवंटनों में शिक्षा के लिए ₹9,787 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए ₹2,997 करोड़ शामिल हैं, जो मानव विकास को लगातार प्राथमिकता देने को दर्शाते हैं।
6. **स्वास्थ्य और कृषि में अनुसंधान एवं विकास पर बढ़ता ध्यान**
   वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में अनुसंधान एवं विकास व्यय मुख्य रूप से चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (₹ 824 करोड़) तथा कृषि अनुसंधान (₹ 234 करोड़) में केंद्रित है, साथ ही स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजीगत व्यय में प्रमुख वृद्धि हुई है।
7. **ब्याज भुगतान में लगातार वृद्धि, जो वित्तीय पारदर्शिता को दर्शाती है**
   वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ब्याज भुगतान ₹6,739 करोड़ तक बढ़ गया है, जो ऋण सेवा दायित्वों की पारदर्शी रिपोर्टिंग और वित्तीय जिम्मेदारी मानकों के पालन को दर्शाता है।

3.2.4 सरकारी व्यय

वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए सरकार का व्यय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र और समावेशी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। राजस्व और पूंजीगत व्यय सरकार के व्यय के मुख्य घटक हैं। शिक्षा के लिए ₹9,787 करोड़ का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र को वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹2,997 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

चित्र 3.4 में दिखाया गया है कि वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में कुल व्यय का 83.28 प्रतिशत राजस्व व्यय पर खर्च होगा, जबकि उसी वर्ष के लिए 6.74 प्रतिशत पूंजीगत व्यय होगा, 0.06 प्रतिशत ऋण (अग्रिम) और 13.49 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण (पुनर्भुगतान) पर खर्च किया जाएगा। विस्तृत व्यय सारणी 3.1, 3.2 और 3.3 में पहले प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के अनुसार, राज्य सरकार का कुल व्यय ₹58,514 करोड़ अनुमानित था, जिसमें से ₹48,733 करोड़ राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किया गया था।

चित्र 3.4

कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय का हिस्सा

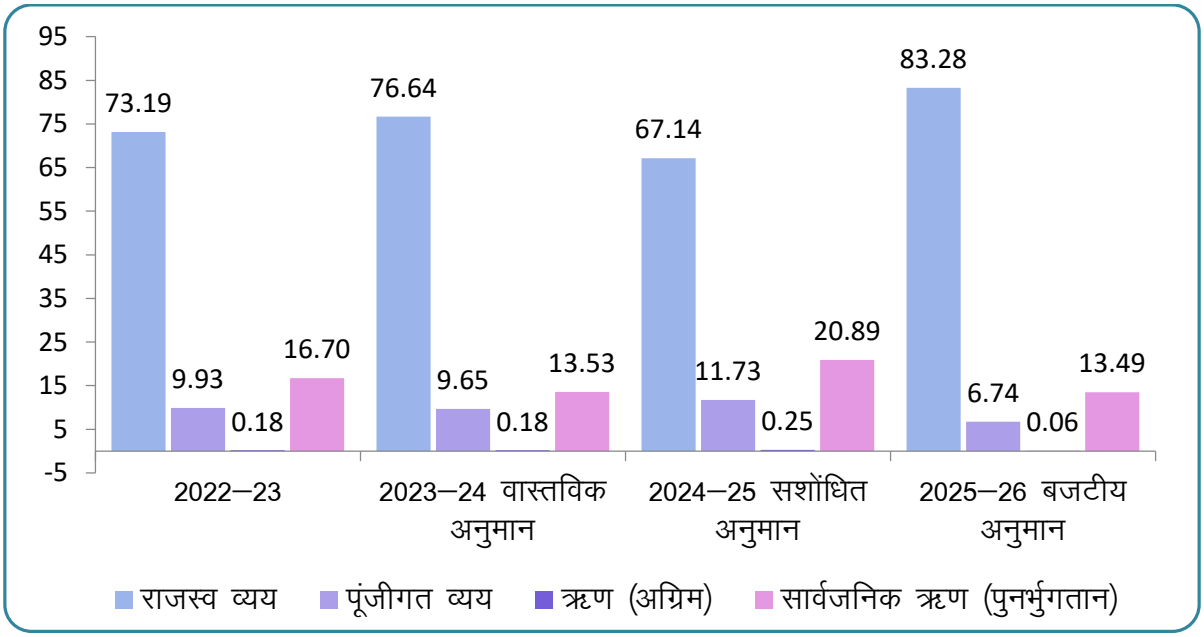

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार।

(क) राजस्व व्यय

वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए राजस्व व्यय ₹48,733 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में यह ₹44,732 करोड़ था, जो

लगभग 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.19 प्रतिशत अनुमानित है।

(ख) पूजींगत व्यय

पूंजीगत व्यय ₹3,941 करोड़ अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.55 प्रतिशत है, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 (वास्तविक) में यह ₹5,630 करोड़ था, जो 30.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। यह वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में कुल व्यय का 6.74 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

3.2.5 राजस्व व्यय की संरचना

सरकार अपने कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय पर खर्च करती है।

राजस्व व्यय की संरचना नीचे सारणी 3.4 में दी गई है, जो दिखाती है कि कुल व्यय का 57.59 प्रतिशत अनुमानित रूप से प्रतिबद्ध व्यय होगा, जिसमें वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल हैं। कुल प्रतिबद्ध व्यय ₹33,697 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.27 प्रतिशत है।

सारणी 3.4

राजस्व व्यय की संरचना (₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	2023-24 (वास्तविक अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजटीय अनुमान)
1. वेतन और मजदूरी (सहायता अनुदान के अंतर्गत वेतन सहित)	12,779	16,161	15,686	16,581	16,635
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी	27.20	26.62	26.88	22.18	28.43
• सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी	7.49	8.44	7.49	7.19	6.55
2. पेंशन	6,399	9,284	8,974	9,346	10,323
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पेंशन	13.62	15.29	15.38	12.50	17.64
3. ब्याज	4,641	4,829	5,648	6,265	6,739
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज	9.88	7.95	9.68	8.38	11.52
कुल प्रतिबद्ध व्यय	23,819	30,274	30,309	32,192	33,697

• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में कुल प्रतिबद्ध व्यय	50.69	49.87	51.93	43.06	57.59
• सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्रतिबद्ध व्यय	13.96	15.80	14.48	13.96	13.27
4. अनुदान	1,188	1,973	1,668	2,152	1,562
• कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.53	3.25	2.86	2.88	2.67
कुल व्यय	**46,989**	**60,701**	**58,364**	**74,758**	**58,514**

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

3.3 राज्य की ऋण स्थिति

राज्य का ऋण उसकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। राज्य की वित्तीय विवेकशीलता उसके ऋण और उसके चुकाने की क्षमता पर निर्भर करती है। सारणी 3.5 में दिखाया गया है कि वित्त वर्ष 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले ऋण का अनुपात 40.74 प्रतिशत था, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 40.01 प्रतिशत था।

सारणी 3.5

राज्य सरकार की ऋण स्थिति (₹ करोड़ में)

मदें	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
क. सार्वजनिक ऋण (क1+ क2)	40,571	44,463	46,715	58,951	65,957
क1. आंतरिक ऋण	39,528	42,918	44,376	55,975	61,439
क2. केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,044	1,544	2,339	2,976	4,517
ख. सार्वजनिक खाता और अन्य देनदारियाँ	15,535	16,530	17,021	17,700	19,354
ग. कुल देनदारियाँ (क+ख)	56,107	60,993	63,736	76,651	85,311
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164	1,51,905	1,70,654	1,91,568	2,09,385
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण	35.25	40.15	37.35	40.01	40.74

स्त्रोत: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

3.4 लिंग आधारित बजट

इसमें बजट का विश्लेषण लिंग दृष्टिकोण से करना, बजट प्रक्रिया के हर चरण में लिंग के दृष्टिकोण को शामिल करना, और राजस्व एवं व्यय को इस तरह पुनर्गठित करना शामिल है कि लिंग समानता को बढ़ावा मिले। मूल रूप में, लिंग आधारित बजटिंग एक

कार्य योजना और प्रक्रिया है, जिसका दीर्घकालिक उद्देश्य लिंग समानता को प्राप्त करना है।

महिलाएँ लिंग आधारित बजट की प्रमुख हितधारक हैं। लिंग समानता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी वाला नोडल विभाग महिला और बाल विकास विभाग है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार और लिंग–संवेदनशील कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा संभाला जाता है।

लिंग आधारित बजट के व्यय नीचे सारणी 3.6 में दिखाए गए हैं, जिसमें श्रेणी–I यह दर्शाती है कि बजट का 100 प्रतिशत महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों पर खर्च किया गया, और श्रेणी–II यह दिखाती है कि महिलाओं पर 100 प्रतिशत से कम खर्च किया गया।

सारणी 3.6

वर्गवार लिंग आधारित बजट, वित्त वर्ष 2025–26 (₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग	श्रेणी – I (100 प्रतिशत महिलाएँ)	श्रेणी – II (100 प्रतिशत से कम महिलाएँ एवं अन्य लिंग)	कुल
1.	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति	47,242.22	1,20,267.00	1,67,509.22
2.	महिला एवं बाल विकास	4,193.00	67,219.55	71,412.55
3.	ग्रामीण विकास	9.00	83,471.00	83,480.00
4.	खाद्य, नागर आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	3.00	25,907.00	25,910.00
5.	पुलिस	0.50	0.00	0.50
6.	उच्च शिक्षा	503.36	11,662.20	12,165.56
7.	स्वास्थ्य	3,934.28	6,359.09	10,293.37
8.	परिवहन	80.00	17,200.00	17,280.00
9.	उद्योग	0.00	2,981.00	2,981.00
10.	अन्य विभाग*	10.00	16,930.85	16,940.85
कुल		**55,975.36**	**3,51,997.69**	**4,07,973.05**

स्त्रोत: हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग का जेंडर बजट विवरण।

नोट: *शहरी विकास, कृषि, पशुपालन, कला और संस्कृति, बागवानी, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मत्स्य पालन और श्रम एवं रोजगार।

3.5 राजकोषीय घाटा/राजस्व घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। अधिक घाटा अधिक उधारी का संकेत देता है। जबकि, राजस्व घाटा सरकार के वर्तमान व्यय की तुलना में राजस्व में कमी को मापता है (सारणी 3.7)

सारणी 3.7

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)

मद / वर्ष	2023-24 (वास्तविक अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजटीय अनुमान)
राजकोषीय घाटा (–)/अधिशेष (+)	-11265.74	-15409.46	-10337.97
राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+)	-5558.59	-6485.83	-6390.07

3.6 श्रेणीवार अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर श्रेणीवार व्यय सारणी 3.8 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2210 और 2415 श्रेणियाँ सबसे अधिक प्राथमिकता वाली हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में क्रमशः ₹82,434 लाख और ₹23,405 लाख व्यय प्रस्तावित है।

सारणी 3.8

हिमाचल प्रदेश का श्रेणीवार अनुसंधान एवं विकास व्यय

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	श्रेणी विवरण	श्रेणी	2023-24	2024-25 (सशोंधित अनुमान)	2025-26 (बजटीय अनुमान)
1	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2070	111	68	0.09
2	सामान्य शिक्षा	2202	275	299	327
3	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210	80,835	82,552	82,434
4	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230	50	61	46
5	सामान्य प्रशासन	2251	3	129	73
6	मृदा और जल संरक्षण	2402	58	57	40
7	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415	25,682	24,722	23,405
8	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425	750	1,105	571
9	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435	94	68	6
10	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर	4210	22,195	45,915	33,408

	पूंजीगत व्यय				
कुल			1,30,053	1,54,975	1,40,307

स्त्रोत: हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज।

चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान एवं विकास व्यय वित्त वर्ष 2023–24 में ₹80,835 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹82,434 लाख हो गया है। इसके अलावा, श्रेणी संख्या 4210, जो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय को दर्शाती है, वित्त वर्ष 2023–24 में ₹22,915 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹33,408 लाख हो गया है। राज्य स्वास्थ्य–संबंधित अनुसंधान एवं विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है, जिसे बुनियादी ढाँचे/उपकरण में महत्वपूर्ण पूंजीगत निवेश द्वारा समर्थन प्राप्त है। शिक्षा और कृषि भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, हालांकि उनके आवंटन अपेक्षाकृत स्थिर हैं।

चित्र 3.5

सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय

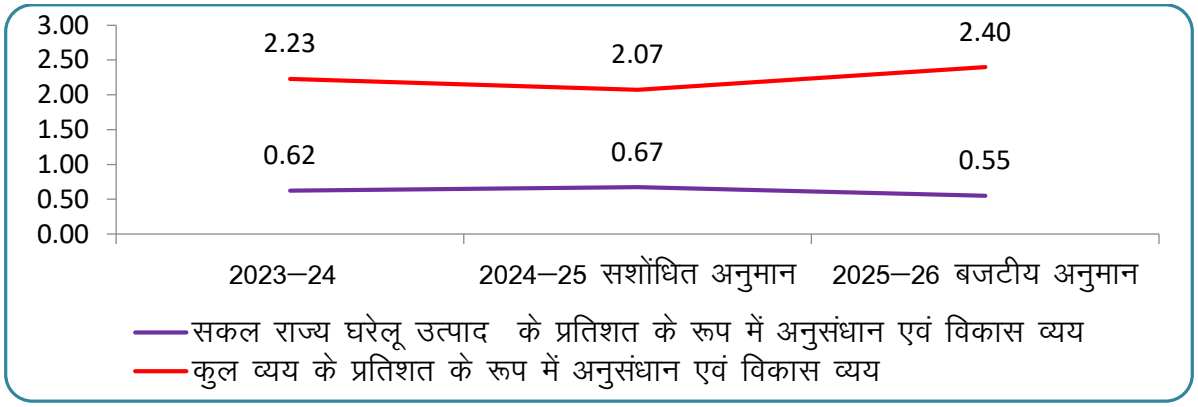

3.8 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

समस्या / चुनौती	साक्ष्य	प्रभाव
1) सहायता अनुदान में संरचनात्मक गिरावट	सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में ₹10,243 करोड़ रह गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) में यह ₹15,266 करोड़ था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटकर 4.03 प्रतिशत हो गया है।	राज्य के स्वयं के राजस्व पर अधिक निर्भरता, राजस्व खाते और योजनाओं के वित्तपोषण पर दबाव और सामाजिक क्षेत्र के व्ययों पर जोखिम।
2) उच्च प्रतिबद्ध	प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन, ब्याज)	वित्तीय लचीलेपन में

व्यय के कारण विकास के लिए स्थान कम होना	₹33,697 करोड़ है, जो कुल व्यय का 57.59 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.27 प्रतिशत है।	कमीय पूंजीगत व्यय और प्रतिचक्रीय व्यय के लिए सीमित अवसर, संरचनात्मक कठोरता में वृद्धि।
3) उच्च प्रतिबद्ध व्यय के कारण विकास के लिए स्थान कम होना	वित्त वर्ष 2023–24 में ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 40.74 प्रतिशत है, जिसमें सार्वजनिक ऋण ₹65,957 करोड़ व ब्याज भुगतान ₹5,648 करोड़ है।	पुनर्वित्तपोषण जोखिम में वृद्धि, उच्च ब्याज भुगतान के कारण अन्य व्ययों का दबाव, ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता व विकास व्यय के लिए सीमित अवसर।
4) पूंजीगत व्यय के लिए सीमित वित्तीय स्थान	पूंजीगत व्यय केवल ₹3,941 करोड़ है (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.55 प्रतिशत, कुल व्यय का 6.74 प्रतिशत) वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में।	संपत्ति निर्माण और विकास गुणकों में धीमापन, रखरखाव कार्यों का टालना और मध्यम अवधि में संभावित आर्थिक वृद्धि कम होने का जोखिम।
5) संकुचित हस्तांतरणों के कारण राजस्व गतिशीलता पर प्रभाव	कर राजस्व (केंद्रीय हिस्सा सहित) 15.28 प्रतिशत बढ़कर ₹27,907 करोड़ हो जाएगा, फिर भी कुल राजस्व प्राप्तियाँ 3.11 प्रतिशत घटकर ₹42,343 करोड़ हो जाएँगी, जिसका कारण सहायता अनुदान में कमी है।	स्वयं के राजस्व में हुई वृद्धि आंशिक रूप से निष्प्रभावी हो रही है, राजस्व और प्रतिबद्ध व्ययों के संतुलन पर दबाव।
6) स्थायी राजकोषीय और राजस्व घाटे	वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में राजकोषीय घाटा ₹10,338 करोड़ है व राजस्व घाटा ₹6,390 करोड़ है।	निरंतर उधारी की आवश्यकता, ऋण का संचय व प्रतिचक्रीय नीतियों के लिए सीमित अवसर।
7) उधारी संबंधी प्रतिबंधों में कड़ाई	उधारी सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दी गई है। यह वित्त वर्ष 2026–27 में पुनर्भुगतान (₹13,000 करोड़) नई उधारी (₹10,000 करोड़) से अधिक होने का अनुमान है।	शुद्ध नकद बहिर्वाह का जोखिम, तरलता पर दबाव, नकदी प्रबंधन में अधिक कड़ाई और परियोजनाओं के संभावित स्थगन का जोखिम।

8) राजस्व घाटा अनुदान का समाप्ति	राजस्व घाटा अनुदान वित्त वर्ष 2026–27 से समाप्त हो रहा है, जिससे वार्षिक ₹6,000–₹10,000 करोड़ का राजस्व अंतर पैदा होगा।	राजस्व में तेजी से वृद्धि या व्यय में कटौती की आवश्यकता, सामाजिक और संचालनात्मक व्यय पर जोखिम।
9) पेंशन भार और जनसांख्यिकीय दबाव	पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने से दीर्घकालिक दायित्व बढ़ रहे हैं।	बीमांकिक भार में वृद्धि, भविष्य में विकास व्यय पर दबाव, अंतर–पीढ़ीगत समानता से संबंधित चिंताएँ।
10) गैर–कर राजस्व में कमजोरी	वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) में गैर–कर राजस्व ₹4,193 करोड़ रहने का अनुमान है, जो वित वर्ष 2024–25 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 0.89 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।	राजस्व प्राप्तियों के विविधीकरण को सीमित करता है, कर उपायों और उपयोगकर्ता शुल्क सुधारों पर अधिक दबाव डालता है।

3.9 भावी दिशा

इन नुकसानों की भरपाई के लिए, राज्य 2026 के लिए नई राजस्व उपाय लागू कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:

- **राजस्व सृजन को बढ़ाना:** ऋण वित्तपोषण पर निर्भरता को कम करने के लिए, राज्य राजस्व धाराओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें प्रभावी कर प्रशासन, कर आधार का विस्तार और नवाचारी राजस्व सृजन पहल शामिल हैं। इसके अन्तर्गत राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क में संशोधन किया जाएगा, जो 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। इस दृष्टिकोण से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हो सकती है और राजकोषीय घाटा कम हो सकता है।

- **व्यय का तर्कसंगत वितरण:** व्यय नियंत्रण उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि खर्च को राजस्व क्षमता के अनुरूप बनाया जा सके। इसमें विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर व्यय को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाना और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए अनावश्यक खर्च को रोकना शामिल है।

- **अवसंरचना और विकास में निवेश:** वित्तीय सीमाओं के बावजूद, महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में लक्षित निवेश आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता को प्रोत्साहित कर सकता है। उद्योग, जल विद्युत, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देने से निजी निवेश आकर्षित हो सकते हैं,

रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं और राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था, आय और राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

- **हरित पहल:** केंद्र से ग्रीन बोनस प्राप्त करने के प्रयास और 2026 तक ग्रीन राज्य बनने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष के रूप में, हिमाचल प्रदेश का वित्तीय प्रोफाइल आर्थिक विकास पर मजबूत ध्यान को दर्शाता है, जिसमें कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों में थोड़ी कमी देखी गई है। वित्त वर्ष 2025–26 (बजटीय अनुमान) के लिए राज्य का व्यय विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। केंद्र अनुदानों में कमी के बावजूद, कर राजस्व में वृद्धि हुई है, जो समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान देती है। राज्य सरकार अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, इसके अतिरिक्त, लिंग आधारित बजटिंग एक प्रमुख घटक है, जिसमें महिलाओं–केंद्रित कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लिंग समानता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं। कुल मिलाकर, राज्य वित्तीय विवेकशीलता, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, संतुलित विकास और लिंग समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

*****

अध्याय
4

बैंकिंग संस्थागत वित्त

कार्यकारी सारांश

क्र. सं	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**समग्र बैंकिंग वृद्धि**	कुल बैंकिंग व्यवसाय बढ़कर ₹3.15 लाख करोड़ हो गया, जो वर्ष–दर–वर्ष 9.64 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, जिसका प्रमुख कारण जमा राशि एवं अग्रिम में विस्तार है।
2	**ग्रामीण पहुंच**	हिमाचल प्रदेश में 2,378 बैंक शाखाएँ हैं, जिनमें से 76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जो सशक्त भौतिक पहुंच सुनिश्चित करती हैं।
3	**सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व**	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 1,186 से अधिक शाखाएँ हैं, जो जिलों में प्रमुख संस्थागत उपस्थिति को दर्शाती हैं।
4	**वित्तीय समावेशन**	बैंकों ने 19.42 लाख पी.एम.जे.डी.वाई. खाते खोले हैं, जिनमें से 87 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उच्च आधार लिंकिंग तथा अच्छा रुपे कार्ड कवरेज।
5	**प्राथमिकता क्षेत्र ऋण**	बैंकों ने आर.बी.आई. के 7 में से 5 राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र मानकों को प्राप्त किया, एम.एस.एम.ई., कमजोर वर्गों, महिलाओं एवं लघु किसानों को ऋण में सशक्त प्रदर्शन किया।
6	**कृषि ऋण अंतर**	कृषि ऋण (17 प्रतिशत) खेती की संरचनात्मक बाधाओं के कारण राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से थोड़ा कम है।
7	**सी.डी. अनुपात चिंता**	सी.डी.अनुपात 49.12 प्रतिशत है जो आदर्श 60 प्रतिशत से कम है, जिसका कारण कम औद्योगिक गतिविधि, सीमित ऋण अवशोषण एवं जमा राशि का उच्च बाह्य प्रवाह है।
8	**सामाजिक सुरक्षा कवरेज**	पी.एम.एस.बी.वाई. (40.97 लाख), पी.एम.जे.जे.बी.वाई. (15.65 लाख) तथा ए.पी.वाई. (6.21 लाख) में नामांकन में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ता मिली।
9	**उद्यमिता को समर्थन**	मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, एन.आर.एल.एम., एन.यू.एल.एम. एवं पी.एम.ई.जी.पी. जैसी योजनाओं ने सूक्ष्म उद्यमों एवं स्वरोजगार वृद्धि को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया।
10	**नाबार्ड की विकासात्मक भूमिका**	नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना, एफ.पी.ओ. जलग्रहण परियोजनाओं, पुनर्वित्त सहायता एवं जलवायु–संवेदनशील विकास को राज्य में सुदृढ़ किया।

4.1 प्रस्तावना

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय समावेशन परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह बैंक शाखाओं के नेटवर्क, बैंकिंग जिम्मेदारियों के वितरण और राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका का विस्तार से वर्णन करता है।यह अध्याय भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंकिंग मानकों को प्राप्त करने में बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, जिसमें कृषि, लघु एवं सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्यम और महिलाओं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रवाह पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा, यह अध्याय सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके दायरे की भी समीक्षा करता है, जिनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) और अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में, यूको बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक के रूप में कार्य करता है। राज्य में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है।

- पंजाब नेशनल बैंक छह जिलों की देखरेख करता हैः हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना।
- यूको बैंक चार जिलों का प्रबंधन करता हैः बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर।
- भारतीय स्टेट बैंक को दो जिलों कार्य आबंटित किया गया हैः चंबा और लाहौल–स्पीति।

राज्य में कुल 2,378 बैंक शाखाओं के नेटवर्क में से 76 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जनगणना 2011, के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 2,887है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। राज्य में चार भुगतान बैंक कार्यरत हैं, जिसमें भारतीय डाक पेमेंट बैंक, वित्तीय समावेशन नेटवर्क और संचालन (फिनो) पेमेंट बैंक, एअरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंकशामिल हैं। राज्य में विभिन्न बैंक शाखाओं का विवरण नीचे सारणी–4.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.1

हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाओं का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
1.	**बैंक शाखाओं की कुल संख्या**	**2,378**
	क. क्षेत्रवार बैंक	

	i. ग्रामीण	1,799
	ii. शहरी / अर्धशहरी	469
	iii. शहरी केंद्र (शिमला)	110
	कुल	**2,378**
	ख. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.)	
	i. पंजाब नेशनल बैंक	355
	ii. भारतीय स्टेट बैंक	351
	iii. यूको बैंक	182
	iv. अन्य	298
	कुल	**1,186**
	ग. निजी क्षेत्र के बैंक	
	i. एच.डी.एफ.सी.	113
	ii. आई.सी.आई.सी.आई.	57
	iii. लघु वित्त बैंक (4)	25
	iv. अन्य	118
	कुल	313
	घ. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एच.पी.जी.बी.)	**274**
	ङ. भुगतान बैंक	**13**
	ट. हिमाचल प्रदेश सहकारी क्षेत्र के बैंक	
	i. हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (एच.पी.एस.सी.बी.)	263
	ii. कांगड़ा केन्द्रीय सैन्ट्रल बैंक (के.सी.सी.बी.)	217
	iii. पांच शहरी सहकारी बैंक	26
	iv. अन्य	86
	कुल(घ+ङ+ट.)	**879**
2.	**खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या (अक्टूबर 2024–सितंबर 2025)**	**26**
3.	**ए.टी.एम. की कुल संख्या**	**1,993**

बैंकिंग पहुंच एक नजर में

शाखा नेटवर्क

- कुल शाखाएँ : 2,378
- 76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में (1,799 शाखाएँ)
- प्रति शाखा जनसंख्याः 2,887 (राष्ट्रीय औसत 11,000 की तुलना में)
- ए.टी.एम.: 1,993
- 11,318 बैंक मित्र तैनात

जिला वितरण

- सर्वाधिक शाखाएँ : कांगड़ा (437)
- न्यूनतम शाखाएँ : लाहौल–स्पीति (26)
- अन्य उच्च बैंकिंग पहुंच वाले जिलेः शिमला, मंडी, ऊना, सोलन, हमीरपुर

लीड बैंक संरचना

- पंजाब नेशनल बैंक – 6 जिले
- यूको बैंक – 4 जिले
- भारतीय स्टेट बैंक – 2 जिले

बैंकों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में जहां ढांचा आधारित शाखाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यापार संवाददाता प्रतिनिधि (जिन्हें 'बैंक मित्र' के रूप में जाना जाता है) को तैनात किया है। वर्तमान में राज्य में गांवों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 11,318 बैंक मित्र तैनात किए गए हैं। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रुप में पी.एन.बी. बैंक, एस.बी.आई. बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्ण विकसित नियंत्रण कार्यालय अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय/अचंल कार्यालय/सर्कल कार्यालय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में तथा नाबार्ड का भी क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में शिमला में स्थित है।

राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा तय 7 में से 5 राष्ट्रीय मानकों कोप्राप्त किया है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, लघु तथा सीमान्त किसान, लघु उद्योग, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया है। इसके अतिरिक्त,बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियोंअर्थात कृषि, एम.एस.एम.ई. शिक्षा ऋण, आवास ऋण, माइक्रो क्रेडिट आदि के लिए कुल ऋण का 61 प्रतिशत ऋण दिया गया है।

बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानक की तुलना में 17.00 प्रतिशत कृषि ऋण प्रदान किए है। बैंको द्वारा कुल ऋण में कमजोर वर्गों तथा महिलाओं का क्रमशः 17.00 प्रतिशत तथा14.00 प्रतिशत अग्रिम राशि का भाग है, जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 12.00 प्रतिशत तथा 5.00 प्रतिशत है। सितम्बर, 2025 तक राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 49.12 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 4.2 में दर्शाई गई है।

सारणी 4.2

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के व्यावसायिक राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2024	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2025	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत	स्थिति
1.	प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अग्रिम	59.12	60.79	40	प्राप्त / हासिल किया गया
2.	कृषि अग्रिम	16.73	17.03	18	आंशिक रूप से कम
3.	लघु तथा सीमांत कृषकों को अग्रिम	12.07	13.55	10	लक्ष्य से अधिक
4.	लघु उद्योगों को अग्रिम	16.08	17.63	7.5	मजबूत
5.	कमजोर वर्ग के लिए ऋण डी .आर.आई.ऋण	17.38	17.27	12	लक्ष्य से अधिक
6.	महिला ऋण	12.60	14.39	5	मजबूत
7.	जमा एवं अग्रिम अनुपात (थोरट) एम.एस.एम.ई.ऋण(पी.एस.सी.)	47.16	49.12	60	लक्ष्य से नीचे
8.	एम.एस.एम.ई. अग्रिम (पी.एस.सी.)	46.25	47.56	—	—
9.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ऋण (पी.एस.सी.)	9.79	8.67	—	—
10.	अल्पसंख्यक अग्रिम (पी.एस.सी.)	2.82	3.05	—	—

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश

4.2 वित्तीय समावेशन पहल

भारत सरकारद्वारा वित्तीय समावेश व्यापक अभियान के अन्तर्गत "प्रधानमन्त्री जन–धन योजना" सात वर्षों से अधिक समय से राज्य के आर्थिक विकास के लिए चल रही है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और मज़दूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की जा रही हैं।

4.2.1 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा (बी.एस.बी.डी.ए.) खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल 19.42 लाख खाते सितम्बर, 2025 तक खोले गए है। इन खातों में से 16.91 लाख बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2.00 लाख शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। राज्य में बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को 12.32 लाख रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए, जोकि पी.एम.जे.डी.वाई. के अन्तर्गत खोले गए खातों का 63 प्रतिशत है। सितम्बर, 2025 तक बैंकों द्वारा 83.39 प्रतिशत पी.एम.जे.डी.वाई. खातों को आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की पहल की जा चुकी है।

4.2.2 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल

प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत भारत सरकार ने तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः

i) प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹20.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर आकस्मिक मृत्यु सह दिव्यांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान किए जाते हैं तथा इसे हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण किया जाता है। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत, सितम्बर, 2025 तक बैंकों ने 40.97 लाख ग्राहकों को जोड़ा है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक द्वारा प्रति वर्ष ₹436.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान किए जाते हैं तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण होता है। सितम्बर, 2025 तक बैंकों में 15.65 लाख ग्राहकों को प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत जोड़ा गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

अटल पेंशन योजनाअसंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अन्तर्गत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर ग्राहक के 18 से 40 वर्ष के दौरान प्रवेश करने पर किए गए अंशदान के आधार पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000,

₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड–डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने हेतु ध्यान दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा जोरदार अभियानों, शिविरों, मीडिया प्रचार, प्रैस इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ए.पी.वाई. के अर्न्तगत बैंकों द्वारा सितम्बर, 2025 तक 6.21 लाख ग्राहकों को नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डाक विभाग भी इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रहा है।

सारणी 4.3

योजनाओं के अंतर्गत खातों की कुल संख्या

(लाख में)

योजना	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	विकास प्रवृत्ति
पी.एम.जे.डी.वाई.	17.33	18.76	19.02	19.42	स्थिर
पी.एम.एस.बी.वाई.	19.35	30.95	35.22	40.97	तीव्र
पी.एम.जे.जे.बी. वाई.	6.25	10.34	12.67	15.65	सशक्त
ए.पी.वाई.	3.45	4.41	5.30	6.21	बढ़ती हुई

पी.एम.जे.डी.वाई. एवं सामाजिक सुरक्षा कवरेज एक नजर में

पी.एम.जे.डी.वाई. की स्थिति

- कुल खातेः 19.42 लाख
- ग्रामीण हिस्सेदारीः 16.91 लाख (87 प्रतिशत)
- आधार से जुड़े खातेः 83.39 प्रतिशत
- जारी किए गए रुपे कार्डः 12.32 लाख (63 प्रतिशत)

सामाजिक सुरक्षा कवरेज (सितंबर, 2025 तक)

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – 40.97 लाख सदस्य
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – 15.65 लाख सदस्य
- अटल पेंशन योजना – 6.21 लाख सदस्य

4.3 प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.)

भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अप्रैल 2015 से हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में चल रही है। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे उन गैर–कृषि सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत ऋण प्रदान करके आय सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, जिनकी ऋण आवश्यकता ₹10.00 लाख तक है। 8 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद आय–सृजन के उद्देश्यों के लिए स्वीकृत ऐसे सभी ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2025–26 में सितम्बर, 2025 तक बैंकों द्वारा 41,899 नए लघु उद्यमियों को ₹1331.23 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। कुल वितरित ऋण राशि ₹4,136.97 करोड़ है, जिससे 1,68,764 उद्यमियों को लाभ मिला है।

4.4 स्टैण्ड अप इण्डिया योजना (एस.यू.आई.एस.)

स्टैंड अप इंडिया योजना पूरे देश में शुरु की गई है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व वाले समाज के सेवा से वंचित और उपेक्षित वर्गों में उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है) में एक नए उद्यम की स्थापना के लिए ₹10.00 लाख से लेकर ₹1.00 करोड़ के ऋण की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सुविधा दी जाती है। चालू वित्त वर्ष 2025–26 में सितम्बर, 2025 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 271 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹47.42 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

4.5 वित्तीय जागरूकता और साक्षरता अभियान

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान लक्षित जनसंख्या तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफ.एल.सी.) तथा अपनी बैंक शाखाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता अभियान चला रहे हैं।नकद रहित (कैशलेस) समाज की ओर बढ़ने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यू.पी.आई.) जैसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना एक मुख्य केंद्र बिंदु है। जनता को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण

(ई–बात) और ''आर.बी.आई.कहता है'' जैसे मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

4.6 बैंकों की व्यावसायिक स्थिति

राज्य के सभी बैंकों द्वारा कुल जमा राशि सितम्बर, 2024 में ₹1,97,790 करोड़ से बढ़कर सितम्बर, 2025 में ₹2,13,824 करोड़ तक दर्ज की गई। बैंकों की जमा राशि वर्ष दर वर्ष 8.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शातीहै।इसी अवधि में कुल अग्रिम ₹89,447 करोड़ से बढ़ कर सितम्बर, 2025 तक ₹1,01,088 करोड़ हो गया जो वर्ष दर वर्ष 9.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। कुल बैंकिंग कारोबार सितम्बर, 2025 में 9.64 प्रतिशत बढ़कर ₹3,14,913 करोड़ हो गया जो सितम्बर, 2024 में ₹2,87,237 करोड़ था।

बैंकिग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) का सबसे अधिक 62 प्रतिशत भाग है, आर.आर.बी. का 5 प्रतिशत भाग है, निजी बैंकों का 14 प्रतिशत तथा सहकारी बैंकों का 17 प्रतिशत तथा अन्य बैंकों का 2 प्रतिशत भाग है। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 4.3 में दर्शाए गए है।

सारणी 4.3

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.09.2024	30.09.2025	सितम्बर, 2025 में सितम्बर, 2024 से परिवर्तन	
1.	**जमा राशि पी.पी.डी.**			**सम्पूर्ण**	**प्रतिशत**
	ग्रामीण	1,18,870.31	1,28,990.64	10,120.33	8.51
	शहरी/अर्ध शहरी	78,919.75	84,833.43	5,913.68	7.49
	कुल	**1,97,790.06**	**2,13,824.07**	**16,034.01**	**8.11**
2.	**अग्रिम (ओ/एस)**				
	ग्रामीण	41,879.19	46,471.33	4,592.14	10.97
	शहरी/अर्ध शहरी	33,896.05	37,635.52	3,739.47	11.03
	बाहरी क्रेडिट	13,671.73	16,981.85	3,310.12	24.21
	कुल	**89,446.97**	**1,01,088.70**	**11,641.73**	**13.02**
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)**	**2,87,237.03**	**3,14,912.77**	**27,675.74**	**9.64**
4.	आर.आई.डी.एफ.	3,827.97	3,932.97	105.00	2.74
5.	जमा उधार अनुपात थोरट कमेटी के आधार पर	47.16	49.12	1.96	4.16
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**44,799.17**	**51,132.46**	**6,333.29**	**14.14**

	i) **कृषि**	12,680.37	14,322.51	1,642.14	12.95
	ii) **एम.एस.एम.ई.**	20,719.48	24,318.03	3,598.55	17.37
	iii) **ओ.पी.एस.**	11,399.32	12,491.92	1,092.60	9.58
7.	कमजोर वर्ग को अग्रिम	13,166.03	14,552.49	1,386.46	10.53
8.	गैर प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	30,976.07	32,794.39	1,818.32	5.87
9.	शाखाओं की संख्या	2,352	2,378	26	1.11
10.	महिलाओं के लिए अग्रिम	9,546.95	12,101.22	2,554.27	26.75
11.	अल्प–संख्यकों को ऋण	1,264.04	1,559.59	295.55	23.38
12.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	4,386.40	4,435.19	48.79	1.11

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैकर्स समिति शिमला, हिमाचल प्रदेश।

4.6.1 प्रमुख बैंकिंग सूचकांक एक दृष्टि में (2025)

संकेतक	मान	स्थिति
कुल व्यवसाय	₹3,14,913 करोड़	वृद्धि
जमा राशि	₹2,13,824 करोड़	सशक्त
अग्रिम (ऋण)	₹1,01,088 करोड़	सशक्त
सी.डी .अनुपात	49.12 प्रतिशत	मानक से कम
सकल एन.पी.ए.	4.76 प्रतिशत	मध्यम स्तर

4.7 वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बैंकों ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण उपलब्ध करवाए हैं। वार्षिक जमा योजना 2025–26 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 38.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹50,018 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य तय किया गया। सितम्बर, 2025 तक बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹21,229 करोड़ के नए ऋण वितरित किए तथा 42 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता अर्जित की। 30 सितम्बर, 2025 तक क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि सारणी 4.4 में दर्शाई गई है।

सारणी 4.4

सितम्बर, 2024 तक की स्थिति पर एक दृष्टि (₹करोड़ में)

क.सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2025–26	उपलब्धि सितम्बर, 2025	प्रतिशत उपलब्धि सितम्बर–2025
1	कृषि प्रत्यक्ष	24,600	6,541	26.59
2	एम.एस.एम.ई.	21,511	13,837	64.32
3	शिक्षा	422	67	15.80
4	आवास	1,684	519	30.80
5	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	1,801	266	14.75
6	कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 5)	50,018	21,229	42.44

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति शिमला, हिमाचल प्रदेश

चित्र 4.1

वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन

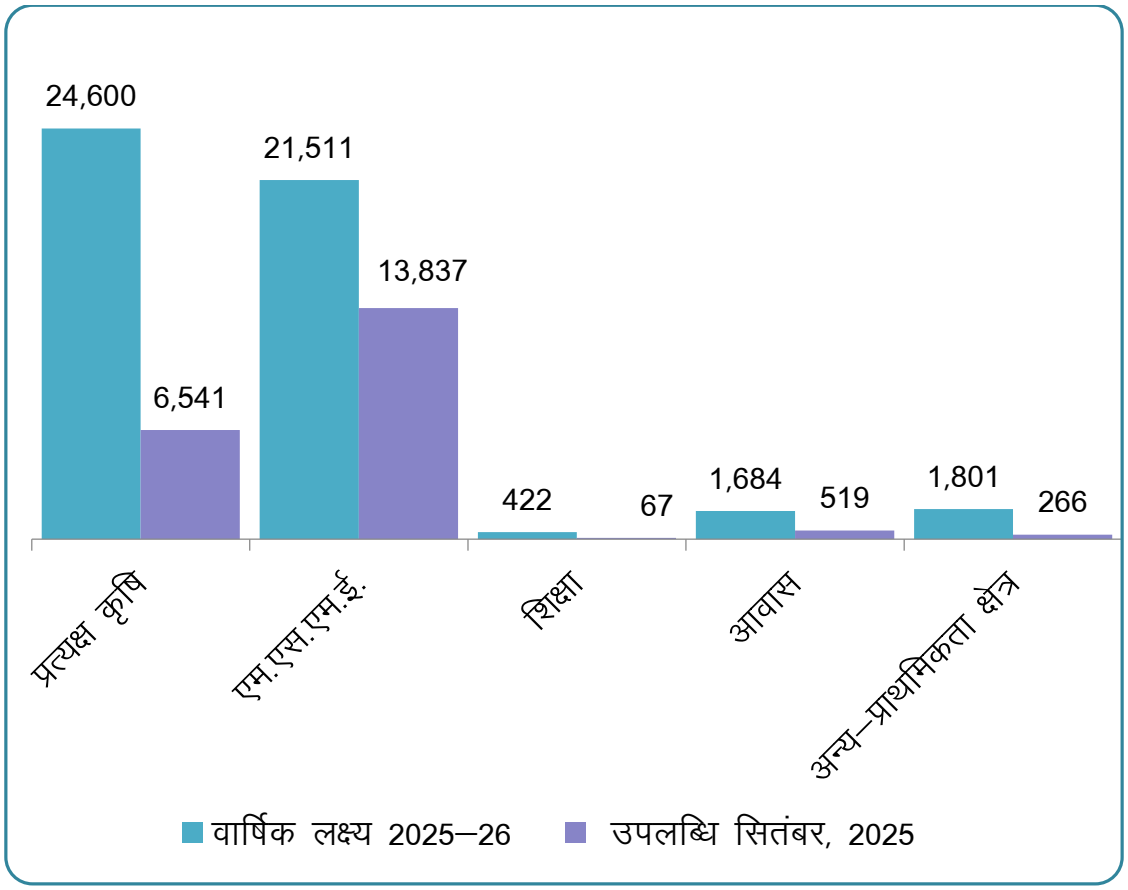

4.8 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

इस योजना कोहिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एच.पी.एस.आर.एल.एम.)के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।राज्य में इस योजना के अन्तर्गत बैंकों को 19,400 लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹310.00 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य रखा है। बैंकों ने एन.आर.एल.एम. योजना में सितम्बर, 2025 तक ₹71.67 करोड़ के 4,539 ऋणों की स्वीकृति दी है।

ii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मन्त्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) ने मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) को पुनर्गठित किया और राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को शुरू किया। स्वयं रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) एन.यू.एल.एम. के घटकों (घटक 4) में से एक है जो शहरी गरीबों के व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यमों (आई.जी.ई.) तथा स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की स्थापना के लिए ऋणों पर ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। शहरी विकास विभाग तथा विभिन्न बैंको ने सितम्बर, 2025 तक एन.यू.एल.एम. के अन्तर्गत ₹17.54 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

पी.एम.ई.जी.पी. एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान कार्यक्रम है जोकि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मन्त्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के कार्यन्वयन के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (के.वी.आई.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी है। राज्य स्तर पर के.वी.आई.सी., खादी एवं ग्रामीण बोर्ड (के.वी.आई.बी.) तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में 579 नई इकाइयों के वित्तपोषण का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों ने ₹21.28 करोड़ मार्जिन राशि के वितरण का लक्ष्य रखा है। बैंकों ने मार्जिन मनी के रूप में सितम्बर, 2025 तक 216 इकाइयों को ₹9.15 करोड़ स्वीकृत किए हैं।हालाँकि, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मार्जिन मनी की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसने इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को सीमित कर दिया है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

उद्यमिता एवं आजीविका

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**
  - 41,899 उद्यमियों को वित्त वर्ष 2025–26, सितंबर तक ₹1,331.23 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत
  - कुल वितरित ऋण राशि ₹4,136.97 करोड (1.68 लाख लाभार्थी)
- **स्टैंड अप इंडिया योजना**
  - 271 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ₹47.42 करोड़ राशि स्वीकृत
- **किसान क्रेडिट कार्ड**
  - 69,778 नए के.सी.सी. जारी
  - ₹11,320 करोड़ का ऋण प्रदान किया (वर्ष–दर–वर्ष ₹1,116 करोड़ की वृद्धि)
- **पी.एम. स्वनिधि** योजना को वर्ष 2030 तक बढाया गया
- ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत 3,801 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया

4.9 किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

किसानों को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत् अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान एवं समय पर पर्याप्त ऋण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में बैंकों द्वारा सितंबर, 2025 तक, 69,778 किसानों को नएकिसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गएहैं। सितंबर, 2025 तक बैंकों ने कुल 6,15,542 किसानों को ₹11,320 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, जो सितंबर, 2024 तक दिए गए ₹10,204 करोड़ की तुलना में ₹1,116 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

4.10 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.), ग्रामीण विकास मन्त्रालय (एम.ओ.आर.डी.) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर उद्यमिता में रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता को बढावा देने के लिए जिला स्तर पर बुनियादी ढांचा तैयार करना है।राज्य के 10 जिलों (लाहौल–स्पिति, किन्नौर छोड़कर) में अग्रणी बैंकों, जिनमें यूको बैंक, पी.एन.बी. व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शामिल हैं, द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का गठन किया है। यह ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन तथा उद्यमिता विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत्

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) आयोजित कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में,आर. एस.ई.टी.आई. को कुल 327 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें 3,801 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

4.11 पी.एम. स्वनिधि योजना

पी.एम. स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) ने कई रेहड़ी–पटरी वालों की मदद की है। भारत सरकार ने इस योजना को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया है। स्ट्रीट वेंडर शुरू में ₹15,000 तक का अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, यदि ऋण का भुगतान समय पर किया जाता है, तो अगले चरणों में ऋण की राशि को बढ़ाकर ₹25,000 और फिर ₹50,000 किया जा सकता है।सभी ऋण बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं। यह योजना स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। इस योजना के अन्तर्गत्सभी 74 शहरी स्थानीय निकाय लक्षित समूह को बढ़ावा देने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग कर रहे हैं।

4.12 राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख–कल्याण योजना

राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख–कल्याण योजना राज्य सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य पात्र छोटे व्यापारियों को बीमा–आधारित लाभ प्रदान करना है ताकि उन्हें अप्रत्याशित जोखिमों से सुरक्षित किया जा सके, जिससे उनकी आय की सुरक्षा और व्यवसाय की स्थिरता को बढ़ावा मिले। यह योजना छोटे दुकानदारों के लिए है और इसमें ऋण की सीमा ₹2.00 लाख निर्धारित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र उधारकर्ताओं को ₹1.00 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है और यह राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में उन खातों के लिए एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) योजना शुरू की है, जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 के बीच गैर–निष्पादित संपत्ति (एन.पी.ए.) घोषित किया गया था। इस योजना से छोटे व्यापारियों के वित्तीय तनाव को कम करने, उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से फिर से जोड़ने और बैंकों की गैर–निष्पादित संपत्तियों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4.13 प्राकृतिक आपदा (2025) प्रभावित ऋणियों के लिए राहत प्रावधान

- आपदा को देखते हुए, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (डी.एम.सी.) ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर क्षति और नुकसान का सामना किया है।
- भूस्खलन ने प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे परिवहन और संचार नेटवर्क बाधित हो गया। इस आपदा की तीव्रता और पैमाने के परिणामस्वरूप

जान–माल की भारी हानि हुई, समुदायों का विस्थापन हुआ और संपत्ति तथा बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुँचा। इसके परिणामस्वरूप, होटल और पर्यटन उद्योग, कृषि, छोटे व्यवसाय(एम.एस.एम.ई.), खुदरा व्यापार और आम जनता के साथ–साथ पर्यटन पर निर्भर अन्य क्षेत्र भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुए।

- विस्तृत विचारविमर्श के बाद, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), नाबार्ड और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके, भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 31 दिसंबर, 2025 तक 6,251 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्राकृतिक आपदा–2025 के कारण प्रभावित सभी पात्र उधारकर्ताओं को इस राहत में शामिल करें।

4.14 सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए.)

राज्य में बैंकों का सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए.)अनुपात सितंबर, 2025 की तिमाही में 4.76 प्रतिशत रहा, जिसमें कुल एन.पी.ए. राशि ₹4,004.22 करोड़ थी। जून, 2025 तिमाही में एन.पी.ए. ₹4,064.34 करोड़ था,जो पिछली तिमाही की तुलना में ₹60.12 करोड़ की गिरावट को दर्शाता है।

4.15 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड देश का शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है, जिसे सततव समान ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसने हाल के वर्षों में कई व्यापक पहलें शुरू की हैं। इन प्रयासों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, किसान उत्पादक संगठनों, ग्रामीण कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र, पुरुष एवं महिलाओंका कौशल विकास कर श्रम बलकी भागीदारी में सुधार, पुर्नवित्त और राज्य में ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरणशामिल है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड भारत सरकार की कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने और उनसे जुड़ने का कार्य भी कर रहा है।

4.15.1 ग्रामीण अधोसंरचना

1995–96 में स्थापना के बाद से, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए नाबार्ड की एक प्रमुख पहल बन गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। वर्षोंसे, समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 उपयुक्त गतिविधियां जिनमें कृषि

तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

इस निधि के अन्तर्गत् आर.आई.डी.एफ–XXXI में (वर्ष 2025–26)नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य को ₹950.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इस में नवाचार क्षेत्रों की स्वीकृत परियोजनाएँ जैसे कि 50 ग्रामीण सड़कें, 05 ग्रामीण पुल, 07 पेयजल आपूर्ति योजनाएं, 09 लघु सिंचाई योजनाएं, 01 बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना और 01 सीवरेज योजना इत्यादि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, हरित गतिशीलता और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों में 80 स्थानों पर ई.वी. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयों के निर्माण की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। हैं।इसके अतिरिक्त, दूध के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिएकिसानों की सहायता हेतु कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 (लाख लीटर प्रतिदिन) क्षमता का एक पूर्ण स्वचालित डेयरी प्रसंस्करण के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है। नाबार्ड ने मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे परियोजना को भी स्वीकृति दी है, जो चंडीगढ़–मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ स्थित है और पंडोह को बखाली में स्थित मंदिर से जोड़ती है।

आर.आई.डी.एफ. की स्थापना से अब तक निधि के अन्तर्गत राज्य को 31 मार्च, 2025 तक परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹12,875.91 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मुख्यतः ग्रामीण सड़कें/पुल, सिंचाई, पेयजल आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में, आर.आई.डी.एफ.–XXXI के अन्तर्गत,राज्य को ₹713.87 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

आर.आई.डी.एफ.–XXXI के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण होने पर, हिमाचल प्रदेश में 80 स्थानों पर ई.वी. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे हरित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हाल हीमें स्वीकृत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत 398.04 किलोमीटर सड़कों और 421.93 मीटर पुलों का निर्माण किया जाएगा,जिससे ग्रामीण संपर्क में सुधार होगा।

4.15.2 मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफ.ए.आई.डी.एफ.)

नाबार्ड ने एफ.ए.आई.डी.एफ. (मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) के अर्न्तगत् जिला ऊना के कार्प फार्म, गगरेट में एक अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता दी है।

4.15.3 पुर्नवित्त सहायता

नाबार्ड, विभिन्न गतिविधियों, जिनमें ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन आपरेटरों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वंय सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन,

वृक्षारोपण एवं बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, घरेलू कार्यकलापों की पैकिंग ग्रेडिंग व अन्य क्षेत्रों के विभिन्न कार्यो के लिए दीर्घ अवधि के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024–25 में संवितरण के लिए नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एस.सी.ए.आर.डी.बी.)सहित अन्य सहकारी बैंकों को दीर्घकालिक पुनर्वित्त के रूप में ₹591.00 करोड़ वितरित किए गए हैं।वित्त वर्ष 2025–26 में, इन संस्थानों को 15 जनवरी, 2026 तक ₹757.00 करोड़ का दीर्घकालिक पुनर्वित्त वितरित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक पुनर्वित्त के लिए, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) ने वित्त वर्ष 2024–25 में ₹3,161 करोड़ और 15 जनवरी, 2026 तक ₹2,159 करोड़ का लाभ उठाया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह का सुदृढीकरण हुआ है।

4.15.4 विशेष पुनर्वित्त योजनाएं

पोस्ट कोविड युग में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने निम्नलिखित नई विशेष पुनर्वित्तयोजनाएं शुरु की हैं:

क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.) का बहु सेवा केन्द्र (एम.एस.सी.) के रुप में परिवर्तन:

इस योजना का उद्देश्य देश भर में पी.ए.सी.एस. को बहु–सेवा केंद्रों (एम.एस.सी.) में परिवर्तित करना है (दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए रियायती पुनर्वित्त के अन्तर्गत), जिससे अंतिम लाभार्थियों को सस्ता ऋण देने के लिए बैंकों को 3 प्रतिशत की दर पर रियायती पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जा सके। राज्य सहकारी बैंक पी.ए.सी.एस.को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण देते हैं और यदि परियोजना ए.आई.एफ. के अन्तर्गत पात्र है तो भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।यह योजना वर्तमान में केवल पैक्स द्वारा गोदाम निर्माण के लिए सहायता तक सीमित है।

ख) जल स्वच्छता और स्वच्छता गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त (WASH):

इस योजना का उद्देश्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना है ताकि पात्र लाभार्थियों/उद्यमियों को समय पर किफायती ऋण प्रदान करके जल और स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धित बुनियादी ढांचे और सेवाओं आदि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी), सहकारी बैंक और नाबार्ड की सहायक कंपनियां इस योजना के अर्न्तगतपात्र हैं। WASH गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नाबार्ड सभी पात्र

बैंकों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) से 95 प्रतिशत तक का रियायती दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करता है। इस योजना में WASH से सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियाँ जैसे सैनिटरी फिटिंग, रेडीमेड शौचालय आदि के निर्माण/आपूर्ति करने वाले स्टार्ट–अप/उद्यमियों/एम.एस.एम.ई. को सहायता प्रदान करनाशामिल है।

4.15.5 सरकारी प्रायोजित योजनाएं

नई कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.) योजनाः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम.) की एक उप–योजना, नई कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.) को लागू कर रही है। योजना को 31 मार्च, 2026 तक स्वीकृत सावधि ऋणों के लिए बढ़ा दिया गया है।

4.15.6 लघु ऋण तथा वित्तीय समावेशन

नाबार्ड देशभर में सूक्ष्म ऋण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका मुख्य केंद्र उन वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है जिनके पास बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं या जो इससे वंचित हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, नाबार्ड के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने कई प्रमुख पहलें कीं। विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफ.एल.एस.) के लिए 3,000 से अधिक वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों को मंजूरी दी गई, जिसमें उभरते साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। नाबार्ड, स्वयंसेवी संगठनों (एस.एच.जी.) और संयुक्त देयता समूहों के सहयोग से, उनके गठन, पोषण और ऋण जुड़ाव (क्रेडिट–लिंकेज) के लिए, प्रत्येक संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) को ₹2,000 का प्रोत्साहन प्रदान करता है,ताकि उनके विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। सितंबर, 2025 तक, ₹185 करोड़ की बकाया राशि वाले 10,904 स्वयं सहायता समूहों और ₹64 करोड़ की बकाया राशि वाले 8,311 संयुक्त देयता समूहों (जे.एल.जी.) को ऋण से जोड़ा गया, जो इन पहलों की बढ़ती पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है।

पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के अर्न्तगत, नाबार्ड ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट/ग्राहक सेवा केंद्र(बी.सी./सी.एस.पी) नेटवर्क को प्रोत्साहित करने के लिए पांच बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ₹2.25 करोड़ स्वीकृत किए, जिससे वित्तीय समावेशन को और मजबूती मिली। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 'एन्गेज' पोर्टल के दायरे में लाया गया है, जिससे नाबार्ड की अनुदान योजनाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित हो सके।

4.15.7 कृषक उत्पादन संगठन का प्रचार

हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास निधि (पी.ओ.डी.एफ.–आई.डी.) और प्रोड्यूस फंड के अंतर्गत सभी 12 जिलों में 125 एफ.पी.ओ. के गठन/प्रचार के लिए

₹16.24 करोड़ के अनुदान को स्वीकृत किया है। ये एफ.पी.ओ. संयुक्त रुप से सब्जियों, औषधियों और सुगंधित पौधों, दुग्ध, फल और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करते हैं। 27,053 किसानों की सदस्यता के साथ, इन एफ.पी.ओ. ने किसानों को उच्च कोटि की कृषि सामग्री और बेहतर बाजार संपर्क सुनिश्चित करके समुदायों को सशक्त बनाया है। सामूहिक रूप से, उन्होंने ₹23.60 करोड़ का कुल कारोबारप्राप्त किया है, जो मजबूत ग्रामीण आजीविका और सतत कृषि विकास में योगदान दे रहा है। इनमें से 7 एफ.पी.ओ. को कृषि विभाग के साथ साझेदारी में "प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान (पी.के.3वाई.) योजना" के अन्तर्गत बढ़ावा दिया गया है, जो प्राकृतिक खेती के तरीकों के माध्यम से सतत कृषि विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

नाबार्ड ''एक जिला, एक उत्पाद'' की अवधारणा के अंतर्गत 10,000 एफ.पी.ओ. की स्थापना और प्रचार–प्रसार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है। राज्य में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सी.बी.बी.ओ.) के माध्यम से एफ.पी.ओ. को विकसित और प्रोत्साहित किया जाता है। नाबार्ड ने इस योजना के अन्तर्गत ₹11.80 करोड़ के कुल अनुदान के साथ 23 एफ.पी.ओ. का गठन किया है। इस क्षेत्र के एफ.पी.ओ. कृषि और संबद्ध गतिविधियों के व्यापक दायरे में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। उनके मुख्य कार्यों में फलों (मुख्य रूप से सेब), सब्जियों, दालों, मसालों और अखरोट व हेजलनट जैसे सूखे मेवों का एकत्रीकरण और विपणन शामिल है। साथ ही, वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और एंटी–हेल नेट (ओलावृष्टि रोधक जाल) जैसे आवश्यक कृषि सामग्री की आपूर्ति भी करते हैं।

4.15.8 वाटरशेड विकास

नाबार्ड ने राज्य के दस जिलों–सोलन, ऊना, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू में 53 वाटरशैड विकास परियोजनाओं (31 वाटरशेड जिसमें प्राकृतिक खेती पर आधारित पहल जीवा भी शामिल है और 22 स्प्रिंग शैड परियोजना) के लिए अनुदान स्वीकृत किया है। इन परियोजनाओं के अर्न्तगत 40,062.90 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए, इन जिलों को ₹32.71 करोड़ की राशि द्वारा लाभान्वित किया गया। जनवरी, 2026 तक दस जिलों में ₹28.00 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई है, जिससे 28,906 परिवार लाभान्वित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में, वॉटरशेड हस्तक्षेपों ने मिट्टी के कटाव को कम करके, कृषि भूमि में नमी के संरक्षण और स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देकर मिट्टी और जल संरक्षण में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। स्प्रिंग शैड परियोजनाओं ने संभावित भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान करने और प्राकृतिक झरनों के प्रवाह दर को बढ़ाने के उपायों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पूरे स्प्रिंग शैड परियोजना क्षेत्र में पीने और सिंचाई दोनों उद्देश्यों के लिए विश्वसनीय जल उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

4.15.9 जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास (टी.डी.एफ.)

नाबार्ड ने 15 जनजातीय विकास परियोजनाओं के अर्न्तगत् ₹22.71 करोड की वित्तीय सहायता द्वारा 31 दिसम्बर, 2025 तक राज्य के पांच जिले–ऊना, चंबा, किन्नौर, लाहौल–स्पीति और बिलासपुर के 3,980 परिवारों को लाभान्वित किया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चयनित गांवों में वादी (छोटे उद्यानों), डेयरी इकाइयां, सेब और फूलों की नर्सरी तथा हथकरघा इकाइयों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं का उद्देश्य विविध कृषि और संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना और उनके आय स्तर को बढ़ाना भी है।

4.15.10 कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायता (एफ.एस.पी.एफ.)

नाबार्ड ने एफ.एस.पी.एफ. के अन्तर्गत अब तक 20,955 किसानों को 45 परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए ₹5.34 करोड़ की संचयी अनुदान सहायता प्रदान की है। इस निधि के अर्न्तगत समर्थित गतिविधियों में बाजरा को बढ़ावा देना, सटीक खेती के लिए आई.ओ.टी. (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीबकथॉर्न का मूल्य श्रृंखला विकास, स्वदेशी मधुमक्खी का संरक्षण, सजावटी नर्सरी में कौशल विकास, रेशम उत्पादन के माध्यम से आजीविका में वृद्धि, मवेशी विकास केंद्र की स्थापना, संवहनीय पशुपालन समाधान और वैकल्पिक आजीविका उपायों के माध्यम से जलवायु अनुकूलन के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

4.15.11 ग्रामीण कारीगरों/बुनकरों को सहायता

नाबार्ड ने सरोआ हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत एक ऑफ फार्म प्रोड्यूसर संगठन के गठन के लिए ₹90.11 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है। ओ.एफ.पी.ओ. के लाभार्थियों में 503 बुनकर शामिल हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो अब पटटू, शॉल, स्टोल और मफलर जैसे विभिन्न ऊनी उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

4.16 नाबार्ड की परामर्श सेवाएं (नैबकॉन्स)

नाबार्ड परामर्श सेवाएं (नैबकॉन्स), नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है जो कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नैबकॉन्स ने चालू वित्त वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये हैं:

- हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की पराला और खड़ापत्थर में एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।
- हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर एग्री–इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) के अर्न्तगत पी.एम.यू. (परियोजना प्रबंधन इकाई) की स्थापना।

- नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में डी.डी.यू.–जी.के.वाई. के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है।

4.17 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तर पर प्रमुख समस्याएँ एवं चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

समस्या / चुनौती	साक्ष्य	प्रभाव
निम्न क्रेडिट–डिपॉजिट (सी.डी.) अनुपात (49.12 प्रतिशत बनाम 60 प्रतिशत मानक)	49.12 प्रतिशत सी.डी. अनुपात दर्ज; राष्ट्रीय मानक से कम तथा जमा राशि के बाह्य प्रवाह एवं बड़े पैमाने के औद्योगिक ऋण की सीमित मांग को दर्शाता है।	स्थानीय स्तर पर ऋण प्रवाह एवं आर्थिक वृद्धि पर प्रतिबंध; ऋण अवशोषण क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता।
सीमित औद्योगिक आधार एवं नगरीकरण	संरचनात्मक बाधाओं में प्रमुख रूप से चिन्हित।	बड़े कॉरपोरेट ऋण की मांग कम, बैंक खुदरा एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर निर्भर।
पर्यटन की मौसमी प्रकृति	राज्य की अर्थव्यवस्था मौसमी एवं पर्यटन–आधारित; जैसे शिमला, मनाली एवं धर्मशाला में।	एम.एस.एम.ई. एवं खुदरा क्षेत्र में नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव; मौसमी एवं जलवायु संवेदनशीलता के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बाद ऋण पुनर्गठन की अधिक आवश्यकता।
दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं बिखरी हुई आबादी	पर्वतीय भू–भाग के कारण संचालन लागत अधिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच एवं निगरानी सीमित।	सेवा लागत में वृद्धि; बैंकिंग प्रतिनिधीयों/बैंक मित्रों एवं डिजिटल माध्यमों पर अधिक निर्भरता।
आपदा संवेदनशीलता (मानसून 2025)	बड़े पैमाने पर क्षति ;राहत के अंतर्गत, 31 दिसंबर 2025 तक 6,251 लाभार्थियों को कवर किया गया।	समय–समय पर ऋण पुनर्गठन की आवश्यकता; पर्यटन, एम. एस.एम.ई. एवं कृषि क्षेत्रों में बढ़ा हुआ ऋण जोखिम।
कृषि संरचना (खण्डित जोतें; बागवानी पर निर्भरता)	संरचनात्मक समस्या के रूप में उल्लेखित; बागवानी /सेब अर्थव्यवस्था" प्रमुख।	मौसमी आय, जलवायु संवेदनशीलता एवं उधारकर्ताओं के लिए गिरवी संबंधी बाधाएँ
एम.एस.एम.ई. की अनौपचारिकता एवं प्रलेखन की कमी	एम.एस.एम.ई. मुख्यतः सूक्ष्म एवं अनौपचारिक; दस्तावेजीकरण की कमी से ऋण पहुंच सीमित।	ऋण वितरण के विस्तार में बाधा; सरकार समर्थित ऋण योजनाओं पर अधिक निर्भरता।

वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल उपयोग में अंतर	अध्याय में उल्लेख है कि डिजिटल भुगतान/बीमा/पेंशन/ऋण उत्पादों का उपयोग साक्षरता अंतर के कारण विकसित हो रहा है; साक्षरता अभियान जारी।	डिजिटल एवं बीमा उत्पादों को अपनाने की गति धीमी; सतत वित्तीय साक्षरता केंद्र/ ई–बात आदि जैसे जागरूकता अभियान की आवश्यकता।
एन.पी.ए. मध्यम स्तर पर किंतु संवेदनशील (4.76 प्रतिशत)	सकल एन.पी.ए. 4.76 प्रतिशत (₹4,004 करोड़); जोखिम पर्यटन/कृषि/लघु व्यवसाय में केंद्रित।	जलवायु एवं मौसमी झटकों के प्रति संवेदनशीलय प्रारंभिक चेतावनी एवं जोखिम निगरानी तंत्र की आवश्यकता।

ख) जिला–विशिष्ट प्रमुख समस्याएँ एवं चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	साक्ष्य
उच्च हिमालयी भू–भाग, सीमित बैंकिंग नेटवर्क एवं दुर्गम पहुंच	लाहौल–स्पीति, किन्नौर	लाहौल–स्पीति में शाखाओं की न्यूनतम संख्या (26) दर्ज; दोनों जिले उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जहाँ भौगोलिक बाधाएँ जैसी संरचनात्मक चुनौतियों हैं।
पर्यटन की मौसमी प्रकृति से नकदी प्रवाह में अस्थिरता	शिमला, कुल्लू (मनाली), कांगड़ा (धर्मशाला)	अध्याय में राज्य की मौसमी पर्यटन–आधारित अर्थव्यवस्था का उल्लेख; 2025 की आपदा से पर्यटन–निर्भर क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव।
बागवानी (सेब अर्थव्यवस्था) पर निर्भरता से जलवायु एवं मूल्य जोखिम	शिमला, कुल्लू, किन्नौर	संरचनात्मक बाधाओं में बागवानी–आधारित ("सेब अर्थव्यवस्था") जिलों का उल्लेख।
उच्च बैंकिंग पहुंच, किंतु उत्पादक ऋण अवशोषण कम	कांगड़ा, शिमला, मंडी, ऊना, सोलन, हमीरपुर	इन जिलों को उच्च बैंकिंग पहुंच वाले क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध; सी.डी. अनुपात सुधार एवं उत्पादक ऋण प्रवाह पर बल।
शहरी/अर्ध–शहरी एम.एस.एम.ई. में प्रलेखन एवं औपचारिकता की कमी	शिमला, सोलन, मंडी	एम.एस.एम.ई. मुख्यतः सूक्ष्म एवं अनौपचारिक; दस्तावेजीकरण की कमी से ऋण पहुंच सीमित। शिमला राज्य का प्रमुख शहरी केंद्र।
क्षेत्र–विशिष्ट अवसंरचना अंतर (मत्स्य /एफ.ए.आई.डी.एफ.)	ऊना	गगरेट (ऊना) में मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र एफ.ए.आई.डी.एफ. के अंतर्गत स्वीकृत।
सामान्य संरचनात्मक	बिलासपुर,	जिला–विशिष्ट चुनौतियाँ पृथक रूप से

चुनौतियाँ (निम्न सी.डी. अनुपात, एम.एस.एम.ई. अनौपचारिकता, वित्तीय साक्षरता अंतर, जलवायु जोखिम)	सिरमौर, चंबा	उल्लेखित नहीं; अतः राज्य–स्तरीय चुनौतियाँ लागू। सी.डी. अनुपात 49.12 प्रतिशत (मानक से कम); वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल अंतर रेखांकित।

4.18 भावी दिशा

आगे की कार्ययोजना के अन्तर्गत बैंकिंग रणनीति का केंद्र उत्पादक ऋण वितरण को सुदृढ़ बनाने के साथ–साथ जोखिम प्रबंधन एवं वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को मजबूत करने पर होना चाहिए। बैंकों को गुणवत्तापूर्ण ऋण मांग का विस्तार करने के लिए, बागवानी मूल्य श्रृंखलाएँ, पर्यटन अवसंरचना वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टरजैसे क्षेत्र–विशेष उन्मुख ऋण मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल ऋण, दूरस्थ के.वाई.सी. तथा मोबाइल बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से प्रौद्योगिकी–सक्षम बैंकिंग दुर्गम क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुँच (लास्ट–माइल एक्सेस) को बेहतर बना सकती है। जलवायु–संवेदनशील वित्तपोषण को सुदृढ़ करना, फसल बीमा का एकीकरण तथा आपदा–आकस्मिक ऋण उत्पादों का विकास परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिम को कम करने में सहायक होगा। सामुदायिक–आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और डिजिटल वित्तीय जागरूकता का विस्तार उत्पादों के उपयोग और ऋण अवशोषण क्षमता में सुधार करेगा। लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के लिए समर्पित ऋण सुविधा, नकदी–प्रवाह आधारित ऋण मॉडल तथा औपचारिककरण सहयोग सूक्ष्म उद्यमों की ऋण पात्रता को विस्तारित करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डेटा–आधारित ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत बनाना तथा क्षेत्र–विशेष जोखिम निगरानी व्यवस्था विकसित करना, परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने के साथ–साथ समावेशी बैंकिंग विकास को समर्थन प्रदान करेगा। सामूहिक रूप से, ये उपाय राज्य में क्रेडिट–डिपॉजिट (सी.डी.) अनुपात में सुधार, सतत ऋण वृद्धि के विस्तार तथा वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

******

अध्याय
5

मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

क्र0 सं0	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी**	वस्तुओं की कीमतों में नरमी, आपूर्ति श्रृंखला के सामान्यीकरण और सख्त मौद्रिक नीति के कारण 2023–2025 के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट आई।
2	**भारत में मुद्रास्फीति में कमी का मजबूत रुझान**	संयुक्त सी.पी.आई. 2022–23 में 6.6 प्रतिशत से घटकर 2024–25 में 4.6 प्रतिशत और 2025–26 में अस्थायी रूप से 1.71 प्रतिशत हो गई विश्व मुद्रा सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) मुद्रास्फीति 2023–24 में नकारात्मक हो गई और कमी बनी रही।
3	**हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति में कमी**	हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2025 से मुद्रास्फीति में तीव्र कमी दर्ज की गई शहरी मुद्रास्फीति अक्टूबर–नवंबर 2025 में लगभग शून्य के करीब पहुंच गई।
4	**क्षेत्रीय स्थिरता का लाभ**	उत्तरी राज्यों की तुलना में, हिमाचल प्रदेश ने एक स्थिर और मध्यम मुद्रास्फीति स्तर बनाए रखा – उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विपरीत, जहां अपस्फीति देखी गई।
5	**मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक**	परिवहन मुद्रास्फीति 6.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, और स्वास्थ्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रहीय आवास और वस्त्र मुद्रास्फीति कम रही।
6	**कीमतों में अस्थिरता में कमी**	2025 में खाद्यान्न की कीमतों में अस्थिरता में उल्लेखनीय कमी आई, मक्के के आटे की मूल्य अस्थिरता 2024 में 8.3 से घटकर 2025 में 1.3 हो गई, जो बेहतर स्थिरता को दर्शाती है।
7	**सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का मजबूत योगदान**	पी.डी.एस. ने दिसंबर 2025 तक राज्य भर में 5,389 खाद्य वितरण केंद्रों (एफ.पी.एस.) के माध्यम से ₹785.60 करोड़ मूल्य की आवश्यक वस्तुओं (जिसमें ₹513.91 करोड़ की सब्सिडी वाली वस्तुएं शामिल हैं) का वितरण किया।
8	**किसानों की खरीद का विस्तार**	प्रत्यक्ष खरीदः 21,126.82 मीट्रिक टन धान, 2,995.95 मीट्रिक टन गेहूं, 217.70 मीट्रिक टन मक्का, जिससे किसानों को सहायता मिली और हिम भोग उत्पादों को बढ़ावा मिला।
9	**जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा**	लाहौल–स्पीति, किन्नौर, पांगी, डोडरा क्वार, भरमौर जैसे बर्फ से ढके और दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और एल.पी.जी. की निर्बाध आपूर्ति की गई, जिससे 2025–26 के दौरान सभी को समान रूप से खाद्य सामग्री और खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हुई।
10	**एच.पी.एस.सी. एस.सी. का संस्थागत सुदृढ़ीकरण**	एच.पी.एस.सी.एस.सी. ने 121 थोक गोदामों, 47 खुदरा दुकानों, 54 गैस एजेंसियों और 42 दवा दुकानों के माध्यम से अपने परिचालन का विस्तार किया, जिससे 2025–26 में ₹2,100 करोड़ का अनुमानित कारोबार हासिल हुआ (जो 2024–25 में ₹1,870.55 करोड़ था)।

5.1 परिचय

यह अध्याय बदलती हुई वैश्विक एवं घरेलू व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मूल्य गतिशीलता और मुद्रास्फीति के रुझानों का एक समग्र आकलन प्रस्तुत करता है, जो विश्लेषणात्मक ढांचे पर आधारित है। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक जैसे विभिन्न मुद्रास्फीति संकेतकों के माध्यम से कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण किया गया है, ताकि खुदरा स्तर पर जीवन–यापन लागत के दबावों और ऊपरी स्तर के मूल्य संकेतों दोनों को समुचित रूप से समझा जा सके। कोविड–19 महामारी के पश्चात सामान्यीकरण, आपूर्ति शृंखला में समायोजन तथा संतुलित मौद्रिक नीति की पृष्ठभूमि में यह अध्याय हिमाचल प्रदेश की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को व्यापक वैश्विक एवं राष्ट्रीय रुझानों के संदर्भ में स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें क्षेत्रवार एवं वस्तुवार मूल्य व्यवहार, मूल्य अस्थिरता के स्वरूप तथा आधार और गति प्रभावों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है, जो मुद्रास्फीति के परिणामों को आकार देने में सहायक होते हैं। अध्याय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया है, जो मूल्य झटकों से कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करती हैं। इस प्रकार, यह अध्याय राज्य में मूल्य स्थिरता, कल्याणकारी हस्तक्षेपों तथा समावेशी आर्थिक प्रबंधन के आपसी संबंध को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है।

5.1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति

चित्र 5.1 फरवरी 2023 से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान प्रमुख वैश्विक आर्थिक समूहों में मुद्रास्फीति में आई स्पष्ट और समन्वित गिरावट को दर्शाता है। प्रारंभिक 2023 में मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर थी, जिसमें यूरोप तथा उभरती हुई बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक स्तर दर्ज किए गए। यह स्थिति ऊर्जा झटकों, आपूर्ति में व्यवधानों तथा महामारी के पश्चात बढ़ी मांग के दबावों को प्रतिबिंबित करती है।

सारणी 5.1

प्रमुख आर्थिक समूहों में त्रैमासिक मुद्रास्फीति रुझान (फरवरी 2023–नवंबर 2025)

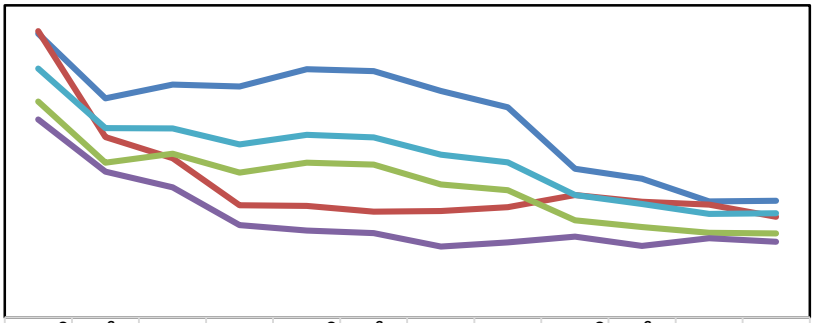

	फ़रवरी –23	मई– 23	अगस्त –23	नवंबर –23	फ़रवरी –24	मई– 24	अगस्त –24	नवंबर –24	फ़रवरी –25	मई– 25	अगस्त –25	नवंबर –25
उभरते बाज़ार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ	9.5	7.4	7.8	7.8	8.3	8.3	7.6	7.1	5.0	4.7	3.9	3.9
यूरोप	9.6	6.1	5.4	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	4.1	3.9	3.8	3.4
जी-20	7.3	5.2	5.5	4.9	5.2	5.1	4.5	4.3	3.3	3.0	2.8	2.8
जी-7	6.7	4.9	4.4	3.1	2.9	2.8	2.4	2.5	2.7	2.4	2.7	2.5
विश्व	8.4	6.4	6.4	5.8	6.1	6.1	5.5	5.2	4.1	3.8	3.5	3.5

स्त्रोतः विश्व आर्थिक अवलोकन आंकड़ो का आधार (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत में बदलाव)

मध्य–2023 से आगे, सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में लगातार कमी देखी जाती है, जिसका प्रमुख कारण सख्त मौद्रिक नीतियाँ, वस्तुओं की कीमतों में नरमी तथा आपूर्ति शृंखलाओं का सामान्यीकरण है। जी–7 अर्थव्यवस्थाओं में अवमुद्रास्फीति की प्रक्रिया सबसे तेज और स्थिर रही, जिसके परिणामस्वरूप 2024–25 तक तुलनात्मक रूप से निम्न मुद्रास्फीति स्तर प्राप्त हो गए। विश्व तथा जी–20 का औसत भी इस गिरावट की प्रवृत्ति का निकटता से अनुसरण करता है, जो वैश्विक स्तर पर व्यापक अभिसरण को दर्शाता है।

यद्यपि उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति बनी रहती है, तथापि 2025 तक इसमें निरंतर गिरावट से व्यापक आर्थिक स्थिरता में सुधार के संकेत मिलते हैं। 2025 के उत्तरार्द्ध तक, सभी समूहों में मुद्रास्फीति स्तर मध्यम और स्थिर दायरे में स्थापित हो जाते हैं, जो संकट–जनित दबावों से हटकर पुनर्स्थापित वैश्विक मूल्य स्थिरता की ओर अग्रसर है।

5.1.2 भारत में मुद्रास्फीति

भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, जिसे विभिन्न मूल्य सूचकांकों के माध्यम से परिलक्षित किया गया है, वर्ष 2019–20 से 2025–26 (अनंतिम) की अवधि के दौरान थोक और उपभोक्ता खंडों के बीच स्पष्ट विचलन को दर्शाती है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) आधारित मुद्रास्फीति 2019–20 और 2020–21 के दौरान सौम्य बनी रही, 2021–22 में वैश्विक वस्तु

मूल्य झटकों के बीच तीव्र रूप से बढ़कर 13.0 प्रतिशत पर पहुँच गई तथा इसके बाद इसमें नरमी आई, यहाँ तक कि 2023–24 में यह नकारात्मक (–0.7 प्रतिशत) हो गई, जो इनपुट लागत में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों का संकेत देती है। इसके विपरीत, उपभोक्ता मुद्रास्फीति लगातार अपेक्षाकृत ऊँचे स्तर पर बनी रही, जहाँ सी.पी.आई.–संयुक्त 2022–23 में 6.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुँचा, जिसके पश्चात क्रमिक रूप से घटते हुए 2024–25 में 4.6 प्रतिशत तथा 2025–26 (अनंतिम) में 1.71 प्रतिशत पर आ गया, जो संतुलित मौद्रिक सख्ती और आपूर्ति–पक्षीय हस्तक्षेपों को परिलक्षित करता है।

सारणी 5.1

विभिन्न मूल्य सूचकांकों के आधार पर भारत में सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

सूचकांक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*(अ)
थोक मूल्य सूचकांक (समस्त भारत)	1.7	1.3	13.0	9.41	-0.7	2.2	0.13
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(ग्रामीण)	4.2	6.0	5.4	6.9	5.6	5.0	1.33
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(शहरी)	5.4	6.4	5.6	6.4	5.1	4.2	2.16
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(संयुक्त)	4.8	6.2	5.5	6.6	5.4	4.6	1.71
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(औद्योगिक श्रमिक)	7.7	4.9	5.1	5.2	6.1	3.3	2.8
उपभोक्ता मूल्य खाद्य सूचकांक	6.7	7.7	3.7	6.6	7.5	7.3	-1.6

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग संवर्धन विभाग और डल्यू.पी.आई. के लिए आंतरिक व्यापार (डी.पी.आई.आई.टी.) उपभोक्ता मूल्य संयुक्त शहरी व ग्रामीण के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो, 2020–21 के आगे उपभोक्ता मुल्य सूचकांक नईश्रृंखला 2016= 100पर आधारित है।
*अप्रैल से दिसम्बर तक 2025–26 (अ) अस्थिर

अधिकांश वर्षों में ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से लगातार अधिक रही, जो ग्रामीण उपभोग में खाद्य और ईंधन के प्रति अधिक संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। सी.पी.आई–आई.डब्ल्यू. मुद्रास्फीति में सापेक्ष अस्थिरता देखी गई, जो 2024–25 में घटकर 3. 3 प्रतिशत हो गई, जिससे औद्योगिक श्रमिकों को कुछ राहत मिलने का संकेत मिलता है। विशेष रूप से, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में तीव्र उतार–चढ़ाव देखा गया, आपूर्ति में व्यवधान के दौरान यह उच्च बना रहा लेकिन 2025–26 (पी) में नकारात्मक (–1.6 प्रतिशत) हो गया, जो खाद्य कीमतों में महत्वपूर्ण कमी का संकेत देता है। कुल मिलाकर, आंकड़े हाल के वर्षों में व्यापक मुद्रास्फीति–विरोधी प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, जिसमें बेहतर मूल्य स्थिरता के बीच उपभोक्ता मुद्रास्फीति मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब पहुंच रही है।

5.1.3 हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति के रुझान

वर्ष 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति की स्थिति वर्ष की पहली छमाही में ऊँचे मूल्य दबावों से वर्ष के अंत तक व्यापक स्तर पर नरमी की ओर स्पष्ट परिवर्तन को

दर्शाती है। सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.) ग्रामीण एवं शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में लगातार अधिक बना रहा, जो औद्योगिक श्रमिक परिवारों पर अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीतिक दबाव को इंगित करता है। ग्रामीण मुद्रास्फीति सामान्यतः शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रही, जो क्षेत्रों के बीच उपभोग के भिन्न पैटर्न तथा मूल्य संचरण में अंतर को परिलक्षित करती है।

चित्र 5.2

वर्ष 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सी.पी.आई. मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ (वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति)

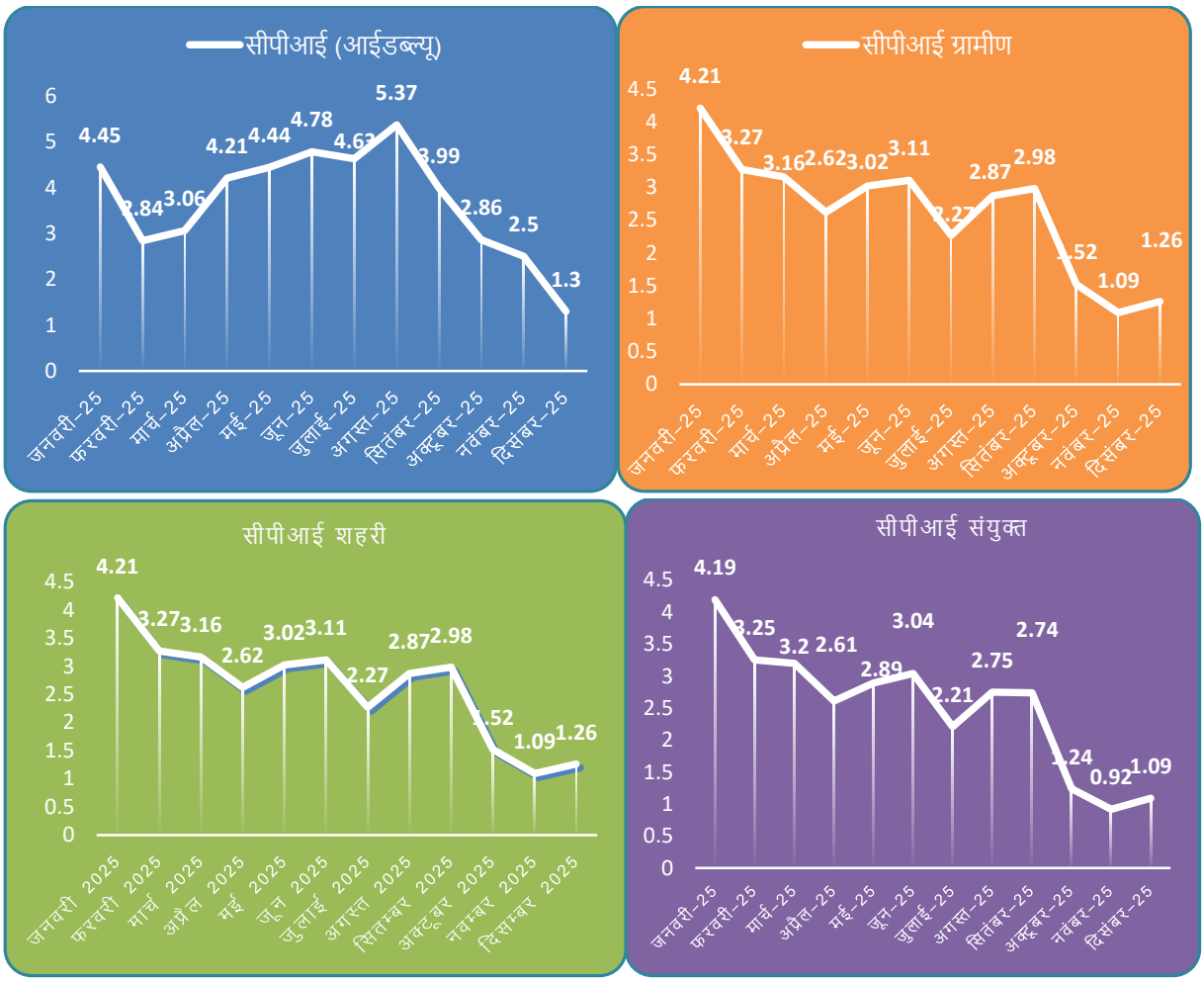

स्त्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.)सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

सितंबर से आगे, सभी सी.पी.आई. खंडों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। शहरी मुद्रास्फीति में तीव्र नरमी आई और यह अक्टूबर से नवंबर के दौरान लगभग शून्य स्तर के निकट पहुँच गई, जबकि सी.पी.आई.–संयुक्त में निरंतर गिरावट दर्ज की गई और यह दिसंबर तक घटकर लगभग 1 प्रतिशत रह गई। यह समन्वित नरमी बेहतर आपूर्ति परिस्थितियों तथा प्रमुख मूल्य निर्धारक कारकों में संयम को दर्शाती है।

समग्र रूप से, आँकड़े ग्रामीण–शहरी अंतर के सिमटने के साथ ठंडी पड़ती मुद्रास्फीति प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जो 2025 के अंत तक हिमाचल प्रदेश में अधिक स्थिर मूल्य वातावरण की ओर संकेत करता है।

बाक्स 5.1

मुद्रास्फीति के उतार–चढाव को मापने के लिए उपकरण के रूप में विभिन्न सूचकांकों का उल्लेख किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। सी.पी.आई. (सी, आर, यू) संयुक्त, ग्रामीण, शहरी को भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है, (सी. पी.आई–आई.डब्ल्यू.) औद्योगिक श्रमिक, (सी.पी.आई–ए.एल) कृषि मजदूर (सी.पी. आई–आर.एल) ग्रामीण मजदूरों को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण (सी.पी.आई.–आर.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–शहरी (सी.पी.आई.–यू.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिक (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–कृषि मजदूर (सी.पी.आई.–ए.एल.)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–ग्रामीण मजदूर (सी.पी.आई.–आर.एल.)

5.1.4 उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) मुद्रास्फीति

चित्र 5.3 सात उत्तरी राज्यों तथा अखिल भारतीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) आधारित मुद्रास्फीति को प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय तथा मौसमी मुद्रास्फीति की गतिशीलता की समझ को सुदृढ़ करना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) के माध्यम से मापी गई मुद्रास्फीति भारतीय राज्यों में मूल्य स्थिरता और आर्थिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक बनी हुई है। इसकी मौसमी एवं क्षेत्रीय प्रवृत्तियों की समझ प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

K का मतलब विश्लेषण मौसमी मुद्रास्फीति व्यवस्थाओं तथा राज्य–स्तरीय समानताओं की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्तरी भारत में समयगत एवं स्थानिक मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों का अधिक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है।

चित्र 5.3

उत्तरी राज्यों एवं भारत के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) मुद्रास्फीति की तुलनात्मक स्थिति (2025)

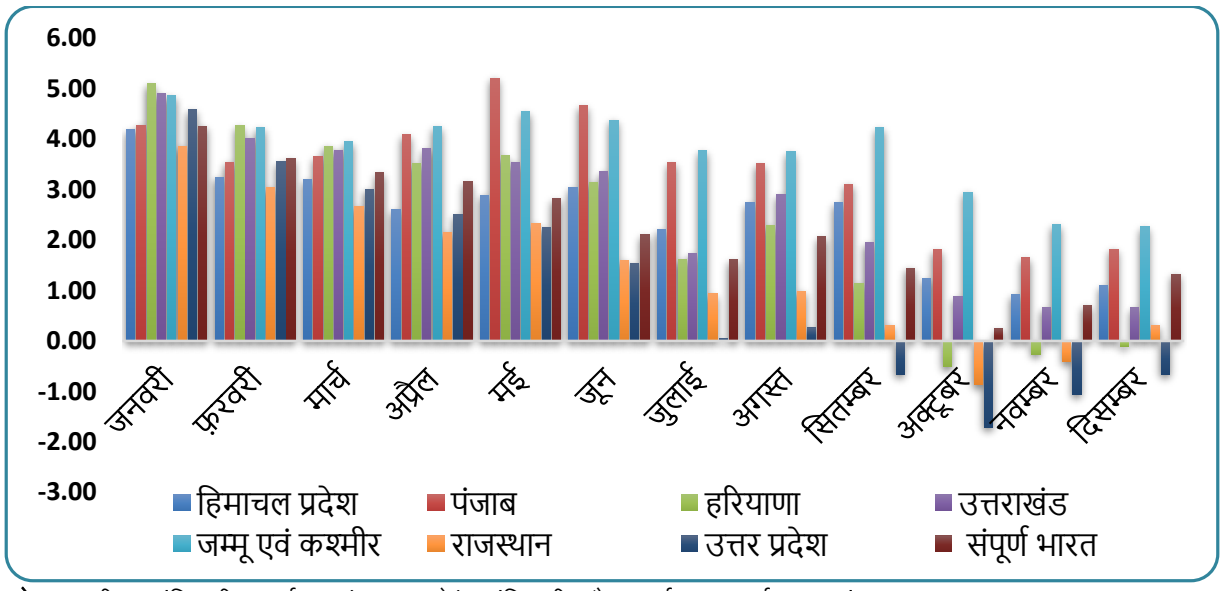

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,भारत सरकार

K का मतलब क्लस्टरिंग को पृथक रूप से निम्नलिखित पर लागू किया गया

1. **महीनों पर** (मौसमी मुद्रास्फीति व्यवस्थाओं की पहचान हेतु)
2. **राज्यों पर** (समान वार्षिक सी.पी.आई. व्यवहार वाले क्षेत्रों को समूहित करने हेतु)

एल्बो बिंदु $K = 3$ पर परिलक्षित हुआ, जो तीन सार्थक क्लस्टरों का संकेत देता है।

(क) महीनों का क्लस्टरिंग

महीनों को राज्यों के बीच उनके सी.पी.आई. प्रोफाइल के आधार पर तीन क्लस्टरों में समूहित किया गया

माहवार सी.पी.आई. आँकड़े तीन स्पष्ट मौसमी मुद्रास्फीति व्यवस्थाओं को प्रकट करते हैं। वर्ष की शुरुआत उछाल के साथ होती है। जनवरी में राज्यों में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की जाती है, जहाँ हरियाणा 5.10 प्रतिशत, उत्तराखंड 4.90 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय औसत 4.26 प्रतिशत रहता है। फरवरी और मार्च में यह प्रवृत्ति बनी रहती है, जो कटाई–पश्चात सुदृढ़ मांग तथा शीतकालीन लॉजिस्टिक दबावों को दर्शाती है।

अप्रैल और मई तक मुद्रास्फीति में नरमी आरंभ हो जाती है, हालांकि मई में पंजाब 5.21 प्रतिशत के शिखर पर पहुँचता है, जो क्षेत्र–विशिष्ट मूल्य वृद्धि का संकेत देता है। जून से अगस्त परिवर्तन कालीन चरण को चिह्नित करते हैं, जिसमें दरों में शिथिलता देखी जाती है। जून में अखिल भारतीय सी.पी.आई. घटकर 2.10 प्रतिशत और अगस्त में 2.07 प्रतिशत रह जाता है।

सबसे तीव्र शीतलन सितंबर से नवंबर के बीच देखा जाता है। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश (–)1.71 प्रतिशत तक गिरता है, राजस्थान (–)0.87 प्रतिशत पर पहुँचता है, तथा राष्ट्रीय औसत 0.25 प्रतिशत के निम्नतम स्तर को स्पर्श करता है। दिसंबर में हल्की पुनर्बहाली होती है, जहाँ अखिल भारतीय सी.पी.आई. बढ़कर 1.33 प्रतिशत हो जाता है।

ये परिवर्तन एक स्पष्ट मौसमी चक्र को रेखांकित करते हैं। वर्षारंभ में मुद्रास्फीति की तीव्रता, मध्य–वर्ष में संतुलन, तथा वर्ष के अंत में कई राज्यों में अपस्फीति की स्थिति, जो चक्रीय मांग–आपूर्ति गतिशीलता एवं क्षेत्रीय उपभोग पैटर्न से प्रेरित है।

(ख) राज्यों का क्लस्टरिंग

राज्यों को उनके 12–माह के सी.पी.आई. रुझानों के आधार पर क्लस्टरों में बांटा गया है।

सी.पी.आई.–आधारित राज्य क्लस्टरिंग उत्तरी भारत में तीन विशिष्ट मुद्रास्फीति प्रोफाइल को प्रकट करती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर प्रारंभिक महीनों में लगातार उच्च मुद्रास्फीति दर्शाते हैं। सी.पी.आई. दरें क्रमशः 4.19 प्रतिशत, 4.28 प्रतिशत और 4.87 प्रतिशत रहती हैं, जहाँ पंजाब मई में 5.21 प्रतिशत के शिखर पर पहुँचता है तथा जम्मू एवं कश्मीर वर्ष भर ऊँचे स्तर पर बना रहता है और वर्ष में 2.26 प्रतिशत पर समाप्त होता है।

उत्तराखंड और हरियाणा संतुलित मुद्रास्फीति प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जो जनवरी में क्रमशः 4.90 प्रतिशत और 5.10 प्रतिशत से प्रारंभ होकर दिसंबर तक सुगमता से घटकर 0.74 प्रतिशत और (–)0.10 प्रतिशत पर पहुँच जाती है, जो स्थिर मूल्य गतिशीलता का संकेत है।

इसके विपरीत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश वर्ष के अंतिम चरण में तीव्र अपस्फीति का अनुभव करते हैं। उत्तर प्रदेश जनवरी में 4.59 प्रतिशत से गिरकर अक्टूबर में (–)1.71 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, जबकि राजस्थान 3.86 प्रतिशत से घटकर (–)0.87 प्रतिशत पर आ जाता है, जो तीव्र मौसमी शीतलन को दर्शाता है।

ये प्रवृत्तियाँ क्षेत्रीय मुद्रास्फीति व्यवहार में विविधता को रेखांकित करती हैं। कुछ राज्य निरंतर मूल्य दबावों से जूझ रहे हैं, जबकि अन्य अपस्फीति की स्थिति में पहुँच रहे हैं, जिससे लक्षित एवं राज्य–विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

समग्र तुलनात्मक अंतर्दृष्टि

- हिमाचल प्रदेश एक सुदृढ़ एवं स्थिर मुद्रास्फीति प्रोफाइल प्रदर्शित करता है, जो सदैव सकारात्मक, मध्यम स्तर की तथा उच्च दबाव वाले राज्यों (पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर) और अपस्फीति–प्रवण राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान) की तुलना में कम अस्थिर है।
- इससे हिमाचल की स्थिति एक मध्य मार्ग के रूप में स्थापित होती है यह न तो पंजाब/जम्मू एवं कश्मीर की भाँति निरंतर उच्च है, और न ही तीव्र मौसमी उतार–चढ़ाव वाले राज्यों की तरह अस्थिर।
- हिमाचल की मुद्रास्फीति प्रबंधन व्यवस्था संरचनात्मक स्थिरता को परिलक्षित करती है, तथापि पड़ोसी राज्यों में अधिक तीव्र मुद्रास्फीति अथवा अपस्फीति चक्रों से संभावित प्रभावों को रोकने हेतु सतर्कता आवश्यक है।

5.1.5 प्रमुख सी.पी.आई.–सी घटकों के अंतर्गत तिमाही वार मुद्रास्फीति का विकास

वर्ष 2025 में क्षेत्रवार मुद्रास्फीति का तिमाही विश्लेषण (चित्र 5.4) वर्ष भर मूल्य दबावों में स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है। प्रथम तिमाही में विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर रही, जहाँ आवास एवं परिवहन में मध्यम वृद्धि देखी गई, वस्त्र एवं जूते–चप्पल में मुद्रास्फीति

में कमी आई, तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च स्तर की मुद्रास्फीति बनी रही। द्वितीय तिमाही में परिवहन एवं संचार क्षेत्र की मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई, जो समग्र मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रेरक कारक बनकर उभरी, जबकि आवास में क्रमिक वृद्धि जारी रही और वस्त्र क्षेत्र की मुद्रास्फीति और नरम हुई।

तृतीय तिमाही के दौरान परिवहन क्षेत्र की मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई, परंतु वह उच्च स्तर पर बनी रही आवास मुद्रास्फीति अपने शिखर पर पहुँचकर शिथिल होने लगीय तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की मुद्रास्फीति पुनः सुदृढ़ हुई, जो अंतर्निहित लागत दबावों को प्रतिबिंबित करती है। अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति जनित दबावों में स्थिरीकरण के संकेत मिले, जहाँ आवास और वस्त्र की मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर बनी रही, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवहन क्षेत्र की मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत ऊँची रही, जिससे वर्ष भर समग्र मुद्रास्फीति की गतिशीलता में उनकी निरंतर भूमिका परिलक्षित है।

तिमाही वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति मुख्यतः परिवहन एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों द्वारा प्रेरित रही, जबकि आवास क्षेत्र में नियंत्रित उतार–चढ़ाव देखा गया और वस्त्रों के मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहे। परिवहन–संबंधी मुद्रास्फीति की निरंतरता लागत–प्रेरित (कॉस्ट–पुश) कारकों की भूमिका को रेखांकित करती है, जबकि वस्त्र क्षेत्र में निम्न मुद्रास्फीति अनुकूल आपूर्ति परिस्थितियों को दर्शाती है।

चित्र 5.4

प्रमुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.सी) घटकों में तिमाही वार मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

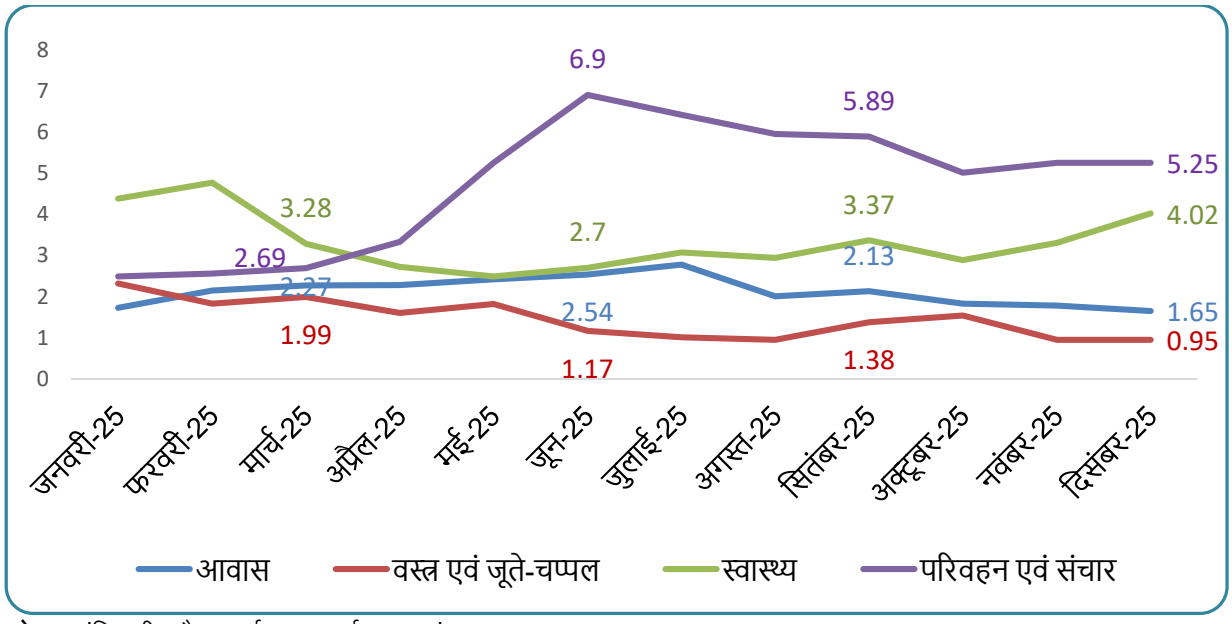

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

5.1.6 मुद्रास्फीति की विविध गतिशीलता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक (2015–16 से 2024–25)

चित्र 5.5 वर्ष 2015–16 से 2024–25 की अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त (सी.पी.आई.–सी), औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी.पी.आई. आई. डब्ल्यू. तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के आधार पर मापी गई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस अवधि में सी.पी.आई.–सी मध्यम दायरे में बना रहा, जो 2015–16 में 4.35 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 5.0 प्रतिशत तक पहुँचा और तत्पश्चात 2024–25 में घटकर 4.1 प्रतिशत पर आ गया। इसी प्रकार की प्रवृत्ति सी.पी.आई. आई.डब्ल्यू. में भी देखी गई, जो 2015–16 में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020–21 में 5.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुँचा और इसके बाद घटकर 2024–25 में 2.7 प्रतिशत रह गया।

इसके विपरीत, डब्ल्यू.पी.आई. में उल्लेखनीय अस्थिरता देखी गई, जो 2015–16 में (–)3.68 प्रतिशत के अपस्फीतिजनक स्तर से बढ़कर 2021–22 में 12.97 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँचा और इसके बाद 2024–25 में घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गया।

उपभोक्ता तथा थोक मूल्य सूचकांकों की विपरीत प्रवृत्तियाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में विद्यमान भिन्न–भिन्न मुद्रास्फीतिजन्य दबावों को रेखांकित करती हैं तथा मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के समग्र आकलन हेतु बहु–सूचकांक दृष्टिकोण के महत्व को स्पष्ट करती हैं।

चित्र 5.5

मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–संयुक्त) एवं सी.पी.आई. आई.डब्ल्यू. हिमाचल प्रदेश तथा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) (2015–16 से 2024–25)

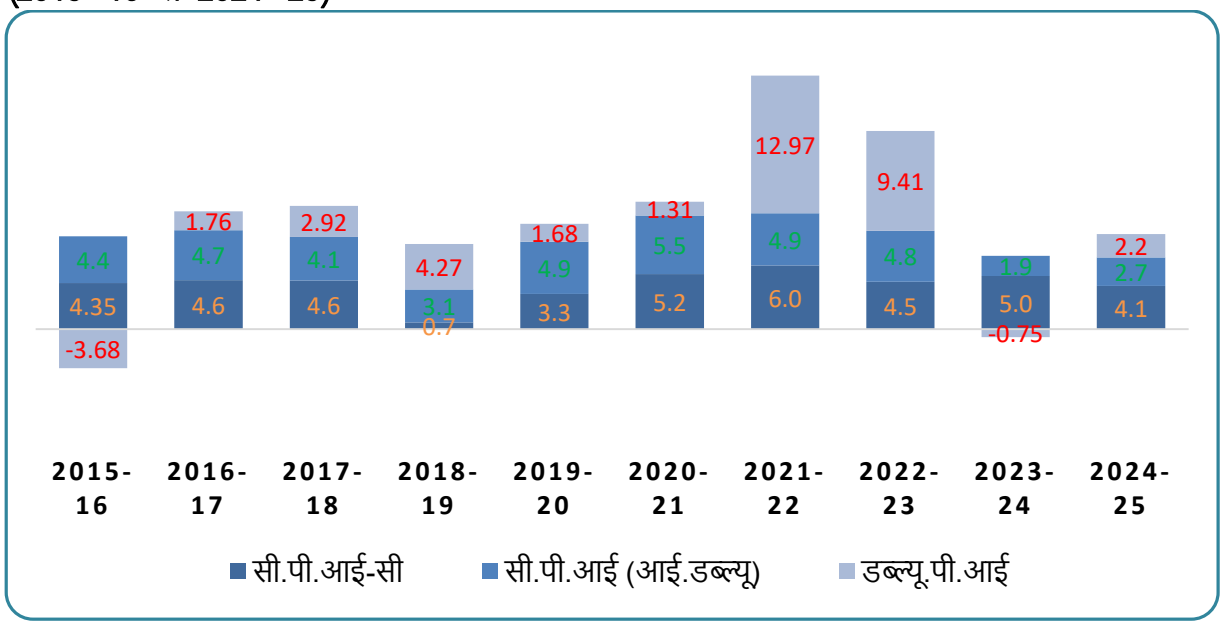

स्रोत: सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू. हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार डब्ल्यू.पी.आई. हेतु आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा सी.पी.आई. (संयुक्त) हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

मुद्रास्फीति संकेतकों का सहसंबंध विश्लेषण सी.पी.आई. (आई.डब्ल्यू.), सी.पी.आई.–सी (हिमाचल प्रदेश) एवं डब्ल्यू.पी.आई. (अखिल भारतीय) परिप्रेक्ष्य

सहसंबंध मैट्रिक्स हिमाचल प्रदेश के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त (सी.पी.आई.–सी) तथा औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) के बीच संबंध, तथा अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के साथ उनके पारस्परिक संबंध को प्रस्तुत करता है।

चित्र 5.6

सहसंबंध विश्लेषण सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू., सी.पी.आई.–सी (हिमाचल प्रदेश) एवं डब्ल्यू.पी.आई. (अखिल भारतीय)

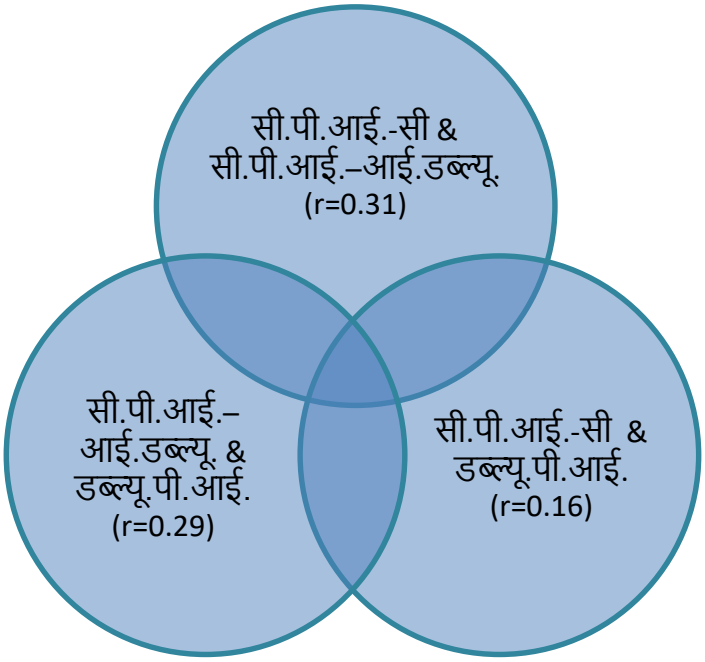

- **सी.पी.आई.–सी (हिमाचल प्रदेश) और सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू. (हिमाचल प्रदेश) (r = 0.31)**
  सकारात्मक किंतु मध्यम स्तर का सहसंबंध यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति सामान्यतः राज्य के औद्योगिक श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति के अनुरूप चलती है। तथापि, इस संबंध की तीव्रता यह संकेत देती है कि उपभोग पैटर्न, क्षेत्रवार रोजगार संरचना तथा मद–वार भारों में अंतर के कारण राज्य के विभिन्न जनसमूहों के बीच मुद्रास्फीति की गतिशीलता में भिन्नता उत्पन्न होती है।

- **सी.पी.आई.–सी (हिमाचल प्रदेश) और अखिल भारतीय डब्ल्यू.पी.आई. (r = 0.16)**
  कमजोर सकारात्मक सहसंबंध यह इंगित करता है कि अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का हिमाचल प्रदेश की उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर

सीमित प्रभाव पड़ता है। यह सीमित प्रसारण परिवहन लागत, स्थानीय आपूर्ति परिस्थितियाँ, राज्य–स्तरीय कर तथा प्रशासित मूल्यों जैसे क्षेत्रीय कारकों को प्रतिबिंबित करता है, जो राष्ट्रीय थोक मूल्यों और राज्य–स्तरीय खुदरा मूल्यों के बीच विचलन उत्पन्न करते हैं।

- **सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू. (हिमाचल प्रदेश) और अखिल भारतीय डब्ल्यू.पी.आई. ($r = 0.29$)**
  मध्यम किंतु अपेक्षाकृत निम्न सहसंबंध यह संकेत देता है कि अखिल भारतीय थोक मूल्यों में परिवर्तन आंशिक रूप से हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक श्रमिकों की जीवन–यापन लागत को प्रभावित करता है। इस संबंध की सीमित तीव्रता राज्य–विशिष्ट औद्योगिक संरचना तथा स्थानीय बाजार परिस्थितियों की भूमिका को रेखांकित करती है, जो श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति परिणामों को आकार देती हैं।

समग्र व्याख्या

समग्र रूप से, परिणाम संकेत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति की गतिशीलता अखिल भारतीय थोक मूल्य प्रवृत्तियों की अपेक्षा राज्य–स्तरीय सी.पी.आई. सूचकांकों के बीच अधिक सुसंगत है। डब्ल्यू.पी.आई. के साथ अपेक्षाकृत कमजोर संबंध यह रेखांकित करता है कि राज्य में उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर क्षेत्रीय कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो इस आवश्यकता को सुदृढ़ करता है।

5.1.7 मासिक थोक मूल्य सूचकांक

चित्र 5.7 मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) मुद्रास्फीति में होने वाले परिवर्तनों को दो प्रमुख घटकों, आधार प्रभाव और गति प्रभाव विभाजित करता है तथा वर्ष भर वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति में परिवर्तन पर उनके संयुक्त प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि मुद्रास्फीति की चाल पूर्ववर्ती मूल्य स्तरों से प्रेरित है या वर्तमान मूल्य दबावों से प्रथम तिमाही में वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति में परिवर्तन हल्का नकारात्मक बना रहता है, क्योंकि अनुकूल आधार प्रभाव कमजोर नकारात्मक गति प्रभाव को संतुलित कर देता है। अप्रैल से जून के बीच वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट देखी जाती है, जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण होती है, जहाँ पिछले वर्ष के उच्च मूल्य वर्तमान मुद्रास्फीति दरों को दबा देते हैं।

जुलाई और अगस्त में स्पष्ट पलटाव दिखाई देता है। सुदृढ़ होती सकारात्मक गति, तथा सुधरते आधार प्रभाव के साथ मिलकर वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि करती है, जो अगस्त में चरम पर पहुँचती है और अल्पकालिक मूल्य दबावों के संचय का संकेत देती है।

चित्र 5.7

डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति की गतिशीलता आधार प्रभाव, गति प्रभाव एवं वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति में मासिक परिवर्तन (2025)

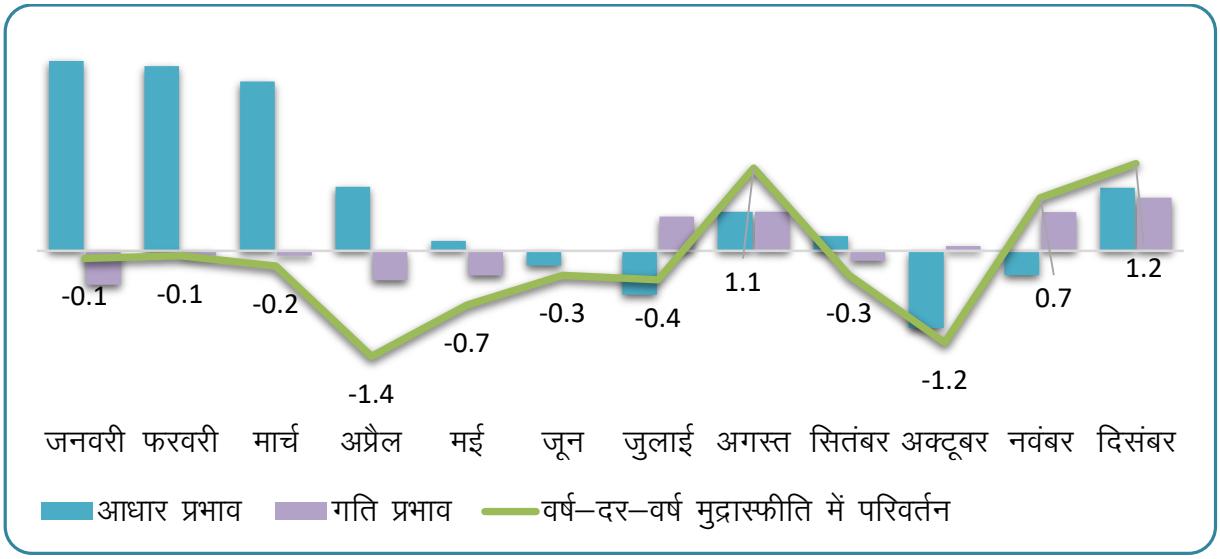

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार।

सितंबर और अक्टूबर में गति प्रभाव मंद पड़ जाता है तथा आधार प्रभाव पुनः प्रतिकूल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति में पुनः गिरावट आती है, और अक्टूबर में सर्वाधिक तीव्र संकुचन दर्ज किया जाता है। अंतिम तिमाही में पुनरुद्धार के संकेत मिलते हैं, जहाँ अनुकूल आधार प्रभाव तथा पुनः सुदृढ़ होती गति के कारण नवंबर और दिसंबर में मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

समग्र रूप से, यह दर्शाता है कि डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति की व्यापक दिशा मुख्यतः आधार प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है, जबकि गति प्रभाव अल्पकालिक उतार–चढ़ाव को आकार देता है यह दोनों मिलकर मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों में देखी गई अस्थिरता की व्याख्या करते हैं।

5.1.7.1 वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए थोक मूल्य परिवर्तन गुणांक

विशेष रूप से चित्र 5.8 और चित्र 5.9, क्रमशः वसा युक्त अनाज (फैट ग्रेन्स) तथा दालों के मूल्यों के परिवर्तन गुणांक का दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरण हैं। ये उल्लेखित वस्तुओं के थोक मूल्यों में अस्थिरता की प्रवृत्तियों को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तन गुणांक का उपयोग वर्ष 2024 (अप्रैल से दिसंबर) और 2025 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान वसा युक्त अनाज के थोक मूल्यों की अस्थिरता के विश्लेषण हेतु किया गया है।

समग्र रूप से, परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश वस्तुओं के लिए 2025 में 2024 की तुलना में मूल्य परिवर्तनशीलता में व्यापक गिरावट आई है, जो मूल्य स्थिरता में सुधार का संकेत देती है। अस्थिरता में सर्वाधिक स्पष्ट कमी मक्का आटा (कॉर्न फ्लोर) में देखी गई, जहाँ परिवर्तन गुणांक 2024 में 8.3 से घटकर 2025 में 1.3 हो गया, जो मूल्य उतार–चढ़ाव

में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है। इसी प्रकार, गेहूँ आटा तथा मक्का में भी परिवर्तन गुणांक में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो औसत मूल्यों के आसपास कम विचलन तथा अधिक स्थिर मूल्य परिवेश को इंगित करती है।

चित्र 5.8

चयनित खाद्यान्नों में मूल्य अस्थिरता में वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन गुणांक (2024––2025) का तुलनात्मक विश्लेषण

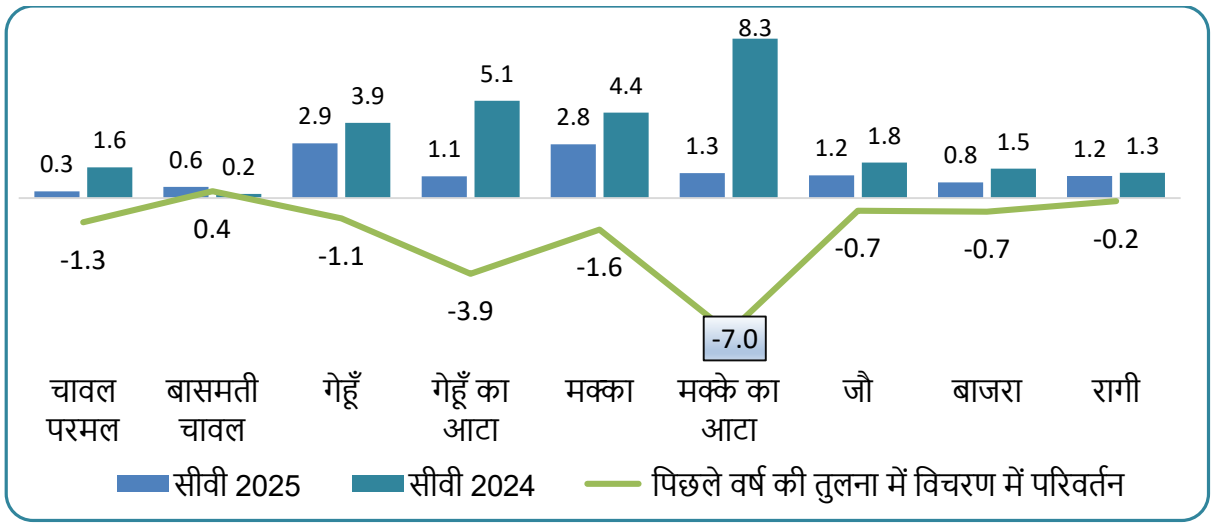

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।

अधिकांश वस्तुओं में परिवर्तनशीलता में कमी दर्शाने वाले नकारात्मक मान इस निष्कर्ष को सुदृढ़ करते हैं कि वर्ष 2025 में सामान्यतः मूल्य अस्थिरता में कमी आई है, जो संभावित रूप से आपूर्ति परिस्थितियों में सुधार, प्रभावी बाजार हस्तक्षेप अथवा निवेश लागतों के स्थिरीकरण को प्रतिबिंबित करती है। समग्र रूप से, यह विश्लेषण प्रमुख खाद्यान्नों में मूल्य स्थिरता के सुदृढ़ीकरण को रेखांकित करता है, जो मुद्रास्फीति प्रबंधन तथा खाद्य सुरक्षा, दोनों दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.1.7.2 दालों की मूल्य अस्थिरता

चित्र 5.9 वर्ष 2024 और 2025 के लिए चयनित दालों के परिवर्तन गुणांक (सी.वी.) की तुलना करता है, जो मूल्य अस्थिरता में वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन को उजागर करता है। समग्र रूप से, 2025 में मूल्य परिवर्तनशीलता में कमी देखी गई है, यद्यपि विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तन की तीव्रता भिन्न–भिन्न है।

चना दाल एवं चने में अस्थिरता में तीव्र गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो मूल्य स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार का संकेत देती है। राजमा, मलका, उड़द, मूंग तथा मसूर दाल में केवल सीमांत परिवर्तन दर्ज किए गए हैं, जो व्यापक रूप से स्थिर मूल्य व्यवहार को दर्शाते हैं।

इसके विपरीत, काबुली चना, अरहर दाल तथा कुल्थ में परिवर्तन गुणांक में वृद्धि देखी गई है, जो मूल्य उतार–चढ़ाव में वृद्धि तथा उभरते अस्थिरता दबावों की ओर संकेत करती है।

चित्र 5.9

दालों में मूल्य अस्थिरता की वर्ष–दर–वर्ष गतिशीलता परिवर्तन गुणांक विश्लेषण (2024–2025)

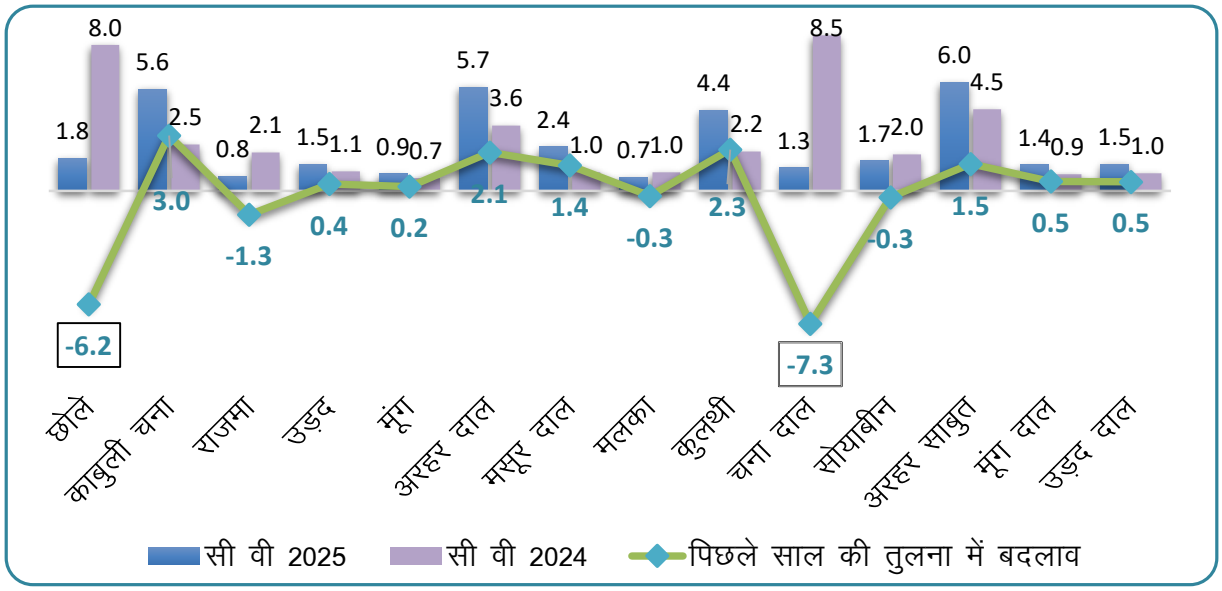

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

अधिकांश दालों के लिए परिवर्तनशीलता में कमी दर्शाने वाले नकारात्मक मान इस निष्कर्ष को सुदृढ़ करते हैं कि वर्ष 2025 में सामान्यतः मूल्य अस्थिरता में नरमी आई है, जो संभावित रूप से आपूर्ति परिस्थितियों में सुधार, बेहतर भंडार उपलब्धता अथवा स्थिरकारी बाजार हस्तक्षेपों के कारण हो सकती है। तथापि, कुछ वस्तुओं में परिवर्तन गुणांक (सी.वी.) में वृद्धि यह संकेत देती है कि दालों की विभिन्न किस्मों के बीच अस्थिरता समान नहीं है, जिससे वस्तु–विशिष्ट निगरानी की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

5.1.8 साप्ताहिक खुदरा मूल्य

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन कार्यरत जिला सांख्यिकी कार्यालयों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आँकड़ों के व्यवस्थित संकलन एवं विश्लेषण का दायित्व सौंपा गया है। चयनित विक्रय केंद्रों से प्रत्येक शुक्रवार को खुदरा मूल्य संकलित किए जाते हैं तथा विधिवत सत्यापन के उपरांत उन्हें आधिकारिक पोर्टल www.weeklyprices.hp.gov.in पर अपलोड किया जाता है। पूर्ववर्ती सप्ताह के मूल्य परिवर्तनों को रेखांकित करने वाली समेकित साप्ताहिक रिपोर्ट तत्पश्चात खाद्य, नागरिक

आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निगरानी एवं नीतिगत समीक्षा हेतु प्रेषित की जाती है।

5.1.8.1 आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता

परिवर्तन गुणांक (सी.वी.) का उपयोग सापेक्ष मूल्य अस्थिरता के माप के रूप में किया गया है। वस्तुओं को सी.वी. मानों के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है निम्न अस्थिरता (सी.वी.< 2), मध्यम अस्थिरता (सी.वी. = 2-10), तथा उच्च अस्थिरता (सी.वी.> 10)।

चित्र 5.10

16 आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता के अंतःकालिक परिवर्तन 2024 बनाम 2025

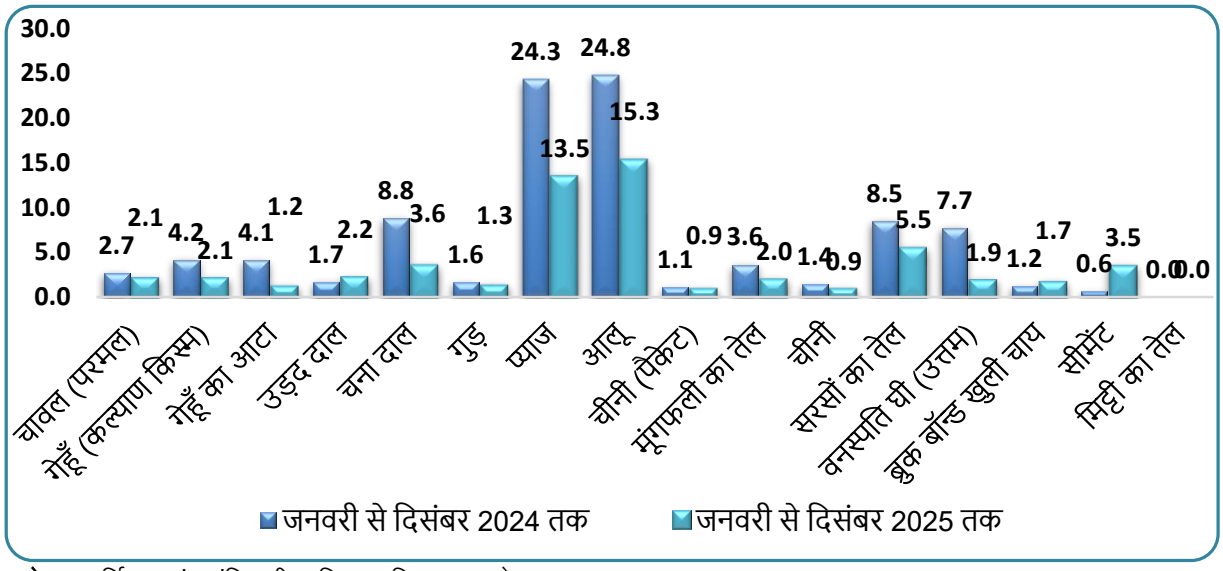

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवर्तन गुणांक के तुलनात्मक विश्लेषण (चित्र 5.10) से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में मूल्य अस्थिरता में व्यापक स्तर पर नरमी आई है। अनाज, दालें, खाद्य तेल एवं मिठासकारक वस्तुओं में सी.वी. मानों में गिरावट आपूर्ति–पक्ष प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण, बेहतर बफर भंडारण तथा अधिक सुव्यवस्थित बाजार आवक को दर्शाती है।

प्याज और आलू की अस्थिरता में तीव्र कमी, यद्यपि अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है, बाजार हस्तक्षेपों जैसे बेहतर लॉजिस्टिक्स एवं क्रय उपायों की आंशिक सफलता को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, उनका उच्च अस्थिरता श्रेणी में बना रहना शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति झटकों के प्रति निरंतर संवेदनशीलता को रेखांकित करता है, जिससे वे अल्पकालिक मुद्रास्फीति उछाल के प्रमुख कारक बने रहते हैं।

वर्ष 2025 में सीमेंट का मध्यम अस्थिरता समूह में सम्मिलित होना लागत–प्रेरित दबावों का संकेत देता है, जो संभवतः उच्च निवेश लागत एवं परिवहन व्यय से उत्पन्न हुए हैं। वहीं, मिट्टी का तेल एवं चीनी जैसी वस्तुएँ अत्यधिक स्थिर बनी हुई हैं, जो प्रशासित मूल्य निर्धारण तथा नियामकीय निगरानी को दर्शाती हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार

- 2025 में खाद्यान्न, दालों, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार–चढ़ाव में उल्लेखनीय कमी आई है।
- प्याज और आलू की कीमतों में उतार–चढ़ाव में कमी आई है, हालांकि इनकी शीघ्र खराब होने की प्रकृति के कारण अभी भी यह अधिक है।
- हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति का स्तर स्थिर, मध्यम और लचीला बना हुआ है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम अस्थिर है।

2. संस्थागत खाद्य प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अन्तर्गत खरीद और वितरणः ₹785.60 करोड़ (दिसंबर 2025–26 तक)।
- वितरित सब्सिडी वाली वस्तुएँः ₹513.91 करोड़।
- बजट प्रावधान
  - ₹50 करोड़ (पी.डी.एस. चीनी)
  - ₹165 करोड़ (दालें, नमक और तेल)

3. एच.पी.एस.सी.एस.सी. परिचालन विस्तार

- 121 थोक गोदाम
- 47 खुदरा दुकानें
- 54 गैस एजेंसियां
- 42 दवा दुकानें
- 4 पेट्रोल पंप
- अनुमानित कारोबार 2025–26: ₹2,100 करोड़ (2024–25 में ₹1870.55 करोड़ से अधिक)

4. किसानों से सीधी खरीद

मौसमी	वस्तु	मात्रा
खरीफ	धान	21,126.82 मीट्रिक टन
रबी	गेहूं	2,995.95 मीट्रिक टन
प्राकृतिक खेती से उगाया गया	मक्का	217.70 मीट्रिक टन

"हिम भोग" ब्रांडेड मक्का और आटे के उत्पादों का शुभारंभ।

5. मध्याह्न भोजन सहायता

- 8,599.65 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई।

6. जनजातीय कार्य योजना सहायता

- निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की गई:
  - लाहौल–स्पीति
  - किन्नौर
  - पांगी (चंबा)
  - डोडरा क्वार (शिमला)
  - भरमौर
  - कुल्लू और सिरमौर के दूरस्थ क्षेत्र

5.1 हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5.2.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार की रणनीति के प्रमुख घटकों में से एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) है, जो 5,389 उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूँ, गेहूँ का आटा, चावल, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए कुल परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

(i) अंत्योदय अन्न योजना

(ii) प्राथमिकता परिवार

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से इतर (गरीबी रेखा से ऊपर)

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यापक पहुँच है, जिसे निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है

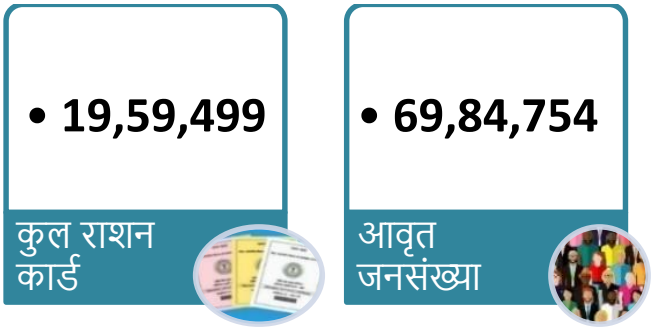

वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण सारणी 5.3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 5.3

स्वामित्व के प्रकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संख्या

क्र.सं.	स्वामित्व के प्रकार	इकाई
1	सहकारी समितियाँ	3,395
2	पंचायतों	31
3	एच.पी.एस.सी.एस.सी.	47
4	व्यक्तियों	1,852
5	स्वयं सहायता समूह	26
6	महिला मंडल	38
	कुल	5,389

सारणी 5.4

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का वितरण दिसंबर, 2024 तक (बैकलॉग्स सहित)
1.	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,23,735
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	56,646
3.	गेहूँ/ आटा (बी.पी.एल.)/(पी.एच.एच.)/ए.ए.वाई/एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	1,03,317
4.	चावल (बी.पी.एल.)/(पी.एच.एच.)/ए.ए.वाई/ एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	77,529
5.	चीनी	मी. टन	25,527
6.	दालें	मी. टन	24,182
7.	आयोडीन नमक	मी. टन	6,518
8.	सरसों का तेल	कि. लीटर	19,615

स्रोतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्तमान में, टी.पी.डी.एस. और हिमाचल प्रदेश राज्यद्वाराविशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है जो सारणी 5.5 के अनुसार है:

सारणी 5.5

राज्य विशेष रूप से अनुदानित योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)

वस्तुओं की मात्रा का वितरण व रेट प्रति राशन कार्ड/प्रति परिवार /प्रति सदस्य/प्रति माह

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2007 से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य विशेष अनुदानित योजना शुरू की है जिसे समय–समय पर संषोधित किया गया है। उपभोक्ता को 4 में से 3 दालों का विकल्प दिया गया है।

क्र. स.	वस्तु का नाम	एन.एफ.एस.ए.	ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.)	ए.पी.एल. आयकरदाता	मात्रा
1	दाल चना	₹68.00 प्रति कि.ग्रा.	₹73.00 प्रति कि.ग्रा.	₹91.00 प्रति कि.ग्रा.	3 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
2	दाल उड़द साबुत	₹ 78.00 प्रति कि.ग्रा.	₹83.00 प्रति कि.ग्रा.	₹101.00 प्रति कि.ग्रा.	
3	दाल मलका	₹ 66.00 प्रति कि.ग्रा.	₹71.00 प्रति कि.ग्रा.	₹91.00 प्रति कि.ग्रा.	
4	खाद्य तेल (फॉर्टीफाईड मर्स्टड ऑयल)	₹160.00 प्रति लीटर	₹160.00 प्रति लीटर	₹168.00 प्रति लीटर	1 लीटर 1 व 2 सदस्य तक, 2 लीटर 3 व 3 से ज्यादा वाले परिवार को प्रति राशन कार्ड/ प्रति माह
5	खाद्य तेल (फॉर्टी फाईड) रिफांईड ऑयल	₹125.00 प्रति लीटर	₹125.00 प्रति लीटर	₹131.00 प्रति लीटर	
6	(डबल फॉर्टी फाईड आयोडीन नमक)	₹ 8.00 प्रति कि.ग्रा.	₹8.00 प्रति कि.ग्रा.	₹16.00 प्रति कि.ग्रा.	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
7	चीनी	₹13.00 प्रति कि.ग्रा.	₹33.00 प्रति कि.ग्रा.	₹46.00 प्रति कि.ग्रा.	500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह: नोटः– अन्तोदय परिवार के एक या दो सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 1 किलो ग्राम चीनी प्रतिमाह व दो से ज्यादा सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी प्रतिमाह @ ₹13.00 प्रति किलो की दर से उपलबध करवाई जा रही है।
8	**एन.एफ.एस.ए.से अतिरिक्त**				
14 किलोग्राम फॉर्टीफाईड गंदम आटा @ ₹12.00 प्रति किलो/गन्दम, @ 7.60 प्रति किलोग्राम व 6 किलोग्राम चावल @ ₹13 प्रति किलो ग्राम ए.पी.एल. और ए.पी.एल. आयकरदाता प्रति परिवार प्रति माह					
नोट : राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को 20 किग्रा. गेहूं/फोर्टिफाईड गेहूं का आटा और 15 किग्रा. चावल प्रति परिवार प्रति माह सितम्बर, 2014 से उपलबध करवाया जा रहा है।					
9	एन.एफ.एस.ए.				
(i)	अन्तोदय परिवार राशन कार्ड धारको के लिए	18.800 किलोग्राम फॉर्टीफाइड गन्दम आटा @ ₹1.20 प्रति किलो/20 किलोग्राम गंदम व 15 किलो चावल प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त।			
(ii)	प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए	2.8 किलोग्राम फॉर्टीफाइड गंदम आटा @₹1.20 प्रति किलोग्राम, या गंदम 3 किलोग्राम व 2 किलोग्राम चावल मुफ्त प्रति सदस्य प्रति माह । 1,2,3 सदस्य वाले प्राथमिकी गृहस्थियां परिवारों को राज्य के ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. आवंटन से ओ.टी.एन. एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.) की दरों पर अतिरिक्त खाद्यान्न (गंदम व चावल) उपलबध करवाया जाता है ताकि उनकी पात्रता क्रमशः 10,15,20 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड हो सके।		

	बी.पी.एल. (बी.पी.एल. दरों पर एन.एफ.एस.ए. पात्रता के अतिरिक्त)	वितरित की जा रहीफॉर्टीफाइड गन्दम/गंदम आटा/चावल@ ₹5.25/@ ₹9.30 कि0ग्रम/@ ₹10.00 प्रति कि0 ग्राम का विवरण निम्न प्रकार से है:

योजना	1 सदस्य वाले परिवार के लिए	2 सदस्य वाले परिवार के लिए	3 सदस्य वाले परिवार के लिए	4 सदस्य वाले परिवार के लिए	5 सदस्य वाले परिवार के लिए	6 सदस्य वाले परिवार के लिए
गन्दम/ गंदम आटा	17 कि.ग्रा.	14 कि.ग्रा.	11 कि.ग्रा.	8 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.	2 कि.ग्रा.
चावल	13 कि.ग्रा.	11 कि.ग्रा.	9 कि.ग्रा.	7 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.	3 कि.ग्रा.

5.3 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एच.पी.एस.सी.एस.सी.)

वर्ष 1980 से पूर्व, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की खरीद एवं वितरण राज्य, जिला तथा तहसील सहकारी संघों द्वारा किया जाता था। तथापि, इन संस्थाओं को भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम जैसी केंद्रीय एजेंसियों से समस्त वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सीमाओं का सामना करना पड़ता था। इन बाधाओं को दूर करने तथा आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 06 सितंबर 1980 को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना की गई।

वर्तमान में निगम राज्य भर के उपभोक्ताओं को नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों प्रकार की वस्तुएँ जिनमें चावल, गेहूँ, आटा, नमक, दालें, चीनी, खाद्य तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, औषधियाँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं जिन्हे उचित दरों पर उपलब्ध कराता है। यह वितरण 121 थोक गोदामों, 47 खुदरा दुकानों, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पंपों तथा 42 औषधि दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसंबर 2025 तक निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत ₹785.60 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद एवं वितरण किया गया। इसमें से राज्य प्रायोजित सब्सिडी योजना के अंतर्गत दालें, सुदृढ़ीकृत सरसों तेल, परिष्कृत तेल, चीनी एवं सुदृढ़ीकृत नमक जैसी रियायती वस्तुओं का वितरण राशन कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्राओं के अनुसार किया गया जिसका मूल्य ₹513. 91 करोड़ के मूल्य था।

निगम संबंधित उपायुक्तों द्वारा किए गए आवंटन के अनुरूप प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत चावल एवं अन्य पूरक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत 8,599.65 मीट्रिक टन चावल का वितरण किया गया।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025–26 में पी.डी.एस. चीनी के लिए ₹50 करोड़ तथा पी.डी.एस. दाल, नमक एवं तेल के लिए ₹165 करोड़ का प्रावधान राज्य सब्सिडी के रूप में किया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2025–26 में लगभग ₹2,100 करोड़ के कुल

कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पूर्व वर्ष (2024–25) में यह ₹1,870.55 करोड़ रहा था।

5.3.1. सरकारी आपूर्ति

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी अस्पतालों को आयुर्वेदिक औषधियों, सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों एवं अन्य सरकारी संस्थानों को सीमेंट तथा जल शक्ति विभाग को गैल्वनाइज्ड आयरन, डक्टाइल आयरन एवं कास्ट आयरन पाइपों की खरीद एवं आपूर्ति का प्रबंधन किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसंबर 2025 तक सरकारी आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है।

क्र. सं.	वस्तुएं	₹करोड़ में
1.	आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति	5.39
2.	विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) हेतु सीमेंट आपूर्ति	76.10
3.	ठेकेदारों को सीमेंट आपूर्ति	38.95
4.	विभागों/बोर्डों/निगमों को सीमेंट आपूर्ति	28.86
5.	जल शक्ति विभाग को जी.आई/डी.आई./ पाइप्स	93.45
	कुल	242.75

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एच.पी.एस.सी.एस.सी.)

5.3.2 राज्य के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा

निगम जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ व्यापार की आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण निजी व्यापारी संचालन करने में असमर्थ हैं, आवश्यक वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों जिनमें मिट्टी का तेल एवं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस शामिल हैं, की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025–26) के दौरान निगम ने सरकार की जनजातीय कार्ययोजना के अनुरूप जनजातीय एवं हिमाच्छादित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की व्यवस्था की।

5.3.3 औषधि दुकानें

वर्तमान में राज्य में 42 औषधि दुकानें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न स्थानों पर शीघ्र ही 6 और औषधि दुकानें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

5.3.4 किसानों से धान एवं गेहूँ की खरीद

राज्य सरकार के निर्णय के अनुपालन में, निगम को नोडल क्रय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, और यह संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के सहयोग से खरीफ विपणन मौसम 2022–23 तथा रबी विपणन मौसम 2023–24 से किसानों से धान एवं गेहूँ की प्रत्यक्ष खरीद कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के किसानों को लाभान्वित करना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	सत्र	फसल	खरीद केंद्र	मात्रा (मीट्रिक टन)
1.	खरीफ मिलिंग सत्र	धान	11	21,126.82
2.	रबी मिलिंग सत्र	गेहूँ	11	2,995.95

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

5.3.5 किसानों से मक्का की खरीद

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने कृषि विभाग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 से प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उत्पादित मक्का की खरीद प्रारंभ की है।

खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के दौरान निगम ने राज्य भर में स्थापित 28 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से प्रत्यक्ष रूप से 217.70 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की। खरीदे गए मक्का का प्रसंस्करण कर उसे "हिम भोग" ब्रांड के अंतर्गत 1 किलोग्राम पैक में उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, इसी पहल के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में 212 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई है, जिसका प्रसंस्करण कर "हिम भोग आटा" तथा "हिम भोग दलिया" के रूप में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

5.4 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क. हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय मुद्दे और चुनौतियाँ

राज्य स्तरीय मुद्दे	विवरण / साक्ष्य
परिवहन लागत से प्रेरित मुद्रास्फीति	परिवहन संबंधी लागतों ने समग्र मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि की परिवहन सी.पी.आई. 6.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई।
नाशवान वस्तुओं में उच्च अस्थिरता	प्याज और आलू नाशवान प्रकृति और आपूर्ति श्रृंखला संवेदनशीलता के कारण अत्यधिक अस्थिर (सी.वी. > 10) बने हुए हैं।

कमजोर डब्ल्यू.पी.आई.–सी.पी.आई. का प्रभाव	थोक मूल्य प्रवृत्तियों का खुदरा मूल्यों पर सीमित प्रभावय सी.पी.आई.–सी और डब्ल्यू.पी.आई. के बीच सहसंबंध केवल 0.16 है।
क्षेत्रीय लागत दबाव	स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में बढ़ती लागत, स्वास्थ्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है।
सीमेंट की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता	निर्माण क्षेत्रों में सीमेंट की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे की लागत बढ़ रही है।
दालों में असमान मूल्य अस्थिरता	काबुली चना, अरहर दाल और कुल्थ जैसी दालों में अन्य दालों की समग्र स्थिरता के बावजूद बढ़ती अस्थिरता देखी जा रही है।
जलवायु और आपूर्ति श्रृंखला संवेदनशीलता	बर्फबारी, दुर्गम भूभाग और बाहरी बाजारों पर निर्भरता के कारण स्थानीय मुद्रास्फीति और बार–बार रसद संबंधी व्यवधान उत्पन्न होते हैं।
सब्सिडी प्रणाली (पी.डी.एस.) पर संरचनात्मक बोझ	बढ़ती सब्सिडी व्यय और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पीडीएस की दीर्घकालिक स्थिरता पर दबाव डालती है।

ख. जिला–विशिष्ट और संरचनात्मक चुनौतियाँ (साक्ष्य आधारित)

चुनौती	प्रभावित जिले	साक्ष्य
बर्फबारी के कारण आपूर्ति बाधित होना	लाहौल–स्पीति, किन्नौर	उच्च रसद लागत
परिवहन लागत–प्रेरित मुद्रास्फीति	राज्यव्यापी	परिवहन सी.पी.आई. उच्चतम स्तर 6.9 प्रतिशत
नाशवान वस्तुओं की अस्थिरता	शिमला, सोलन, मंडी बाजार,	प्याज और आलू का सी.वी. > 10
स्वास्थ्य मुद्रास्फीति	शहरी केंद्रों में	स्वास्थ्य सी.पी.आई > 4 प्रतिशत
कम डब्ल्यू.पी.आई और सी.पी.आई.	संपूर्ण राज्य में	सी.पी.आई–सी और डब्ल्यू.पी.आई. का सहसंबंध केवल 0.16
सीमेंट की कीमतों में परिवर्तनशीलता	निर्माण क्षेत्र (कांगड़ा, ऊना)	सी.वी. में वृद्धि

5.5 भावी दिशा

आगामी रणनीति का केंद्र बिंदु वस्तुवार मूल्य निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना, स्थानीय क्रय (प्रोक्योरमेंट) को बढ़ावा देना तथा विकेन्द्रीकृत भंडारण अवसंरचना का विस्तार होना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में कोल्ड–चेन एवं लॉजिस्टिक्स संपर्कता में सुधार तथा जलवायु–लचीले स्थानीय खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक होगा।

प्रौद्योगिकी–सक्षम पी.डी.एस. सुधारों के अंतर्गत एंड–टू–एंड डिजिटल ट्रैकिंग, पोर्टेबिलिटी तथा वास्तविक समय स्टॉक निगरानी से दक्षता में वृद्धि एवं रिसाव में कमी लाई जा सकती है।

परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना, किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय बाजार एकीकरण को प्रोत्साहित करना आपूर्ति स्थिरता में सुधार करेगा।

इसके अतिरिक्त, लक्षित अनुदान तर्कसंगतीकरण, पोषण–संवेदनशील खाद्य वितरण एवं डेटा–आधारित मूल्य पूर्वानुमान तंत्र राज्य में दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

*****

अध्याय 6

कृषि और बागवानी

कार्यकारी सारांश

क्र. सं.	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व**	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जी.एस.वी.ए.) का 13.73 प्रतिशत योगदान देते हैं और 53.95 प्रतिशत श्रमिकों को आजीविका प्रदान करते हैं, जिससे यह क्षेत्र ग्रामीण विकास तथा खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है।
2	**भूमि जोत प्रतिरूप**	88.86 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं, तथा औसत भूमि जोत 0.95 हेक्टेयर है, जिससे यंत्रीकरण और कृषि विस्तार सीमित हो जाता है।
3	**कृषि में जी. एस.वी.ए. की वृद्धि**	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जी.एस.वी.ए. वित्तीय वर्ष 2022 से 2026 के बीच 45 प्रतिशत बढ़कर ₹22,428 करोड़ से ₹32,415 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत अनुमानित है।
4	**फसल क्षेत्र का प्रदर्शन**	फसल उपक्षेत्र कृषि सकल मूल्य संवर्धन का 57.12 प्रतिशत योगदान देता है, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 11.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि अपेक्षित है। सब्जियाँ, गेहूँ और दालें सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती हैं, जबकि मक्का में हल्की गिरावट देखी गई है।
5	**वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता**	80 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, जिससे खेती मानसून की अनिश्चितता के प्रति संवेदनशील हो जाती है, 2025 में मानसूनी वर्षा सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक रही, हालांकि जिला–वार भिन्नताएँ देखी गईं।
6	**फसल उत्पादन प्रवृत्तियाँ**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल उत्पादन लक्ष्य 3,699.11 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, खाद्यान्न 43.26 प्रतिशत तथा व्यावसायिक फसलें 56.74 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। अदरक और मक्का में सीमांत गिरावट देखी गई है।
7	**सरकारी हस्तक्षेप**	प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एम.एम.के.एस. वाय.), मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना (एम.के.यू.एस.वाय.–बाड़बंदी), जे.आई.सी.ए. उच्च मूल्य फसल विविधीकरण परियोजना (एच.पी.सी. डी.पी.), प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (पी.के.के.के.वाय.), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाय.), ए.टी.एम.ए. तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाय.) शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादकता, सिंचाई, यंत्रीकरण, बीमा और विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
8	**विपणन सुधार और अवसंरचना**	26 कृषि बाजार ई.–एन.ए.एम.(राष्ट्रीय कृषि बाजार) से एकीकृत किए गए हैं, 2025 (दिसंबर तक) ए.पी.एम.सी.एस. मंडियों में 65.01 लाख क्विंटल फल और सब्जियों का व्यापार हुआ। सार्वभौमिक सेब कार्टन प्रणाली को पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

9	**बागवानी का विकास और सेब का प्रभुत्व**	बागवानी का क्षेत्र 2.37 लाख हेक्टेयर (कुल कृषि क्षेत्र का 26 प्रतिशत) है। सेब प्रमुख फसल बनी हुई है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 प्रतिशत योगदान देती है, 2025 में (दिसंबर तक) 7.33 लाख टन फल का उत्पादन हुआ।
10	**क्षेत्रीय चुनौतियाँ**	प्रमुख समस्याओं में भूमि का खंडन, जलवायु परिवर्तनशीलता, वन्यजीवों द्वारा फसल क्षति, इनपुट संबंधी बाधाएँ, कटाई पश्चात हानि तथा कम मूल्य संवर्धन शामिल हैं, इसके साथ श्रम की कमी और बाजार की अस्थिरता भी महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

6.1 परिचय

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ राज्य के सकल कृषि एवं कल्याण (जी.एस.वी.ए.) में लगभग एक–सातवें हिस्से का योगदान करती हैं, लेकिन यह राज्य के कुल श्रमिकों में से लगभग 53.95 प्रतिशत को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में रोजगार की अपेक्षाकृत बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए, यह क्षेत्र राज्य के समग्र विकास पथ के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। इसलिए समावेशी विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि प्रदर्शन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश ने 2.22 लाख से अधिक किसानों को रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर सफलतापूर्वक परिवर्तित करके देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। हालांकि, प्राकृतिक खेती की रीढ़ स्वदेशी गाय है, जिसका गोबर और गौमूत्र जीवामृति और घन–जीवामृति जैसे फॉर्मूलेशन के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता के प्राथमिक स्रोत हैं।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकर बीजों के वितरण पर जोर दिया गया है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और ग्रामीण आजीविका मजबूत हो सके। हालांकि, हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन में, कुछ सीमाओं से ग्रस्त है। इसका एक कारण यह है कि कृषि योग्य क्षेत्र को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता। पहाड़ी ढलानों पर खाद्यान्न की खेती के लिए भूमि सुधारना न तो आर्थिक रूप से फायदेमंद है और न ही लाभकारी। किसान कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल नकदी फसलों की खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। एक अन्य कारण यह है कि पहाड़ी ढलानों से भूमि सुधार करने से मृदा अपरदन का खतरा बढ़ जाता है। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझानों, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण करता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपाय कर रही है, जिनमें प्रौद्योगिकी, इनपुट और आय सहायता कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बाजार संबंधों में सुधार शामिल हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हिम कृषि योजना, विशिष्ट लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि से संपन्न योजना और बीज संप्रभुता प्राप्त करने के लिए बीज ग्राम अवधारणा के माध्यम से पारंपरिक बीज केंद्रों को मजबूत करने जैसे नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, मक्का, कच्ची हल्दी और जौ के लिए उच्चतम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिनकी खरीद सीधे प्रमाणित प्राकृतिक किसानों से की जाती है।

कुल सकल बिक्री मूल्य (जी.एस.वी.ए.) का लगभग 13.73 प्रतिशत कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों से आता है। 55.67 लाख हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से, परिचालन जोत

का क्षेत्रफल लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर है, जिस पर 9.97 लाख किसान खेती करते हैं। औसत जोत का आकार लगभग 0.95 हेक्टेयर है। 2015–16 की कृषि जनगणना के अनुसार भूमि जोत के वितरण से पता चलता है कि कुल जोतों का 88.85 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों के पास है, लगभग 10.85 प्रतिशत जोत अर्ध–मध्यम एवं मध्यम किसानों के पास है और केवल 0.30 प्रतिशत बड़े किसानों के पास हैं।

6.1.1 कृषि और इसके उप–क्षेत्रों का योगदान

राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में वर्षों से निरंतर वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमतों पर सकल बिक्री मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2021–22 में ₹22,428 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹32,415 करोड़ हो गया है (अग्रिम अनुमान)। वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 के बीच वर्तमान कीमतों पर फसलों के सकल बिक्री मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है (वित्त वर्ष 2021–22 में ₹13,722 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹18,515 करोड़ हो गया है)। इसी अवधि में वर्तमान कीमतों पर सकल बिक्री मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में फसल क्षेत्र का योगदान 35 प्रतिशत बढ़ा है।

वर्ष 2021–22 से 2025–26 (आयु पूर्व) के बीच, हिमाचल प्रदेश में कृषि, वानिकी, पशुधन और मत्स्य पालन के सकल बिक्री मूल्य (वर्तमान कीमतों पर) में 9.64 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) देखी गई है। फसल क्षेत्र इस वृद्धि का प्रमुख चालक रहा है, जिसकी सी.ए.जी.आर. 7.78 प्रतिशत है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सकल बिक्री मूल्य में इस क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2021–22 में 61.18 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025–26 में 57.12 प्रतिशत हो गया है। पिछले पांच वर्षों में राज्य के कुल सकल बिक्री मूल्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 13–15 प्रतिशत के बीच रही है।

6.1.2 कृषि और इसके उप–क्षेत्रों की वृद्धि

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में स्थिर कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल लाभ मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में 8.30 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह वृद्धि दर 2.70 प्रतिशत रही थी। कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि मुख्य रूप से फसल उप–क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के कारण है, जिसकी वित्त वर्ष 2025–26 में वृद्धि दर 11.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

6.1.2.1 फसल उप–क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश में कृषि के अंतर्गत फसल उप–क्षेत्र एक प्रमुख उप–क्षेत्र है, जो वित्त वर्ष 2025–26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल लाभ मूल्य (जी.वी.ए.सी.) का 57.12 प्रतिशत और कुल सकल लाभ मूल्य (जी.एस.वी.ए.) का 7.84 प्रतिशत है (चित्र 6.1 और 6.2)। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. में पशुधन, मत्स्य

पालन और वानिकी का योगदान क्रमशः 17.45 प्रतिशत, 1.03 प्रतिशत और 24.40 प्रतिशत रहा (चित्र 6.1)।

चित्र 6.1

वर्ष 2024–25 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल सकल बाजार मूल्य (जी.वी.ए.) में कृषि उप–क्षेत्रों का योगदान

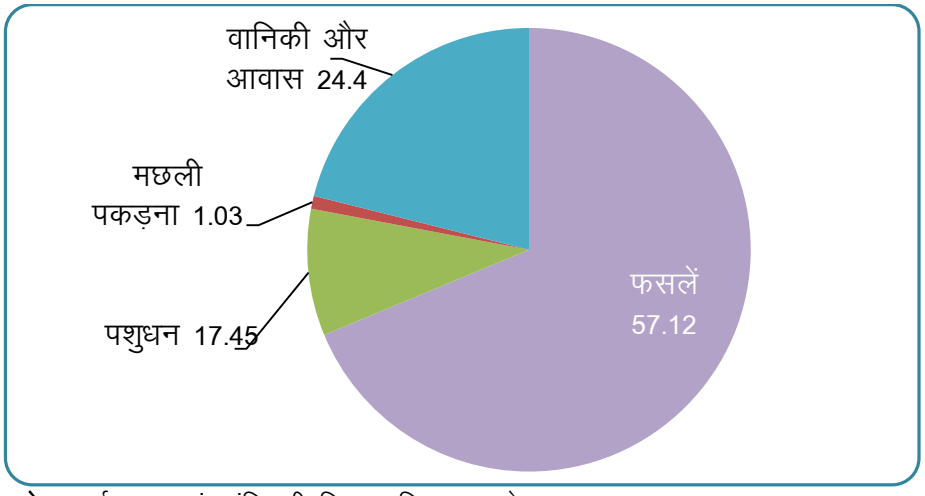

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 6.2

वर्तमान कीमतों पर 2020–21 और 2024–25 के बीच कृषि और संबद्ध गतिविधियों का जी. एस.वी.ए. में योगदान (ए.ई.)

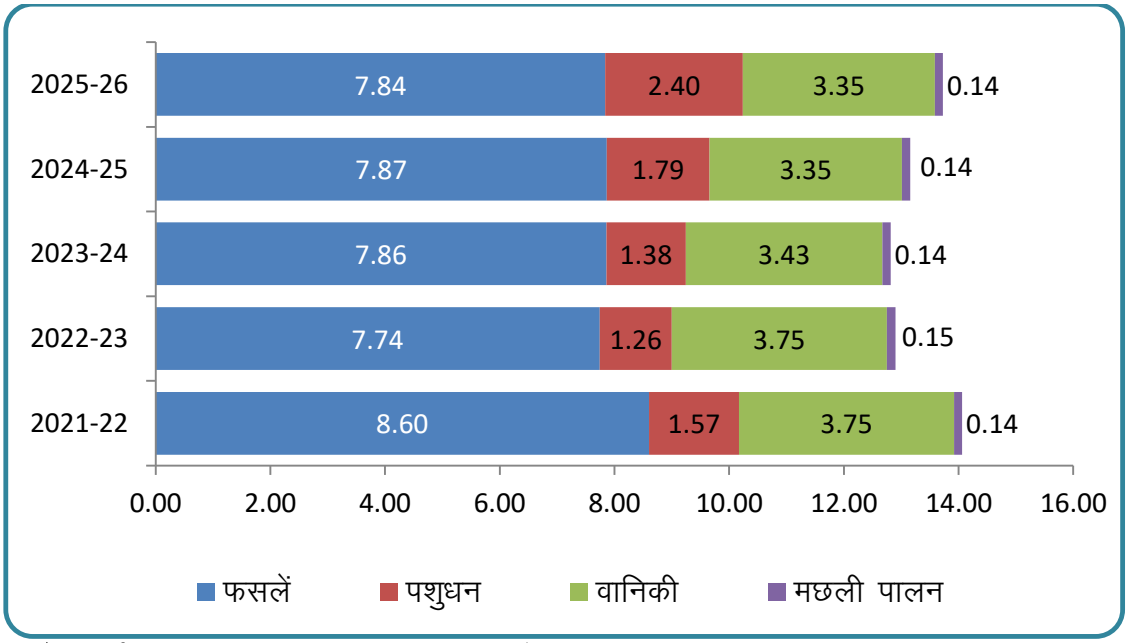

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.1.2.2 पशुधन

पशुधन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र न केवल किसानों की आय में योगदान देता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का उनका सबसे अच्छा साधन भी है। फसल उत्पादन की क्षमता निवेश, मौसम और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तुलनात्मक रूप से, पशुधन क्षेत्र अधिक स्थिर है और इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका अपार योगदान और क्षमता है। इसके अलावा, पशुधन और मुर्गीपालन ने ग्रामीण गरीबों के लिए कई संकटकालीन स्थितियों, विशेषकर सूखे आदि में, जीवनरक्षक साबित हुए हैं। और इस क्षेत्र की विकास क्षमता को देखते हुए, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में पशुधन उपक्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.वी.ए.) का 2.40 प्रतिशत और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस. वी.ए.) का 17.45 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025–26 में पशुधन उपक्षेत्र में वर्तमान कीमतों पर 46.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

6.1.2.3 वानिकी

वित्त वर्ष 2024–25 में वर्तमान कीमतों पर कुल सकल सकल मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में वानिकी का हिस्सा 3.35 प्रतिशत और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल सकल मूल्य (जी.एस. वी.ए.) में 24.04 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025–26 में वानिकी उपक्षेत्र की वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह 8.2 प्रतिशत थी।

6.1.2.4 मत्स्य पालन

वित्त वर्ष 2025–26 में वर्तमान कीमतों पर कुल सकल सकल मूल्य (जीएसवीए) में मत्स्य पालन उपक्षेत्र का हिस्सा केवल 0.14 प्रतिशत और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल सकल मूल्य (जीएसवीए) में 1.03 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि उत्साहजनक रही है। वित्त वर्ष 2025–26 में मत्स्य पालन उपक्षेत्र की वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह 8.7 प्रतिशत थी।

6.2 भूमि उपयोग पैटर्न

हिमाचल प्रदेश भारत का 17वां राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 11.49 प्रतिशत शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लगभग 24.55 प्रतिशत वन क्षेत्र है। गैर–कृषि उपयोग में लाई जाने वाली भूमि लगभग 7.98 प्रतिशत है, परती भूमि 1.53 प्रतिशत और बंजर एवं अनुपयोगी भूमि 16. 73 प्रतिशत है।

चित्र 6.3

भूमि उपयोग पैटर्न

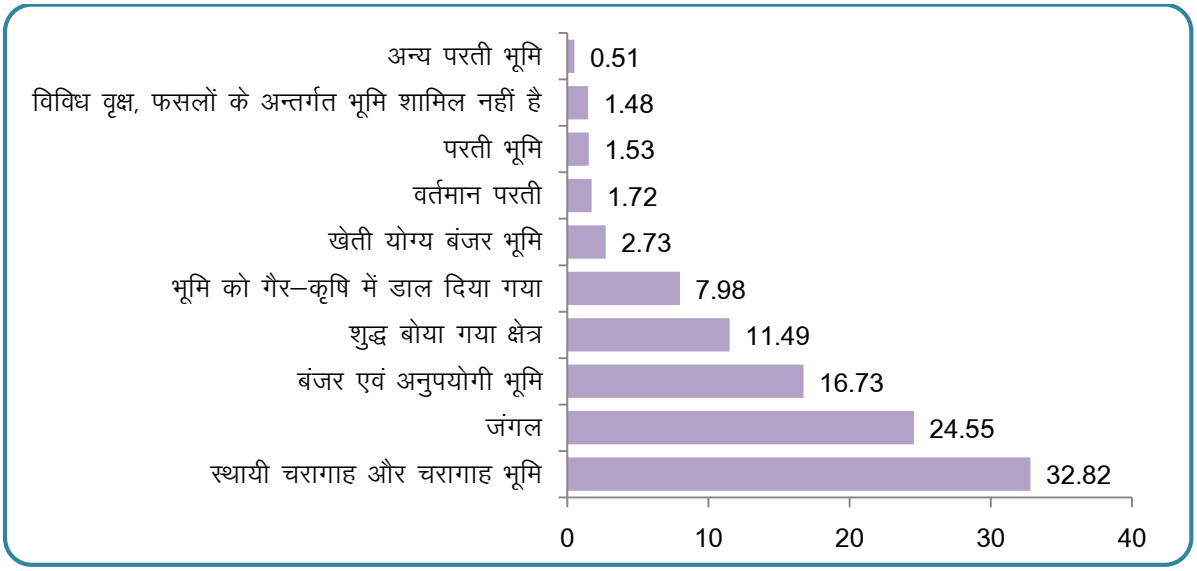

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.2.1 भूमि स्वामित्व का स्वरूप

हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (55,673 वर्ग किमी) में से लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसे 9.97 लाख किसान खेती करते हैं। प्रत्येक किसान की औसत भूमि का आकार 0.95 हेक्टेयर है। 2015–16 की कृषि जनगणना के अनुसार, भूमि स्वामित्व वितरण से पता चलता है कि कुल जोतों का 88.86 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों के पास है। लगभग 10.85 प्रतिशत जोतें अर्धमध्यम एवं मध्यम किसानों के स्वामित्व में हैं और केवल 0.30 प्रतिशत बड़े किसानों के पास हैं। जोतों का आकार, खेती योग्य क्षेत्र और प्रत्येक श्रेणी के भूमि जोत पैटर्न एवं खेती योग्य क्षेत्र का प्रतिशत तालिका 6.1 और चित्र 6.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.1

हिमाचल प्रदेश में भूमि जोतों का वितरण

आकार वर्ग (हेक्टेयर)	जोतों की संख्या (लाख)	संचालित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर)
सीमांत (1.0 से कम)	7.12	2.85	0.40
छोटा (1.0–2.0)	1.73	2.42	1.39
अर्ध मध्यम (2.0–4.0)	0.82	2.23	2.72
मध्यम (4.0–10.0)	0.26	1.46	5.62

बड़ा (10.0 और उससे अधिक)	0.03	0.47	15.67
कुल	9.97	9.44	0.95

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 6.4

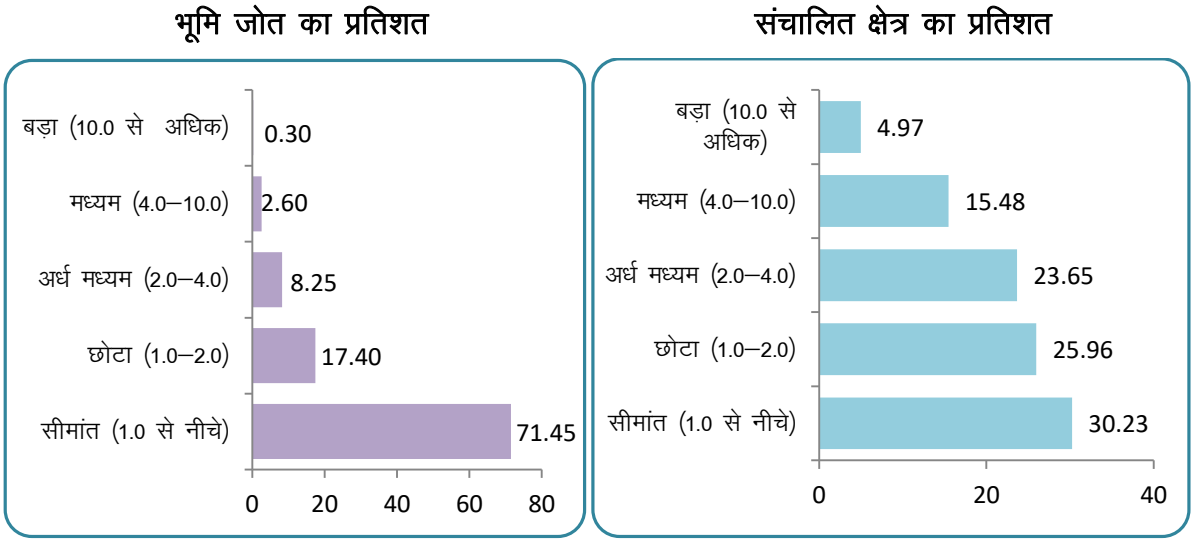

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

6.2.2 वर्षा

कृषि की पैदावार मानसून की पैदावार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 2025 के मानसून के मौसम (जून से सितंबर) के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, मंडी, सोलन और ऊना जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जबकि कांगड़ा और किन्नौर में सामान्य वर्षा हुई और लाहौल एवं स्पीति में कम वर्षा हुई। पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे मानसून के मौसम में कुल वर्षा वार्षिक वर्षा से 39 प्रतिशत अधिक थी। सारणी 6.2 और 6.3 विभिन्न जिलों में वर्षा के आंकड़े दर्शाती हैं।

सारणी 6.2

आई.एम.डी. के अनुसार मानसून के मौसम की वर्षा के आंकड़े (जून से सितंबर, 2025)

क्रम संख्या	जिले का नाम	वास्तविक	सामान्य	अधिक या कमी	प्रतिशत में अधिक या कमी
1.	बिलासपुर	1454	819	635	78
2.	चम्बा	1108	853	254	30
3.	हमीरपुर	1535	973	561	58
4.	कांगड़ा	1900	1622	278	17

5.	किन्नौर	290	248	42	17
6.	कुल्लू	1057	548	509	93
7.	लाहुल एवं स्पीति	301	383	–82	–21
8.	मंडी	1898	1098	800	73
9.	शिमला	1231	628	604	96
10.	सिरमौर	1608	1184	424	36
11.	सोलन	1456	874	582	67
12.	ऊना	1532	953	579	61
राज्य औसत		1023	734	289	39

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर 2025 तक 1023 मिलीमीटर (मि.मी.) वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा 734 मि.मी. से 289 मि.मी.अधिक है।

सारणी–6.3

आई.एम.डी. के अनुसार मानसून ऋतु की वर्षा के आंकड़े (अक्तूबर से दिसंबर 2025)

क्रम संख्या	जिले का नाम	वास्तविक	सामान्य	अधिक या कमी	प्रतिशत
1.	बिलासपुर	93	48	45	94
2.	चम्बा	93	123	–30	–24
3.	हमीरपुर	68	56	12	21
4.	कांगड़ा	96	77	18	24
5.	किन्नौर	41	71	–31	–43
6.	कुल्लू	83	94	–11	–11
7.	लाहुल एवं स्पीति	49	95	–46	–48
8.	मंडी	70	59	11	18
9.	शिमला	60	65	–6	–9
10.	सिरमौर	97	66	31	48
11.	सोलन	94	67	27	41
12.	ऊना	64	48	16	33
राज्य औसत		70	83	–13	–16

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

इसी प्रकार, अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक राज्य में 70 मि.मी. वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा 83 मि.मी. से 13 मि.मी. कम है (चित्र 6.5)।

चित्र 6.5

सामान्य, वास्तविक वर्षा (मि.मी. में)

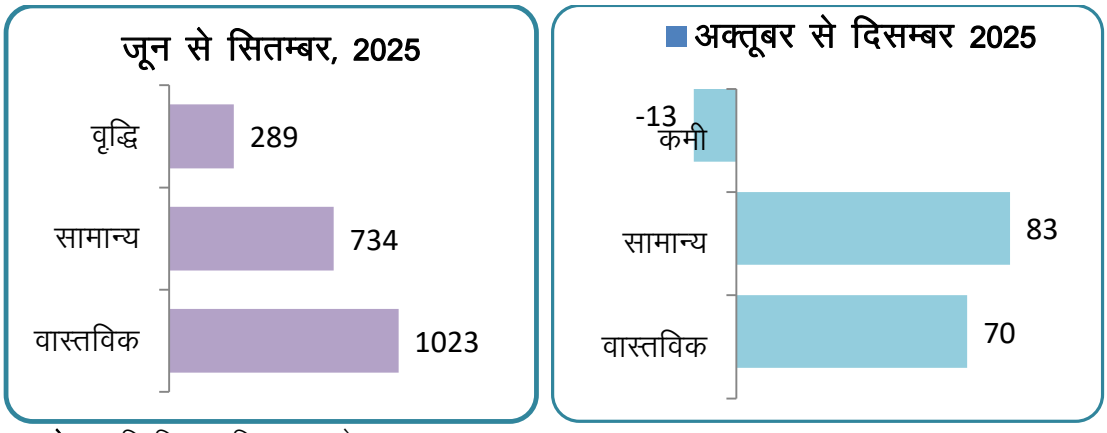

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

चित्र 6.6

2020 से 2024 के बीच औसत वार्षिक वर्षा (वास्तविक मिलीमीटर में)

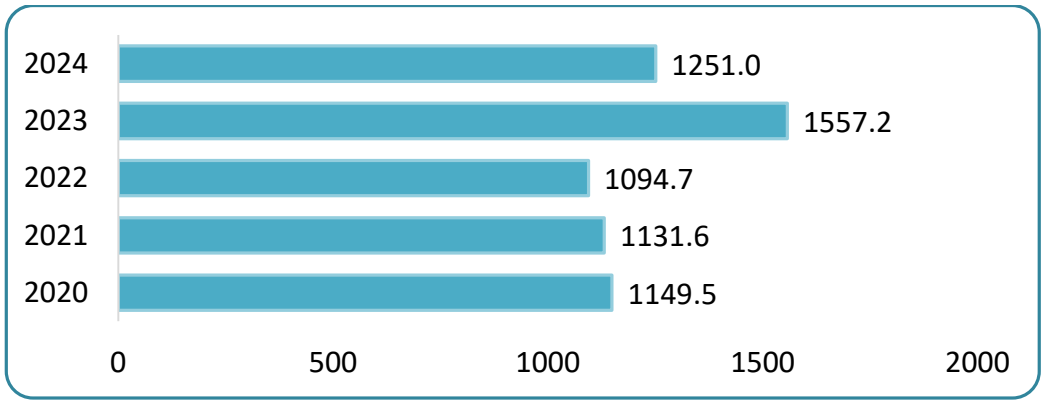

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत वर्षा आधारित है। चावल, मक्का और गेहूं राज्य की महत्वपूर्ण अनाज फसलें हैं। खरीफ में सोयाबीन और सूरजमुखी तथा रबी में रेपसीड/सरसों और तोरिया महत्वपूर्ण तिलहन फसलें हैं। खरीफ में माश, मूंग और राजमा तथा रबी में चना और मसूर राज्य की महत्वपूर्ण दलहन फसलें हैं। कृषि–जलवायु के आधार पर, राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे : (i) उपोष्णकटिबंधीय, उप–पर्वतीय और निचली पहाड़ियाँ (ii) उप–समशीतोष्ण, उप–आर्द्र मध्य पहाड़ियाँ (iii) आर्द्र समशीतोष्ण उच्च पहाड़ियाँ (iv) शुष्क समशीतोष्ण उच्च पहाड़ियाँ और शीतोष्ण रेगिस्तान। राज्य की कृषि–जलवायु परिस्थितियाँ आलू, ऑफ–सीजन सब्जियाँ और अदरक जैसी नकदी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। राज्य सरकार अनाज फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ ऑफ–सीजन सब्जियों, आलू, अदरक, दालों

और तिलहन के उत्पादन पर बल दे रही है। इसके लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में इनपुट की आपूर्ति, उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन और प्रभावी प्रसार, बीज प्रतिस्थापन, एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना, जल संसाधनों के कुशल उपयोग के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लाना और बंजर भूमि विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन जैसे उपाय किए जा रहे हैं। वर्षा के चार अलग–अलग मौसम होते हैं। लगभग आधी वर्षा मानसून के मौसम में होती है और शेष वर्षा अन्य मौसमों में वितरित होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा होती है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके बाद चंबा, सिरमौर और मंडी का स्थान आता है।

6.3 कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: उत्पादन में रुझान

6.3.1 बोया गया क्षेत्र

शुद्ध बोया गया क्षेत्र (एन.एस.ए.) 2021–22 में 527 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2022–23 में 532 हजार हेक्टेयर हो गया है। राज्य में गेहूं, मक्का, चावल, जौ और दालें प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत है। वर्तमान में, गेहूं (35.87 प्रतिशत) और मक्का (28.73 प्रतिशत) के अंतर्गत आने वाला कृषि क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 65 प्रतिशत है।

6.3.2 प्रमुख फसलों का उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में 2022–23 से 2025–26 तक प्रमुख फसलों के उत्पादन को सारणी 6.4 में प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, राज्य के कुल फसल उत्पादन में खाद्यान्न का योगदान लगभग 43.26 प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों का योगदान 56.74 प्रतिशत रहा। मक्का और अदरक को छोड़कर, सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है। मक्का और अदरक के उत्पादन में क्रमशः 0.37 प्रतिशत और 2.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट आने की संभावना है।

सारणी–6.4

प्रमुख फसलों का उत्पादन (000 मिट्रिक टन में)

फसलें	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26 लक्षित	2024–25 की तुलना में 2025–26 में प्रतिशत वृद्धि	कुल उत्पादन में प्रतिशत योगदान 2025–26
1. धान	130.06	172.86	138.00	175.00	26.81	4.73
2. मक्का	680.65	607.94	691.54	689.00	–0.37	18.63

3. रागी	1.07	0.96	0.96	1.13	17.71	0.03
4. बाजरा	1.33	1.30	1.31	1.70	29.77	0.05
5. गेहूँ	614.15	782.66	647.44	650.00	0.40	17.57
6. जौ	26.42	30.72	23.05	30.00	30.15	0.81
7. चना	0.20	0.19	0.21	0.28	33.33	0.01
8. दालें	44.00	46.92	46.95	53.00	12.89	1.43
कुल खाद्यान्न (A)	**1497.88**	**1643.55**	**1549.46**	**1600.11**	**3.27**	**43.26**
1. आलू	194.50	195.09	194.01	195.00	0.51	5.27
2. सब्जियाँ	1867.41	1849.80	1862.95	1870.00	0.38	50.55
3. हरा अदरक	32.80	33.15	34.71	34.00	–2.05	0.92
कुल व्यावसायिक फसलें (B)	**2094.71**	**2078.04**	**2091.67**	**2099.00**	**0.35**	**56.74**
A+B का योग	**3592.59**	**3721.59**	**3641.13**	**3699.11**	**1.59**	**100.00**

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.3.3 उत्पादकता में रुझान

हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल विस्तार के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की सीमित संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादकता सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग, उर्वरक और कीटनाशक, विस्तार सेवाएं, ग्रामीण अवसंरचना आदि जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। कृषि योग्य भूमि के मामले में, हिमाचल प्रदेश पहले ही शेष राष्ट्र के समान एक स्थिर अवस्था में पहुंच चुका है। इसलिए, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण के साथ–साथ उत्पादकता स्तर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वाणिज्यिक फसलों की ओर बढ़ते रुझान के कारण, खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल धीरे–धीरे घट रहा है। 1997–98 में 853.88 हजार हेक्टेयर का क्षेत्रफल घटकर 2024–25 में 679.66 हजार हेक्टेयर रह गया है। खाद्यान्न उत्पादकता चित्र 6.7 में दर्शाई गई है।

चित्र 6.7

प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (मीट्रिक मीट्रिक टन)

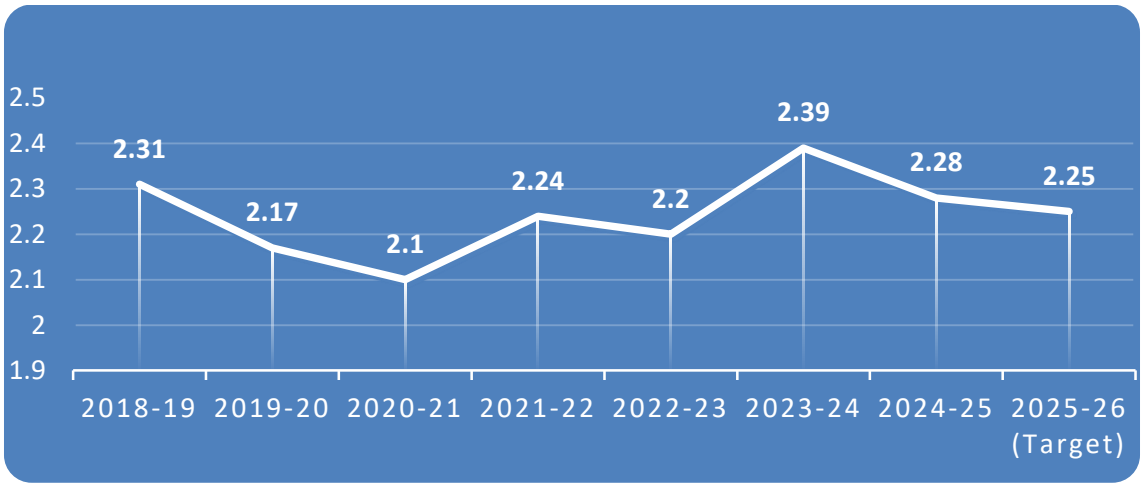

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.3.4 उच्च उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों (एच. वाई.वी.) के बीज वितरित करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2025–26 के दौरान मक्का, गेहूं, दालों और तिलहन के एच.वाई.वी. बीज वितरित करने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख फसलों, अर्थात् मक्का, धान और गेहूं के एच.वाई.वी. बीजों के वितरण को सारणी 6.5 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–6.5

वर्ष	मक्का (क्विंटल में)	धान (क्विंटल में)	गेहूँ, दालें और तिलहन (मीट्रिक टन में)
2025–26(लक्ष्य)	16900	605	8500

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.3.5 कृषि विभाग के फार्म/विकास केंद्र

कृषि विभाग ने राज्य में 20 बीज गुणन फार्म (एस.एम.एफ.), 3 सब्जी विकास केंद्र (वी.डी.एस.), 12 आलू विकास केंद्र (पी.डी.एस.) और 1 अदरक विकास केंद्र (जी.डी.एस.) स्थापित किए हैं। ये सरकारी फार्म आई.सी.ए.आर./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रजनक बीज को आधार बीज में गुणन करने के लिए हैं। नीति के अनुसार, प्रजनक बीज का गुणन सरकारी फार्मों में कृषि विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में किया जाना है। फार्मों में उत्पादित आधार बीज पंजीकृत बीज उत्पादकों को गुणन के लिए दिया जाता है, जिसे आगे विभाग द्वारा राज्य में बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीदा जाता है।

6.3.6 पौध संरक्षण कार्यक्रम

कीटों और रोगों का प्रकोप किसी विशेष फसल के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने में बड़ी बाधा है। यदि कीटों और रोगों का समय पर प्रबंधन न किया जाए तो वे विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। अतः इन कीटों और बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इनकी आबादी/घटना को आर्थिक क्षति के स्तर से नीचे रखने के लिए उपयुक्त एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) उपायों को अपनाना आवश्यक है।

6.3.7 उर्वरक खपत और सब्सिडी

उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जो उत्पादन बढ़ाने में एक सीमा तक सहायक होता है। हिमाचल प्रदेश में 1950 के दशक के उत्तरार्ध और 1960 के दशक के आरंभ में जब उर्वरक का प्रयोग शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक उर्वरक की खपत 1985–86 में 23,664 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024–25 में 59,990 मीट्रिक टन हो गई है। धीरे–धीरे रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मिश्रित उर्वरकों पर ₹1000 प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी दी गई है। उर्वरक खपत का वर्षवार विवरण सारणी 6.6 में दिया गया है।

सारणी 6.6

उर्वरकों की खपत (मीट्रिक टन में)

वर्ष	नाइट्रोजनयुक्त (एन)	फॉस्फेटयुक्त (पी)	पोटेशियमयुक्त (के)	कुल (एन.पी.के)
2019–20	38146	12263	11369	61778
2020–21	43388	11681	10172	65241
2021–22	40086	9527	8282	57895
2022–23	38859	10892	8101	57852
2023–24	37164	8195	6111	51470
2024–25	37092	14087	8811	59990
2025–26 (**लक्ष्य**)	40618	11509	9276	61403

चित्र 6.8

रसायनों का वितरण (मीट्रिक टन में)

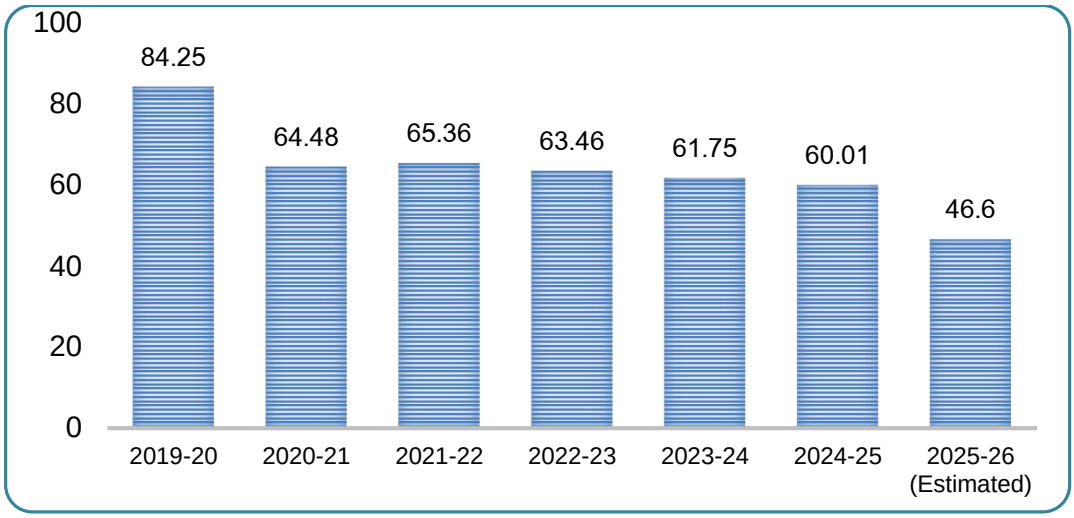

स्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.3.8 मृदा परीक्षण कार्यक्रम

कृषि विभाग के पास राज्य में 12 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 3–3 उर्वरक एवं बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 2 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएँ, 1–1 राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला और जैव उर्वरक उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला हैं। मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए, कृषि विभाग किसानों को निशुल्क मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है। किसानों को ऑनलाइन सेवा के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

6.4 सरकारी पहल

राज्य प्रायोजित योजनाएँ

6.4.1 मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (एम.एम.के.एस.वाई.)

विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं पर, समान गतिविधियों और सामान्य उद्देश्यों वाली 8 चल रही योजनाओं को गतिविधियों के दोहराव से बचने के लिए 2022–23 में मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत विलय कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹20.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

i. क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन योजना

कृषि में हाल ही में हुए तकनीकी विकास ने विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे पता चलता है कि सब्जियां किसानों के साथ–साथ राज्य

की अर्थव्यवस्था के लिए असाधारण रूप से अच्छे अवसर प्रदान कर सकती हैं। कृषि विभाग ने पूरे राज्य को शामिल करते हुए चरणबद्ध तरीके से सब्जी की खेती के लिए "क्लस्टर दृष्टिकोण" अपनाने का निर्णय लिया है। इसका समग्र लक्ष्य आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी सब्जी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

ii. बीज गुणन श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना

राज्य में गुणवत्तापूर्ण बीज के गुणन और पड़ोसी राज्यों की अन्य एजेंसियों पर निर्भरता कम करने में सरकारी फार्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में, 36 विभागीय फार्मों में धान, मसूर, सोयाबीन, गेहूं, आलू, राजमा आदि जैसी विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। इन फार्मों में प्रतिवर्ष लगभग 17000 क्विंटल विभिन्न फसलों के आधारभूत बीज का उत्पादन होता है, जिसे राज्य के प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रमाणित बीज के रूप में आगे बढ़ाया जाता है।

iii. प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (उर्वरक परीक्षण, मृदा परीक्षण, जैविक नियंत्रण, बीज परीक्षण, जैव–उर्वरक और राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला)

कृषि विभाग के पास 12 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 3 उर्वरक प्रयोगशालाएँ (शिमला, सुंदरनगर और हमीरपुर), 3 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ (सोलन, पालमपुर और मंडी), 2 जैविक नियंत्रण प्रयोगशालाएँ (पालमपुर और मंडी), शिमला में 1 राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला और शिमला में 1 जैव–उर्वरक उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। विभाग किसानों को निशुल्क मृदा परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है और उन्हें अपने खेतों में उर्वरकों की उचित मात्रा का सुझाव देता है ताकि किसान उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करके और खेतों की मृदा की गुणवत्ता बनाए रखते हुए फसल की किस्म की क्षमता के अनुसार अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ विभिन्न गुणवत्ता मानकों जैसे भौतिक शुद्धता, अंकुरण परीक्षण के लिए बीजों का परीक्षण करती हैं ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

6.4.2 मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एम.के.यू.एस.वाई.):

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष 2025–26 में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

i. बंदर और जंगली जानवर फसल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा हैं क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और इस प्रकार किसानों को भारी हानि पहुंचाते

हैं। इसे देखते हुए, कृषि विभाग ने किसानों की फसलों को इस खतरे से बचाने के लिए 2016–17 से "मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना" शुरू की। अब, यह योजना "मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना" का एक घटक है और इसे बाड़बंदी (बाड़ लगाना) के नाम से जाना जाता है।

ii. इस घटक के अन्तर्गत किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सोलर फेंसिंग, इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कम्पोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग और कांटेदार तार की फेंसिंग लगाने के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

6.4.3 जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (एच.पी.सी.डी.पी.) दृबाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)

जे.आई.सी.ए. ई.ए.पी.–चरण द्वितीय

जे.आई.सी.ए. आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डी.ए.) परियोजना का दूसरा चरण राज्य के सभी जिलों में ₹1010.13 करोड़ के परिव्यय के साथ 9 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के बीच 26 मार्च, 2021 को समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹50.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जे.आई.सी.ए. चरण द्वितीय के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

i. अवसंरचना विकास (लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कृषि पहुंच मार्ग और सौर/विद्युत बाड़),
ii. किसान सहायता घटक (इंजीनियरिंग और कृषि कर्मचारियों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सब्जी संवर्धन, बीज उत्पादन और प्रदर्शन),
iii. मूल्य श्रृंखला और बाजार विकास घटक
iv. संस्थागत विकास घटक।

6.4.4 मुख्यमंत्री किसान एवं कृषि मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

राज्य सरकार ने 2015–16 में "मुख्यमंत्री किसान एवं कृषि मजदूर जीवन सुरक्षा" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य कृषि मशीनरी के संचालन के कारण चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में किसानों और कृषि मजदूरों को बीमा कवरेज प्रदान करना है। प्रभावित किसानों को आंशिक अंग–विच्छेदन, स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में क्रमशः ₹10,000 से ₹40,000, ₹1.00 लाख और ₹3.00 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है।

6.4.5 कृषि विपणन

कृषि विपणन "हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उपज विपणन विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2005" द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) और 10 जिला कृषि उपज विपणन समितियां (ए.पी.एम.सी.) गठित की गई हैं। उत्पादकों को 71 मार्केट यार्ड (10 ए.पी.एम.सी. और 61 सब मार्केट यार्ड) द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 26 थोक बाजार इलेक्ट्रॉनिक–नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–एन.ए.एम.) से जुड़े हुए हैं, जहां कृषि उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है।

6.4.6 राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना

राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में गैर–रासायनिक, कम लागत वाली, जलवायु–अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक कृषि के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (पी.के.के.के.वाई.) शुरू की थी, जिसे अब राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 9.61 किसान परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ना है। इस वर्ष प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत 744 किसानों से 2178.52 क्विंटल मक्का और 99.74 क्विंटल गुणवत्ता वाली जौ (पांगी) की खरीद की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2025–26 में ₹10.58 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.7 जल से कृषि को बल योजना

सरकार ने सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "जल से कृषि को बल" योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चेक डैम और तालाब बनाए जाते हैं। किसान अलग से छोटी जल निकासी योजनाएं या प्रवाह सिंचाई योजनाएं बनाकर इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्तर पर जल–बचत प्रणाली को लागू करने का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.8 प्रवाह सिंचाई योजना

इस योजना के अंतर्गत, कुहलों के स्रोत स्थल के जीर्णोद्धार के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित कुहलों को सुदृढ़ किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक कार्यों पर होने वाला 100 प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए व्यक्तियों द्वारा बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

6.4.9 राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम

कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत, किसानों को नए विकसित उपकरण और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार भूसा काटने की मशीन, मक्का छीलने की मशीन, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूलकिट, स्टेनलेस स्टील हल, मोल्ड बोर्ड हल, बीज पात्र, पानी के टब आदि जैसे अतिरिक्त उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रही है।

6.4.10 पौष्टिक अनाजों का संवर्धन

वर्ष 2023 को बाजरा के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आई.वाई.ओ.एम.–2023) के रूप में मनाया गया। किसानों को इन फसलों के बारे में जागरूक करना और उन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है, साथ ही उन्हें आवश्यक तकनीकी सहायता और बाजार संपर्क प्रदान करना भी जरूरी है ताकि वे बाजार में अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हों। बाजरा की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित घटक प्रस्तावित हैं:

i. सब्सिडी पर बीज वितरण।
ii. मिनीकिट वितरण।
iii. बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन।
iv. किसानों को उत्पादन, फसल कटाई के बाद की तकनीक और पोषण सुरक्षा में इसके उपयोग के बारे में क्षमता निर्माण।
v. बाजरा की फार्म गेट बिक्री।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

6.4.11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.–रफतार)

राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करनाय कृषि–जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना, और स्थानीय आवश्यकताओं/फसलों/प्राथमिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करना।

विश्वविद्यालयों के साथ–साथ कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) और उद्योग एवं बागवानी विभाग इस योजना के क्रियान्वयन में हितधारक हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹25.01 करोड़ का बजट आवंटन स्वीकृत किया गया है।

6.4.12 राष्ट्रीय बांस मिशन

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गैर–वन सरकारी और निजी भूमि पर बांस के वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़े और उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध हो सके। हिमाचल प्रदेश के कृषि निदेशक को राज्य मिशन निदेशक और कृषि विभाग को मुख्य विभाग के रूप में नामित किया गया है। वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय हितधारक हैं।

6.4.13 फसल बीमा योजना

हिमाचल प्रदेश में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) खरीफ 2016 के मौसम से लागू हैं। पी.एम.एफ.बी.वाई. के अन्तर्गत खरीफ ऋतु में मक्का और धान की फसलें तथा रबी ऋतु में गेहूं और जौ की फसलें कवर की जाती हैं। इस योजना में निवारक बुवाई, कटाई के बाद होने वाले नुकसान, स्थानीय आपदाओं और खड़ी फसलों (बुवाई से कटाई तक) के नुकसान के कारण फसल हानि के विभिन्न चरणों को कवर किया गया है। खरीफ 2020 से यह योजना ऋण प्राप्त और ऋण रहित दोनों प्रकार के किसानों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के अन्तर्गत सभी कंपनियों के संयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर, एकत्रित प्रीमियम के 350 प्रतिशत से अधिक या बीमित राशि के 35 प्रतिशत से अधिक दावों (जो भी अधिक हो) का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से किया जाएगा।

आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अन्तर्गत, खरीफ ऋतु में टमाटर, अदरक, मटर, आलू, फूलगोभी, पत्तागोभी, ब्रोकोली और शिमला मिर्च की फसलें कवर की जाती हैं, जबकि रबी ऋतु में टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, लहसुन, पत्तागोभी, फूलगोभी और मटर की फसलें कवर की जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बारिश, गर्मी, सापेक्ष आर्द्रता, ओलावृष्टि, सूखा आदि जैसी मौसम संबंधी घटनाओं से होने वाले नुकसान से बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, जो फसलों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अन्तर्गत खरीफ ऋतु 2025–26 में 96,431 किसान और रबी 2025–26 में 70,950 किसान कवर किए गए हैं। 2025–26 के लिए ₹3.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.14 राज्य विस्तार सुधार कार्यक्रम (ए.टी.एम.ए) को सहायता

संशोधित विस्तार सुधार योजना ए.टी.एम.एका उद्देश्य विस्तार तंत्र को मजबूत करना और ए.टी.एम.ए के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। कृषि के अलावा, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि विभाग भी इस कार्यक्रम के हितधारक हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना के

अन्तर्गत राज्य में कृषक पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹23.61 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

6.4.15 बीज और रोपण सामग्री उप–मिशन (एस.एम.एस.पी.)

इसके अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और गेहूं के बीज का वितरण किया जाता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस घटक के कार्यान्वयन के लिए ₹11.25 करोड़ की विकास बजट योजना स्वीकृत की गई है।

6.4.16 कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (एस.एम.ए.एम.)

इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सब्सिडी पर नए विकसित उपकरण, आधुनिक मशीनरी और लैंगिक समानता के अनुकूल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रॉप रीपर कम बाइंडर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर आदि जैसी कृषि मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जरूरत के समय श्रम की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान हो सके और कृषि कार्यों को कम से कम समय में तेजी से पूरा किया जा सके, जिससे फसलों की अधिकतम उपज प्राप्त हो सके और खेती में श्रम लागत कम हो सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान और महिला किसानों के लिए सब्सिडी की दर 50 प्रतिशत है और अन्य किसानों के लिए यह लागत का 40 प्रतिशत है, जो योजना के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट योजना के किसी विशेष घटक पर अधिकतम सीमा के अधीन है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस घटक के कार्यान्वयन के लिए ₹13.16 करोड़ की विकास बजट योजना स्वीकृत की गई है।

6.4.17 कृषि वानिकी

कृषि वानिकी में सूक्ष्म जलवायु नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और छोटे किसानों के लिए आजीविका और आय के अतिरिक्त अवसर पैदा करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की क्षमता है। कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए, भारत सरकार ने हर मेढ़ पर पेड़ के आदर्श वाक्य के साथ फसलों एवं फसल प्रणाली के साथ–साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तारित करने के लिए कृषि वानिकी योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार द्वारा इस घटक के अंतर्गत ₹1.56 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

6.4.18 सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए.) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)

एन.एम.एस.ए. को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में, तैयार किया गया है। इस योजना के विभिन्न घटक हैं:

i. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
ii. कृषि विकास गतिविधियाँ

iii. जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि–निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग (सी.सी.एस. ए.एम.एम.एन)

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस घटक के कार्यान्वयन के लिए ₹3.44 करोड़ की विकास बजट योजना स्वीकृत की गई है।

6.4.19 परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)

यह योजना राष्ट्रीय कृषि प्रशासन (एन.एम.एस.ए.) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती/प्राकृतिक खेती के सतत मॉडल विकसित करना है। इसका लक्ष्य कृषि रसायनों के उपयोग के बिना दीर्घकालिक मृदा उर्वरता संवर्धन, संसाधन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन सुनिश्चित करना, मृदा उर्वरता बढ़ाना और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। योजना के मुख्य घटकों में क्लस्टर गठन और क्षमता निर्माण के लिए प्रबंधन लागत और जैविक/प्राकृतिक खेती के इनपुट पर किसानों को डी.बी.टी. के रूप में प्रोत्साहन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस घटक के कार्यान्वयन के लिए ₹6.09 करोड़ की विकास बजट योजना स्वीकृत की गई है।

6.4.20 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

यह योजना 1 जुलाई, 2015 को "हर खेत को पानी" के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के साथ कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। पी.एम.के.एस. वाई. का उद्देश्य न केवल सुनिश्चित सिंचाई के स्रोत बनाना है, बल्कि "जल सिंचाई" और "जल सिंचाई" के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का दोहन करके सुरक्षात्मक सिंचाई को बढ़ावा देना भी है। लघुसिंचाई को सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है ताकि "हर बूंद से अधिक फसल" सुनिश्चित हो सके। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस घटक के कार्यान्वयन के लिए ₹52.70 करोड़ की विकास बजट योजना स्वीकृत की गई है।

6.4.21 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना कृषि (अब डिजिटल इंडिया मिशन)

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत "उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि में परिवर्तन" नामक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे अब डिजिटल कृषि मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है और यह कृषि योजना का एक घटक है।

इस मिशन के अन्तर्गत देश भर के किसानों का एक व्यापक डेटाबेस बनाया जाएगा और प्रत्येक किसान को आधार संख्या के समान एक विशिष्ट किसान आई.डी. आवंटित की जाएगी। इस विशिष्ट आई.डी. में किसान की भूमि जोत, प्रत्येक भूखंड के जी.पी.एस.

निर्देशांक, प्रत्येक भूखंड पर उगाई गई फसलें और किसान द्वारा प्राप्त लाभों जैसी जानकारी शामिल होगी।

आधार–सक्षम यू.पी.आई. की तर्ज पर एक एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यू.एफ. एस.आई.) भी विकसित किया जाएगा। यह प्रणाली एग्रीस्टैक द्वारा विनियमित होगी और आधार नियामक ढांचे के समान कार्य करेगी।

यह केंद्रीकृत और अंतरसंचालनीय डिजिटल अवसंरचना देश भर के व्यवसायों को एक एकीकृत कृषि बाजार तक पहुंच प्रदान करेगी, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल कृषि मिशन कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राज्य के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सार्थक सुधार लाने की क्षमता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इस घटक के कार्यान्वयन के लिए ₹25.16 करोड़ की विकास बजट योजना स्वीकृत की गई है।

6.4.22 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी.एम–कुसुम)

यह योजना दूरदराज के क्षेत्रों में फसलों को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जहां सौर ऊर्जा पंपों की तुलना में बिजली की उपलब्धता महंगी है। इस योजना के अन्तर्गत सौर पंपिंग मशीनरी की स्थापना के लिए 85 प्रतिशत सहायता लघु एवं सीमांत किसान समूहों को और 80 प्रतिशत सहायता मध्यम एवं वृहत्तर किसान समूहों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक आधार पर प्रदान की जाती है।

6.5 हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) और कृषि उपज बाजार समितियाँ (ए.पी.एम.सी.)

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी.) राज्य में कृषि उपज बाजार समितियों (ए.पी.एम.सी.) के माध्यम से कृषि विपणन अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है। विपणन अवसंरचना विकसित करने के अलावा, एच.पी. एस.ए.एम.बी. कृषि और बागवानी उपज के व्यापार, वर्गीकरण और भंडारण के लिए आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान करता है।

6.5.1 भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ/नीतिगत पहलः

1. राज्य में थोक फल, सब्जी और खाद्यान्न बाजारों का संचालन और प्रबंधन। ये बाजार यार्ड विभिन्न हितधारकों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। 26 बाजार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार (ई–एन.ए.एम) से एकीकृत हैं।

2. बांद्रोल (जिला कुल्लू), शिलारू और टूटू (जिला शिमला), जाच (जिला मंडी) और परवाणू (जिला सोलन) में फल और सब्जी थोक बाजारों का निर्माण पूरा हो चुका है। कुल ₹34.57 करोड़ का व्यय किया गया है। ढ़ल्ली (शिमला) स्थित मुख्य बाजार यार्ड के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है और इस परियोजना पर अनुमानित व्यय ₹30.85 करोड़ है।
3. बिलासपुर, पराला, काथेर (सोलन) और परवाणू में बाजारों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया गया है, जिस पर ₹41.79 करोड़ का व्यय हुआ है।
4. ए.पी.एम.सी. मुख्य रूप से फल, सब्जियां और खाद्यान्न के लिए निर्मित बाजार हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में दिसंबर 2025 तक विभिन्न ए.पी.एम.सी. में 65.01 लाख क्विंटल फल और सब्जियों का व्यापार हुआ। इसका विवरण सारणी 6.7 में दिखाया गया है:

सारणी 6.7

जिलावार फल और सब्जियों की आवक

क्रमांक	ए.पी.एम.सी. का नाम	दिसंबर, 2025 फलों का आगमन (क्विंटल में)		
		फल	सब्जियां	कुल
1	बिलासपुर	8,600	33,645	42,245
2	हमीरपुर	65,258	20,726	85,984
3	मण्डी	1,15,708	2,36,264	3,51,972
4	कुल्लू और लाहौल स्पिती	5,39,265	1,20,097	6,59,362
5	कांगड़ा	87,182	2,14,662	3,01,844
6	ऊना	38,126	1,17,760	1,55,886
7	सिरमौर	18,659	56,624	75,283
8	सोलन	23,24,317	3,66,202	26,90,519
9	शिमला और किनौर	17,16,032	3,89,107	21,05,139
10	चम्बा	6,952	26,105	33,057
	कुल	49,20,099	15,81,192	65,01,291

स्रोतः कृषि उपज बाजार समिति, हिमाचल प्रदेश सरकार

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ प्रदान करने के लिए, रबी विपणन सीजन (आर.एम.एस.) और खरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस.) के दौरान 11 खरीद केंद्रों पर खाद्यान्न की खरीद की गई। 583 किसानों से कुल 2696 मीट्रिक टन गेहूं, जिसका मूल्य ₹7.27 करोड़ था, खरीदा गया। खरीफ विपणन सीजन के

दौरान, 3961 किसानों से 21,126 मीट्रिक टन धान ₹50.47 करोड़ में खरीदा गया था।

6. किसानों को सेब की बिक्री से प्राप्त राशि का भुगतान वास्तविक वजन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए, सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं और सभी सुझावों/आपत्तियों पर विचार करने के बाद, सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन (निश्चित वजन) के कार्यान्वयन हेतु 23 अप्रैल, 2024 को अधिसूचना जारी की गई। सरकार के इस निर्णय को पूरे राज्य में लागू किया गया, जिससे किसानों को वास्तविक वजन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित होने का लाभ मिला 2025 के सेब विपणन सत्र में, 2.74 करोड़ सेब के बक्सों में से 1.27 करोड़ बक्से हिमाचल प्रदेश के ए.पी.एम.सी. बाजारों में बेचे गए।

7. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और ए.पी.एम.सी. शिमला और किन्नौर ने पराला और खरापत्थर में संरक्षण और मूल्यवर्धन के लिए एक एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना स्थापित की है।

   i. यह परियोजना किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचने से बचाएगी।
   ii. परियोजना की कुल लागतः₹60.93 करोड़
   iii. 5,600 मीट्रिक टन क्षमता का सी.ए. स्टोर (हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक)
   iv. फ्रीजिंग चैंबर 1,500 मीट्रिक टन
   v. ग्रेडिंग/सॉर्टिंग लाइनः 10 मीट्रिक टन/घंटा
   vi. व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग लाइनः 1 मीट्रिक टन/घंटा
   vii. खड़ापत्थर में 60 मीट्रिक टन का प्री–कूलिंग चैंबर
   viii. 15 मीट्रिक टन क्षमता की रेफर वैन

8. हिमाचल प्रदेश में 26 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एन.ए.एम.) से एकीकृत किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक, हिमाचल प्रदेश में ई–एन.ए.एम. पोर्टल पर कुल 1,25,680 किसान पंजीकृत हैं। कुल पंजीकृत व्यापारी 2,349 हैं। हिमाचल प्रदेश में ई–एन.ए.एम. पोर्टल पर 82 वस्तुओं का व्यापार हो रहा है और ₹1,668.49 करोड़ का लेनदेन हुआ है। कुल लेनदेन की मात्रा 15,486 मीट्रिक टन है। हिमाचल प्रदेश में योजना की शुरुआत से अब तक किसानों के खातों में ₹713.64 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। ई–एन.ए.एम. पोर्टल पर 140 किसान संगठन (एफ.पी.ओ.) भी पंजीकृत हैं।चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 दिसंबर 2025 तक, ई–एन.ए.एम. के माध्यम से 7,366 किसानों के बैंक खातों में ₹101.29 करोड़ का ई–भुगतान सीधे किया गया। कुल लेनदेन की मात्रा 1.85 लाख क्विंटल थी।

9. सभी हितधारकों का पंजीकरण/लाइसेंस एच.पी.एस.ए.एम.बी. के वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 3,947 लाइसेंस डिजिटल रूप से जारी किए गए। ए.पी.एम.सी. और एच.पी.एस.ए. एम.बी. के सभी कार्यालयों में ई–ऑफिस लागू किया जा रहा है।

मुख्य उपलब्धियाँ

1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का मजबूत आर्थिक योगदान

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जी.एस.वी.ए.) का 13.73 प्रतिशत योगदान देती हैं तथा 53.95 प्रतिशत कार्यबल को आजीविका प्रदान करती हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की निरंतर केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।

2. कृषि जी.एस.वी.ए में महत्वपूर्ण वृद्धि

कृषि क्षेत्र से प्राप्त जी.एस.वी.ए वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 के बीच 45 प्रतिशत बढ़कर ₹22,428 करोड़ से ₹32,415 करोड़ हो गया, जो इस क्षेत्र के मजबूत विस्तार को दर्शाता है।

3. बागवानी क्षेत्र का तीव्र विस्तार

बागवानी का क्षेत्र 2.37 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो कुल कृषि भूमि का 26 प्रतिशत है। सेब प्रमुख फसल बना हुआ है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 प्रतिशत योगदान देता है।

4. सेब उत्पादन और विपणन में सुधार

वित्तीय वर्ष 2025 में 2.74 करोड़ सेब के बॉक्स का उत्पादन हुआ, जिनमें से 1.27 करोड़ बॉक्स ए.पी.एम.सी. मंडियों में व्यापारित हुए। सार्वभौमिक सेब कार्टन प्रणाली ने किसानों को पारदर्शी तथा वजन–आधारित भुगतान सुनिश्चित किया।

5. प्राकृतिक खेती का विस्तार

पी.के.के.के.वाय. (प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना) के अंतर्गत 2.22 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया, जिससे हिमाचल प्रदेश रसायन–मुक्त कृषि को बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य बन गया है।

6. सिंचाई क्षेत्र और जल प्रबंधन का विस्तार

पी.एम.के.एस.वाय. जल से कृषि को बल' तथा फ्लो इरिगेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों और जल संचयन संरचनाओं का विस्तार किया गया, जिससे वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

7. विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ करना

- 26 बाजार ई.–एन.ए.एम. से एकीकृत किए गए।
- 1,25,680 किसान पंजीकृत हुए।
- ₹1,668.49 करोड़ मूल्य के लेन–देन पूर्ण हुए।

6.6 बागवानी

बागवानी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सेब उत्पादकों के लिए सार्वभौमिक कार्टन की शुरुआत से विपणन क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत बकाया भुगतानों के निपटान के लिए ₹20.05 करोड़ का वितरण किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1950–51 में 792 हेक्टेयर से बढ़कर 2024–25 में 2,37,368 हेक्टेयर हो गया है। राज्य में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्रफल (8,91,926 हेक्टेयर) का 26 प्रतिशत है, जबकि उपज के मूल्य के संदर्भ में यह क्षेत्र 22 प्रतिशत का योगदान देता है (कृषि फसलों का मूल्य ₹16,076 करोड़ (सब्जियों सहित) और बागवानी फसलों का मूल्य ₹4,290.65 करोड़ (2024–25 में)। 2007–08 और 2024–25 के बीच बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 17.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेब, आम, संतरा, नाशपाती, बेर, आड़ू, गलगल और खुबानी राज्य की प्रमुख बागवानी फसलें हैं।

हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फल फसल सेब है, जो कुल फल फसलों के क्षेत्रफल का लगभग 49.01 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024–25 में कुल फल उत्पादन का लगभग 77.58 प्रतिशत है। सेब के अंतर्गत क्षेत्रफल 1950–51 में 400 हेक्टेयर से बढ़कर 1960–61 में 3,025 हेक्टेयर और वित्त वर्ष 2024–25 में 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है। वित्त वर्ष 2007–08 और वित्त वर्ष 2024–25 के बीच सेब के अंतर्गत क्षेत्रफल में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में सेब के उत्पादन में आए उतार–चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रों में विविध बागवानी उत्पादन के माध्यम से पहाड़ी राज्य की विशाल बागवानी क्षमता का पता लगाने और उसका दोहन करने का प्रयास कर रहा है।

सेब के अलावा शीतोष्ण फलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1960–61 में 900 हेक्टेयर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 27,386 हेक्टेयर हो गया है। मेवे और सूखे मेवों का क्षेत्र

1960–61 में 231 हेक्टेयर से बढ़कर 2024–25 में 9,005 हेक्टेयर हो गया है, जबकि खट्टे फल और अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों का क्षेत्र वित्त वर्ष 1960–61 में क्रमशः 1,225 हेक्टेयर और 623 हेक्टेयर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में क्रमशः 26,652 हेक्टेयर और 57,987 हेक्टेयर हो गया है। वित्त वर्ष 2024–25 में कुल फल उत्पादन 6.48 लाख टन रहा। वित्त वर्ष 2025–26 में 31 दिसंबर, 2025 तक कुल फल उत्पादन 7.33 लाख टन रहा, जबकि 1,600.27 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया और 4.49 लाख फलों के पौधे वितरित किए गए।

चित्र 6.9

बागवानी फसलों का फलवार योगदान (2024–25)

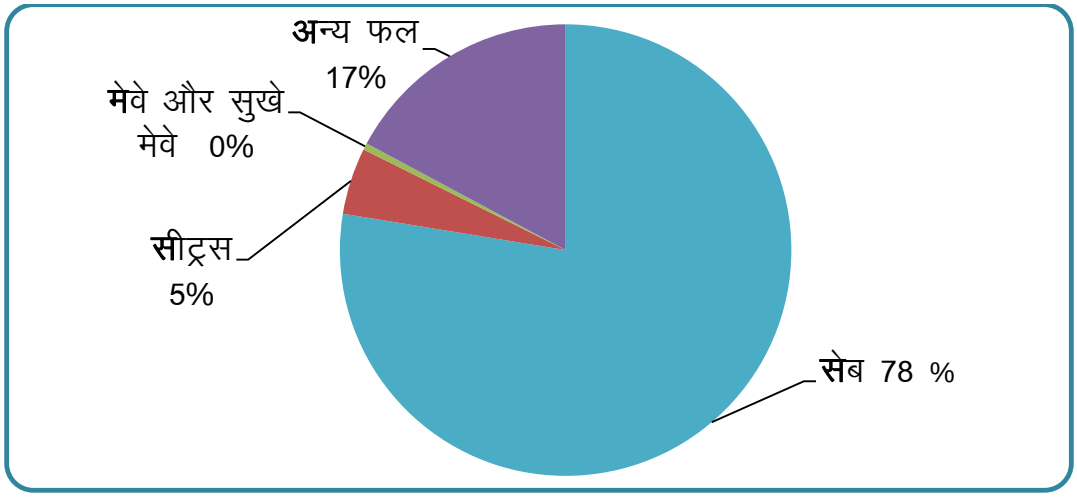

स्रोतः बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

6.6.1. बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.)

i. एम.आई.एस. के अन्तर्गत, वित्त वर्ष 2025–26 में ₹117.92 करोड़ मूल्य के 98,268 मीट्रिक टन सी–ग्रेड सेब खरीदे गए।

ii. वित्त वर्ष 2024–25 में कुल 234.17 हेक्टेयर क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती की गई।

iii. राज्य में फूलों के उत्पादन और विपणन के लिए, चंबा, हमीरपुर, लाहौल और स्पीति, शिमला और सोलन जिलों में 10 किसान सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

iv. मधुमक्खी पालन और अन्य सहायक बागवानी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत् 2330.79 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।

v. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, मशरूम के लिए 500.58 मीट्रिक टन पाश्चुरीकृत खाद का उत्पादन किया गया और सोलन, रामपुर, बाजौरा और पालमपुर स्थित विभागीय कार्यालयों के माध्यम से वितरित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 3,963.96 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ।

6.6.2 बागवानी के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएं

राज्य योजनाएं

6.6.2.1 बागवानी विकास योजना (एच.डी.एस.)

वर्ष 2025–26 के दौरान, किसानों को मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए 982 पावर स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक), 3276 पावर टिलर (<8 ब्रेक हॉर्स पावर) और 190 पावर टिलर (8 ब्रेक हॉर्स पावर) की खरीद पर सहायता प्रदान करने के लिए ₹10.69 करोड़ का उपयोग किया गया है।

6.6.2.2 ओलावृष्टि रोधी जाल लगाने की योजना

फलों की फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2024–25,के अंतर्गत राज्य के 2,737 किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ₹19.42 करोड़ का उपयोग किया गया है।

6.6.2.3 हिमाचल पुष्प क्रांति योजना

पॉलीहाउस में कार्नेशन, गुलाब, लिली, जरबेरा आदि जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने और पॉलीहाउस के निर्माण के लिए, 31 दिसंबर, 2025 तक इस योजना के अन्तर्गत 14 किसानों को ₹42.61 लाख की सहायता प्रदान की गई है।

6.6.2.4 मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान फील्ड कार्यकर्ताओं को ₹71.19 लाख आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 31 दिसंबर, 2025 तक ₹43.79 लाख का उपयोग किया जा चुका है, जिससे 39 किसानों को लाभ हुआ है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

6.6.2.5 बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एम.आई.डी.एच.)

क्षेत्र आधारित और क्षेत्रीय रूप से भिन्न रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना एम.आई.डी.एच. का कार्यान्वयन राज्य बागवानी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बागवानी के सभी उप–क्षेत्रों का व्यापक विकास करना है ताकि बागवानी उत्पादकों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह मिशन किसानों को फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों, नए बागानों, मशरूम उत्पादन, उच्च मूल्य वाले फूलों और सब्जियों की ग्रीनहाउस खेती, ओलावृष्टि रोधी जाल, बागवानी मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन जैसी बागवानी गतिविधियों के लिए 40–75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा ₹61.88 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है और ₹24.72 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से दिसंबर 2025 तक 2,75,082 किसानों को लाभ मिला है।

6.6.2.6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी.)

पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी. हिमाचल प्रदेश में 2015–16 से कार्यान्वित की जा रही एक अनूठी परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 55 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करके किसानों के लाभ के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करके फसल उत्पादकता बढ़ाना है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पी.एम.के.एस.वाई.–पी.डी.एम.सी. के लिए ₹14.94 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक ₹4.42 करोड़ की राशि प्रदान करके 385 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है, जिससे 650 किसानों को लाभ हुआ है।

6.6.2.7 प्रधानमंत्री– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (डी.पी.आर.)

इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फसल कटाई से पहले और बाद में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाकर किसानों के प्रयासों को मजबूत करना है, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण और बाजार सुविधाएं आदि की आपूर्ति में सहायता मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान ₹4.05 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से ₹2.58 करोड़ का उपयोग पी.सी.डी.ओ. में ब्लूबेरी की खेती को बढ़ावा देने, रझाणा और बागथान में जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और शिमला में शहद प्रसंस्करण इकाई के उन्नयन के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक किया जा चुका है।

6.6.2.8 मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)

यह योजना राज्य में सेब के लिए 36 ब्लॉक, आम के लिए 56 ब्लॉक, बेर के लिए 29 ब्लॉक, आड़ू के लिए 16 ब्लॉक, खट्टे फलों के लिए 58 ब्लॉक, अनार के लिए 21 ब्लॉक, लीची के लिए 38 ब्लॉक और अमरूद के लिए 22 ब्लॉक में लागू है। 2023–24 से इस योजना में लीची, अमरूद और अनार जैसी तीन नई फसलें जोड़ी गई हैं। सेब के लिए बीमा राशि ₹800 से बढ़ाकर ₹1500, आम के लिए ₹600 से बढ़ाकर ₹750, खट्टे फलों के

लिए ₹495 से बढ़ाकर ₹750, आड़ू के लिए ₹475 से बढ़ाकर ₹750 और बेर के लिए ₹520 से बढ़ाकर ₹750 कर दी गई है। लीची, अमरूद और अनार जैसी तीन नई फसलों को भी बीमा में शामिल किया गया है, जिनकी बीमा राशि क्रमशः ₹950, ₹100 और ₹560 निर्धारित की गई है। वर्ष 2024–25 के दौरान 14,637 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले 66,239 किसानों का बीमा किया गया था।

6.7 हिमाचल प्रदेश विपणन निगम (एच.पी.एम.सी.)

i. एच.पी.एम.सी. एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1974 में ताजे फल और सब्जियों के विपणन, अनुपयोगी अधिशेष उपज के प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, एच.पी.एम.सी. राज्य के फल उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी प्रतिफल प्रदान करके उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ii. 2024–25 के दौरान एच.पी.एम.सी. का कुल कारोबार ₹111.65 करोड़ रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम, सेब और खट्टे फलों की फसलों के लिए समर्थन मूल्य के साथ बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) की नीति को जारी रखा है, जो इस प्रकार है:

सारणी 6.8

राज्य में आम, सेब और खट्टे फलों की फसलों का समर्थन मूल्य

क्रम संख्या	फल का नाम	खरीद मूल्य (₹ प्रति कि.ग्रा.)
1	आम (ग्राफ्टेड किस्में)	12.00
2	आम (बीज से उगाई गई किस्में)	12.00
3	आम अचारी (कच्चा)	12.00
4	सेब	12.00
5	किन्नू, माल्टा और संतरा (बी ग्रेड)	12.00
6	किन्नू, माल्टा और संतरा (सी ग्रेड)	12.00
7	गलगल (सभी ग्रेड)	12.00

iii. एच.पी.एम.सी. एफ.पी.पी. जाड़ोल (सुंदरनगर) और एफ.पी.पी. पराला (ठियोग) में सेब के रस का सांद्रण (ए.जे.सी.) का उत्पादन कर रही है, साथ ही तीनों संयंत्रों में दो वर्षों के दौरान कुल एजेसी उत्पादन का विवरण सारणी 6.9 में दिया गया है:

सारणी 6.9

वर्ष	एफ.पी.पी. परवाणू में उत्पादन	एफ.पी.पी. जाड़ोल में उत्पादन	एफ.पी.पी. पराला में उत्पादन	कुल उत्पादन मीट्रिक टन में
2024	842	88	1047	1977
2025	859	170	1056	2085

iv. सोलन जिले के परवाणू स्थित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र (एफ.पी.पी.) में तीन श्रेणियों के प्रसंस्कृत उत्पाद निर्मित किए जाते हैं, जिनमें सेब का रस सांद्रित, सेब का अरोमा, टेट्रापैक (200 मि.ली.) और सेब का सिरका (1000 मि.ली. और 600 मि.ली.) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंडी जिले के जाड़ोल (सुंदरनगर) स्थित एफ.पी.पी. में विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, जिनमें सांद्रित उत्पाद, जैम, स्क्वैश, अचार और वाइन शामिल हैं, उत्पादित किए जाते हैं।

v. एच.पी.एम.सी. ने एफ.पी.पी. परवाणू मेसर्स आदिया सोलर के साथ सेब के गूदे को सुखाने और उसे बॉयलर ईंधन के रूप में उपयोग के लिए ब्रिकेट में परिवर्तित करने हेतु बाय–बैक आधार पर एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

vi. एच.पी.एम.सी. ने सारणी 6.10 में दी गई निम्नलिखित पार्टियों को 4 सी.ए. स्टोर और 2 ग्रेडिंग पैकिंग सुविधाएं दीर्घकालिक आधार पर, प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए, किराए पर दी हैं।

सारणी 6.10

क्रम संख्या	स्थान का नाम	क्षमता		किराये पर दी गई कंपनी का नाम
		सीए स्टोर (मीट्रिक मीटर)	जी एंड पीलाइन (मीट्रिक मीटर/घंटे)	
1	एच.एम.पी.सी. जाड़ोल (शिमला)	2062	4	मेसर्स अदानी एग्रीफ्रेश
2	एच.एम.पी.सी. रिकांगपीओ (किन्नौर)	250	3	मेसर्स अदानी एग्रीफ्रेश
3	एच.एम.पी.सी. तुतुपानी (शिमला)	–	5	मेसर्स अदानी एग्रीफ्रेश
4	एच.एम.पी.सी. रोहडू (शिमला)	2020	4	मेसर्स अंगद फ्रूट रैंच
5	एच.एम.पी.सी.	500	5	मेसर्स ग्रीन लीफ कोकोस

	कटलोग (मनाली)			
6	एच.एम.पी.सी. गियाबोंग (किन्नौर)	–	5	मेसर्स सूरी एग्री फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड

चित्र 6.10

सेब के रस का उत्पादन (मीट्रिक टन में)

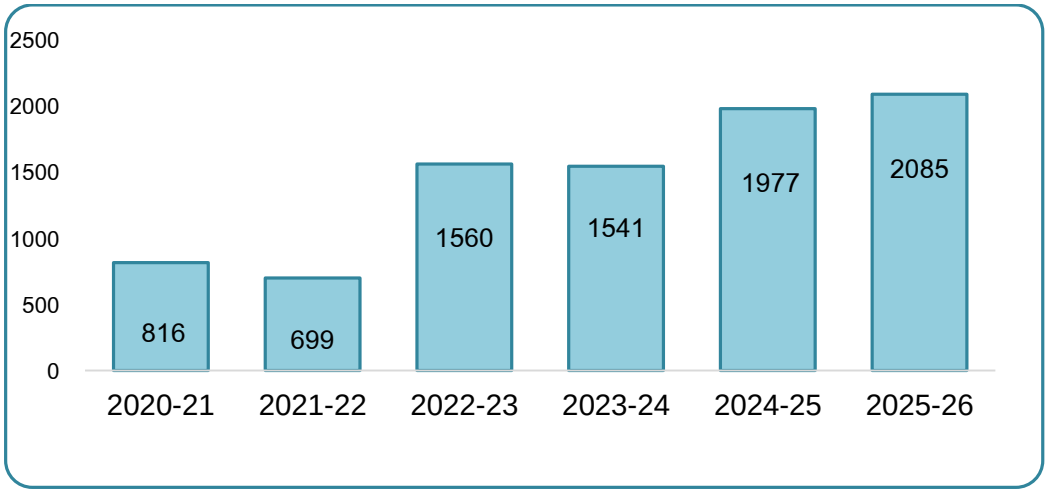

6.8 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क. राज्य स्तर प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

मुद्दे / चुनौती	प्रमाण	प्रभाव
1. भूमि का खंडन और छोटी जोतें	88.86 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत हैं, औसत भूमि जोत केवल 0.95 हेक्टेयर है।	यंत्रीकरण, बड़े पैमाने पर खेती और उत्पादकता सीमित होती है तथा उत्पादन लागत बढ़ती है।
2. वर्षा आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता	लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा आधारित है।	मानसून की अनिश्चितता, फसल विफलता और जलवायु झटकों के प्रति अधिक संवेदनशीलता।
3. भौगोलिक सीमाएँ और मृदा अपरदन का जोखिम	पर्वतीय भू–भाग के कारण कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार संभव नही, ढलानों के सुधार से अपरदन बढ़ता है।	क्षैतिज विस्तार सीमित होता है तथा पर्यावरणीय क्षरण होता है।
4. जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम	अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि, शुष्क अवधि 2025 के मानसून में सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई।	फसल क्षति और उत्पादकता में उतार–चढ़ाव, विशेषकर सेब जैसी बागवानी फसलों में।

5. वन्यजीव और आवारा पशुओं का खतरा	बंदर और अन्य जंगली जानवरों द्वारा भारी फसल नुकसान, इसके कारण बाड़बंदी योजनाएँ शुरू की गईं।	किसानों की लागत बढ़ती है और प्रभावित क्षेत्रों में खेती हतोत्साहित होती है।
6. कृषि आदानों की आपूर्ति संबंधी सीमाएँ (बीज, उर्वरक, आई. पी..एम.)	उच्च उपज किस्मों के बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और कीट/रोग प्रबंधन की आवश्यकता।	कम उत्पादकता और फसल हानि का अधिक जोखिम।
7. कटाई पश्चात और बाजार अवसंरचना की कमी	सुधारों के बावजूद बागवानी उत्पादन की मात्रा के अनुसार कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं।	कटाई पश्चात हानि, मजबूरी में बिक्री और किसानों की आय में कमी।
8. सेब उत्पादकता में उतार–चढ़ाव	सेब उत्पादन में बार–बार उतार–चढ़ाव दर्ज किया गया है।	बागवानी आधारित क्षेत्रों पर प्रभाव, बाजार स्थिरता और आजीविका प्रभावित।
9. श्रम की कमी और बढ़ती लागत	युवाओं का पलायन और महँगा श्रम विशेषकर बागवानी और सब्जी खेती को प्रभावित करता है।	उत्पादन लागत बढ़ती है और समय पर कृषि कार्यों में देरी होती है।

ख. जिला स्तर प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	प्रमाण
1. अत्यधिक वर्षा परिवर्तनशीलता	बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, मंडी, सोलन, ऊना (अधिक वर्षा) /लाहौल–स्पीति (कम वर्षा)	जिला वर्षा पैटर्न में व्यापक अंतर 2025 के मानसून में –21 प्रतिशत से +96 प्रतिशत तक भिन्नता।
2. सेब क्षेत्र में उच्च जलवायु संवेदनशीलता	शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी	हाल के वर्षों में सेब उत्पादन में उतार–चढ़ाव की रिपोर्ट।
3. सीमित सिंचाई और वर्षा आधारित निर्भरता	कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, ऊना (बड़े वर्षा आधारित क्षेत्र)	80 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा आधारित होने से इन जिलों पर अधिक प्रभाव।
4. वन्यजीव अतिक्रमण और फसल नुकसान	शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर	बंदरों और जंगली जानवरों के खतरे के कारण बाड़बंदी योजनाओं का उल्लेख।
5. बागवानी पर अधिक निर्भरता से बाजार दबाव	शिमला, किन्नौर, सोलन, कुल्लू	सेब कुल फल उत्पादन का 77.58 प्रतिशत हिस्सा है, एक ही फसल पर अधिक निर्भरता।
6. शीत मरुस्थलीय क्षेत्र की बाधाएँ	लाहौल–स्पीति	वर्षा की कमी (–21 प्रतिशत से –48 प्रतिशत) और कृषि–जलवायु

		सीमाएँ।
7. सब्जी क्षेत्रों में कटाई पश्चात हानि का उच्च जोखिम	सोलन, सिरमौर, कांगड़ा	सब्जियाँ व्यावसायिक फसलों का 50.55 प्रतिशत योगदान देती हैं, अधिक कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की आवश्यकता।
8. मृदा अपरदन और भौगोलिक चुनौतियाँ	चंबा, किन्नौर, कुल्लू	तीव्र ढलान फसल विस्तार को सीमित करते हैं, अपरदन का जोखिम।
9. श्रम की कमी से कृषि कार्य प्रभावित	सेब और सब्जी जिलेः शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी	बागवानी में श्रम की कमी बढ़ती समस्या के रूप में सामने आई है।
10. सिंचाई अवसंरचना में कमी	सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना	पी.एम.के.एस.वाय. और जल से कृषि को बल जैसी योजनाएँ बेहतर सिंचाई की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

6.9 भावी दिशा

हिमाचल प्रदेश के लिए रणनीतिक मार्ग उच्च मूल्य वाली, जलवायु–अनुकूल और निर्यात–उन्मुख कृषि की ओर विविधीकरण को गहरा करने और लघु किसानों की व्यवहार्यता को मजबूत करने में निहित है। मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए पी.एम. के.एस.वाई. और पी.एम.–कुसुम के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई, जल संचयन संरचनाओं और सौर पंपिंग के विस्तार में तेजी लानी चाहिए। कृषि–जलवायु क्षेत्रीकरण के आधार पर जलवायु–अनुकूल फसल किस्मों, विशेष रूप से सेब और शीतोष्ण फलों में, साथ ही कीवी, मेवे, बाजरा और औषधीय पौधों में क्षेत्र–विशिष्ट विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और सहकारी विपणन को मजबूत करने से एकत्रीकरण, सौदेबाजी शक्ति और मूल्यवर्धन में वृद्धि हो सकती है। कोल्ड चेन, नियंत्रित वातावरण भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और ऑफ–सीजन विपणन संभव हो सकेगा। प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए वास्तविक समय मूल्य निर्धारण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पहचानने की क्षमता के लिए एग्रीस्टैक और ई–एन.ए.एम. के माध्यम से डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक मान्यता, प्रमाणन सहायता और प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने से हिमाचल प्रदेश एक विशिष्ट उच्च–मूल्य उत्पादक के रूप में स्थापित हो सकता है। श्रम की कमी को दूर करने के लिए छोटे खेतों के अनुरूप मशीनीकरण, ड्रोन आधारित छिड़काव और सटीक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना

चाहिए। सामुदायिक बाड़बंदी और पर्यावास रणनीतियों सहित वन्यजीव प्रबंधन समाधानों के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच को एकीकृत करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण–जलवायु अनुकूलन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण द्वारा समर्थित–स्थायी आय वृद्धि सुनिश्चित करेगा और हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श पहाड़ी कृषि और बागवानी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा।

******

अध्याय

7

पशुपालन

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका**	हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आय का एक प्रमुख स्तंभ पशुपालन है, जिसको 95 प्रतिशत परिवार अपनाते हैं। यह पोषण, रोजगार और जलवायु एवं कृषि संबंधी जोखिमों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
2	**पशुधन जनसंख्या संरचना**	राज्य में 44.13 लाख पशुधन और 13.42 लाख मुर्गीपालन हैं, जिनमें गाय, बकरी और भेड़ की प्रधानता है, संकर नस्ल की गायें कुल पशुधन का 58.48 प्रतिशत हैं।
3	**दुग्ध उत्पादन में वृद्धि**	दुग्ध उत्पादन 11.39 लाख टन (2012–13) से बढ़कर 17.50 लाख टन (2025–26 अनुमानित) हो गया है, जिसमें 3.4 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. है गाय का दूध कुल उत्पादन का 71 प्रतिशत है।
4	**प्रति व्यक्ति दूध की उच्च उपलब्धता**	प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 455 ग्राम/दिन से बढ़कर 698 ग्राम/दिन (2025–26) हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत (427 ग्राम/दिन) से काफी अधिक है।
5	**अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र का योगदान**	पशुधन क्षेत्र का सकल पशुधन उत्पादन (जी.वी.ओ.) ₹5,496 करोड़ (2018–19) से बढ़कर ₹9,823 करोड़ (2025–26) हो गया अकेले दूध का पशुधन मूल्य में 94.8 प्रतिशत योगदान है।
6	**डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार (हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड)**	हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड का विस्तार 1,214 समितियों तक हो गया है, जिनमें 48,500 सदस्य हैं और दिसंबर 2025–26 तक 610.5 लाख लीटर दूध की खरीद की जाती है दत्तनगर और धगवार में नए संयंत्रों से प्रसंस्करण को मजबूती मिली है।
7	**आनुवंशिक सुधार और पशु स्वास्थ्य सेवाएं**	22.59 लाख कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की गईं वीर्य केंद्रों को मजबूत किया गया 2,234 पशु चिकित्सा संस्थान रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हैं।

8	**ऊन, भेड़ और बकरी का विकास**	भेड़ पालन फार्मों को मजबूत किया गया, 1,21,921 भेड़ों की ऊन उतारी गई, 54,446 किलोग्राम ऊन प्राप्त हुई, ऊन उत्पादन 1,550 टन (2025–26) अनुमानित है।
9	**मुर्गी पालन और मत्स्य विकास**	घरेलू मुर्गी पालन और ब्रॉयलर योजनाएँ लागू की गईं मत्स्य उत्पादन 12,255.98 टन (दिसंबर 2025–26 तक) तक पहुँच गया, जिसमें जलाशय आधारित आजीविका सहायता प्रदान की गई।
10	**किसानों के लिए कल्याण और सब्सिडी योजनाएँ**	कई योजनाएँ बी.पी.एल. राशन सब्सिडी, उत्तम पशु पुरस्कार, बकरी पालन योजना, पी.एम.एम.एस.वाई, टीकाकरण अभियान आय सुरक्षा, नस्ल सुधार और जोखिम न्यूनीकरण में सहायता प्रदान करती हैं।

7.1 परिचय–पशुपालन

पशुपालन हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है, जो आय सृजन, रोजगार और अजीविका की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य का विभिन्न भौगोलिक स्वरूप और विविध कषि–जलवायु क्षेत्र पशुधन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं, जिससे यह क्षेत्र फसल आधारित कषि को एक मजबूत सहारा प्रदान करता है। पारम्परिक कृषि पद्धतियों में गहराई से एकीकृत, पशुधन पालन न केवल खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराता है, बल्कि खेत स्तर पर आवश्यक आगत जैसे खाद, जोत सेवाएँ और परिवहन भी उपलब्ध कराता है, साथ ही दूध, ऊन और अण्डों के संसाधन–कुशल और सतत उत्पादन को बढ़ावा देता है।

पशुधन क्षेत्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह कषि आय में वृद्धि करता है, परिवारों को आय में उतार–चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है, और विशेषकर लघु और सीमांत किसानों के बीच अजीविका सुरक्षा को मजबूत बनाता है। कम पूँजी आवश्यकताओं के कारण यह क्षेत्र स्वरोजगार और समावेशी आर्थिक भागीदारी के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। उत्पादकता, पशु चिकित्सा देखभाल और बाजार संयोजनता में सुधार, लक्षित सार्वजनिक पहल के समर्थन से, परिवारों की आय में वृद्धि , बेहतर पोषण परिणामों और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का कारण बने हैं, जिससे समानतामूलक और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की भूमिका और सुदृढ़ हुई है।

7.1.1 पशुधन के माध्यम से समावेशी विकास

हिमाचल प्रदेश में पशुपालन ग्रामीण अजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो पशु स्वास्थ्य में सुधार, दूध, मांस और अण्डों के उत्पादन में वृद्धि और जोत शक्ति के माध्यम से कृषि कार्यों को समर्थन प्रदान करता है। पशुधन एक प्रमुख परिवारी संपत्ति और जोखिम–कमी तन्त्र के में कार्य करता है, जो पोषण, आय और कृषि तथा जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के विरूद्ध सहनशक्ति प्रदान करता है। यह अध्याय पशुपालन और मत्स्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है और उनके सतत विकास के समर्थन में प्रमुख सरकारी पहलों की समीक्षा करता है।

7.1.2. दूध, मांस और अंडा–विकास के मुख्य कारक

पशुधन जनसंख्या

पशुपालन क्षेत्र गैर–सरकारी रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और आहारीय वसा तथा प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश

में पशुपालन व्यापक से किया जाता है, जहाँ लगभग 95 प्रतिशत परिवार पशुधन पालते हैं, मुख्यतः गाय और भैंस। वन, चराई भूमि, जल स्रोत तथा कृषि भूमि जैसे सामान्य सम्पत्ति संसाधनों के समर्थन से यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली एक प्रमुख गतिविधि के में उभरा है, जो राज्य में पारम्परिक पशुपालन उत्पादन प्रणालियों को समर्थन प्रदान करता है।

पशुधन जनगणना, 2019 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पशुधन और मुर्गी पालन के मुख्य आंकड़े नीचे चित्र 7.1 में दिखाए गए हैं।

चित्र 7.1

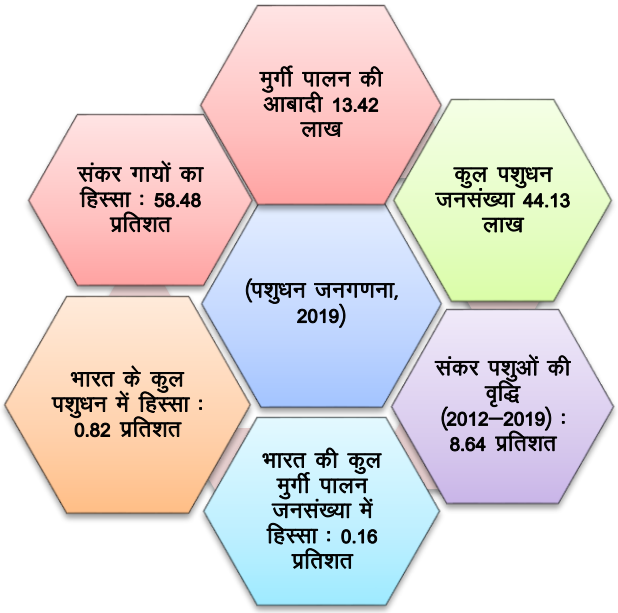

चित्र 7.2

2019 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रजाति–वार पशुधन जनसंख्या

(लाख में)

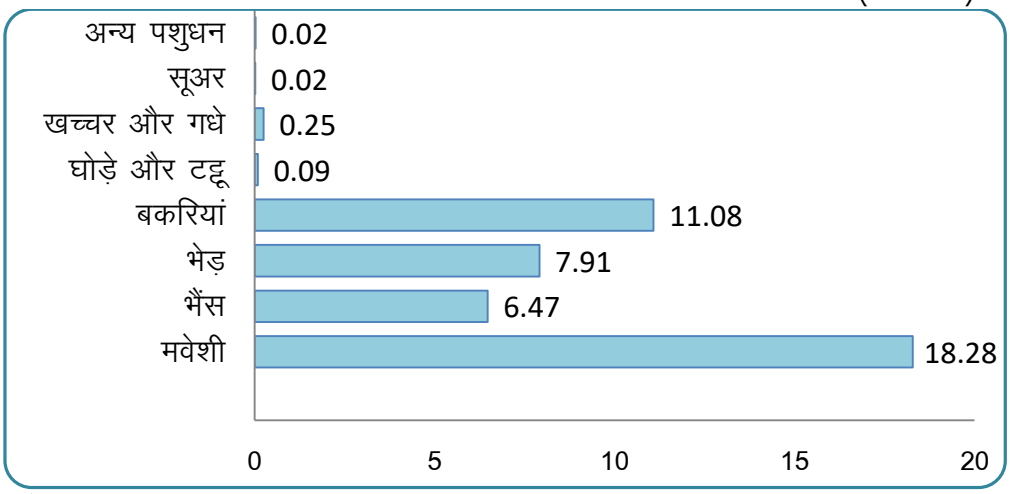

स्रोत : पशुधन जनगणना 2019

7.1.3 दूध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

डेयरी, भेड़ और मुर्गीपालन इकाइयों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ अग्रेतर तथा पश्चात् सम्पर्कों के विकास और संगेठित विपणन मार्गों ने ग्रामीण जीवनयापन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन हस्तक्षेपों ने आय असमानताओं को कम करने, उत्पादकों के लिए मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने और देशी पशु नस्लों तथा घरेलू जैव विविधता के संरक्षण में योगदान दिया है। पशुधन आधारित उत्पादन प्रणालियाँ बिना भूजल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाले शुष्क और अर्द्ध–शुष्क क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन का एक व्यावहारिक साधन प्रदान करती हैं।

पशुधन बीमा को बड़ी संख्या में भेड़ और बकरी पालक परिवारों तक विस्तार दिया गया है, जो अप्रत्याशित नुकसान के विरूद्ध एक प्रभावी जोखिम–शमन तन्त्र प्रदान करता है। समस्त रूप से, पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि और विकास ने न केवल आर्थिक सृमद्धि और जीवनयापन सुरक्षा में योगदान दिया है, बल्कि पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं को भी बढ़ावा दिया है, इस प्रकार संतुलित ग्रामीण विकास और पारिस्थितिकीय संरक्षण को समर्थन प्रदान किया है।

चित्र 7.3

कुल दूध उत्पादन में प्रजाति–वार हिस्सा (प्रतिशत में)

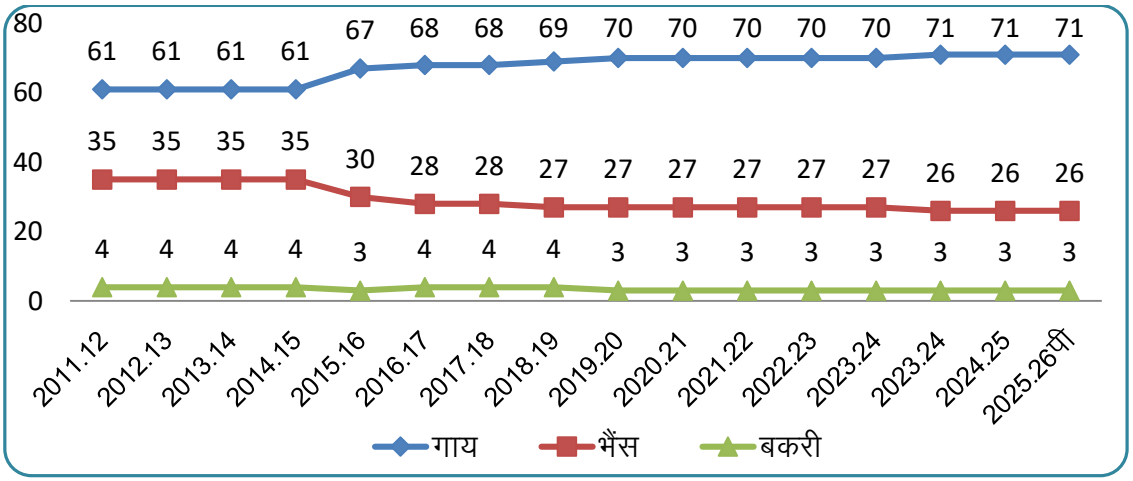

स्रोतः पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012–13 से 2025–26 की अवधि के दौरान दूध उत्पादन की प्रवृति सारणी 7.1 में प्रस्तुत की गई है। राज्य में दूध उत्पादन वर्ष 2012–13 के 11.39 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2025–26 में अनुमानित 17.50 लाख टन हो गया है, जो 3.8 प्रतिशत की चक्रवद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) दर्ज करता है। कुल दूध उत्पादन में गाय के दूध की प्रभुता है, जो लगभग 71.0 प्रतिशत है, इसके बाद भैंस के दूध का 26.0 प्रतिशत और बकरी के दूध का लगभग 3.0 प्रतिशत योगदान है। वर्ष 2011–12 से 2025–26 की अवधि

के दौरान कुल दूध उत्पादन में विभिन्न प्रजातियों के योगदान को चित्र 7.3 में दर्शाया गया है।

राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है

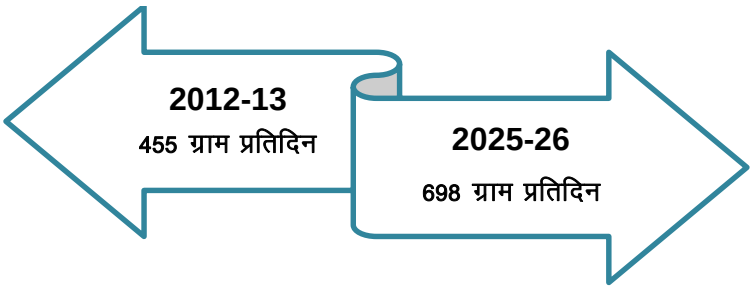

यह 2025–26 में राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम प्रति दिन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

सारणी 7.1

हिमाचल प्रदेश में दूधउत्पादन (लाख टन) प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (2012–13 से 2025–26 तक दूध उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन)

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)
2012–13	11.39	—	455
2013–14	11.51	1.1	460
2014–15	11.70	1.7	468
2015–16	12.83	9.7	511
2016–17	13.28	3.5	531
2017–18	13.92	4.8	556
2018–19	14.71	5.7	588
2019–20	15.31	4.1	612
2020–21	15.76	2.9	630
2021–22	16.15	2.5	645
2022–23	16.17	0.12	645
2023–24	17.50	8.23	697
2024–25	18.24	4.23	728
2025–26 अनुमानित	17.50	–4.10	698
संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.)	3.4	—	3.3

स्रोतः पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

डेयरी क्षेत्र का प्रदर्शन

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

- 11.39 लाख टन (2012–13) → 17.50 लाख टन (2025–26 अनुमानित)
- सी.ए.जी.आर. : 3.4 प्रतिशत
- प्रति व्यक्ति उपलब्धता:
  - 455 ग्राम/दिन (2012–13)
  - 698 ग्राम/दिन (2025–26)
  - राष्ट्रीय औसत : 427 ग्राम/दिन

दुग्ध उत्पादन में प्रजाति–आधारित हिस्सेदारी (2025–26)

गाय	71 प्रतिशत
भैंस	26 प्रतिशत
बकरी	3 प्रतिशत

पशुपालन क्षेत्र का सकल उत्पादन मूल्य (वित्त वर्ष 2025–26)

- कुल सकल उत्पादन मूल्य : ₹9,823 करोड़
- केवल दुग्ध का योगदान : 94.8 प्रतिशत (₹9,315 करोड़)

निष्कर्ष: डेयरी, पशुपालन क्षेत्रा के अंतर्गत प्रमुख आर्थिक प्रेरण शक्ति के रूप में उभरकर सामने आयी है।

7.1.4. मांस और मुर्गी उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में अण्डा उत्पादन में हल्का गिरावट देखी गई है, जो 2011–12 में 10.50 लाख से घटकर 2025–26 में अनुमानित 9.45 लाख हो गया है, जैसा कि चित्र 7.4 में दर्शाया गया है।

इसके विपरीत, राज्य में मांस उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो 2011–12 में 39.66 हजार टन से बढ़कर 2025–26 में अनुमानित 55.50 हजार टन हो गया है, जैसा कि चित्र 7.5 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 7.4

हिमाचल प्रदेश में अण्डा उत्पादन 2011–12 से 2025–26 तक

अण्डे (लाख में)

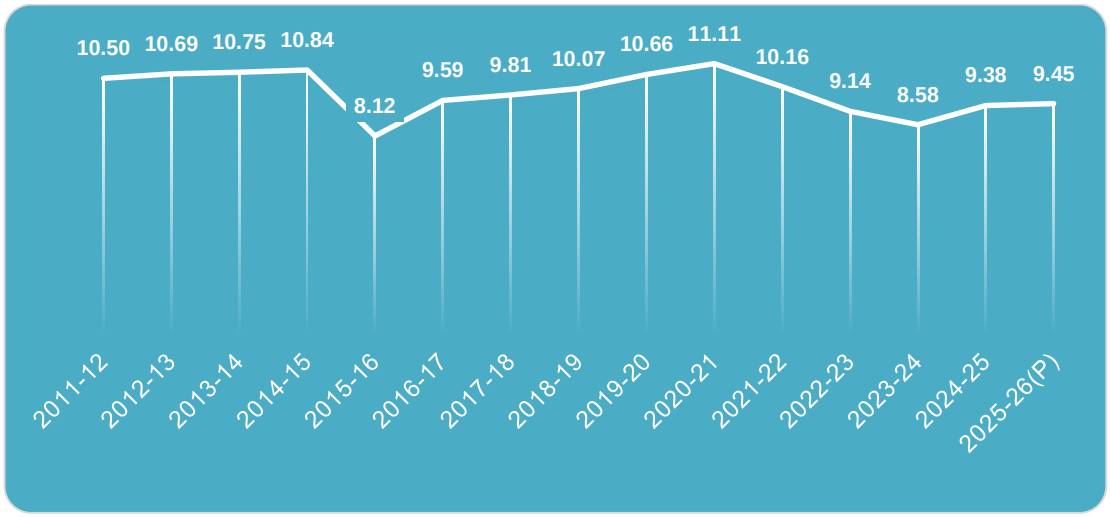

स्रोतः पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 7.5

मांस उत्पादन (2011–12 से 2025–26 तक) (000 टन)

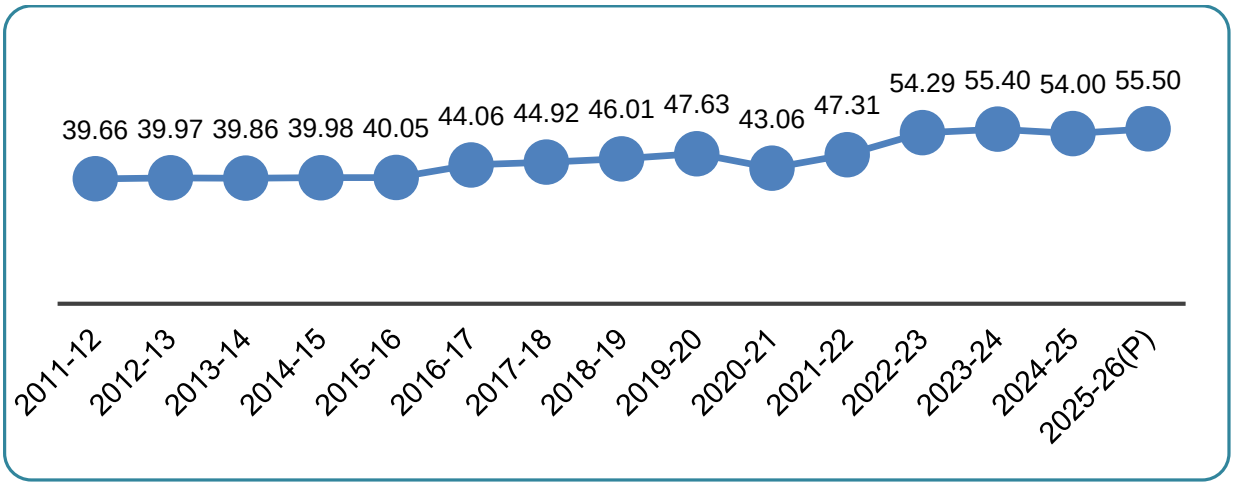

स्रोत : पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.1.5 पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि

हिमाचल प्रदेश में पशुपालन, कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो आय के विविधीकरण, पोषण सुरक्षा तथा रोजगार सृजन में, विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातिय क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण योगदान देता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस क्षेत्र का योगदान कुल राज्य सकल मूल्य संवर्धन का 2.40 प्रतिशत तथा कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों के जी.एस.वी.ए. का 17.45 प्रतिशत रहा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में इसके संरचनात्मक महत्व को दर्शाता है।

पशुपालन क्षेत्र के सकल उत्पादन मूल्य में विगत कुछ वर्षों के दौरान निरंतर एवं स्थायी वृद्धि देखी गई है। वर्तमान मूल्यों पर जी.वी.ओ. वित्त वर्ष 2018–19 में ₹5,496 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 (अग्रीम अनुमान) में ₹9,823 करोड़ तक पहुँच गया, जो इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। यह वृद्धि गतिपथ दूध, मांस, अंडों तथा अन्य पशु उत्पादों की बढ़ती मांग, उन्नत नस्ल प्रबन्धन, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा बाजार सम्पर्कों की सुदृढ़ता का परिणाम है।

जलवायु एवं बाजार की अनिश्चितताओं के बीच भी पशुपालन क्षेत्र की सहनशीलता कृषि अर्थव्यवस्था के एक स्थायी घटक के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है। फसल कृषि के विपरीत, पशुपालन किसानों को अपेक्षाकृत अधिक नियमित एवं सुनिश्चित आय का स्रोत प्रदान करता है, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों की आय में उतार चढ़ाव में कमी आती है।

पशुपालन क्षेत्र के विभिन्न घटकों का योगदान चित्र 7.6 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.6

हिमाचल प्रदेश में पशुपालन सकल उत्पादन मूल्य का विभाजन (2025–26)

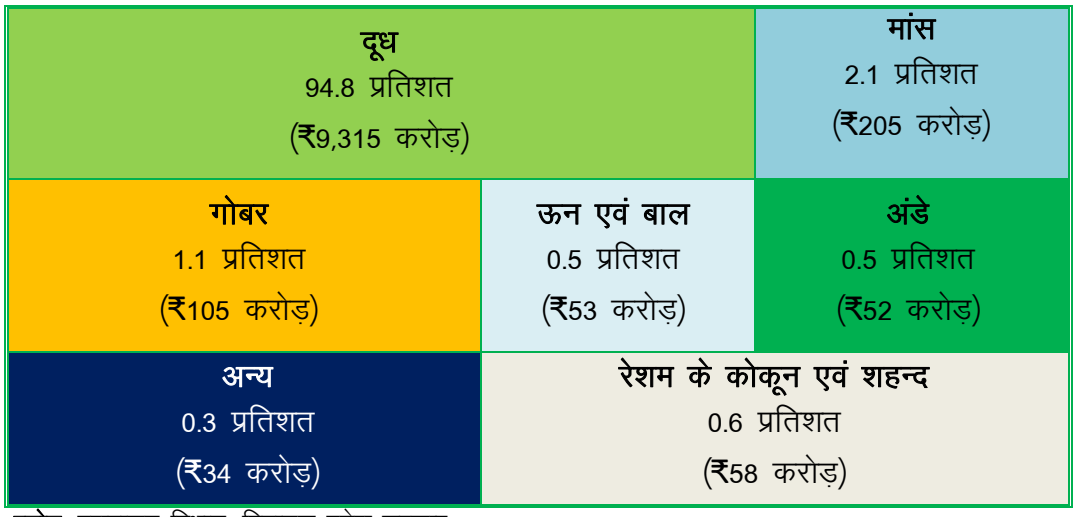

स्त्रोतः पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त वर्ष 2025–26 (अग्रीम अनुमान) में पशुपालन क्षेत्र ने 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2018–19 से 2025–26 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र ने औसतन 8.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जबकि इसी अवधि में फसल क्षेत्र की औसतन वृद्धि दर (+)2.6 प्रतिशत रही।

पशुपालन क्षेत्र का तुलनात्मक रूप से उच्च एवं स्थिर वृद्धि प्रदर्शन कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के अंतर्गत इसकी सहनशीलता ता एवं प्रतिचक्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। जहां फसल उत्पादन जलवायु परिवर्तनीयता, बाजार उत्तार–चुढ़ाव तथा आगत लागत दबाव से प्रभावित रहता है, वहां पशुपालन गतिविधियां अपेक्षाकृत स्थिर आय का

स्रोत प्रदान करती हैं। इस प्रकार, पशुपालन क्षेत्र का सतत विस्तार राज्य में कृषि आयों को स्थिर बनाने तथा ग्रामीण जीविका को बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

7.2 पशुधन हेतु सरकारी पहल

राज्य पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण आर्थिक क्षमता को मान्यता देता है तथा इसी अनुसार एक व्यापक पशुधन विकास रणनीति के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। यह रणनीति निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है:

- पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण
- गाय विकास
- भेड़ प्रजनन एवं ऊन विकास
- कुकुट विकास
- चारा एवं चाराखाद्य विकास
- पशु चिकित्सा शिक्षा
- पशुधनगणना

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, 31 दिसम्बर 2025 तक राज्य में कार्यरत पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध संस्थानों की संख्या सारणी 7.2 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 7.2

पशु स्वास्थ्य संस्थाएं

क्रम सं.	विवरण	संस्थाओं की संख्या
1	राज्य स्तर पशु चिकित्सा अस्पताल	1
2	जोनल अस्पताल	3
3	बहु विशेषज्ञ चिकित्सालय	10
4	उप–मंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल	60
5	पशु चिकित्सा अस्पताल	362
6	केन्द्रीय पशु चिकित्सा औषधालय	30
7	पशु चिकित्सा जांच पद	6
8	पशु चिकित्सा औषधालय	1762
कुल		2234

स्रोत : पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रजनक सम्पूर्ण राज्य में सुदृढ़ किए गए भेड़ प्रजनन फार्मों से लाभान्वित होते हैं, जो भेड़ों की आनुवांशिकी और ऊन की गुणवत्ता में सुधार पर केन्द्रित हैं। ज्यूरी (शिमला), ताल

(हमीरपुर) एवं कढ़छम (किन्नौर) स्थित सरकारी फार्म उन्नत भेड़ों की आपूर्ति करते हैं, जबकि नगवाईं (मंडी) स्थित मेड़ केन्द्र संस्करण हेतु उत्तम मेड़ उपलब्ध कराता है।

शुद्ध हागेट की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा रूसी मेरिनो एवं अमेरिकन रैम्बौलेट नस्लों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सरकारी फार्म पर शुद्ध प्रजनन पद्धतियों को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, नौ भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र गड़रियों के कल्याण का समर्थन करते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान ऊन उत्पादन का अनुमान 1,550 टन है। कण्डवाड़ी (कांगड़ा) एवं नगवाईं (मंडी) में अंगोरा खरगोश फार्म पालकों को खरगोश वितरित करने हेतु कार्यरत हैं।

सारणी 7.3

कृत्रिम गर्भाधान की स्थिति

(आँकड़े लाख में)

क्रम सं.	मद	2025–26 (दिसम्बर 2025 तक) (उपलब्धि)	2025–26 (लक्ष्य)
1	गायों के लिए उत्पादित सीमन स्ट्रा (लाख)	2.06	7.00
2	भैंसों के लिए उत्पादित सीमन स्ट्रा (लाख)	1.54	2.50
3	लिक्विड नाइट्रोजन (एल एन 2) (लाख लीटर)	2.64	6.00
4	कृत्रिम गर्भाधान गाय (लाख)	3.77	6.40
5	कृत्रिम गर्भाधान भैंसो (लाख)	0.72	2.20

स्रोत : पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्पीति घोड़ा नस्ल के संरक्षण और निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु लाहौल एवं स्पीति जिले के लरी में एक अश्व प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। लरी फार्म में वर्तमान पशुधन संख्या को सारणी 7.4 में प्रस्तुत किया गया है:

सारणी 7.4

लरी फार्म में पशुधन संख्या

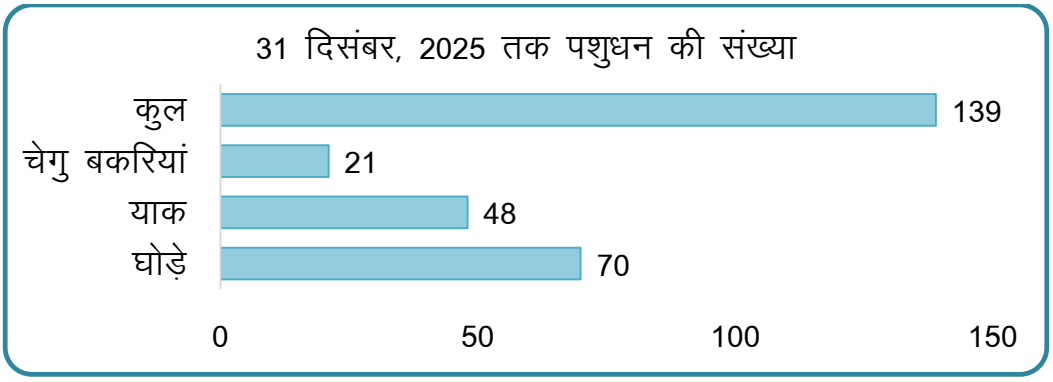

7.2.1 पशुपालकों के लिए कल्याण योजना

- **सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे किसानों के लिए योजना**

इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों को देशी एवं संकर गायों को गर्भावस्था के अंतिम तीन माह के दौरान 3 कि.ग्रा. प्रति दिन की दर से गर्भावस्था राशन पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 19,560 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

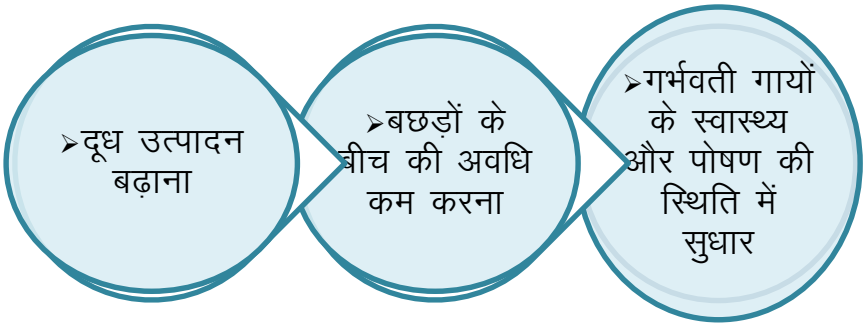

- **उत्तम पशु पुरस्कार योजना**

उत्तम पशु पुरस्कार योजना ₹1.00 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 15 लीटर या उससे अधिक दूध प्रतिदिन उत्पादन करने वाली दुग्ध गाय या भैंसों के स्वामित्व वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पशु पर प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

7.2.2. मुर्गी पालन विकास योजनाएं

हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मुर्गी पालन क्षेत्र को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए, विभाग ने निम्नलिखित मुर्गीपालन विकास परियोजनाएं लागू की हैं।

- **घरेलू मुर्गी पालन परियोजना** कम लागत प्रौद्योगिकी (एल.आई.टी.) योजना के अन्तर्गत

3 सप्ताह के चूजों को 10–100 के बैच में मुर्गी पालकों को लागत मूल्य पर वितरित किया जाता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, दिसंबर 2025 तक, 246 लाभार्थियों को 10,440 चूजे वितरित किए गए।

- **हिम कुक्कुट पालन योजना** वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, ब्रॉयलर मुर्गी पालन योजना के अन्तर्गत ₹45.00 लाख आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को 3,000 एक दिन के ब्रॉयलर चूजे, चारा, फीडर और पानी के बर्तन के साथ दिए जाते हैं। शेड निर्माण, फीडर और पानी के बर्तन सहित पूंजी निवेश और चूजे और चारे जैसे आवर्ती खर्चों पर 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिसंबर 2025 तक, 11 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

7.2.3. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)

भर्ती एवं आनुवांशिकी सुधार (आर.जी.एम.) दूध उत्पादन और गोवंशीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि दूध की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके तथा ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय की लाभप्रदाता में वृद्धि हो। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में निम्नलिखित आर.जी.एम. गतिविधियों को अपनाया और लागू किया जा रहा है।

- **देशव्यापी कत्रिम गर्भाधन योजना (एन.ए.आई.पी.):** इस योजना का उद्देश्य किसानों के द्वार पर गुणवत्तायुक्त कत्रिम गर्भाधन सेवाएं उपलब्ध कराना, दूध उत्पादन और गोवंशीय उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा कृत्रिम गर्भाधन सेवाओं के प्रति किसानों की स्वीकार्यता बढ़ाना है। यह घटक राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है तथा इसमें सभी प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों की आबादी को शामिल किया जाएगा। अब तक 22,59,322 कृत्रिम गर्भाधन किए जा चुके हैं।

- **जिला कांगड़ा में प्रोजेनी टेस्ट (जर्सी) कार्यक्रमः** यह पहल जिला कांगड़ा के लगभग 800 राजस्व गाँवों में 115 विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से लागू की जा रही है। ₹847.41 लाख कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर व्यय किए गए हैं। उच्च आनुवांशिकी गुणवत्ता वाले साँडों से नामंकित सीमन स्ट्रॉ उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। अब तक 1,61,163 कृत्रिम गर्भाधन परीक्षण सीमन खुराकों से किए जा चुके हैं।

- **वर्तमान सीमन स्टेशनों का सुदढ़ीकरण (एस.एस.):** भारत सरकार ने जिला कांगड़ा के पालमपुर तथा जिला सोलन के अडुवाल स्थित राज्य सीमन स्टेशनों को सुदृढ़ करने के लिए ₹13.51 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

7.2.4 हिमाचल प्रदेश में सभी श्रेणी के भेड़ पालकों को अनुदान पर मेढ़ों की उपलब्धता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के उन सभी भेड़ पालकों को, जिनके पास कम से कम 20 भेड़ें हैं, प्रजनन मेढ़ों की लागत का 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

7.2.5 कृषक बकरी पालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत 11 बकरियों (10 मादा + 1 नर), 5 बकरियों (4 मादा + 1 नर) तथा 3 बकरियों (2 मादा + 1 नर) की इकाईयां बकरी पालकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर वितरित की जाती हैं, ताकि सभी श्रेणी के बकरी पालकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

7.2.6 पशु रोग नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा पशुधन टीकाकरण के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय अंश तथा 10 प्रतिशत राज्य अंश के लागत–साझेदारी आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत हेमोरैज्जिक सेप्टीसीमिया एवं ब्लैक क्वार्टर (एच.एस.बी.क्यू.), एंटरोटॉक्सीमीया (ई.टी.), पेस्ट देस पेटिस रूमिनैन्ट्स (पी.पी.आर.), रानिखेत, मारेक रोग तथा रेबीज जैसे संक्रामक रोगों के विरूद्ध निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन रोगों के प्रकोप को रोकने में सहायता मिलती है और पशुपालकों को आर्थिक हानि से सुरक्षा मिलती है।

वर्ष 2025–26 के दौरान 31 दिसम्बर 2025 तक 8.00 लाख एच.एस.बी.क्यू. टीकाकरण, 3.12 लाख ई.टी. टीकाकरण तथा 0.60 लाख ए.आर.वी. टीकाकरण किए गए हैं।

7.2.7 प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन के आकलन हेतु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

वित्त वर्ष 1977–78 से हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रतिवर्ष एकीकृत नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है:

- मौसमी एवं वार्षिक दूध, अण्डा तथा ऊन उत्पादन का आकलन करना।
- औसत आबादी एवं उत्पादकता के आकलन की गणना करना।
- गोबर उत्पादन का आकलन करना।
- चारा एवं चाराखाद्य की औसत खपत का मूल्यांकन करना।
- आबादी, उत्पादकता एवं उत्पादन के रुझानों का अध्ययन करना।

7.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (एच.पी. मिल्कफैड)

हिमाचल प्रदेश में डेयरी विकास गतिविधियां आनंद पैटर्न की दो–स्तरीय सहकारी संरचना के अधीन संचालित की जाती हैं। ग्रामीण दूध उत्पादक सहकारी समिति इसकी मूल इकाई है, जहां अधिक दूध का संकलन किया जाता है, गुणवत्ता की जाँच की जाती है और उसके अनुसार उत्पादकों को भुगतान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश दूध महासंघ ने 1,214 दूध सहकारी समितियों का गठन किया है, जिनकी कुल सदस्यता लगभग 48,500

किसान है। समिति स्तर पर संकललित दूध को आगे प्रक्रिया हेतु दूध शीतलन केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान महासंघ ने लगभग 574.91 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक यह संकलन लगभग 610.50 लाख लीटर तक पहुँच गया।

शीतलन केन्द्रों से दूध को प्रसंस्करण संयंत्रों को भेजा जाता है, जहां इसे पास्चीकरण, पैकिंग तथा विपणन किया जाता है। वर्तमान में महासंघ 11 दूध संयंत्र संचालित कर रहा है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1.80 लाख लीटर प्रति दिन है। प्रमुख संयंत्रों में मंडी (50,000 एल.पी.डी.), दत्तनगर (70,000 एल.पी.डी.), और कांगड़ा (20,000 एल पी डी) शामिल हैं, जबकि नाहन, चंबा, लालसिंगी (जलेडा), नालागढ़, जंगलबैरी (हमीरपुर), रिकांगपीयो (किन्नौर), मौहल (कुल्लू), और रोहडू में प्लांट की कैपेसिटी 5,000 लीटर हर दिन है। दत्तनगर (शिमला जिला) में 5 मेट्रिक टन प्रति दिन क्षमता का एक मिल्क पाउडर संयंत्र भी संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमीरपुर जिला के भोर में 16 मेट्रिक टन प्रति दिन क्षमता का एक पशु आहार संयंत्र स्थापित किया गया है।

7.3.1 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड की पहल

- हिमाचल प्रदेश दूध महासंघ (मिल्कफैड) द्वारा दूध एवं दूध उत्पादों का विपणन "हिम" ब्रांड के अधीन किया जाता है, जिसमें घी, मक्खन, चीज, दही, स्वीट मिल्क, स्कीमड तथा होल मिल्क पाउडर, मिठाइयां एवं बेकरी बिस्किट शामिल हैं। सभी उत्पाद कीटनाशक मुक्त प्रमाणित हैं।
- संकलन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मिल्कफैड ने मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 ऑटोमैटिक मिल्क कलैक्शन यूनिट (ए.एम.सी.यू.) और 32 डिजिटल मिल्क प्रोक्योरमेंट एवं कलैक्शन यूनिट (डी.पी.एम.सी.यू.) स्थापित की हैं, साथ ही शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में 19 थोक दूध संग्रहण इकाई स्थापित की गई हैं।
- दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रति दिन (एल.पी.डी.) क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र 15 नवम्बर 2024 को उद्घाटित किया गया, जिससे राज्य की डेयरी सहकारी समितियों को लाभ हुआ है।
- गुणवत्ता से जुड़ी खरीद दरों में वृद्धि की गई हैः गाय के दूध (4.0 प्रतिशत फैट, 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ.) को ₹45 से बढ़ाकर ₹51 प्रति लीटर और भैंस के दूध (6.0 प्रतिशत फैट, 9.0 प्रतिशत एस.एन.एफ.) को ₹55 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर किया गया है।
- मिल्कफैड द्वारा दूध उत्पादकों को औसत मासिक ₹34.18 करोड़ का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो अब तक सबसे अधिक है, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में घर–घर से दूध संकलन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि सीमांत डेयरी किसानों को सहायता मिल सके।
- हिम गंगा योजना के अन्तर्गत 268 दूध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें 222 कांगड़ा और 46 हमीरपुर जिलों में हैं।

- धगवार (कांगड़ा) में 1.50 लाख लीटर प्रति दिन (एल.पी.डी.) क्षमता का पूर्णतः स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिसे 3.00 लाख (एल.पी.डी.) तक विस्तार योग्य है, निर्माणधीन है। इसका शिलान्यास 23 जनवरी 2025 को किया गया। ₹200.43 करोड़ की परियोजना नाबार्ड की आधारभूत संरचना योजना के अन्तर्गत एन.डी.डी.बी. द्वारा लागू की जा रही है।
- ₹6.85 करोड़ की लागत से कांगड़ा में एक केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जो दूध, दूध उत्पादों और आंगनवाड़ी पोषण उत्पादों की जाँच के लिए होगी।
- सुचित दूध उत्पादन, पशु प्रबंधन और सहकारी शासन पर क्षमता–विकास कार्यक्रम एन.डी. आर.आई. करनाल, आर.डी.टी.सी. जालन्धर और एम.आइ.टी. मेहसाना के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 2,000 दूध उत्पादकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- डेयरी आधारभूत संरचना को और सुदृढ़ करने के लिए नाहन और नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रति दिन क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र प्रस्तावित हैं, साथ ही ऊना और हमीरपुर में मिल्क चिलिंग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि किसानों की भागीदारी बढ़ाई जा सके और दूध की गुणवत्ता में सुधार हो।

सारणी 7.5

पिछले चार वर्षों के दौरान एच.पी. मिल्कफैड की भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	मद	2022.–23	2023–24	2024–.25	2025–26 दिसंबर 2025 तक
1	संगठित संगठन	1107	1148	1214	1275
2	सदस्यता	47500	47905	48557	48900
3	खरीदा गया दूध (लाख लीटर)	406.00	360.00	574.91	610.50
4	स्थानीय शहरों में बेचा गया दूध (लाख लीटर)	252.46	235.77	300.31	250.51

स्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.4 ऊन खरीद एवं विपणन महासंघ (डब्ल्यू.पी.एम.एफ.)

ऊन उत्पादक विपणन महासंघ (डब्ल्यू.पी.एम.एफ.) का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ऊन उद्योग के विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देना तथा ऊन उत्पादकों को बीचैलियों एवं व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। महासंघ भेड़ एवं अंगोरा ऊन की खरीद, आयात की गई ऑटोमैटिक शेरिंग मशीनों के माध्यम से चरागाह स्तर पर भेड़ों की शेरिंग तथा ऊन के विपणन में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

वित्त वर्ष 2025–26 (दिसम्बर 2025 तक) के दौरान 1,21,921 भेड़ों की शेरिंग की गई, जिससे राज्य के 580 पालक परिवारों को लाभ पहुँचा। इसके अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2025 तक महासंघ द्वारा 355 भेड़ पालकों से 54,446.30 किलोग्राम ऊन की खरीद की गई, जिसका मूल्य ₹31.19 लाख है।

पशुपालन विभाग के सहयोग से महासंघ राज्य में भेड़ पालकों के कल्याण एवं उन्नयन हेतु एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। पशु स्वास्थ्य घटक के अन्तर्गत, विशेष रूप से डिपिंग एवं कीड़ानाशक उपचार के माध्यम से 2,00,000 भेड़ एवं बकरीयों को आवृत किया जाएगा। यह कार्यक्रम ग्रीष्म ऋतु में चम्बा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल–स्पति, शिमला एवं किन्नौर जिलों में तथा शीत ऋण–प्रवास अवधि के दौरान सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना एवं हमीरपुर जिलों में लागू किया जाएगा, जिसकी कुल वित्तीय परिव्यय ₹75 लाख है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **दूध उत्पादन में वृद्धि**
   - दूध उत्पादन 11.39 लाख टन (2012–13) से बढ़कर 17.50 लाख टन (2025–26 अनुमानित) हो गया।
   - पिछले दशक में 3.4 प्रतिशत की चक्रवद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर) प्राप्त की गई।
2. **प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में वृद्धि**
   - प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 455 ग्राम/दिन (2012–13) से बढ़कर 698 ग्राम/दिन (2025–26) हो गई।
   - यह राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम/दिन से कहीं अधिक है।
3. **पशुधन अर्थव्यवस्था में डेयरी का प्रभुत्व**
   - कुल पशुधन सकल उत्पादन मूल्य (जी.वी.ओ.) का 94.8 प्रतिशत योगदान दूध का है।
   - पशुधन जी.वी.ओ. ₹5,496 करोड़ (2018–19) से बढ़कर 9,823 करोड़ (2025–26 अग्रिम अनुमान) हो गया।
4. **सशक्त सहकारी डेयरी तंत्र**
   - 1,214 दूध सहकारी समितियाँ एवं लगभग 48,500 किसान सदस्य स्थापित।
   - दिसम्बर 2025 तक दूध संग्रह 610.50 लाख लीटर पहुँचा।
   - नए प्रसंस्करण संयंत्रों का चालन, जिसमें 50,000 एल.पी.डी. दत्तनगर संयंत्र एवं आने वाला ढ़गवार मेगा संयंत्र (1.5–3.0 लाख एल.पी.डी.) सम्मिलित हैं।

5. कृत्रिम गर्भाधारण (ए.आई.) सेवाओं का विस्तार

- सभी जिलों में एन.ए.आई.पी के अंतर्गत 22.59 लाख कृत्रिम गर्भाधारण किए गए।
- वीर्य संयन्त्र पालमपुर और आधुवाल को सुदृढ़ करने के लिए ₹1,350.8 लाख स्वीकृत किए गए।

6. भेड़ एवं ऊन विकास

- ज्युरी, ताल, करछम एवं नगवाई राम केन्द्र में भेड़ प्रजनन फार्मों का सशक्तीकरण किया गया।
- वित्त वर्ष 2025–26 में ऊन उत्पादन का अनुमान 1,550 टन।
- 1,21,921 भेड़ की ऊन की कटाई, 580 परिवारों को लाभ एवं 54,446 किलोग्राम ऊन की खरीद।

7. कुक्कुट एवं लघु पशु प्रोत्साहन

- बैकयोर्ड कुक्कुट एवं ब्रॉयलर योजनाएं अनुदान के साथ लागू की गई।
- हिम कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत (2025–26) 11 लाभार्थियों को अनुदान पर ब्रॉयलर यूनिट प्रदान की गई।
- कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत अनुदान पर बकरी इकाइयां उपलब्ध कराई गई।

8. मत्स्य विकास

- दिसम्बर 2025 तक कुल मछली उत्पादन 12,255.98 टन तक पहुँचा।
- राज्य फार्मों से ट्राउट मछली उत्पादन 4.71 टन, जिससे ₹67.56 लाख की आय प्राप्त
- मछली बीज उत्पादन 32.58 लाख फिंगरलिंग।

9. कल्याण एवं जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं

- पशु टीकाकरण अभियान (एच.एस.बी.क्यू., ई.टी.,वं रेबीज) के अंतर्गत 2025–26 में 11.72 लाख से अधिक टीका लगाए।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अंतर्गत मत्स्य जीवियों को ₹5 लाख बीमा एवं बचत के बराबर सहायता प्रदान की गई।

10. संस्थागत आधारभूत संरचना का सशक्तीकरण

- अस्पतालों, औषधालयों और पॉलीक्लिनिकों सहित 2,234 पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए।

7.5 मत्स्य पालन एवं जलकृषि

मत्स्य पालन राज्य की प्राथमिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उप–क्षेत्र है। सरकार द्वारा मत्स्य पालन को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियम, 2020 अधिसूचित किए गए हैं। राज्य विस्तृत नदी प्रणाली, शीतल जल ट्राउट धाराओं एवं विशाल जलाशयों से सम्पन्न है, जो मत्स्य विकास के लिए अत्यधिक संभावनाएं प्रदान करते हैं।

इन संसाधनों के उचित उपयोग द्वारा राज्य का उद्देश्य पकड़ मत्स्य पालन, संस्कृति मत्स्य पालन तथा संस्कृति आधारित पकड़ मत्स्य पालन के माध्यम से मछली उत्पादन बढ़ाना है, जो घरेलू तथा निर्यात मांग दोनों की पूर्ति करता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार एवं आय के अवसर भी उत्पन्न करता है।

ब्यास, सतलुज एवं रावी नदियों के नीचे के क्षेत्र तथा उनकी सहायक धाराओं में शीतल जल की महत्वपूर्ण प्रजातियां, जैसे शिजौथोरेक्स, गोल्डन मशिर एवं विशिष्ट ट्राउट पाई जाती हैं। इंडो–नॉर्वेयिन ट्राउट फार्मिंग परियोजना की सफलता तथा पर्वतीय समुदायों द्वारा उन्नत मछली पालन प्रौद्योगिकियों को अपनाना शीतल जल मत्स्य पालन की प्रबल संभावनाओं को दर्शाता है।

गोबिन्द सागर, पौंग, चम्बेरा, कोल डैम एवं रणजीत सागर जैसे प्रमुख जलाशय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों का पालन करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए जीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं। समन्वयित विकास दृष्टिकोण एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने से मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, जीविका सुदृढ़ हुई है और शीतल जल संसाधनों के सतत संरक्षण को बढ़ावा मिला है, जिससे राज्य में मत्स्य क्षेत्र का संतुलित पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है।

7.5.1 मछली उत्पादन

राज्य में लगभग 6,279 मत्स्यजीवी जीविका के लिए जलाशय मत्स्य पालन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2025–26 (दिसम्बर 2025 तक) के दौरान राज्य में कुल मछली उत्पादन 12,255.98 मिट्रिक टन रहा, जिसका मूल्य ₹194.35 करोड़ आंका गया। इसी अवधि में राज्य मछली फार्मों से लगभग 4.71 टन ट्राउट की बिक्री की गई, जिससे ₹67.56 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्षवार मछली उत्पादन एवं बिक्री का विवरण सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6

कुल मछली उत्पादन (मिट्रिक टन) और मछली का मूल्य (₹लाख में)

वर्ष	कुल उत्पादन (टन में)	वद्धि	मछली फार्मों से राजस्व	वद्धि
2015–16	11798.72	–	10980.92	–
2016–17	12506.85	6.00	12121.19	10.40
2017–18	12765.36	2.10	15822.45	30.54
2018–19	13401.68	5.00	17157.31	8.44
2019–20	14020.14	4.61	18443.92	7.50
2020–21	15288.60	9.10	20161.09	9.31
2021–22	16015.81	4.80	23355.82	15.85
2022–23	17026.91	6.31	24990.72	7.00
2023–24	17721.64	4.10	27323.87	9.34
2024–25	19019.83	7.33	29712.55	8.74
2025–26 (दिसंबर 2025 तक)	12255.98	–35.60	19434.92	–34.60
सी.ए.जी.आर.	0.4		5.9	

स्रोतः मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी 7.7 राज्य में ट्राउट उत्पादन की प्रवत्ति एवं वर्षवार वद्धि दर को दर्शाती है।

सारणी 7.7

ट्राउट मछली उत्पादन (मिट्रिक टन) और ट्राउट मछली का मूल्य (₹ लाख में)

वर्ष	कुल उत्पादन (टन में)	वृद्धि	मछली फार्मों से राजस्व	वद्धि
2012–13	19.18	–	98.48	–
2013–14	13.81	–28.0	114.41	16.20
2014–15	17.07	23.61	114.66	0.22
2015–16	17.63	3.30	120.93	5.50
2016–17	18.78	6.52	141.35	16.90
2017–18	10.82	–42.40	129.75	–8.21
2018–19	8.34	–22.92	118.22	–8.90
2019–20	7.71	–7.60	91.16	–22.90

2020–21	6.73	–12.71	101.72	11.60
2021–22	13.68	103.30	169.24	66.40
2022–23	6.33	–53.73	89.74	–46.97
2023–24	7.72	21.96	57.57	–35.85
2024–25	15.96	106.74	153.93	167.40
2025–26 (दिसंबर 2025 तक)	**4.71**	**–70.49**	**67.56**	**–56.11**

स्रोतः मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.5.2 मत्स्य उत्पादों का निर्यात एवं आयात

मत्स्य उप–क्षेत्र में मछली के निर्यात एवं आयात में मिश्रित प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसा कि सारणी 7.8 में प्रस्तुत है। सारणी से मत्स्य क्षेत्र में दीर्घकालीन रूप से सकारात्मक प्रवृत्ति परलिक्षित होती है, जिसमें वर्षों के दौरान मछली उत्पादन में क्रमिक एवं स्थिर वृद्धि दर्शाई गई है। भौतिक उत्पादन में मध्यम गति से वृद्धि हुई है, जबकि मछली उत्पादन के आर्थिक मूल्य में अधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, जो बेहतर मूल्य प्राप्ति, सुधारित विपणन तथा मूल्य संवर्धन का संकेत देती है।

सारणी 7.8

मछली का निर्यात एवं आयात (मिट्रिक टन) मूल्य (₹ लाख में)

वर्ष	निर्यात	मूल्य	आयात	मूल्य
2012–13	1046.08	918.04	312.87	106.79
2013–14	1285.85	1283.56	460.60	342.67
2014–15	1004.99	1134.79	439.42	359.49
2015–16	492.80	514.04	689.48	539.98
2016–17	884.78	1095.70	574.72	476.01
2017–18	1391.90	1632.84	823.00	772.70
2018–19	492.33	693.17	729.81	796.82
2019–20	743.25	1857.73	688.13	773.33
2020–21	624.94	1874.71	588.66	673.49
2021.22	939.99	3417.90	879.66	856.61
2022–23	933.98	3324.05	549.63	539.82
2023–24	1015.75	1877.61	653.23	739.17
2024–25	1187.62	3526.71	788.35	1091.36
सी.ए.जी.आर.	**1.06**	**11.86**	**8.00**	**21.37**

स्रोतः मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 7.7

वर्ष–दर–वर्ष मछली के निर्यात एवं आयात की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

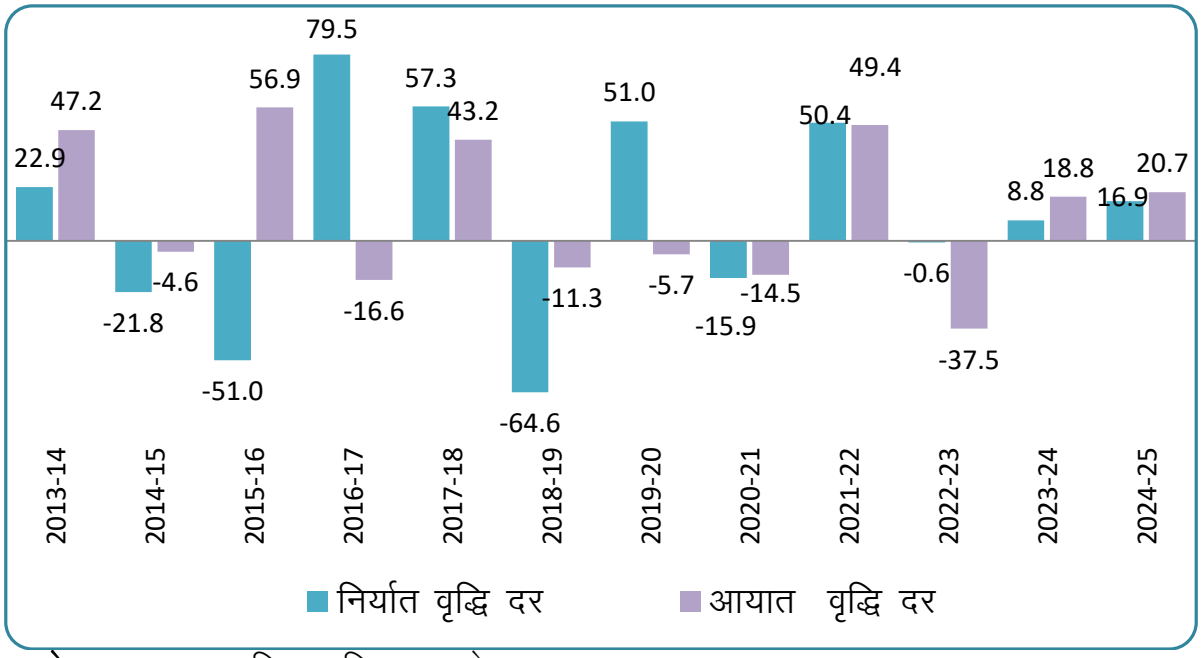

स्रोत मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

7.6 मत्स्य पालन हेतु सरकारी पहल

जालाशयों, ग्रामीण तालाबों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक फार्मों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मत्स्य विभाग द्वारा राज्य में कार्प एवं ट्राउट बीज उत्पादन सुविधाएं स्थापित की गई हैं। दिसम्बर 2025 के अंत तक राज्य में कुल 32.58 लाख फिंगरलिंग (70 मि.मी. एवं उससे अधिक) कॉमन कार्प एवं इंडियन मेजर कार्प (आई.एम.सी.), 1.90 लाख मशिर अंडे तथा 8.69 लाख रेनबो एवं ब्राउन ट्राउट फिंगरलिंग उत्पादित किए गए। उत्पादित मछली बीज का कुल अनुमानित मूल्य लगभग ₹68.34 लाख है।

7.6.1 बीमा एवं कल्याण योजनाएं

मत्स्य विभाग मत्स्यजीवियों को सहायता प्रदान करने हेतु लक्ष्यभेदी कल्याणकारी उपाय लागू कर रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा एवं जीविका संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। मत्स्यजीवियों को मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹5.00 लाख तक का बीमा आवरण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जाल सामग्री एवं नौका को हुई क्षति के लिए रिस्क फंड योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति की जाती है।

वर्जित काल में आय सहायता सुनिश्चित करने हेतु सेविंग–कम–रिलीफ फंड योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत मत्स्यजीवियों की बचत राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा समान अनुपात में मिलायी जाती है और वर्जित काल के दौरान वितरित की जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान बचत एवं राहत निधि योजना जिसे बदलकर प्रधान मंन्त्री मत्स्य संपदा

योजना के घटक मछली पकड़ने के प्रतिबन्ध/वर्जित काल अवधि के दौरान मत्स्य संस्थानों के संरक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारम्परिक मछुवारों के परिवारों के लिए आजिविका और पोषण संम्बधित सहायता के अन्तर्गत 3,616 मछुवारों को कुल 1.63 करोड़ की राशि प्रदान की गई है जिसमें मछुवारों का योगदान ₹54.24 लाख था एवं वचे हुए ₹1.08 करोड़ को राज्य एवं केन्द्र सरकार ने वहन किया।

7.6.2 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)

यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है और राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹20.00 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। सारणी 7.9 में दिसम्बर 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान मत्स्य क्षेत्र की उपलब्धियों तथा पूरे वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 7.9

उपलब्धियां एवं लक्ष्य

क्रम संख्या	मद	दिसम्बर, 2025 तक उपलब्धि	वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित लक्ष्य
1	सभी स्रोतों से मछली उत्पादन (टन में)	12255.98	20000.00
2	मछली बीज उत्पादन कार्प फार्म (स्पान) (लाख में)	440.64	812.25
3	टेबल साइज ट्राउट उत्पादन (टन में)	4.71	25.00
4	सरकारी क्षेत्र टेबल साइज ट्राउट उत्पादन (टन में)	866.01	1670.00
5	निजी क्षेत्र सृजित रोजगार (संख्या)	551	638
6	विभाग का कुल राजस्व (₹लाख में)	214.63	444.32

स्रोतः मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी 7.10

प्रमुख योजनाएँ (सारणीबद्ध अवलोकन)

योजना	ध्यान क्षेत्र	प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	डेयरी आनुवंशिक सुधार	कृत्रिम गर्भाधारण (ए.आई.), वीर्य केन्द्र सशक्तीकरण
राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम	नस्ल सुधार	22.59 लाख कृत्रिम गर्भाधारण (ए.आई.)
उत्तम पशु पुरस्कार	प्रोत्साहन/प्रोत्साहन	उच्च उत्पादक पशु पर ₹1,000 प्रति

	राशि	पशु प्रोत्साहन
बी.पी.एल. गर्भवती राशन योजना	कल्याण	50 प्रतिशत अनुदान
हिम कुक्कुट पालन योजना	कुक्कुट पालन	60 प्रतिशत अनुदान
कृषक बकरी पालन योजना	बकरी पालन	60 प्रतिशत अनुदान
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मत्स्य पालन	₹20 करोड़ की परियोजनाएं (2025–26)
बचत–सहायता योजना	मछुवारों के कल्याण हेतु	₹162.72 लाख की राशि वितरित
पशु बीमा योजना	जोखिम न्यूनीकरण	अनुदानित कवरेज / सहायता के अंतर्गत आच्छादित

7.7 मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तरीय मुद्दे और चुनौतियाँ

समस्या / चुनौती	प्रमाण	प्रभाव
पर्वतीय भौगोलिक क्षेत्रों में परिवहन एवं लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि होती है तथा सेवा प्रदान प्रणाली कमजोर होती है।	कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं बिखरी हुई बस्तियों के कारण पशु चिकित्सा सेवाओं, चारा आपूर्ति तथा बाजार तक पहुँच में परिवहन लागत में वृद्धि होती है।	पशुपालन की उच्च लागत पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया में विलम्ब व दूरस्थ क्षेत्रों में उत्पादकता में कमी।
मौसमी चारा की कमी, विशेष रूप से शीत ऋतु एवं उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में।	मौसमी चारे की कमी एक प्रमुख बाधा है, जिससे इनपुट लागत बढ़ती है तथा उत्पादकता में कमी आती है।	दूध उत्पादन में कमी, पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव व खरीदे गए चारा पर निर्भरता में वृद्धि।
कुल दूध उत्पादन में वृद्धि के बावजूद प्रति पशु उत्पादकता निम्न है।	प्रति पशु उत्पादकता उन्नत डेयरी क्षेत्रों की तुलना में अभी भी कम है।	किसान आय पर सीमा, मूल्य शृंखला विकास में बाधा व प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कमी।
जलवायु परिवर्तन प्रवासन एवं सीमापार गमन–आगमन के कारण रोग जोखिम में वृद्धि।	जलवायु परिवर्तनता एवं प्रवासी पशुपालन प्रथाओं के प्रभाव से रोग प्रकोप में वृद्धि	पशु मत्यु दर में वृद्धि, आर्थिक नुकसान, टीकाकरण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव।
दूरस्थ क्षेत्रों में पशु चिकित्सकीय जनशक्ति	जनशक्ति की कमी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रभावित	समय पर उपचार की उपलब्धता में कमी,

की कमी।	होती है।	निवारक देखभाल में विलम्ब और कृषि पशुपालन उत्पादकता में कमी।
कुक्कुट क्षेत्र में ठहराव एवं अंडा उत्पादन में गिरावट।	पिछले वर्षों में अंडा उत्पादन में सामान्य गिरावट देखी गई।	किसानों के लिए आय विविधीकरण में कमी व अन्य राज्यों से आयात पर निर्भरता में वृद्धि।
सीमात बाजारीकरण एवं मूल्य संवर्धन आधारभूत संरचना, कच्चे दूध की बिक्री पर निर्भरता।	बाजारीकरण एवं मूल्य संवर्धन आधारभूत संरचना अभी विकासाधीन है, किसान प्रमुखतः कच्चे दूध की बिक्री पर निर्भर हैं।	किसानों को उचित मूल्य प्राप्ति में कमी, डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में सीमा व ग्रामीण रोजगार सम्भावना में कमी।

ख) जिला विशिष्ट समस्याएं एवं चुनौतीयाँ

चुनौतीयाँ	प्रभावित जिले	प्रमाण / साक्ष्य
विशेष प्रजनन फार्मों के माध्यम से उन्नत भेड़ नस्ल एवं ऊन गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता।	शिमला, हमीरपुर, किन्नौर, मंडी।	ज्युरी (शिमला), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) में प्रमुख भेड़ प्रजनन फार्म तथा नगवाई (मंडी) में राम केन्द्र की उपलब्धता, जो जिला विशिष्ट आनुवंशिक सुधार पर केन्द्रीत प्रयासों को दर्शाती है।
उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में देशी नस्लों के संरक्षण की चुनौती।	लाहौल एवं स्पिति।	लरी में घोड़ा प्रजनन फार्म की स्थापना, स्पिति घोड़ा नस्ल के संरक्षण हेतु की गई है, जो इस क्षेत्र में देशी नस्लों की संवेदनशीलता एवं संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाती है।
दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों तक असमान पहुँच।	सभी जिलों के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र।	राज्य स्तर पर 2,234 पशु चिकित्सा संस्थानों का विस्तृत नेटवर्क होने के उपरान्त भी जिलों में पहुँच एवं सेवा प्रदान में विविधता एवं असमानता दर्शाई देती है।
डेयरी संग्रह एवं प्रसंस्करण आधारभूत संरचना के विस्तार की आवश्यकता।	कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, चम्बा, किन्नौर।	दूध संयंत्र एवं चिलिंग केन्द्र प्रमुखतः इन जिलों में केन्द्रीत हैं, जिससे अन्य जिलों में आधारभूत संरचना की कमी तथा डेयरी सहकारी समितियों के असमान विकास का पता चलता है।
जीविका के लिए	बिलासपुर, कांगड़ा,	प्रमुख जलाशयों गोबिन्द सागर, पोंग,

जलाशय आधारित मत्स्य पालन पर उच्च निर्भरता।	चम्बा, मंडी, कुल्लू।	चमेरा एवं कोल डैम की उपलब्धता तथा ट्राउट समर्थक नदी क्षेत्रों की उपस्थिति, इन जिलों में जीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भरता को दर्शाती है।
भेड़ एवं बकरी पालकों को लक्ष्यभेदी स्वास्थ्य एवं कल्याण सहायता की आवश्यकता।	चम्बा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल–स्पिति, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर।	ऊन खरीद, डीपींग, कीड़मार उपचार एवं स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों से जिलों में लघु पशुपालन पर केन्द्रीत निर्भरता स्पष्ट होती है।
शीत जल ट्राउट पालन में चुनौतीयाँ एवं क्षेत्रीय उत्पादन में विविधता।	कुल्लू, किन्नौर, शिमला, चम्बा।	ट्राउट उत्पादन प्रमुखतः इन जिलों में केन्द्रीत है, जो क्षेत्रीय विविधता एवं सीमांत उत्पादन आधार को दर्शाता है।

7.8 भावी दिशा

आगामी समय में इस क्षेत्र को उत्पादकता केन्द्र, जलवायु–अनुकूल और बाजार–अभिमुख विकास रणनीति की आवश्यकता है। उन्नत प्रजनन तकनीक, जीनोम चयन तथा विस्तारत निर्मित गर्भाधान सेवाओं के माध्यम से आनुवांशिक सुधार कार्यक्रमों को सुदढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चारा विकास कार्यक्रमों के विस्तार, हरे चारे को सुरक्षित रखने की विधि को प्रोत्साहन तथा समुदाय–आधारित मॉडलों के माध्यम से प्रबंधन द्वारा चारा की निरंतर कमी को दूर किया जा सकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने के लिए पशु चिकित्सा दूरसंचार सेवा, चल पशु चिकित्सा इकाइयों और अंतिम छोर तक सेवा प्रदान को मजबूत करना होगा। डेयरी, लघु जुगाली पशु, घर के पिछवाड़े पोल्ट्री और मत्स्य पालन को सम्मिलित करते हुए पशुधन कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना छोटे किसानों की आय स्थिरता को बढ़ा सकता है।

दूध प्रसंस्करण, शीतल श्रंखला विस्तार, उत्पाद चिन्ह अंकित करना और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मूल्य श्रंखलाओं को सुदढ़ करने पर किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति हो सकती है। चारा उत्पादन, प्रसंस्करण और पशुधन सेवाओं में निजि क्षेत्र की अधिक भागीदारी तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी से आधुनिकीकरण को गति मिल सकती है। जलवायु–अनुकूल पशु आवास, जल–दक्ष पोषण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से रोग निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मत्स्य क्षेत्र में सतत् जलाशय प्रबंधन, ट्राउट मूल्य श्रंखलाओं और निर्यात–उन्मुख जलकृषि से अतिरिक्त आर्थिक

संभावनाएं उन्मुक्त की जा सकती हैं। पशुधन आधारित उद्यमों में कौशल विकास और युवा उद्यमिता दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। बीमा, सामाजिक सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं को मजबूत करने से किसानों की आय और अधिक स्थिर होगी तथा समावेशी क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा। समग्र रूप से, प्रौद्योगिकी–प्रेरित, बाजार–सम्बद्ध और जलवायु–अनुकूल पशुधन रणनीति आने वाले दस वर्षों में इस क्षेत्र को उच्च–मूल्य ग्रामीण विकास के शक्तिशाली इंजन में परिवर्तित कर सकती है।

******

अध्याय 8

वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**हिमाचल प्रदेश में वनों की स्थिति**	दर्ज क्षेत्र का 68.16 प्रतिशत वनों से आच्छादित है, जिसमें वास्तविक वन आवरण 27.99 प्रतिशत है। वन पारिस्थितिकी, जल सुरक्षा और जलवायु स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
2	**वन आवरण में परिवर्तन**	मध्यम सघन वनों में 14.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अति सघन वनों में मामूली कमी आई। कुल वन क्षेत्र में 915 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।
3	**कार्बन भंडार में सुधार**	कुल कार्बन भंडार में 79,234 ('000 टन) (2017–2023) की वृद्धि हुई, जो मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्प्राप्ति और बेहतर जैव द्रव्यमान को दर्शाता है।
4	**जैव विविधता की स्थिति**	राज्य में समृद्ध हिमालयी जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें 109 जड़ी–बूटियाँ, 99 झाड़ियाँ और 116 वृक्ष प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें नम शीतोष्ण वनों में उच्च विविधता है।
5	**राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान**	वानिकी और लॉगिंग ने 2025–26 में जी.एस.वी.ए. में ₹7,909 करोड़ का योगदान दिया, इस क्षेत्र में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
6	**प्रमुख सरकारी पहलें**	प्रमुख कार्यक्रमों में कैम्पा वृक्षारोपण (5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य), वन विस्तार योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन, सी.एस.आर. आधारित वन पुनर्स्थापन और 2,000 वन मित्रों की नियुक्ति शामिल हैं।
7	**जल सुरक्षा – जल जीवन मिशन**	हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन ने जुलाई 2023 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण नल जल कवरेज हासिल किया, जिसमें 17.09 लाख परिवार, सभी स्कूल और आंगनवाड़ी शामिल हैं।
8	**सीवरेज और सिंचाई अवसंरचना**	68 एस.टी.पी. चालू हैं कई सीवरेज योजनाएं चल रही हैं 0. 314 मिलियन हेक्टेयर के लिए सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।
9	**प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण शासन**	ठोस अपशिष्ट कुप्रबंधन के लिए ₹1.42 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, ओ.सी.एम.एम.एस. के अन्तर्गत ऑनलाइन लैब मॉड्यूल शुरू किया गया और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवर्तन के लिए प्रमुख पहलें लागू की गईं।
10	**उभरती चुनौतियां और आगे का रास्ता**	प्रमुख मुद्दों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता, वन अग्नि, मानव–वन्यजीव संघर्ष और जल संकट शामिल हैं। राज्य का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले वन प्रबंधन, जलसंभर बहाली, समुदाय–नेतृत्व वाले संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाना है।

8.1 परिचय–हिमाचल प्रदेश के वन

हिमाचल प्रदेश देश के सबसे अधिक वन–समृद्ध राज्यों में से एक है, जहाँ लगभग दो–तिहाई भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यह राज्य पश्चिमी हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए पारिस्थितिक संतुलन, जल सुरक्षा और जलवायु विनियमन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपने नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानते हुए, राज्य सरकार वन संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और सतत वन प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देती है। प्रमुख पहलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण–पर्यटन, मृदा और जल संरक्षण और वन प्रबंधन समितियों और वन मित्रों के माध्यम से समुदाय–आधारित वन प्रबंधन शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे अत्यधिक विपरीत मौसम घटनाएँ, हिमनदों का पिघलना, वनाग्नि तथा भूमि क्षरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। राज्य सतत विकास सुनिश्चित करने तथा अपने वन एवं पर्यावरणीय धरोहर की सुरक्षा के लिए जलवायु लचीलापन सुदृढ़ करने, वनाग्नि प्रबंधन को मजबूत बनाने, कार्बन अवशोषण बढ़ाने तथा प्रकृति–आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रहा है।

8.1.1 हिमाचल प्रदेश में वन आवरण

हिमाचल प्रदेश का कुल वैधानिक वन क्षेत्र 37,948 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत है। हालांकि, वास्तविक वन आवरण इससे कम है क्योंकि इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अल्पाइन घास के मैदानों और वृक्ष रेखा से ऊपर स्थित क्षेत्रों से बना है।

हिमाचल प्रदेश का लगभग 15,580.33 वर्ग किलोमीटर (भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.99 प्रतिशत) क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है, जिसमें वृक्षों का घनत्व 10 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत और उससे अधिक तक भिन्न–भिन्न है। इसके अतिरिक्त, 855.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वृक्ष आवरण के अंतर्गत है। वन क्षेत्र में 3,117.60 वर्ग किलोमीटर का अत्यधिक सघन वन (जिसका वृक्ष घनत्व 70 प्रतिशत या उससे अधिक है), 7,280.29 वर्ग किलोमीटर का मध्यम सघन वन (जिसका वृक्ष घनत्व 40 से 70 प्रतिशत के बीच है) और 5,182.46 वर्ग कलोमीटर का खुला वन (जिसका वृक्ष घनत्व 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच है) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 308.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को झाड़ीदार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वृक्ष घनत्व के अनुसार वन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण सारणी 8.1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 8.1

घनत्व के अनुसार वन (क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

वर्ष	अधिक घने जंगल 70 प्रतिशत से अधिक	मध्यम घने जंगल 40 से 70 प्रतिशत	खुले जंगल 10 से 40 प्रतिशत	कुल वन आवरण
2011	3224	6381	5074	14679
2013	3224	6381	5078	14683
2015	3225	6387	5095	14707
2017	3110	6705	5285	15100
2019	3113	7126	5195	15434
2021	3163	7100	5180	15443
2023	3118	7280	5182	15580

स्रोतः इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023

8.2 वनों का पर्यावरणीय लेखांकन –2025

सारणी 8.2

वन परिसंपत्ति लेखा

वन आवरण का प्रकार (क्षेत्रफल वर्ग किमी में)	अत्यधिक सघन वन	मध्यम सघन वन	खुला वन	झाड़ीदार वन	गैर–वन
आरंभिक वर्ष 2010–11	3224.00	6381.00	5078.00	298.00	40692.00
परिवर्धन	612.49	1877.14	1429.69	96.11	366.63
कमी	718.89	977.85	1325.23	85.42	1274.67
समापन वर्ष 2021–22	3117.6	7280.29	5182.46	308.69	39783.96
शुद्ध परिवर्तन	–106.4	899.29	104.46	10.69	–908.04
प्रतिशत परिवर्तन	**–3.30**	**14.09**	**2.06**	**3.59**	**–2.23**

स्रोतः वनों का पर्यावरणीय लेखांकन–2025

वन परिसंपत्ति खाते के अनुसार, 2010–11 और 2021–22 के बीच हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनों में कई परिवर्तन हुए। मध्यम सघन वनों में सबसे उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई, जो 14.09 प्रतिशत तक बढ़ा। अधिकांश वन क्षेत्र श्रेणियों में सकारात्मक रुझान दिखाई देता है, जबकि सघन वन और गैर–वन क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान कुछ हद तक कमी आई, जिसमें मध्यम सघन श्रेणी में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया।

सारणी 8.3

वन विस्तार लेखा

सूचक (क्षेत्रफल वर्ग किमी में)	2013	2023	शुद्ध परिवर्तन	परिवर्तन (प्रतिशत में)
रिकॉर्ड (दर्ज) किया गया वन क्षेत्र	37033	37948	915	2.47
कुल क्षेत्र का प्रतिशत	66.52	68.16	1.64	
संरक्षित वनों का प्रकार				
आरक्षित वन	1898	1883	–15	–0.79
संरक्षित वन	33130	28887	–4243	–12.81
अवर्गीकृत वन	2005	7178	5173	258

स्रोतः वनों का पर्यावरणीय लेखांकन–2025

वन विस्तार लेखा वन क्षेत्रों के स्थानिक वितरण और संरक्षण स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अवलोकित अवधि के दौरान दर्ज वन क्षेत्र में 915 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई, जो 2.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है और अवधि के दौरान यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 66.52 प्रतिशत से बढ़कर 68.16 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान, आरक्षित वनों में 0.79 प्रतिशत और संरक्षित वनों में 12.81 प्रतिशत की कमी आई। अवर्गीकृत वन श्रेणी में 5173 वर्ग किमी की भारी वृद्धि देखी गई, जो पहले से अलिखित भूमि के महत्वपूर्ण पुनर्वर्गीकरण या समावेशन को दर्शाती है। ये प्रवृतियॉ वन क्षेत्रों के वर्गीकरण में बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें आरक्षित और संरक्षित वनों में कमी आई है।

8.2.1 स्थिति खाते

हिमाचल प्रदेश के वनों की स्थिति से संबंधित विवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आई. एस.एफ.आर.) के वर्ष 2013 और 2023 के आकलन के अनुसार नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि, जिन मामलों में इन वर्षों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, वहाँ उपलब्ध निकटतम आगामी वर्ष के आंकड़ों को आधार माना गया है।

सारणी 8.4

स्थिति खाता

संकेतक	इकाई	2013	2023	शुद्ध परिवर्तन	प्रतिशत परिवर्तन
A बढ़ता स्टॉक					
बढ़ते हुए स्टॉक की मात्रा	मिलियन m^3	317.295	303.94	–13.355	–4.21
वन में प्रति इकाई क्षेत्र में बढ़ते हुए स्टॉक की मात्रा	M^3/हेक्टेयर	–	219.46		

B कार्बन स्टॉक					
संकेतक	**इकाई**	**2017**	**2023**	**शुद्ध परिवर्तन**	**प्रतिशत परिवर्तन**
कुल	'000 टनों में	1,75,782	2,55,016	79,234	45.08
भूमि के ऊपर का जैव भार	'000 टनों में	70,655	1,12,461	41,806	59.17
भूमिगत जैव भार	'000 टनों में	18,691	31,390	12,699	67.94
सूखी लकड़ी	'000 टनों में	739	1,041	302	40.87
पत्ते	'000 टनों में	2,511	2,717	206	8.2
मिट्टी का कार्बनिक कार्बन	'000 टनों में	83,186	1,07,407	24,221	29.12
कार्बन स्टॉक प्रति हेक्टेयर					
कुल	प्रति हेक्टेयर स्टॉक (टन में)	116.41	163.68	47.27	40.61
भूमि के ऊपर का जैव भार	प्रति हेक्टेयर स्टॉक (टन में)	46.79	72.18	25.39	54.26
भूमिगत जैव भार	प्रति हेक्टेयर स्टॉक (टन में)	12.38	20.15	7.77	62.76
सूखी लकड़ी	प्रति हेक्टेयर स्टॉक (टन में)	0.49	0.67	0.18	36.73
पत्ते	प्रति हेक्टेयर स्टॉक (टन में)	1.66	1.74	0.08	4.82
मिट्टी का कार्बनिक कार्बन	प्रति हेक्टेयर स्टॉक (टन में)	55.09	68.94	13.85	25.14

स्रोतः वनों का पर्यावरणीय लेखांकन–2025

सारणी 8.5

जैव विविधता मूल्यांकन

जैव विविधता मूल्यांकन			
संकेतक	**2019**		
	जड़ी–बूटियाँ	**झाड़िया**	**पेड़**
प्रजातियों की कुल संख्या	109	99	116
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन	1.71	2.15	1.95
उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र पर्णपाती वन	1.95	2.13	2.87
उप–उष्णकटिबंधीय चीड़ वन	1.89	2.17	2.63
हिमालयी आर्द्र शीतोष्ण वन	3.48	3.25	2.95
हिमालयी आर्द्र शीतोष्ण वन	2.51	2.56	2.03
उप–अल्पाइन वन	1.87	1.83	1.64
शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ	2.3	2.34	0.87

आर्द्र अल्पाइन झाड़ियाँ	.	.	0.17
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन	5.53	8.58	7.03
उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र पर्णपाती वन	7.03	8.41	17.64
उप–उष्णकटिबंधीय चीड़ वन	6.62	8.76	13.87
हिमालयी आर्द्र समशीतोष्ण वन	32.46	25.79	19.11
हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन	12.3	12.94	7.61
उप–अल्पाइन वन	6.49	6.23	5.16
शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ	9.97	10.38	2.39
आर्द्र अल्पाइन झाड़ियाँ	–	–	1.19

स्रोतः वनों का पर्यावरणीय लेखांकन–2025

चित्र 8.1

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलेवार वन क्षेत्र (प्रतिशत में)

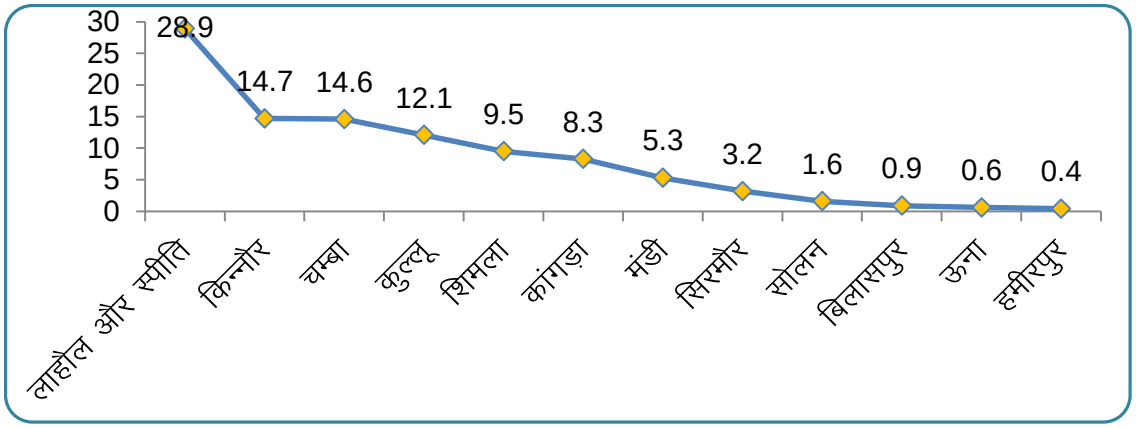

जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलेवार वन क्षेत्र (प्रतिशत में)

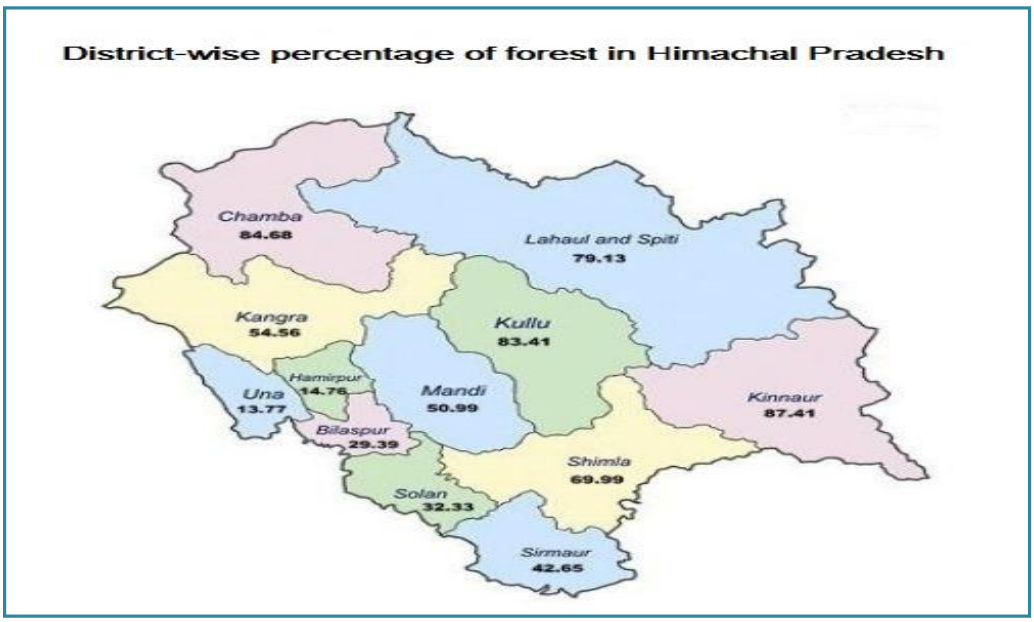

सारणी 8.6

कानूनी स्थिति के अनुसार वन वर्गीकरण 2022–23

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

जिला	आरक्षित वन	चिह्नित संरक्षित वन	अचिह्नित संरक्षित वन	अन्य वन	कुल वन
1. बिलासपुर	1	156	186	0	343
2. चम्बा	374	4,566	572	11	5,523
3. हमीरपुर	0	99	66	0	165
4. कांगड़ा	70	580	1,572	909	3,131
5. किन्नौर	0	270	523	4,802	5,595
6. कुल्लू	164	3,360	892	174	4,590
7. लाहौल और स्पीति	70	397	10,486	0	10,953
8. मंडी	0	1,682	74	258	2,014
9. शिमला	56	1,348	1,378	809	3,591
10. सिरमौर	1,050	69	35	51	1,205
11. सोलन	54	281	127	164	626
12. ऊना	44	44	124	0	212
कुल	1883	12852	16035	7178	37948

स्रोतः वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

8.3 वानिकी और लकड़ी कटाई का योगदान और विकास

वन क्षेत्र राज्य विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए, लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, चारा और औषधीय एवं सुगंधित पौधों जैसे गैर–लकड़ी वन उत्पादों के माध्यम से अर्थव्यवस्था और आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वन सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना जैसी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को बनाए रखकर कृषि और जलविद्युत को भी सहारा देते हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 में, वानिकी और लकड़ी कटाई उप–क्षेत्र ने सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में ₹7,909 करोड़ का योगदान दिया, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का 24.40 प्रतिशत और राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) का 3.35 प्रतिशत था (चित्र 8.2 और 8.3)।

वन एवं लकड़ी कटाई गतिविधियों द्वारा स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य (जी.वी.ए.) वित्त वर्ष 2024–25 में ₹5,764 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹6,019 करोड़ हो गया, जो कि ₹255 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान स्थिर कीमतों पर वन एवं लकड़ी कटाई क्षेत्र में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

चित्र 8.2

वानिकी और लॉगिंग का योगदान और विकास (2019–20 से 2025–26)

प्रचलित भाव पर वानिकी और लॉगिंग द्वारा सकल मूल्य वर्धन(₹करोड़)

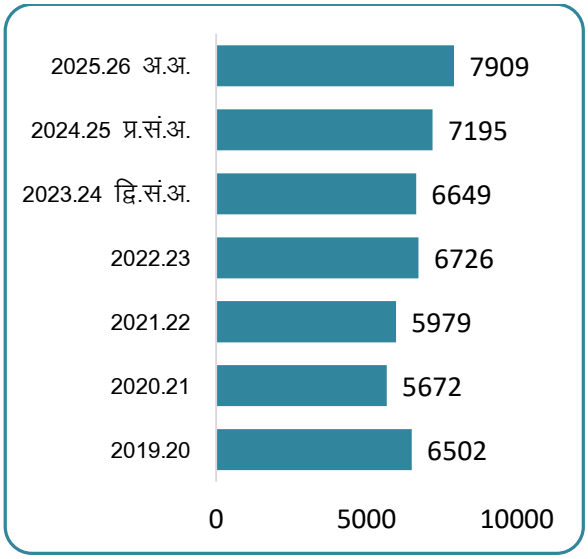

वानिकी और लॉगिंग की वृद्धि दर (प्रतिशत में) स्थिर कीमतों पर

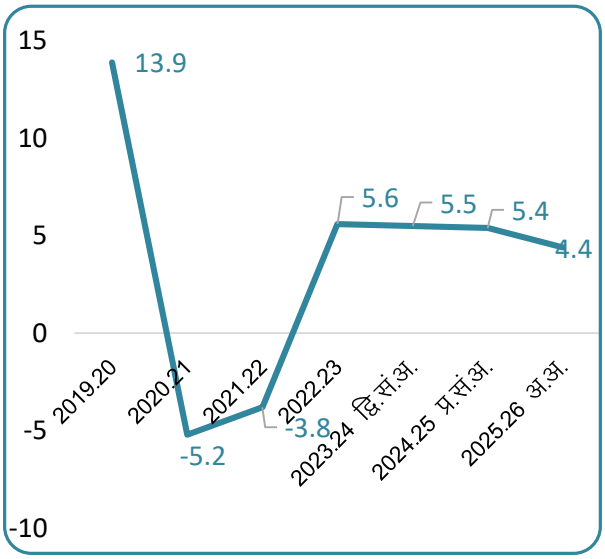

चित्र 8.3

वानिकी और लॉगिंग का प्रचलितकीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में योगदान (प्रतिशत में)

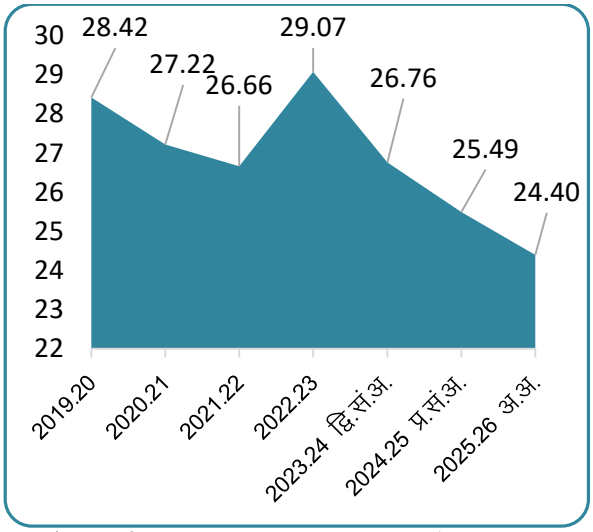

वानिकी और लॉगिंग का राज्य सकल मूल्य वर्धन में स्थिर भावों पर योगदान (प्रतिशत में)

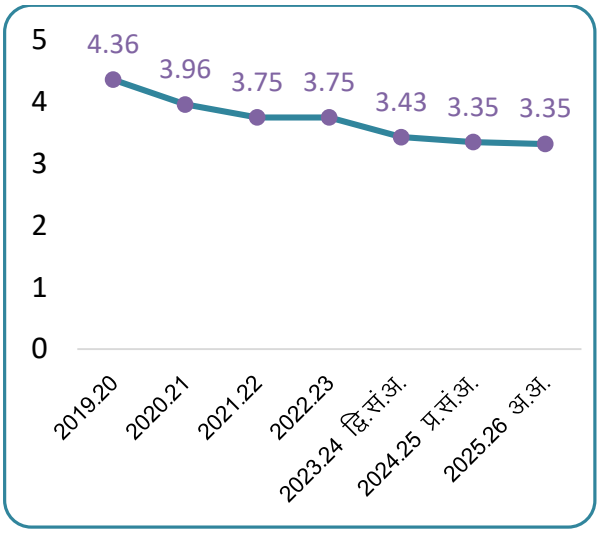

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश
नोटः अ.अ.–अग्रिम अनुमान
प्र.स.अ.– प्रथम संशोधित अनुमान
द्वि.स.अ.–द्वितीय संशोधित अनुमान

8.4 वनों के लिए सरकारी पहल

वन विभाग द्वारा शुरू किए गए नियोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। योजना कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं।

8.4.1 वन वृक्षारोपण

वन वृक्षारोपण गतिविधियाँ विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से की जा रही हैं, जिनमें क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वृक्षारोपण गतिविधियाँ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए (CAMPA) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत् 5,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 4,100 हेक्टेयर में वृक्षारोपण गतिविधियाँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं और शेष लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

8.4.2 वन प्रबंधन

जनसंख्या वृद्धि, पशुपालन पद्धतियों में परिवर्तन और विकासात्मक गतिविधियों के विस्तार के कारण राज्य के वनों पर जैविक दबाव लगातार बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप, वन पारिस्थितिकी तंत्र वन अग्नि, अवैध कटाई, अतिक्रमण और अन्य वन संबंधी अपराधों जैसे खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित चेक पोस्टों पर सी.सी.टी.वी. आधारित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित कर वन अपराधों की रोकथाम हेतु वन संरक्षण उपायों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक अग्निशमन उपकरण तथा उन्नत अग्नि प्रबंधन तकनीकों को लागू किया जा रहा है और विशेष रूप से वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में सभी वन मंडलों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

वनाग्नि की रोकथाम एवं त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य में केंद्र प्रायोजित वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना तथा राज्य प्रायोजित वनाग्नि प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए राज्य भर में वृत्त (सर्किल) एवं वन मंडल स्तर पर त्वरित वनाग्नि प्रतिक्रिया दल स्थापित किए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पंजीकृत स्थानीय सामुदायिक स्वयं सेवकों को एस.एम.एस. के माध्यम से अलर्ट भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वनाग्नि संवेदनशील महीनों

के दौरान सभी वनाग्नि संभावित बीटों में अग्नि प्रहरी तैनात किए जाते हैं, ताकि तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके और समय रहते आग का शीघ्र पता लगाया जा सके।

8.4.3 प्रायोगिक वन संवर्धन कटाई/सहायक वन संवर्धन कार्य

हिमाचल प्रदेश के वनों का अनुमानित मूल्य लगभग ₹1.50 लाख करोड़ आंका गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नालागढ़, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, नाहन तथा पांवटा साहिब के चयनित क्षेत्रों में खैर, चीड़ (चिल) एवं साल की तीन प्रजातियों की प्रायोगिक सिल्वीकल्चर कटाई की अनुमति प्रदान की है।

अब तक लगभग 22,000 खैर वृक्षों का दोहन किया जा चुका है, जिससे 56,000 मानव–दिवस का रोजगार सृजित हुआ है तथा कुल ₹48.01 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹16.71 करोड़ की राशि अब तक प्राप्त हो चुकी है।

8.4.4 नई योजनाएँ

स्थानीय समुदायों, छात्रों और आम जनता में वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ सतत दोहन, प्रबंधन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की हैं:

क) मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना

हरित आवरण बढ़ाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश के वनों का विस्तार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत् लगभग 5,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। अगस्त 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का उद्देश्य दुर्गम स्थलों पर हरित आवरण का विस्तार करना, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करना और आजीविका के अवसर पैदा करना है। इस योजना के अन्तर्गत्, वित्त वर्ष 2025–26 में 119 हेक्टेयर बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

ख) राजीव गांधी वन संवर्धन योजना

वन और वृक्ष आवरण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत् महिला/युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और संरक्षण–उन्मुख पंचायतों को 5 हेक्टेयर तक के क्षेत्रों में वृक्षारोपण और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामुदायिक संगठनों को वित्तीय सहायता और पौधों के उच्च उत्तरजीविता दर के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में 1,267 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य चल रहा है, जिसमें से 900 हेक्टेयर पूरा हो चुका है, शेष लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

ग) **राजीव गांधी हरित गोद लेने की योजना**

सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत निजी संस्थाओं को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के अन्तर्गत विशिष्ट निम्नीकृत वन स्थलों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन में वित्तीय रूप से भाग लेने और सीधे तौर पर शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि के माध्यम से विशेष रूप से वन पुनर्स्थापन के लिए एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल प्रस्तुत करती है।

घ) **'वन मित्रों की नियुक्ति**

समुदाय संचालित वन प्रबंधन और योजना को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'वन मित्र' योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के दौरान 2000 वन मित्रों को नियुक्त किया गया है।

8.4.5 अन्य पहल/उपलब्धियाँ

8.4.5.1 बनखण्डी में विशाल चिड़ियाघर की स्थापना

वन्यजीव जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांगड़ा जिले में एक विशाल चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जे.ड.ए.) द्वारा मास्टर लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी गई है और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट में ₹609 करोड़ के अनुमानित व्यय का आकलन किया गया है। चिड़ियाघर का डिजाइन और भूदृश्य निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना में पर्यावरण अनुकूल तकनीकें, सौर ऊर्जा, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण और सतत खरीद को शामिल किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक ₹130.39 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं और ₹65 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

8.4.5.2 वन रक्षकों की भर्ती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 वन रक्षक पदों की सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है और विभाग ने 257 अतिरिक्त पदों के लिए भी मंजूरी मांगी है।

8.4.5.3 पर्यावरण–पर्यटन

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी.) के सतत पर्यावरण–पर्यटन संबंधी दिशानिर्देश (2021), वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम (2023) और पर्यावरण–पर्यटन नीति (2021) के अनुरूप, पर्यावरण–पर्यटन योजनाओं को प्रादेशिक एवं वन्यजीव प्रभागों की अनुमोदित कार्य योजनाओं या प्रबंधन योजनाओं में एकीकृत किया गया है। तदनुसार, कुल्लू, पार्वती, सराज, पालमपुर, शिमला (ग्रामीण), कोटगढ़, आनी,

ऊना, बिलासपुर, मंडी, रामपुर, ठियोग, नाचन, कुनिहार, राजगढ़, हमीरपुर, करसोग, डलहौजी, धर्मशाला और पांवटा साहिब सहित विभिन्न प्रभागों की कार्य योजनाओं में शामिल करने के लिए 20 पर्यावरण–पर्यटन क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2024 में प्रथम और द्वितीय चरण में चयनित संचालकों को सात स्थल आवंटित किए जाने के बाद, 2025 में तृतीय और चतुर्थ चरण में दस अतिरिक्त स्थल आवंटित किए गए। वर्तमान में, 120 वन विश्राम गृह, निरीक्षण हट और शिविर स्थल https://hpecotourism.com के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए सक्रिय कर दिए गए हैं।

आगंतुकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए, मंडली (शिमला), शिलारू, नोगली, तानु जुब्बर (रामपुर) और बरोट (मंडी) जैसे चयनित वन विश्राम गृहों में आतिथ्य और खानपान सेवाओं को सफलतापूर्वक आउटसोर्स किया गया है।

8.4.6 हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु–प्रतिरोध परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू समर्थित)

जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू बैंक द्वारा समर्थित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु–प्रतिरोध परियोजना चंबा और कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। वित्त वर्ष 2015–16 में ₹308.45 करोड़ के कुल बजट के साथ शुरू की गई इस सात वर्षीय परियोजना का उद्देश्य वन पारिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्वास और सतत प्रबंधन करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना, जलग्रहण क्षेत्रों को स्थिर करना और आजीविका में सुधार करना है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹20.99 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें से ₹13.29 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

8.4.7 हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना

जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जी.आई.सी.ए.) द्वारा समर्थित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना का 10 वर्षों में कुल परिव्यय ₹800 करोड़ है। यह परियोजना बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा और किन्नौर और लाहौल–स्पीति के आदिवासी क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इसका मुख्यालय शिमला में और क्षेत्रीय कार्यालय कुल्लू और रामपुर बुशहार में स्थित हैं। परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक वन प्रबंधन के माध्यम से वन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, जैव विविधता को बढ़ाना और वन एवं चारागाह पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹55.00 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से 31 दिसंबर, 2025 तक ₹18.70 करोड़ का उपयोग किया जा चुका था।

8.4.8 विश्व बैंक समर्थित एकीकृत परियोजना, जल स्रोत स्थिरता और जलवायु–लचीली वर्षा–आधारित कृषि

विश्व बैंक द्वारा "स्रोत स्थिरता एवं जलवायु–संवेदनशील वर्षा–आधारित कृषि हेतु एकीकृत परियोजना" शीर्षक से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹650 करोड़) की अतिरिक्त लागत वाली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना 80:20 के वित्तीय साझेदारी पैटर्न पर सात वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी तथा राज्य के विभिन्न जलागम क्षेत्रों में शिवालिक एवं मध्य–पर्वतीय कृषि–जलवायु क्षेत्रों की लगभग 900 ग्राम पंचायतों को आच्छादित करेगी। परियोजना के प्रमुख अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित हैं:–

- परियोजना क्षेत्र में लगभग 2 लाख हेक्टेयर अनुपयोगी और 0.20 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का व्यापक उपचार।
- परियोजना क्षेत्र में जल उत्पादकता/दक्षता में 30 प्रतिशत की वृद्धि।
- दूध उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि।
- आजीविका सुधार के अंतर्गत 25 प्रतिशत कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है।
- कृषि फसलों की उत्पादकता में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- कृषि व्यवसाय/उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत ₹101.21 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से 31 दिसंबर, 2025 तक ₹56.83 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

वनरोपण और पुनर्स्थापन

- वृक्षारोपण लक्ष्य 2025–26: 5,000 हेक्टेयर
- हासिल किया गया: 4,100 हेक्टेयर
- राजीव गांधी वन संवर्धन: 1,267 हेक्टेयर (900 हेक्टेयर पूर्ण)
- 2,000 वन मित्र कार्यरत

जलवायु और कार्बन

- कार्बन भंडार में 79,234 ('000 टन) की वृद्धि
- एस.ए.पी.सी.सी. 2021–30 परिचालन में
- जलवायु–समायोजित मानव विकास रिपोर्ट (भारत में पहली बार)

जल सुरक्षा

- जल जीवन मिशन:
  - 100 प्रतिशत ग्रामीण नल कवरेज (जुलाई 2023)

- 17.09 लाख परिवार कवर किए गए
- 17,315 स्कूल और 17,892 आंगनवाड़ी कनेक्ट किए गए

सिंचाई

- निर्मित सिंचाई क्षमता: 0.314 मिलियन हेक्टेयर
- शाह नहर 15,287 हेक्टेयर निर्मितय 10,042 हेक्टेयर सी.ए.डी. के अंतर्गत

शहरी सीवरेज

- 68 एस.टी.पी. 99.463 एम.एल.डी. स्थापित क्षमता
- 41 शहर शामिल

प्रदूषण नियंत्रण

- ₹1.42 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान (नालागढ़)
- प्लास्टिक प्रवर्तन ऐप के माध्यम से ₹4.56 लाख जुर्माना
- 113 पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान की गईं (2025–26)

8.5 वन्यजीव–मानव संबंध

8.5.1 संक्षिप्त अवलोकन

इतिहास में, राज्य और इसकी जैव विविधता हमेशा सामंजस्यपूर्ण रूप से अस्तित्व में रहे हैं। वर्षों से, 600 से अधिक स्थानीय पौधों का उपयोग लोगों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, फल, रेशा, चारा, ईंधन, गोंद, तेल, राल आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। ये पौधे ग्रामीण आजीविका को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका के इन घनिष्ठ संबंधों की सराहना करते हुए, स्थानीय समुदायों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वनों और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में गठित वनों को छोड़कर सभी वनों से इन संसाधनों के उपयोग की अनुमति दी है।

1984 से, शिकार पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि हुई है। कृषि के विस्तार और पहले से अछूते क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप में वृद्धि के परिणामस्वरूप मानव–पशु संघर्ष की घटनाएं बढ़ गई हैं। जबकि जंगली सूअर, काले भालू और बंदरों द्वारा कभी–कभी खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाने की खबरें आती हैं, वहीं तेंदुओं द्वारा पालतू जानवरों को उठा ले जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। तेंदुए और काले भालू द्वारा मानवों को चोट पहुँचाने तथा जनहानि की कुछ छिटपुट घटनाएँ रिपोर्ट की गई हैं।

वन्यजीव प्रबंधक वर्तमान में मानव–वन्यजीव संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक, दीर्घकालिक नीति विकसित कर रहे हैं। इन चिंताओं के जवाब में, राज्य सरकार जंगली जानवरों द्वारा पालतू पशुओं की हानि या उन्हें चोट पहुँचाने के साथ–साथ मानव जीवन की हानि के मामलों में वित्तीय मुआवजा प्रदान कर रही है। जंगली जानवरों द्वारा मनुष्यों और पालतू पशुओं को हुए नुकसान के कारण, राज्य में निम्नलिखित राहत दरें दी जाती हैं:

सारणी 8.7

क्रम संख्या	विवरण दर	(₹ में)
1.	मनुष्य की मृत्यु होने पर	4,00,000
2.	मनुष्य को स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000
3.	मनुष्य को गंभीर चोट/आंशिक विकलांगता होने पर	75,000
4.	मनुष्य को मामूली चोट लगने पर चिकित्सा उपचार की वास्तविक लागत के अनुसार अधिकतम	15,000
5.	घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल, याक और ऊंट के नुकसान होने पर	30,000
6.	जर्सी और संकर नस्ल की गाय के नुकसान होने पर	15,000
7.	गाय (स्थानीय नस्ल), गधे, चूरू, चूरी और पश्मीना बकरी के नुकसान होने पर	6,000
8.	भेड़, बकरी और सूअर के नुकसान होने पर	3,000
9.	भैंस, जर्सी गाय और अन्य सभी नस्लों के खच्चर, टाक, घोड़े, ऊंट, चूरू, चूरी, गधे, पश्मीना बकरी, भेड़ और बकरी के बच्चों की मृत्यु होने पर	1,500

वन और जीव–जंतुओं का अविभाज्य संबंध स्पष्ट है, क्योंकि दोनों ही पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं।

8.6 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डी.ई.एस.टी.एंड सी.सी.)

8.6.1. संक्षिप्त अवलोकन

पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है। यह पर्यावरण शासन को सुदृढ़ करने, पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूलन क्षमता (क्लाइमेट रेजिलिएंस) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य की प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय एवं

वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वित करता है, जिससे हिमाचल प्रदेश को पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

8.6.2. प्रमुख पहलें और उपलब्धियां

8.6.2.1 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

हिमाचल प्रदेश ने गैर–जैव अपघटनीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 को लागू करके प्लास्टिक कचरा विनियमन में अग्रणी भूमिका निभाई और गैर–जैव अपघटनीय कचरे के खिलाफ कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन और निपटान को व्यापक रूप से नियंत्रित करता है।

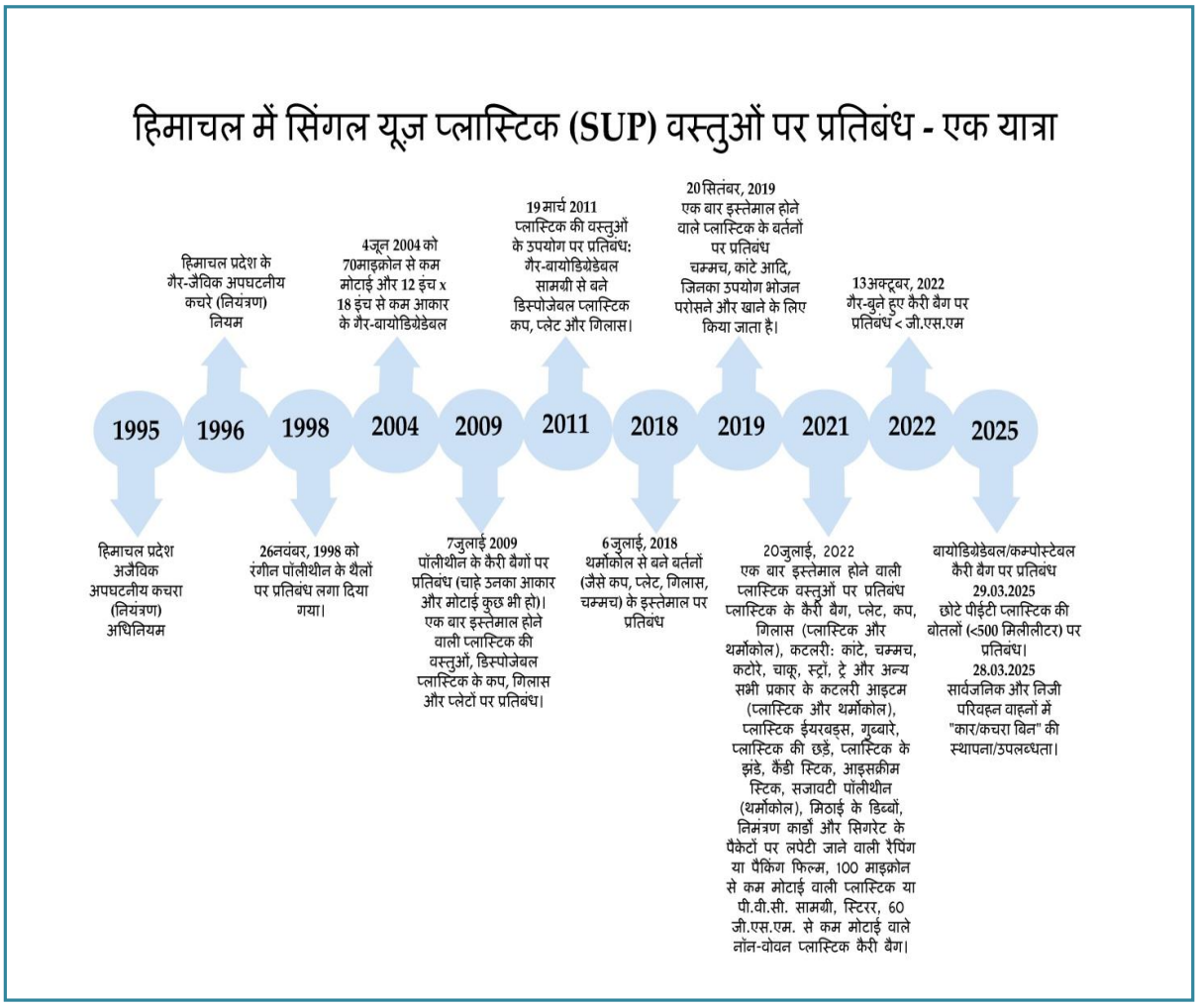

यह प्रणाली वर्तमान में प्रचलित चालान की मैनुअल प्रक्रिया का स्थान ले रही है। डी.ई.एस.टी. एंड सी.सी.द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारियों को पूर्व में जारी सभी भौतिक चालान पुस्तिकाएँ नियत समय में वापस ले ली जाएँगी। 5 जून, 2025 को इसके शुभारंभ तथा मोबाइल अनुप्रयोग के क्रियान्वयन के पश्चात 200 से अधिक उल्लंघनकर्ताओं पर कुल ₹4.56 लाख का जुर्माना लगाया गया।

यह एप्लिकेशन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस–2025 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 16 जून, 2025 को डिपॉजिट रिफंड स्कीम (डी.आर.एस.) अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य गैर–जैव अपघटनीय पैकेजिंग उत्पादों के संग्रहण, पुनर्चक्रण तथा निपटान के लिए एक सतत एवं उत्तरदायी तंत्र स्थापित करना है। विभाग द्वारा योजना संचालक के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 की मणि महेश यात्रा के दौरान एक पायलट परियोजना भी प्रारंभ की गई।

8.6.2.2 हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट (2025) की तैयारीः जलवायु–प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण

सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (एस.डी.जी.) 2023–24 में सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद, हिमाचल प्रदेश अपनी नाजुक पारिस्थितिकीय संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून, हिमनदों का क्षरण तथा भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं का कृषि, जल संसाधनों, जैव विविधता और जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर, राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के सहयोग से एक समावेशी एवं जलवायु–संवेदनशील हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट (2025) जिसका शीर्षक है "जलवायु–प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण" तैयार की है।

जलवायु–प्रभावित विश्व में भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर.) तैयार करने की हिमाचल प्रदेश की पहल भारत में एक अग्रणी कदम का प्रतिनिधित्व करती है। यह देश का पहला राज्य है जिसने मानव विकास के आकलन को जलवायु संवेदनशीलता के साथ समग्र रूप से एकीकृत किया है तथा यह विश्लेषण किया है कि जलवायु जोखिम किस प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और समग्र विकास को प्रभावित करते हैं।

8.6.2.3 विश्व पर्यावरण दिवस 2025

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2025 को शिमला में "प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" विषय के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक–मुक्त हिमाचल अभियान 2030 का भी शुभारंभ किया गया।

8.6.2.4 पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना, जो पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के क्षेत्र

में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना और सम्मानित करना है। इस वर्ष सात पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए नवाचारी प्रयासों एवं उपलब्धियों का सम्मान किया गया।

ये पुरस्कार उन व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थानों को रेखांकित करते हैं जिन्होंने सतत प्रथाओं, संसाधन संरक्षण तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन प्रयासों को मान्यता देकर यह योजना अन्य लोगों को भी पर्यावरण–अनुकूल उपाय अपनाने और हरित भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है। यह सम्मान न केवल इन अग्रणी प्रयासकर्ताओं के प्रति प्रशंसा का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में सामूहिक उत्तरदायित्व के महत्व को भी सुदृढ़ करता है। इस पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सतत विकास को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में पर्यावरणीय उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित करने में अपने नेतृत्व को पुनः स्थापित करता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना के अंतर्गत आठ पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा स्कूली छात्र–छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया।

8.6.2.5 अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड.डी.)

नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजना पहल के अंतर्गत राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड. डी.) संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने, क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नवाचारी समाधानों एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता में निवेश के माध्यम से यह पहल शोधकर्ताओं की क्षमता निर्माण, तकनीकी प्रगति को गति देने तथा हिमाचल प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देने का लक्ष्य रखती है। यह कार्यक्रम राज्य की विशिष्ट पर्यावरणीय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु स्थानीयकृत अनुसंधान के महत्व को भी रेखांकित करता है।

8.6.2.6 पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं स्वीकृतियाँ

पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) के प्रबंधन तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने दायित्वों के अंतर्गत विभाग यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित परियोजनाएँ उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों तथा सतत विकास मानकों के अनुपालन के आकलन हेतु एक कठोर एवं पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरें। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, विभाग ने पर्यावरण

प्रभाव आकलन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 113 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक स्वीकृति में परियोजनाओं के वायु, जल, भूमि एवं जैव विविधता पर संभावित प्रभावों का गहन परीक्षण किया गया तथा निर्धारित शमन उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया। यह सक्रिय दृष्टिकोण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर तथा परियोजना प्रस्तावकों में जवाबदेही को प्रोत्साहित करते हुए विभाग विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य संतुलित एवं समन्वित सह–अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

8.6.2.7 राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (2021–30) का अंगीकरण एवं क्रियान्वयन

हिमाचल प्रदेश ने राज्य–विशिष्ट जलवायु चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एस.ए.पी.सी.सी.) तैयार की है। एस.ए.पी.सी. सी.एक गतिशील दस्तावेज है, जिसे नवीनतम ज्ञान एवं राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इसका वर्तमान संस्करण "राज्य जलवायु परिवर्तन रणनीति एवं कार्ययोजना 2021–30" जलवायु प्रभावों के अनुकूलन एवं शमन के साथ–साथ सतत एवं लचीले विकास को मार्गदर्शित करता है।

प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन शासी परिषद रणनीतिक निर्णयों की देखरेख करती है, जबकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद संचालन संबंधी कार्यों का प्रबंधन करती है। पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एस.ए.पी.सी.सी. के क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यह योजना मिशन–वार लक्ष्यों एवं क्षेत्र–विशिष्ट रणनीतियों पर बल देती है, विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण, जलवायु लचीलापन बढ़ाने तथा कार्बन–तटस्थ विकास की दिशा में प्रयासों पर केंद्रित है। संबंधित विभागों को एस.ए.पी.सी.सी. की अनुशंसाओं को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों में समाहित करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था एवं शासन के सभी क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई मुख्यधारा में शामिल हो।

8.6.2.8 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष के माध्यम से श्रेष्ठ प्रथाओं का सफल प्रदर्शन

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष के अंतर्गत "जलवायु–स्मार्ट समाधानों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सूखा–प्रवण जिले में कृषि–निर्भर ग्रामीण समुदायों के लिए

सतत आजीविका" विषयक एक पायलट परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से सूखा–प्रवण जिला सिरमौर में कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य ने निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति की हैं:

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं संगठित प्रयासों में सुधार।
- सिंचाई योजनाओं एवं जल संचयन संरचनाओं के माध्यम से जल उपलब्धता में वृद्धि तथा जल के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहन।
- जलवायु–संवेदनशील एवं टिकाऊ कृषि तकनीकों एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा।
- आजीविका स्थिरीकरण हेतु पशुधन संसाधनों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि।
- ग्रामीण समुदायों के लिए जलवायु अनुकूलन संबंधी ज्ञान का सृजन एवं प्रसार।

मंत्रालय द्वारा परियोजना की अवधि को अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मार्च 2026 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8.6.2.9 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्रियान्वयन हेतु द्विपक्षीय सहयोग एवं ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन, लचीलापन एवं वित्त

हिमाचल प्रदेश में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जर्मन अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्था तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संचालित एक संयुक्त पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य एवं स्थानीय स्तर की योजनाओं में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना तथा ग्रामीण समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिलासपुर जिले में पायलट अनुकूलन परियोजनाएँ प्रारम्भ की गईं, जिनमें कंदरौर जैसे सूखा–प्रवण पंचायतों में जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन एवं वित्त परियोजना भारत–जर्मन तकनीकी सहयोग की एक पहल है, जिसे जर्मन अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्था, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की जलवायु कार्ययोजना के साथ वित्तीय व्यवस्थाओं तथा लैंगिक–संवेदनशील दृष्टिकोण को समेकित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूलन योजना को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम

के अंतर्गत वर्ष 2023 से 2026 की अवधि में राज्य के सूखा–प्रवण एवं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 5,000 महिला कृषकों की अनुकूलन क्षमता के विकास का कार्य किया जा रहा है।

8.7 हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (HIMCOSTE)

1986 में स्थापित हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के नीति निर्माण, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

मुख्य उपलब्धियां

8.7.1 हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी स्थित काजा में सामुदायिक नेतृत्व वाला खगोल–पर्यटन/तारादर्शन

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने स्पीति घाटी में एक अग्रणी तारादर्शन परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले आदिवासी क्षेत्र में विज्ञान–आधारित पर्यटन और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है। यह परियोजना यहां के प्राकृतिक रूप से स्वच्छ और प्रदूषण–मुक्त रात्रि आकाश का लाभ उठाती है। काजा स्थित तारादर्शन सुविधा का उद्घाटन 7 जुलाई, 2025 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।

8.7.2 आर्द्रभूमि शासन और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना

जर्मन विकास सहयोग (जी.आई.जेड.) के सहयोग से, हिमकोस्टे ने जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस पहल के अन्तर्गत राज्य ने प्रशिक्षण का एक ढ़ांचा तैयार किया है जिससे जिला की आनुमानीत सीमितियां, वन विभाग के अधिकारी और स्थानिय लोग आद्र भूमि प्रबंधन में निपुण हो सके इस परियोजना ने हिमाचल प्रदेश को भारत में आर्द्रभूमि शासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है।

8.7.3 मत्स्य पालको का प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता

सतत मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में राज्य द्वारा पौंग बांध आर्द्रभूमि क्षेत्र में मत्स्यजनों के लिए तीन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण सत्रों में सतत मत्स्य प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण तथा आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया।इस पहल से न केवल स्थानीय आजीविकाओं को सुदृढ़ता मिली, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा प्राप्त हुआ।

8.7.4 जन–जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता–सेवापर्व गतिविधियाँ

प्रकृति के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी "सेवापर्व" अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। पौंग बांध तथा रेणुका आर्द्रभूमियों में स्वच्छता अभियान, ईको–क्लब गतिविधियाँ एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों, स्थानीय समुदायों एवं पर्यावरण समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की गई।उल्लेखनीय है कि नगरोटा सूरियां क्षेत्र से दो प्रतिनिधिएक छात्रा (सुश्री ईशा) एवं एक शिक्षिका (श्रीमती मीना रानी) को चीन में आयोजित "आर्द्रभूमि विद्यालय नेटवर्क–एशिया सम्मेलन" में राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु चयनित किया गया, जो वैश्विक ज्ञान–विनिमय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

8.7.5 मिशन सहभागिता–आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला

मिशन सहभागिता के अंतर्गत शिमला में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला (अक्टूबर 2025) ने हिमाचल प्रदेश सहित सात राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को सफलतापूर्वक सुदृढ़ किया। प्रमुख उपलब्धियों में नीतिगत समेकन को बढ़ावा, क्षमता निर्माण तथा रेणुका जी आर्द्रभूमि (रामसर स्थल) में सहभागी प्रबंधन पर विशेष ध्यान शामिल रहा।कार्यशाला में संचार, शिक्षा, सहभागिता एवं जागरूकता (सी.ई.पी.ए.) रणनीतियों पर विशेष बल दिया गया, जिससे संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, आर्द्रभूमि प्रबंधन पद्धतियों में सुधार तथा क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु क्रियान्वयन योग्य सुझाव भी प्राप्त हुए, जो उत्तर भारत की आर्द्रभूमियों की दीर्घकालिक स्थिरता में सहायक सिद्ध होंगे।

8.7.6 हिमनद और हिम आवरण निगरानी

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने राज्य भर में हिमनदों, हिमनद झीलों और हिम आवरण की व्यापक निगरानी उच्च–रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग कर रहा है। यह अध्ययन हिमनदों के पीछे हटने के आकलन, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जी.एल.डी.एफ.) से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलविद्युत विकास और जलवायु अनुकूलन के लिए तथ्य–आधारित योजना बनाने में सहायक है।

8.7.7 मानसून आपदाओं के लिए त्वरित क्षति आकलन

रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस. का उपयोग करते हुए, परिषद ने 2025 मानसून ऋतु के दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ और नदी बाढ़ का स्थानिक मानचित्रण और क्षति आकलन पूरा किया। यह पहल साक्ष्य–आधारित आपदा जोखिम योजना, संसाधन आवंटन और शमन

उपायों की प्राथमिकता निर्धारण में सहायक है, जिससे राज्य की भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारी को बढ़ाया जा सके।

8.7.8 स्थानीय उत्पादों के लिए जी.आई. ऐपलिकेशन

हिमकोस्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र ने चार उत्पादों, अर्थात् सिरमौरी अदरक, भोट जौ, चंबा चुख और प्लेक्ट्रेंथस शहद के लिए भौगोलिक संकेत (जी. आई.) ऐपलिकेशन प्रक्रिया शुरू की है, जिन्हें मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, सिरमौरी डांगरा के लिए एक नया जी.आई. आवेदन भी शुरू किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट स्थानीय उत्पादों की मान्यता और संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

8.8 जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.)

केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया जल जीवन मिशन, भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अनुमानित राष्ट्रीय लागत ₹3.60 लाख करोड़ है। मिशन का मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर सेवा प्रणाली स्थापित करना, निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है।

यह मिशन समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें जल स्रोतों की स्थिरता, जल गुणवत्ता आश्वासन, अवसंरचना विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश ने जुलाई 2023 तक ग्रामीण परिवारों में 100 प्रतिशत जल आपूर्ति सुनिश्चित करके जे.जे.एम. के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जो राष्ट्रीय औसत 81.53 प्रतिशत से कहीं बेहतर है। राज्य में कुल 17.09 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 7.63 लाख परिवारों को मिशन शुरू होने से पहले नल के पानी की सुविधा उपलब्ध थी। शेष 9.46 लाख परिवारों को जे.जे.एम. के अन्तर्गत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पीने के पानी की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

हिमाचल प्रदेश में जे.जे.एम. कार्यान्वयन का एक मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक संस्थानों में पेयजल की उपलब्धता रहा है। सभी 17,315 विद्यालयों और 17,892 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी के कनेक्शन सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे बच्चों के लिए जल सुरक्षा मजबूत हुई है और स्वच्छता एवं सफाई के परिणाम बेहतर हुए हैं।

सारणी 8.8

प्रमाणित जल के वितरण की स्थिति

विवरण	संख्या	जल प्रमाणित की स्थिति (प्रतिशत)
ब्लॉक	88	48 (54.54)
पंचायतें	3,536	2,967 (83.91)
गाँव	17,627	15,292 (86.75)

स्रोत: जल जीवन मिशन

8.8.1 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ

बुनियादी ढाँचे के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य ने जे.जे.एम. के अंतर्गत ₹6,395.09 करोड़ की अनुमानित लागत से 1,747 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 650 योजनाएँ भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टि से पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 1,097 योजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। स्वीकृत परिव्यय में से, राज्य को ₹5,174.96 करोड़ प्राप्त हुए हैं, और ₹5,174.92 करोड़ का उपयोग जे.जे.एम. के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा ₹2,296.77 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना की सिफारिश की गई है।

8.8.2 हैंडपंप कार्यक्रम

राज्य सरकार जल–संकटग्रस्त क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के दौरान, हैंडपंप उपलब्ध कराने के लिए एक सतत कार्यक्रम चला रही है। नवंबर 2025 तक, राज्य भर में कुल 42,180 हैंडपंप स्थापित किए जा चुके हैं।

8.8.3 शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ

हिमाचल प्रदेश में 74 शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) हैं। शिमला शहर में जल आपूर्ति का प्रबंधन शिमला जलप्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है, जबकि परवाणू में हिमुडा द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। शेष 72 शहरों में जल शक्ति विभाग जल आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करता है, जिनमें से 46 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 8 शहरों में नई जल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है और शेष 18 शहरों में 135 एल.पी.सी.डी. की दर से जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य प्रगति पर है।

अमृत 2.0 के अन्तर्गत 17 शहरों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन और विस्तार को मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण के तहत 8 शहरों के लिए ₹154.07 करोड़, द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2 शहरों (अंब और भुंतर) के लिए ₹32.90 करोड़ और तृतीय चरण के

अन्तर्गत 17 शहरों के लिए ₹111.90 करोड़ की लागत से डी.पी.आर. स्वीकृत हो चुकी हैं और कार्य प्रगति पर है।

8.8.4 शहरी क्षेत्र में सीवरेज योजनाएँ

13 नव अधिसूचित शहरी स्थानीय निकायों के जुड़ने से हिमाचल प्रदेश में अब 74 शहरी स्थानीय निकाय हो गए हैं। शिमला में सीवरेज सेवाओं का प्रबंधन शिमला जलप्रबंधन निगम लिमिटेड (एस.जे.पी.एन.एल.) द्वारा किया जाता है।

जल शक्ति विभाग ने 41 कस्बों में सीवरेज सुविधाएँ प्रदान की हैं, जिनमें 99.46 एम. एल.डी. की कुल स्थापित क्षमता वाले 68 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) शामिल हैं, जिनमें वर्तमान में 62.39 एम.एल.डी. सीवेज का प्रवाह हो रहा है। 6 कस्बों (भोटा, संतोखगढ़, तलाई, बैजनाथ–पपरोला, नेरचौक और बंजार) में सीवरेज योजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जबकि 3 कस्बों (नगरोटा सुरियां, धर्मपुर और राजगढ़) में कार्यों का ठेका दिया जा चुका है। राज्य निधि के अंतर्गत 3 कस्बों (नेरवा, चौपाल और शाहपुर) और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.) के अंतर्गत बिलासपुर कस्बे के लिए प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य निधि या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत 10 अतिरिक्त शहरों के लिए निधि हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं शेष 9 शहरों में अभी तक सीवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 31 शहरों के लिए ₹111.88 करोड़ की लागत से सीवरेज घटकों को मंजूरी दी गई है।

8.8.5 ग्रामीण क्षेत्र में सीवरेज योजनाएँ

विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। वर्तमान में, छह ग्रामीण स्थानों – शार्बो (रिकोंगपिओ), झाखड़ी, सांगला (जहाँ बाढ़ के दौरान चरण II और III क्षतिग्रस्त हो गए थे), चिंतपूर्णी (जोन I, II और III), हडसर और मढ़ी (मनाली) – में आंशिक सीवरेज सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, जिनकी स्थापित उपचार क्षमता 7.48 एम.एल.डी. है, जबकि सीवेज का प्रवाह 3.3 एम.एल.डी. है। वर्तमान में 13 अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं।

ग्रामीण सीवरेज योजनाओं के लिए भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (विधायक प्राथमिकता)के अन्तर्गत वित्तपोषण शुरू किया गया है। अब तक, ₹303.78 करोड़ की 20 सीवरेज योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। इनमें से तीन स्थान–नगरोटा सुरियां, सन्धोल और धर्मपुर – शहरी स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिनके लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

विभिन्न जिलों में नौ ग्रामीण सीवरेज योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिनमें तकलेच (रामपुर), बरांडा (नूरपुर), छतराड़ी (चंबा), रैहन क्षेत्र, उदयपुर खास, नामग्या (पूह),

कोट, रोसो, थाना (धर्मपुर), नेरी, सन्धोल दतवार, सोहर, घनाला (सन्धोल) तथा विरासत ग्राम गरली और प्रागपुर शामिल हैं।

सेप्टेज और स्लज प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग से ₹11.54 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है और इसे जल शक्ति विभाग के 21 मंडलों में फैले 22 एस.टी.पी. में अवसंरचना विकास के लिए आवंटित किया गया है।

8.8.6 कमान क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.)

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश कमान क्षेत्र विकास (एच.आई.एम.सी.ए.डी.) गतिविधियों के लिए ₹5.87 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी सहित) आवंटित किए, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को बांटना था। 2,318.43 हेक्टेयर की कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) के भौतिक लक्ष्य के मुकाबले, नवंबर 2025 तक 634.62 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित किया गया, जिस पर सितंबर 2025 तक ₹0.59 करोड़ व्यय किए गए।

8.8.7 सिंचाई

हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5.567 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 0.583 मिलियन हेक्टेयर कृषि के अंतर्गत है। राज्य की अनुमानित सिंचाई क्षमता 0.335 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 0.050 मिलियन हेक्टेयर और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 0.285 मिलियन हेक्टेयर शामिल हैं। नवंबर 2025 तक, 0.314 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाया जा चुका है।

8.8.8 प्रमुख सिंचाई

कांगड़ा जिले में शाह नहर परियोजना हिमाचल प्रदेश की एकमात्र प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इसके पूरा होने के साथ, 15,287 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई अवसंरचना का निर्माण हो चुका है। नवंबर 2025 तक, कमांड एरिया डेवलपमेंट (सी.ए.डी.) टीम ने कुल कमांड क्षेत्र में से 10,042 हेक्टेयर क्षेत्र को सी.ए.डी. संचालन के अंतर्गत लाया है।

8.8.9 मध्यम सिंचाई

बल्ह घाटी बाएँ तट सिंचाई परियोजना 2,780 हेक्टेयर, सिद्धाथा कांगड़ा सिंचाई परियोजना 3,150 हेक्टेयर और बिलासपुर में चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना 2,350 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करती है। नवंबर 2025 तक, सिद्धाथा क्षेत्र में 2,705 हेक्टेयर तक कमांड क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.) गतिविधियाँ विस्तारित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, हमीरपुर जिले में फिना सिंह कृषि कमांड क्षेत्र (4,205 हेक्टेयर) और नादौन क्षेत्र (2,980 हेक्टेयर) मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत विकास के अधीन हैं।

8.8.10 लघु सिंचाई

वित्त वर्ष 2025–26 में 5,292.07 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई अवसंरचना के विकास के लिए ₹580.34 करोड़ का आवंटन किया गया है। नवंबर 2025 तक, ₹37.22 करोड़ (सितंबर 2025 तक) का व्यय किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 1,808.02 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।

8.9 हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.एस.पी.सी.बी.)

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.एस.पी.सी.बी.) का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया है। तत्पश्चात वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान भी राज्य बोर्ड को सौंपे गए।

8.9.1 बोर्ड की प्रमुख उपलब्धियाँ वर्ष 2025–26 में (दिसम्बर, 2025 तक)

1. राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.एस.पी.सी.बी.) की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, शिमला को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 52(1)(बी) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 28(1)(बी) के अंतर्गत राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया है।
2. हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल, वायु, खतरनाक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट नमूनों के लिए ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एम.एम.एस.) में प्रयोगशाला मॉड्यूल को सफलतापूर्वक विकसित और कार्यान्वित किया, जिससे यह ओ.सी.एम.एम.एस. वाला मॉड्यूल को चालू करने वाला भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बन गया।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के गैर–प्राप्ति (नॉन–अटेनमेंट) नगर नालागढ़ ने वर्ष 2025 में वायु गुणवत्ता में सुधार तथा सिटी एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्रेणी–III शहरों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
4. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, राज्य बोर्ड ने राज्य भर में ठोस अपशिष्ट के कुप्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण निकायों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों पर ₹1.42 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया।
5. राज्य बोर्ड हिमाचल प्रदेश गैर–जैव अपघटनीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग के विरुद्ध नियमित रूप से जन–जागरूकता अभियान एवं प्रवर्तन कार्रवाइयाँ संचालित करता है। वर्ष 2025 में राज्यभर में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध ₹5.63 लाख की संयोजन शुल्क चालान राशि जारी की गई।

6. राज्य बोर्ड (एच.पी.एस.पी.सी.बी.) अपनी 50वीं वर्षगांठ (दिसंबर 2024–दिसंबर 2025) मना रहा है। बोर्ड की 50 साल की विरासत को उजागर करने वाली एक कॉफी टेबल बुक और एक स्मारक यात्रा वीडियो भी तैयार किया गया है।
7. विनियमन–शिथिलीकरण पहल के अंतर्गत उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य बोर्ड ने ग्रीन श्रेणी के उद्योगों हेतु स्थापना की स्वीकृति के लिए स्वचालित नवीनीकरण तंत्र प्रारम्भ किया तथा इसी तंत्र को संचालन की स्वीकृति पर भी लागू किया।
8. राज्य बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का संशोधित वर्गीकरण रेड, ऑरेंज, ग्रीन एवं ब्लू श्रेणियों में अपनाया है। यह अद्यतन वर्गीकरण नियामक स्पष्टता को बढ़ाता है तथा उद्योगों को उनके प्रदूषण संभाव्यता एवं परिचालन प्रभाव के अनुरूप संरेखित कर पर्यावरणीय निगरानी को सुदृढ़ करता है।
9. संशोधित औद्योगिक वर्गीकरण सी.पी.सी.बी. को अपनाने के अतिरिक्त, राज्य बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन श्रेणियों के अंतर्गत छूटे हुए औद्योगिक क्षेत्रों की भी पहचान की है। नव–चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है:

सारणी 8.9

श्रेणी	कुल औद्योगिक क्षेत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण 2025 के अनुसार	नव चिन्हित छूटे हुए औद्योगिक क्षेत्र	कुल औद्योगिक क्षेत्र
लाल	125	1	126
नारंगी	137	18	155
हरा	94	22	116
नीला	9	–	9
सफेद	54	3	57

स्रोत: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

10. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार, सभी उद्योगों, प्रक्रियाओं, विकास परियोजनाओं और पर्यटन इकाइयों को राज्य बोर्ड से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। दी गई अनुमतियों का विवरण निम्नलिखित है:

सारणी 8.10

विवरण	दिनांक 1.4.2025 से 31.12.2025 तक दी गई स्वीकृतियों की कुल संख्या
स्थापना की अनुमति	1072
संचालन की अनुमति/संचालन की अनुमति का नवीनीकरण	2956
स्थापित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (वायु और जल)	61
सुधारित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (वायु और जल)	55

स्रोत: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सारणी 8.11

प्रमुख योजनाएँ (संक्षिप्त अवलोकन)

योजना	क्षेत्र–आवरण	वित्तीय प्रावधान	वर्तमान स्थिति
सी.ए.एम.पी.ए. एवं राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	राज्यव्यापी	वृक्षारोपण (5,000 हेक्टेयर)	4,100 हेक्टेयर में वृक्षा रोपण पूर्ण
मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना	119 हेक्टेयर (2025–26)	राज्य योजना	प्रगति पर
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना	1,267 हेक्टेयर	सामुदायिक मॉडल	900 हेक्टेयर पूर्ण
के.एफ.डब्ल्यू. जलवायु सुदृढ़ीकरण परियोजना	चंबा, कांगड़ा	₹ 308.45 करोड	₹13.29 करोड़ व्यय (2025–26)
जे.आई.सी.ए. वन परियोजना	7 जिले	₹ 800 करोड़	₹18.70 करोड़ व्यय (2025–26)
विश्व बैंक जलवायु सहनशीलता परियोजना	900 ग्राम पंचायतें	₹ 650 करोड	₹ 56.83 करोड़ व्यय
एन.ए.एफ.सी.सी. पायलट परियोजना	सिरमौर	मार्च 2026 तक कार्य को बढ़ाया गया	पूर्ण किए गए उद्देश्य
सी.ए.एफ.आर.आई.	5,000 महिला कृषक	भारत–जर्मन सहयोग (2023–26)	2023–26
जल जीवन मिशन	राज्यव्यापी	₹6,395 करोड़	100 प्रतिशत ग्रामीण कवरेज

8.10 मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ

(क) राज्य स्तर पर मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ (साक्ष्य आधारित)

मुद्दा / चुनौतीयां	साक्ष्य	निहितार्थ
पश्चिमी हिमालय में जलवायु संबंधी संवेदनशीलता	चरम मौसम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति, ग्लेशियरों का पीछे हटना, भूस्खलन और पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता।	वनों, जल स्रोतों, कृषि के लिए खतरा और समुदायों के लिए आपदा जोखिम में वृद्धि।
वन क्षरण और जैविक दबाव	जनसंख्या वृद्धि, पशुधन चराई और विकासात्मक गतिविधियों से बढ़ता दबाव।	वनों की गुणवत्ता में गिरावट, मृदा अपरदन में वृद्धि और पारिस्थितिक लचीलेपन में कमी।
वन अग्नि, अवैध कटाई और अतिक्रमण	वन अग्नि और वन संबंधी अपराधों की बढ़ती घटनाएं।	वनस्पति का नुकसान, पर्यावास का विनाश, कार्बन भंडार में कमी और संरक्षण लागत में वृद्धि।
मानव–वन्यजीव संघर्ष	सूअर, बंदरों और भालुओं द्वारा फसलों को नुकसान व तेंदुओं द्वारा पशुधन का शिकार, लोगों को चोटें पहुंचाना।	किसानों के लिए आर्थिक नुकसान, सुरक्षा जोखिम, उच्च मुआवजे का बोझ और वन्यजीवों के प्रति घटती सहनशीलता।
जल संसाधन पर दबाव और स्रोत की भेद्यता	झरनों/बर्फ पिघलने से प्राप्त जल पर निर्भरताय जल पुनर्भरण में कमीय जलवायु परिवर्तन के कारण नदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता।	मौसमी जल संकट, पेयजल योजनाओं पर दबाव और ग्रामीण जल सुरक्षा के लिए खतरा।
शहरीकरण और पर्यटन का पर्यावरण पर बोझ	अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि, कई शहरों में अपर्याप्त सीवरेज व्यवस्था, पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव।	प्रदूषण, जल संदूषण, शहरों की वहन क्षमता में कमी और पर्यावरण का क्षरण।
वन पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन और बिगड़ता स्वास्थ्य	वनों की संख्या में कमी, छोटे–छोटे खंडित वन क्षेत्र और वनों का असमान घनत्व।	पर्यावास का नुकसान, जैव विविधता में कमी, पारिस्थितिक स्थिरता का कमजोर होना और दीर्घकालिक उत्पादकता में गिरावट।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे और चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	साक्ष्य
असीमित या अन्य वन क्षेत्रों का उच्च अनुपात प्रबंधन	लाहौल – स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा,	बड़े क्षेत्र असीमित या अन्य वन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जिससे निगरानी,

और प्रवर्तन में कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है	शिमला, ऊना, सोलन।	संरक्षण और कानूनी अनुपालन जटिल हो जाता है।
शहरी सीवरेज नेटवर्क में कमियाँ कई योजनाएँ निर्माणाधीन या लंबित हैं	हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला।	कई कस्बों में अभी भी पूर्ण सीवरेज प्रणाली का अभाव है या कार्य प्रगति पर हैं, जिससे पूर्ण स्वच्छता कवरेज में देरी हो रही है।
भूभाग और जलवायु जोखिमों के कारण ग्रामीण सीवरेज प्रणालियों की क्षति और आंशिक कार्यक्षमता	किन्नौर, कुल्लू, ऊना, चंबा, शिमला।	कई स्थानों पर ग्रामीण सीवरेज प्रणालियाँ या तो आंशिक रूप से कार्यशील हैं, हाल ही में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं या मुरम्मत के दौर से गुजर रही हैं।
विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक वायु गुणवत्ता का दबाव	सोलन (नालागढ़)।	औद्योगिक क्षेत्रों में सघन औद्योगिक गतिविधि के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ हैं।
प्रमुख तीर्थ यात्राओं और पर्यटकों की आवाजाही के दौरान प्लास्टिक कचरे में भारी वृद्धि होती है।	चंबा	चंबा में बड़े तीर्थयात्री जमावड़ों से भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसके लिए विशेष संग्रहण और प्रबंधन प्रयासों की आवश्यकता होती है।
जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता के लिए लक्षित पुनर्स्थापन और परियोजनाओं के लचीलापन की आवश्यकता है।	चंबा और कांगड़ा	समर्पित जलवायु–रोधी और पुनर्स्थापन कार्यक्रम इन जिलों में उच्च पारिस्थितिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।
दीर्घकालिक आजीविका से जुड़े वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की आवश्यकता।	बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल–स्पीति	बहुवर्षीय वन पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका सुधार परियोजनाएं इन क्षेत्रों में सतत हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

8.11 भावी दिशा

आगे की दिशा में परिदृश्य–स्तरीय पारितंत्र प्रबंधन, वैज्ञानिक आधार पर योजना निर्माण तथा समुदाय–आधारित संरक्षण के माध्यम से जलवायु–संवेदनशील प्राकृतिक संसाधन शासन को सुदृढ़ करना आवश्यक है। वन प्रबंधन का फोकस मात्र क्षेत्र विस्तार से हटाकर गुणवत्ता सुधार पर होना चाहिए, जिसमें सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, मिश्रित प्रजातियों का रोपण, परिदृश्य पुनर्स्थापन, अग्नि–प्रतिरोधी पारितंत्र और जैव–विविधता गलियारों का विकास शामिल हो। वन मित्र, संयुक्त वन प्रबंधन तथा पारितंत्र सेवाओं के भुगतान जैसे सामुदायिक सहभागिता मॉडल को व्यापक बनाकर आजीविका और संरक्षण के

बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। पुनर्स्थापन और कार्बन संवर्धन पहलों के विस्तार हेतु जलवायु वित्त,सी.एस.आर. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी का उपयोग किया जाना चाहिए।

पर्यावरणीय शासन में एकीकृत जलवायु जोखिम योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना, हिमनद एवं जलागम क्षेत्रों की निगरानी का विस्तार तथा अपशिष्ट प्रबंधन में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देना आवश्यक है। अनुसंधान संस्थान एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म वास्तविक समय पर्यावरणीय निगरानी, आपदा जोखिम मॉडलिंग तथा स्थानीयकृत जलवायु अनुकूलन समाधानों को समर्थन प्रदान करें। प्रकृति–आधारित पर्यटन और हरित अर्थव्यवस्था पहलों का विस्तार सतत आय सृजन के साथ–साथ संरक्षण जागरूकता को भी बढ़ावा दे सकता है।

जल संसाधन क्षेत्र में ध्यान केवल अवसंरचना निर्माण से हटाकर दीर्घकालिक स्रोत स्थिरता पर केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें झरनों का पुनर्जीवन, जलागम पुनर्स्थापन, वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई तथा जल उपयोग दक्षता शामिल हैं। एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन और जलवायु–संवेदनशील सिंचाई योजना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रणालियों में विकेन्द्रीकृत उपचार एवं पुनः उपयोग प्रणालियों को अपनाकर प्राकृतिक स्रोतों पर दबाव कम किया जा सकता है। संस्थागत समन्वय को मजबूत करना, स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण तथा जल परिसंपत्तियों में सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना उपलब्धियों को स्थायी बनाने और जलवायु–संवेदनशील जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

*****

अध्याय 9

उद्योग

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**औद्योगिक परिवर्तन**	हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुआ, जिससे द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024–25 में बढ़कर 40.11 प्रतिशत हो गई।
2	**भारत का फार्मा हब**	राज्य में 650 से अधिक फार्मा इकाइयां हैं, जो भारत की 35 प्रतिशत दवाओं का उत्पादन करती हैं, और यह एशिया के प्रमुख फार्मा हब में से एक के रूप में उभर रहा है।
3	**निर्यात वृद्धि**	राज्य का निर्यात 2003 में ₹550 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹20,414 करोड़ हो गया, और 60 देशों के साथ इसके मजबूत वैश्विक संबंध हैं।
4	**बल्क ड्रग पार्क (ऊना)**	₹2,071 करोड़ की एक मेगा परियोजना निर्माणाधीन है, जिससे ₹8,000–10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और 20,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
5	**निवेश प्रोत्साहन**	सिंगल विंडो के माध्यम से 135 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे ₹3,118.91 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ और 12,947 रोजगार सृजित हुए।
6	**व्यापार सुगमता सुधार**	हिमाचल प्रदेश ने 98 प्रतिशत बी.आर.ए.पी. 2024 कार्यान्वयन हासिल किया, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त की।
7	**एम.एस.एम.ई. और स्टार्टअप विस्तार**	औद्योगिक इकाइयों में एम.एस.एम.ई. की हिस्सेदारी 99 प्रतिशत है, ₹10 करोड़ के एच.आई.एम.एस.यू.पी. फंड और इनक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से 365 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया गया।
8	**भूमि बैंक और नए औद्योगिक क्षेत्र**	पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया, जिनमें बीर प्लासी और धबोटा में 1,383 बीघा भूमि औद्योगिक आवंटन की दिशा में प्रगति कर रही है।
9	**स्वरोजगार और कौशल विकास**	एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत 10,850 मामलों को मंजूरी दी गई, पी.एम.एफ.एम.ई. ने 780 इकाइयों को सहायता प्रदान की और पी.एम. विश्वकर्मा ने राज्य भर में 12,728 कारीगरों को प्रशिक्षित किया।
10	**रेशम उत्पादन और ग्रामीण उद्योग**	रेशम उत्पादन 10,221 परिवारों को सहारा देता है क्लस्टर–आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण और कई सी.एफ.सी. परियोजनाएं ग्राम–स्तरीय उद्योग को मजबूत करती हैं।

9.1 परिचय – उद्योग क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान से उद्योग और सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस अर्थवयवस्था को प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों, अनुकूल निवेश वातावरण और निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त है जिसके परिणामस्वरूप, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 1950–51 में लगभग 7.00 प्रतिशत से बढ़कर 2024–25 में 40.11 प्रतिशत हो गई है।

प्रारंभिक वर्षों में, राज्य में मोहन मीकिन्स, नमक खदानें, नूरपुर सिल्क और पालमपुर सहकारी चाय कारखाना जैसे कुछ ही उद्योग थे। समय के साथ, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, एफ.एम.सी.जी, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, ऑटो व इंजीनियरिंग, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि का विस्तार हुआ, जिससे राज्य एक स्थिर विकास पथ पर अग्रसर हुआ।

औद्योगिक विकास को एक बड़ा प्रोत्साहन 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा से मिला, जिसने बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया, विशेष रूप से सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में। इस पहल के साथ–साथ निरंतर अवसंरचना विकास और उद्योग–समर्थक नीतियों ने राज्य में औद्योगिक विकास को और अधिकगति प्रदान की।

तब से हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख दवा निर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें 650 से अधिक कार्यरत इकाइयाँ हैं। राज्य एक प्रमुख सीमेंट उत्पादक और निर्यात केंद्र भी है। निर्यात का मूल्य ₹20,414 करोड़ था और लगभग 60 देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं।

9.2 हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य

राज्य का मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) द्वारा संचालित राज्य है, जो कुल औद्योगिक इकाइयों का लगभग 99 प्रतिशत हैं। अनुकूल नीति और अवसंरचनात्मक वातावरण के समर्थन से यह क्षेत्र रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9.2.1 औद्योगीकरण का स्नैपशोटः

9.2.1.1 बल्क ड्रग पार्क, जिला ऊना

हिमाचल प्रदेश देश के सबसे बड़े दवा निर्माण केंद्रों में से एक बनकर उभरा है, जो भारत की 35 प्रतिशत से अधिक दवाओं का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र प्रतिवर्ष ₹35,000 करोड़ से अधिक मूल्य की बल्क दवाओं और कच्चे माल की खपत करता है, जो एक समर्पित बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकता की पूर्त्ति करता है।

यह पार्क भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिला ऊना के हरोली में विकसित किया जा रहा है। परियोजना की संशोधित लागत ₹2,071 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार से ₹996.45 करोड़ और राज्य सरकार से ₹1,074.55 करोड़ शामिल हैं। इससे ₹8,000–10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और लगभग 20,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सितंबर 2025 में पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी गई थी। इस पार्क में सामान्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित सी.ई.टी.पी, भाप उत्पादन प्रणाली, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, एक उत्कृष्टता केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र और भंडारण सुविधाएं शामिल होंगी।

राज्य सरकार इस आगामी पार्क को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पार्क के भीतर किए जाने वाले निम्नलिखित बुनियादी ढांचा संबंधी कार्यों को शुरू कर दिया गया है:

सारणी 9.1

आगामी पार्क के लिए शुरू किए गए बुनियादी ढांचा कार्य

क्रम संख्या	घटक	अनुमानित लागत (₹करोड़)
1	साइट विकास, सड़कें, पुल	225
2	जेड.एल.डी.–आधारित सी.ई.टी.पी	273.49
3	बॉयलर भाप उत्पादन और वितरण प्रणाली	300.28
4	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र	52.00
5	उत्कृष्टता केंद्र, सुरक्षा एवं खतरनाक लेखापरीक्षा केंद्र और उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा	135.66
6	आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र	20.17
7	पांच गोदामों का निर्माण	56.00

उपरोक्त के अलावा, 15 एम.एल.डी जल उपलब्धता के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार, पार्क के बाहर बिजली संबंधी कार्य उन्नत चरण में हैं। पार्क द्वारा उत्पन्न आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए, राज्य सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उद्देश्यों के लिए आसपास के क्षेत्र में 175 एकड़ भूमि विशेष रूप से आरक्षित की है।

9.3 निवेश परिदृश्य

- कोविड–19 के बाद के दौर में विनिर्माण क्षेत्र की बदलती गतिशीलता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन को देखते हुए, राज्य सरकार "आमंत्रण के

माध्यम से उद्योग" दृष्टिकोण के द्वारा औद्योगीकरण को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, उद्योग मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडलों ने पिछले तीन वर्षों में दुबई और मुंबई में संभावित निवेशकों के साथ बातचीत की है। परिणामस्वरूप, ₹5,000 करोड़ के प्रतिबद्धता ज्ञापनों (एम.ओ.सी.) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यात्राः उद्योग मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 तक जापान, हांगकांग और वियतनाम की अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और संबद्ध उद्योगों में अवसरों को प्रदर्शित करना था।
- सिंगल विन्डो प्रणाली के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 135 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें ₹3,118.91 करोड़ का निवेश और 12,947 व्यक्तियों के लिए रोजगार शामिल है।
- सरकार ने हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इथेनॉल, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, आई.टी और आई.टी.ई.एस. तथा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की भी पहचान की है।

9.4 हिमाचल प्रदेश में निर्यात परिदृश्य

राज्य का निर्यात 2003 में ₹550 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹20,414 करोड़ हो गया है, जो मजबूत औद्योगिक विकास और बेहतर विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है। दवा क्षेत्र निर्यात में अग्रणी है, जो सालाना लगभग ₹13,000 करोड़ का योगदान देता है। यह राज्य के कुल निर्यात का 70 प्रतिशत और उत्तरी क्षेत्र के कुल निर्यात का 45 प्रतिशत है।

9.5 निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार

औद्योगीकरण और निवेश को गति देने के लिए, सरकार ने अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है ताकि देरी कम हो और अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार हो सके। अनुपालन में कमी और विनियमन में ढील देने की पहल के अन्तर्गत, सी.एल.यू. प्रक्रियाओं को आसान और डिजिटल बनाया गया है, और न्यूनतम 3 मीटर सड़क की चौड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम मानक के रूप में मान्यता दी गई है। सेटबैक मानदंडों को कम किया गया है, जिससे भूमि का नुकसान 30 प्रतिशत तक कम हुआ है और भूखंडों का बेहतर उपयोग हुआ है। एफ.ए.आर. मानदंडों को उदार बनाया गया है। श्वेत श्रेणी के उद्योगों की सूची 54 से बढ़ाकर 57 कर दी गई है, और महिलाओं के रात्रिकालीन रोजगार के लिए एक वर्ष की वैधता की शर्त को हटाने से श्रम–हितैषी सुधारों को और मजबूती मिली है।

9.6 औद्योगीकरण के लिए भूमि बैंक

राज्य सरकार निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचे से युक्त नए औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, 2025–26 में पांच नए बड़े और सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है:

- औद्योगिक क्षेत्र हार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
- औद्योगिक क्षेत्र किशनपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन
- औद्योगिक क्षेत्र मखुन माजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन
- औद्योगिक क्षेत्र बरसन, तहसील नालागढ़, जिला सोलन
- औद्योगिक क्षेत्र आंद्रोला ऊपरला उप–तहसील पंझेरा, जिला सोलन

उपरोक्त के अतिरिक्त, बीर प्लासी और धबोटा में 1,383 बीघा सरकारी भूमि के हस्तांतरण को अंतिम मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में है।

9.7 पी.एम. विश्वकर्मा योजना–हिमाचल प्रदेश

राज्य सरकार भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 12,728 कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ हुआ है।
- इस योजना के अन्तर्गत 6,000 टूलकिट वितरित किए गए हैं।

9.8 स्वरोजगार उद्यमों को प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहलें की हैं, ताकि वे रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार प्रदाता बन सकें।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एम.एम.एस.वाई.):** एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत ₹110.70 करोड़ के निवेश के साथ 396 स्वरोजगार मामलों को मंजूरी दी गई, जिससे 1,361 व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुईं। इसके अतिरिक्त, ₹111.59 करोड़ के कुल निवेश के साथ 628 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनसे 1,413 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (पी.एम.एफ.एम.ई.):** इस योजना का उद्देश्य ऋण–आधारित सब्सिडी, प्रारंभिक पूंजी और प्रशिक्षण

सहायता के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मजबूत करना है। इस योजना के अन्तर्गत 780 मामलों को ₹51.65 करोड़ की सब्सिडी के साथ मंजूरी दी गई और 289 महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹1.46 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी प्रदान की गई।

9.9 क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण

- भारत सरकार की एम.एस.ई–सी.डी.पी. योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.) ने विभिन्न जिलों में साझा सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.) स्थापित करने के लिए ₹200.08 करोड़ की 16 क्लस्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये क्लस्टर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प, अपशिष्ट प्रबंधन, फर्नीचर, लकड़ी की नक्काशी, रेशम उत्पादन और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण है।
- एस.एल.एस.सी. ने एम.एस.ई.–सी.डी.पी. के अंतर्गत राज्य भर के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ₹110.19 करोड़ की 10 अवसंरचना परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।

9.10 उपलब्धियां

- हिमाचल प्रदेश को इनक्यूबेटरों, नीतिगत समर्थन, नवाचार और निवेशकों से संपर्क के माध्यम से अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई।
- 2025 में, राज्य को भारत सरकार के डी.पी.आई.आई.टी द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.) के अन्तर्गत तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए।
- राज्य को निर्माण परमिट सक्षमकर्ताओं, क्षेत्र–विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ई.ओ.डी.बी.ढांचे के अन्तर्गत मान्यता दी गई। हिमाचल प्रदेश 2024 में ई.ओ.डी.बी. आकांक्षी राज्य के रूप में उभरा और 2023 में पी.एम.एफ.एम.ई. योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई।

9.11 खनन विभाग

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 में 5वें संशोधन नियम, 2024 के माध्यम से संशोधन किया है, जिसमें राजस्व बढ़ाने के लिए कई नवीन प्रावधान शामिल किए गए हैं:

- गैर–खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्रियों के लिए, देय रॉयल्टी का 75 प्रतिशत अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क लागू किया गया है।

- नए शुल्क शामिल किए गए हैं: जिसमें ₹5 प्रति टन ई.वी. शुल्क, ₹5 प्रति टन ऑनलाइन शुल्क और ₹2 प्रति टन दुग्ध उपकर।
- व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए, नदी तल खनन की गहराई 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर कर दी गई है, जिससे सतत अन्वेषण और अतिरिक्त राजस्व सुनिश्चित हो सके।
- शेल पर रॉयल्टी ₹60 प्रति टन से बढ़ाकर ₹80 प्रति टन कर दी गई है, जो 10 वर्षों में पहला संशोधन है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सतत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के लिए एक दशक से अधिक समय बाद संशोधित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2024 को अधिसूचित किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 2024–25 के लिए खनन राजस्व बढ़कर ₹354 करोड़ हो गया है, जबकि 2025–26 के लिए अनुमानित राजस्व ₹360 करोड़ है।

9.12 लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) का वर्गीकरण

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

सारणी 9.2

एम.एस.एम.ई. की संशोधित परिभाषा

समग्र मानदंड : संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार			
वर्गीकरण	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**
विनिर्माण उद्यम और सेवाएँ प्रदान करने वाले उद्यम।	निवेश <₹1 करोड़	निवेश<₹10 करोड़	निवेश<₹50 करोड़
	टर्न ओवर< ₹5 करोड़	टर्न ओवर< ₹50 करोड़	टर्न ओवर< ₹250 करोड़

स्रोतः लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई) के संशोधित वर्गीकरण से उनके विस्तार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस समायोजन से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और यह सुनिश्चित होगा कि एम.एस.एम.ई. विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों से लाभान्वित होते रहें। सहायक ढांचा एम.एस.एम.ई. में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और अवरुद्ध विकास को रोकने के लिए बनाया गया है।

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें लागू की हैं, जिनमें उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन, डिजिटल और कागज रहित है, जो स्व–घोषणा पर आधारित है। इस सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया ने लेनदेन के समय और लागत दोनों को कम करके एम.एस.एम.ई. के लिए व्यापार करने में आसानी को काफी हद तक बेहतर बनाया है।

9.12.1 हिम एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026

3 और 4 जनवरी, 2026 को शिमला में आयोजित हिम एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026 ने समावेशी और सतत औद्योगिक विकास की दिशा में हिमाचल प्रदेश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। "हिमाचल में निहित, दुनिया के लिए तैयार" थीम पर आधारित इस महोत्सव ने राज्य के समृद्ध स्वदेशी उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र का उत्सव मनाया और हिमाचल प्रदेश को कृषि–पर्यटन, सतत कृषि, हस्तशिल्प और मूल्यवर्धित उद्यमों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित किया।

9.12.1.1 कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

1. **गिनीज विश्व रिकॉर्ड उपलब्धि –हिमाचल की हथकरघा विरासत का जश्न:** हिम एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026 की एक प्रमुख विशेषता एक ही स्थान पर सबसे बड़े हस्तनिर्मित शॉल प्रदर्शन के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश का प्रवेश था। यह रिकॉर्ड बनाने का प्रयास 3 जनवरी 2026 को शिमला के रिज में आयोजित किया गया था, जहां हिमाचल प्रदेश की 4,023 हस्तनिर्मित शॉल प्रदर्शित की गईं, जिन्होंने राज्य की समृद्ध बुनाई परंपराओं का एक जीवंत नजारा पेश किया। ये शॉल सभी 12 जिलों के कुशल कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा तैयार की गई थीं, जिनमें से प्रत्येक ने सदियों पुरानी वस्त्र विरासत को दर्शाते हुए विशिष्ट पैटर्न और सांस्कृतिक रूपांकनों का योगदान दिया।

2. **ओ.डी.पी. के अंतर्गत रिवर्स बायर–सेलर मीट:** एक प्रमुख आकर्षण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओ.डी.ओ.पी.) रिवर्स बायर–सेलर मीट था, जिसने राज्य की विविध जिला स्तरीय औद्योगिक और शिल्प क्षमताओं को प्रदर्शित किया और स्थानीय उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का मंच प्रदान किया। ओ.डी.पी. रिवर्स बायर–सेलर मीट में 14 प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें एक विभागीय स्टॉल और 13 व्यक्तिगत उद्यम शामिल थे, जिन्होंने ओ.डी.पी. आधारित और मूल्यवर्धित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला का प्रदर्शन किया। इस आयोजन

में उत्पादकों, खरीदारों, निर्यातकों और संस्थागत हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिससे बाजार संपर्क और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा मिला।

3. **महिला नेटवर्किंग मीटः** एच.आई.एम. एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026 के हिस्से के रूप में 4 जनवरी, 2026 को शिमला में महिला उद्यमी नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से 100 से अधिक महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं के साथ एक संवादात्मक ज्ञान–साझाकरण सत्र के लिए एक साथ लाया गया। इस प्लेटफॉर्म ने नेटवर्किंग, मेंटरशिप और उद्यमिता से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा दिया, जिसमें महिला नेतृत्व वाली लघु एवं मध्यम उद्यम कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

4. **हिमाचल प्रदेश के स्टार्टअप और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देनाः** एच.आई.एम. एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026 ने रिज में आयोजित स्टार्टअप प्रदर्शनी और उद्योग जगत के साथ संवाद के माध्यम से राज्य के बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर किया। आई.टी, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और स्थिरता क्षेत्रों के बत्तीस स्टार्टअप को निवेशकों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला, जिसके परिणामस्वरूप पिचिंग सत्रों के बाद फंडिंग संबंधी चर्चाएँ हुईं।

   वार्षिक स्टार्टअप उद्यमिता पुरस्कारों में 2022–23 और 2023–24 के अग्रणी स्टार्टअप को सम्मानित किया गया, जबकि इनक्यूबेशन केंद्रों को उनके सहयोग के लिए मान्यता दी गई। मेंटरशिप और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख सिफारिशों में सलाहकार समितियों का गठन, त्वरण केंद्रों की स्थापना, बाजार संबंधों में सुधार और स्कूलों और आई.टी.आई. में उद्यमिता शिक्षा की शुरुआत शामिल थी।

5. **मुख्यमंत्री के साथ सी.ई.ओ की गोलमेज बैठकः** एच.आई.एम. एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026 उद्योग मंत्री की उपस्थिति में आयोजित सी.ई.ओ. की मुख्यमंत्री के साथ गोलमेज बैठक थी। इस कार्यक्रम का समापन समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.सी)/एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें 37 कंपनियों ने ₹9,619 करोड़ से अधिक के निवेश का वादा किया, जो हिमाचल प्रदेश में निवेशकों के मजबूत विश्वास और दीर्घकालिक जुड़ाव को दर्शाता है।

9.13 हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति

औद्योगिक नीति 2019 का विजन स्टेटमेंट है, ***"आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, औद्योगिक***

और सेवा क्षेत्रों के सतत विकास और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना ताकि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक बन सके"। 2022–23 में, औद्योगिक नीति 2019 को दिसंबर 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक कर दिया गया ताकि विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूल औद्योगिक विकास वातावरण प्रदान किया जा सके। यह नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित तरीकों से सहायक होगी:

- कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ई.ओ.डी.बी. (एक्सेसरी टू डेवलपमेंट) सुनिश्चित किया जाएगा।
- नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
- विश्वसनीय और किफायती बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
- राज्य द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों, रियायतों और सुविधाओं के वितरण को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
- सभी स्तरों पर 80 प्रतिशत वास्तविक हिमाचली नागरिकों को रोजगार की शर्त के साथ प्रोत्साहन, सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जाएंगी।
- शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) छूटः शुद्ध एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (इस्पात निर्माण को छोड़कर) के लिए निश्चित पूंजी निवेश सीमा को ए, बी और सी श्रेणी में 7 से 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) के अधिकतम 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जबकि एंकर इकाइयों के लिए यह एफ.सी.आई. सीमा बी और सी श्रेणी में 10 वर्षों के लिए 250 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

9.14 हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए लक्षित क्षेत्र

विनिर्माण विकास को गति देने और रोजगार सृजन के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आठ प्राथमिकता वाले उद्योगों को औद्योगिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में चिन्हित किया है। राज्य प्रगतिशील क्षेत्रीय नीतियों के समर्थन से पारदर्शी शासन, सरलीकृत प्रक्रियाओं और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाकर निवेशक और उद्यमी–अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। डेटा केंद्रों वाले आई.टी. पार्क, पर्यटन और संबद्ध क्षेत्र (जिसमें साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुष और कल्याण शामिल हैं), शैक्षणिक संस्थान, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, आवास और रियल एस्टेट परियोजनाएं, आवासीय परिसर और श्रमिक छात्रावास जैसी उच्च–प्रभाव वाली गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से निर्धारित किया गया है। औद्योगिक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए विनिर्माण से जुड़ी सहायक सेवाओं और सेवा समूहों के विकास पर भी जोर दिया गया है। यह एकीकृत रणनीति एक लचीले, टिकाऊ और विकासोन्मुखी औद्योगिक परिदृश्य के निर्माण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

9.14.1 क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं: विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स

- राज्य ने 64 औद्योगिक क्षेत्र और 17 औद्योगिक संपत्ति विकसित की हैं। इसने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जिसमें क्रेमिका फूड पार्क के लिए समर्थन भी शामिल है। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल और बेहतर संयोजकता का लाभ उठाते हुए, सरकार अतिरिक्त फूड पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है।

- औद्योगिक निवेश नीति, 2019 के अन्तर्गत कई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें कांगड़ा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एम.आई.आई.यू.एस. के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ऊना में मेगा टेक्सटाइल पार्क, अडुवाल में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ऊना में बल्क ड्रग पार्क, नालागढ़ (सोलन) में घीर औद्योगिक क्षेत्र और शिमला के मेहली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश एशिया के प्रमुख फार्मास्यूटिकल विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है और भारत के फार्मा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा है। अधिकांश प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने राज्य में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। इस क्षेत्र के अनुसंधान और गुणवत्ता अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए, एन. आई.पी.ई.आर. के तकनीकी सहयोग से बद्दी में एक अत्याधुनिक दवा परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- अभिनव "आमंत्रण के माध्यम से उद्योग" पहल के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन को अत्यधिक गति मिली है। ₹2,500 करोड़ के समझौता ज्ञापनों को सुगम बनाया गया है। 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद, राज्य ने 450 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे लगभग ₹9,800 करोड़ की निवेश क्षमता का द्वार खुला और लगभग 30,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। रणनीतिक फोकस क्षेत्रों में हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इथेनॉल, डेयरी और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, जो स्थिरता और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।
- औद्योगिक विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, राज्य के भूमि भंडार को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में, तहसील नालागढ़ के धबोटा और बीर प्लासी में 1,350 बीघा सरकारी भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए हस्तांतरण के अंतिम चरण में है।

9.15 सरकारी पहलः राज्य प्रायोजित योजनाएँ

9.15.1 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एम.एम.एस.वाई.)

हिमाचल प्रदेश के योग्य युवाओं (18–45 वर्ष की आयु और महिलाओं के लिए 50 वर्ष तक) को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार 2018 में शुरू की गई "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" को लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजित करना है, बल्कि राज्य के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी है। वर्षों से, यह उद्यम–आधारित विकास को बढ़ावा देने वाली एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है।

9.15.2 प्रमुख विशेषताएं और लाभः

i. महिला एवं दिव्यांगजन नेतृत्व वाले उद्यमों को 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 30 प्रतिशत तथा अन्य को 25 प्रतिशत तक निवेश सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹60 लाख है। यह सब्सिडी संयंत्र एवं मशीनरी (या उपकरण) पर लागू होगी और कुल परियोजना लागत ₹1.00 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ii. ₹60 लाख तक के ऋण पर 3 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
iii. केवल सी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक भूखंड, शेड और दुकानें आवंटन के समय प्रचलित प्रीमियम के 25 प्रतिशत की दर से आवंटित की जाएंगी।
iv. यदि कोई उद्यमी इस योजना के अंतर्गत निजी भूमि खरीदना चाहता है, तो उस पर लागू दर के 3 प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क लगाया जाएगा।
v. राज्य सरकार भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट (सी. जी.टी.एम.एस.ई.) द्वारा बिना गिरवी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए गारंटी शुल्क के भुगतान पर किए गए वास्तविक शुल्क/व्यय की प्रतिपूर्ति कर रही है।

इसमें विनिर्माण के अलावा 103 अधिसूचित सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कंप्यूटर ग्राफिक्स और डेटा प्रोसेसिंग, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ, कच्चा माल/तैयार उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएँ, सामुदायिक रसोईघर, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य केंद्र, डिजिटल फोटो/वीडियो स्टूडियो, पुष्प कृषि, कैंपिंग स्थल, भोज कक्ष, कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग सेवाएँ, पर्यावरण पर्यटन, अपशिष्ट निपटान सेवाएँ, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, अस्पताल और नर्सिंग सेवाएँ, रेस्तरां और व्यापारिक दुकानें, पारंपरिक हस्तशिल्प, साइलेज इकाइयाँ, दूध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज, फार्म स्टे/कृषि पर्यटन, कृषि के लिए खुदरा आउटलेट (समग्र इकाइयाँ), सब्जी नर्सरी, कृषि उपज का भंडारण और परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और रेशम प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि शामिल हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन, संस्थागत सहायता और पात्र गतिविधियों की एक विविध सूची के माध्यम से, यह योजना राज्य में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्यम को मजबूत करने और स्थायी रोजगार सृजित करने का प्रयास करती है।

सारणी 9.3

एम.एम.एस.वाई. की उपलब्धियां

वर्ष	स्वीकृत मामलों की संख्या (संख्या में)	प्रस्तावित निवेश (करोड़ ₹ में)	शामिल सब्सिडी (करोड़ ₹ में)	प्रस्तावित रोजगार (संख्या में)	वास्तव में स्थापित इकाइयाँ (संख्या में)	वास्तविक निवेश (करोड़ ₹ में)	वास्तव में सृजित रोजगार (संख्या में)	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ ₹ में)
2018–19	346	71.88	17.45	1471	212	43.87	668	8.50
2019–20	1055	206.55	48.85	4377	733	132.19	2471	31.80
2020–21	1986	352.05	81.39	5464	1330	229.13	3990	79.15
2021–22	3042	542.02	116.75	6967	1863	279.48	4045	70.18
2022–23	2801	540.83	127.45	6939	1728	282.33	3310	94.80
2023–24	1224	270.10	64.64	3539	953	188.92	2283	43.08
2024–25	352	86.33	20.22	1093	449	78.00	984	8.41
2025–26	44	24.37	5.60	268	179	33.59	429	9.68
योग	10850	2094.13	482.35	30118	7447	1267.51	18180	345.6

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.15.2 राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एस.एम.एफ.पी.)

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और सहायता के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2015 से राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना शुरू की है। एस.एम.एफ.पी. के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएँ, उनकी सहायता का स्वरूप और अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार हैः

- खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों (एफ.पी.आई.) के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण में इकाइयों को 33.33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹75 लाख है।
- शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन और संरक्षण अवसंरचना (गैर–बागवानी उत्पाद) में लगी इकाइयाँ 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 करोड़ है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रह केंद्रों को ₹2.50 करोड़ तक 75 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- मांस की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 लाख तक 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

- रेफरी वाहन की खरीद के लिए ₹50 लाख की अधिकतम सीमा तक 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

सारणी 9.4

एस.एम.एफ.पी. के अंतर्गत उपलब्धियां (वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2025–26 तक):

क्र0 स0	योजना	कुल स्वीकृत मामले	कुल परियोजना लागत (₹करोड़ में)	स्वीकृत जी. आई.ए (₹करोड़ में)	जारी जी. आई.ए (₹करोड़ में)
1.	एस.एम.एफ.पी. के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	81	140.85	21.39	16.63
2.	शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन और संरक्षण अवसंरचना (गैर–बागवानी उत्पाद)	8	55.54	21.03	16.39
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रह केंद्र	12	49.39	23.51	10.93
4.	मांस दुकानों का आधुनिकीकरण	102	7.58	4.07	2.99
5.	रेफ्रिजरेटेड वाहन	27	6.96	2.80	2.30
कुल		230	260.32	72.8	49.24

9.15.3 मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाएं/नए उद्योग योजना

हिमाचल प्रदेश में "मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाएं/नए उद्योग योजना" के सहयोग से एक बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. स्वरोजगार या रोजगार सृजन और आय सृजन।
ii. स्टार्टअप के माध्यम से व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त नए विचारों, उत्पादों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
iii. राज्य में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।
iv. नए उद्यमों और उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
v. राज्य, केंद्र सरकार और अन्य संस्थानों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं से ज्ञान, विशेषज्ञता और सहायता प्राप्त करने में सहायता।

vi. नवाचार को सुगम बनाना और बढ़ावा देना।
vii. स्टार्टअप और नवाचार परियोजनाओं के लिए समर्थन।
viii. इनक्यूबेशन स्पेस का निर्माण।
ix. स्टार्टअप के लिए पर्याप्त निवेश की सुविधा प्रदान करना।
x. वेंचर कैपिटल फंडिंग की सुविधा प्रदान करना।
xi. मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देना।
xii. राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

उद्योग विभाग राज्य के उद्यमशीलता संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप एक सशक्त और सहायक स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इस पहल के अन्तर्गत शुरुआती चरण के उद्यमों को सहयोग देने और स्टार्टअप की सफलता दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोत्साहनों का एक व्यापक पैकेज उपलब्ध कराया गया है। प्रमुख प्रावधानों में पात्र संस्थापकों को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹25,000 का मासिक निर्वाह भत्ता और साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस निःशुल्क इन्क्यूबेशन सुविधाओं तक पहुंच शामिल है।

राज्य में वेंचर कैपिटल और सीड फंडिंग तक पहुंच को मजबूत करने के लिए, सरकार ने हिमसुप (हिमाचल स्टार्टअप) योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत होनहार स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए पांच साल की अवधि के लिए ₹10 करोड़ का एक समर्पित कोष बनाया गया है। यह पहल हिमाचल प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करने और एक स्थायी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. भावी स्टार्टअप उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य भर में कुल चौदह बिजनेस इनक्यूबेटर अधिकृत किए हैं।
ii. इनक्यूबेशन के लिए 365 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिनमें से 120 सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण प्राप्त कर चुके हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षमता विकास के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों को ₹6.74 करोड़ जारी किए गए हैं।
iii. एच.पी.एम.एस.यू.पी.योजना के अन्तर्गत 12 स्टार्टअप को पूंजीगत सहायता के रूप में ₹2.73 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
iv. वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, चयनित स्टार्टअप को उनकी प्रारंभिक परिचालन आवश्यकताओं के समर्थन के लिए ₹57.94 लाख का निर्वाह भत्ता वितरित किया गया है।

v. उद्योग विभाग के तत्वावधान में कार्यरत हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र (एच.पी.सी.ई.डी.) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीच उद्यमशीलता गतिविधियों, कौशल विकास और स्वरोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। वर्तमान में, एच.पी.सी.ई.डी. स्टार्ट–अप योजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख सहायक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

9.15.4 व्यापार सुगमता (ई.ओ.डी.बी.)

परिचालन दक्षता और निवेश पर प्रतिफल बढ़ाने के साथ–साथ एकीकृत ऑनलाइन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- 120 से अधिक अंतर–विभागीय सेवाओं को राज्य के सिंगल विंडो पोर्टल पर शामिल और एकीकृत किया गया है।
- जमीनी स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करने और ऊर्ध्वाधर स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए, भवन निर्माण नियमों में ढील दी गई है, जिससे विनिर्माण सुविधाओं के लिए आवंटित भूखंडों का अधिक कुशल उपयोग संभव हो सका है।
- राज्य औद्योगिक ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 3 मीटर सड़क चौड़ाई अनिवार्य करता है, जिसे भारत के सभी राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक माना जाता है।
- राज्य में निवेशक–अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, श्वेत श्रेणी के उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया है, जिससे कम प्रभाव वाले निवेशों को प्रोत्साहन मिलता है।
- राज्य ने निवेशक–अनुकूल नियमों को लागू करने पर बल दिया है, जैसे कि मान्यता प्राप्त अनुमोदन, स्वतः नवीनीकरण और औद्योगिक भूमि का जी.आई.एस. –सक्षम मानचित्रण, साथ ही भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आई.आई.एल.बी.) के साथ एकीकरण।
- बी.आर.ए.पी. 2024 के अन्तर्गत राज्य ने भारत सरकार के डी.पी.आई.आई.टी. द्वारा अनुशंसित सभी 434 सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है और 98 प्रतिशत कार्यान्वयन स्कोर प्राप्त किया है। इस उपलब्धि ने राज्य को 'आकांक्षी' श्रेणी में स्थान दिया है और तीन क्षेत्रों – स्वास्थ्य सेवा, सेवा क्षेत्र और निर्माण परमिट – में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त की है।
- उत्पादकता बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, राज्य ने महिलाओं (गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर) को सभी व्यवसायों (सीसा युक्त उद्योगों को छोड़कर) में काम करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि उनकी सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 (ओ. एस.एच.कोड) के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

निवेश और व्यापार में सुगमता

- एकल विंडो के अन्तर्गत 135 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
- निवेशः ₹3,118.91 करोड़
- रोजगारः 12,947 व्यक्ति
- 120 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन एकीकृत की गईं
- बी.आर.ए.पी. 2024 के अन्तर्गत 98 प्रतिशत कार्यान्वयन स्कोर
- शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में मान्यता प्राप्त (स्वास्थ्य सेवा, सेवाएं, निर्माण परमिट)

चित्र 9.1

ई.ओ.डी.बी. के अंतर्गत प्रावधान का स्नैपशॉट

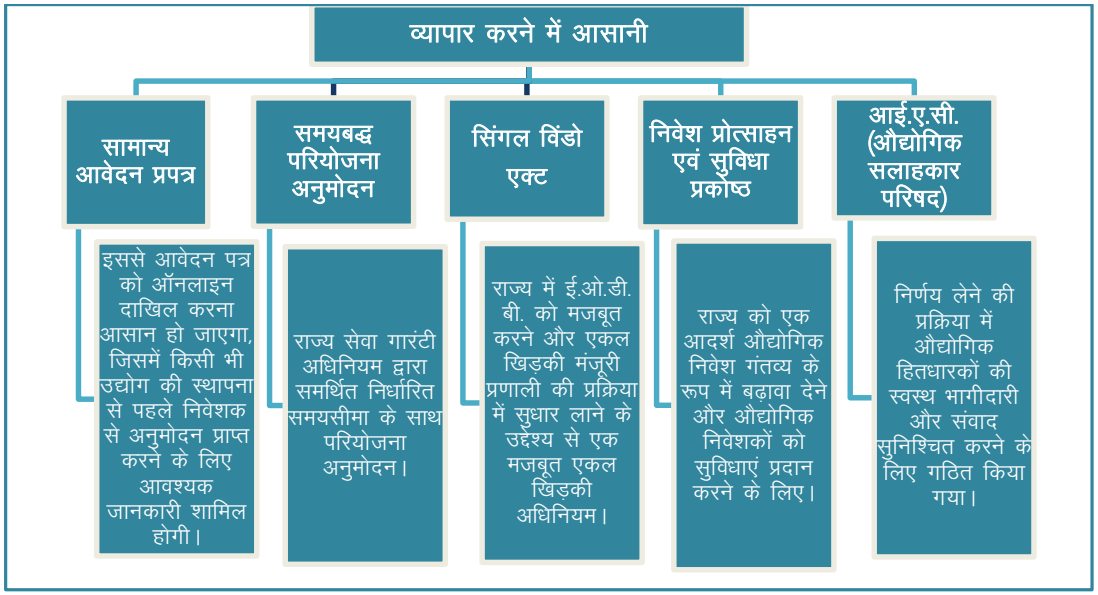

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.16 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

9.16.1 प्रधानमंत्री द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण (पी.एम.एफ.एम.एफ.पी.ई.) योजना

पी.एम.एफ.एम.एफ.पी.ई. योजना हिमाचल प्रदेश में जून 2020 में भारत सरकार के 90 प्रतिशत और राज्य सरकार के 10 प्रतिशत के अनुपात में शुरू की गई थी। यह योजना राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के औपचारिकरण को बढ़ावा देती है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शामिल स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.), खाद्य व्यवसाय संगठनों (एफ.पी.ओ.),

सहकारी समितियों और व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय, तकनीकी, अवसंरचनात्मक और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करती है।

9.16.2 पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के अंतर्गत उपलब्धियाँ (अप्रैल से दिसम्बर, 2025 तक)

- **बीज पूंजी घटक**

  सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को छोटे उपकरण खरीदने और कार्यशील पूंजी के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य ₹40,000 की बीज पूंजी प्रदान की गई है।

क्रम संख्या	स्वयं सहायता समूह के सदस्य	कुल वितरित बीज पूंजी निधि
1	289	1,46,13,400

- **ऋण–आधारित सब्सिडी घटक**

  व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से ऋण–आधारित पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई ₹10.0 लाख है। इस मद के अन्तर्गत 598 लाभार्थियों को ₹15.43 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है।

क्रम संख्या	स्वीकृत व्यक्तिगत मामले	कुल परियोजना लागत
1	780	51,65,06,806

- **लाभार्थी प्रशिक्षण**

  5870 बीज पूंजी एवं ऋण से जुड़े लाभार्थियों को क्षमता निर्माण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.), बहीखाता, कानूनी अनुपालन और विपणन रणनीतियों जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

- **इन्क्यूबेशन केंद्र**

  राज्य में तीन इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को उत्पादों और प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे नई तकनीक, गुणवत्ता उपकरणों और ऊर्जा कुशल विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने को भी बढ़ावा मिलेगा। इन्क्यूबेशन केंद्रों को जारी की गई धनराशि और विवरण नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

सारणी 9.5

क्रम संख्या	मेजबान संस्थान	प्रसंस्करण लाइनें	जारी की गई धनराशि (दूसरी किस्त) ₹ करोड़ में
1	के.वी.के– कुकुमसेरी, लाहौल और स्पीति (सी. एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय)	सी बकथॉर्न, फल और सब्जियां	1.44

2	डॉ. वाई.एस.पी.यू.एच.एफ, नौनी, सोलन	मशरूम, फल और सब्जियां, मसाले, जड़ी–बूटी	2.01

9.16.3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

- पी.एम.ई.जी.पी. भारत सरकार की एक ऋण–आधारित सब्सिडी योजना है, जिसे 15 अगस्त, 2008 को पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के विलय के माध्यम से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
- पी.एम.ई.जी.पी. के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम अनुमत परियोजना लागत ₹50.00 लाख और सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए ₹20.00 लाख है। यदि परियोजना लागत इन निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त राशि बैंकों द्वारा बिना सरकारी सब्सिडी के वित्तपोषित की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी इकाई के स्थान के आधार पर 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी के पात्र हैं, जिसमें परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत लाभार्थी का योगदान है। विशेष श्रेणियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन आदि) के लिए सब्सिडी 25 से 35 प्रतिशत तक होती है, जिसमें लाभार्थी का अंशदान घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाता है।
- यह योजना उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड (एच.पी. के.वी.आई.बी) और खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के राज्य कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर, 2025 तक) की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

सारणी 9.6

बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या			एम.एम. के दावे वाले मामलों की संख्या			एम.एम .का दावा (₹लाखों में)			एम.एम. संवितरण वाले मामलों की संख्या			एम.एम. संवितरण (₹लाखों में)		
डी. आई. सी	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई. बी.	डी. आई. सी	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई. बी.	डी.आई. सी	के.वी. आई.सी.	के.वी.आई. बी.	डी. आई. सी	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई. बी.	डी. आई. सी	के.वी. आई. सी.	के.वी. आई.बी.
217	219	82	588	234	279	2029.18	1080.34	1108.45	300	120	177	1069.55	547.84	636.95

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.16.4 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पी.एम.वी.योजना)

इस पहल का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में पारंपरिक कारीगरों को कौशल संवर्धन, आजीविका सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन के माध्यम से सशक्त बनाना है। योजना

के अंतर्गत, कारीगरों को औजार किट के लिए ₹15,000 और 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ₹3.00 लाख तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्हें बाजार संपर्क सहायता और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी का अवसर भी मिलता है।

पी.एम. विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विपणन सहायता कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, जिनमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल तकनीक का उपयोग, बाजार पहुंच और उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन कार्यक्रमों में 9 जिलों के 1,019 कारीगरों ने भाग लिया, जो बढ़ई, दर्जी, लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मूर्तिकार आदि 18 व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सारणी 9.7

31 दिसंबर, 2025 तक योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	घटक	संख्या
1	**ग्राम पंचायतों का पोर्टल पर पंजीकरण**	
	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	3615
	प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकृत ग्राम पंचायतें	3613
	लंबित ग्राम पंचायतें	2
2	कारीगरों के आवेदन और अनुमोदन चरण	
	कुल प्राप्त आवेदन	179040
	प्रथम चरण (ग्राम पंचायत स्तर) में स्वीकृत आवेदन	127191(71 प्रतिशत)
	द्वितीय चरण (जिला स्तर) में स्वीकृत आवेदन	36160(28 प्रतिशत)
	तृतीय चरण (राज्य स्तर) में स्वीकृत आवेदन	19701(54 प्रतिशत)
3	**कौशल विकास**	
	कौशल विकास के लिए सूचीबद्ध संस्थान	59
	कौशल विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले संस्थान	35
	बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के लिए नामांकित लाभार्थी	14249
	प्रशिक्षित लाभार्थी	12728

4	**ऋण प्राप्ति**				
व्यापार	**ऋण के लिए आवेदन भेजा गया**	**स्वीकृत**	**स्वीकृत राशि (₹करोड़ में)**	**वितरित राशि**	**वितरित राशि (₹करोड़ में)**
नाई	531	180	1.66	163	1.49
टोकरी / चटाई / झाड़ू निर्माता / क्वायर बुनकर	33	13	0.12	12	0.11
बढ़ई (सुथार / बढई)	2410	955	8.98	898	8.22
मोची (चर्मकार) / जूता कारीगर / फुटवियर कारीगर	23	6	0.05	4	0.03
गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)	13	3	0.03	3	0.03

हथौड़ा और टूल किट निर्माता	70	26	0.24	22	0.21
राजमिस्त्री	1363	516	4.9	484	4.49
मेटल स्मिथ/मेटल कास्टर (धातु–शिल्पी)	385	111	1.05	104	0.91
मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला	103	20	0.2	18	0.18
दर्जी	417	113	1.02	106	0.86
धोबी	14	4	0.03	3	0.02
कुल	**5362**	**1947**	**18.33**	**1817**	**16.59**

5	**टूलकिट**	**संख्या**
	उपयोग किए गए टूलकिट की संख्या	14249
	प्राप्त टूलकिट	5969
6	**डिजिटल प्रोत्साहन**	
	क्यूआर कोड जनरेशन	3514

स्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.16.5 यूनिटी मॉलः राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास का प्रतीक

भारत सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2023–24 के भाग–छठे के अंतर्गत धर्मशाला (जिला कांगड़ा) के मोहल चकवन धगवार में यूनिटी मॉल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अत्याधुनिक वाणिज्यिक परिसर के रूप में परिकल्पित इस परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा ₹132 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹66 करोड़ हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग को पहली किस्त के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

इस मॉल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करना, एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) ढांचे के अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करना है। रियायत समझौता 31 जुलाई, 2025 को 32 वर्षों की अवधि (2 वर्ष निर्माण और 30 वर्ष संचालन और रखरखाव) के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। निर्माण–पूर्व गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और परियोजना जुलाई 2027 तक पूरी होने वाली है।

सारणी 9.8

उद्यमिता और स्वरोजगार प्रमुख उपलब्धियाँ

योजना	उपलब्धियाँ
एम.एस.एम.वाई.	10,850 मामले स्वीकृत, ₹2,094 करोड़ का प्रस्तावित निवेश, 30,118 प्रस्तावित रोजगार

स्टार्टअप मिशन	365 स्टार्टअप को प्रोत्साहन, ₹6.74 करोड़ का समर्थन एच.आई.एम.एस.यू. पी. ₹10 करोड़ का कोष
पी.एम.एफ.एम.ई.	780 मामले स्वीकृत ₹51.65 करोड़ की सब्सिडी 289 स्वयं सहायता समूहों को समर्थन
पी.एम. विश्वकर्मा	12,728 कारीगरों को प्रशिक्षण ₹18.33 करोड़ के ऋण स्वीकृत
पी.एम.ई.जी.पी. (2025–26)	588 एम.एम. दावे के लिए सब्सिडी जारी

9.17 रेशम उत्पादन उद्योग

हिमाचल प्रदेश में रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग के रूप में उभरा है, जो कृषक समुदाय के लिए आय का एक पूरक स्रोत है। राज्य मुख्य रूप से द्विवर्षीय रेशम उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाले द्विवर्षीय रेशम कोकून के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हैं।

वर्तमान में, रेशम उत्पादन लगभग 1,691 गाँवों में फैले 10,221 परिवारों को आजीविका प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों में केंद्रित हैं। बिलासपुर जिला सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल रेशम कोकून उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत योगदान देता है, इसके बाद मंडी (25 प्रतिशत), कांगड़ा (22 प्रतिशत) और हमीरपुर (16 प्रतिशत) का स्थान आता है।

इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, उद्योग विभाग ने 11 जिलों को कवर करते हुए आठ रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित किए हैं, जिनके अंतर्गत 79 सरकारी रेशम उत्पादन केंद्र–सह–चौकी पालन केंद्र और 64 शहतूत फार्म कार्यरत हैं। ये केंद्र कम उम्र के रेशमकीटों का पालन–पोषण करते हैं, चॉकी में पाले गए रेशमकीटों को अधिक उम्र के पालन–पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं, अधिक उपज देने वाले शहतूत के पौधे वितरित करते हैं और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विभाग की भौतिक उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

i. शहतूत क्षेत्र:

- **शहतूत के बागान:** सरकार ने नालागढ़ में 32 बीघा भूमि पर एक राज्य शहतूत उत्पादन–सह–प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जहां इस शीत ऋतु में हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त 5.00 लाख उच्च उपज वाली किस्मों का प्रवर्धन किया गया है।
- **रेशम बीज वितरण:** किसानों को 6.00 लाख रेशम कीट बीज वितरित किए गए, जिनमें से 2.20 लाख रेशम कीट बीज पालमपुर, जिला कांगड़ा और एस.एस.पी. सी. थुनाग, जिला मंडी में उत्पादित किए गए और शेष बीज भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड से वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त किए गए।

राज्य सरकार ने रेशम उत्पादक किसानों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल्लू जिले के आन्नी में एक नया चॉकी पालन केंद्र स्थापित किया है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित सी.आर.सी. होगा जो इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रेशम उत्पादन सुनिश्चित करेगा।

ii. ओक तसर संबंधी गतिविधियाँ:

- शिमला जिले के टूटू विकास खंड और मंडी जिले के गोहर विकास खंड के 100 किसानों को क्वार्कस सेरेट (मणिपुर बंज) के 10000 पौधे वितरित किए गए हैं।
- राज्य सरकार ने ओक तसर बीज से बुनियादी रेशमकीट बीज उत्पादन शुरू किया है, जिससे लगभग 1010 डी.एफ.एल. (डिजिटल फ्लोरल) का उत्पादन हुआ है।
- राज्य के 17 गांवों में 90 किसानों ने ओक तसर बीज का पालन किया, जिससे 18764 यूनिट कोकून का उत्पादन हुआ।

iii. एरी रेशम उत्पादन:

- राज्य में एरी रेशम की खेती सफलतापूर्वक शुरू की गई है और बिलासपुर जिले के 12 गांवों के 52 किसानों द्वारा एरी रेशम कीट पालन सफलतापूर्वक किया गया है।
- बिलासपुर जिले के घुमारवीं और लड्डा, सिरमौर जिले के धौलाकुआं और हमीरपुर जिले के नादौन में अरंडी के बागान स्थापित किए जाएंगे और इन फार्मों पर एक सी.आर.सी. भवन का निर्माण किया जाएगा।
- भारत सरकार की रेशम समगता–।। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिलासपुर जिले के 100 एरी रेशम उत्पादक किसानों के लिए एक क्लस्टर कार्यक्रम को सरकार ने मंजूरी दी है।

सारणी 9.9

रेशम उत्पादन गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	2025–26
1.	वितरित शहतूत के पौधे (संख्या)	217000
2.	रेशम कीट के बीज की खपत (औंस)	6000
3.	कोकून उत्पादन (किलोग्राम)	226000
4.	कच्चे रेशम का उत्पादन (मीट्रिक मीटर)	30130
5.	रेशम उत्पादक किसान (संख्या)	10221

9.18 राज्य के सकल मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र और उसके उप–क्षेत्रों का योगदान

राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त वर्ष 2025–26 के अग्रिम अनुमानों (अ.अ.) के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का अनुमानित मूल्य ₹94,381 करोड़ है।

विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र द्वारा कुल मूल्यवर्धन में नाममात्र सकल मूल्यवर्धन (जी.वी.ए.) का 63.36 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि शेष 36.64 प्रतिशत योगदान निर्माण, खनन और उत्खनन तथा बिजली और अन्य उपयोगिताओं के उप–क्षेत्रों से आता है।

वित्त वर्ष 2025–26 में सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का वर्तमान मूल्य पर योगदान 39.96 प्रतिशत है, जिसमें से 25.32 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र से, 8.42 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र से और 6.22 प्रतिशत बिजली, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं से आता है।

वर्तमान मूल्य पर जी.एस.वी.ए. में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021–22 में 0.33 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में 0.60 प्रतिशत हो गया है।

चित्र 9.3

उद्योग क्षेत्र का उप–क्षेत्रवार योगदान और कुल सकल घरेलू उत्पाद मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में इसका योगदान (वर्तमान कीमतों पर)

कुल सकल घरेलू उत्पाद मूल्य (जी.एस.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान (प्रतिशत में)

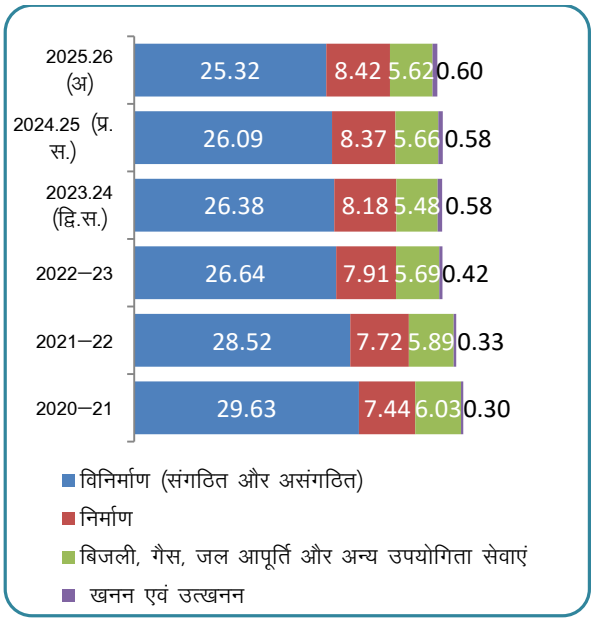

वर्तमान कीमतों पर उद्योग जी.एस.वी.ए. में उप–क्षेत्रों का योगदान (प्रति इकाई मूल्य में)

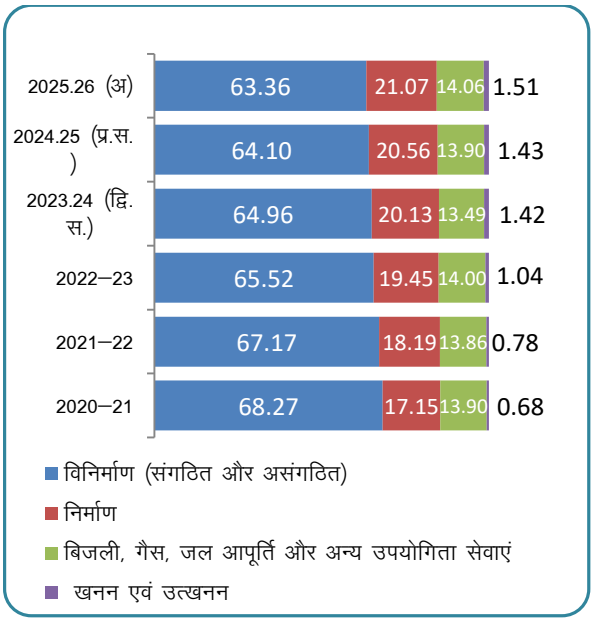

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

9.18.1 उद्योग क्षेत्र और इसके उप–क्षेत्रों का विकास

एई के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान उद्योग क्षेत्र के सकल वार्षिक वृद्धि मूल्य (जीएसवीए) में 7.77 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है और राष्ट्रीय स्तर पर, इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र के सकल वार्षिक वृद्धि मूल्य में स्थिर रूप से 6.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

9.18.2 विनिर्माण क्षेत्र

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में 5.74 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है (चित्र 9.4)। 2015–16 से 2025–26 के बीच, उद्योग क्षेत्र के उप–क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र ने 5.19 प्रतिशत की सीएजीआर का अनुभव किया, जो हिमाचल प्रदेश के तीव्र विनिर्माण विकास और व्यापार सुधारों, बेहतर बुनियादी ढांचे के प्रावधान और संभावित निवेशकों को प्रतिस्पर्धी वित्तीय रियायतों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है।

9.18.3 निर्माण क्षेत्र

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की आय बढ़ाने के लिए निर्माण उप–क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी आवश्यक है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान निर्माण क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चित्र 9.4)।

9.18.4 विद्युत, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, विद्युत, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 10.07 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो उद्योग क्षेत्र में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर है (चित्र 9.4)।

9.18.5 खनन और उत्खनन क्षेत्र

खनन और उत्खनन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025–26 में 10.08 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

चित्र 9.4

स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र की उप–क्षेत्रवार विकास दर

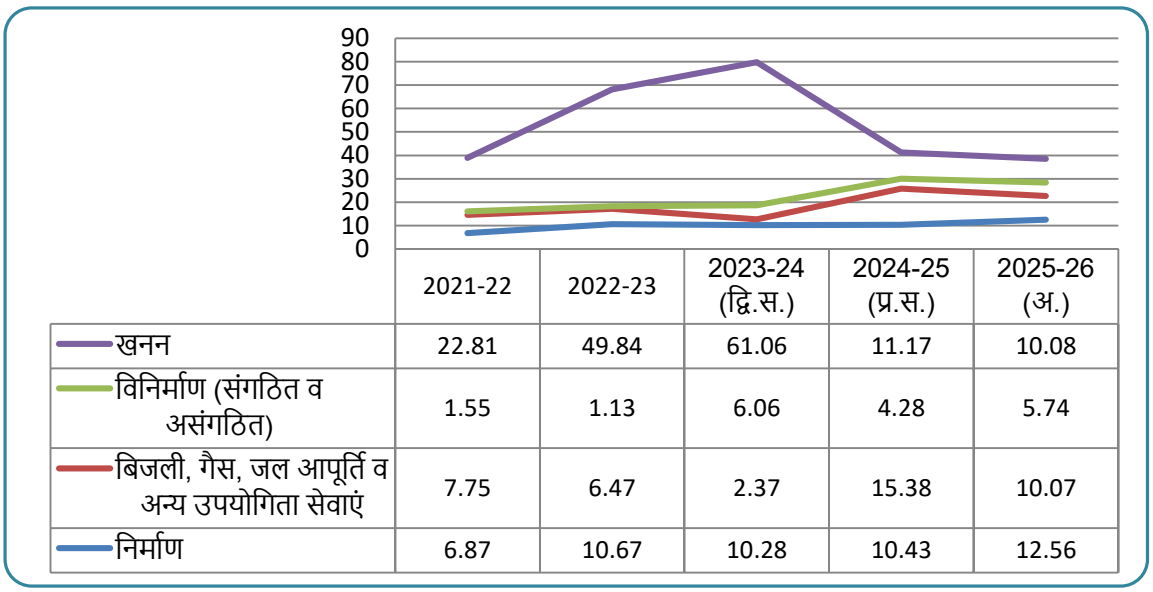

	2021-22	2022-23	2023-24 (द्वि.स.)	2024-25 (प्र.स.)	2025-26 (अ.)
खनन	22.81	49.84	61.06	11.17	10.08
विनिर्माण (संगठित व असंगठित)	1.55	1.13	6.06	4.28	5.74
बिजली, गैस, जल आपूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएं	7.75	6.47	2.37	15.38	10.07
निर्माण	6.87	10.67	10.28	10.43	12.56

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

चित्र 9.4

उप–क्षेत्रवार औद्योगिक क्षेत्र का सकल बिक्री मूल्य (जी.एस.वी.ए.) वर्तमान कीमतों पर (₹करोड़ में)

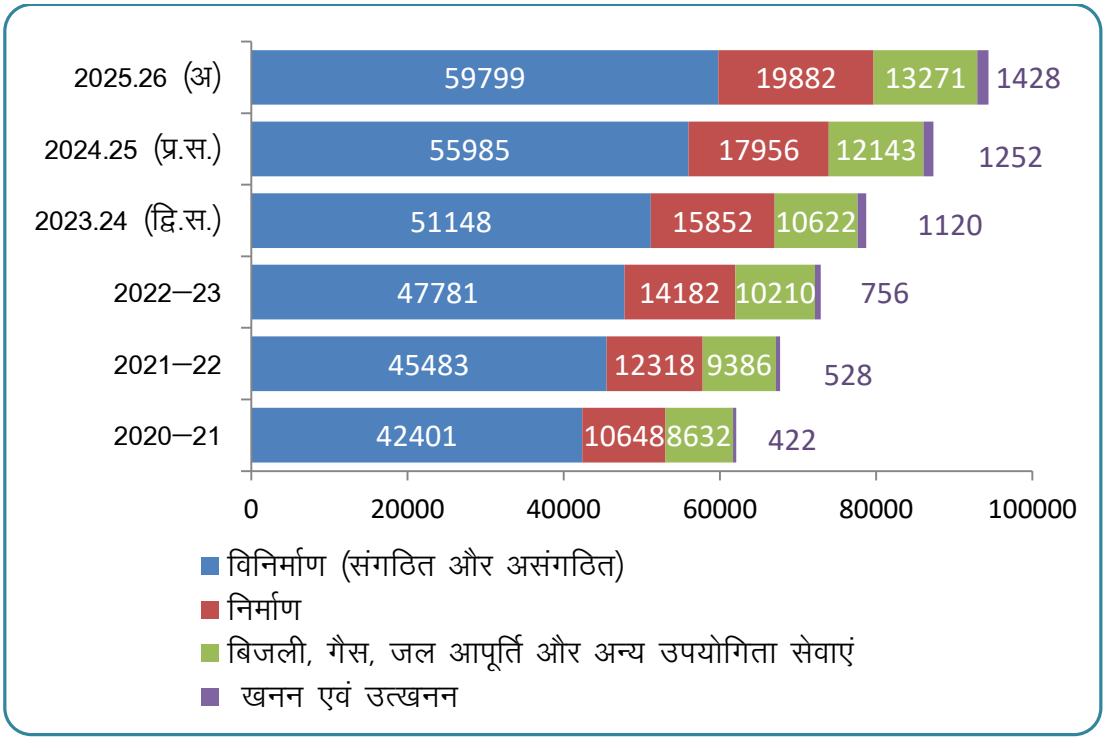

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रमुख उपलब्धियां

1. **फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नेतृत्व**
   राज्य एक राष्ट्रीय फार्मा पावरहाउस के रूप में उभरा है–यहां 650 से अधिक इकाइयां हैं और भारत के फार्मास्युटिकल उत्पादन में 35 प्रतिशत का योगदान है। बद्दी में एक उन्नत परीक्षण और अनुसंधान प्रणाली विकसित करने की योजना है।
2. **निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर**
   राज्य का निर्यात ₹550 करोड़ (2003) से बढ़कर ₹20,414 करोड़ (2024–25) हो गया है, और इसके व्यापारिक संबंध 60 देशों तक फैले हुए हैं।
3. **बल्क ड्रग पार्क – विस्तार और रोजगार**
   ऊना (हरोली) में ₹2,071 करोड़ की लागत से बल्क ड्रग पार्क निर्माणाधीन है, जिसका लक्ष्य ₹8,000–10,000 करोड़ का निवेश और 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। इसमें जेड.एल.डी. आधारित सी.ई.टी.पी. और अन्य सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।
4. **निवेश त्वरण (एकल खिड़की)**
   वर्ष में 135 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें ₹3,118.91 करोड़ का निवेश और 12,947 नौकरियां शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क (दुबई, मुंम्बई जापान–हांगकांग–वियतनाम) ने नई प्रतिबद्धताओं को उत्प्रेरित किया।
5. **व्यापार करने में सुगमता संबंधी सुधार**
   434 बी.आर.ए.पी. 2024 सुधार लागू किए गए (98 प्रतिशत अंक), मान्यता प्राप्त अनुमोदन/स्वचालित नवीनीकरण शुरू किए गए, श्वेत श्रेणी सूची का विस्तार किया गया, भवन निर्माण संबंधी मानदंडों में ढील दी गई और जी. आई.एस. भूमि मानचित्रण को एकीकृत किया गया।
6. **एम.एस.एम.ई–स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना**
   उद्यम पंजीकरण को सरल बनाकर एम.एस.एम.ई (99 प्रतिशत इकाइयाँ) को सहायता प्रदान की गई, एच.आई.एम.एस.यू.पी. के अन्तर्गत 365 स्टार्टअप को ₹6.74 करोड़ और ₹2.73 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।
7. **औद्योगिक भूमि बैंक का विस्तार**
   2025–26 में पाँच नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया (हमीरपुर और सोलन क्षेत्र) बीर प्लासी और धबोटा में सरकार द्वारा आवंटित बड़ी भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए आगे बढाया जा रहा है।

9.19 हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (एच.पी.के.वी.आई.बी)

एच.पी.के.वी.आई.बी. एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना विधान सभा के अधिनियम (8 नवंबर, 1966) द्वारा की गई थी। यह 8 जनवरी, 1968 को अस्तित्व में आया।

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और कारीगरों को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर, समुदायों के घर–घर जाकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। पिछले पांच वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रगति इस प्रकार है:

तालिका 9.10

वर्ष	इकाइयाँ	जारी की गई सब्सिडी (₹ करोड़ में)	सृजित रोजगार
2021–22	434	12.55	3,480
2022–23	383	14.34	3,064
2023–24	349	14.31	2,792
2024–25	281	11.28	2,810
2025–26(अस्थायी)	174	6.39	1,911

स्रोतः हिमाचल प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड

9.20 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एच.पी.एस.आई.डी.सी.)

नवंबर 1966 में स्थापित एच.पी.एस.आई.डी.सी.राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। यह औद्योगिक विकास, सिविल कार्यों के निष्पादन और औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम और नाहन फाउंड्री लिमिटेड के विलय के बाद, एच.पी.एस.आई.डी.सी अब इस्पात और बिटुमेन के व्यापार और औद्योगिक शेड किराये पर देने का काम भी करता है।

निगम अन्य राज्य–स्वामित्व वाले बैंकों और निगमों से मिलने वाली सहायता के पूरक के रूप में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को ₹5.00 करोड़ तक का ऋण और कुछ मामलों में इक्विटी भागीदारी प्रदान करता है।

एच.पी.एस.आई.डी.सी ने सोलन जिले के नालागढ़ तहसील के दावनी में एक औद्योगिक क्षेत्र (426.12 बीघा) विकसित किया है, जिसके भूखंडों की बिक्री जारी है। यह नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी भी है और ऊना में बल्क ड्रग पार्क के बुनियादी ढांचे में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, निगम केंद्र सरकार की "एक जिला, एक उत्पाद" पहल के अन्तर्गत कांगड़ा में यूनिटी मॉल का विकास कर रहा है।

9.20.1 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

- बल्क ड्रग पार्क, जिला ऊना का संचालन एवं प्रबंधन।
- मेडिकल डिवाइस पार्क, नालागढ़ का संचालन एवं प्रबंधन (धन की कमी के कारण कुछ सिविल कार्य वर्तमान में स्थगित हैं)।
- शिमला स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन राज्य भर में डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण।
- छह कामकाजी महिला छात्रावासों (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण:

  i. एम.डी.पी. नालागढ़

  ii. गगरेट (ऊना)

  iii. दारुही (हमीरपुर)

  iv. चानौर (कांगड़ा)

  v. नग्रोटा बागवान (कांगड़ा)

  vi. पंजुआना (ऊना)

- हिमाचल प्रदेश भर में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों का निर्माण।
- फार्मा टेस्टिंग लैब, बद्दी (सोलन) का संचालन एवं प्रबंधन।
- राज्य भर में पशुपालन अस्पतालों का निर्माण।

9.20.2 वर्ष 2025–26 के दौरान अन्य गतिविधियाँ/पहल

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगम को मंडी जिले में शराब की दुकानें चालू करने का निर्देश दिया है।
- निगम बकाया सावधि ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए अपनी एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) नीति में संशोधन कर रहा है।
- औद्योगिक भूखंडों की ई–नीलामी जनवरी 2026 में शुरू हुई। निगम वार्षिक रखरखाव शुल्क, जल शुल्क (बद्दी और दावनी स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए) और औद्योगिक शेडों से प्राप्त किराये की आय के ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाने के लिए एक भुगतान गेटवे प्रणाली भी विकसित कर रहा है।

9.21 हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड (एच.पी.आई.डी.बी.)

एच.पी.आई.डी.बी. की स्थापना 28 जनवरी 2002 को हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास अधिनियम, 2001 की धारा 2 के अन्तर्गत की गई थी। बोर्ड राज्य योजना के अंतर्गत विकास व्यय के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, एच.पी.आई.डी.बी. राज्य सरकार के सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करता है।

9.21.1 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं (पी.पी.पी.मोड)

निम्नलिखित पी.पी.पी. परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं:

- शिमला में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग सुविधाओं का संचालन और प्रबंधन।
- हिमाचल निकेतन, सेक्टर–19, द्वारका, नई दिल्ली का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव।
- धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित अवसंरचना का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव।
- शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित परियोजना "रिज का स्थिरीकरण" के अंतर्गत भवन परिसरों का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव।
- माता–का–बाग, किन्नू, जिला ऊना के लिए एक डेवलपर/निजी ऑपरेटर का चयन।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई), वाकनाघाट, सोलन का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव।
- राज्य में ड्रोन का पायलट वाणिज्यिक संचालन।

9.21.2 वर्ष 2025–26 के दौरान अन्य गतिविधियां/पहल

- वित्त विभाग के निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ इंडिया (एच.पी.आई.डी.बी.) कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवास और शहरी विकास निगम (एच.यू.डी.सी.ओ.) से ₹2,680 करोड़ का ऋण ले रहा है। यह ऋण एच.पी.आई.डी.बी. अधिनियम, 2001 के अनुसार लिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित है।

- एच.यू.डी.सी.ओ. के साथ ऋण समझौता 24 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित किया गया था और ₹1,000 करोड़ की पहली किस्त एच.पी.आई.डी.बी. के एस्क्रो खाते में प्राप्त हो चुकी है।

- मर्चेंट बैंकर्स–कम–अरेंजर्स का एक पैनल स्थापित करने की पहल प्रक्रियाधीन है। इस पैनल के गठन से राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण जुटाने में सहायता करने के लिए पेशेवरों का एक समूह तैयार होगा।

जिलेवार प्रमुख औद्योगिक क्षमता

जिला	औद्योगिक विशेषता
सोलन (बद्दी नालागढ़)	फार्मा, एफ.एम.सी.जी. खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा उपकरण
ऊना	बल्क ड्रग पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, औद्योगिक गलियारा
सिरमौर (पांवटा साहिब)	फार्मा, सीमेंट, विनिर्माण
कांगड़ा	आई.टी. पार्क प्रस्ताव, पर्यटन से जुड़े उद्यम, यूनिटी मॉल
हमीरपुर	एम.एस.एम.ई, सेवा उद्यम
बिलासपुर और मंडी	रेशम उत्पादन, कृषि–प्रसंस्करण
शिमला	एम.एस.एम.ई. उत्सव, नीति और स्टार्टअप इकोसिस्टम
लाहौल–स्पीति, किन्नौर	उभरते कृषि आधारित और विशिष्ट ग्रामीण क्लस्टर

9.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

आई.आई.पी औद्योगिक विकास को मापने का एक मानक है, इसमें किसी विशिष्ट अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र में भौतिक उत्पादन में पिछली अवधि की तुलना में हुए सापेक्ष परिवर्तन को शामिल किया जाता है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाना है। राज्य में आई.आई.पी. का संकलन 2011–12 को आधार वर्ष मानकर किया जा रहा है। विनिर्माण, खनन, उत्खनन और विद्युत इकाइयों से चयनित आंकड़े एकत्र करके आई.आई.पी. का त्रैमासिक अनुमान लगाया जाता है। त्रैमासिक सूचकांकों के आधार पर वार्षिक सूचकांक भी तैयार किए गए हैं, जो सारणी 9.11 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 9.11

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

वर्ष	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
2023-24	140.00	192.70	461.25	248.18
2024-25	167.48	201.48	499.55	263.13
2025-26*	129.80	207.55	792.20	328.55

*सूचकांक जून और सितंबर 2025 की दो तिमाहियों के हैं।

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

सामान्य सूचकांक वित्त वर्ष 2023–24 में 248.18 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 263.13 हो गया है, जो 6.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025–26 के सूचकांकों की गणना जून 2025 और सितंबर 2025 की दो तिमाहियों के आधार पर की गई है। इन

दो तिमाहियों के आधार पर, पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सूचकांक में 24.86 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वहीं, इन दो तिमाहियों के सूचकांक की तुलना पिछले वर्ष यानी 2024–25 की इन्हीं तिमाहियों के सूचकांक से करने पर, 2025–26 की इन तिमाहियों में सभी क्षेत्रों यानी सामान्य, बिजली, खनन और विनिर्माण के सूचकांकों में वृद्धि हुई है।

9.23 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य–विशिष्ट मुद्दे और चुनौतियाँ

समस्या / चुनौती	साक्ष्य,	निहितार्थ
औद्योगिक एकाग्रता से क्षेत्रीय असंतुलन	पूर्व प्रोत्साहनों के कारण औद्योगिक विकास मुख्य रूप से सोलन, सिरमौर और ऊना में केंद्रित है।	आंतरिक जिलों में असमान क्षेत्रीय विकास और सीमित औद्योगिक विविधीकरण।
फार्मास्युटिकल क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता	650 से अधिक फार्मा इकाइयाँ यह क्षेत्र भारत की दवाओं का 35 प्रतिशत और राज्य के निर्यात का 70 प्रतिशत योगदान देता है।	नियामक परिवर्तनों, वैश्विक बाजार में व्यवधान और क्षेत्र–विशिष्ट जोखिमों के प्रति उच्च संवेदनशीलता।
नए औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी	नव अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में अभी भी सड़क, सीवरेज और बिजली अवसंरचना का विकास हो रहा है।	उच्च स्थापना लागत, निवेशकों की धीमी प्रतिक्रिया और इकाइयों के चालू होने में देरी।
पर्यावरणीय अनुपालन चुनौतियाँ	बल्क ड्रग पार्क के लिए जेड.एल.डी. , सी.ई.टी.पी. खतरनाक अपशिष्ट प्रणालियों और उच्च अनुपालन अवसंरचना की आवश्यकता है।	परिचालन लागत में वृद्धि, सख्त निगरानी की आवश्यकता और पर्यावरणीय सुरक्षा जोखिम।
विनिर्माण उत्पादकता में धीमी वृद्धि	विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025–26 में केवल 3.10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।	कम प्रतिस्पर्धा, कमजोर मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन में धीमी गति।
लघु एवं मध्यम उद्यमों की सीमाएँ	आकार, प्रौद्योगिकी और बाजार में एम.एस.एम.ई. की हिस्सेदारी 99 प्रतिशत है प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए संशोधित वर्गीकरण की आवश्यकता है।	छोटा आकार प्रौद्योगिकी अपनाने, नवाचार और बाजार विस्तार को सीमित करता है।
भूमि की उपलब्धता और अनुमोदन में देरी	बीर प्लासी और धबोटा में 1,383 बीघा जैसे बड़े भूभागों का अंतिम अनुमोदन अभी लंबित है।	इससे नए निवेश में देरी होती है, निवेशकों का विश्वास कम होता है और औद्योगिक विस्तार धीमा हो जाता है।

ख) जिले से संबंधित विशिष्ट मुद्दे और चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	साक्ष्य
औद्योगिक संकेंद्रण से क्षेत्रीय असंतुलन	सोलन, सिरमौर, ऊना।	विशेष औद्योगिक पैकेज के बाद औद्योगिक विकास और प्रमुख निवेश इन जिलों में केंद्रित हो गए हैं।
फार्मा निर्भरता और क्लस्टर जोखिम	सोलन (बद्दी–नालागढ़), सिरमौर (पांवटा साहिब), ऊना	राज्य में 650 से अधिक फार्मा इकाइयाँ हैं यह बद्दी–नालागढ़/पांवटा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीय दवा उत्पादन केंद्र है।
नए अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी	हमीरपुर (हार–बरसर), सोलन (किशनपुरा, मखुं माजरा, बरसन, आंद्रोला ऊपरला)।	पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है, इनमें तेजी से कार्य शुरू करने के लिए सड़कों, बिजली और बुनियादी सेवाओं के विकास की आवश्यकता है।
भूमि की उपलब्धता और लंबित अनुमोदन	सोलन (नालागढ़–बीर प्लासी और धबोटा)	बीर प्लासी और धबोटा में कुल 1,383 बीघा सरकारी भूमि के भूखंड अंतिम अनुमोदन के चरण में हैं।
थोक औषधि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पर्यावरणीय अनुपालन	ऊना (हरोली–थोक औषधि पार्क)	पार्क में जेड़.एल.ड़ी आधारित सी.ई.टी.पी. खतरनाक अपशिष्ट प्रणाली, भाप उत्पादन और अन्य साझा सुविधाओं की आवश्यकता है, सख्त पर्यावरणीय शर्तें लागू हैं।
फार्मा क्षेत्र से परे अन्य क्षेत्रों में विविधता लाने की आवश्यकता है।	कांगड़ा, ऊना, सोलन	प्रस्तावित/चल रही परियोजनाएं एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (कांगड़ा), मेगा टेक्सटाइल पार्क (ऊना), मेडिकल डिवाइस पार्क (नालागढ़–सोलन)।
स्टार्टअप और एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी परिपक्व हो रहा है बाजार संपर्क की आवश्यकता है।	शिमला (राज्यव्यापी मंच)	मेंटरशिप, इनक्यूबेशन और बाजार संपर्क को बेहतर बनाने के लिए शिमला में एम.एस.एम.ई. फेस्ट 2026 और स्टार्टअप प्रदर्शनियों/नेटवर्किंग का आयोजन किया गया।
रेशम उत्पादन की मूल्य श्रृंखला स्थानीयकृत और क्षमता सीमित बनी हुई है।	बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर	रेशम उत्पादन 10,221 परिवारों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें से बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में यह सबसे अधिक केंद्रित है।

9.24 भावी दिशा

हिमाचल प्रदेश को विविधीकरण, मूल्यवर्धन और सतत औद्योगिक विकास की रणनीति अपनानी होगी। फार्मास्यूटिकल्स के अलावा चिकित्सा उपकरण, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, आई.टी.–आधारित सेवाएं और उच्च स्तरीय कृषि आधारित उद्योगों में क्षेत्रीय विविधीकरण को मजबूत करने से एकाग्रता के जोखिम कम होंगे। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के त्वरित विकास का लाभ उठाकर मजबूत अनुसंधान एवं विकास संबंधों के साथ एकीकृत फार्मा और जीवन विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए।

बहुआयामी कनेक्टिविटी, गोदामों के हब और डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया जा सकता है। प्लग–एंड–प्ले बुनियादी ढांचे और श्रमिक आवास सुविधाओं के साथ औद्योगिक भूमि बैंकों का विस्तार निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा। व्यापार करने में सुगमता में निरंतर सुधार, विवादों का त्वरित समाधान और मजबूत एकल–खिड़की मंजूरी तंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

क्लस्टर आधारित साझा सुविधा केंद्रों, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता, डिजिटल अपनाने और राष्ट्रीय एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से एम. एस.एम.ई. की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। उद्योग–अकादमिक सहयोग को मजबूत करके कौशल विकास को उभरती प्रौद्योगिकियों, स्वचालन, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के अनुरूप ढालना आवश्यक है। हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाले विनिर्माण के लिए लक्षित प्रोत्साहन पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तालमेल सुनिश्चित करेंगे।

बुनियादी ढांचे के विस्तार, नीतिगत स्थिरता, नवाचार समर्थन और टिकाऊ प्रथाओं को मिलाकर हिमाचल प्रदेश भारत में एक उच्च मूल्य, निर्यात–उन्मुख और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

*****

अध्याय
10

ऊर्जा

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**जलविद्युत संचालित विकास**	राज्य का विद्युत क्षेत्र निरंतर जलविद्युत पर आधारित है, जो औद्योगिक विस्तार, घरेलू उपभोग, सिंचाई तथा सार्वजनिक अवसंरचना को समर्थन प्रदान कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख आधार जलविद्युत ही बना हुआ है।
2	**प्रमुख क्षमता संवर्धन**	चार जलविद्युत परियोजनाएँ–पार्वती II (800 मेगावाट), उहल III (100 मेगावाट), कुटेहर (240 मेगावाट) और भानु लघु जलविद्युत परियोजना (5 मेगावाट) सफलतापूर्वक चालू की गईं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 1,145 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ी, जिससे उत्पादन आधार और अधिक सुदृढ़ हुआ।
3	**राजस्व से पात्रता**	143 परियोजनाओं से राज्य सरकार की एंटाइटलमेंट कुल 1,574.06 मेगावाट बिक्री योग्य विद्युत का है। दिसंबर 2025 तक ₹1,668 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, तथा मार्च 2026 तक अतिरिक्त ₹249 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।
4	**संस्थागत सुधार (एच.पी.ईएम.सी.)**	हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना राज्य के विद्युत संसाधनों के समग्र अनुकूलन, सुव्यवस्थित शेड्यूलिंग तथा राजस्व के अधिकतमकरण सुनिश्चित करने हेतु एक एकीकृत एवं सुदृढ़ ढांचे के रूप में की गई थी
5	**एच.पी.एस.ई बी . एल. प्रदर्शन**	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वर्तमान में 28 जलविद्युत परियोजनाओं (589.35 मेगावाट) का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं से दिसंबर 2025 तक 1,973.64 मिलियन यूनिट (एम.यू) विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है, तथा मार्च 2026 तक यह उत्पादन 2,200 एम.यू से अधिक होने का अनुमान है। इससे राज्यभर में विश्वसनीय एवं सतत विद्युत वितरण सुनिश्चित होगा।
6	**संचरण सुदृढ़ीकरण**	62 ई.एच.वी सबस्टेशन उपकेंद्र तथा 3,693 से अधिक सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें संचालित हैं। ए.डी.बी,. आर.ई.सी., विश्व बैंक तथा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत किए जा रहे उन्नयन कार्यों से ग्रिड की विश्वसनीयता तथा विद्युत निकासी क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है।
7	**वितरण में डिजिटल परिवर्तन**	टार.डी.एस.एस. एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग का विस्तार किया गया है। कुल 30.69 लाख मीटर आवंटित किए गए हैं तथा 9.41 लाख मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत भुगतान डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है तथा उपभोक्ता सेवाएँ और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी हुई हैं।

8	**नवीकरणीय विविधीकरण**	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमऊर्जा अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में बड़ी जलविद्युत योजनाएँ–शोंगटोंग–करछम (450 मेगावाट) एवं रेणुकाजी (40 मेगावाट) के साथ–साथ सौर ऊर्जा संयंत्र–32 मेगावाट पेखुबेला एवं 10 मेगावाट अघ्लोर–शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पवन ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसी उन्नत एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
9	**ग्रिड आधुनिकीकरण**	ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना तथा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे विस्तार के माध्यम से पूरे राज्य में आधुनिक, सुदृढ़ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सक्षम ग्रिड अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

10.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो घरों, उद्योगों, कृषि और अवसंरचना के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। राज्य ने निरंतर निवेश, संस्थागत सुधारों और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के माध्यम से विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2024–25 और वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान विद्युत खपत के पैटर्न, क्षमता वृद्धि, विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं, चल रही योजनाओं और प्रमुख उपलब्धियों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है।

नीचे दी गई सारणी 10.1 राज्य में बिजली के उत्पादन और खपत की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।

सारणी 10.1

योजनाएँ और सुधार

योजना	वित्तीय परिव्यय	मुख्य उपलब्धियाँ	कवरेज जिले
कम वोल्टेज पॉकेट्स योजना (चरण–II)	₹25.08 करोड़	वोल्टेज स्थिरीकरण	राज्यव्यापी (ग्रामीण क्षेत्र)
आर.डी.एस.एस.	₹4,115.74 करोड़ (₹2,501.68 करोड़ भारत सरकार अनुदान)	स्मार्ट मीटरिंग, फीडर मॉनिटरिंग, लाइन हानि में कमी	शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सीमावर्ती जिले
स्मार्ट मीटरिंग	30.69 लाख मीटर आवंटित	9.41 लाख मीटर स्थापित	शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र
डीए–जेगुआ	₹53.74 लाख	100 जनजातीय परिवारों का विद्युतीकरण	जनजातीय क्षेत्र
जीवंत गाँव कार्यक्रम	सीमावर्ती विकास कार्यक्रम	अवसंरचना एवं विद्युत सुदृढ़ीकरण	किन्नौर, लाहौल–स्पीति

सारणी 10.2

बिजलीकी खपत (मिलियन यूनिट)

क्र. सं.	उपभोक्ता का प्रकार	2024–25	2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक)
1	**घरेलू**	2859.38 (24.06)	2115.392 (24.26)
2	**गैर–घरेलू गैर–वाणिज्यिक**	200.238 (1.685)	142.24 (1.63)
3	**व्यावसायिक**	747.429 (6.29)	535.456 (6.14)

4	औद्योगिक	6877.105 (57.87)	5111.963 (58.62)
5	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	12.962 (0.109)	9.882 (0.11)
6	कृषि	97.687 (0.822)	67.73 (0.77)
7	थोक और विविध	184.79 (1.55)	112.28 (1.28)
8	राजकीय सिंचाई एवं जलापूर्ति योजना	837.078 (7.04)	579.644 (6.64)
9	अस्थायी आपूर्ति	63.015 (0.53)	42.504 (0.48)
10	विद्युत वाहन	2.558 (0.02)	1.991 (0.02)
	कुल	11882.24 (100.00)	8719.082 (100.00)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल खपत का प्रतिशत हैं।
स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

सारणी 10.1 से पता चलता है कि राज्य में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता औद्योगिक क्षेत्र हैउसके बाद घरेलू उपभोक्ता आते हैं। यह खपत वितरण औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में विद्युत ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में इसके महत्व को दर्शाता करता है।

10.2 ऊर्जा निदेशालय (डी.ओ.ई.)

हिमाचल प्रदेश सरकार का ऊर्जा निदेशालय, बहुउद्देशीय परियोजना(एम.पी.पी.)एवं विद्युत विभाग का नोडल कार्यालय है, जो राज्य के ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन एवं अनुकूलन के लिए उत्तरदायी है। यह विद्युत उपयोगिताओं के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है और 5 मेगावाट से अधिक की जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन, तकनीकी–आर्थिक स्वीकृतियों (टी.ई.सी.) के अनुदान, जलविद्युत सुरक्षा, पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों, स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के प्रबंधन, विद्युत प्रवाह प्रबंधन और राज्य के विद्युत हिस्से की बिक्री, ऊर्जा संरक्षण पहलों तथा राज्य के बड़े बांधों की सुरक्षा निगरानी का कार्य करता है।

10.2.1 क्षमता वृद्धि

1,145 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली चार विद्युत परियोजनाएं–कुल्लू जिले में पार्वती द्वितीय जल विद्युत स्टेशन (800 मेगावाट), मंडी जिले में उहल–तृतीय जल विद्युत स्टेशन (100 मेगावाट), चंबा जिले में कुतेहर जल विद्युत स्टेशन (240 मेगावाट) और कांगड़ा जिले में भानु लघु जल विद्युत स्टेशन (5 मेगावाट) – अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच चालू की गईं।

10.2.2 सरकार की ऊर्जा पात्रता

हिमाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का विवरण जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के पास ऊर्जा की पात्रता नीचे दी गई है:

सारणी 10.3

विभिन्न परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार की पात्रता

क्र. सं.	पावर स्टेशन श्रेणी	फ्री और इक्विटी पावर शेयर (एम.डब्ल्यू.)	परियोजनाओं की संख्या
1	केंद्रक्षेत्र केस्टेशन	661.59	9
2	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं	72.09	11
3	साझा उत्पादनकी परियोजनाएं	28.10	2
4	निजी क्षेत्र की परियोजनाएं	374.75	121
क) कुल रॉयल्टी पावर (1+2+3+4)		1136.53	143
ख) इक्विटी पावर		437.53	...
कुल बिक्री योग्य बिजली (क+ख)		1574.06	143

स्त्रोतः ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी 10.2 में क्षेत्रवार मुफ्त (रॉयल्टी) और इक्विटी बिजली की उपलब्धता दर्शाई गई है। 143 बिजली परियोजनाएं 1,136.53 मेगावाट रॉयल्टी बिजली का योगदान करती हैं, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के स्टेशनों (9 परियोजनाएं) से 661.59 मेगावाट, राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं (11 परियोजनाएं) से 72.09 मेगावाट, साझा उत्पादन परियोजनाओं (2 परियोजनाएं) से 28.10 मेगावाट और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं (121 परियोजनाएं) से 374.75 मेगावाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 437.53 मेगावाट इक्विटी बिजली उपलब्ध है, जिससे 143 परियोजनाओं से कुल विक्रय योग्य बिजली 1,574.06 मेगावाट हो जाती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान ₹1668 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है और मार्च 2026 तक अनुमानित राजस्व बिजली की बिक्री पर रॉयल्टी और जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य सरकार के बिजली के हिस्से की बिक्री से अतिरिक्त ₹249 करोड़ है।

10.2.3 ऊर्जा विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (एच.पी.ई.एम.सी.) की स्थापना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा निदेशालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (एच.पी.ई.एम.सी.) की स्थापना की है। यह केंद्र विद्युत प्रबंधन, ऊर्जा संसाधनों के अनुकूलन और राज्य ऊर्जा लेनदेन के लिए एक एकीकृत संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है और एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा विभाग द्वारा पहले किए जाने वाले कार्यों को समेकित करता है। एच.पी.ई.एम.सी.की स्थापना विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लाने और राज्य में बिजली की बिक्री से राजस्व को अधिकतम करने के उद्देश्य से की गई एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है।

10.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल.)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1 सितंबर 1971 को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत किया गया था, और बाद में कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया।

एच.पी.एस.ई.बी.एल.राज्य भर के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। विद्युत वितरण प्रणाली में संचरण, उप–संचरण और वितरण नेटवर्क शामिल हैं जो एक एकीकृत विद्युत अवसंरचना का निर्माण करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से, बोर्ड ने अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान जिलेवार विद्युत उत्पादन सारणी 10.4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 10.4

एच.पी.एस.ई.बी.एल. के अपने बिजली घरों से जिलावार बिजली उत्पादन

(एम.यू. में)

जिले का नाम	2024–25	2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक)
1. बिलासपुर	–	–
2. चंबा	0.643	7.569
3. हमीरपुर	–	–
4. कांगडा	132.795	134.887
5. किन्नौर	606.073	482.759
6. कुल्लू	–	–
7. लाहौल और स्पीति	13.261	10.525
8. मंडी	626.388	1055.018
9. शिमला	182.651	102.711
10. सिरमौर	154.329	180.169
11. सोलन	–	–
12. ऊना	–	–
कुल	1716.14	1973.638

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि मंडी और किन्नौर बिजली उत्पादन में अग्रणी जिले हैं, जो 2024–25 और 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) दोनों में कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा हैं। कांगड़ा और शिमला का योगदान मध्यम है, जबकि सिरमौर और चंबा में उत्पादन कम है लेकिन बढ़ रहा है। एच.पी.एस.ई.बी.एल. के पास राज्य के पांच जिलों सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर में बिजली घर नहीं हैं।

10.3.1 जल विद्युत उत्पादन

एच.पी.एस.ई.बी.एल., 589.350 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 28 जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन करता है, जिनमें एच.पी.एस.ई.बी.एल. की सहायक कंपनी बी.वी. पी.सी.एल. द्वारा निर्मित उहल स्टेज–3 (100 मेगावाट) परियोजना भी शामिल है। जीर्णोद्धार और पुनर्वास कार्यों के पूरा होने के बाद, उहल स्टेज–3 को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया, जिसमें जनवरी और फरवरी 2025 के बीच तीनों इकाइयों का सिंक्रनाइज़ेशन किया गयाहै। 100 मेगावाट तक के संयुक्त लोड थ्रो–ऑफ परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए और परियोजना को 26 मार्च 2025 को पूर्णतः चालू कर दिया गयाहै।

उहल स्टेज–3 से बिजली उत्पादन पहली इकाई के सिंक्रनाइज़ेशन के साथ शुरू हुआ है, जिसने 16 दिसंबर 2025 तक 340 एम.यू. का उत्पादन किया, और 31 मार्च 2026 तक 370 एम.यू. उत्पादन की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एच.पी.ई. आर.सी.) द्वारा अनुमोदित ₹5 प्रति यूनिट के अस्थायी टैरिफ पर 16 दिसंबर 2025 तक लगभग ₹170 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, एच.पी.एस.ई.बी.एल. के अपने विद्युत संयंत्रों, जिनमें उहल स्टेज–3 भी शामिल है, ने 1973.638 एम.यू. ऊर्जा का उत्पादन किया, जिसके 31 मार्च 2026 तक 2221.693 एम.यू. तक पहुंचने का अनुमान है।

10.3.2 ट्रांसमिशन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. के ट्रांसमिशन विंग ने 31 मार्च 2025 तक कुल 5406.65 मेगा वोल्ट–एम्पीयर (एम.वी.ए.) की रूपांतरण क्षमता वाले 62 अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) सब–स्टेशन स्थापित किए हैं और 3693.495 सर्किट किलोमीटर ई.एच.वी. ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, 41.5 एम.वी.ए. की स्थापित क्षमता और 100 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाले दो ई.एच.वी. सब–स्टेशन चालू किए गएहैं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 4.0225 सर्किट किलोमीटर ई.एच.वी. ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गईं हैं।

10.3.3 एच.पी.एस.ई.बी.एल. के अन्तर्गत नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएँ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एच.पी.एस.ई.बी.एल. को कार्यान्वयन के लिए 4 परियोजनाएं आवंटित की हैं, जिनमें देवी कोठी एच.ई.पी. (16 मेगावाट), साई कोठी–1 एच. ई.पी. (15 मेगावाट), साई कोठी–2 (18 मेगावाट) और हेल एच.ई.पी. (18 मेगावाट) शामिल हैं, ये सभी परियोजनाएं चंबा जिले के तिस्सा क्षेत्र में स्थित हैं।

10.3.4 परियोजनाएँ

10.3.4.1 हिमाचल प्रदेश में लो वोल्टेज वालीपॉकेट योजना: निम्न वोल्टेज प्रभावित क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए, ₹25.08 करोड़ की लागत वाली द्वितीय चरण की योजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। इस योजना के माध्यम से निम्न वोल्टेज की समस्या का समाधान किया जा रहा है, और यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ने पर वोल्टेज स्तर गिर जाता है और सुधार की आवश्यकता होती है।

10.3.4.2 पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.): विद्युत वितरण की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2021को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। आर.डी.एस.एस. के अन्तर्गत, एच.पी.एस.ई.बी.एल. ₹4,115.74 करोड़ की परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें भारत सरकार का ₹2,501.68 करोड़ का अनुदान और एच.पी.एस.ई.बी.एल. का ₹233.73 करोड़ का हिस्सा शामिल है। इन परियोजनाओं में स्मार्ट मीटरिंग, हानि न्यूनीकरण, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, सीमा चौकी निर्माण कार्य और धरती आभा–जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डी.ए.–जे.जी.यू.ए.) शामिल हैं। स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को भारत सरकार का 22.5 प्रतिशत अनुदान प्राप्त है, जबकि शेष घटकों को भारत सरकार के 90 प्रतिशत अनुदान से सहायता प्राप्त है।

10.3.4.3 कार्यों के निष्पादन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं:

(क) स्मार्ट मीटरिंग कार्य

इस योजना के अन्तर्गत 28,00,945 प्रीपेड स्मार्ट मीटर, 39,012 डी.टी. मीटर और 1,951 फीडर/बाउंड्री मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है। तीनों पैकेजों के अन्तर्गत सभी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य ठेके पर दिया जा चुका है।

(ख) हानि कम करने के उपाय

इस घटक के अंतर्गत, कार्यों में 33/11 के.वी. सबस्टेशनों का निर्माण और विस्तार, नई 33 के.वी., 22 के.वी. और 11 के.वी. लाइनों का निर्माण, वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टी.आर.) की स्थापना और विस्तार, तथा उच्च तनाव (एच.टी.) और निम्न तनाव (एल.टी.) केबलों की बिछावट शामिल है, ताकि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हो सके। सभी परिचालन क्षेत्रों के लिए हानि न्यूनीकरण कार्यों का ठेका दिया जा चुका है और वर्तमान में ये कार्य प्रगति पर हैं।

i. **एस.सी.ए.डी.ए. कार्यः** एस.सी.ए.डी.ए. कार्यों का ठेका दिया जा चुका है। अब तक 68 उप–स्टेशनों के सर्वेक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष 25 उप–स्टेशनों का निर्माण हानि न्यूनीकरण कार्यों के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत हमीरपुर के मट्टनसिध में एस.सी.ए.डी.ए. उपकरण और कर्मचारियों के लिए एक नियंत्रण कक्ष भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे निगरानी और दूरस्थ संचालन संभव हो सकेगा।

ii. **आई.टी.–ओ.टी.कार्यः** जी.आई.एस. सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य आवंटित किया जा चुका है और वर्तमान में प्रगति पर है। इसके अलावा, जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का कार्य भी आवंटित किया जा चुका है।

(ग) वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वी.वी.पी.)

केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वी.वी.पी.) का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित दो जिलों के स्पीति, कल्पा और पूह ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना है। इस कार्यक्रम में सड़क संपर्क, आवास, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और दूरसंचार सुविधाओं में सुधार शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को इन गांवों से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्रामके अंतर्गत निम्नलिखित गांव शामिल हैं:

(i) किन्नौर जिले के अंतर्गत आने वाले गाँवः थानकर्मा (चाला शलखर), सुन्नी (लियो), थानकर्मा (कुंगधा), चांगो, बटसेरी (चिस्पान), छितकुल, चुलिंग (ताशिजोंग), चारंग (रंगरिक), चांगो उपेरला, लाब्रांग, हंगमत और रक्छम।

(ii) लाहौल–स्पीति जिले में स्पीति ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवः धार छोछोडून, धार सुमदो, गिपू, हिक्किम, हल, हर्लिंग, कौरिक, काजा खास, काजा सोमा, की, किब्बर खास, कोमिक, क्यामो, लालुंग खास, लारा खास, लिदांग, लिरिट, रामा खास, समदो और शेगो।

(घ) हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र में कार्य

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने और चिन्हित स्थानों तक विद्युत वितरण अवसंरचना के विस्तार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।

(ङ) डी.ए.–जे.जी.यू.ए. के अंतर्गत 100 गैर–विद्युतीकृत आदिवासी परिवारों का विद्युतीकरण

आर.डी.एस.एस. निगरानी समिति ने 24.02.2025 को आयोजित अपनी 46वीं बैठक में, एच.पी.एस.ई.बी.एल. में धरती आभा–जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डी.ए.–जे.जी.यू.ए.) के अन्तर्गत 100 गैर–विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना कार्यों की स्थापना हेतु, एम.ओ.पी. द्वारा जारी मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार डी.पी.आर. को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत ₹53.74 लाख है, जिसमें आंशिक रूप से विद्युतीकृत बस्तियों के लिए ₹42,500 प्रति घर और गैर–विद्युतीकृत बस्तियों के लिए ₹82,650 प्रति घर की दर से सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) ₹48.36 लाख (अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत) है।

10.3.5 सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

i. स्मार्ट मीटरिंग इंस्टॉलेशन की प्रगति – एच.पी.एस.ई.बी.एल.

- एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) और पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.) के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हानि कम करने और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को मंजूरी दे दी गई है।
- आई.पी.डी.एस. पायलट परियोजना के अन्तर्गत, शिमला और धर्मशाला शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, और आवंटित मात्रा से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं। आर.डी.एस. के अन्तर्गत, शिमला, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्रगति पर है। कुल आवंटित 30.69 लाख मीटरों में से अब तक 9.41 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

ii. कंप्यूटरीकृत उपभोक्ता बिलिंग (एस.ए.पी. आई.एस.यू.)–बिलिंग और प्रमुख उपलब्धियां

- 05.01.2026 तक, एच.पी.एस.ई.बी.एल. के राज्य में 29,41,788 सक्रिय उपभोक्ता हैं।
- दिसंबर 2025 तक, 7,27,843 स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिल भेजे गए, जो कुल उपभोक्ता आधार (29,36,389) का 24.78 प्रतिशत है। बिजली बिल एस.एम.एस. और ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जहां भी उपभोक्ता विवरण उपलब्ध हैं, और ये एच.पी.एस.ई.बी.एल. की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

- औसतन, 125 यूनिट से कम मासिक खपत वाले लगभग 17 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने शून्य बिजली बिल जारी किए जाते हैं।
- उपभोक्ता पोर्टल ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि नए कनेक्शन के लिए आवेदन, नाम/श्रेणी/लोड/मांग में परिवर्तन, अनुबंध मांग का अस्थायी संशोधन, एफ.ओ.जी./डी.जी.सेट औरपी.ए.सी के लिए ऑनलाइन NOC, शिकायत पंजीकरण, बिल देखना और भुगतान इतिहास तक पहुंच।
- उपभोक्ताओं के पास लोक मित्र केंद्रों, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यू. पी.आई./बी.एच.आई.एम., ई–सी.एम.एस., बी.बी.पी.एस. और मोबाइल ऐप सहित कई डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, मासिक बिजली बिल का लगभग 90 प्रतिशत भुगतान डिजिटल लेनदेन के माध्यम से किया जाता है।
- एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए एच.पी.एस.ई.बी. एल. स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे बिजली खपत के पैटर्न, बिजली की गुणवत्ता और संबंधित मापदंडों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है।
- उपभोक्ता वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और 24×7 कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिससे उन्हें त्वरित और सुविधाजनक समाधान मिलता है।
- हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे बिजली के उपयोग और खर्च पर बेहतर नियंत्रण मिलता है।

iii. चेहरे की पहचान पर आधारित उपस्थिति प्रणाली

- चेहरे की पहचान पर आधारित उपस्थिति प्रणाली (एफ.आर.ए.एस) के कार्यान्वयन का कार्य 10.05.2023 को एम/एस ई.आई. नेटवर्क्स को एच.पी.एस.ई.बी.एल. मुख्यालय, मुख्य कार्यालयों, सर्कल कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में 143 एफ. आर.ए.एस मशीनें स्थापित करने के लिए दिया गया था। एच.पी.एस.ई.बी.एल. मुख्यालय में आठ मशीनें जुलाई 2023 में चालू की गईं और शेष 125 मशीनों की स्थापना फरवरी 2024 में पूरी हो गईहैं।
- क्षेत्रीय कार्यालयों (उप–मंडलों, उप–स्टेशनों और अनुभागों) के लिए, भू–सीमा निर्धारण के साथ 10,000 से अधिक एफ.आर.ए.एस मोबाइल एप्लिकेशन तैनात किए गए हैं। एफ.आर.ए.एस को कर्मचारी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

iv. राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एन.एफ.एम.एस.)

- राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एन.एफ.एम.एस.) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विद्युत फीडरों की वास्तविक समय में

ऑनलाइन निगरानी को सक्षम बनाना है। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आर. डी.एस.एस.) के अन्तर्गत, शिमला जोन में 640 फीडर और कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जोन में 1,097 फीडर मीटरों को स्मार्ट मीटरिंग के दूसरे पैकेज के अंतर्गत आवंटित किया गया था।

- शिमला जोन में, 602 फीडरों को एन.एफ.एम.एस. से एकीकृत किया गया है, जिनमें से 414 फीडर स्मार्ट मीटर एम.डी.एम. के माध्यम से और 188 फीडर आर.टी.डी.ए.एस. परियोजना के माध्यम से एकीकृत किए गए हैं। कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जोन में, 715 फीडरों को आर.डी.एस.एसके अन्तर्गत एकीकृत किया गया है, जबकि 151 फीडर पहले से ही आर.टी.डी.ए.एस.के माध्यम से एकीकृत थे, जिससे कुल 1,097 फीडरों में से 866 फीडर एकीकृत हो गए हैं।

- तदनुसार, 27 जनवरी 2026 तक, डी.आई.एस.सी.ओ.एम. स्तर पर, एच.पी.एस.ई. बी.एल. के 1,468 फीडर राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एन.एफ.एम.एस.) के साथ एकीकृत हैं।

10.3.6 नई उपलब्धियाँ

- 2025–26 के दौरान (दिसंबर 2025 तक) एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने राज्य में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को 78,616 नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, 567 नए वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी.आर.) स्थापित किए गए हैं, 248.28 कि.मी. एच.टी. लाइनें और 416.51 कि.मी. एल.टी. लाइनें बनाई गई हैं, 812 मौजूदा डी.टी.आर. की क्षमता बढ़ाई गई है, और 506 लकड़ी के खंभों को स्टील ट्यूबलर खंभों से बदला गया है।
- वित्त वर्ष 2025–26 में, एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने शानुग और आंद्रा में क्रमशः लगभग 10 मेगावाट और 31.5 मेगावाट क्षमता वाले दो नए ई.एच.वी. सब–स्टेशनों को सफलतापूर्वक चालू किया है। इसके अलावा, नाथपा स्थित 66/22 के.वी. सब–स्टेशन से वागटू स्थित 400/220/66 के.वी. सब–स्टेशन तक लगभग 2.78 किलोमीटर लंबी 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन और सुंधा से आंद्रा पावर हाउस तक 1.24 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए, एच.पी. एस.ई.बी.एल. ने चालू वित्त वर्ष में नागहेता और कफोटा (जिला सिरमौर) तथा पटलांदर (जिला हमीरपुर) में तीन नए 33/11 के.वी. सब–स्टेशन चालू किए हैं। इसके अतिरिक्त, रामशहर (जिला सोलन), रामपुरघाट (जिला सिरमौर) और

संतोखगढ़ (जिला ऊना) में स्थित तीन मौजूदा 33/11 के.वी. सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

- एच.पी.एस.ई.बी.एल. ई.एच.वी. योजनाओं के लिए सक्रिय रूप से प्रस्तावों पर काम कर रहा है, जिसमें नाडुखर और कोठीपुरा (जिला बिलासपुर) में लगभग 63 मेगावाट क्षमता वाले दो नए ई.एच.वी. सब–स्टेशनों का निर्माण और सात ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है।
- राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 20 नए 33/11 के.वी. सब–स्टेशनों के निर्माण कार्य और 7 मौजूदा 33/11 के.वी. सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

10.4 हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.)

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.) की स्थापना दिसंबर 2006 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई थी और इसे हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत विकास की योजना, प्रोत्साहन और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। निगम के पास एन.टी.पी.सी., एस.जे.वी.एन.एल. और एन.एच.पी.सी. जैसी अग्रणी विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के समान मजबूत तकनीकी और संगठनात्मक क्षमताएं हैं।

10.4.1 संचालन/निष्पादन के चरण में परियोजनाएं

सारणी 10.5

संचालन/निष्पादन के चरण में परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजनाए	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1	**एकीकृत कशांग**	243	एकीकृत काशंग जलविद्युत परियोजना (243 मेगावाट) में सतलुज नदी की सहायक नदियों, काशंग और केरंग धाराओं के विकास की परिकल्पना तीन अलग–अलग चरणों में की गई है। **चरण–1 (65 मेगावाट):** यह परियोजना 01.09.2016 से व्यावसायिक रूप से चालू है। चालू होने की तिथि से 31.12.2025 तक 1,563.945 मिलियन यूनिट (एम.यू.) ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। 31.03.2026 तक लक्षित उत्पादन 1,574 एम.यू. है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, काशंग चरण–1 जलविद्युत परियोजना ने 211 एम.यू. के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले पहले ही 200.759 एम.यू. ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है, जिससे लगभग ₹61.79 करोड़ का

			राजस्व प्राप्त हुआ है। **द्वितीय चरण का कार्य**: काशांग परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण में के–के लिंक के माध्यम से केरंग धारा के जल का मार्ग परिवर्तन करके प्रथम चरण के उत्पादन को प्रतिवर्ष 790.93 मिलियन माइक्रोमीटर तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। मुकदमेबाजी के कारण हुई देरी के बाद, समस्या का समाधान हो गया है और कार्य प्रगति पर है। 31.12.2025 तक कुल 40.36 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है; परियोजना को दिसंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। **तृतीय चरण का कार्य**: बैलेंसिंग जलाशय–3 को सैंड ट्रैप बेसिन में परिवर्तित करने के लिए किए गए प्रमुख संशोधन पूरे हो चुके हैं और एस.एफ.टी. आउटफॉल का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। केरंग नाले में जल प्रवाह शुरू होने तक, यह प्रथम चरण के लिए एक बैलेंसिंग जलाशय के रूप में कार्य करेगा, जिससे जल प्रवाह में वृद्धि और प्रभावी गाद हटाने के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि होगी।
2	**साबडा कुड्डू**	111	सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहरू के पास पब्बर नदी पर स्थित एक रन–ऑफ–द–रिवर योजना है। यह परियोजना 21.01.2021 से व्यावसायिक रूप से चालू है। चालू होने की तिथि से 31.12.2025 तक, परियोजना ने 1,543.32 (एम.यू.) ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिसका लक्ष्य 31.03.2026 तक 1,596 एमयू का संचयी उत्पादन करना है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना ने 329 (एम.यू.) के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले पहले ही 303.03 (एम.यू.) का उत्पादन कर लिया है, जिससे लगभग ₹136 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
3	**सैंज**	100	सैंज जलविद्युत परियोजना (एच.ई.पी.) का निर्माण ई.पी.सी. मोड पर किया गया था और यह 04.09.2017 से व्यावसायिक परिचालन में है। परियोजना के चालू होने की तिथि से 31.12.2025 तक, इसने 3,046.82 (एम.यू.) ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिसका लक्ष्य 31.03.2026 तक 2,744.89 एम.यू. का संचयी उत्पादन करना है। वित्त

			वर्ष 2025–26 के दौरान, सैंज एच.ई.पी. ने 418 एम.यू. के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 109.50 (एम.यू.) ऊर्जा का उत्पादन किया, जिससे लगभग ₹35.47 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। अगस्त 2025 में जीवा नाले में बादल फटने से परियोजना को व्यापक क्षति हुई हालांकि, पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और परियोजना को 23.01.2026 को सफलतापूर्वक पुनः परिचालन में लाया गया।
4	**शोंग टोंग करछम**	450	सोंगटोंग करछम जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर एक रन–ऑफ–द–रिवर योजना के रूप में विकसित की जा रही है। इसमें पोवारी गांव के पास एक डायवर्जन बैराज और सतलुज के बाएं किनारे पर रल्ली गांव के पास एक भूमिगत विद्युत केंद्र शामिल है। इस परियोजना को 129 मीटर के सकल जलस्तर के साथ प्रति वर्ष 1,578.95 (एम.यू.) ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। निर्माण कार्य सभी मोर्चों पर प्रगति कर रहा है और 31.12.2025 तक कुल 63.55 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है। परियोजना का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने का लक्ष्य है।
5	**रेणुका जी**	40	रेणुकाजी बांध (40 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरि नदी पर स्थित एक राष्ट्रीय महत्व की जल भंडारण परियोजना है। इसमें 148 मीटर ऊंचे, मिट्टी और चट्टानों से बने बांध की परिकल्पना की गई है, जिसकी जीवित भंडारण क्षमता 0.498 बी.सी.एम. होगी। यह बांध दिल्ली को 23 क्यूमेक पेयजल की आपूर्ति करेगा और हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिवर्ष 200 (एम.यू.) बिजली का उत्पादन करेगा। इस परियोजना को सभी वैधानिक और वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं और दिसंबर 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब तक ₹3,194.96 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।
6	**थाना प्लाउन**	191	यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी पर एक भंडारण–सह–रन–ऑफ–रिवर योजना के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें 107 मीटर ऊँचा आर.सी.सी. गुरुत्वाकर्षण बांध शामिल है, जिसकी वार्षिक उत्पादन

			क्षमता 661 माइक्रोमीटर (90 प्रतिशत आधारित वर्ष) है। इस परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) से तकनीकी–आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.), पर्यावरण और प्रथम चरण की वन मंजूरी मिल चुकी है, और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएँ प्रगति पर हैं। इसके अलावा, आर.ई.सी. और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.) से वित्तपोषण की व्यवस्था कर ली गई है और डी.ई.ए. के माध्यम से ए.डी.बी. को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	**किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना**	422	हिमाचल प्रदेश–उत्तराखंड सीमा पर स्थित टोंस नदी पर किशाऊ बांध परियोजना (422 मेगावाट) प्रस्तावित है, जिसमें नदी के बाएं किनारे पर एक विद्युत केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का विकास किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के.सी.एल.) द्वारा किया जा रहा है; अद्यतन डी.पी.आर. (विस्तृत रिपोर्ट) सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत कर दी गई है, लागत आवंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि विद्युत घटक के वित्तपोषण और भारत सरकार के साथ अंतरराज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार चल रहा है।
8	**कशांग चरण–4**	48	यह चरण द्वितीय चरण के ऊपर स्थित केरंग नदी पर प्रस्तावित एक स्वतंत्र योजना है, जिसमें दाहिने किनारे पर स्थित भूमिगत विद्युत संयंत्र के माध्यम से लगभग 300 मीटर के जलस्तर का उपयोग किया जाएगा।
9	**जिस्पा बांध परियोजना**	300	लाहौल और स्पीति में जिस्पा बांध परियोजना (300 मेगावाट) की पुनः जांच चल रही है। नए ड्रिलिंग टेंडर जारी किए जा चुके हैं, ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अद्यतन भौगोलिक एवं भूवैज्ञानिक जानकारी के आधार पर बांध का वैचारिक खाका तैयार किया जा रहा है। प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत कर दी गई है; आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है और संशोधित वैचारिक योजना शीघ्र ही अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
10	**त्रिवेणी महादेव एच.ई.पी.**	72	मंडी जिले में स्थित त्रिवेनी महादेव एच.ई.पी. (72 मेगावाट) परियोजना को ब्यास–बिनवा खड्ड संगम के ऊपरी भाग और यू.एच.एल. एच.ई.पी. पावरहाउस के निचले भाग में एक वैकल्पिक योजना के रूप में खोजा जा रहा है, और प्रारंभिक अध्ययनों में इसे

			तकनीकी–व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है। एच.पी.पी.सी.एल. डी.पी.आर. तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया में है, जिसका योजनाबद्ध लेआउट अंतिम रूप दे दिया गया है और जी. एस.आई. द्वारा शीघ्र ही नए बांध अक्ष पर नए भूवैज्ञानिक/भू–तकनीकी जांच की जाएगी।
11	**सुरगानी सुंडला एच. ई.पी.**	48	सुरगानी–सुंडला एचईपी (48 मेगावाट) को बैरा सुइल एचईपी (188 मेगावाट) के टेलरेस जल का उपयोग करने के लिए परिकल्पित किया गया है और यह इसके साथ मिलकर काम करेगा, जिससे 209.60 (एम.यू.) (90 प्रतिशत आधारित वर्ष) का वार्षिक उत्पादन होने की आशा है।
12	**जंगी थोपन पोवारी एच. ई.पी.**	780	जांगी थोपन पोवारी एच.ई.पी. (780 मेगावाट) सतलुज बेसिन में शोंगटोंग करछम एच.ई.पी. का अपस्ट्रीम विकास है और इसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9.10.2024 को 40 वर्षों के लिए BOOT आधार पर एच.पी.पी.पी.सी.एल. को आवंटित किया गया है। एच.पी.पी.पी.सी.एल. अद्यतन के लिए पूर्व के जांच डेटा और डी.पी.आर. प्राप्त कर रहा है, और इस परियोजना को एच.पी.पी.पी.सी.एल. को आवंटित अपस्ट्रीम खाब एच. ई.पी. के साथ एक कैस्केड विकास के हिस्से के रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है।
13	**चांजू–3 एच.ई.पी.**	48	चांजू–3 एच.ई.पी. (48 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चांजू नाले पर बनी एक रन–ऑफ–रिवर योजना है, जिसकी अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 176.19 माइक्रोमीटर (90 प्रतिशत आधारित वर्ष) है। सिविल और एच.एम. दोनों पैकेज अक्टूबर 2022 में मेसर्स एम.एफ.बी.–ए.सी.एन.सी. जे.वी. को दिए गए थे, दिसंबर 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और परियोजना के फरवरी 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।
14	**थाना प्लाउन पंप भंडारण परियोजना**	270	यह परियोजना ऑफस्ट्रीम पंप स्टोरेज स्कीम के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें थाना प्लाउन एच.ई.पी. जलाशय को निचले जलाशय के रूप में और लूणी खड्ड पर लगभग 60 मीटर ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांध द्वारा निर्मित ऊपरी जलाशय के रूप में उपयोग किया जाएगा, साथ ही 4 × 67.5 मेगावाट का भूमिगत विद्युत संयंत्र भी होगा।

			08.10.2024 को एच.पी.पी.सी.एल. को आवंटित परियोजना के लिए, डी.पी.आर. तैयार करने और टी.ओ.आर., ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययन के लिए मो.ई.एफ. एंड सी.सी. के साथ सलाहकारों को नियुक्त किया जा रहा है।
15	**रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना**	1630	यह परियोजना ऑफस्ट्रीम ओपन–लूप पंप स्टोरेज स्कीम के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें रेणुकाजी बांध जलाशय को निचले जलाशय के रूप में और सिरमौर जिले के जोगर का खल्ला पर लगभग 100 मीटर ऊंचे मिट्टी–सह–चट्टान–भराव बांध द्वारा निर्मित ऊपरी जलाशय के रूप में उपयोग किया जाएगा, साथ ही 10 × 163 मेगावाट का भूमिगत विद्युत संयंत्र भी होगा।
16	**बारा खंबा एच.ई.पी.**	45	बारा खंबा एच.ई.पी. (45 मेगावाट) को शुरू में एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सहयोग से आंतरिक रूप से विकसित किया गया था, लेकिन परियोजना के प्रमुख घटक रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.जेड.) के अंतर्गत आते हैं।
17	**नखथन एच.ई.पी.**	460	नखथन एच.ई.पी. (460 मेगावाट) का डी.पी.आर., हालांकि सी.ई.ए./सी.डब्ल्यू.सी. के साथ उन्नत मूल्यांकन प्रक्रिया में है, एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई.पी.पी.) के साथ जल बंटवारे के विवाद के कारण रोक दिया गया है। मध्यस्थता मामला (संख्या 27/2016) अब उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में है, जिसमें एच.पी.पी.सी.एल. का हस्तक्षेप आवेदन विचाराधीन है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार सौहार्दपूर्ण समाधान तलाश रही है।

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

10.4.2 विद्युत विकास के अन्य क्षेत्र

जलविद्युत विकास के अलावा, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम रखा है और राज्य और राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन और संपीड़ित जैव–गैस सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने का लक्ष्य रखा है।

10.4.3 विभिन्न चरणों में सौर परियोजनाएं

i) बेरा–डोल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट)

बिलासपुर में श्री नैना देवी जी मंदिर के पास एच.पी.पी.सी.एल. द्वारा निर्मित, यह हिमाचल प्रदेश की पहली सरकारी सौर परियोजना है। 04.01.2019 को चालू हुई इस परियोजना ने 31.12.2025 तक 55.023 माइक्रोमीटर एम.यू.ऊर्जा का उत्पादन

किया है, जिसका लक्ष्य 31.03.2026 तक 56.68 एम.यू.का उत्पादन करना है; वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इसने 4.90 एम.यू.ऊर्जा का उत्पादन किया, जिससे ₹1.84 करोड़ की आय हुई।

ii) पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना (32 मेगावाट)

ऊना जिले के पेखुबेल्ला गांव में एच.पी.पी.सी.एल. द्वारा निर्मित यह परियोजना 15.04.2024 से व्यावसायिक परिचालन में है। 31.12.2025 तक, परियोजना ने 82.05 मिलियन वर्ग मीटर का उत्पादन किया है, जिससे ₹23.29 करोड़ की आय हुई है; वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इसने 22.22 मिलियन वर्ग मीटर का उत्पादन किया, जिससे ₹6.22 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 31.03.2026 तक 82.199 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य रखा गया है।

iii) भंजल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट)

ऊना जिले की अंब तहसील में एच.पी.पी.पी.सी.एल. द्वारा निर्मित यह परियोजना 30.11.2024 को एच.पी.एस.ई.बी.एल. ग्रिड से सिंक्रनाइज़ की गई थी। 31.12.2025 तक, इस परियोजना ने 11.14 एम.यू. का उत्पादन किया है, जिससे ₹4.02 करोड़ की आय हुई है; वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, इसने 7.61 एम.यू. का उत्पादन किया, जिससे ₹2.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 31.03.2026 तक 11.164 एम.यू. का लक्ष्य रखा गया है।

iv) अघलोर एस.पी.पी. (10 मेगावाट)

ऊना जिले में एच.पी.पी.सी.एल. द्वारा निर्मित, इसे 21.05.2025 को एच.पी.एस.ई.बी.एल. ग्रिड से जोड़ा गया था। 31.12.2025 तक, परियोजना ने 10.90 एम.यू. बिजली का उत्पादन किया है, जिससे ₹3.31 करोड़ की कमाई हुई है, जबकि 31.03.2026 तक 10.951 एम.यू. का लक्ष्य रखा गया था।

v) सौर ऊर्जा परियोजनाएँ:

- गोंदपुर बुल्ला एस.पी.पी. (12 मेगावाट), लामलेहरी उपर्ली एस.पी.पी. (11 मेगावाट) और बड़ा बसोट एस.पी.पी. (8 मेगावाट) के लिए ई.पी.सी. कार्य क्रमशः 20.12.2024, 01.01.2025 और 03.10.2025 को आवंटित किए गए थे।
- कुल 34 मेगावाट क्षमता वाली चार एस.पी.पी.– सनरह (11 मेगावाट), डभोटा–1 (9 मेगावाट), टिहरा खास (6 मेगावाट) और माजरा (8 मेगावाट) – के लिए ई.पी.सी. निविदाओं को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बी.ई.एस.) को

शामिल करने के लिए संशोधित किया जा रहा है और इन्हें शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

- गांद्रान एस.पी.पी. (10 मेगावाट) और सुकोहन एस.पी.पी. (5 मेगावाट) के लिए डी.पी.आर. को हिमुर्जा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
- दमताल सौर ऊर्जा परियोजना (206 मेगावाट), जिसमें 200 मेगावाट क्षमता शामिल है, प्रारंभिक डी.पी.आर. चरण में है और इसे भाषा, कला एवं संस्कृति (एल.ए.सी.) विभाग की ओर से एच.पी.पी.सी.एल. द्वारा तकनीकी एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- भंजल–2 सौर ऊर्जा परियोजना (6 मेगावाट) पूर्व–व्यवहार्यता चरण में है और इसका पी.एफ.आर. तैयार हो चुका है।

10.4.4 वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं का विकास

i. हिमाचल प्रदेश सरकार/एच.पी.पी.सी.एल. और मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच 26.04.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित जैव गैस (सी.बी.जी.), भूतापीय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।

ii. नालागढ़ के दाभोटा में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए ई.पी.सी. निविदा मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 09.09.2024 को आवंटित की गई थी, और वर्तमान में निष्पादन कार्य प्रगति पर है। परियोजना के जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

iii. 2 टन प्रतिदिन (सी.बी.जी.) संयंत्र के लिए एक मसौदा डी.पी.आर. तैयार किया गया है।

iv. एच.पी.पी.सी.एल. को सिरमौर जिले के हरिपुरधार में 2 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु एजेंसियों के पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.) कौशल विकास, शैक्षिक सहायता, प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर, स्कूल और युवा खेल प्रतियोगिताएं, स्वरोजगार पहल, फसल हानि के लिए मुआवजा, वन प्रथागत अधिकारों की हानि के लिए वित्तीय सहायता और प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति सहित विभिन्न कल्याणकारी और सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू कर रहा है। दिसंबर 2025 तक इन पहलों पर ₹2.21 करोड़ का व्यय हो चुका है।

10.4.5 निर्माण/कार्यान्वयन चरण के अन्तर्गत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय उपलब्धियां

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्माणाधीन/कार्यान्वयन चरण की परियोजनाओं की उपलब्धियां सारणी 10.6 में प्रस्तुत हैं:

सारणी 10.6

वित्तीय उपलब्धियां

(₹करोड में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बजट 2025–26	व्यय (अप्रैल–दिसम्बर 2025)	उपयोगिता (प्रतिशत में)
1	शोंग टोंग कड़छम	908.24	358.77	39.50
2	एकीकृत कशांग एच.ई.पी. चरण 2 और 3	57.35	21.30	37.14
3	रेणुका जी बांध परियोजना	375.11	46.17	12.31
4	चांजू–3	248.48	23.74	9.55
5	देवथल चांजू–3	3.98	0	0
कुल		1593.16	449.98	28.24

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सारणी 10.7

बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन

(₹करोड में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थापना से लेकर 31.03.2025 तक बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन	बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन अप्रैल 2025 से दिसम्बर, 2025	कुल योग
1	एकीकृत कशांग एच. ई.पी. चरण–1	346.45	61.79	408.24
2	सैंज एच.ई.पी.	1013.05	35.47	1048.52
3	साबडा कुड्डू एच.ई.पी.	552.58	136.00	688.58
4	बेरा– डोल सौर परियोजना	20.68	1.84	22.52
5	पेखुबेला	17.07	6.22	23.29
6	भंजल	1.27	2.75	4.02
7	अघलोर एस.एस.पी.	0.00	3.31	3.31
कुल		1951.10	247.38	2198.48

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सारणी 10.8

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड–जलविद्युत एवं नवीकरणीय विस्तार (प्रमुख प्रगतिरत परियोजनाएँ)

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
शोंगटोंग– करछम जलविद्युत परियोजना	450	63.55 प्रतिशत कार्य पूर्ण
रेणुकाजी बांध परियोजना	40	भंडारण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु
सावराकुड्डू (सावरा कुड्डू) जलविद्युत परियोजना	111	संचालित
सैंज जलविद्युत परियोजना	100	बादल फटने की घटना के बाद पुनः संचालित

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **1,145 मेगावाट नई जलविद्युत क्षमता का संवर्धन**
   - चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं के चालू होने से क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे राज्य की स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी स्थिति और सुदृढ़ हुई।
2. **विद्युत राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि**
   - रॉयल्टी एवं इक्विटी विद्युत से ₹1,600 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया, जिससे जलविद्युत राज्य की वित्तीय सुदृढ़ता का प्रमुख आधार बनी।
3. **एच.पी.ई.एम.सी. की स्थापना**
   - विद्युत शेड्यूलिंग, ट्रेडिंग एवं राजस्व अधिकतमकरण के लिए एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई।
4. **विस्तारित एवं आधुनिकीकरण किया गया ट्रांसमिशन नेटवर्क**
   - विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत नए ई. एच.वी. उपकेंद्रों एवं ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से ग्रिड को सुदृढ़ बनाया गया।
5. **बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर स्थापना**
   - 9 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए, जिससे डिजिटल बिलिंग, सटीक मापन एवं 90 प्रतिशत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला।

6. नवीकरणीय ऊर्जा का तीव्र विस्तार

- प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन प्रारंभ किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की पहल की गई, और विविधीकृत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

7. हिमऊर्जा का नवीकरणीय अभियान

- हजारों सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाइट स्थापित की गईं, रूफटॉप एवं ऑफ–ग्रिड सौर प्रणालियों का विस्तार किया गया, तथा 600 से अधिक लघु जलविद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया।

10.5 हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.टी.सी.एल.)

यह निगम हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जिसकी स्थापना राज्य के ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने और आगामी बिजली उत्पादन संयंत्रों से बिजली की निकासी को सुगम बनाने के लिए की गई है। सरकार द्वारा निगम को सौंपे गए कार्यों में 66 किलोवाट और उससे अधिक वोल्टेज स्तर के सभी नए ट्रांसमिशन कार्यों (ट्रांसमिशन लाइनें और सब–स्टेशन दोनों) का निष्पादन, साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने और कुशल बिजली निकासी सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की ट्रांसमिशन मास्टर प्लान का निर्माण, उन्नयन और कार्यान्वयन शामिल है।

एच.पी.पी.टी.सी.एल. राज्य ट्रांसमिशनउपयोगिता (एस.टी.यू.) के कार्यों का निर्वहन कर रही है और केंद्रीय ट्रांसमिशनउपयोगिता, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), हिमाचल प्रदेश सरकार और एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन संबंधी मुद्दों का समन्वय कर रही है। इसके अलावा, निगम स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों(एस.पी.एस.यू.), एच.पी.पी.टी.सी.एल. और अन्य राज्य/केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ ट्रांसमिशन संबंधी मुद्दों की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए भी जिम्मेदार है।

भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की विद्युत प्रणाली मास्टर प्लान (पी.एस.एम.पी.) में शामिल ट्रांसमिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए (एशियाई विकास बैंक) ए.डी.बी. ऋण को मंजूरी दे दी है। सारणी 10.9 में एच.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 तक चालू की गई परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 10.9

वित्तीय वर्ष 2025–2026 तक चालू परियोजनाएं (31 दिसम्बर, 2025) तक

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एम.वी.ए.	सी.के.टी. कि.मी.	लागत (₹करोड में)
	ए.डी.बी. ट्रेंच–1			
1	220/66/22 के.वी., भोक्तू में सब–स्टेशन	56.5	–	32
2	400/220/66 के.वी., वांगतू में सब–स्टेशन	830	–	363
3	प्रगतिनगर में 220/400 के.वी., 1×315 एम.वी.ए. सब–स्टेशन	315	–	161
4	33/132 के.वी., पंडोह में सब–स्टेशन	31.5	–	36
5	33/132 के.वी., चंबी में सब–स्टेशन	63	–	45
6	गुम्मा में 400 के.वी. झाखरी–अब्दुल्लापुर डी./सी. लाइन के दोनों सर्किटों का एल.आई.एल.ओ. और हाटकोटी से गुम्मा तक 220 के.वी.डी./सी.टी.एल.	–	58.1	105
	ए.डी.बी. ट्रेंच–2			
7	66 के.वी. स्विचिंग सब–स्टेशन उरनी	–	–	27
8	33/220/400 के.वी. लाहल सब–स्टेशन	693	–	280
9	220 के.वी. जारोर–बनला टी.एल.	–	36	57
10	220 के.वी. लाहल बुधिल टी.एल.	–	1.9	6
11	चम्बी में 132 के.वी. एल.आई.एल.ओ कांगडा–देहरा टी.एल.	–	30	21
	ए.डी.बी. ट्रेंच–3			
12	बजोली होली एच.ई.पी. से 400/220 के.वी. लाहल जी.आई.एस. तक 220 के.वी. डी./सी. लाइन (ट्विन मूस)	–	36.68	69
13	उरनी में 66 के.वी. स्विचिंग स्टेशन से वांगटू सब स्टेशन (किन्नौर) तक 66 के.वी. डी./सी. लाइन	–	26	20.73
14	सुंडा एस.एस. से हाटकोटी (शिमला) तक 220 के.वी. डी./सी. टी.एल.	–	50.6	46.75
15	कुनिहार–पिंजौर ट्रांसमिशन लाइन के दूसरे सर्किट के एल.आई.एल.ओ.के लिए बद्दी सब–स्टेशन पर दो 220 के.वी. बेस का	–	5.7	4.67

	निर्माण।			
16	हाटकोटी में 220 के.वी. स्विचिंग स्टेशन	–	–	39.77
17	निरमंड में 66/22 के.वी., 2×12.5 एम.वी.ए. जी.आई.एस. सब–स्टेशन	25	–	38.16
18	सुंडा, शिमला में 220/132 के.वी. सब–स्टेशन	200	–	64.84
19	चरोर (कुल्लू) में 132/220 के.वी.सब–स्टेशन	100	–	69.03
20	गुम्मा (शिमला) में 220/66 के.वी. जी.आई.एस. सब–स्टेशन	126	–	44.16
21	निरमंड से कोटला (किन्नौर) तक 66 के.वी. डी.सी. ट्रांसमिशन लाइन	–	46	30.78
22	400/220/33 के.वी. लाहल एस.एस. से रजेरा (चंबा) तक 400 के.वी. डी.सी. ट्रांसमिशन लाइन	–	70	140.07
23	माजरा से करियान (चंबा) तक 220 के.वी.डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	–	36	36.28
24	माजरा (चंबा) में 220/132 के.वी. 2×100 एम.वी.ए. जी.आई.एस. सबस्टेशन	200	–	65.54
25	132 के.वी. लिलो कुर्थला बाथरी ट्रांसमिशन लाइन	–	14.4	11.98
	जी.ई.सी.–1			
26	132/33 के.वी. अतिरिक्त पंडोह एस.एस.	31.5	–	16.38
27	400/220 के.वी. अतिरिक्त गुम्मा एस.एस.	315	–	42.16
28	220 के.वी. सनैल–हाटकोटी टी.एल.	–	26.3	25.61
29	220 के.वी.डी./सी. देहन एस.एस. से हमीरपुर एस.एस.	–	115.88	119.51
30	देहन (कांगडा) में 132/220 के.वी., 2×100 एम.वी.ए. सब–स्टेशन	200	–	71.81
31	220/66 के.वी. अतिरिक्त सुंडा सब–स्टेशन	100	–	38.74
32	चरोर सब–स्टेशन (कुल्लू) में अतिरिक्त 220/33 के.वी., 80/100 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना	100	–	34.96
33	तांगनु रोमाई से 220/132 के.वी. सुंडा सबस्टेशन तक 132 के.वी. डी/सी लाइन	–	22	13.37
34	220/66 के.वी. हीलिंग सबस्टेशन पर 220 के.	–	0.7	4.48

	वी. डी/सी बाजोली होली से लाहल ट्रांसमिशन लाइन का एल.आई.एल.ओ.			
35	33 के.वी. पलचान से प्रीनी ट्रांसमिशन लाइन	–	17.2	–
36	हेइलिंग में 220/66 के.वी. सबस्टेशन	100	–	85.74
37	33 के.वी. स्विचिंग स्टेशन पालचन	–	–	19.55
	घरेलू			
38	220/33 के.वी. कंरिया सब–स्टेशन	63	–	52
39	220/33 के.वी. फोजल सब–स्टेशन	100	–	72
40	प्रीणी (कुल्लू) में 220/33 के.वी. सबस्टेशन	31.5	–	8.91
41	कालाअंब में 220/132 के.वी.सबस्टेशन	263	–	69.76
42	220 के.वी. कंरिया–रजेरा टी.एल.	–	6	11
43	220 के.वी. लिलो फोजल – पतलीकुहल टी. एल.	–	20.0	17
44	220 के.वी. कशांग – भावा टी.एल.	–	76	87
45	पी.जी.सी.आई.एल. से अंधेरी सब–स्टेशन तक 220 के.वी. एम.सी.टी. लाइन	–	12.8	15.39
46	एच.पी.पी.टी.सी.एल. कालाअंब से मौजूदा जमटा काला अंब लाइन के टी 20/21 तक 220–132 के.वी. एम.सी.टी. ट्रांसमिशन लाइन (132 के.वी. पार्ट चार्ज्ड)	–	34	49.19
47	टी–88 से 220 के.वी. जी.आई.एस. सबस्टेशन देहान (पट्टी) पर 132 के.वी. एस/सी बस्सी–देहन लाइन की एल.आई.एल.ओ. द्वारा 132 के.वी. डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	–	7.91	2.90
48	कुटेहर एच.ई.पी. पर 400 के.वी. एस/सी लि. लो. लाहल राजेरा लाइन	–	2	9.0
	कुल	**3944**	**752.17**	**2690.25**

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक किफायती ट्रांसमिशनप्रणाली के विकास हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–1 (जी.ई.सी.–1) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस योजना का वित्तपोषण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) से 40 प्रतिशत अनुदान, KfW से 40 प्रतिशत कम ब्याज वाले ऋण और शेष एच.पी.पी.टी.सी.एल. की इक्विटी से किया गया था। जीईसी–1 के अन्तर्गत, ग्यारह परियोजनाएं पूरी की गईं और चालू की गईं, जिसके परिणामस्वरूप

राज्य भर में 846.5 एम.वी.ए. की रूपांतरण क्षमता और 182.08 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशनलाइनें जोड़ी गईहै।

इसके अलावा, राज्य के ट्रांसमिशननेटवर्क को मजबूत करने के लिए एच.पी.पी.टी.सी. एल. द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–2(जी.ई.सी.–2)का कार्य किया जा रहा है। इस चरण के अन्तर्गत, आठ परियोजनाएं निविदा/अर्वाड प्रक्रिया में हैं, जिनमें डी.पी.आर. लागत का 33 प्रतिशत यानी ₹161.53 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। 2030 तक, ये परियोजनाएं कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों में 252 एम.वी.ए.की रूपांतरण क्षमता और 281 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ेंगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.एल.) की वित्तीय सहायता से, एच.पी. पी.टी.सी.एल. ने 12 परियोजनाओं को चालू कर दिया है और एक परियोजना निर्माणाधीन है, जिसके मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इससे कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर जिलों में 457.5 मेगावाट की रूपांतरण क्षमता और 158.71 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें जुड़ेंगी।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की सहायता से, एच.पी.पी.टी.सी.एल. तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।पांवटा साहिब और ऊना में दो सब–स्टेशन और एक रेरू–कुनिहार ट्रांसमिशन लाइन जिसमें विश्व बैंक से 80 प्रतिशत वित्त पोषण (₹257.13 करोड़)प्राप्त हुआ है। ऊना में एक सब– स्टेशन निर्माणाधीन है, जबकि शेष परियोजनाआ निविदा स्तर पर हैं। इन परियोजनाओं को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इनसे ऊना, सिरमौर और सोलन जिलों में 600 मेगावाट की रूपांतरण क्षमता और 48 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें जुड़ेंगी।

10.5.1 प्रमुख उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने पलचान में एक 33 के.वी. स्विचिंग स्टेशन और कुतेहर एच.ई.पी. में एक 400 के.वी. एस/सी एन.आई.एल.ओ. लाहल–राजेरा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण पूरा कर चालू कर दिया है, जिसकी अनुमानित लागत ₹28.55 करोड़ है। इसी अवधि के दौरान निगम ने पूर्ण और निर्माणाधीन ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर कुल ₹51.30 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है।

इसके अतिरिक्त, एच.पी.पी.टी.सी.एल. ने 2 अक्टूबर 2025 से कुनिहार में हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर (एच.पी.टी.ए.एम.सी.) का परीक्षण संचालन शुरू किया। यह अत्याधुनिक संयुक्त नियंत्रण केंद्र राज्य भर में ई.एच.वी. ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों की वास्तविक समय में निगरानी और नियंत्रण को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त, लगभग ₹128 करोड़ की लागत से दो ट्रांसमिशन लाइनें (1.122 सी.के.टी. कि.मी.) और तीन सब–स्टेशन – 220/132 के.वी., 200 एम.वी.ए. कांगू, 220/132 के.वी., 100 एम.वी.ए. टाहलीवाल, 132/33 के.वी., 63 एम.वी.ए. धर्मपुर– निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले इनके चालू होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से ऊना और मंडी जिलों में 363 एम.वी.ए. की परिवर्तन क्षमता जुड़ जाएगी।संबंधित विवरण नीचे सारणी 10.10 में दिया गया है।

सारणी 10.10

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सी.के.टी. किमी/एम. वी.ए.क्षमता	लागत (₹करोड में)	निधियन एजेंसी
1.	**ट्रांसमिशन लाइन**			
I	धर्मपुर में, 132 के.वी. बस्सी–हमीरपुर लाइन का एल.आई.एल.ओ.।	0.56	सब–स्टेशन अवार्ड को मिलाकर	आर.ई.सी.
II	टाहलीवाल में, 132 के.वी. भाखड़ा–जमालपुर लाइन का एल.आई.एल.ओ.।	0.562		आर.ई.सी./ उद्योग
	योग –I	1.122		
2.	**सब–स्टेशन**			
I	220/132 के.वी. कांगू सब–स्टेशन	200	70.92	ए.डी.बी. का प्रभाव
II	220/132 के.वी. टाहलीवाल सब–स्टेशन	100	28.08	आर.ई.सी./ उद्योग
III	132/33 के.वी. धर्मपुर सब–स्टेशन	63	28.84	आर.ई.सी.
	योग –II	363	127.8	
	कुल योगI + II	364.122	127.84	

उपरोक्त परियोजनाओं के चालू होने से कई जलविद्युत परियोजनाओं की बाधा– मुक्त बिजली निकासी की सुविधा मिलेगी और राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- **ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण**
  - 3,944 एम.वी.ए. ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता स्थापित।
  - 752.17 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें संचालित।
  - ₹2,690.25 करोड़ का कुल निवेश।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जी.ई.सी.–I) पूर्ण – 846.5 एम.वी.ए. अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जी.ई.सी.–II) (2030 तक): 252 एम.वी.ए. अतिरिक्त क्षमता प्रस्तावित (कांगड़ा, चंबा एवं ऊना)।
- ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर संचालित।

10.6 हिमऊर्जा

हिमऊर्जा की स्थापना 1989 में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसे भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है। राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रिड से जुड़े रूफटॉप संयंत्र, ऑफ–ग्रिड सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियां, सौर तापीय प्रणालियां और 5 मेगावाट तक की क्षमता वाली लघु जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।

10.6.1 वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान दिसम्बर, 2025 तक की उपलब्धियां तथा मार्च, 2026 तक प्रत्याशित का ब्यौरा निम्न है:

(क) सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

i) सौर प्रकाशवोल्टिय पावर परियोजनाऐं/प्लांट:

अ) ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स: ओपन स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के वास्तविक डेवलपर्स को कुल 69.3 मेगावाट क्षमता वाले ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रोजेक्ट की क्षमता 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक है। 169 डेवलपर्स ने कुल 219.005 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कनेक्टिविटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 167 डेवलपर्स ने कुल 218.505 मेगावाट क्षमता वाले पावर परचेज एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर

किए हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के वास्तविक डेवलपर्स द्वारा कुल 32.926 मेगावाट क्षमता वाले 33 ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित किए गए हैं। साथ ही, वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान कुल 50 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ब) ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप पावर प्लांट:राज्य के विभिन्न भागों में कुल 641 किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े सौर रूफटॉप पावर प्लांट चालू किए गए हैं।

स) ऑफ–ग्रिड सौर पावर प्लांट:राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर कुल 1.94 मेगावाट क्षमता वाले सौर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं।

ii) **एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम**:वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 23,410 सोलर फोटोवोल्टाइक (एस.पी.वी.) स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित किए गए। मार्च 2026 तक लगभग 26,000 सिस्टम स्थापित करने का अनुमान है।

iii) **ग्रीन पंचायत योजना**:ग्रीन पंचायत योजना के तहत 4 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 8 सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 4 परियोजनाओं के मार्च 2026 तक चालू होने की संभावना है।

(ख) 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाऐं

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, दिसंबर 2025 तक कुल 5 मेगावाट क्षमता वाली 01 जलविद्युत परियोजना चालू की जा चुकी है।

सारणी 10.11

5 मैगावाट तक क्षमता की 609 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति (दिसम्बर, 2025 तक)

परियोजना की स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मैगावाट)
(i) निजी क्षेत्र में आवंटितलघु जल विद्युत परियोजनाऐं 5 मेगा वाट तक		
(क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर आवंटित		
स्थापित	99	356.00
निर्माणाधीन	35	93.44
स्वीकृतियां के स्तर पर	136	352.76
(ख) पूर्व कार्यान्वयन समझौते चरण पर	268	577.54
कुल	**538**	**1379.74**
(ii) 100 किलोवाट क्षमता तक की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति		

कुल	55	5.50
(iii) वी.ओ.टी. आधार पर हिमऊर्जा को आवंटित परियोजनाऐं		
स्थापित	1	4.80
स्वीकृतियां के स्तर पर	0	0.00
सर्वेक्षण और जांच स्तर पर	5	20.00
कुल	6	24.80
(iv) राज्य क्षेत्र में स्थापित परियोजनाऐं		
स्थापित	5	0.47
स्थापित (एच.पी.एस.ई.बी.एल. को हस्तांतरित)	5	1.90
कुल	10	2.37
कुल योग (i से iv तक)	609	1412.41

हिमऊर्जा – विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा संवर्धन अभियान

- 33 ग्राउंड–माउंटेड सौर परियोजनाएँ: 32.926 मेगावाट स्थापित क्षमता।
- 23,410 एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटें स्थापित (मार्च 2026 तक 26,000 का लक्ष्य)।
- 609 लघु जलविद्युत परियोजनाएँ (≤5 मेगावाट) व कुल स्थापित क्षमता: 1,412.41 मेगावाट।
- 55 सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाएँ (≤100 किलोवाट)।

10.7 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तरीय मुद्दे और चुनौतियाँ

मुद्दे / चुनौतियाँ	प्रमाण	विवरण
1. जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब	भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियाँ, न्यायिक विवाद एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेक परियोजनाएँ विलंबित	क्षमता वृद्धि एवं राजस्व सृजन की गति धीमी व दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव
2. जलवायु संबंधी व्यवधान	बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ एवं सिल्ट जमाव से जलविद्युत परिसंपत्तियों को	मुरम्मत लागत में वृद्धि, उत्पादन में अवरोध, आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी

	क्षति	
3. ट्रांसमिशन निकासी संबंधी बाधाएँ	दूरस्थ क्षेत्रों में ई.एच.वी. उपकेंद्रों एवं लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के सतत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता	नई जलविद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी में बाधा व संभावित उत्पादन हानि
4. उच्च एटी एंड सी (ए.टी.एंड.सी.) हानियां एवं पुरानी वितरण व्यवस्था	वितरण अवसंरचना के उन्नयन, स्मार्ट मीटरिंग एवं हानि न्यूनीकरण में निवेश की आवश्यकता	डिस्कॉम पर वित्तीय दबाव, राजस्व प्राप्ति में कमी एवं आपूर्ति गुणवत्ता में अक्षमता
5. जलविद्युत पर अत्यधिक निर्भरता	नदी के बहाव में मौसमी बदलाव से जेनरेशन लेवल पर काफी असर पड़ता है।	शुष्क मौसम में संवेदनशीलता, सौर, पवन, हाइड्रोजन एवं भंडारण विविधीकरण की आवश्यकता
6. दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण की चुनौतियाँ	सीमावर्ती एवं विरल आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च लागत अवसंरचना एवं बार–बार रखरखाव की आवश्यकता	घरेलू विद्युतीकरण की धीमी प्रगति, अधिक वित्तीय बोझ एवं सेवा वितरण में अंतराल
7. वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ	राजस्व का मुख्य आधार रॉयल्टी विद्युतय ट्रांसमिशन एवं नवीकरणीय क्षेत्र में उच्च पूंजीगत व्यय	राजकोषीय दबाव में वृद्धि, बेहतर टैरिफ संरचना, अनुकूलित विद्युत व्यापार एवं कुशल परियोजना क्रियान्वयन की आवश्यकता

ख) जिला–विशिष्ट समस्याएँ एवं चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	विवरण
1. जलवायु जनित क्षति से जलविद्युत परिसंपत्तियों पर प्रभाव	किन्नौर, लाहौल–स्पीति	बार–बार बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़, सिल्ट जमाव एवं दुर्गम भू–भाग के कारण जलविद्युत संचालन बाधित होता है तथा अवसंरचना को क्षति पहुँचती है।
2. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से जलविद्युत निर्माण में विलंब	चंबा, किन्नौर, मंडी	दूरस्थ स्थान, न्यायिक विवाद, वन स्वीकृतियाँ एवं चुनौतीपूर्ण भूगोल के कारण प्रमुख परियोजनाओं में देरी तथा समयबद्ध पूर्णता में बाधा।
3. ट्रांसमिशन निकासी	चंबा, कुल्लू,	लंबी एवं कठिन ट्रांसमिशन लाइनों के

संबंधी बाधाएँ	किन्नौर	कारण नई जलविद्युत क्षमता की निकासी सीमितय विद्युत प्रवाह हेतु ई.एच.वी. नेटवर्क के निरंतर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता।
4. दूरस्थ एवं सीमावर्ती गाँवों में उच्च लागत विद्युतीकरण	लाहौल–स्पीति, किन्नौर	बिखरी आबादी वाले जनजातीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु उच्च लागत अवसंरचना एवं बार–बार रखरखाव की आवश्यकता (जैसे वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम)
5. बढ़ती मांग से वितरण नेटवर्क पर दबाव	कांगड़ा, शिमला, सोलन	बढ़ते शहरी एवं औद्योगिक भार के कारण एच.टी./एल.टी. लाइनों का विस्तार, नए उपकेंद्रों की स्थापना, स्मार्ट मीटरिंग तथा लाइन हानि न्यूनीकरण कार्यों की आवश्यकता।

10.8 भावी दिशा

हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन को बढ़ाने के लिए पनबिजली के अनुकूलन को सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और पंप स्टोरेज में त्वरित विविधीकरण के साथ मिलाकर एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। एकल–खिड़की तंत्र के माध्यम से त्वरित मंजूरी, बेहतर परियोजना प्रबंधन पद्धतियां और सक्रिय विवाद समाधान से कार्यान्वयन में देरी कम होगी। परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए जलवायु–अनुकूल अवसंरचना, ढलान स्थिरीकरण और आपदा शमन उपायों को मजबूत करना आवश्यक है।

नुकसान को कम करने और मांग के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग का व्यापक कार्यान्वयन, फीडर पृथक्करण,एस.सी.ए.डी.ए. का विस्तार और जी.आई.एस. आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैटरी भंडारण और पंप भंडारण क्षमता का विकास नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और चरम भार प्रबंधन में सहायक होगा। गतिशील टैरिफ डिजाइन, बेहतर बिजली व्यापार रणनीतियों और एच.पी.ई.एम.सी.के माध्यम से रॉयल्टी और इक्विटी बिजली बिक्री के अनुकूलन द्वारा वित्तीय स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। अंत में, समावेशी विकास और भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं की सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय क्षेत्र विकास और कौशल निर्माण पहलों को जारी रखना आवश्यक है, जिससे हिमाचल प्रदेश एक आदर्श हरित ऊर्जा राज्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

*****

अध्याय
11

श्रम और रोजगार

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**श्रम और रोजगार अवलोकन**	यह अध्याय भारत और हिमाचल प्रदेश के श्रम परिदृश्य को प्रस्तुत करता है, जिसमें पूर्णकालिक श्रम दर (एल.एफ.पी.आर.), महिला श्रम दर (डब्ल्यू.पी.आर.) बेरोजगारी के रुझान, सुधार, कौशल विकास और क्षेत्रीय बदलावों को शामिल किया गया है।
2	**एल.एफ.पी.आर. ग्रामीण–शहरी रुझान (2025)**	अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान ग्रामीण एल.एफ.पी.आर. शहरी एल.एफ.पी.आर. से अधिक रहा, हालांकि वर्ष के अंत तक समग्र एल.एफ.पी.आर. में धीरे–धीरे वृद्धि हुई।
3	**महिला श्रम दर में लैंगिक अंतर**	पुरुष महिला श्रम दर (डब्ल्यू.पी.आर.) महिला महिला श्रम दर (डब्ल्यू.पी.आर.) से काफी अधिक रहीय हालांकि, बाद के महीनों में महिला महिला श्रम दर (डब्ल्यू.पी.आर.) में सुधार हुआ। हिमाचल प्रदेश की महिला एल.एफ.पी.आर. (46.8 प्रतिशत) भारत की औसत एल.एफ.पी.आर. (26.8 प्रतिशत) से कहीं अधिक थी।
4	**औद्योगिक रोजगार में उतार–चढ़ाव**	औद्योगिक रोजगार में 2020–21 में भारी गिरावट (–8 से –9 प्रतिशत) आई और 2021–22 में इसमें जोरदार उछाल आया कारखाने की वृद्धि 2023–24 तक 2.7 प्रतिशत तक पहुंच गई।
5	**श्रम संहिता का कार्यान्वयन**	चार समेकित श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 को लागू की गईं, जिससे सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित हुई, अनुपालन सरल हुआ और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ।
6	**रोजगार पर ए.आई. का प्रभाव**	ए.आई. नियमित कार्यों को स्वचालित कर रहा है, साथ ही मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स में रोजगार सृजित कर रहा है सुधार उभरती श्रम मांगों को पूरा करने के लिए कौशल विकास पर जोर देते हैं।
7	**हिमाचल प्रदेश की रोजगार स्थिति**	हिमाचल प्रदेश में उच्चतर महिला रोजगार प्रतिशत (सी.डब्ल्यू.एस, एल.एफ.पी.आर.) दर्ज किया गया पुरुषों का 62.5 प्रतिशत और महिलाओं का 46.8 प्रतिशत, जो भारत के क्रमशः 57.8 प्रतिशत और 26.8 प्रतिशत से अधिक है। हिमाचल प्रदेश का महिला रोजगार प्रतिशत (डब्ल्यू.पी.आर.) (50.4 प्रतिशत) भी पड़ोसी राज्यों से अधिक है।

8	**राज्य सरकार की पहल**	रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 65,132 पंजीकरण और 4,559 निजी नियुक्तियां, बेरोजगारी भत्ता के अन्तर्गत 3,717 युवाओं को ₹56.92 लाख वितरित किए गए, कौशल विकास भत्ता के अन्तर्गत 2,764 लाभार्थियों को ₹33.07 लाख वितरित किए गए।
9	**कौशल विकास एवं एच.पी.के.वी. एन. की उपलब्धियां**	आई.टी.आई. के माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को प्रमाणन प्राप्त हुआ 7,600 युवाओं को उद्योग 4.0 कौशल में प्रशिक्षित किया गया स्नातक स्तरीय अतिरिक्त पाठयक्रमों के अन्तर्गत 1,629 छात्रों को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
10	**कारखाना विंग सुधार**	2025–26 में प्रमुख सुधार लागू किए गए, जिनमें महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम करने की अनुमति, निरंतर कार्य समय को 6 घंटे तक बढ़ाना और कारखाना पंजीकरण दस्तावेजों की संख्या 10 से घटाकर 4 करना शामिल है।

11.1 परिचय

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में श्रम एवं रोजगार की स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसमें श्रम बल भागीदारी, रोजगार के पैटर्न तथा बेरोजगारी की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। अध्याय में लिंग आधारित तथा ग्रामीण एवं शहरी असमानताओं, रोजगार के क्षेत्रीय बदलावों तथा औद्योगिक श्रम बाजारों में महामारी के बाद हुए पुनरुद्धार का अध्ययन वर्तमान मे हुए सर्वेक्षण साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। यह अध्याय प्रमुख नीतिगत सुधारों को भी रेखांकित करता है, जिनमें नए श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, रोजगार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव, तथा हिमाचल प्रदेश में रोजगार योग्यता, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी कार्यबल विकास को सुदृढ़ करने हेतु राज्य–विशिष्ट पहलें शामिल हैं।

सारणी 11.1

योजनाएँ और हस्तक्षेप

योजना / पहल	उद्देश्य	आँकड़े (2024–25)
रोजगार विनिमय (ई.ई.एम.आई.एस.)	पंजीकरण एवं नियुक्ति	65,132 पंजीकरण 4,559 निजी क्षेत्र में नियुक्तियाँ
कौशल विकास भत्ता	प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्तीय सहायता	₹33.07 लाख व 2,764 लाभार्थी
बेरोजगारी भत्ता	आय सहायता	₹56.92 लाख व 3,717 युवा
औद्योगिक कौशल विकास भत्ता	कार्यस्थल पर कौशल उन्नयन	₹4.08 लाख व 94 लाभार्थी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना	हरित स्वरोजगार को प्रोत्साहन	₹3.95 करोड़ अनुदान व 56 ई–टैक्सियाँ
एच.पी.के.वी.एन. (एच.पी. एस.डी.पी. – ए.डी.बी.)	कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना	10,000+आई.टी.आई. प्रमाणित व 7,600 इंडस्ट्री 4.0
पी.एम.के.वी.वाई.(राज्य घटक)	अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण	3,828 नामांकित व 2,100 प्रमाणित
संकल्प	संस्थागत सुदृढ़ीकरण	₹2.20 करोड़ बजट
आर.ए.एम.पी.	महिला एम.एस.एम.ई. प्रशिक्षण	700 ग्रामीण महिलाएं व ₹1.80 करोड़ की सहायता
बी.ओ.सी.डब्ल्यू.कल्याण बोर्ड	निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	₹26.24 करोड़ वितरित (वित्त वर्ष 2025–26)
मुख्यमंत्री महिला आवास योजना	पंजीकृत महिला श्रमिकों हेतु आवास	प्रति पात्र लाभार्थी ₹3 लाख

11.2 श्रम बाजार में उभरते रुझान

i. भारत में ग्रामीण, शहरी एवं कुल व्यक्तियों के लिए मासिक श्रम बल भागीदारी दर (अप्रैल से दिसंबर 2025)

चित्र 11.1 अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान भारत में श्रम बल भागीदारी में स्पष्ट ग्रामीण–शहरी अंतर को दर्शाता है। पूरे समय में ग्रामीण एल.एफ.पी.आर. शहरी एल.एफ.पी.आर. की तुलना में लगातार अधिक बना रहता है, जो आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आबादी की अधिक भागीदारी को प्रतिबिंबित करता है, जिसका प्रमुख कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार है। शहरी एल.एफ.पी.आर. तुलनात्मक रूप से कम है और इसमें सीमित उतार–चढ़ाव दिखाई देता है, जो शहरी श्रम बाजारों में अपेक्षाकृत स्थिर लेकिन नियंत्रित भागीदारी का संकेत देता है। समग्र एल.एफ.पी.आर. ग्रामीण प्रवृत्ति के काफी अनुरूप है, जिससे स्पष्ट होता है कि कुल श्रम बल की गतिशीलता पर ग्रामीण भागीदारी का प्रभाव प्रमुख है। अवधि के अंतिम महीनों की ओर एल.एफ.पी.आर. में क्रमिक सुधार देश भर में श्रम बाजार से जुड़ाव के सुदृढ़ होने का संकेत देता है, जो संभवतः मौसमी तथा आर्थिक कारकों से समर्थित है।

चित्र 11.1

अप्रैल से दिसंबर, 2025 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सी. डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत)।

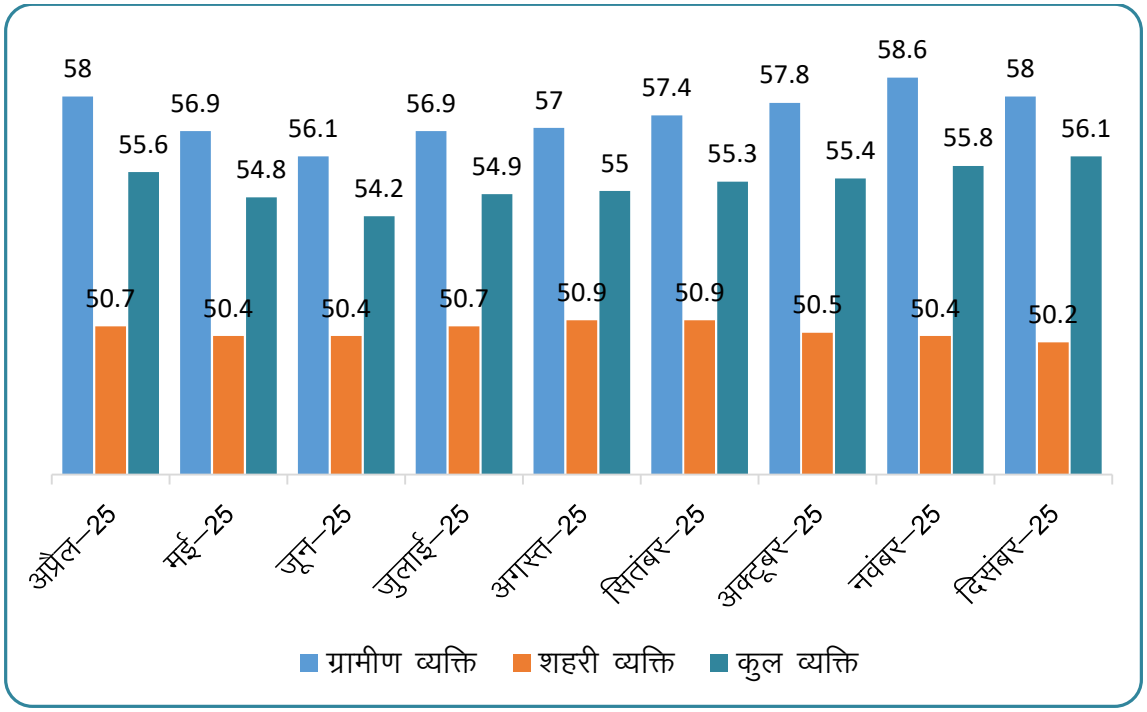

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.)।

ii. भारत में लिंग के अनुसार मासिक श्रमिक जनसंख्या अनुपात (अप्रैल–दिसंबर 2025)

चित्र 11.2 अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि में श्रमिक व जनसंख्या अनुपात के लिंग–आधारित पैटर्न को दर्शाता है, जो कार्यबल में भागीदारी की लगातार बनी हुई असमानताओं को उजागर करता है। पुरुषों के लिए डब्ल्यू.पी.आर. पूरे समय में लगातार उच्च और स्थिर बना रहता है, जो रोजगार में उनकी निरंतर भागीदारी को दर्शाता है। इसके विपरीत, महिलाओं का डब्ल्यू.पी.आर. काफी कम है, हालांकि अंतिम महीनों में इसमें क्रमिक सुधार दिखाई देता है, जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में धीमी लेकिन सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है। समग्र डब्ल्यू.पी.आर. वर्ष के अंत की ओर हल्की बढ़त के साथ सामान्यतः स्थिर रहता है, जिसका मुख्य कारण महिलाओं के रोजगार में वृद्धि तथा पुरुषों की स्थिर भागीदारी है। ये रुझान रोजगार में लैंगिक अंतर की निरंतर चुनौती को रेखांकित करते हैं, साथ ही समावेशी श्रम बाजार परिणामों की दिशा में क्रमिक प्रगति की ओर भी संकेत करते हैं।

चित्र 11.2

अप्रैल से दिसंबर, 2025 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.) के अंतर्गत कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (प्रतिशत)।

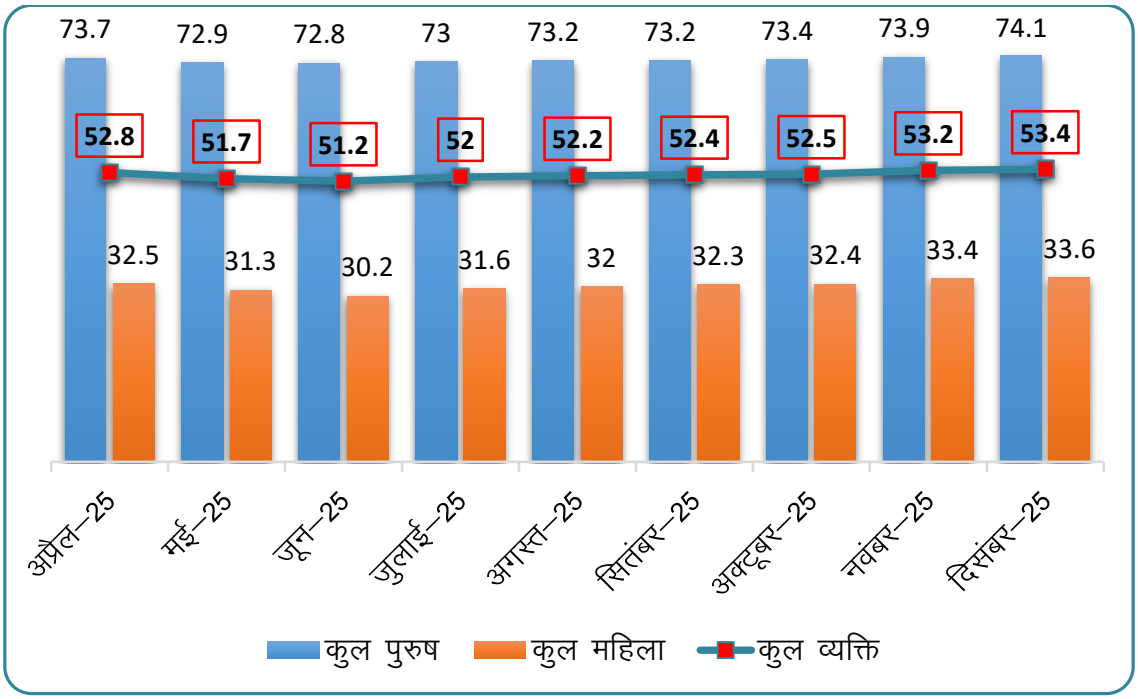

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.)।

iii. भारत में औद्योगिक रोजगार में संकुचन और पुनर्प्राप्ति

चित्र 11.3 2015–16 से 2023–24 के बीच भारत में औद्योगिक रोजगार और कारखानों की वृद्धि में वर्ष–दर–वर्ष महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव को दर्शाता है। महामारी–पूर्व अवधि

(2015–16 से 2018–19) के दौरान कार्यरत श्रमिकों तथा कुल नियोजित व्यक्तियों, दोनों में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मध्यम स्तर से बढ़कर 2018–19 में लगभग 2 प्रतिशत तक पहुंची, जो औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार अवशोषण को दर्शाती है। 2019–20 में वृद्धि घटकर लगभग 1.7 प्रतिशत रह गई, जो आर्थिक मंदी के प्रारंभिक संकेतों को प्रतिबिंबित करती है। 2020–21 में तीव्र गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जब कार्यरत श्रमिकों और कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या में लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक की कमी आई। यह औद्योगिक रोजगार पर कोविड–19 महामारी के गंभीर प्रभाव को रेखांकित करता है। इसके विपरीत, कारखानों की संख्या में अपेक्षाकृत कम अस्थिरता रही और 2020–21 में यह 1.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ बनी रही, जो औद्योगिक इकाइयों की संरचनात्मक मजबूती का संकेत देती है। इसके बाद 2021–22 में मजबूत सुधार देखने को मिला, जहां कार्यरत श्रमिकों और कुल नियोजित व्यक्तियों में दो अंकों की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कारखानों की वृद्धि मामूली रूप से नकारात्मक (–0.2 प्रतिशत) रही। इसके पश्चात 2022–23 और 2023–24 में रोजगार वृद्धि की गति कुछ धीमी पड़ी, लेकिन यह सकारात्मक बनी रही। वहीं, कारखानों की वृद्धि में लगातार सुधार हुआ और 2023–24 में यह बढ़कर 2.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह महामारी के बाद के चरण में औद्योगिक क्षमता और रोजगार परिस्थितियों के स्थिरीकरण तथा क्रमिक सुदृढ़ीकरण की ओर संकेत करता है।

चित्र 11.3

कार्यरत श्रमिकों, कुल नियोजित व्यक्तियों तथा कारखानों में वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन।

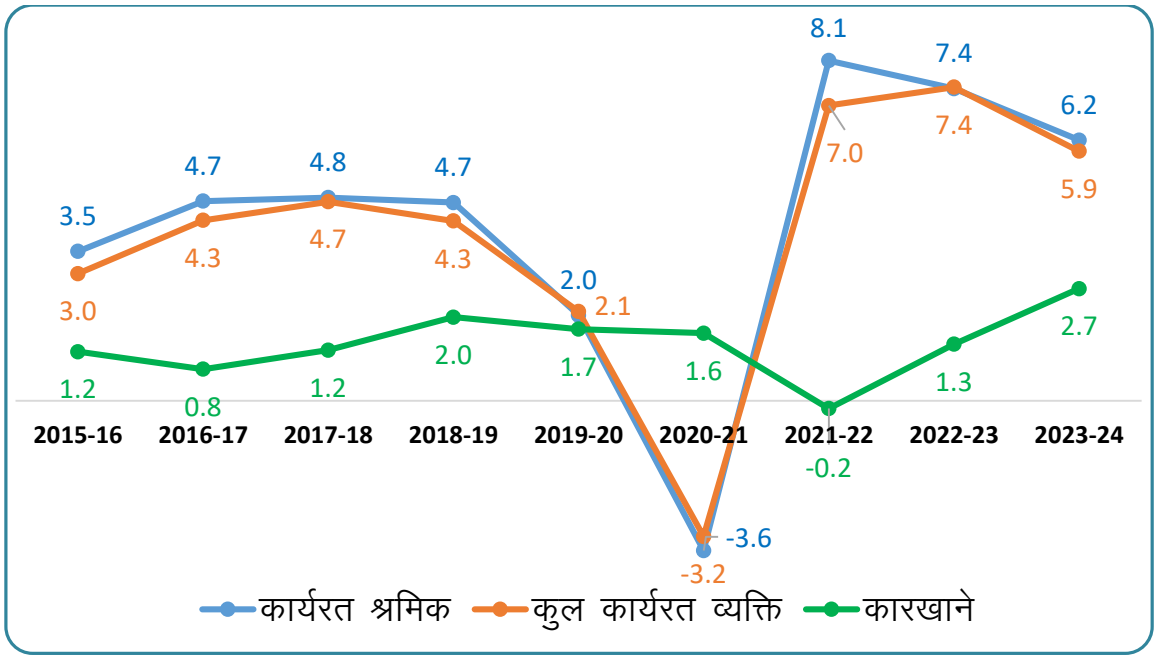

स्रोतः वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण रिर्पोट एम.ओ.एस.पी.

जिला–स्तरीय श्रम गतिशीलता

उच्च पंजीकरण वाले जिले

- कांगड़ाः 13,998 पंजीकरण, 1,090 निजी नियुक्तियाँ, लाइव रजिस्टर 1.12 लाख।
- मंडीः 13,318 पंजीकरण, लाइव रजिस्टर 1.07 लाख।
- शिमलाः निजी रिक्तियों की उच्च अधिसूचना (3,072)।

औद्योगिक क्लस्टर जिले

- सोलन : औषधि एवं विनिर्माण केंद्र, निजी क्षेत्र की रिक्तियों का सशक्त आधार।
- ऊना : औद्योगिक कॉरिडोर का प्रभाव।
- सिरमौर : उभरता औद्योगिक आधार (पांवटा साहिब क्षेत्र)।

पर्यटन एवं मौसमी रोजगार वाले जिले कुल्लू, किन्नौर, लाहौल–स्पीति, चंबाः

- मौसमी रोजगार पर निर्भरता।
- स्वरोजगार का उच्च अनुपात।

दूरस्थ एवं निम्न अवशोषण वाले जिले

- लाहौल–स्पीतिः अत्यंत कम नियुक्तियाँ (21)

11.3. श्रम प्रशासन में सुधारः नए श्रम संहिताओं की शुरुआत

भारत में चार समेकित श्रम संहिताओं को भारत सरकार द्वारा 21 नवम्बर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया, जो देश के श्रम सुधार एजेंडा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। इन सुधारों का उद्देश्य नियामक ढांचे को सरल बनाते हुए श्रमिक कल्याण को सुदृढ़ करना तथा सतत आर्थिक विकास को समर्थन देना है। लचीलापन, पारदर्शिता और औपचारिककरण को बढ़ावा देकर ये श्रम संहिताएं श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों में संतुलन स्थापित करती हैं और सामूहिक रूप से भारत में एक न्यायसंगत, समावेशी तथा भविष्य के लिए तैयार श्रम पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला रखती हैं। पहले 29 अलग–अलग श्रम कानून लागू थे, अब उन्हें समेकित कर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में परिवर्तित कर दिया गया है।

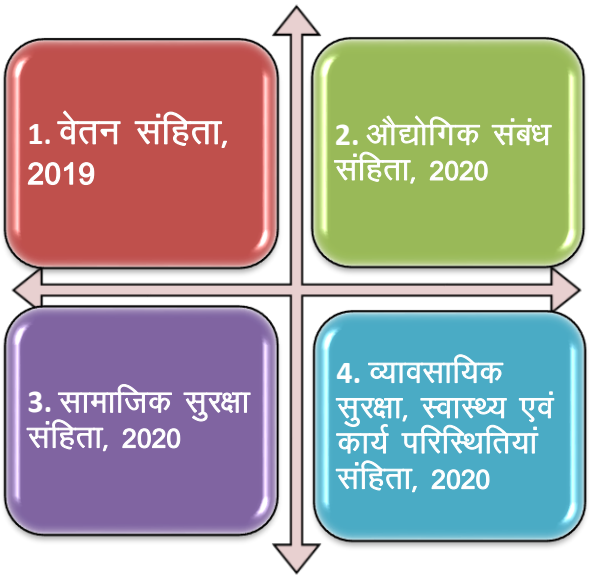

ये संहिताएँ सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और लैंगिक समानता सुनिश्चित करती हैं, साथ ही असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करती हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाती हैं। प्रमुख विशेषताओं में एकल पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग, डिजिटल अनुपालन प्रणाली, निरीक्षक–सह–सुविधादाता तंत्र तथा कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण शामिल है। समग्र रूप से ये सुधार श्रमिक कल्याण और आर्थिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, रोजगार के औपचारिककरण को प्रोत्साहित करते हैं तथा समावेशी और सतत विकास का समर्थन करते हैं।

11.4 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) और रोजगार पर इसका प्रभावः भारत का सुधारोन्मुख दृष्टिकोण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) नियमित और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करके, उत्पादकता बढ़ाकर तथा उन्नत डिजिटल और विश्लेषणात्मक कौशल की मांग वाले नए रोजगार सृजित करके काम की प्रकृति को तेजी से बदल रही है। यद्यपि ए.आई. के कारण कुछ निम्न एवं मध्यम कौशल वाली नौकरियों का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन यह डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और ए.आई. प्रणाली प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर भी पैदा कर रही है। इस प्रकार, रोजगार की मांग धीरे–धीरे कौशल–प्रधान और ज्ञान–आधारित कार्यों की ओर स्थानांतरित हो रही है।

इन परिवर्तनों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई सुधारों और पहलों को आगे बढ़ाया है, जो पुनः–कौशल विकास, कौशल उन्नयन और ए.आई. के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं।

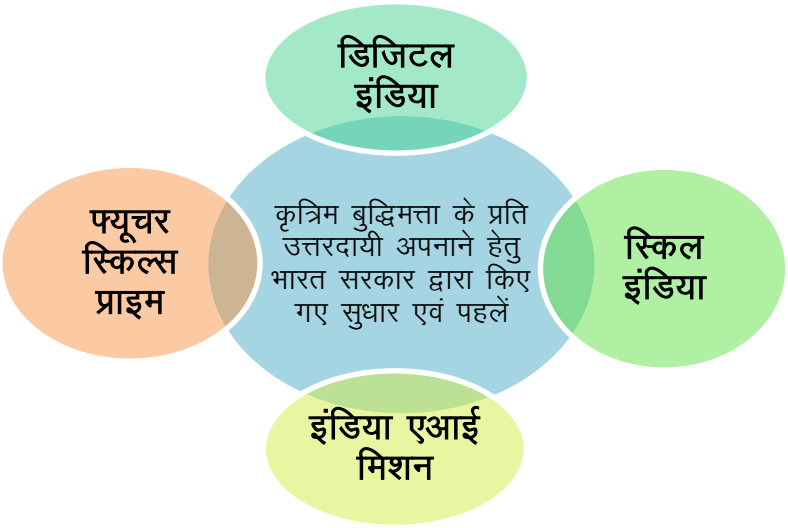

इसके अतिरिक्त, श्रम सुधार, आई.टी.आई. तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिटल कौशल विकास, और उभरती प्रौद्योगिकियों पर दिया गया जोर कार्यबल को ए.आई. –प्रेरित बदलावों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। समग्र रूप से, ए.आई. रोजगार के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है और समावेशी तथा सतत कार्यबल रूपांतरण सुनिश्चित करने में प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

11.5 रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत

हिमाचल प्रदेश में रोजगार की स्थिति, विशिष्ट पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय संरचना और जनसांख्यिकीय स्वरूप से प्रभावित होती है, इसलिए इसे पड़ोसी राज्यों तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास के क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी रोजगार के अवसर मुख्यतः कृषि, संबद्ध गतिविधियों, पर्यटन, निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं में केंद्रित हैं, जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में रोजगार अवशोषण सीमित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना करने पर श्रम बल भागीदारी, क्षेत्रीय विविधीकरण और शहरी रोजगार में भिन्नताएँ सामने आती हैं, जो औद्योगिक आधार और आर्थिक संरचना के अंतर को दर्शाती हैं। संपूर्ण भारत के स्तर पर सेवाओं तथा गैर–कृषि रोजगार की ओर हो रहे संरचनात्मक बदलाव, समावेशी और सतत विकास के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के रोजगार परिणामों, चुनौतियों और उभरते अवसरों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।

11.6 श्रम बल भागीदारी दर

रोजगार की स्थिति को समझने के लिए आम तौर पर दो तरीके अपनाए जाते हैं–सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। सामान्य स्थिति से पता चलता है कि व्यक्ति साल के ज्यादातर समय क्या काम करता है, जबकि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बताती

है कि वह पिछले एक सप्ताह में काम कर रहा था या काम की तलाश में था। हिमाचल प्रदेश में श्रम बाजार को समझने के लिए दो मुख्य मापदंड देखे जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में श्रम बल की स्थिति का मूल्यांकन श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) जैसे प्रमुख संकेतकों के माध्यम से किया जा सकता है, जो कार्य–योग्य आयु की आबादी में उन लोगों का अनुपात बताती है जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) उस हिस्से को दर्शाता है जो वास्तव में नियोजित है। जहाँ एल.एफ.पी.आर. और डब्ल्यू.पी.आर. सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के आधार पर दीर्घकालिक रोजगार की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, वहीं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति अल्पकालिक रोजगार गतिशीलता को दर्शाता है और उन लोगों के बीच अंतर स्पष्ट करने में मदद करता है जो वर्ष के अधिकांश समय कार्यरत रहते हैं और जो वर्तमान में सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, मजदूरी दरों के रुझान और औद्योगिक संबंध रोजगार की गुणवत्ता और स्थिरता को समझने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। ये सभी संकेतक मिलकर राज्य के रोजगार परिदृश्य की व्यापक समझ प्रदान करते हैं तथा उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जहाँ नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अक्टूबर–दिसंबर 2025 के वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुषों (62.5 प्रतिशत) और महिलाओं (46.8 प्रतिशत) की भागीदारी भारत के औसत (पुरुष 57.8 प्रतिशत, महिलाएं 26.8 प्रतिशत) से ज्यादा है। महिलाओं की भागीदारी हरियाणा (17.5 प्रतिशत) और पंजाब (19.8 प्रतिशत) में काफी कम है, जबकि उत्तराखंड में यह 26.8 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक संख्या में काम से जुड़ी हुई हैं, जो राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

चित्र 11.4

2025–26 में सभी उम्र के लोगों के लिए मौजूदा साप्ताहिक स्थिति के अनुसार एल.एफ.पी.आर. (प्रतिशत में) (अक्टूबर–दिसंबर, 2025)

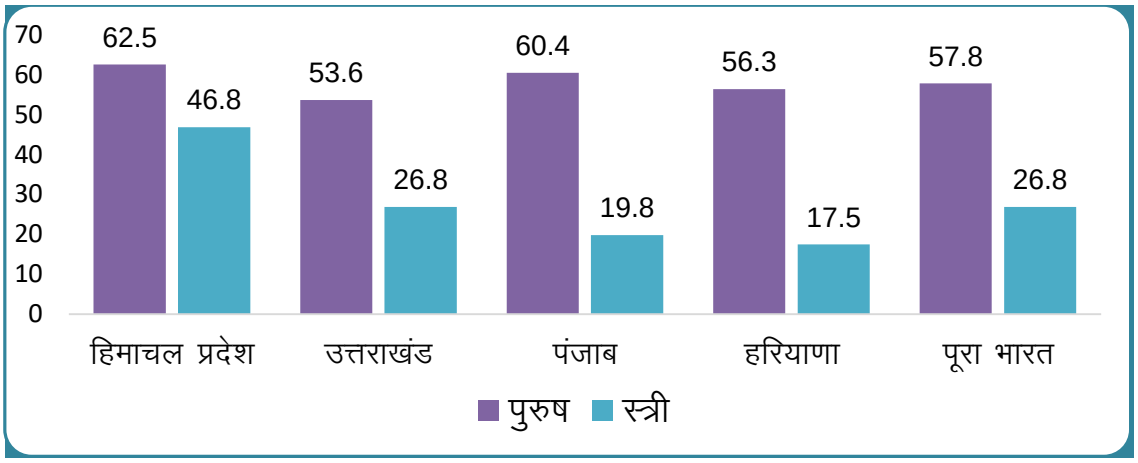

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) रिपोर्ट तिमाही अक्टूबर–दिसंबर, 2025

11.7 सवेतन, अवैतनिक और अन्य गतिविधियों में औसत दैनिक समय उपयोग का लिंग–वार वितरण

चित्र 11.5 दैनिक समय उपयोग के पैटर्न में स्पष्ट लैंगिक अंतर को दर्शाता है। पुरुष अपने समय का अधिक हिस्सा भुगतान वाली गतिविधियों में लगाते हैं, जबकि महिलाएँ बिना भुगतान वाली गतिविधियों में कहीं अधिक समय देती हैं, जो घरेलू और देखभाल कार्यों के असमान्य बोझ को दर्शाता है। जब भुगतान और बिना भुगतान दोनों प्रकार के कार्यों को जोड़ा जाता है, तो महिलाओं का कुल कार्यभार पुरुषों के बराबर या उनसे थोड़ा अधिक दिखाई देता है, जो महिलाओं पर पड़ने वाले "दोहरे बोझ" को इंगित करता है। दोनों लिंगों के समय का एक बड़ा हिस्सा अन्य अवशिष्ट गतिविधियों (जैसे व्यक्तिगत देखभाल, आराम और अवकाश) में भी जाता है, हालांकि पुरुष यहाँ भी लगातार अधिक समय व्यतीत करते हैं। समग्र रूप से यह पैटर्न श्रम विभाजन में बने हुए लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है, जहाँ कुल समय प्रतिबद्धता समान होने के बावजूद महिलाएँ अनुपातहीन रूप से बिना भुगतान वाले कार्यों में अधिक संलग्न रहती हैं।

चित्र 11.5

समय उपयोग सांख्यिकी सर्वेक्षण

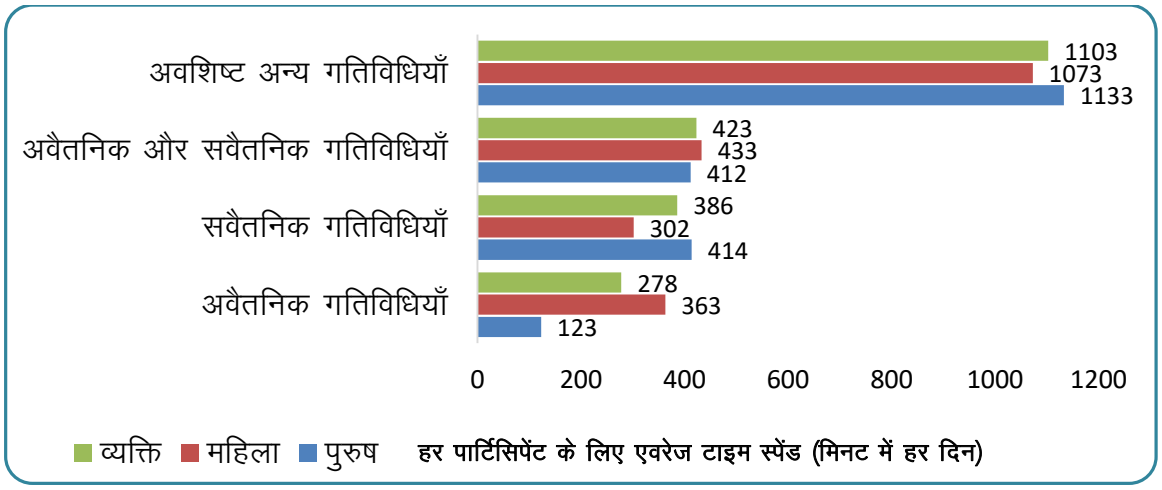

स्रोतः टाइम यूज सांख्यिकी सर्वेक्षण 2024, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

11.8 श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.)

डब्ल्यू.पी.आर. रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने तथा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देने वाली जनसंख्या के अनुपात को जानने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है। "डब्ल्यू.पी.आर. को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।" सभी आयु वर्गों में यह स्पष्ट है, कि वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही) में हिमाचल प्रदेश का डब्ल्यू.पी.आर. (50.4) उत्तराखंड (36.8), पंजाब, (37.8), हरियाणा (36.1) तथा भारत (40.

2) की तुलना में बेहतर है। सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में अधिक महिलाएँ (41.3 प्रतिशत) आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, जो अखिल भारतीय स्तर तथा पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है।

चित्र 11.6

वर्ष 2025–26 (अक्टूबर–दिसंबर, 2025) के दौरान सभी आयु वर्गों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (ग्रामीण एवं शहरी)

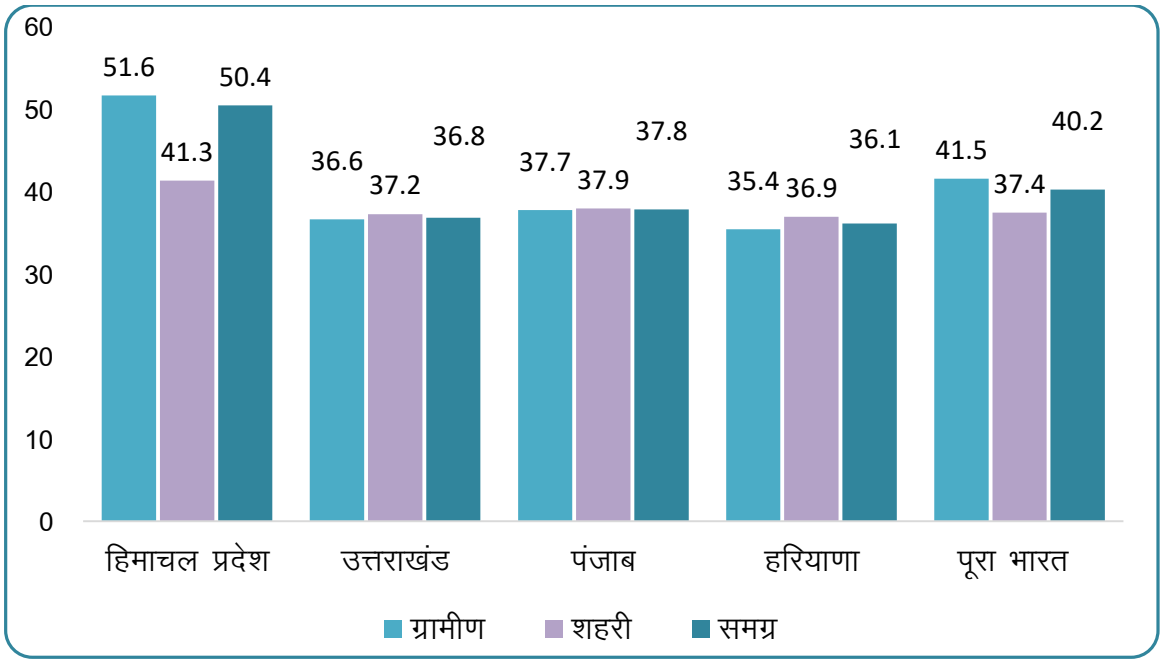

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) रिपोर्ट तिमाही अक्टूबर–दिसंबर, 2025

11.9 बेरोजगारी की दर

"बेरोजगारी दर (यू.आर.) को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।" चित्र 11.7 अवधि के दौरान भारत में बेरोजगारी की स्थिति में समग्र सुधार को दर्शाता है, जहाँ उतार–चढ़ाव के चरण से निकलकर अपेक्षाकृत स्थिरता की ओर बढ़त दिखाई देती है। शुरुआती वर्षों में स्पष्ट अस्थिरता नजर आती है, जो अर्थव्यवस्था पर दबाव और श्रम बाजार में समायोजन को इंगित करती है। इसके बाद गिरावट की एक साफ प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो आर्थिक गतिविधियों के मजबूत होने के साथ कार्यबल के बेहतर अवशोषण और सुधार का संकेत देती है। बाद के वर्षों में बेरोजगारी दर स्थिर होती दिखती है, जो अधिक संतुलित श्रम बाजार की ओर इंगित करती है। हालांकि, यह स्थिरता यह भी दर्शाती है कि आगे और कमी लाने के लिए निरंतर आर्थिक विकास, रोजगार–प्रधान क्षेत्रों का विस्तार तथा श्रम बाजार में जारी संरचनात्मक सुधार आवश्यक होंगे।

चित्र 11.7

भारत की बेरोजगारी दर

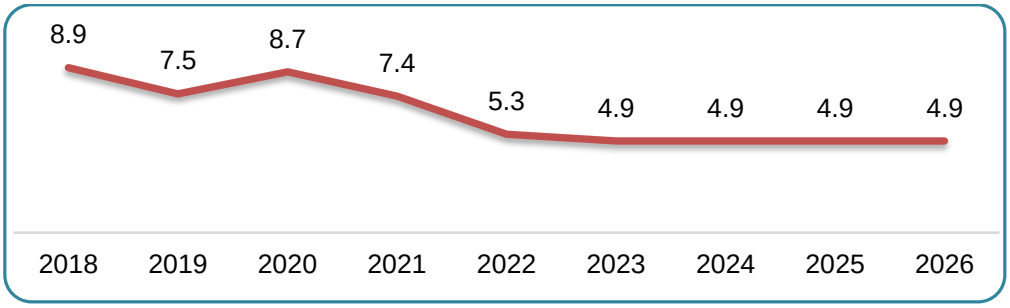

स्रोतः आई.एम.एफ. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस

11.9.1 अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान भारत में ग्रामीण, शहरी तथा कुल व्यक्तियों की मासिक बेरोजगारी दर के रुझान

चित्र 11.8 अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेरोजगारी दर में स्पष्ट और लगातार अंतर को दर्शाता है। पूरे समय में शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी से लगातार अधिक बनी रहती है, जो शहरी केंद्रों में रोजगार बाजार पर अधिक दबाव को इंगित करती है। इसके पीछे श्रम आपूर्ति का अधिक होना तथा संरचनात्मक असंगतियाँ संभावित कारण हो सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी अपेक्षाकृत कम स्तर पर दिखाई देती है और वर्ष के अंत की ओर इसमें धीरे–धीरे कमी आती है, जो श्रम के आंशिक मौसमी अवशोषण का संकेत देती है। कुल बेरोजगारी दर का रुझान शहरी प्रवृत्ति के काफी करीब रहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समग्र परिणामों पर शहरी श्रम बाजार की गतिशीलता का प्रभाव अधिक है। अंतिम महीनों में सभी श्रेणियों में बेरोजगारी में दिखाई देने वाली नरमी वर्ष 2025 के अंत तक रोजगार स्थितियों में सुधार की ओर इशारा करती है।

चित्र 11.8

भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की गतिशीलता

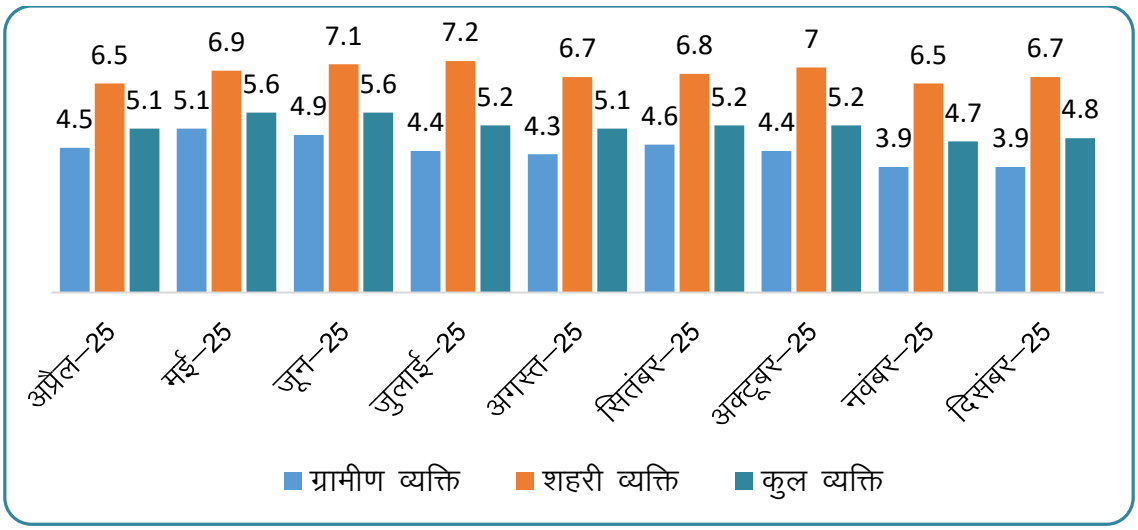

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

11.9.2 हिमाचल प्रदेश में महिला श्रमिकों की रोजगार संरचना (2023–24)

चित्र 11.9 वर्ष 2023–24 के दौरान हिमाचल प्रदेश में महिला श्रमिकों के वितरण को दर्शाता है, जिसमें स्व–रोजगार का स्पष्ट प्रभुत्व दिखाई देता है। लगभग 85 प्रतिशत महिलाएँ स्व–रोजगार में संलग्न हैं, जो कृषि, संबद्ध गतिविधियों तथा घरेलू आधारित उद्यमों पर भारी निर्भरता को इंगित करता है। नियमित वेतन/वेतन भोगी रोजगार लगभग 12 प्रतिशत है, जो राज्य में महिलाओं की स्थिर और औपचारिक नौकरियों तक सीमित पहुँच को दर्शाता है। आकस्मिक श्रम का हिस्सा लगभग 3 प्रतिशत है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अल्पकालिक या दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

चित्र 11.9

हिमाचल प्रदेश में रोजगार में सामान्य स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों का बंटवारा (2023–24)

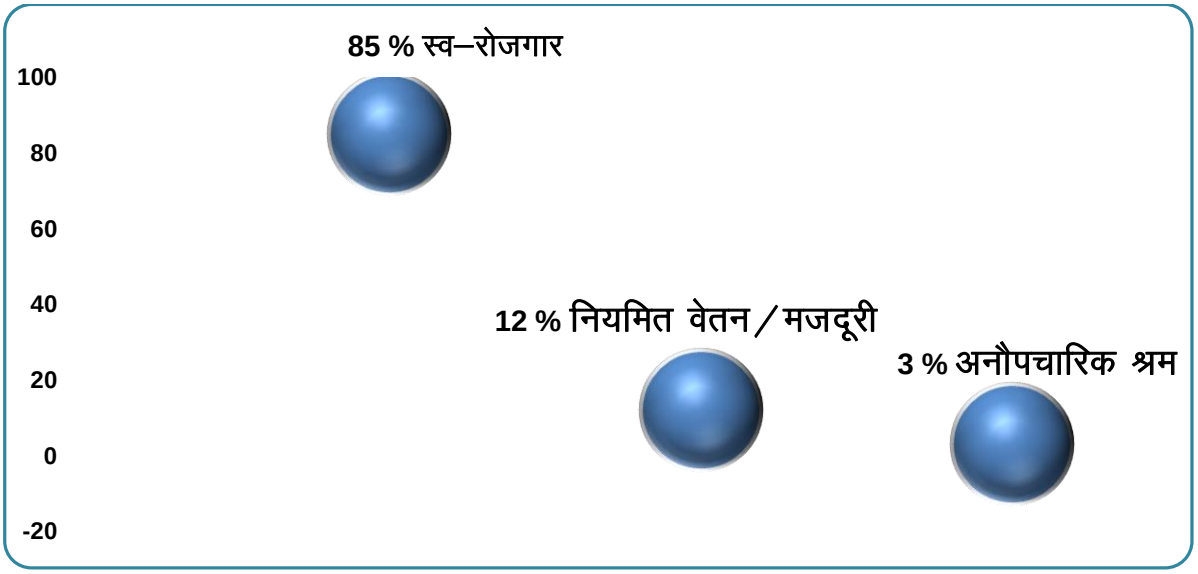

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) रिपोट 2023–24

समग्र रूप से यह पैटर्न महिलाओं में अनौपचारिक और स्व–प्रेरित रोजगार की प्रधानता को उजागर करता है, जो इस बात की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि हिमाचल प्रदेश में महिला श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में विविधीकरण, औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों का विस्तार तथा आय सुरक्षा में सुधार हेतु नीतियाँ अपनाई जाएँ।

सारणी 11.2

हिमाचल, पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति द्वारा सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

राज्य	स्व–नियोजित						नियमित वेतन/वेतनभोगी		आकस्मिक श्रमिक	
	स्वय लेखा कर्मी और नियोक्ता		घरेलु उद्यमों में अवैतनिक सहायक		सभी स्व–रोजगार					
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
2022-23										
हिमाचल प्रदेश	44.3	46.4	14.6	40.1	58.9	86.5	27.1	11.9	14.0	1.7
उत्तराखंड	47.4	27.6	10.0	55.5	57.4	83.1	28.7	14.6	13.9	2.3
पंजाब	37.3	36.6	7.5	9.4	44.8	46.1	32.5	36.0	22.7	18.0
हरियाणा	37.9	31.5	6.0	18.8	43.9	50.3	39.2	30.0	16.9	19.7
भारत	44.3	27.8	9.3	37.5	53.6	65.3	23.2	15.9	23.2	18.8
2023-24										
हिमाचल प्रदेश	37.8	47.6	13.0	36.9	50.8	84.6	30.9	12.6	18.2	2.8
उत्तराखंड	43.4	32.7	8.4	44.3	51.8	77.0	32.0	17.2	16.2	5.8
पंजाब	36.9	40.4	7.8	11.2	44.7	51.6	33.6	36.1	21.7	12.3
हरियाणा	37.3	34.1	6.2	22.2	43.6	56.4	41.4	31.4	15.0	12.2
भारत	43.5	30.7	10.1	36.7	53.6	67.4	24.9	15.9	21.5	16.7

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2022–23 और 2023.24

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **न्यूनतम वेतन में वृद्धि**
   - अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ₹400 से बढ़ाकर ₹425 प्रतिदिन अथवा ₹12,000 से बढ़ाकर ₹12,750 प्रतिमाह किया गया, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।
2. **रोजगार मेलों एवं कैंपस ड्राइव के माध्यम से उल्लेखनीय नियुक्तियाँ**
   - केंद्रीय रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित रोजगार मेलों एवं कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से 4,547 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई।
3. **बेरोजगार युवाओं को सामाजिक सुरक्षा सहायता**
   - बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 3,717 युवाओं को ₹56.92 लाख की राशि वितरित की गई।
4. **कौशल विकास को प्रोत्साहन**
   - कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत ₹33.07 लाख की राशि 2,764 युवाओं को वितरित की गई। एच.पी.के.वी.एन. की पहलों के अंतर्गत 7,600 युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 कौशल में प्रमाणित किया गया।
5. **हरित उद्यमिता को बढ़ावा व ई–टैक्सी अनुदान**
   - राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 56 लाभार्थियों को विद्युत टैक्सी क्रय हेतु ₹3.95 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की गई।
6. **श्रम नीतियों में लैंगिक सुधार**
   - संशोधित श्रम विनियमों के अंतर्गत महिलाओं को सभी कारखानों में रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
7. **औद्योगिक लचीलेपन हेतु श्रम सुधार**
   - उद्योगों को अधिक लचीला एवं दक्ष बनाने के उद्देश्य से कार्यावधि, विश्राम अंतराल तथा कुल कार्य–समय (स्प्रेड–ओवर) की सीमाओं में संशोधन किया गया।
8. **कौशल अवसंरचना का विस्तार**
   - ए.डी.बी. द्वारा वित्तपोषित एच.पी. कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत 19 कौशल केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
9. **दिव्यांगजनों के लिए समावेशन प्रयास**
   - वर्ष 2025–26 में विशेष रोजगार कार्यालय के माध्यम से 600 दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया तथा 15 को रोजगार प्रदान किया गया।

11.10 हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल

11.10.1 रोजगार सहायता और सूचना सेवाएँ

बारह जिला रोजगार कार्यालय, 65 उप–कार्यालय रोजगार कार्यालय, दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय तथा केंद्रीय रोजगार प्रकोष्ठ, रोजगार चाहने वालों को सहायता एवं सूचना सेवाएँ प्रदान करते हैं। सभी 77 रोजगार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है और युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार परामर्श तथा रोजगार बाजार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यार्थी ई.ई.एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से बिना कार्यालय आए, कहीं से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

11.10.2 न्यूनतम वेतन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की दरों को निर्धारित एवं संशोधित करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने हेतु एक न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ₹400 से बढ़ाकर ₹425 प्रतिदिन अथवा ₹12,000 से ₹12,750 प्रतिमाह, 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया है। यह न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानो के अंतर्गत निर्धारित सभी 19 अनुसूचित रोजगारों पर लागू है। अन्य श्रेणियों की दरों में भी आनुपातिक वृद्धि की गई है।

11.10.3 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

जिला स्तर पर वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार से संबंधित आँकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 2025 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार 2,80,433 तथा निजी क्षेत्र में 2,42,597 था। सार्वजनिक क्षेत्र में 4,770 और निजी क्षेत्र में 2,600 प्रतिष्ठान कार्यरत थे।

11.10.4 व्यावसायिक मार्गदर्शन

श्रम एवं रोजगार विभाग युवाओं को व्यावसायिक/कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा स्कूलों, कॉलेजों, आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक सहित विभिन्न स्थानों पर मार्गदर्शन शिविर आयोजित करता है। विभाग द्वारा युवाओं को योजनाओं/कल्याण कार्यक्रमों, कौशल विकास, कैरियर विकल्पों, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों आदि की जानकारी भी दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में (31 दिसंबर 2025 तक) 18,678 युवाओं को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया गया।

11.10.5 केंद्रीय रोजगार प्रकोष्ठ

राज्य के औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को तकनीकी तथा उच्च कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार निदेशालय में स्थापित केंद्रीय

रोजगार प्रकोष्ठ वर्ष 2025–26 के दौरान सक्रिय रहा। इस योजना के अन्तर्गत नौकरी चाहने वालों को उनकी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार दिलाने में सहायता दी जाती है। निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर 2025 तक 5 रोजगार मेलों और 334 कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिनमें 4,547 अभ्यर्थियों का चयन हुआ।

11.10.6 दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

शारीरिक, दृष्टि, श्रवण एवं चलने–फिरने में अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह कार्यालय दिव्यांग अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025–26 में (दिसंबर 2025 तक) 600 दिव्यांग व्यक्तियों को लाइव रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 9,019 हो गई और 15 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

11.10.7 कौशल विकास भत्ता योजना

इस वित्त वर्ष में कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अंतर्गत ₹1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्नयन और रोजगार योग्यता बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक ₹1,000 प्रतिमाह तथा 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,500 प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। चालू वित्त वर्ष 2025–26 में (दिसंबर 2025 तक) 2,764 लाभार्थियों को ₹33.07 लाख वितरित किए गए।

विभाग औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018 भी लागू कर रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य के निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र युवाओं को ऑन–द–जॉब कौशल उन्नयन के लिए भत्ता दिया जाता है। इस मद में 94 लाभार्थियों को ₹4.08 लाख वितरित किए गए।

11.10.8 बेरोजगारी भत्ता योजना

वित्त वर्ष 2025–26 में इस योजना के लिए ₹1.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रतिमाह तथा 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता वाले युवाओं को ₹1,500 प्रतिमाह, अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक भत्ता दिया जाता है ताकि वे एक निश्चित समय तक अपनी आजीविका चला सकें। दिसंबर 2025 तक 3,717 युवाओं को इस योजना का लाभ मिला और ₹56.92 लाख की राशि वितरित की गई।

11.11 रोजगार के आधार पर आठ प्रमुख उद्योग समूह

चित्र विभिन्न उद्योगों में रोजगार के हिस्से को दर्शाता है। खाद्य उत्पाद 11 प्रतिशत के साथ सबसे आगे हैं, इसके बाद वस्त्र उद्योग (9 प्रतिशत), मूल धातु उद्योग (8 प्रतिशत), मोटर वाहन और परिधान उद्योग (प्रत्येक का 7 प्रतिशत) हैं। रसायन, मशीनरी और गैर–धात्विक खनिज उत्पाद उद्योगों, प्रत्येक का योगदान 6 प्रतिशत है। संक्षेप में, रोजगार विनिर्माण क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें खाद्य और वस्त्र उद्योग सबसे बड़े नियोक्ता हैं।

रोजगार में प्रतिशत भागीदारी:

<table>
<tr><td rowspan="2">खाद्य उत्पाद, 11%</td><td rowspan="2">वस्त्र (टेक्सटाइल) 9%</td><td>मूल धातुएँ, 8%</td><td>परिधान (रेडीमेड वस्त्र), 7%</td><td>रसायन और रासायनिक उत्पाद, 6%</td></tr>
<tr><td>मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध–ट्रेलर, 7%</td><td>मशीनरी और उपकरण (एन.ई.सी.), 6%</td><td>अन्य गैर–धात्विक खनिज उत्पाद, 6%</td></tr>
</table>

स्रोतः ए.एस.आई. रिपोर्ट 2023–24, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

11.12 रोजगार कार्यालय

वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान रोजगार विनिमय योजना के अंतर्गत 65,132 आवेदकों का पंजीकरण किया गया। इनमें से 545 अधिसूचित रिक्तियों के 375 (गैर–अधिसूचित रिक्तियों सहित) नियुक्तियाँ सरकारी क्षेत्र में की गईं तथा 11,546 अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध 4,559 नियुक्तियाँ निजी क्षेत्र में की गईं। दिसंबर, 2025 तक सभी रोजगार विनिमयों के जीवित पंजीका (लाइव रजिस्टर) पर कुल समेकित संख्या 5,18,807 है। अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान (विशेष रोजगार विनिमय सहित) रोजगार विनिमयों द्वारा किए गए जिला–वार पंजीकरण और नियुक्तियों का विवरण तालिका 11.3 में दिया गया है।

सारणी 11.3

रोजगार कार्यालय

जिला	पंजीकरण	रिक्तियां सूचित		नियोजन		सक्रीय पंजीकरण
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	
बिलासपुर	4,889	2	88	30	321	36,697
चंबा	5,201	2	2,033	25	451	40,754
हमीरपुर	5,441	0	2,096	90	603	39,670
कांगड़ा	13,998	2	0	77	1,090	1,12,820

किन्नौर	578	0	0	6	23	4,232
कुल्लू	4,153	2	0	4	94	25,230
लाहौल–स्पीति	428	0	100	0	21	2,443
मंडी	13,318	0	0	88	328	1,07,287
शिमला	4,563	13	3,072	19	844	45,531
सिरमौर	4,724	2	1,181	1	152	40,382
सोलन	3,791	14	1,308	13	219	27,581
ऊना	4,048	0	1,668	7	413	36,180
विशेष रोजगार कार्यालय दिव्यांगजन हेतु	600*	3	0	15	0	9019*
हि0 प्र0	**65,132**	**40**	**11,546**	**375**	**4,559**	**5,18,807**

स्रोतः श्रम और रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

विशेष रोजगार कार्यालय के समक्ष दिखाए गए आंकड़े जिलों में सम्मिलित है।

11.13 वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान फैक्ट्री विंग द्वारा की गई पहल

कारखाना प्रकोष्ठ ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान लैंगिक–तटस्थ रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने, कारखानों में परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यापार करने में सुगमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। कि गई पहलें निम्नलिखित हैं:

1. एच.पी. फैक्ट्री नियम, 1950 के अंतर्गत लिंग–आधारित प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे उन कारखानों में भी महिला श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति मिल गई है जहाँ पहले उनका रोजगार प्रतिबंधित था।
2. उद्योगों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वयस्क श्रमिकों के लिए दैनिक कार्य–प्रसार (स्प्रेड–ओवर) की सीमा 10.30) घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। यह संशोधन अधिसूचना संख्या LEP&A003/19/2023-Loose-I दिनांक 16.10.2025 के माध्यम से जारी किया गया है।
3. बिना विश्राम–अंतराल के निरंतर कार्य करने की अनुमेय अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है।
4. दैनिक कार्य–घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है, बशर्ते कि साप्ताहिक वैधानिक सीमा 48 घंटे बनी रहे।
5. अनुपालन भार को कम करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कारखाना पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूचि को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब आवेदकों को पहले के 10 दस्तावेजों के स्थान पर केवल 4 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
6. राज्य के सभी कारखानों में कार्यरत महिला श्रमिकों को कुछ शर्तों के अधीन रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

11.14 राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 2023

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 2023 को राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं में, विशेष रूप से हरित क्षेत्र (ग्रीन सेक्टर) में, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र में नई परियोजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार आधारित गतिविधियाँ स्थापित करने के लिए पात्र युवाओं को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान है। विभाग पात्र आवेदकों को ई–टैक्सी खरीदने हेतु अनुदान (सब्सिडी) प्रदान कर युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक) के दौरान 56 आवेदकों को ₹3.95 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई है।

11.15 विदेशी रोजगार

विभाग का नाम परिवर्तित कर श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले हिमाचली युवाओं को सहायता प्रदान करने का कार्य विभाग को सौंपा गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को विदेश मंत्रालय के साथ भर्ती एजेंट (नियोजन अभिकर्ता) के रूप में पंजीकृत किया गया है, ताकि श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के सहयोग से विदेशी रोजगार प्लेसमेंट अभियानों का आयोजन किया जा सके।

11.16 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.)

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) एक राज्य सरकार का निगम है, जिसे 14 सितंबर 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य कौशल मिशन के रूप में स्थापित किया गया था। एच.पी.के.वी.एन. हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो प्रमुख परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

11.16.1 एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (एच.पी.एस.डी.पी.):

(क) प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एम.ओ.यू.: उच्च आकांक्षी कौशल विकास पर बल देने हेतु हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई.ई.एल.आई.टी.), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडैक) तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) सहित अन्य संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर 2022 से अब तक इन साझेदारियों के माध्यम से 400 से अधिक व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया है।

(ख) **हिमाचल प्रदेश के सरकारी आई.टी.आई. के माध्यम से अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमः** हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (एच.पी.एस.डी.पी.) के अंतर्गत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.आई.टी.) में अल्पकालिक अप–स्किलिंग एवं मल्टी–स्किलिंग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। दिसंबर 2022 से अब तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से ऑटोमोटिव, निर्माण, प्लंबिंग, आई.टी.–आई.टी.ई.एस, कैपिटल गुड्स, परिधान एवं मेडअप्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रमाणित किया गया है।

(ग) **एन.एस.क्यू.एफ.–अनुरूप आर.पी.एल. प्रशिक्षणः** पूर्व अधिगम की मान्यता (आर.पी.एल.) कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि, हस्तशिल्प, पर्यटन एवं आतिथ्य, ग्रीन जॉब्स, विद्युत, निर्माण तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पहले से कौशल या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एच.पी.एस.डी.पी. के तहत दिसंबर 2022 से अब तक 2,800 से अधिक व्यक्तियों को प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

(घ) **शहरी आजीविका केन्द्र (सी.एल.सी.), ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी.), मॉडल करियर सेंटर (एम.सी.सी.) एवं अन्य अवसंरचनाः** राज्य में कौशल विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु कई पहलें प्रगति पर हैं, ₹30.93 करोड़ की लागत से 6 शहरी आजीविका केन्द्र, ₹71.54 करोड़ की लागत से 7 ग्रामीण आजीविका केन्द्र तथा ₹39.68 करोड़ की लागत से 10 मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिला कांगड़ा के रेहान में ₹41.22 करोड़ की लागत से एक महिला पॉलिटेक्निक तथा जिला मंडी के छतरी में ₹22.75 करोड़ की लागत से एक आई.टी.आई. विकसित किया जा रहा है। दिसंबर 2022 से अब तक इनमें से 10 स्थल क्रियाशील हो चुके हैं, जिससे कुल क्रियाशील स्थलों की संख्या 19 हो गई है, जबकि 7 स्थल अभी हस्तांतरण की प्रतीक्षा में हैं।

(ङ) **21 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ एम.ओ.यू.:** एच.पी.एस.डी.पी. के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने 21 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस सहयोग का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 से संबंधित उन्नत कौशलों में प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। दिसंबर 2022 से अब तक 7,600 व्यक्तियों को इस पहल के माध्यम से प्रमाणित किया गया है।

(च) **स्नातक ऐड–ऑन प्रशिक्षणः** एच.पी.एस.डी.पी. के अन्तर्गत 28 सरकारी डिग्री कॉलेजों में एन.एस.क्यू.एफ.–अनुरूप ऐड–ऑन मॉड्यूल संचालित किए गए, जिनके माध्यम से 1,629 विद्यार्थियों को प्रमाणित किया गया।

(छ) **बी.वोक. डिग्री कार्यक्रमः** 2,880 के लक्ष्य के विरुद्ध इस कार्यक्रम में रिटेल मैनेजमेंट तथा पर्यटन एवं आतिथ्य विषयों में कुल 5,755 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 1,100 का नामांकन वर्ष 2022–25 के लिए किया गया। यह व्यावहारिक आधारित व्यावसायिक उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

11.16.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) के तहत राज्य घटक

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। एच.पी.के.वी.एन. राज्य घटक के अंतर्गत पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 (2016–20), 3.0 (2020–21) तथा 4.0 के क्रियान्वयन की एजेंसी है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 1,000 प्रशिक्षार्थी सरकारी आई.टी.आई. के माध्यम से तथा 4,000 प्रशिक्षार्थी सरकारी डिग्री कॉलेजों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किए गए। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 3,828 प्रशिक्षार्थियों का नामांकन किया गया, जिनमें से 2,100 को प्रमाणित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एच.पी.के.वी.एन. ने लगभग 20,000 प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

11.16.3. संकल्प

एच.पी.के.वी.एन. ने विश्व बैंक सहयोग प्राप्त स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना तथा कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना था। इस योजना के लिए ₹2.20 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था।

11.16.4 रैम्प

उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (रैम्प) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत 700 ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 6–7 दिनों की अवधि का होगा, जिसके पश्चात प्रतिभागियों को प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम का अनुमानित बजट ₹1.80 करोड़ है, जिसका वहन उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

11.16.5 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) की आने वाली पहल

I. एच.पी.के.वी.एन. बतौर प्रमाणन निकाय (द्वैध)

एच.पी.के.वी.एन. का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के युवाओं को व्यापक कौशल विकास अवसर प्रदान कर उन्हें सतत आजीविका सृजन हेतु सशक्त बनाना है। सभी क्षेत्रों में प्रमाणन निकाय के रूप में कार्य करते हुए, विशेष रूप से तीर्थ यात्रा मार्गदर्शक

की भूमिका पर प्रमुख ध्यान केंद्रित कर, एचपीकेवीएन राज्य में पर्यटन गतिविधियों की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों के लिए क्वालिफिकेशन पैक (क्यू.पीज.) तैयार करना तथा मूल्यांकन आयोजित करना शामिल है, ताकि इन क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवरों की दक्षता और रोजगार योग्यता सुनिश्चित की जा सके।

II. महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.के.सी.एल.) के साथ सहयोग

भविष्य की पहलों के अंतर्गत, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एम.के.सी.एल.) के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है, ताकि हिमाचल प्रदेश में शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जा सके। इस साझेदारी के अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेडिट–आधारित रूपरेखा (एन.सी.आर.एफ.), 2023 के अनुरूप "आईलाईक" क्रेडिट–आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे तथा एच.पी.के.वी.एन. के लिए एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) लागू की जाएगी।

11.17 हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) कल्याण बोर्ड

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.), जिसकी स्थापना 2 मार्च 2009 को की गई थी, का उद्देश्य राज्य भर के असंगठित निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकरण 18–60 वर्ष आयु वर्ग के उन श्रमिकों के लिए खुला है, जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन भवन या निर्माण कार्य किया हो तथा जो किसी अन्य कल्याण कोष के अंतर्गत सदस्य नहीं है। इस प्रकार पात्र लाभार्थियों को लक्षित सहायता सुनिश्चित की जाती है।

बोर्ड ने अपनी स्थापना से लेकर नवंबर, 2025 तक कुल 4,76,052 श्रमिकों का पंजीकरण किया है। वर्ष 2025–26 में दिसंबर, 2025 तक 7,955 लाभार्थियों को ₹26.24 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की गई है तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों से ₹68.59 करोड़ श्रम उपकर (सेस) प्राप्त/संग्रहित किया गया है। स्थापना से अब तक बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 5,66,859 लाभार्थियों को कुल ₹526.63 करोड़ की सहायता प्रदान की है तथा 30 नवंबर, 2025 तक ₹1,268.26 करोड़ का सेस एकत्र किया गया है। कल्याण बोर्ड ने अपने लाभार्थियों की ई–के.वाई.सी. प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं सुशासन विभाग के माध्यम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसका उपयोग जिला श्रम कल्याण अधिकारियों द्वारा नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए किया जा रहा है।

बोर्ड राज्यभर में श्रम कल्याण अधिकारियों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में एच.पी. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए नई योजना "मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना" को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत, जिन पंजीकृत महिला श्रमिकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम है, उन्हें मकान निर्माण हेतु ₹3.00 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी।

11.18 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य–स्तरीय मुख्य मुद्दे / चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

मुद्दे/चुनौतियाँ	साक्ष्य	प्रभाव
कृषि एवं स्वरोजगार पर उच्च निर्भरता	कार्यबल का बड़ा हिस्सा, विशेषकर महिलाएँ, कम उत्पादकता वाले स्वरोजगार एवं कृषि क्षेत्र में संलग्न।	आय में अस्थिरता, सीमित सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण की धीमी गति ।
सीमित औद्योगिक आधार एवं भौगोलिक बाधाएँ	पर्वतीय भू–भाग एवं औद्योगिक विस्तार की सीमाओं के कारण बड़े पैमाने के विनिर्माण क्लस्टरों का अभाव।	उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर कम, निजी क्षेत्र की सीमित वृद्धि, निवेश प्रवाह में कमी।
कुशल युवाओं का बाह्य प्रवासन	राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार अवशोषण का अभाव।	प्रतिभा पलायन, राज्य में कुशल मानव संसाधन की कमी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी।
औपचारिक रोजगार में लैंगिक असमानता	महिलाओं को औपचारिक एवं उच्च उत्पादकता वाले रोजगार तक	महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कमी, पारिवारिक आय में गिरावट, स्थायी असमानता।

	पहुँच में बाधाएँ व अवैतनिक देखभाल कार्य का अधिक बोझ।	
तीव्र तकनीकी परिवर्तन के बीच कौशल असंगति	कार्यबल के कौशल, ए.आई, स्वचालन, डिजिटल सेवाओं एवं इंडस्ट्री 4.0 की उभरती मांगों के अनुरूप नहीं।	संरचनात्मक बेरोजगारी में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, नए क्षेत्रों में संक्रमण में कठिनाई।
उच्च अनौपचारिकता एवं मौसमी रोजगार	रोजगार मुख्यतः कृषि, पर्यटन एवं निर्माण जैसे अनौपचारिक एवं मौसमी क्षेत्रों पर निर्भर।	आय में उतार–चढ़ाव, आघातों के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा कवरेज कमजोर।
निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की धीमी गति	उच्च–मूल्य क्षेत्रों में नए रोजगार अवसरों की सीमित उपलब्धता।	शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों पर अधिक निर्भरता।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे और चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	संबंधित जिले	विश्लेषण / प्रभाव
उच्च पंजीकरण दबाव एवं निम्न नियुक्ति अनुपात	कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा	इन जिलों में रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण उच्च है, जबकि विशेषकर सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियाँ तुलनात्मक रूप से कम हैं, जिससे रोजगार बाजार पर दबाव बढ़ता है।
औद्योगिक रोजगार का संकेन्द्रण परंतु सीमित अवशोषण क्षमता	सोलन, ऊना, सिरमौर	ये जिले औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, फिर भी मांग की तुलना में रोजगार अवशोषण सीमित है, जिससे स्थानीय श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
मौसमी एवं पर्यटन–निर्भर रोजगार	कुल्लू, किन्नौर, लाहौल–स्पीति, चंबा	पर्यटन एवं मौसमी आर्थिक गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण रोजगार के अवसरों में उतार–चढ़ाव बना रहता है।
दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में अत्यंत कम नियुक्ति	लाहौल–स्पीति, किन्नौर	भौगोलिक दुर्गमता, सीमित औद्योगिक आधार एवं संपर्क सुविधाओं की कमी के कारण नियुक्ति के आँकड़े अत्यंत निम्न हैं।
स्वरोजगार पर उच्च निर्भरता	कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल–स्पीति	औपचारिक क्षेत्र के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं।

सीमित औद्योगिक उपलब्धता एवं निजी रिक्तियों का कमजोर आधार	किन्नौर, लाहौल–स्पीति	निजी क्षेत्र में रिक्तियों की न्यून उपलब्धता रोजगार सृजन को बाधित करती है तथा आजीविका के विविधीकरण को सीमित करती है।
उच्च रिक्तियाँ परंतु निम्न नियुक्ति रूपांतरण	शिमला	निजी क्षेत्र में रिक्तियों की अधिसूचना अधिक होने के बावजूद, उन्हें नियुक्तियों में परिवर्तित करने की दर मांग की तुलना में सीमित है।

11.19 भावी दिशा

आगे बढ़ते हुए, हिमाचल प्रदेश को रोजगार विविधीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए पर्यटन मूल्य शृंखलाओं, खाद्य प्रसंस्करण, हरित उद्योगों, डिजिटल सेवाओं तथा ज्ञान–आधारित क्षेत्रों जैसे गैर–कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को सुदृढ़ करना, स्टार्ट–अप को बढ़ावा देना तथा विशेष रूप से हरित एवं प्रौद्योगिकी–आधारित क्षेत्रों में उद्यमिता को समर्थन देना, स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार सृजन में सहायक होगा और पलायन के दबाव को कम करेगा।

कौशल विकास संस्थानों और उद्योग की मांग के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को सशक्त बनाना, उद्योग–नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण और जलवायु–संवेदनशील आजीविकाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में लक्षित कौशल प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। महिलाओं–केंद्रित रोजगार योजनाओं का विस्तार, लचीले कार्य मॉडल तथा महिला उद्यमिता को समर्थन, महिला श्रमिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार परिणामों को बेहतर बना सकता है। श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन डिजिटल अनुपालन, जागरूकता कार्यक्रमों और नियोक्ता कर्मचारी सुविधा तंत्र के माध्यम से औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होगा।

साथ ही, कल्याण बोर्डों और लक्षित भत्तों सहित सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना आर्थिक संक्रमण के दौरान कमजोर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अंततः, स्थानीय संसाधन क्षमता पर आधारित क्षेत्र–विशिष्ट रोजगार योजना, डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म, विदेशी नियोजन सहायता और उन्नत श्रम बाजार डेटा प्रणालियों के संयोजन से एक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और कार्यबल कल्याण को सुनिश्चित करने में सक्षम हो।

*****

अध्याय
12

पर्यटन, सड़क एवं परिवहन

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	प्रमुख बिंदु	सारांश
1	**पर्यटन का सशक्त पुनरुत्थान**	वर्ष 2025 में पर्यटकों का आगमन मजबूत रूप से बढ़कर 1.45 करोड़ तक पहुँचा, जो नए विश्वास और बेहतर कनेक्टिविटी को दर्शाता है।
2	**तीर्थ यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या**	पाँच प्रमुख मंदिरों में वर्ष 2025 में 166.51 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिनमें बाबा बालक नाथ और चिंतपूर्णी में सबसे अधिक भीड़ दर्ज की गई।
3	**राष्ट्रीय योजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा**	स्वदेश दर्शन 2.0, पी.आर.ए.एस.एच.ए.डी. और चुनौती–आधारित पर्यटन गंतव्य विकास के अंतर्गत प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं, जिनसे कांगड़ा, काजा और रक्छम–छितकुल को लाभ मिला।
4	**कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार**	हवाई पट्टी विस्तार के लिए 147.75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई तथा बड़े विमानों के संचालन को सक्षम बनाने हेतु ₹6,311 करोड़ का संशोधित टी.ई.एफ. आर. प्रस्तुत किया गया।
5	**हेलीपोर्ट विकास में तीव्र प्रगति**	बद्दी, रामपुर, संजौली और कांगनिधार में हेलीपोर्ट पूर्ण हुए, जबकि उडान फेज–II के अंतर्गत पालमपुर, रक्कड़, सुल्तानपुर और शारबो में कार्य प्रगति पर है।
6	**सड़कों के जाल का विस्तार**	दिसंबर, 2025 तक हिमाचल प्रदेश में 43,091 किमी मोटर योग्य सड़कों का जाल विकसित हुआ और 15,606 गाँव सड़क अवसंरचना से जुड़े।
7	**सार्वजनिक परिवहन का सुदृढ़ीकरण**	एच.आर.टी.सी. ने 3,079 बसें संचालित कीं, जिनमें 110 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, तथा महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के लिए अनेक रियायती/मुफ्त यात्रा योजनाएँ प्रदान कीं।
8	**ई.वी. चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार**	छह ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए गए, जिनमें पेट्रोल पंपों पर 30 ई.वी. चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं, जबकि सरकारी और निजी स्थलों पर अतिरिक्त स्टेशन निर्माणाधीन हैं।
9	**परिवहन परमिट से रोजगार सृजन**	परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2025–26 में 17,619 परमिट जारी कर 46,795 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए।

12.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपने मनमोहक हिमालयी दृश्यों और आकर्षक हिल स्टेशनों के लिए जाना जाने वाला यह राज्य दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ लोकप्रिय साहसिक गतिविधियों में ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और आइस स्केटिंग और हेली–स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेल शामिल हैं। पर्यटन हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख और तेजी से बढ़ता उद्योग है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से होटलों और रिसॉर्ट्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार सृजित हुए हैं और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन मिला है।

लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हैं:

- शिमला–"पहाड़ों की रानी"
- मनाली
- धर्मशाला
- डलहौजी
- स्पीति घाटी
- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सतत पर्यटन से लाभ होता है, जो पर्यावरण का समर्थन करने के साथ–साथ स्थानीय रोजगार सृजित करता है और राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है। सतत पर्यटन के प्रमुख क्षेत्रों में इको–टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म शामिल हैं, जो सभी राज्य के जिम्मेदार विकास में योगदान करते हैं।

हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पुरातात्विक विरासत मौजूद हैं। राज्य में 5,163 पंजीकृत होटल हैं जिनमें 1,46,361 बिस्तर हैं, साथ ही 5,855 पंजीकृत होम स्टे इकाइयां हैं जिनमें 38,043 बिस्तर उपलब्ध हैं। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के प्रभाव का आकलन करता है।

विश्वभर में यात्रा की प्रबल मांग को दर्शाते हुए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

- 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों (रात भर ठहरने वाले आगंतुकों) के आगमन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें विश्व भर के अधिकांश गंतव्यों ने अच्छे परिणाम दर्ज किए।
- 2025 में विश्वभर में अनुमानित 1.52 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जो 2024 की तुलना में लगभग 60 मिलियन अधिक हैं।
- 2025 महामारी के बाद के युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन का एक नया रिकॉर्ड वर्ष है।
- परिणाम जनवरी 2025 में प्रकाशित हमारे 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के पूर्वानुमान के अनुरूप हैं, और 2024 में अंतरराष्ट्रीय आगमन की पूर्ण बहाली के एक वर्ष बाद आए हैं।
- यह महामारी से पहले के दीर्घकालिक विकास रुझानों की वापसी को दर्शाता है, जहां 2009 और 2019 के बीच आगमन में औसतन 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई थी।
- पर्यटन सेवाओं में मुद्रास्फीति और भू–राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद 2025 में यात्रा की मांग मजबूत बनी रही, हालांकि वर्ष के अंत में इसमें कुछ नरमी आई।
- मजबूत मांग, वैश्विक स्तर पर बड़े स्रोत बाजारों के दमदार प्रदर्शन और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की निरंतर प्रगति से इन परिणामों को बल मिला। हवाई संपर्क में सुधार और वीजा प्रक्रिया में सुगमता बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय यात्रा को भी प्रोत्साहन मिला।
- चौथी तिमाही में आगमन में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (दिसंबर के सीमित आंकड़ों के आधार पर), जो 2025 की तीसरी तिमाही में उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु के दौरान हुई 4 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ी कम है।
- 2025 में पर्यटकों के खर्च में भी असाधारण वृद्धि देखी गई, कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटन से होने वाली आय आगमन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी।

स्रोतः विश्व पर्यटन संगठन (यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.) संयुक्त राष्ट्र पर्यटन बैरोमीटर 20, जनवरी, 2026।

12.2 हिमाचल में पर्यटन–आर्थिक विकास के लिए एक अभिन्न संचालक

पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, जो रोजगार सृजन, निर्यात में वृद्धि और स्थानीय समृद्धि में योगदान देता है। अपने विविध भूदृश्यों, व्यंजनों, विरासत, रोमांच, वन्यजीवों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध यह राज्य अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। वर्ष 2024–25 (प्रथम संशोधन) के अनुसार आतिथ्य सत्कार, परिवहन, हस्तशिल्प और संबंधित उद्योगों में पर्यटन, होटल और रेस्तरां क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.वी.पी.) में 7.77 प्रतिशत का योगदान देता है।

12.2.1 पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र

महामारी के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, घरेलू पर्यटकों की संख्या 2020 में 32.13 लाख से बढ़कर 2025 में 311.47 लाख हो गई है, जो महामारी से पहले के स्तर के करीब है। राज्य के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह वृद्धि दीर्घकालिक रूप से सतत बनी रहे।

सारणी: 12.1

पर्यटकों का आगमन (लाख में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31
2016	179.98	4.53	184.51
2017	191.31	4.71	196.09
2018	160.94	3.56	164.50
2019	168.29	3.83	172.12
2020	31.70	0.43	32.13
2021	56.32	0.05	56.37
2022	150.70	0.29	150.99
2023	159.42	0.63	160.05
2024	180.41	0.83	181.24
2025	144.11	0.85	144.96
धार्मिक (2025)	–	–	166.51
2025 में कुल पर्यटक आगमन			**311.47**

स्रोत : पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

सारणी 12.2 से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के पांच प्रमुख मंदिरों में कुल वार्षिक दर्शन संख्या 166.51 लाख रही। बाबा बालक नाथ मंदिर (63.50 लाख) और माता चिंतपूर्णी मंदिर (74.23 लाख) में वर्ष के दौरान सबसे अधिक तीर्थयात्री आए। मार्च, अप्रैल और मई में सबसे अधिक भीड़ देखी गई, जिसमें अप्रैल में सबसे अधिक 20.15 लाख आगंतुक दर्ज किए गए। कांगड़ा के मंदिरों में, श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर की तुलना में ज्वालाजी मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालु आए।

सारणी 12.2

धार्मिक पर्यटकों का अनुमान (जनवरी–दिसंबर, 2025)

(लाख में)

माह माता	बाबा बालक नाथ (हमीरपुर)	श्री बज्रेश्वरी (कांगड़ा)	श्री ज्वालाजी (कांगड़ा)	श्री चामुंडा देवी (कांगड़ा)	श्री चिंतपूर्णी (ऊना)	कुल
जनवरी	1.75	0.49	0.90	0.20	3.15	6.49
फरवरी	2.75	0.41	0.70	0.15	4.13	8.14
मार्च	8.95	0.70	1.50	0.45	5.08	16.68
अप्रैल	10.75	0.70	2.50	0.60	5.60	20.15
मई	9.95	0.60	2.25	0.55	7.27	20.62
जून	5.60	0.70	2.00	0.60	7.50	16.40
जुलाई	4.10	0.57	0.75	0.45	8.00	13.87
अगस्त	2.75	0.45	0.80	0.42	10.00	14.42
सितंबर	3.05	0.50	0.90	0.35	7.00	11.80
अक्टूबर	4.50	0.60	2.00	0.65	6.00	13.75
नवंबर	4.15	0.70	0.90	0.30	5.50	11.55
दिसंबर	5.20	0.59	1.50	0.35	5.00	12.64
कुल	**63.50**	**7.01**	**16.70**	**5.07**	**74.23**	**166.51**

चित्र 12.1 दर्शाता है कि 2020 के लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है (–81.33)।

चित्र 12.1

पर्यटक अंतर्वाह की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर

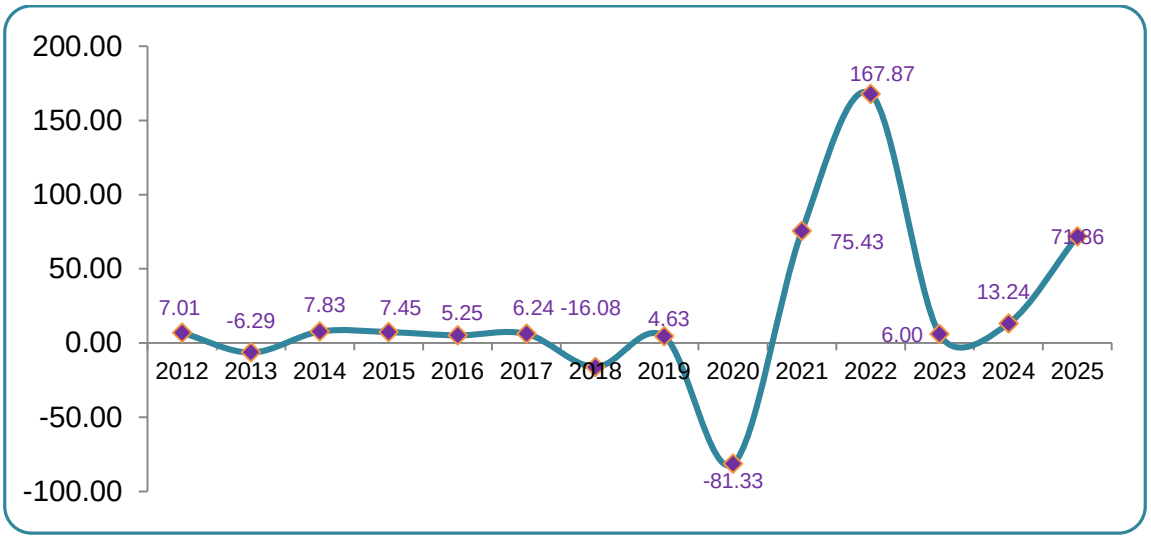

टिप्पणी: इन आंकड़ों का डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है।

स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

चित्र 12.2

सकल राज्य मुल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) में ट्रेड, होटल और रेस्तरां का योगदान प्रतिशत में

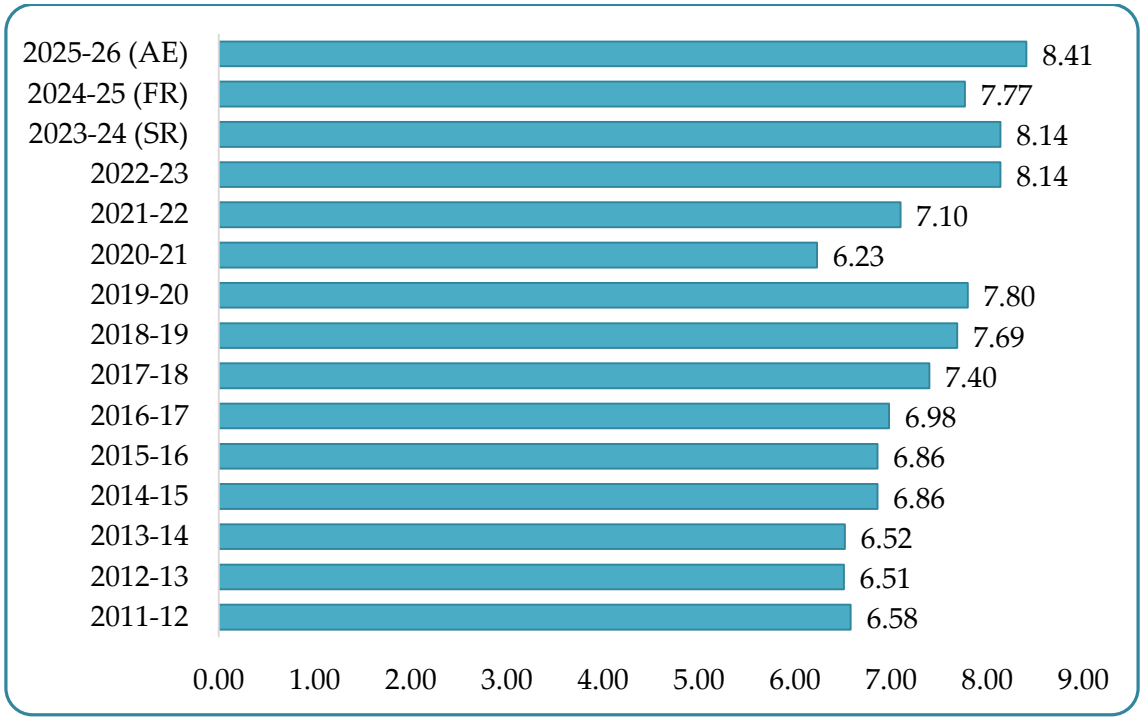

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

चित्र 12.2 इस क्षेत्र के योगदान में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है, जो 2011–12 में 6.58 से बढ़कर 2019–20 में 7.80 तक पहुँच गया, जो इस अवधि के दौरान स्थिर वृद्धि को

इंगित करता है। 2020–21 में तीव्र गिरावट (6.23) दर्ज की गई, जिसके बाद 2022–23 और 2023–24 (एस.आर.) में 8.14 तक मजबूत पुनरुद्धार हुआ। यद्यपि 2024–25 (एफ.आर.) में यह थोड़ा घटकर 7.77 रहा, किंतु 2025–26 (ए.ई.) के अनुमान 8.41 के साथ अब तक के उच्चतम स्तर का संकेत देते हैं, जो पुनः उभरती हुई वृद्धि की गति को दर्शाता है।

12.3 पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल

पर्यटन अर्थव्यवस्था का अभिन्न स्तंभ होने के कारण, हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास पहल की गई हैं।

12.3.1 एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने 30 नवंबर 2021 को नई परियोजना–II के लिए एडीबी ऋण को मंजूरी दी। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। ए.डी.बी. और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 80:20 के अनुपात में है।

12 अगस्त 2024 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और ए.डी.बी. के साथ राज्य सरकार द्वारा ऋण वार्ता बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद 19 दिसम्बर, 2024 को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम चरण की लागत 202.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1680.75 करोड़) है। इसमें से ए.डी.बी. का हिस्सा 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1344.60 करोड़) और राज्य का हिस्सा 40.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹336.15 करोड) है। ए.डी.बी. की नई परियोजना के पहले चरण के अन्तर्गत उप–परियोजनाएं केवल 5 जिलों, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में ही कार्यान्वित की जाएंगी।

12.3.2 स्वदेश दर्शन योजना 2.0

पर्यटन मंत्रालय की संशोधित स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य देश भर में सतत पर्यटन स्थलों का विकास करना है, जिनमें से एक पौंग बांध को हिमाचल प्रदेश में चुना गया है। जिला प्रशासन एवं वन विभाग के परामर्श से, नगरोटा सुरियां के लिए प्रथम चरण की मास्टर प्लान तैयार की गई है और नियुक्त सलाहकार, वॉयंट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुमोदित की गई है, जो इस क्षेत्र में सतत पर्यटन विकास की दिशा में एक व्यवस्थित कदम है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद योजना के अन्तर्गत कांगड़ा घाटी में सतत पर्यटन परियोजना को मंजूरी दी है।मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास को भी स्वदेश दर्शन 2.0 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है।

12.3.3 चुनौती आधारित गंतव्य योजना

पर्यटन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश नागरिक उड्डयन मंत्रालय नेचुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के अन्तर्गत विकास हेतु निम्नलिखित पांच गंतव्यों की पहचान की है और 10 जनवरी, 2024 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- चंद्रताल, जिला लाहौल–स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- काजा, जिला लाहौल–स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- तांदी, जिला लाहौल–स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- रकछम, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
- नाको–चांगो–खाब, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए उप–योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो स्थलों, अर्थात् काजा (संस्कृति एवं विरासत) और रकछम छितकुल (जीवंत ग्राम कार्यक्रम) का चयन किया है। राज्य सरकार ने इन स्थलों के लिए गंतव्य प्रबंधन संगठन (डी.एम.ओ.) अधिसूचित किए हैं।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 27–03–2025 को निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है:

1. हिमाचल प्रदेश के रकछम, छितकुल में पर्यटन अवसंरचना विकास स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत सी.बी.डी.डी. (CBDD) उप–योजना के अन्तर्गत, जिसके लिए अनुमानित केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹4.96 करोड़ है।
2. हिमाचल प्रदेश के काजा में पर्यटन अवसंरचना विकास, सी.बी.डी.डी. के अंतर्गत,स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप–योजना है, जिसके लिए अनुमानित केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹24.82 करोड़ है।

केंद्रीय नोडल एजेंसी, आई.टी.डी.सी. ने जुलाई 2025 में पर्यटन विभाग को कुल स्वीकृत बजट का 10 प्रतिशत निम्न प्रकार से जारी किया:

क्र. सं.	गंतव्य का नाम	श्रेणी	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	पहली किस्त भारत सरकार के शिक्षण मंत्रालय से प्राप्त हो रही है (लाख में)
1	रकछम छितकुल में पर्यटन अवसंरचना विकास"	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	4.96	49.59
2	काजा में पर्यटन अवसंरचना विकास	संस्कृति एवं विरासत	24.82	248.19

12.3.4 तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने प्रारंभ में इस परियोजना कोप्रशासित योजना के अंतर्गत मार्च, 2025 को ₹56.26 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत किया था। हालांकि, केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी.) ने अपनी बैठक मई, 2025 को इसकी समीक्षा की और इसके बजाय स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन की सिफारिश की, जिसमें ऊना जिले के माँ चिंतपूर्णी मंदिर के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित

किया गया है। यह परिवर्तन परियोजना को समग्र और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थलों के निर्माण की व्यापकराष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप बनाता है।

तदनुसार इस परियोजना को 04 जुलाई, 2025 को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत पुनः स्वीकृत किया गया है।पर्यटन विभाग ने"माँ चिंतपूर्णी मंदिर का विकास" कार्य एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा है। एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ₹5.63 करोड़ की तकनीकी स्वीकृ ति प्रदान की गई है। निविदा आमंत्रित करने हेतु कार्य अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

12.5 होम स्टे के लिए ब्याज सब्सिडी योजना

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत 13 अक्तूबर, 2025 को होम स्टे के लिए ब्याज सब्सिडी योजना अधिसूचित की। इसका उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत होम स्टे स्थापित करने और मौजूदा होम स्टे के विस्तार/उन्नयन के लिए लिए गए ऋणों पर वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी।

यह सब्सिडी ऋण वितरण की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिए उपलब्ध है, जिसमें स्थगन अवधि भी शामिल है। सब्सिडी की अवधि के दौरान होम स्टे इकाइयों को अपनी श्रेणी (यानी गोल्ड/डायमंड) को डाउनग्रेड करने की अनुमति नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत केवल डायमंड और गोल्ड श्रेणियों के लिए ₹2.00 करोड़ तक की ऋण राशि शामिल है। सिल्वर श्रेणी के होम स्टे के लिए सीमा ₹1.00 करोड़ या उससे कम है। केवल ₹5.00 करोड़ या उससे कम के कुल निवेश वाली पर्यटन इकाइयां ही पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र प्रतिशत का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	क्षेत्र	सब्सिडी के लिए प्रतिशत पात्र
1	पूरे राज्य के शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर	3
2	पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के भीतर	4
3.	पूरे राज्य के जनजातीय क्षेत्र के भीतर	5

यह योजना 01.12.2027 तक वैध है। इस योजना के अंतर्गत ₹2.00 करोड़ की राशि उपलब्ध है।

12.6 नागरिक उड्डयन

राज्य सरकार के पास तीन हवाई अड्डे हैं, जिनके नाम हैं जुब्बरहट्टी (शिमला), गग्गल(कांगड़ा) और भुंतर (कुल्लू)। छोटे रनवे के कारण, ए–320 जैसे बड़े विमान इन हवाई अड्डों से संचालित नहीं किए जा सकते।भारतीय विमानन प्राधिकरण के विभिन्न

अध्ययनों के अनुसार,जुब्बरहट्टी और भुंतर में रनवे का विस्तार संभव नहीं है। इसलिए,कांगड़ा हवाई अड्डा एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जहां रनवे का और विस्तार किया जा सकता है।

12.6.1 कांगड़ा (गग्गल) हवाई अड्डे का विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार भारतीय विमानन प्राधिकरण की मास्टर प्लान के अनुसार, कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे को 1376x30 मीटर से बढ़ाकर 3278x45 मीटर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, ताकि बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सके। 147.75 हेक्टेयर (ज्यादातर निजी) भूमि का अधिग्रहण–2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत चल रहा है, जिसके लिए ₹936.25 करोड़ (कुल ₹1646.78 करोड़ के आवंटन में से) पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

WAPCOS द्वारा संशोधित तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (TEFR) में परियोजना की अनुमानित लागत ₹6311 करोड़ (GST सहित) है, जिसे अंतिम अनुमोदन के लिए। विमानन प्राधिकरण को भेजा गया है। शेष भूमि (खसरा संख्या 657, 9.22 हेक्टेयर) का भी अधिग्रहण किया जा रहा है, और जिला प्रशासन अधिसूचना का मसौदा तैयार कर रहा है।

12.6.2 हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में हेलीपोर्ट विकसित करके हवाई संपर्क को बढ़ावा दे रही है। बद्दी,रामपुर, संजौली और कांगनीधर हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और संजौली और रामपुर के लिए डी.जी.सी.ए. से प्राधिकरण प्राप्त हो चुका है। उड़ान योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत रक्कर, पालमपुर, सुल्तानपुर और शाब्रो में हेलीपोर्ट स्वीकृत किए गए हैं, और पहले तीन का निर्माण कार्यप्रगति पर है। लाहौल–स्पीति, चंबा, सोलन,सिरमौर, ऊना और बिलासपुर में भी अतिरिक्त हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं।

उड़ान योजना के अन्तर्गत चंडीगढ़, पालमपुर, रक्कर, गग्गल, शिमला, रिकांगपिओ, कुल्लू, बद्दी और मनाली को जोड़ने वाले हेलीटैक्सी मार्गों का ठेका पवन हंस लिमिटेड जैसी कंपनियों को दिया जा चुका है, और सेवाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं।

सारणी 12.3

दिसंबर, 2025 तक होटल, गेस्ट हाऊस, रेस्तरां, होम स्टे, ट्रैवल एजेंसी, गाईड, फोटोग्राफर और बिस्तर /कमरों की संख्या।

क्र.सं.	जिला	होटलों, गेस्ट हाउसों और,होम स्टे इकाइयों की संख्या	रेस्तरांओं की संख्या	कमरों की संख्या						बिस्तरों की क्षमता	ट्रैवल एजेंसिया	फोटोग्राफर	गाइड
				एस.बी. आर.	डी.बी.आर.	डी.ओ. आर.	एफ.एस.	टी.बी. आर.	कुल				
1	बिलासपुर	112	13	51	940	9	89	17	1106	2380	75	1	34
2	चंबा	335	49	122	3997	28	124	33	4304	8783	81	139	213
3	हमीरपुर	82	40	66	612	15	5	5	703	1499	23	0	2
4	कांगड़ा	974	208	485	10998	62	588	94	12227	25384	852	5	324
5	किन्नौर	187	9	204	1952	103	52	38	2349	5398	32	0	18
6	कुल्लू	1628	95	454	21753	28	1378	60	23673	49821	1790	852	555
7	लाहौल–स्पीति	141	0	220	1528	15	28	0	1791	3596	45	0	26
8	मंडी	305	51	148	2545	43	144	32	2912	6095	271	3	90
9	शिमला	651	175	167	10104	257	467	23	11018	22986	2114	130	479
10	सिरमौर	146	102	80	1623	55	82	13	1853	3849	28	0	39
11	सोलन	460	283	148	6228	48	208	72	6704	13408	218	0	72
12	ऊना	142	26	89	1305	12	52	7	1465	3162	15	0	0
	कुल (i)	5163	1051	2234	63585	675	3217	394	70105	146361	5544	1130	1852
होम स्टे इकाइयां (ii)		5855	0	114	17417	0	485	3	18019	38043	—	—	—
कुल योग (i+ii)		11018	1051	2348	81002	675	3702	397	88124	184404	5544	1130	1852

स्रोत: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सरकार।

एस.बी.आर.:Single Bed Room

डी.बी.आर.: Double Bed Room

डी.ओ.आर.: Dormitory

एफ.एस.: Femily Suite

टी.बी.आर:Three Bed Room

सारणी 12.4

वर्ष 2025 (जनवरी से दिसंबर) के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन का अनुमान जिलेवार

माह	बिलासपुर		चम्बा		हमीरपुर		कांगड़ा		किन्नौर		कुल्लू		लाहौल और स्पीति		मंडी		शिमला		सिरमौर		सोलन		ऊना		कुल	
	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F
जनवरी	96387	0	28153	84	35400	0	54260	777	3220	68	285266	689	7335	70	151480	19	163428	2381	46768	11	227487	195	48284	9	1147468	4303
फरवरी	62250	0	20119	67	31778	0	45233	1173	7859	271	237272	773	10758	153	191587	59	143785	3798	43572	22	193368	266	47635	0	1035216	6582
मार्च	102693	0	38569	85	28800	0	89633	3932	15842	168	265388	831	11564	46	198527	102	172376	3943	93907	134	200917	372	43836	3	1262052	9616
अप्रैल	139678	0	49391	100	29745	2	88967	2662	35476	192	317840	1032	59398	102	107524	118	268756	2676	246969	34	182198	361	45120	8	1571062	7287
मई	65630	0	25985	51	30245	2	64842	1750	37821	829	337181	1050	81512	485	91485	41	206324	916	82400	22	236237	156	46180	0	1305842	5302
जून	52680	0	45255	32	29338	3	115901	1808	95842	1140	492533	1213	175952	2249	79574	152	428272	1034	78900	14	348575	220	44975	0	1987797	7865
जुलाई	66970	0	82725	99	17838	2	55797	1779	52859	637	81714	1050	27965	1465	58517	64	165273	867	75624	16	122003	183	29475	0	836760	6162
अगस्त	110674	0	225486	32	16303	0	37889	1049	28405	535	28196	719	15248	705	65927	68	138464	887	96356	14	131385	182	27442	6	921775	4197
सितंबर	100375	0	11286	32	17250	0	32747	3481	2460	469	12238	768	15370	823	58654	43	181230	1442	97026	23	142426	180	28132	8	699194	7269
अक्टूबर	92576	0	19226	85	18285	0	57585	4338	55640	416	111460	928	30224	1280	120987	64	248346	3093	94355	71	175700	276	30159	0	1054543	10551
नवंबर	65464	0	23316	131	18785	2	61489	5217	32786	77	159930	685	15074	35	95324	30	221287	3503	98874	71	200682	393	30984	0	1023995	10144
दिसंबर	72306	0	62012	101	22566	0	92194	1789	21290	43	413041	849	38305	43	135890	9	336482	2347	97642	40	234506	329	39389	0	1565623	5550
कुल	1027683	0	631523	899	296333	11	796537	29755	389500	4845	2742059	10587	488705	7456	1355476	769	2674023	26887	1152393	472	2395484	3113	461611	34	14411327	84828

स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

भारतीय	1,44,11,327
विदेशी	84,828
कुल	1,44,96,155

12.7 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एच.पी.टी.डी.सी.)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है। यह आवास खानपान, परिवहन, सम्मेलन और खेल गतिविधियों सहित पर्यटन सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करता है। इसके पास राज्य में होटलों और रेस्तरां की सबसे बड़ी श्रृंखला है जिसमें 56 होटल, 1,111 कमरे सहित 2,510 बिस्तर हैं।

एच.पी.टी.डी.सी. ने दिसंबर 2025 तक ₹75.75 करोड़ की आय अर्जित की है और जनवरी 2026 से मार्च, 2026 की अवधि के लिए अनुमानित आय ₹25.25 करोड़ है, जबकि वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लक्ष्य ₹150.00 करोड़ है।

12.8 सड़कें और पुल (राज्य क्षेत्र)

राज्य की तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए सड़कें एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना हैं। कृषि, बागवानी, उद्योग, खनन और वानिकी जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास एक कुशल सड़क नेटवर्क पर निर्भर करता है। रेल और जलमार्ग जैसे परिवहन के अन्य उपयुक्त और व्यवहार्य साधनों के अभाव में, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लगभग शून्य से शुरू करते हुए, राज्य सरकार ने दिसंबर, 2025 तक 43,091 किलोमीटर (जीप और पक्की सड़कों सहित) मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया है। राज्य सरकार सड़क क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देती रही है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में एक अच्छा सड़क नेटवर्क है। यहां 2,592 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 15,606 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। राज्य के महत्वपूर्ण आर्थिक विस्तार के लिए सड़कें आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित लक्ष्य और दिसंबर 2025 तक प्राप्त उपलब्धियां सारणी 12.5 में दी गई हैं।

सारणी 12.5

सड़कें और पुल

मद	इकाई	2025–26 का लक्ष्य	दिसम्बर ,2025 तक की उपलब्धि
मोटर योग्य सड़क	कि.मी.	145	132
क्रॉस जल निकासी	”	235	570
मेटलिंग और टारिंग	”	252	391
जीप योग्य	”	4	10
पुल	संख्या	12	11
गांवों की कनेक्टिविटी	”	4	8

स्रोतः लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य में दिसंबर, 2025 तक 15,606 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि सारणी 12.6 में दिखाया गया है।

सारणी 12.6

सड़कों से जुड़े हुए गांव

सड़क से जुड़े हुए गांव	2023–24	2024–25	2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक)
1500 से अधिक की	436	436	436
1000–1499	553	554	555
500–999	2,300	2,301	2,307
250–499	3,976	3,978	3,986
250 से कम	8,296	8,317	8,322
कुल	15,561	15,586	15,606

स्त्रोतः लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

12.9 राष्ट्रीय राजमार्ग (केंद्रीय क्षेत्र)

राज्य में 2,592 किलोमीटर की लंबाई वाले 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास 994 किलोमीटर लंबाई के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) NH–07 और NH–03 जिसकी लम्बाई 994 किलोमीटर है उसे हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के रूप में उन्नत कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) 790 किलोमीटर लंबाई के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित कर रहा है और राज्य में 570 किलोमीटर लंबाई की सड़क के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी, सीमा सड़क संगठन (BRO) के पास है।

सारणी 12.7

सड़कें किलोमीटर में

सड़क का प्रकार	2024–25	2025–26 दिसंबर, 2025 तक (किलोमीटर में)
मोटर योग्य फोर लेन	262	262
मोटर योग्य डबल लेन	2,027	2,027
मोटर योग्य सिंगल लेन	39,163	39,465
जीप योग्य	1,327	1,337
जीप योग्य भी नहीं	0	0
कुल	42,779	43,091

नोटः आंकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **महामारी के बाद पर्यटन का सशक्त पुनरुत्थान**
   पर्यटकों का आगमन उल्लेखनीय रूप से बढ़कर वर्ष 2025 में 1.45 करोड़ आगंतुकों तक पहुँचा, जो नए विश्वास और बेहतर संयोजकता को दर्शाता है।

2. **प्रमुख मंदिरों में तीर्थ यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या**
   पाँच प्रमुख तीर्थ स्थलों में वर्ष 2025 में 166.51 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिनमें बाबा बालक नाथ और चिंतपूर्णी में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।

3. **राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण**
   स्वदेश दर्शन 2.0, पी.आर.ए.एस.एच.ए.डी. तथा चुनौती–आधारित पर्यटन गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत अनेक परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें कांगड़ा, काजा और रक्छम–छितकुल में कार्य शामिल हैं।

4. **कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार में प्रगति**
   हवाई पट्टी विस्तार परियोजना में 147.75 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ए.ए.आई. को ₹6,311 करोड़ का संशोधित टी.ई. एफ.आर. प्रस्तुत किए जाने के साथ प्रगति हुई, जिससे भविष्य में बड़े विमानों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

5. **बेहतर संपर्क के लिए हेलीपोर्ट का तीव्र विकास**
   बद्दी, रामपुर, संजौली और कांगनिधार में हेलीपोर्ट पूर्ण किए गए, जबकि उडान फेज–II के अंतर्गत पालमपुर, रक्कड़, सुल्तानपुर और शाबरो में कार्य प्रगति पर है।

6. **सड़क नेटवर्क का विस्तार और ग्रामीण संपर्क में सुधार**
   दिसंबर 2025 तक राज्य में 43,091 किमी मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया गया तथा 15,606 गाँव सड़क अवसंरचना से जुड़े।

7. **सार्वजनिक परिवहन और हरित गतिशीलता का सुदृढ़ीकरण**
   एच.आर.टी.सी. 3,079 बसों का संचालन कर रहा है, जिनमें 110 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, तथा महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के लिए अनेक रियायती यात्रा योजनाएँ प्रदान करता है।

8. **इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार**
   छह ग्रीन कॉरिडोर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया गया है, जिनमें पेट्रोल पंपों पर 30 स्टेशन संचालित हैं और सरकारी व निजी स्थलों पर अतिरिक्त स्टेशन निर्माणाधीन हैं।

9. **परिवहन परमिट के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन**
   परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2025–26 में 17,619 परमिट जारी कर 46,795 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए।

12.10 परिवहन विकास

हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम और राज्य के कर कानूनों को लागू करता है, सड़क परिवहन को विनियमित करता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और किफायती यात्री एवं माल परिवहन को बढ़ावा देता है। वाहन करों के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रमुख राजस्व राशि से यह विभाग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करता है, जो राज्य में शासन और विकास दोनों का आधार है।

12.10.1 परिवहन विभाग

(i) **राजस्व सृजनः** वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए राजस्व संग्रह का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	संग्रह	वर्ष	अनुमानित संग्रह	दिसम्बर, 2025 तक संग्रह किया गया
2024–25	₹912.00 करोड़	2025–26	₹978.00 करोड़	₹730.00 करोड़

(ii) **मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों का प्रवर्तनः** परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान किए गए चालानों का सारांश इस प्रकार हैः

क्र.सं.	मद	वर्ष 2025–26 (दिसम्बर, 2025 तक)
1	विभिन्न अपराधों के लिए चालान किए गए वाहनों की संख्या।	66,518
2	वाहनो को जपत कर एकत्रित शुल्क की राशि	₹10.45 करोड़

स्त्रोतः परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

(iii) **वाहनों का पंजीकरणः** राज्य में 24,48,466 वाहन (परिवहन और गैर–परिवहन) पंजीकृत हैं। पंजीकृत वाहनों का जिलावार विवरण निम्नानुसार हैः

सारणी 12.8

जिलावार पंजीकृत वाहन

क्र.सं	जिला	पंजीकृत वाहन
1	बिलासपुर	1,35,008
2	चंबा	99,013
3	हमीरपुर	1,77,180
4	कांगड़ा	6,11,492
5	किन्नौर	16,108
6	कुल्लू	1,22,861

7	लाहौल–स्पीति	9,097
8	मंडी	2,82,413
9	शिमला	2,29,421
10	सिरमौर	1,69,045
11	सोलन	3,32,249
12	ऊना	2,64,579
	कुल	24,48,466

स्रोतः क्षेत्रीय परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

12.10.2 परिवहन विभाग की नीतियाँ

हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। चालू वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, योजनाएँ और लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:

i. **बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र (ए.टी.एस.) की स्थापनाः**बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन (आई. एंड. सी.) केंद्र, जिसे 2019 में MoRTH द्वारा ₹16.35 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत किया गया था, निर्माण कार्य के 95 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ लगभग पूरा हो चुका है। MoRTH ने सिविल कार्यों के लिए ₹7.00 करोड़ जारी कर दिए हैं, जबकि उपयोगिता कार्यों के लिए ₹2.92 करोड़ अभी भी लंबित हैं। M/s MAHA India Equipments Pvt. Ltd. द्वारा उपकरणों की स्थापना का कार्य चल रहा है और इसके छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिससे केंद्र का परिचालन 30.06.2026 तक शुरू हो जाएगा।

ii. परिवहन नगरों की स्थापनाः शानन (शिमला ग्रामीण) में परिवहन नगर के लिए, स्वीकृत निधि से ₹75.10 लाख का व्यय किया गया है। डी.पी.आर. में कुल परियोजना लागत ₹108 करोड़ अनुमानित है।

iii. **ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (डी.टी.एस.) और प्रदूषण जांच केंद्र (पी.सी.सी.):** वर्तमान में, राज्य में 406 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और 321 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित हैं। 31 दिसंबर, 2025 तक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों और प्रदूषण जांच केंद्रों का विवरण इस प्रकार है:

सारणी 12.9

क्र.सं	आर.टी.ओ. का नाम	कुल डी.टी.एस. की संख्या	निजी		एच.आर.टी.सी.	सरकारी आई.टी.आई.	पी.सी.सी. की संख्या	पी.सी.सी. की संख्या	पी.सी.सी. की कुल संख्या
			एल.एम.वी.	एच.टी.वी.	एच.टी.वी.	एल.एम.वी/एच.टी.वी.	निजी	एच.आर.टी.सी.	
1.	आर.टी.ओ. शिमला	40	37	02	01	00	26	01	27

2.	आर.टी.ओ. हमीरपुर	46	39	06	01	00	20	01	21
3.	आर.टी.ओ. ऊना	22	15	06	00	01	27	00	27
4.	आर.टी.ओ. चंबा	09	08	00	01	00	11	01	12
5.	आर.टी.ओ. रामपुर	16	15	00	01	00	03	00	03
6.	आर.टी.ओ. मंडी	90	78	09	02	01	39	00	39
7.	आर.टी.ओ. सोलन	25	24	01	00	00	26	00	26
8.	आर.टी.ओ. बद्दी–नालागढ़	11	08	02	01	00	18	00	18
9.	आर.टी.ओ. कुल्ल	11	09	01	01	00	09	01	10
10.	आर.टी.ओ. सिरमौर नाहन	08	06	02	00	00	06	00	06
11.	आर.टी.ओ.बिलासपुर	33	25	07	01	00	15	00	15
12.	आर.टी.ओ.धर्मशाला	95	83	10	02	00	117	00	117
कुल		406	347	46	11	02	317	04	321

स्रोतः परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

iv. रोजगार सृजनः परिवहन विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 31 दिसंबर, 2025 तक 46,795 आवेदकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट/स्टेज कैरिज परमिट/गुड्स कैरिज परमिट और पैसेंजर सर्विस व्हीकल (PSV) परमिट देकर राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग द्वारा दिए गए परमिटों ने 17,619 बेरोजगार युवाओं को स्वंय का परिवहन व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया है। विवरण इस प्रकार है।

सारणी 12.10

रोजगार सृजन की स्थिति

परमिट का प्रकार	प्रत्येक परमिट के समकक्ष प्रति व्यक्ति रोजगार की संख्या	अप्रैल से दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए जारी किये गए परमिट	कुल रोजगार
टैक्सी/मैक्सी कैब	2	5,489	10,978
बस स्टेज कैरिज	3	66	198
ट्रक (माल ढुलाई)	3	11,491	34,473
यात्री सेवा वाहन (पी.एस.वी.)	2	573	1,146
कुल	10	17,619	46,795

स्रोतः क्षेत्रीय परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

v. इलेक्ट्रिक वाहन नीतिः राज्य ने हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए "हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2022" अधिसूचित की है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआत राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

(i) ई–चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना

राज्य सरकार विभिन्न हितधारकों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) आदि के सहयोग से पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने शुरुआत में 100 स्थानों की पहचान की है, जिनमें से 54 पेट्रोल पंप और 46 सरकारी स्थल हैं। चालू वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 43 और पेट्रोल पंपों की पहचान की गई है।

राज्य ने निम्नलिखित छह ग्रीन कॉरिडोर अधिसूचित किए हैं:

1. परवाणू–नालागढ़–ऊना–हमीरपुर–देहरा–अंब–मुबारिकपुर–संसारपुर टैरेस–नूरपुर।
2. पांवटा–नाहन–सोलन–शिमला।
3. परवाणू–सोलन–शिमला–रामपुर–पियो–पूह–ताबो–काजा–लोसर।
4. शिमला–बिलासपुर–हमीरपुर–कांगड़ा–नूरपुर–बनीखेत–चंबा।
5. मंडी–जोगिंद्र नगर–पालमपुर–धर्मशाला–कांगड़ा।
6. कीरतपुर–बिलासपुर–मंडी–कुल्लू–मनाली–केलांग–ज़िंग–ज़िंग बार।

उपरोक्त 6 हरित गलियारों में से 4 गलियारे अर्थात पहला, चौथा, पांचवां और छठा कार्यात्मक हैं, क्योंकि इन गलियारों पर पेट्रोल पंपों पर अधिकांश ई.वी. चार्जिंग स्टेशन आम जनता के उपयोग के लिए कार्यात्मक हैं।

क) पेट्रोल पंप:

हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सलाह करके ऊपर बताए गए ग्रीन कॉरिडोर के किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 79 पेट्रोल पंपों की पहचान की है। इन 79 पहचाने गए पेट्रोल पंपों में से 30 चार्जिंग स्टेशन चालू हो गए हैं और आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं।

ख) सरकारी स्थल:

परिवहन विभाग ने अलग–अलग स्टेकहोल्डर्स से सलाह करके, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहचाने गए ग्रीन कॉरिडोर में 41 सरकारी जगहों की पहचान की है। इसे लागू करने का काम पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के अन्तर्गत तीन प्राइवेट पार्टनर्स को दिया गया है। EV मॉडल के अन्तर्गत अलॉटमेंट के लिए समझोता ज्ञापन 10.12.2024 और 27.02.2025 को किए गए थे।

कॉरीडोर	कंपनी का नाम	निलामी (₹ लाख में)	स्थान
कॉरिडोर नंबर 1 (परवाणू–नूरपुर)	ई.वी.आई. टेक	17.11	08
कॉरिडोर नंबर 3 (परवाणु–लोसर)	ई.वी.आई. टेक	14.16	14
कॉरिडोर नंबर 4 (शिमला–चंबा)	इलेक्ट्रो वेव	9.20	10
कॉरिडोर नंबर 5 (मंडी–पठानकोट)	जियो	15.60	03
कॉरिडोर नंबर 6 (किरतपुर–ज़िंगज़िंगबार)	जियो	18.36	06
कुल		74.43	41

परिवहन विभाग द्वारा अभी मेसर्स ई.वी.आई. प्रौद्योगिकी ने तीन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन चालू कर दिए हैं। इसके अलावा, मेसर्स जियो ने पांच जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम कर रही है और जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। बाकी जगहों पर रास्ते के किनारे सुविधाओं के साथ चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम अभी चल रहा है।

ग) पर्यटन होटल

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के साथ समन्वय करके 65 होटलों में ई.वी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहता है। पहले चरण में 11 स्थलों का चयन किया गया है। परियोजना को एक समझौता ज्ञापन आई.ओ.सी.एल और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ किया गया है।

घ) निजी होटल

परिवहन विभाग राज्य भर के निजी होटलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। होटल संघों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें अपने–अपने प्रतिष्ठानों में चार्जिंग सुविधा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के निजी होटलों में कुल 65 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

जिला–वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल
1.	शिमला	24
2.	सोलन	12
3.	कुल्लू–मनाली	11
4.	कांगड़ा	06
5.	चम्बा (डलहौजी)	01
6.	ऊना	04
7.	मण्डी	04
8.	बिलासपुर	03
कुल		**65**

ii. ई–टैक्सी:

सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, 2023 के अन्तर्गत ई–टैक्सी किराए पर लेने के लिए 1 सितंबर, 2023 को मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) अधिसूचित की है। इस योजना के अन्तर्गत् सरकार बेरोजगार युवाओं को ई–टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। ये सभी ई–टैक्सी सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में लगाई जाएंगी। पहले चरण में सरकार ने ई–टैक्सी सब्सिडी देने के लिए 54 आवेदकों का चयन किया है।

iii. सरकारी विश्राम गृह/सर्किट हाउस

जिला प्रशासन के समन्वय से परिवहन विभाग ने इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, विश्राम गृहों, सर्किट हाउसों और

अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों सहित 434 स्थानों की पहचान की है। इसके अलावा, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एम.एच.आई.) ने पी.एम. ई–ड्राइव योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप चयनित स्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तदनुसार, परिवहन विभाग ने भारी उद्योग मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर 184 स्थानों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिन पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है।

iv.स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए.टी.एस.):

राज्य सरकार का परिवहन विभाग राज्य के सात जिलों में स्वचालित परीक्षण केंद्र (ए. टी.एस.) स्थापित कर रहा है। इनमें से पांच निजी क्षेत्र में और दो सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं। इन सात ए.टी.एस. में से कांगड़ा जिले का एक केंद्र पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार है और इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र 23 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया था। शेष छह स्वचालित परीक्षण केंद्रों पर काम जारी है और चार निजी क्षेत्र के ए.टी.एस. के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है।

v. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आर.वी.एस.एफ.):

हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (वी.एस.सी.) स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग ने 80 आवेदकों के पक्ष में प्रारंभिक सहमति जारी कर दी है। फिलहाल, केवल दो आवेदकों ने सोलन और हमीरपुर में वी.एस.सी. स्थापित करने का काम शुरू किया है। अब तक, राज्य में वी.एस.सी. के माध्यम से 1,681 वाहन (336 सरकारी और 1,345 निजी) स्क्रैप किए जा चुके हैं।

vi. मोटर साइकिल और मोटर कैब किराए पर लेने की योजना:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान के अन्तर्गत मोटर बाइक किराए पर लेने की योजना अधिसूचित की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आवेदकों को 4,834 परमिट दिए और इस उद्देश्य के लिए 4,180 मोटर साइकिल पंजीकृत की गई हैं।

vii. निजी बसों और टैक्सियों के बेड़े की संख्या:

हिमाचल प्रदेश में निजी स्टेज कैरिज बसों की कुल संख्या 3,324 है और टैक्सियों (4+1 बैठने की क्षमता) की संख्या 21,969 तथा मैक्सी (6+1 और उससे अधिक) की संख्या 14,074 है। जिलावार और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) वार विवरण इस प्रकार हैं:

सारणी 12.11

टैक्सियों और निजी बसों के बेड़े की संख्या

हिमाचल प्रदेश में आर.टी.ओ. वार प्राइवेट स्टेज कैरिज बसोंका विवरण 31 दिसंबर, 2025 तक ।		
क्र.सं.	आर.टी.ओ. का नाम	निजी बसों की संख्या

1	आर.टी.ओ. शिमला	262
2	आर.टी.ओ. किन्नौर स्थित रामपुर	88
3	आर.टी.ओ. सोलन	207
4	आर.टी.ओ. बद्दी स्थित नालागढ़	103
5	आर.टी.ओ. बिलासपुर	274
6	आर.टी.ओ. हमीरपुर	357
7	आर.टी.ओ. कुल्लू	168
8	आर.टी.ओ. ऊना	287
9	आर.टी.ओ. मंडी	424
10	आर.टी.ओ. धर्मशाला	834
11	आर.टी.ओ. सिरमौर	172
12	आर.टी.ओ. चम्बा	148
कुल		3,324

31 दिसंबर, 2025 तक हिमाचल प्रदेश में पंजीकत टैक्सी और मैक्सी की संख्या का जिलेवार विवरण

क.स.	जिले का नाम	टैक्सियों की कुल संख्या (4+1)	मैक्सी (6+1) और उससे ऊपर की कुल संख्या
1	कुल्लू	5,806	2,563
2	शिमला	3,123	2,265
3	सोलन	1,218	929
4	सिरमौर	252	226
5	कांगड़ा	4,620	2,511
6	हमीरपुर	1,407	872
7	ऊना	274	480
8	मंडी	2521	1683
9	लाहौल–स्पीति	–	–
10	किन्नौर	608	608
11	बिलासपुर	782	872
12	चंबा	1,358	1,065
कुल		21,969	14,074

12.10 हिमाचल पथ परिवहन निगम

हिमाचल पथ परिवहन (एच.आर.टी.सी.) निगम राज्य में सार्वजनिक परिवहन का मुख्य स्रोत है क्योंकि अन्य परिवहन साधन जैसे रेलवे, वायुमार्ग आदि नंगण्य हैं। इसलिए हिमाचल पथ परिवहन निगम का महत्व सर्वोपरि है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को राज्य के भीतर और बाहर यात्री परिवहन सेवाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 3,079 बसों, 110 इलेक्ट्रिक बसों, 38 टैक्सियों, 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियों और 12 टेम्पो ट्रैवलर के बेड़े के साथ प्रदान की जा रही हैं।

12.10.1 यात्रियों के लाभ के लिए एच.आर.टी.सी. की योजनाएं

i) **ग्रीन कार्ड योजनाः** ग्रीन कार्डधारक को किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

ii) **स्मार्ट कार्ड योजनाः** हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। कार्ड की कीमत ₹100 है और इसकी वैधता एक वर्ष है। इसके अन्तर्गत किराए में 10 प्रतिशत की छूट मिलती है और यह एच.आर.टी.सी. की साधारण, सुपरफास्ट, सेमी डीलक्स और डीलक्स बसों में मान्य है। वोल्वो और ए.सी. बसों में यह छूट 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लागू रहती है।

iii) **वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजनाः** निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत साधारण बसों में किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

iv) **महिलाओं के लिए निःशुल्क सुविधाः** रक्षाबंधन और भैया दूज के अवसर पर एच. आर.टी.सी. की साधारण बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। मुस्लिम महिलाओं को ईद और बेकरईद के अवसर पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है।

v) **महिलाओं को किराये में छूटः** राज्य के भीतर साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी है।

vi) **सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क सुविधाः** सरकारी स्कूलों के +2 कक्षा तक के विद्यार्थियों को साधारण बसों में उनके घर से स्कूल तथा स्कूल से घर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है।

vii) **गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त सुविधाः** कैंसर, रीढ़ की हड्डी की चोट, किडनी और डायलिसिस के रोगियों को डॉक्टर द्वारा जारी रेफरल पर्ची पर चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से बसों में एक परिचर के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

viii) **दिव्यांगजनो को निःशुल्क सुविधाः** 70 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनो को एक परिचर के साथ राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है।

ix) **वीरता पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क सुविधाः** वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य एच.आर.टी.सी. की साधारण बसों में इसके अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

x) हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने पतलीकुहुल, मनाली (प्रथम चरण), बंजार, हारोली, ठियोग, भावनगर, बरछवार और जंजैहली में नए बस स्टैंडों का निर्माण पूरा कर लिया है, और 2025–26 में कई और स्टैंडों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एच.आर.सी.टी. ने धार्मिक स्थलों के लिए प्रथम दर्शन सेवाशुरू की है, नए और विस्तारित रूट जोड़े हैं, और एक नई सामान नीति लागू की है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अक्टूबर, 2025 में कैशलेस भुगतान विकल्प और ऑनलाइन हिम बस कार्ड (आर.एफ.आई.डी. आधारित रियायतें) लॉन्च किए गए।

सारणी 12.12

राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन

वर्ष	बसे	संलग्न बसें	इलेक्ट्रिक बस	टैक्सियाँ	इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ	अन्य	कुल	परिचालन के अन्तर्गत मार्गों की कुल संख्या	कवर की गई दूरी ('000 किलोमीटर)
2016-17	3,105	53	-	-	-	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	-	-	-	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21	3,099	51	75	21	50	92	3,391	2,350	77,767
2021-22	3,103	48	75	21	50	99	3,396	2,170	1,43,717
2022-23	3,142	31	75	38	50	106	3,442	2,813	2,08,837
2023-24	3,180	23	110	47	50	56	3,343	3,466	1,99,559
2024-25	3,079	20	110	47	50	52	3,336	2,721	2,08,235
2025-26 नवम्बर, 2025 तक	2,823	0	110	47	50	52	3,082	2,721	1,26,048

स्रोतः क्षेत्रीय परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

12.11 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तर की चुनौतियाँ और मुद्दे

मुद्दे / चुनौतियाँ	प्रमाण	प्रभाव
1. पर्यटन स्थलों और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव	वर्ष 2025 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1.45 करोड़ हो गई, जिससे हिल स्टेशनों और पारिस्थितिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा।	पर्यावरणीय क्षरण, कचरे का संचय, भीड़भाड़ तथा आगंतुक अनुभव में गिरावट का जोखिम।
2. अत्यधिक मौसमी और तीर्थ यात्रा से संबंधित भीड़भाड़	वर्ष 2025 में केवल धार्मिक पर्यटन में ही 166.51 लाख आगंतुक दर्ज किए गए, जिनका चरम अप्रैल और मई में रहा।	नागरिक सुविधाओं पर दबाव, यातायात बाधाएँ, सुरक्षा चुनौतियाँ तथा बेहतर भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता।
3. भौगोलिक सीमाओं के कारण सीमित हवाई संपर्क	जुब्बरहट्टी और भुंतर हवाई अड्डों का विस्तार संभव नहीं है, जिससे कांगड़ा हवाई अड्डा ही रनवे विस्तार के लिए एकमात्र व्यवहार्य स्थल रह जाता है।	पर्यटकों की सीमित आमद, अधिक यात्रा समय, दूरस्थ जिलों तक कम पहुँच तथा उच्च मूल्य पर्यटन की संभावनाओं का नुकसान।
4. पर्वतीय भू–भाग में सड़क संजाल की संवेदनशीलता	राज्य मुख्यतः सड़कों पर निर्भर है और वर्ष 2025 तक 43,091 किमी सड़कें निर्मित की गई हैं, कठिन भू–भाग के कारण संपर्क चुनौतीपूर्ण और आपदा–प्रवण है।	बार–बार व्यवधान, उच्च रखरखाव लागत, धीमी परिवहन सेवाएँ तथा मानसून/सर्दियों के दौरान जोखिम।
5. वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात प्रबंधन की समस्याएँ	राज्य में 24.48 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जो बढ़ती भीड़भाड़ और नियामकीय दबाव को दर्शाता है।	प्रदूषण में वृद्धि, सड़क सुरक्षा जोखिम, बेहतर प्रवर्तन और यातायात अवसंरचना योजना की आवश्यकता।
6. गतिशीलता और वहनीयता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर दबाव	एच.आर.टी.सी. 3,079 बसों का संचालन करता है, किंतु कई रियायती/मुफ्त यात्रा योजनाएँ भी प्रदान करनी पड़ती हैं।	एच.आर.टी.सी. पर वित्तीय दबाव, बेड़े के आधुनिकीकरण में कठिनाई तथा राज्य पर अधिक सब्सिडी बोझ।

7. कठिन भू–भाग में ई.वी.चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र का धीमा विस्तार	पेट्रोल पंपों पर केवल 30 ई. वी. चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं, अतिरिक्त स्थल निर्माणाधीन हैं।	इलेक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) को अपनाने की धीमी गति, सीमित दूरी को लेकर चिंता (रेंज एंग्जायटी), परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना में कठिनाई तथा अवसंरचना के तेज विस्तार की आवश्यकता।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे और चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	प्रमाण
1. अत्याधिक तीर्थ भीड़ के कारण नागरिक सेवाओं पर दबाव	हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना	बाबा बालक नाथ (हमीरपुर), ज्वालाजी, बज्रेश्वरी, चामुंडा (कांगड़ा) और चिंतपूर्णी (ऊना) में वर्ष 2025 में कुल 166.51 लाख तीर्थयात्री आए, जिनमें अप्रैल–मई चरम माह रहे।
2. प्रमुख पर्वतीय पर्यटन परिपथों पर पर्यटन का बढ़ता दबाव, जिसके कारण पारिस्थितिकी और अवसंरचना पर तनाव उत्पन्न हो रहा है।	शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी	वर्ष 2025 में हिमाचल में 1.45 करोड़ पर्यटक आए, जिनका अधिकांश भाग लोकप्रिय पर्यटन परिपथ में केंद्रित रहा।
3. हवाई अड्डा विस्तार में देरी और चुनौतियाँ, जिससे हवाई संपर्क सीमित	कांगड़ा	कांगड़ा हवाई अड्डा ही एकमात्र हवाई अड्डा है जहाँ रनवे विस्तार संभव है, 147.75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है और परियोजना लागत ₹6,311 करोड़ है।
4. हेलीपोर्ट विकास में धीमी प्रगति और अंतराल	लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर	इन जिलों में अतिरिक्त हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, कई अभी भी निर्माणाधीन हैं या संचालन की प्रतीक्षा में हैं।
5. कठिन भू–भाग में सड़कों पर भारी निर्भरता से बार–बार व्यवधान	किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा	पर्वतीय भू–भाग के कारण संपर्क कठिन है, कई जिलों में सड़कें ही प्रमुख परिवहन साधन हैं जो व्यवधानों के प्रति संवेदनशील रहती हैं। दिसंबर 2025 तक 43,091 किमी मोटर योग्य सड़कें निर्मित।

6. वाहनों की बढ़ती संख्या से यातायात प्रबंधन का बढ़ता बोझ	शहरी जिलें: शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी	राज्य में 24.48 लाख पंजीकृत वाहन हैं, जिससे विशेषकर उच्च यातायात वाले शहरी जिलों में भीड़भाड़ बढ़ रही है।
7. पहाड़ी और दूरस्थ जिलों में ई.वी.चार्जिंग नेटवर्क अभी भी सीमित है।	किन्नौर, लाहौल–स्पीति, चंबा, शिमला ग्रामीण क्षेत्र	वर्तमान में पेट्रोल पंपों पर केवल 30 ई. वी.चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं, अन्य अभी निर्माणाधीन हैं,जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में ई. वी. को अपनाने की गति सीमित बनी हुई है।

12.13 भावी दिशा

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सड़क एवं परिवहन के लिए भावी रणनीति में सततता, लचीलापन तथा प्रौद्योगिकी एकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यटन विकास को गंतव्य विविधीकरण, कम प्रसिद्ध पर्यटन सर्किटों के प्रोत्साहन, वहन क्षमता मानकों के कठोर अनुपालन तथा समेकित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की दिशा में अग्रसर करना आवश्यक है। सामुदायिक आधारित पर्यटन, ईको–प्रमाणीकरण तथा हरित भवन मानकों को सुदृढ़ कर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ–साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया जाना चाहिए।

सड़क अवसंरचना नियोजन में जलवायु–लचीला डिजाइन, ढलान स्थिरीकरण तकनीक, उन्नत जल निकासी प्रणाली तथा भूस्खलन के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र को शामिल किया जाना चाहिए। राज्य एवं केंद्र एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और पुलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। डिजिटल रोड एसेट प्रबंधन प्रणाली अपनाने से निगरानी एवं रखरखाव की दक्षता में सुधार होगा।

परिवहन क्षेत्र में सभी प्रमुख कॉरिडोरों पर चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, वाणिज्यिक ई.वी. बेड़ों के लिए प्रोत्साहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकरण के माध्यम से विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाना कम–कार्बन गतिशीलता को बढ़ावा देगा। बेड़े के आधुनिकीकरण, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली तथा वित्तीय सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ कर सेवा गुणवत्ता और स्थिरता में वृद्धि की जा सकती है। वायु संपर्क के विस्तार, विशेषकर कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे विस्तार को पूर्ण करने से उच्च–मूल्य पर्यटन की संभावनाएँ साकार होंगी।

सतत पर्यटन प्रथाओं, जलवायु–सहिष्णु अवसंरचना विकास और हरित गतिशीलता सुधारों के समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण और समावेशी विकास के संतुलन के साथ एक आदर्श हिमालयी राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है।

*****

अध्याय 13

शिक्षा

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**उच्च साक्षरता तथा सुदृढ़ शैक्षिक उपलब्धता**	हिमाचल प्रदेश ने पाठशाला तक लगभग सभी की पहुँच हासिल कर ली है, जहाँ साक्षरता बढ़कर 93.3 प्रतिशत (एन.एफ.एच.एस. 5) हो गई है और महिलाओं की साक्षरता लगातार अधिक है, जिसे बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश से मदद मिली है।
2	**व्यापक स्कूल नेटवर्क**	दिसंबर 2025 तक राज्य में 9,750 प्राथमिक, 1,744 माध्यमिक, 967 उच्च तथा 1,972 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिससे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी शिक्षा की सुलभ और सुनिश्चित पहुँच स्थापित हुई है।
3	**मजबूत बुनियादी ढांचा कवरेज**	लगभग 100 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तथा 98 प्रतिशत विद्यालयों में पृथक शौचालय स्थापित हैं। अधिकांश विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति, पुस्तकालय, संगणक तथा अंतर्जाल संयोजकता भी उपलब्ध है, जो आधारभूत संरचना की संतृप्ति को दर्शाती है।
4	**उन्नत छात्र–शिक्षक अनुपात**	प्राथमिक स्तर पर शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात 1:12, माध्यमिक स्तर पर 1:11 तथा उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 1:10 है, जो गुणवत्तापूर्ण कक्षा–अंतःक्रिया और प्रभावी शिक्षण–प्रक्रिया को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।
5	**कम ड्रॉपआउट और उच्च नामांकन**	प्राथमिक स्तर पर विद्यालय त्याग दर अत्यंत न्यून 0.09 प्रतिशत है तथा प्रारंभिक कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है, जो सुदृढ़ स्थायित्व एवं व्यापक सहभागिता को परिलक्षित करता है।
6	**उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति का विस्तार**	राज्य में 143 स्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान संचालित हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बालिकाओं, मेधावी विद्यार्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विविध छात्रवृत्ति योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
7	**कॉलेजों में डिजिटल परिवर्तन**	वर्ष 2025–26 की पहल के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय, आभासी कक्षाएँ, उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएँ, सी.सी.टी.वी. प्रणाली तथा नियोजन प्रकोष्ठों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।
8	**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु**	कुल 5,926 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग विद्यार्थियों) की पहचान की गई है। इनके लिए विद्यालयों में

	समावेशी शिक्षा	समावेशन, गृह–आधारित शिक्षण, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, ब्रेल पुस्तकों की व्यवस्था, एस्कॉर्ट सुविधा तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है।
9	**व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण**	16 व्यवसायों में 1,742 विद्यालयों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूप रेखा (एन.एस.क्यू.एफ.) लागू की गई है। साथ ही बी. वोक. कार्यक्रम, कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहु–प्राविधिक संस्थान एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है।

13.1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा राज्य सरकार की सदैव प्रमुख प्राथमिकता रही है। दुर्गम पर्वतीय भू–भाग और बिखरी हुई आबादी के बावजूद राज्य ने विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लगभग सार्वभौमिक शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित की है। साक्षरता दर के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में रहा है, जो शिक्षा अवसंरचना, शिक्षकों की उपलब्धता और छात्र कल्याण उपायों में निरंतर सार्वजनिक निवेश का परिणाम है।

राज्य समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष बल देता है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्तियाँ तथा बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया गया है। विद्यालय अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार हेतु बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है। यह प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सतत विकास लक्ष्य–4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कुशल एवं ज्ञान–संपन्न मानव संसाधन का निर्माण करना है।

पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के समय राज्य की साक्षरता दर मात्र 31.96 प्रतिशत थी। शिक्षा अवसंरचना के विस्तार हेतु किए गए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 A को शामिल करना इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्य पर निर्धारित करता है। वर्ष 2009 का 'बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' इस प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने हेतु अपनाई गई विभिन्न नीतिगत पहलों का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 74.0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत अधिक थी। पुरुष साक्षरता दर 89.53 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) के अनुसार राज्य की साक्षरता दर बढ़कर 93.3 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में पुरुष साक्षरता दर 94.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 91.7 प्रतिशत है, जिससे लैंगिक अंतर घटकर 3.2 प्रतिशत रह गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने, समानता को बढ़ावा देने और पठन–पाठन प्रक्रिया में नवाचार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

13.2 विद्यालय शिक्षा

31 दिसम्बर, 2025 तक सरकारी क्षेत्र में 9,750 प्राथमिक विद्यालय, 1,744 माध्यमिक विद्यालय, 967 उच्च विद्यालय तथा 1,972 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु विद्यालयों में नियमित रूप से नई नियुक्तियाँ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी समुचित व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू की जा रही हैं:

- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना।
- सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना।
- राज्य के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।

नीचे प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त सारणीबद्ध विवरण प्रस्तुत है:

सारणी–13.1

स्कूल शिक्षा योजनाएँ (राज्य एवं प्रमुख केंद्रीय योजनाएँ)

योजना	लक्षित समूह	मुख्य लाभ
मेधावी छात्रवृत्ति योजना	कक्षा पाँच के मेधावी विद्यार्थी	₹1,200 प्रतिवर्ष (कक्षा 8 तक)
आई.आर.डी.पी. / बी.पी.एल. छात्रवृत्ति	बी.पी.एल. छात्र (कक्षा 1 से 8 तक)	₹500 / ₹700 प्रतिवर्ष
लाहौल / स्पीति प्रारूप छात्रवृत्ति योजना	जनजातीय क्षेत्र के छात्र (कक्षा एक से आठ तक)	₹80 प्रतिवर्ष
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र (कक्षा एक से दस तक)	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
पी.एम. पोषण (मिड–डे मील) एवं मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार	पूर्व–प्राथमिक से कक्षा आठ तक	गर्म भोजन एवं साप्ताहिक पोषण आहार
नई भारत साक्षरता कार्यक्रम	वयस्क शिक्षार्थी	वयस्क साक्षरता सहयोग
पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक समुदाय)	(कक्षा एक से दस तक)	शैक्षणिक भत्ता एवं अनुरक्षण भत्ता

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. सार्वभौमिक विद्यालय अवसंरचनाः

विद्यालयों में 100 प्रतिशत पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की गई। 98 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय उपलब्ध हैं तथा माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक विद्युत सुविधा सुनिश्चित की गई है।

2. शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात में सुधारः

प्राथमिक–स्तर पर 1:12, माध्यमिक (मिडिल) स्तर पर 1:11 तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 1:10 का शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात प्राप्त कर शिक्षण सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

3. उच्च शिक्षा में डिजिटल रूपांतरण

50 महाविद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए, 14 महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएँ स्थापित की गईं, 17 महाविद्यालयों में आई.सी.टी. प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया तथा 15 महाविद्यालयों में सी.सी.टी.वी. प्रणाली स्थापित की गई, जिससे पहुँच, शिक्षण गुणवत्ता एवं सुरक्षा में सुधार हुआ।

4. व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा का विस्तार

16 व्यावसायिक क्षेत्रों में 1,742 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा लागू किया गया। व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन 1,03,926 से बढ़कर 1,11,068 हुआ तथा 20 महाविद्यालयों में संचालित बी.वोक कार्यक्रमों में 3,525 विद्यार्थी नामांकित हुए।

5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा

कुल 5,926 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गई इनमें से 1,553 को माध्यमिक स्तर पर समेकित किया गया तथा 1,334 बच्चों को गृह–आधारित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इन्हें सहायक उपकरण, ब्रेल पुस्तकें, एस्कॉर्ट भत्ता एवं विशेष शिक्षकों की सुविधा प्रदान की गई।

6. बालिका शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

सरकारी महाविद्यालयों में सभी बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा जारी रही तथा 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक समुदाय/आई.आर.डी.पी. परिवारों की 999 बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की गई।

7. तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि

राज्य में 355 तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान 53,638 सीट क्षमता के साथ संचालित रहे तथा 5,118 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों को रोजगार मेलों एवं परिसर साक्षात्कारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ

13.3 उच्च शिक्षा

राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2025 तक हिमाचल प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में 143 राजकीय डिग्री महाविद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें 09 संस्कृत महाविद्यालय, 01 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 01 बी.एड. महाविद्यालय तथा 02 ललित कला महाविद्यालय शामिल हैं। संस्थानों का यह व्यापक नेटवर्क राज्य के विविध एवं भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करता है।

सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार, उन्नयन एवं विविधीकरण को निरंतर प्राथमिकता दे रही है, जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, कौशल विकास तथा उभरती रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों का समायोजन शामिल है। बजटीय सहयोग अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, संकाय क्षमता विकास, डिजिटल शिक्षण तथा समावेशी पहुँच को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रभावी भागीदारी कर सकें और राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।

13.3.1 छात्रवृत्ति योजनाएँ

समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विविध छात्रवृत्तियाँ एवं वजीफे प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तक पहुँच, निरंतरता तथा शिक्षा पूर्ण करने को प्रोत्साहित करना है। प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

सारणी–13.2

उच्च शिक्षा – राज्य प्रायोजित योजनाएँ

योजना	श्रेणी	लाभ
डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थी	₹18,000 प्रतिवर्ष
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति	सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थी	₹18,000 प्रतिवर्ष
ठाकुर सेन नेगी छात्रवृत्ति	जनजातीय क्षेत्र के शीर्ष स्थान प्राप्त विद्यार्थी	₹11,000 प्रतिवर्ष
कल्पना चावला छात्रवृत्ति	मेधावी बालिकाएँ (10+2	₹18,000 प्रतिवर्ष
इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति	10+2 / स्नातक स्तर के शीर्ष स्थान प्राप्त विद्यार्थी	₹18,000 प्रतिवर्ष

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	आई.आई.टी / एम्स / आई.आई.एम. आदि में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी	₹75,000 (एकमुश्त)
विद्यार्थी कल्याण योजना (आई.आर.डी.पी.)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी	₹1,500–₹6,000 प्रतिवर्ष
ज्ञानदीप योजना	उच्च शिक्षा ऋण	4 प्रतिशत ब्याज अनुदान
डॉ. वाई.एस. परमार ऋण योजना	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1 प्रतिशत रियायती ऋण

सारणी 13.3

केंद्रीय प्रायोजित (प्रमुख) योजनाएँ

योजना	लक्षित समूह	लाभ
पी.एम.–यशस्वी (PM-YASASVI)	अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग / विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियाँ	₹4,000–₹20,000 प्रतिवर्ष
पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी	₹2,300–₹13,500 प्रतिवर्ष
अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी	शुल्क एवं अनुरक्षण सहायता
दिव्यांग छात्रवृत्ति	40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी	शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भत्ता

13.4 संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना

हिमाचल संस्कृत अकादमी, शिमला राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संस्कृत महाविद्यालयों एवं डिग्री महाविद्यालयों में संस्कृत के संवर्धन हेतु कार्यरत है। अकादमी द्वारा संस्कृत प्रतियोगिताओं, कर्मकांड एवं ज्योतिष शिविरों, कवि सम्मेलनों तथा विद्यार्थियों एवं राज्य की सामान्य जनता के हित में अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन किया जाता है।

13.5 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन तथा राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किए गए, जिनमें विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 1,146 शिक्षकीय एवं गैर–शिक्षकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

13.6 विशेष रूप से सक्षम बच्चों को मुफ्त शिक्षा

राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा उन्हें महाविद्यालय स्तर तक किसी भी प्रकार के शुल्क एवं निधियों के भुगतान से छूट दी गई है।

13.7 लड़कियों को मुफ्त शिक्षा

राज्य में छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर तक बिना किसी शिक्षण शुल्क के निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

13.8 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत:

- 73 महाविद्यालयों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.), शिमला को रूसा अनुदान प्राप्त हो रहा है।
- एच.पी.यू, शिमला को बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एम.ई.आर.यू.) योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।
- चार महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट, राजकीय महाविद्यालय सिहुंता, डी.ए.वी. महाविद्यालय कांगड़ा तथा राजकीय महाविद्यालय मण्डी को महाविद्यालय सुदृढ़ीकरण अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- सिरमौर, चंबा, ऊना एवं कांगड़ा जिलों में बालिका छात्रावासों को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम.–यू.एस.एच.ए.) के अंतर्गत लैंगिक समावेशन एवं समानता पहल के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

13.9 मेधा प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT)/ राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–संयुक्त प्रवेश परीक्षा (IIT-JEE) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)/सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज (AFMC)/ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)/कर्मचारी चयन

आयोग (SSC)/बैंकिंग आदि परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर उनकी सहायता करना है। हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी जिनके परिवारों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

13.10 खेल से स्वास्थ्य योजना

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 67 महाविद्यालयों में टेबल टेनिस टेबल तथा 57 महाविद्यालयों में केबल क्रॉस उपकरण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

13.11 व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम (बी. वोक) के स्नातक

राज्य के 20 सरकारी महाविद्यालयों में "रिटेल प्रबंधन" तथा "आतिथ्य एवं पर्यटन" में बी.वोक. (बैचलर ऑफ वोकेशन) डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये महाविद्यालय हैं– राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला (कांगड़ा), नूरपुर (कांगड़ा), कुल्लू, मंडी, संजौली (शिमला), रामपुर (शिमला), ऊना, हमीरपुर, सोलन, नाहन (सिरमौर), ढ़लियारा (कांगड़ा), घुमारवीं (बिलासपुर), सरकाघाट (मंडी), हरिपुर (कुल्लू), सीमा तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय (शिमला)। इस योजना के अन्तर्गत एक बैंच में ज्यादा से ज्यादा 80 विद्यार्थीयों का दाखिला होता है (रिटेल प्रबंन्धन में 40 एवं होटल और पर्यटन में 40) शैक्षिणीक स्तर 2025–26 के दौरान कुल 3525 छात्र प्रशिक्षण/नामांकित है।

13.12 सरकारी महाविद्यालयों में डिजिटल पहलों का क्रियान्वयन

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में डिजिटल रूपांतरण का एक व्यापक कार्यक्रम संचालित किया गया। इन पहलों का उद्देश्य शैक्षणिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना, डिजिटल पहुँच का विस्तार करना, परिसर सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा कौशल–आधारित एवं भविष्य उन्मुख शिक्षण को प्रोत्साहित करना था। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. डिजिटल पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र

पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच के विस्तार के उद्देश्य से डिजिटल पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों का पंजीकरण राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एन.डी.एल.), आई.आई.टी. खड़गपुर पर किया गया है, जिससे उन्हें टैबलेट एवं कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ई–लर्निंग सामग्री के विशाल भंडार तक पहुँच प्राप्त हो रही है। राज्य के 50 सरकारी महाविद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

2. वर्चुअल एवं लाइव स्ट्रीमिंग कक्षाएँ

प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षण एवं संसाधन साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में वर्चुअल एवं लाइव स्ट्रीमिंग कक्षाएँ स्थापित की जा रही हैं। ये सुविधाएँ वास्तविक समय में ऑनलाइन शिक्षण, विभिन्न महाविद्यालयों में विशेषज्ञ व्याख्यान, वेबिनार तथा हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को समर्थन प्रदान करती हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 14 सरकारी महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना हेतु ₹51.00 लाख व्यय किए गए।

3. आई.सी.टी.–सक्षम कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ

डिजिटल कौशल को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)–सक्षम कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 सरकारी महाविद्यालयों में आई.सी.टी. प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु ₹51.00 लाख व्यय किए गए।

4. सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली

परिसर की सुरक्षा एवं निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी महाविद्यालयों में सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली स्थापित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 सरकारी महाविद्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की खरीद हेतु ₹20.00 लाख व्यय किए गए।

5. कौशल प्रयोगशालाएँ एवं इंटर्नशिप केंद्र

रोजगार क्षमता एवं उद्योग तत्परता को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रयोगशालाएँ एवं इंटर्नशिप केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक कौशल तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप संरचित इंटर्नशिप सहयोग प्रदान किया जाएगा।

6. प्लेसमेंट सेल एवं इन्क्यूबेशन केंद्र

करियर मार्गदर्शन, नियुक्ति सहायता एवं उद्यमिता समर्थन को संस्थागत रूप देने हेतु प्लेसमेंट सेल एवं इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। रूसा के वित्तीय सहयोग से 134 सरकारी महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

7. नवाचार एवं भविष्य प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएँ

उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा डिजिटल स्वचालन जैसे क्षेत्रों पर

केंद्रित नवाचार एवं भविष्य प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएँ कम से कम 10 सरकारी महाविद्यालयों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

सारणी 13.4

राज्य महाविद्यालयों की संख्या

शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	2025–26 (दिसंबर, 2025 तक)	गैर–कार्यात्मक शैक्षणिक संस्थानों की संख्या
राजकीय महाविद्यालय	130	-
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय	09	-
एस.ई.सी.आर.टी.	01	-
जी.सी.टी.ई.(बी.एड़ महाविद्यालय)	01	-
फाईन आर्ट महाविद्यालय	02	-
कुल	143	-

13.13 समग्र शिक्षा

इस एकीकृत योजना का मुख्य बल दो टी–शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस रणनीति के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। समग्र शिक्षा 90:10 (90 प्रतिशत भारत सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार) के साझा पैटर्न में चल रही है। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत चल रही विभिन्न मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं

13.13.1 प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा

प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) को स्कूली शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ये स्कूल से पहले के वर्ष बच्चे के शैक्षिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और बाद के वर्षों में प्रभावी स्कूली शिक्षा की नींव रखते हैं। प्रभावी ई.सी.सी.ई. से उच्च कक्षाओं में गुणात्मक नामांकन होता है, ड्रॉपआउट दर में कमी आती है और बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने में भी मदद मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के विस्तार की परिकल्पना की गई है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल करने पर बल दिया गया है। यह नीति बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक–भावनात्मक–नैतिक, सांस्कृतिक/कलात्मक, संचार और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक विकास कौशल पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर बल देने से पूरे भारत में प्रारंभिक कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए व्यापक विकासात्मक लाभ प्रदान करने की क्षमता है।

13.13.2 पूर्व प्राथमिक ई.सी.सी.ई.

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में पहले चरण में राज्य भर के 3,391 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक (ई.सी.सी.ई.) कक्षाएं शुरू की गई थीं। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न जिलों के स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा गया है। वर्तमान में राज्य के चयनित 6,409 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम चल रहा है और राज्य भर में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 71,724 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

i. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) परियोजना

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधुनिक समाज के मूलभूत निर्माण खंडों में से एक बन गई है। पहुँच, समानता और गुणवत्ता के तीन प्रमुख सिद्धांतों को ICT की अपार क्षमता का दोहन करके प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए, ICT न केवल ICT कौशल का निर्माण करता है बल्कि व्यापक रूप से शिक्षण और सीखने को भी बढ़ाता है। ICT समाधानों ने आधारभूत कौशल के निर्माण में अपनी शक्ति दिखाई है, जिससे संचार, सहयोग, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान जैसे महत्वपूर्ण 21 वीं सदी के कौशल विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश सरकारी विद्यालयों में आई.सी.टी. प्रयोगशालाएँ पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। विभाग का लक्ष्य है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. प्रयोगशालाएँ स्थापित कर दी जाएँ।

ii. व्यावसायिक शिक्षा

भारत सरकार ने सितंबर, 2013 में स्कूली शिक्षा में रोजगारपरक शिक्षा को एकीकृत करके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। अब यह योजना हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतर्गत आती है, जिसने व्यावसायिक कौशल का प्रमाणन प्रदान करके स्कूल से उच्च शिक्षा तक स्पष्ट व्यावसायिक मार्ग की एक प्रणाली स्थापित की है। इस परियोजना को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगारपरक बनाना है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा को राज्य के 1,742 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 16 विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों/क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोबाइल, आई.टी./आई.टी.ई.एस. दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, मीडिया और मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा, निजी सुरक्षा, परिधान निर्माण और घरेलू साज–सज्जा, सौंदर्य और कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और प्लंबिंग शामिल हैं।

सत्र 2024–25 के दौरान विद्यार्थियों का कुल नामांकन 1,03,926 था, जबकि वर्ष 2025–26 में विद्यार्थियों का कुल नामांकन बढ़कर 1,11,068 हो गया है।

iii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (CwSN)

समावेशी शिक्षा एक सामान्य शिक्षण वातावरण में की जाती है, जो एक शैक्षिक सेटिंग है जहाँ विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र एक समावेशी वातावरण में एक साथ सीखते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 1992 में सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने और स्कूल प्रणाली में उनके बने रहने की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। समग्र शिक्षा मानदंडों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा और मजबूत किया गया, जो जाति, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023–24 में विशेष आवश्यकता वाले 5,926 बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें से पूर्व–प्राथमिक स्तर पर 209, प्रारंभिक स्तर पर 4,164 तथा माध्यमिक स्तर पर 1,553 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को औपचारिक स्कूलों में शामिल किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर गंभीर और गहन गंभीर श्रेणी के 1,334 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया।

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियाँ

क) चिकित्सा मूल्यांकन शिविर

ख) सहायक उपकरण एवं सहायता सामग्री का वितरण

ग) दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें और विस्तृत प्रिंट पुस्तकें

घ) अनुरक्षण भत्ता

ड़) गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम

च) लड़कियों के लिए वजीफा

छ) पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम

ज) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

झ) सेवारत विशेष शिक्षकों की क्षमता निर्माण

ञ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल आयोजन/एकीकृत खेलकूद कार्यक्रम

ट) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक्सपोजर विजिट

ठ) मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए डे केयर सेंटर

ड) छात्रावास सुविधा वाले मॉडल समावेशी स्कूल

ढ) प्रधानाचार्यों, शैक्षिक प्रशासकों का उन्मुखीकरण

ण) मॉडल संसाधन केंद्र

त) निष्ठा (NISHTHA) के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण

iv. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

हिमाचल प्रदेश में 14 के.जी.बी.वी. हैं। जिनमें से ग्यारह चंबा जिले में, एक शिमला जिले में और दो सिरमौर जिले में हैं। सभी 14 के.जी.बी.वी. पूरी तरह से काम कर रहे हैं और समग्र शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के माध्यम से प्रबंधित किए जा रहे हैं। वर्तमान में, सभी के.जी.बी.वी. में 999 लड़कियां रह रही हैं। ये सभी छात्रावास सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च विद्यालयों से जुड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आई.आर.डी.पी. से संबंधित लड़कियां छात्रावास में रह रही हैं।

v. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ऑफ़लाइन UDISE को ऑनलाइन UDISE+ में बदल दिया है ताकि भविष्य में देश वास्तविक समय डेटा की ओर बढ़ सके। वर्ष 2024–25 के लिए डेटा ऑनलाइन एकत्रित किया गया तथा इसे 3 मई, 2025 को अंतिम रूप देकर प्रमाणित किया गया। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस रिपोर्ट विद्यालयों, क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों), ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयकों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों तथा उपनिदेशकों के साथ साझा करें। इसके अतिरिक्त, जिले स्कूल रिपोर्ट कार्ड को समुदाय अर्थात् स्कूल प्रबंधन समिति/माता–शिक्षक संघ आदि के साथ साझा एवं चर्चा कर सामाजिक अंकेक्षण भी करते हैं।

vi शिक्षक एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम

वर्ष 2025–26 के दौरान शिक्षक एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत 252 विद्यार्थियों को 48 शिक्षकों के साथ शैक्षणिक भ्रमण का अवसर प्रदान किया जाएगा।

vii. खेल और शारीरिक शिक्षा

खेल और शारीरिक शिक्षा घटक समग्र शिक्षा का हिस्सा रहा है जिसमें खेल उपकरणों की खरीद का प्रावधान है। इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरणों की खरीद पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए इस घटक से खर्च किया जाता है।

viii. युवा और पर्यावरण क्लब

युवा क्लबों में भागीदारी, छात्रों को आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने, उनके आत्मसम्मान को पोषित करने और चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने की क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में स्थापित इको क्लब विद्यार्थियों को सार्थक एवं पर्यावरण–अनुकूल गतिविधियों तथा परियोजनाओं में सहभागिता के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं समकालीन पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है।

ix. आत्मरक्षा प्रशिक्षण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक/उच्च विद्यालय /वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान इस प्रकार का प्रशिक्षण 4,655 सरकारी विद्यालयों में प्रदान किया गया, जिससे 2,27,664 बालिकाएँ लाभान्वित हुईं।

x. शिक्षक शिक्षा

प्रदेश के सभी 12 जिलों में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधान कार्य भी संचालित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (शिमला एवं सिरमौर) को ₹18.16 करोड़ की लागत से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।

वर्ष 2025–26 में दो और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (हमीरपुर एवं कांगड़ा) को ₹29 करोड़ की लागत से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

वर्ष 2020–21 से 2024–25 के दौरान विद्यालय अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें पेयजल, शौचालय, विद्युत, हाथ धोने की सुविधाएँ तथा पुस्तकालयों की लगभग सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डिजिटल अवसंरचना का भी विस्तार हुआ है, जहाँ कंप्यूटर उपलब्धता बढ़कर 75 प्रतिशत तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी 59 प्रतिशत विद्यालयों तक पहुँच गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुगम्यता संबंधी सुविधाओं में सुधार हुआ है, किन्तु उनके लिए पृथक शौचालयों की उपलब्धता अभी भी अत्यंत कम है। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार होने से व्यावहारिक शिक्षण को सुदृढ़ किया गया है। समग्र रूप से, जहाँ बुनियादी अवसंरचना सुदृढ़ है, वहीं डिजिटल एवं समावेशी सुविधाओं पर निरंतर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 13.1

मूलभूत सुविधाओं से युक्त विद्यालयों का कुल विद्यालयों में प्रतिशत

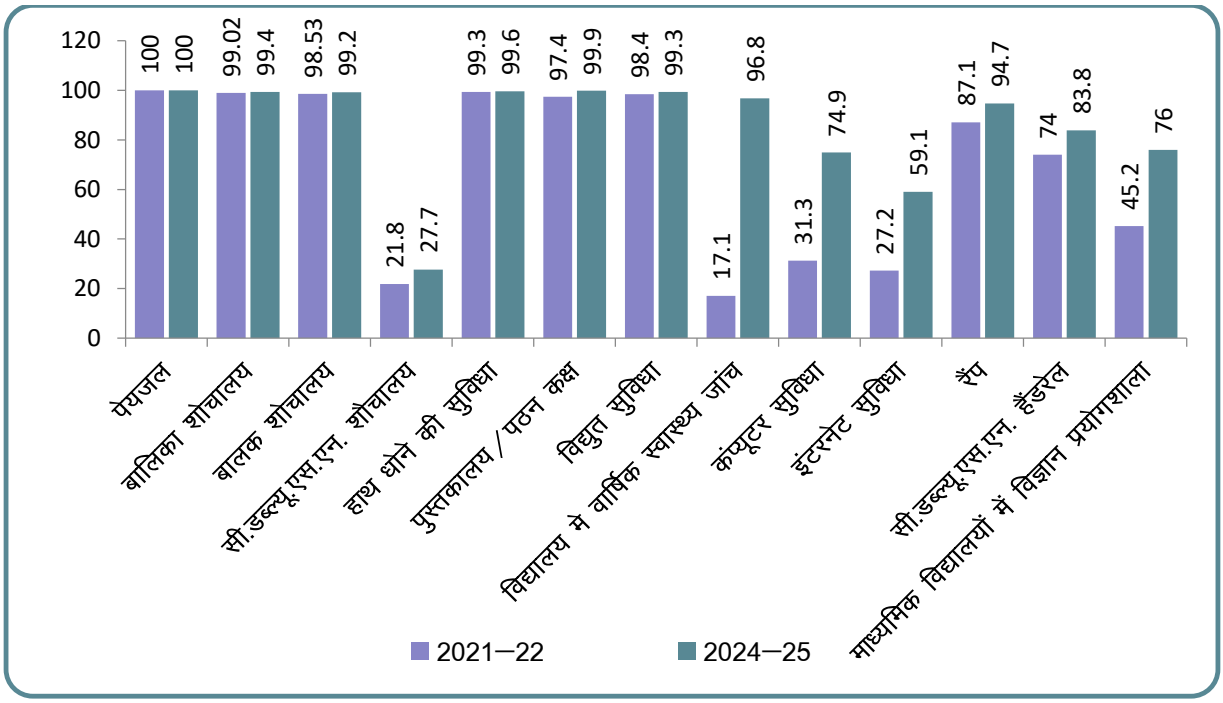

कुल विद्यार्थियों में से सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत

सरकारी विद्यालयों में नामांकन की घटती हिस्सेदारी, विशेषकर प्री–प्राइमरी एवं प्राथमिक स्तर पर, यह संकेत देती है कि अभिभावकों की निजी विद्यालयों की ओर बढ़ती अभिरुचि हो रही है, जो संभवतः गुणवत्ता के प्रति धारणा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवासन प्रवृत्तियों के कारण है।हालाँकि, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सरकारी विद्यालय अब भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उत्तर–प्रारंभिक शिक्षा तक समान एवं न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है।

चित्र 13.2

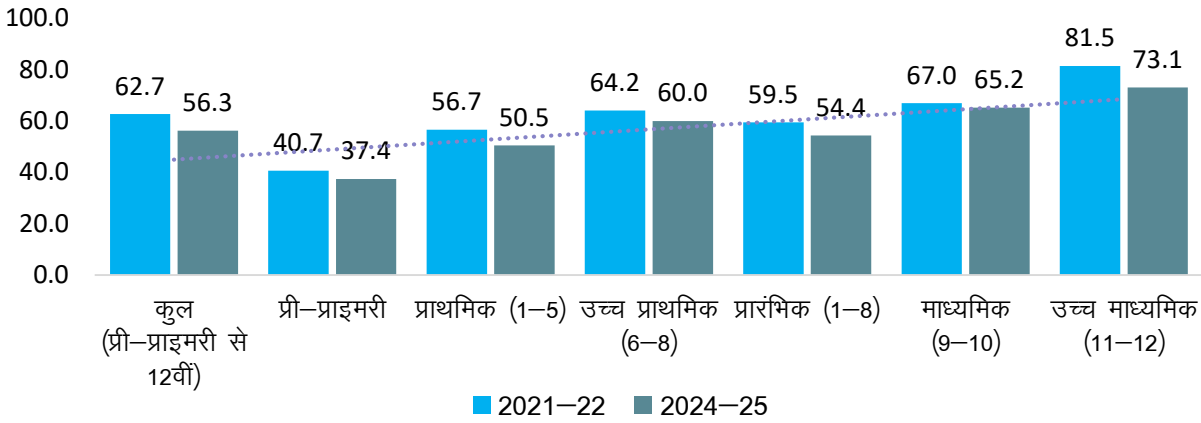

13.14 तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया। जुलाई, 1983 में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को इसके दायरे में लाया गया। वर्तमान में विभाग तकनीकी, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इच्छुक छात्र इंजीनियरिंग और फार्मेसी में डिग्री कोर्स, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्स और आई. टी.आई. में सर्टिफिकेट कोर्स में निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं:

सारणी 13.5

राज्य में व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

क्रमांक	संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), मंडी, कमांद	01
2	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	01
3	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कांगड़ा	01
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), सिरमौर	01
5	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	01
6	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आई.पी.ई.टी.), बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन।	01
7	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) प्रौद्योगिकी केंद्र बद्दी, जिला सोलन, हि.प्र.	01
8	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	05
9	सरकारी फार्मेसी कॉलेज	05
10	बी–फार्मेसी कॉलेज (निजी क्षेत्र)	18
11	इंजीनियरिंग कॉलेज (निजी क्षेत्र)	07
12	बहुतकनीकी सरकारी क्षेत्र में	17

13	बहुतकनीकी निजी क्षेत्र में	05
14	डी–फार्मेसी कॉलेज (निजी क्षेत्र)	17
15	डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में द्वितीय शिफ्ट (निजी क्षेत्र)	03
16	सरकारी सह–शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	127
17	अत्याधुनिक आई.टी.आई.	04
18	राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) नालागढ़, जिला सोलन, संसारपुर टैरेस और गढ़जमुला, जिला कांगड़ा	03
19	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)	01
20	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (विशेष सक्षम व्यक्तियों के लिए) सुंदरनगर	01
21	सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल, ऊना	01
22	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र निजी क्षेत्र में	134
	योग	355

सारणी 13.6

कार्यरत संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश क्षमता

क्रमांक	संस्थानों का विवरण	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	डिग्री स्तर	2,904
2	बी–फार्मेसी	1,854
3	डिप्लोमा स्तर	5,208
4	सरकारी/निजी आई.टी.आई.	43,672
	योग	53,638

13.14.1 अन्य पहल

- राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेजों एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 प्रशिक्षुओं को जोड़ा गया है, जिनको प्रशिक्षण के साथ–साथ मानदेय (स्टाइपेंड) प्रदान किया जा रहा है।
- 264 संकाय सदस्यों एवं 4059 विद्यार्थियों ने वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम/ स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण/भागीदारी की है।
- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़/ डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, आई.आई.टी. रोपड़, आई.आई.टी. दिल्ली, ई.एस.आई.सी. हैदराबाद, सी.टी.सी. कोलकाता द्वारा

संचालित संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में 380 से अधिक संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

- शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला में एम.टेक. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) प्रारंभ किया गया है।
- शैक्षणिक सत्र 2025–26 से अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रगतिनगर में बी.टेक. (सिविल इंजीनियरिंग) प्रारंभ किया गया है।
- शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कांगड़ा में बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस) प्रारंभ किया गया है।
- शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राजकीय पॉलिटेक्निक, हमीरपुर में डिप्लोमा (कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स) प्रारंभ किया गया है।
- राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कॉलेजों एवं सरकारी आई.टी.आई. में 79 प्रशिक्षुओं को जोड़ा गया है, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ मानदेय प्रदान किया जा रहा है।
- 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 5118 प्रशिक्षुओं को रोजगार मेले, कैंपस साक्षात्कार एवं संयुक्त कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न सरकारी/निजी क्षेत्र/औद्योगिक इकाइयों/संस्थानों में रोजगार प्राप्त हुआ है।
- आई.टी.आई. स्टाफ/संकाय की क्षमता निर्माण के अंतर्गत विभिन्न आई.टी.आई. के 243 संकाय सदस्यों को केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था कोलकाता, उन्नत करियर शिक्षा संस्थान, गांधीनगर (गुजरात), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) कांगड़ा, तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर, उन्नत संगणना के विकास हेतु केंद्र मोहाली एवं अनुसंधान एवं औद्योगिक कर्मचारी प्रदर्शन केंद्र भोपाल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

13.15 मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तर पर प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

मुद्दे / चुनौतियाँ	साक्ष्य (2025–26 के आँकड़ों से)	प्रभाव
सरकारी विद्यालयों में घटता नामांकन	सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रतिशत 62.7 प्रतिशत (2021–22) से घटकर 56.3 प्रतिशत (2024–25) हो गया, विशेषकर प्री–प्राइमरी एवं प्राथमिक स्तर पर।	सरकारी शिक्षा प्रणाली पर विश्वास में कमी; विद्यालय तंत्र के संकुचन का जोखिम व निजी क्षेत्र पर बढ़ता दबाव।
डिजिटल अवसंरचना में कमी	केवल 59 प्रतिशत विद्यालयों में इंटरनेट उपलब्ध है; 75 प्रतिशत विद्यालयों में कंप्यूटर सुविधा है।	डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अधिगम एवं आई.सी.टी. आधारित शिक्षण की प्रभावशीलता सीमित, डिजिटल विभाजन बढ़ता है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु अपर्याप्त समावेशी सुविधाएँ	5,926 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के बावजूद केवल 27.7 प्रतिशत विद्यालयों में उनके लिए पृथक शौचालय उपलब्ध।	भौतिक अवरोध समावेशन में बाधा; नियमित उपस्थिति एवं अधिगम परिणाम प्रभावित।
दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की कमी	कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं बिखरी आबादी के कारण स्मार्ट कक्षाओं, प्रयोगशालाओं एवं डिजिटल सुविधाओं के विकास में विलंब।	दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थी शहरी विद्यार्थियों की तुलना में पिछड़ते हैं; शिक्षण के अवसरों में असमानता।
कौशल असंगति एवं रोजगार योग्यता अंतर	व्यावसायिक नामांकन बढ़ रहा है, किन्तु उद्योग से जुड़ी इंटर्नशिप, कौशल प्रयोगशालाएँ एवं प्लेसमेंट संरचनाएँ अभी विकसित हो रही हैं।	स्नातकों की रोजगार तत्परता सीमित; शिक्षा एवं श्रम बाजार की आवश्यकताओं के बीच असंगति बनी रहती है।
शिक्षक क्षमता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता	1,146 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, किन्तु डिजिटल शिक्षण, दक्षता–आधारित शिक्षण एवं एन.ई.पी. अनुरूप पद्धतियों में निरंतर उन्नयन की आवश्यकता।	कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में असंगति; आधारभूत शिक्षण / अधिगम एवं आधुनिक शिक्षण विधियों में अंतर।

निजी विद्यालयों की ओर बढ़ती अभिरुचि	प्रारंभिक कक्षाओं में अभिभावकों द्वारा गुणवत्ता एवं सहपाठी प्रभाव के कारण निजी विद्यालयों की ओर झुकाव।	सरकारी विद्यालयों पर गुणवत्ता उन्नयन का दबाव; सार्वजनिक अवसंरचना का संभावित अल्प–उपयोग।
उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी का आंशिक एकीकरण	डिजिटल लाइब्रेरी, आई.सी.टी. प्रयोगशालाएँ एवं वर्चुअल कक्षाएँ क्रमशः केवल 50, 17 एवं 14 महाविद्यालयों तक सीमित।	डिजिटल संसाधनों की असमान पहुँच; उच्च शिक्षा में नवाचार एवं समता प्रभावित।
कुछ क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में बने रहने की चुनौती	समग्र रूप से विद्यालय ड्रोप आऊट दर कम होने के बावजूद कुछ जिलों में माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक नाम वापसी	उच्च शिक्षा में संक्रमण प्रभावित; कौशल अर्थव्यवस्था में भागीदारी घटती; दीर्घकालिक सामाजिक–आर्थिक बढ़ती संवेदनशीलता ।

13.16 भावी दिशा

शिक्षा क्षेत्र की भावी रणनीति का मुख्य उद्देश्य अधिगम (सीखना) की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल रूपांतरण को सुदृढ़ करना तथा रोजगारपरक परिणामों को बेहतर बनाना होना चाहिए। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को दक्षता–आधारित पाठ्यक्रम, सतत मूल्यांकन तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के विस्तार के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों की क्षमता निर्माण प्रक्रिया को नियमित प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण प्रमाणन तथा प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से तीव्र किया जाना आवश्यक है।मिश्रित शिक्षण मॉडल, डिजिटल सामग्री की उपलब्धता तथा दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए समान डिजिटल अधिगम अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

अवसंरचना आधुनिकीकरण के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाओं, उन्नत प्रयोगशालाओं, समावेशी सुविधाओं तथा दूरस्थ क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत करते हुए इसे स्थानीय आर्थिक अवसरों; जैसे पर्यटन, कृषि मूल्य शृंखला एवं सेवा क्षेत्र के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु शिक्षा संस्थानों एवं उद्योगों के बीच सशक्त सहयोग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम तथा उद्यमिता संवर्धन केंद्रों का विस्तार आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान वित्तपोषण, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तथा वैश्विक शैक्षणिक साझेदारियों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अंततः वास्तविक समय शिक्षा डेटा प्रणाली, परिणाम–आधारित निगरानी तथा विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण जैसे सुशासन सुधारों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। बालिकाओं, जनजातीय समुदायों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम समावेशन कार्यक्रमों के माध्यम से लक्षित सहयोग जारी रखा जाना चाहिए। गुणवत्ता, समानता, डिजिटल एकीकरण एवं कौशल विकास पर निरंतर नीति–केन्द्रित प्रयासों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र राज्य में मानव पूंजी विकास एवं आर्थिक प्रगति का प्रमुख प्रेरक बना रह सकता है।

******

अध्याय 14

स्वास्थ्य

कार्यकारी सारांश

क्र. स.	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन**	राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा अनुसंधान विभाग के माध्यम से किया जाता है, जिससे संक्रामक और गैर–संक्रामक रोगों के लिए व्यापक सेवा उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
2	**जनसांख्यिकीय एवं जीवन–निर्वाह संकेतकों में सुधार**	हिमाचल प्रदेश प्रमुख संकेतकों पर भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है, कम जन्म दर (14.3), कम शिशु मृत्यु दर (14), कम पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर (24) तथा अधिक जीवन प्रत्याशा (73.5 वर्ष)। ये आँकड़े सुदृढ़ स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को दर्शाते हैं।
3	**विस्तृत स्वास्थ्य अवसंरचना**	राज्य में अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.), उप–केन्द्रों तथा विशेषीकृत अनुसंधान इकाइयों सहित एक व्यापक स्वास्थ्य तंत्र उपलब्ध है। केवल क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण के लिए ही 499 संस्थान कार्यरत हैं, जो सशक्त रोग निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
4	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उच्च प्रदर्शन**	राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे टी.बी. मलेरिया, कुष्ठ रोग, अंधत्व नियंत्रण, एड्स, गैर–संचारी रोग, मासिक धर्म स्वच्छता और डायलिसिस सेवाओं में वर्ष 2025–26 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज की गईं।
5	**मजबूत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ**	उच्च संस्थागत प्रसव (95.45 प्रतिशत), निम्न शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) तथा जे.एस.वाई. जे.एस.एस.के., पी.एम.एस.एम.ए. और अटल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत व्यापक कवरेज राज्य में सुचारु रूप से कार्यरत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रणाली को दर्शाते हैं।
6	**वित्तीय सुरक्षा योजनाएँ**	हिमकेयर (₹142.18 करोड़), पी.एम.जे.ए.वाई. (₹106.74 करोड़), मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना और सहारा योजना जैसी योजनाओं ने हजारों लाभार्थियों को बड़े स्तर पर वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्रदान की है।
7	**गैर–संचारी रोगों की दीर्घकालिक देखभाल का विस्तार**	एन.पी.–एन.सी.डी. के अंतर्गत 16 लाख वयस्कों की स्क्रीनिंग की गई, 3.2 लाख उच्च रक्तचाप तथा 2 लाख मधुमेह के रोगी उपचाराधीन हैं, 11 डे–केयर कीमोथेरेपी केंद्र संचालित हो रहे हैं, डायलिसिस सेवाओं के विस्तार को भी महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई है।
8	**चिकित्सा शिक्षा**	राज्य ने चिकित्सा महाविद्यालयों, सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों और

	में विस्तार	नर्सिंग संस्थानों को नए अवसंरचना विकास, उन्नत उपकरणों (पी.ई.टी.–सी.टी., 3 टेस्ला एम.आर.आई., एल.आई.एन.ए.सी.) तथा एम.बी.बी.एस. स्नातकोत्तर (पी.जी.) और सुपर स्पेशियलिटी सीटों के विस्तार के माध्यम से सुदृढ़ किया।
9	**आयुष प्रणाली का विस्तार**	आयुष सेवाओं का विस्तार 1,252 संस्थानों तक किया गया है, जिनमें आयुर्वेदिक अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, औषधीय उद्यान, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र तथा औषधीय पौधों के संवर्धन और औषध निर्माण को समर्थन देने हेतु हिमोशधाम सोसायटी का गठन शामिल है।

14.1 परिचय

जनस्वास्थ्य मानव पूंजी को मजबूत करने और आर्थिक उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य में सार्वजनिक एवं गैर–संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उतरदायी है। यह विभाग अस्पतालों, औषधालयों तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का भी प्रबंधन करता है।

इन प्रयासों के पूरक रूप में, आयुष विभाग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एवं सिद्ध सहित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देता है तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का भी समर्थन करता है। वर्ष 2007 में स्थापित चिकित्सा अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी विषयों पर अनुसंधान कर नीतियों को सूचित करने और स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में हुई प्रगति का परीक्षण करता है तथा जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों का विवरण प्रस्तुत करता है।

सारणी 14.1

मुख्य स्वास्थ्य संकेतक–हिमाचल बनाम भारत

संकेतक	हिमाचल	भारत	व्याख्या
जन्म दर	14.3	18.4	उन्नत जनसांख्यिकीय संक्रमण।
मृत्यु दर	6.7	6.4	वृद्ध होती जनसंख्या के कारण थोड़ी अधिक।
शिशु मृत्यु दर	14	25	मजबूत मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ।
प्राकृतिक वृद्धि दर	7.6	12	धीमी जनसंख्या वृद्धि।
5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर	24	32	एस.डी.जी. लक्ष्य (25) के करीब।
जीवन प्रत्याशा	73.5	70	बेहतर जीवित रहने के परिणाम।
टी.बी. सूचना (%)	97.5	87.1	मजबूत रोग निगरानी।
स्वास्थ्य कर्मी घनत्व (प्रति 10,000 जनसंख्या)	84.7	49.4	उच्च सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति।
संस्थागत प्रसव (%)	95.45	97.15	थोड़ी सुधार की संभावना।
स्वयं–भुगतान व्यय (%)	14.4	13	घटाने की आवश्यकता।
सड़क दुर्घटना मृत्यु दर	13.15	12.4	मुख्य उभरती चिंता।

स्रोतः एस.आर.एस. बुलेटिन, (2025),एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 2023–24

स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग ने उपचार, रोकथाम तथा अनुवर्ती देखभाल कराने हेतु स्वास्थ्य संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है।

स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (नवम्बर 2025 तक)

स्रोतः निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए, हिमाचल प्रदेश

एस.आर.एस.रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में सुधार से जन्म और मृत्यु दर में गिरावट आई है, शिशु मृत्यु दर (IMR) में सतत कमी हुई है तथा प्राकृतिक वृद्धि दर में अनुकूल प्रवृति देखी गई है।

14.1.1प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक

जन्म एवं मृत्यु दर दो महत्वपूर्ण संकेतक है, जो समग्र स्वास्थ्य उपलब्धियों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित आंकड़े राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की जन्म एवं मृत्यु दर को प्रदर्शित करते

चित्र 14.1

जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं प्राकृतिक वृद्धि दर: हिमाचल बनाम भारत

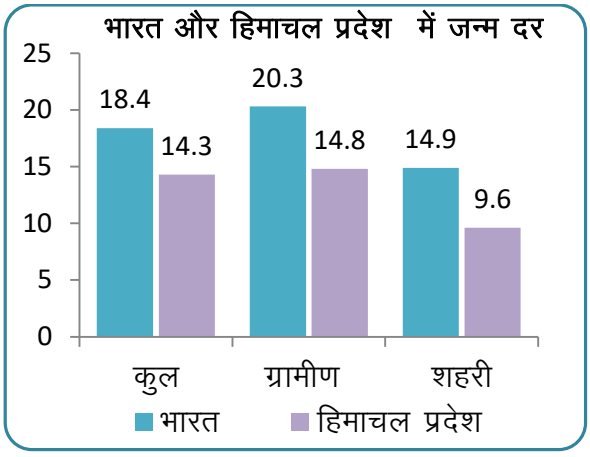

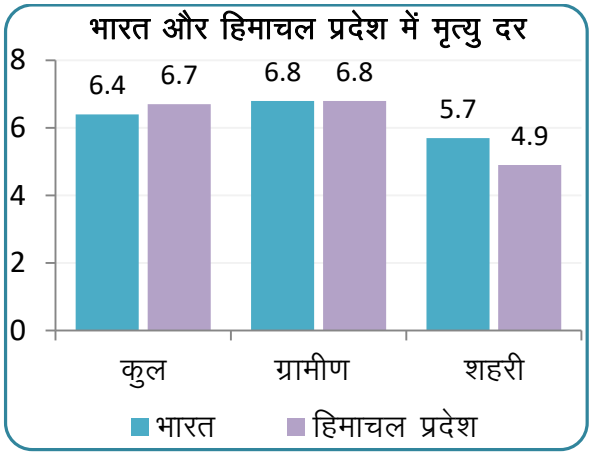

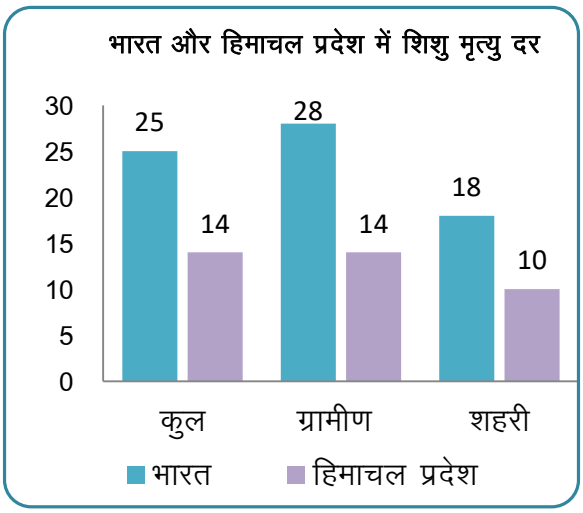

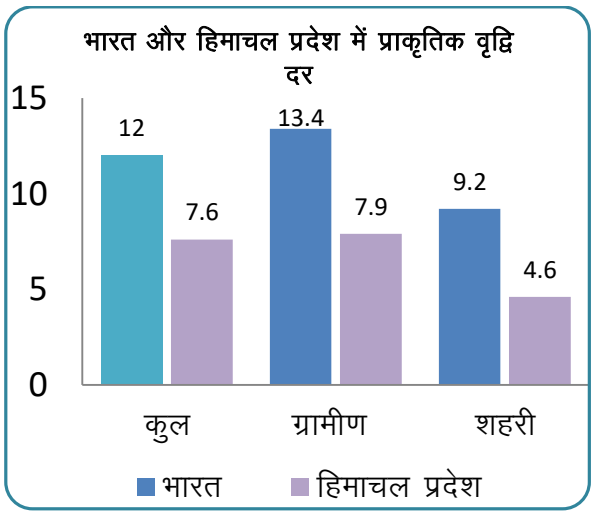

स्रोत: एस.आर.एस. बुलेटिन, (2025), सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय।

हिमाचल प्रदेश में जन्म दर कुल, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगातार कम बनी हुई है।

समग्र स्तर पर हिमाचल प्रदेश में मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार जनसंख्या है, जो कि अखिल भारतीय दर 6.4 की तुलना में थोड़ी अधिक है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, बेहतर जीवन स्थितियों तथा स्वास्थ्य जागरूकता के उच्च स्तर को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल मृत्यु दर का थोड़ा अधिक होना राज्य की वृद्ध होती जनसंख्या से भी प्रभावित हो सकता है, जो प्रजनन दर में निरंतर गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का परिणाम है।

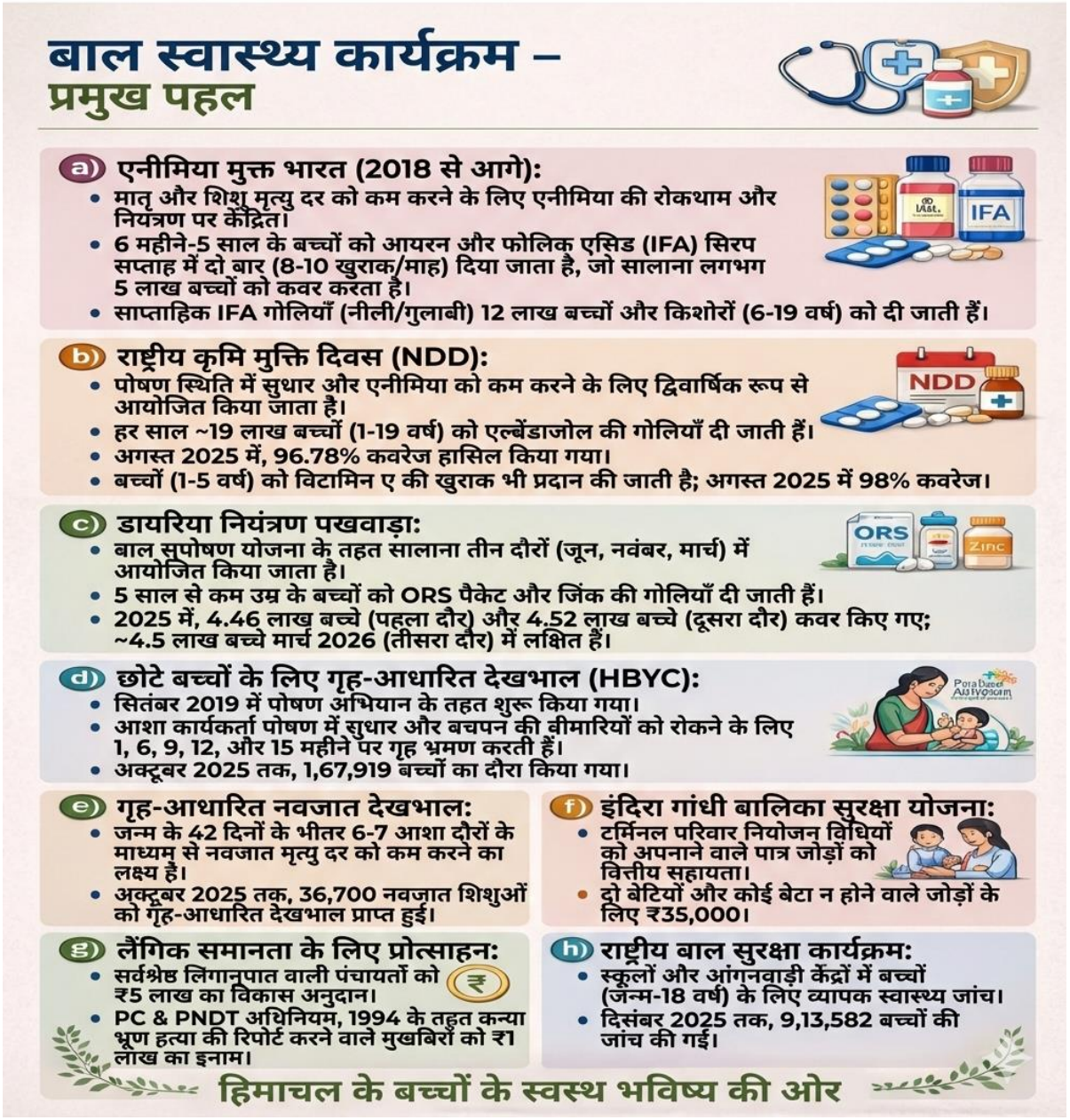

14.1.3 शिशु मृत्यु दर–हिमाचल बनाम भारत

हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से कम है, जो राज्य में बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश में लगातार कम शिशु मृत्यु दर सार्वजिनक स्वास्थ्य अवसंरचना में निरंतर निवेश, उच्च महिला साक्षरता, बेहतर पोषण तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को दर्शाती है। इन सभी कारकों ने मिलकर प्रारंभिक बाल्यावस्था में जीवित रहने की दर को सुद्धढ़ किया है तथा राज्य के समग्र मानव विकास संकेतकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक वृद्धि दर कुल, ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है, जो राज्य में जनसांख्यिकीय संक्रमण के अधिक उन्नत चरण को दर्शाती है। समग्र स्तर पर भारत में प्राकृतिक वृद्धि दर 12 प्रति हजार जनसंख्या है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह उल्लेखनीय रूप से कम होकर 7.6 है।

कम प्राकृतिक वृद्धि दर का प्रमुख कारण राज्य की कम जन्म दर तथा राष्ट्रीय स्तर के समान मृत्यु दर है। यह जनसांख्यिकीय परिणाम उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, प्रभावी परिवार नियोजन तथा बदलती सामाजिक–आर्थिक प्राथमिकताओं के प्रभाव को दर्शाता है। जहां धीमी जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव कम करती है, वहीं यह मध्यम एवं दीर्घ अवधि में कार्यबल की उपलब्धता तथा जनसंख्या के वृद्ध होने से जुड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

वित वर्ष 2025–26 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सारणी 14.2 में दर्शाया गया है।

सारणी–14.2

क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आधारभूत संरचना

क्र.स.	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	संख्या
1	राज्य क्षय रोग सेनेटोरियम	1
2	जिला क्षय रोग केंद्र	12
3	क्षयरोग इकाइयाँ	80
4	निर्धारित माइक्रोस्कोपी केंद्र	239
5	मध्यम संदर्भ प्रयोगशाला (आई.आर.एल.)	1 (आई.आर.एल. धर्मपुर)
6	संस्कृति एवं औषधि संवेदनशीलता प्रयोगशालाएँ (आई.आर.एल. को छोड़कर)	2 (आई.जी.एम.सी. शिमला और आर.पी.जी.एम.सी. टांडा)
7	राज्य टी.बी. प्रशिक्षण केंद्र	1
8	कार्ट्रिज–आधारित न्यूक्लिक एसिड और प्रवर्धन परीक्षण प्रयोगशालाएँ	57
9	न्यूक्लिक एसिड और प्रवर्धन परीक्षण मशीनें	70
10	नोडल दवा प्रतिरोधी टी.बी. केंद्र	4
11	जिला दवा प्रतिरोधी क्षयरोग केंद्र	19
12	राज्य औषधि भंडार की संख्या	1
13	जिला औषधि भंडार की संख्या	12
	कुल	499

सारणी 14.3

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण
1	राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम	दिसंबर 2025 तक 2,92,532 स्लाइड्स की जांच की गई, जिनमें से 27 स्लाइड्स पॉजिटिव पाई गईं। इस अवधि के दौरान मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई।
2	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	जहां 1995–96 के दौरान प्रसार दर 5.14 थी जो 2024–25 के दौरान घटकर 0.14 प्रति दस हजार रह गई है। 30 नवंबर, 2025 तक कुष्ठ रोग के 73 नए मामले सामने आए हैं।
3	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.टी.ई.पी.) संशोधितराष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.)	वर्ष 2025 में राज्य में 14,369 टी.बी. रोगियों का निदान किया गया, जिनमें 1,421 निजी क्षेत्र से थे, तथा 98 प्रतिशत सार्वभौमिक ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग प्राप्त की गई। निक्षय पोषण सहायता के माध्यम से ₹1,095.60 करोड़ स्थानांतरित किए गए। इसके अतिरिक्त, घर–घर टी.बी. स्क्रीनिंग के लिए 18 हैंडहेल्ड एक्स–रे मशीनें तैनात की गईं।
4	अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	यह कार्यक्रम 1977–78 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अंधत्व की व्यापकता को 0.87 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत करना है। अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान 32,455 मोतियाबिंद शल्य क्रियाएं की गईं ।
5	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर)	राज्य 1 जनवरी 2019 से आयुष्मान भारत या सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत शामिल न होने वाले परिवारों के लिए हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। प्रारंभ से अब तक 4.39 लाख परिवार पंजिकृत किए जा चुके हैं तथा 1.04 लाख लाभार्थियों ने ₹142.18 करोड की उपचार सेवाएं प्राप्त की हैं।
6	आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना	आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई, प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5.32 लाख पात्र परिवारों का

		चयन किया गया है तथा प्रारंभ से अब तक 72,839 लाभार्थियों ने ₹106.74 करोड़ की कैशलेस उपचार सेवाएं प्राप्त की हैं।
7	**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, 20 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त जरूरतमंद मरीजों को वितीय सहायता प्रदान करता है। प्रारंभ से अब तक 993 लाभार्थियों का ₹5.24 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
8	**मुख्यमंत्री सहारा योजना**	राज्य सरकार 15 जुलाई 2019 से निर्दिष्ट रोगों अथवा अपंगकारी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को ₹3,000 प्रति माह की वितीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सहारा योजना लागू कर रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 34,709 लाभार्थी पंजीकृत हैं।
9	**कैंसर, मधुमेह और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम**	एन.पी.–एन.सी.डी. के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 30 वर्ष के लगभग 16 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 3.2 लाख उच्च रक्तचाप तथा 2 लाख मधुमेह रोगियों को उपचार पर रखा गया। प्रस्तावित 18 डे केयर कीमोथेरेपी केंद्रों में से 11 राज्य भर में कार्यरत हैं। टाइप–1 मधुमेह से पीडित बच्चों के समर्थन हेतु 33 नि:शुल्क इंसुलिन पंप स्थापित किए गए हैं तथा डॉ. आर.पी.जी.एम.सी, टांडा में 16 और स्वीकृत किए गए हैं।
10	**राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम**	मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत सभी किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। वित वर्ष 2025–26 के दौरान सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वितरण हेतु खंड चिकित्सा अधिकारियों को 59,81,472 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए।
11	**प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पी.एम.एन.डी.पी.)**	वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एन.एच.एम. के अंतर्गत 24 डायलिसिस इकाइयां कार्यरत हैं, 22 हंस फाउंडेशन तथा 2 राहि केयर द्वारा नवंबर 2025 तक 6,151 मरीजों के लिए 48,048 डायलिसिस सत्र आयोजित किए गए। वर्ष 2025–26 के लिए 49 नए डायलिसिस केंन्द्र स्थापित करने हेतु ₹27.44 करोड स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 29 केंद्रो में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

12	**राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.)**	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.) सभी जिलों में संचालित है, जो विशेष रूप से विद्यालयों में तंबाकू एवं नशामुक्त स्थानों को बढ़ावा देता है। दिसंबर 2025 तक 9,677 शैक्षिणिक संस्थानों और 387 ग्राम पचांयतों को तंबाकू एवं नशामुक्त घोषित किया गया। प्रवर्तन के अंतर्गत 610 अभियान चलाए गए, जिनमें 11,466 चालान किए गए तथा ₹11.99 लाख का जुर्माना वसूला गया, साथ ही व्यापक आई.ई.सी. गतिविधिया भी आयोजित की गईं।
13	**कायाकल्प**	सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, साफ–सफाई तथा संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2024–25 में 51 स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए तथा 594 प्रशंसा पुरस्कार दिए गए। वित वर्ष 2025–26 मे 50 सहकर्मी मुल्यांकन पूरे किए गए हैं और उनके परिणाम संकलनाधीन हैं।
14	**जननी सुरक्षा योजना प्लस जे.एस.एस.के.**	जननी सुरक्षा योजना बी.पी.एल./एस.सी./एस.टी. महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। बी.पी.एल. लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए ₹1,100 तथा गृह प्रसव के लिए ₹500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वित वर्ष 2025–26 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान 4,359 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला।
15	**जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जे.स.स.के.**	जननी शिशु सुरक्षा (जे.स.स.के.) कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं तथा एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क दवाएं, जांच, रक्त, परिवहन, भोजन तथा उपयोगकर्ता शुल्क से छुट सहित सेवाएं प्रदान करता है। वित वर्ष 2025–26 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान 49,607 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला।
16	**प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.म.स.म.)**	प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भावस्था की दूसरी एवं तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को निर्धारित दिवस पर गुणवतापर्ण प्रसवपूर्व जांच सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वित वर्ष 2025–26 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान 64,862 महिलाओं

		को इस योजना का लाभ मिला।
17	**अटल आशीर्वाद योजना**	अटल आशीर्वाद योजना, वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई, के अंतर्गत सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी केयर किट प्रदान की जाती हैं। प्रतिवर्ष लगभग एक लाख संस्थागत प्रसव होते हैं, जिनमें प्रत्येक किट का मूल्य लगभग ₹1,500 है। 30 नवंबर 2025 तक राज्य मे 3,58,136 किट वितरित की जा चुकी हैं।
18	**राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम**	वित वर्ष 2025–26 (दिसम्बर तक) के दौरान 2.88 लाख व्यक्तियों की जांच की गई तथा 728 एच.आई.वी. पॉजिटिव मामले पाए गए। राज्य में 55 आई.सी.टी.सी, 20 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लीनिक, 18 ब्लड बैंक तथा 7 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.)केंद्र कार्यरत हैं, जिनके साथ 2 एफ–ए.आर.टी. और 5 लिंक ए.आर.टी. केंद्र नि:शुल्क उपचार प्रदान कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान लक्षित हस्तक्षेपों के अंतर्गत 33,630 लाभार्थियों को कवर किया गया।

14.2 चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय सार्वजनिक क्षेत्र में छः मेडिकल कॉलेज, एक डेन्टल कॉलेज, एक अटल मेडिकल एंव रिसर्च विश्वविद्यालय, और एक अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज और इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के एक मेडिकल कॉलेज व चार डेन्टल कॉलेजों को नियंत्रित करता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किया गया है।

सारणी 14.4

संस्थान–वार बजटीय आबंटन और व्यय (वर्ष 2025–26)

(₹करोड़ में)

संस्थान का नाम	स्वीकृत बजट	व्यय
1. निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	2.40	2.05
2. इन्दिरा गांधी आयुविज्ञान महाविद्यालय एवं सम्बन्धित अस्पताल, शिमला	268.49	226.14

3. दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, शिमला	26.63	22.27
4. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुविज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाण्डा	267.72	239.35
5. डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महा विद्यालय, नाहन	65.92	55.50
6. पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, चम्बा	51.67	41.63
7. डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आर्युविज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर	143.49	130.01
8. श्री लाल बहादुर शास्त्री आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मण्डी, स्थित नेरचौक	127.83	109.67
9. अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मण्डी स्थित नेरचौक	0.59	0.01
10. अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी, चमियाणा, शिमला	86.87	79.85

स्रोतः निदेशालय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान हिमाचल प्रदेश

14.2.1 अकादमिक उपलब्धियां

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में शैक्षणिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. **बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) और पोस्ट ग्रजुएट (पी.जी.):** शैक्षणिक सत्र 2024–2025 के दौरान कुल 870 एम. बी. बी. एस. सीटें सरकारी व निजी क्षेत्र में भरी गई (720 सीटें सरकारी क्षेत्र में एवं 150 निजी क्षेत्र में), इसके अतिरिक्त 371 पी. जी. (एम.डी./एम.एस.) सीटें सरकारी (279 सीटें) निजि क्षेत्र में (92 सीटें) आबंटित की गई ।

ii. **बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.) और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एम.डी.एस.):** शैक्षणिक सत्र 2025–26 के दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.) की 295 सीटें (सरकारी डेंटल कॉलेज में 75 और निजी क्षेत्र में 220) भरी गईं। इसी तरह से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एम.डी.एस.) की 100 सीटें (सरकारी डेंटल कॉलेज में 23 और निजी डेंटल कॉलेजों में 77) भरी गईं।

iii. **नर्सिंगः** शैक्षणिक सत्र 2025–26 में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) पाठ्यक्रम के लिए 1,730 सीटें, 2170 बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग की 690 एवं एम.एस.सी. नर्सिंग डिग्री कोर्स की 216 सीटों की स्वीकृति विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में प्रदान की गयी है।

iv. **छात्रवृतियां/वजीफे:** वर्तमान में राज्य के सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दन्त महाविद्यालय में निम्नलिखित सभी श्रेणियों को वजीफा दिया जा रहा है:

क्रमांक	पद/छात्र की श्रेणी	वर्ष (यदि लागू हो)	प्रति माह/प्रति छात्र छात्रवृति (डॉक्टर)
1.	बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) (इंटर्न)	-	20,000
2.	बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.) (इंटर्न)	-	17,000
3.	जुनियर रेजिडेंट/टयुटर जरनल	-	41,000
4.	सिनियर रेजिडेंट/टयुटर स्पैशलिस्ट	प्रथम वर्ष	1,00,000
		द्वितीय वर्ष	1,00,000
		तृतीय वर्ष	1,00,000
5.	डॉक्टर ऑफ मेडीसिन/मास्टर ऑफ सर्जरी(एम.डी./एम.एस.)	प्रथम वर्ष	60,000
		द्वितीय वर्ष	62,500
		तृतीय वर्ष	65,000
6.	स्नातकोत्तर राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड (एम.डी./एम.एस.) और डी.एन.बी.	प्रथम वर्ष	40,000
		द्वितीय वर्ष	45,000
		तृतीय वर्ष	50,000

v. **सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम:** वर्ष 2025–26 के दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजएवं अस्पताल, शिमला में विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की 7 सीटें भरी गईं। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, टांडा (कांगड़ा) में डी.एन.बी. सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 6 सीटें आवंटित की गईं (न्यूरोलॉजी में 2, गैस्टोलोजी में 2 तथा कार्डियोलॉजी में 2 सीटें)।

vi. **राष्ट्रीय बोर्ड के डिप्लोमा पाठ्यक्रम:** शैक्षणिक सत्र 2025–26 के दौरान, राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. के बाद 43 डी.एन.बी. सीटें और डी.एन.बी. के बाद 14 डिप्लोमा सीटें उपलब्ध थीं।

संस्थानवार प्रमुख उपलब्धियां दिसंबर, 2025 तक सारणी 14.5 में दी गई हैं।

सारणी14.5

संस्थानवार प्रमुख उपलब्धियां

संस्थान	विकसित सुविधाएं
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आई.जी.एम.सी.) शिमला	**अवसंचना विकास (आई.जी.एम.सी. शिमला)** • ₹50.14 करोड़ की लागत से यूजी छात्र एवं छात्रा छात्रावासों के निर्माण को स्वीकृती प्रदान की गई है, कार्य प्रगित पर है। • प्रिंसिपल कार्यालय को नए ओपीडी ब्लॉक जोड़ने हेतु दो लिफ्टों का निर्माण प्रगति पर है, मार्च 2026 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है। • ₹5.74 करोड़ की लागत से तीन व्याख्यान कक्ष एवं एक परीक्षा हॉल को स्वीकृति प्रदान की गई है, बहुमंजिला पार्किंग भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ₹1.10 करोड़ के सहयोग से एन.ई.एल.एस. स्किल लैब स्थापित की जा रही है, स्थल चिन्हित किय जा चुका है तथा अनुमान तैयार किए जा रहे • ₹45.68 करोड की लागत से न्यूक्लियर मेडिसिन एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए अलग–अलग ब्लॉक बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई, सिविल कार्य फरवरी, 2026 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है। • ₹28.44 करोड की लागत से रोबोटिक सर्जरी सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई है, 2026–27 में संचालन प्रारंभ होने की अपेक्षा है। • के.एन.एच. से आई.जी.एम.सी. शिमला को 50 बिस्तरों वाले प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग का स्थानांतरण प्रगति पर है, स्थान चिन्हित किया जा चुका है तथा उपकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। **मशीनरी और उपकरण** • ₹8.71 करोड की लागत का सी.टी. सिमुलेटर स्थापित कर संचालन में लाया गया है, जिससे कैंसर उपचार प्रक्रिया की सटीकता में सुधार हुआ • ₹28.00 करोड़ की लागत का हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलेरेटर स्थापित किया गया है, परीक्षण प्रगति पर है। • पी.ई.टी.–सी.टी. मशीन स्थापित एवं परीक्षण की जा चुकी है, ए.ई. आर.बी. लाइसेंस प्रक्रिया में है, फरवरी 2026 तक कार्यात्मक होने की अपेक्षा है। • 3–टेस्ला एम.आर.आई. मशीन स्थापित की जा चुकी है, विद्युत एवं अवसंरचना कार्य प्रगति पर है, फरवरी 2026 तक संचालन में आने

	की अपेक्षा है।
डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा	**अवसंरचना एवं संस्थागत विकास** • ₹35.39 करोड की लागत से मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया गया है, मार्च 2025 से ओपीडी सेवाएं संचालित हैं। • ₹44.77 करोड की लागत से 200 बिस्तरों वाला जी.एस. बाली मातृ एवं शिशु अस्पताल निर्मित किया गया है, भूतल कार्यात्मक है, मार्च 2026 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है। • ई.डब्लू.एस. योजना के अंतर्गत ₹14.14 करोड की लागत से लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रगति पर है, लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। • स्टाफ क्वाट्रों का निर्माण प्रगति पर है: – ₹12.26 करोड की लागत से 16 टाइप–V क्वाट्र , 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण । – ₹3.37 करोड की लागत से 8 टाइप–IV क्वाट्र, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण । • ₹19.86 करोड की लागत से 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित किया गया है, लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। **नर्सिंग शिक्षा** • एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से ₹19.69 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ नर्सिंग स्कूल का निर्माण किया गया, ₹17.86 करोड जारी किए गए, सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा विद्युत कार्य लंबित हैं। • नर्सिंग स्कूल को कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उन्नत किया गया है। **चिकित्सा उपकरण एवं उन्नत सुविधाएं** • डॉ. आर.पी.जी.एम.सी. टांडा में पी.ई.टी.–सी.टी. हेतु ₹15.82 करोड जारी किए गए हैं तथा 3.0 टेस्ला एम.आर.आई. मशीन की खरीद के लिए ₹23.50 करोड जारी किए गए है, स्थापना अप्रैल 2026 तक होने की अपेक्षा है। • मेडिकल कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से ₹25.00 करोड़ से हाई–टेक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। • दिसंबर 2025 तक 35 से अधिक रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की

	जा चुकी हैं, जिससे उन्नत शल्य चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई है **रोगी देखभाल एवं सहायता सेवाएँ** • ऑक्सीजन उपलब्धता और तैयारियों को सक्षम करने हेतु अतिरिक्त 25 के.एल. लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया गया है। • वित वर्ष 2025–26 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान ₹3.93 करोड़ व्यय के साथ नि:शुल्क जांच सेवाएं प्रदान की गईं। • वित वर्ष 2025–26 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान पी.एम.जे.ए.वाई, हिमकेयर तथा सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नि:शुल्क उपचार प्रदान किया गया।
पंडित जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा	• **अवसंरचना एवं विस्तार:** चरण–। पूर्ण किया गया है, जिससें 200 बिस्तरों वाला अस्पताल, 8 क्लीनिकल विभाग, 300 एम.बी.बी.एस. छात्रावास, 36 टाइप–III एवं 24 टाइप–IV स्टाफ क्वाट्र, निदान सेवाएं तथा बी.एम.डब्ल्यू. सुविधा शामिल हैं। चरण–II को ₹193.81 करोड की लागत स्वीकृति दी गई है, जिसमें से ₹18.98 करोड वरिष्ठ रेजिडेंट्स के आवास हेतु जारी किए गए है, प्रशासनिक ब्लॉक एवं इंटर्न्स हॉस्टल प्रस्तावित हैं। • **निदान एवं प्रक्रियाएं (2025):** 6,185 डायलिसिस सत्र, 1,07,367 एक्स–रे, 17,904 अल्ट्रासाउंड, 2,726 सीटी स्कैन, 51 एम.आर.आई. 5.51 लाख से अधिक प्रयोगशाला जांच (बायोकेमिस्ट्री 4,39,621, माइक्रोबायोलॉजी 15,365, क्लिनिकल पैथोलॉजी 95,575)। • **सामान्य क्लिनिकल सेवाएं:** 2,854 प्रमुख एवं 8,041 लघु शल्य क्रियाएं, 3,131 प्रसव तथा 744 सी–सेक्शन प्रसव 24×7 केंद्रीय प्रयोगशाला सेवाएं। • **सामाजिक सुरक्षा कवरेज (2025):** हिमकेयर के अंतर्गत 633, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 242 तथा ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत 16 लाभार्थी, निशु:ल्क दवाएं, जांच तथा जे.एस.एस.के. लाभ सुनिश्चत किए गए। • **क्लिनिकल उत्कृष्टता:** उन्नत आर्थोपेडिक प्रक्रियाएं (स्पाइन, पेल्विक–एसीटैबुलर, रिवीजन हिप, बी/एल टी.के.आर टीके ई.सी. एच.ओ. सेवाएं, डायबिटिक ओ.पी.डी, टाइप–1 मधुमेह से पीड़ित 5 बच्चों को इंसुलिन पंप उपलब्ध कराए गए।

डॉ राधा कृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर	• डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। • इस परियोजना की कुल लागत ₹376.30 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार से ₹170.10 करोड़ की सहायता शामिल है। • जोल सप्पर में 6.56 हेक्टेयर क्षेत्र में चरण–1 का अकादमिक ब्लॉक एवं 240 बिस्तरों वाला अस्पताल निर्मित कर पूर्ण किया गया हैं, जिसमें आधुनिक शिक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, एम. आर.आई. सीटी स्कैन, आई.सी.यू. ट्रामा केंयर सेंटर तथा सात ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। • फर्नीचर एवं उपकरणों की स्थापना प्रगति पर है। • चरण–II विस्तार हेतु 15.53 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। • प्रमुख आगामी अवसंरचना में राज्य कैंसर संस्थान (₹140.73 करोड), सभागार, (₹36.90 करोड), नर्सिंग कॉलेज, छात्रावास, प्रशासनिक ब्लॉक, हाई–टेक प्रयोगशाला तथा स्टाफ आवास शामिल हैं। • इन पहलों से हमीरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों मे तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं, तथा चिकित्सा शिक्षा क्षमता में उल्लेखनीय मजबूत होने की अपेक्षा है।
श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी	• संस्थान ने तीन पूर्णतः कार्यात्मक स्किल लैब स्थापित कर क्लिनिकल प्रशिक्षण अवसंरचना का मजबूत किया है। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत ₹25 लाख की लागत से एक आधुनिक स्त्री रोग एवं प्रसूति के लिए लैब स्थापित की गई है, जिससे व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं प्रक्रियात्मक दक्षताओं में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, ओ.बी.जी. विभाग में ₹10 लाख की लागत से एक स्किल लैब एवं समग्र दाई–नेतृत्क देखभाल इकाई स्थापित की गई है, जबकि नर्सिंग कॉलेज में ₹10 लाख की लागत से राज्य मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थान स्किल लैब संचालन में लाई गई है। • वित वर्ष 2024–25 के बजट में ₹23.50 करोड़ आवंटित किए गए, जिनमें से मार्च 2025 में ₹21.57 करोड़ एच.आई.टी.ई.एस. को जारी तथा तथा वित वर्ष 2025–26 के दौरान ₹1.96 करोड़ का भुगतान मशीन उपल्ब्ध करवाने के लिए किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला	संस्थान ने आधुनिक मशीनरी एवं चिकित्सीय उपकरणों की लक्षित खरीद के माध्यम से अपनी शैक्षणिक एवं नैदानिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। इसके अंतर्गत स्मार्ट कक्षाओं हेतु इलेक्ट्रॉनिक लेक्चरन एल.सी.डी. एवं इंटरएक्टिव पैनल (₹3.78 लाख), ओरल पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी के लिए छात्र माइक्रोस्कोप (₹2.15 लाख), ऑपरेशन थिएटर हेतु सिलिंड्रिकल ऑटोक्लेव (₹1.78 लाख), ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विभाग के लिए छह डेंटल चेयर (₹19.22 लाख), ऑपरेशन थिएटर के लिए डिफिब्रिलेटर (₹4.63 लाख), फिजियोडिस्पेंसर (₹1.40 लाख), डेंटल इम्प्लांट किट (1.60 लाख), विभिन्न विभागों हेतु डेंटल उपकरण (₹9.54 लाख) तथा ओ.एम.आर. के लिए मोबाइल डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन (₹17.41 लाख) की खरीद शामिल है।
अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज, शिमला (चमियाना)	**निर्माण कार्य:** ₹23.75 करोड़ की लागत वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक मार्च 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है, जबकि ₹43.50 करोड़ की लागत वाला अतिरिक्त ब्लॉक जून 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। दोनों भवनों की एटिक मंजिलों में छात्रावास सुविधाएँ प्रस्तावित हैं। एटिक निर्माण हेतु ₹10.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹1.00 करोड़ का व्यय अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा राशि एच.एस.सी.सी. इंडिया लिमिटेड को जारी कर दी गई है। चिकित्सा उपकरणों की खरीद सिविल कार्यों के साथ समन्वय में की जा रही है। • **मशीनरी एवं उपकरण:** संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों में रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधुनिक मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद की जा रही है। इनमें से कुछ मशीनें स्थापित होकर पूर्णतः क्रियाशील हो चुकी हैं। साथ ही, 3 टेस्ला एम.आर.आई. मशीन आगामी छह माह के भीतर संस्थान में स्थापित किए जाने की संभावना है। **रोबोटिक सर्जरी सुविधा:** दिसंबर, 2025 तक 100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा चुकी हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें शिशु मृत्यु दर घटकर 14 हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर 25 से काफी कम है, तथा जीवन प्रत्याशा बढ़कर 73.5 वर्ष हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 70 वर्ष है।
2. उच्च टीबी पहचान एवं नियंत्रण प्रदर्शन, जिसमें 97.5 प्रतिशत टी.बी. केस अधिसूचना प्राप्त की गई, वर्ष 2025 में 14,369 मरीजों का निदान किया गया तथा 98 प्रतिशत सार्वभौमिक ड्रग संवेदनशीलता परीक्षण पूर्ण किया गया।
3. उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी का विस्तार किया गया, जिसमें पी.ई.टी.–सी.टी., 3 टेस्ला एम.आर.आई., एल.आइ.एन.ए.सी. एवं सी.टी. सिम्युलेटर की स्थापना शामिल है, वर्ष 2025 तक चमियाणा में 100 से अधिक तथा टांडा में 35 से अधिक रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक सम्पन्न की गईं।
4. सुदृढ़ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणाम, जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत 49,607 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया तथा अटल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 3,58,136 बेबी किट वितरित की गईं।
5. वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया, जिसके अंतर्गत हिमकेयर के अन्तर्गत 1.04 लाख लाभार्थियों को ₹142.18 करोड़ मूल्य का उपचार प्रदान किया गया तथा पी.एम.जे.वाई. के अंतर्गत 72,839 लाभार्थियों ने ₹106.74 करोड़ की सेवाओं का लाभ उठाया।
6. आयुष सेवाओं का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत 33 आयुर्वेदिक अस्पतालों और 740 वेलनेस केंद्रों सहित कुल 1,252 आयुष संस्थान संचालित हैं, तथा पंचकर्म प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाकर 256 प्रशिक्षुओं प्रति वर्ष कर दी गई है।
7. उच्च एस.डी.जी.–3 प्रदर्शन, जिसमें 83 का एस.डी.जी.–3 सूचकांक स्कोर प्राप्त किया गया, जो राष्ट्रीय औसत 77 से अधिक है, तथा जीवन प्रत्याशा, टी.बी. नियंत्रण और एच.आई.वी. संक्रमण दर में सशक्त परिणाम प्रदर्शित किए गए हैं।

14.3 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष)

इस विभाग में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं।

आयुष स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से आम जनता को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण सारणी 14.6 में दिया गया है

सारणी 14.6

हिमाचल प्रदेश में आयुष स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता

क्रमांक	संस्थान	संख्याएँ (दिसंबर, 2025 तक)
1	स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज	1
2	फार्मास्यूटिकल विज्ञान महाविद्यालय	1
3	क्षेत्रीय अस्पताल	2
4	आयुर्वेदिक अस्पताल	33
5	नेचर केयर हॉस्पिटल	1
6	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	445
7	आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र	740
8	अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति (हर्बल गार्डन)	4
9	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1
10	यूनानी स्वास्थ्य केंद्र	3
11	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र	14
12	अमची क्लीनिक	4
13	आयुर्वेदिक फार्मेसी	3
कुल		1252

14.3.1 हिमोशधाम सोसायटी का गठन

वित वर्ष 2025–26 में आयुष विभाग ने परिचालन दक्षता में सुधार, अवसंरचना के आधुनिकरण तथा संस्थागत क्षमता को मजबूत करने हेतु तीन सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों को एकीकृत कर हिमोशधाम सोसायटी का गठन किया। यह पहल राज्य औषधीय पादप बोर्ड के साथ समन्वय के माध्यम से किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देती है, जिससे सुनिश्चित खरीद और आयुर्वेदिक औषधियों के स्थानीय निर्माण द्वारा मूल्य संवर्धन संभव होगा।

14.3.2 राज्य में वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देना

राज्य के वेलनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु आयुष विभाग ने पंचकर्म तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करते हुए मौजूदा संस्थानों में प्रवेश क्षमता बढ़ाई है तथा 12 अतिरिक्त अस्पतालों में यइ पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिससे कुल वार्षिक प्रवेश 256 प्रशिक्षुओं तक पहुंच गई है।

14.3.3 आयुष आरोग्य कल्याण निधि

राज्य भर में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रो की छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आयुष आरोग्य कल्याण निधी के गठन के माध्यम से उन्हे वितीय सहायता प्रदान करने की एक पहल की गई है।

14.4 एस.डी.जी.–3 (स्वास्थ्य) संकेतकों पर हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन: एक विश्लेषण

सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.– 3), जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं कल्याण को बढ़ावा देना है, के अंतर्गत प्रमुख संकेतकों पर हिमाचल प्रदेश एवं भारत के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इन संकेतकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संचारी रोग, जीवन प्रत्याशा, चोट–संबंधी मृत्यु, संस्थागत प्रसव, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा समग्र स्वास्थ्य परिणाम जैसे महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय लक्ष्यों के सापेक्ष परखा गया है। तुलनात्मक आकलन से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश कई मानकों पर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है, विशेष रूप से मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, टीकाकरण कवरेज, एच.आई.वी. प्रसार तथा समग्र एस.डी.जी.– 3 सूचकांक स्कोर में, जो अपेक्षाकृत बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और सेवा वितरण को दर्शाता है। हालांकि, सार्वभौमिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ अंतर शेष हैं, विशेषकर बाल टीकाकरण, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों तथा आत्महत्या दर जैसे क्षेत्रों में, जो एस.डी.जी.– 3 मानकों को प्राप्त करने हेतु निरंतर नीतिगत ध्यान और स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। संकेतक–वार विश्लेषण निम्नानुसार है:

सारणी 14.7

हिमाचल प्रदेश बनाम भारत बनाम लक्ष्य: एस.डी.जी.–3 स्वास्थ्य संकेतक

राज्य	हिमाचल	भारत	लक्ष्य
मातृ मृत्यु दर (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)	शून्य	97.00	79.00
पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	24.00	32.00	25.00
9–11 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण (%)	84.87	93.23	100.00
लक्ष्य के मुकाबले तपेदिक (टी.बी.) मामलों की सूचना (%)	97.51	87.13	100.00
एच.आई.वी. प्रकोप (प्रति 1,000 असंक्रमित जनसंख्या)	0.02	9.05	8.00
आयु प्रत्याशा	73.50	70.00	76.63
आत्महत्या दर (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	8.70	12.40	3.50
सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	13.15	12.40	5.81
कुल रिपोर्ट की गई प्रसवों में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत(%)	95.45	97.15	100.00
मासिक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर स्वयं खर्च, मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एम.पी.सी.ई.) के हिस्से के रूप में	14.40	13.00	7.83

प्रति 10,000 जनसंख्या स्वास्थ्यकर्मी घनत्व	84.73	49.45	44.50
एस.डी.जी. 3 सूचकांक स्कोर	83.00	77.00	100.00

स्रोत: एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 2023–24

14.4.1 एस.डी.जी. सूचकांक पर राज्यों का तुलनात्मक प्रदर्शन

चयनित राज्यों में गुजरात 90 के एस.डी.जी. इंडेक्स स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, जो विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों में मजबूत प्रगति को दर्शाता है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड 84 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जो अधिकांश राज्यों की तुलना में बेहतर और निरंतर उपलब्धियों को दर्शाता है।

83 के एसडीजी इंडेक्स स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र और उत्तराखंड के करीब स्थान पर है और राष्ट्रीय औसत 77 से काफी बेहतर प्रदर्शन करता है। राज्य का प्रदर्शन विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र के परिणामों में एस.डी.जी. लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाता है, हालांकि अग्रणी राज्यों के बराबर आने के लिए कुछ सीमांत सुधारों की आवश्यकता है।

समग्र रूप से, यह तुलना दर्शाती है कि सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.)की प्राप्ति के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है।

14.5 कार्यक्रम एवं योजनाओं का प्रदर्शन

क) रोग नियंत्रण एवं जनस्वास्थ्य

कार्यक्रम	नवीनतम उपलब्धि (2025)	प्रभाव के प्रमाण
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन.टी.ई.पी. – टी.बी.)	14,369 रोगियों का निदान, 98 प्रतिशत ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग (डी.एस.टी) व ₹1,095.60 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।	उच्च अधिसूचना दर, सार्वभौमिक परीक्षण सुनिश्चित।
रोग–वाहक जनित रोग	2.92 लाख स्लाइड्स की जांच की गई, 27 पॉजिटिव मामले पाए गए, मलेरिया से शून्य मृत्यु।	प्रभावी निगरानी ।
कुष्ठ रोग	प्रचलन दर घटकर 0.14 प्रति 10,000 हो गई।	सतत उन्मूलन की स्थिति।
अंधत्व नियंत्रण	32,455 मोतियाबिंद सर्जरी।	विस्तारित शल्य चिकित्सा पहुँच ।
एड्स नियंत्रण	2.88 लाख लोगों की जांच की गई, 728 पॉजिटिव पाए गए	सक्रिय पहचान और ए.आर.टी. कवरेज

ख) वित्तीय सुरक्षा योजनाएँ

योजना	अधिग्रहण	वित्तीय आवंटन	लाभार्थी
हिमकेयर	प्रति परिवार ₹5 लाख	₹142.18 करोड़	1.04 लाख मरीज उपचारित
पी.एम.जे.ए.वाई.	प्रति परिवार ₹5 लाख	₹106.74 करोड	72,839 मरीज उपचारित
एम.एम. चिकित्सा सहायता	गंभीर बीमारी सहायता	₹5.24 करोड	993
एम.एम. सहारा योजना	₹3,000 प्रति माह सहायता	प्रगतिशील	34,709 पंजीकृत

(ग) गैर–संक्रामक रोग और दीर्घकालिक देखभाल प्रतिक्रिया

- 16 लाख लोगों की जांच की गई (30 वर्ष और उससे ऊपर की आयु समूह) ।
- 3.2 लाख उच्च रक्तचाप के मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
- 2 लाख मधुमेह के मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
- 11 सक्रिय डे केयर कीमोथेरेपी केंद्र ।
- 33 निशुल्क इंसुलिन पंप स्थापित किए गए (टाइप–1 मधुमेह के लिए) ।
- 24 डायलिसिस यूनिटें चालू हैं, 49 नए केंद्रों को स्वीकृति मिली (₹27.44 करोड़) ।

(घ) मातृ और शिशु स्वास्थ्य

- 4,359 महिलाएँ जे.एस.वाई. (2025–26) के अन्तर्गत।
- 49,607 महिलाएँ जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभान्वित हुईं।
- 64,862 महिलाएँ पी.एम.एस.एम.ए. के अन्तर्गत ।
- 3,58,136 अटल आशीर्वाद सहायता पैकेट वितरित किए गए।
- शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर) 14 तक घटाई गई (राष्ट्रीय औसत से काफी कम)

(ङ) आयुष विस्तार

- 1 स्नातकोत्तर आयुर्वेद कॉलेज, 33 आयुर्वेद अस्पताल ।
- आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र ।
- औषधीय पौधों के मूल्य श्रृंखला के लिए हिमोशधाम सोसाइटी का गठन किया गया।
- पंचकर्म प्रशिक्षण में वार्षिक 256 प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाई गई।

14.6 मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तरीय मुद्दे और चुनौतियाँ (साक्ष्य आधारित)

मुद्दे / चुनौती	साक्ष्य	प्रभाव
जनसंख्या के वृद्ध होने के साथ बढ़ता	गैर–संक्रामक रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य) बढ़ रहे हैं	दीर्घकालिक रोग प्रबंधन, दीर्घकालिक देखभाल और वृद्धावस्था सेवाओं की मांग बढ़ी, उच्च लागत और निरंतर

गैर–संक्रामक रोग का बोझ	व वृद्ध होती जनसंख्या को मुख्य चुनौती के रूप में पहचाना गया है।	फॉलो–अप की आवश्यकता।
भौगोलिक और स्थलाकृतिक बाधाएँ, जो पहुंच को प्रभावित करती हैं	दूरस्थ, आदिवासी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच बाधाओं का सामना करना पड़ता है, भौगोलिक और मौसमी व्यवधानों के कारण कर्मचारियों को बनाए रखना और आपातकालीन प्रतिक्रिया देना कठिन रहता है।	सेवाओं में देरी, उच्च परिचालन लागत, रेफरल में बाधाएँ, और उन्नत डायग्नोस्टिक्स एवं विशेषज्ञों तक असमान पहुंच।
मानव संसाधन की कमी और असमान वितरण	शैक्षिक क्षमता बढ़ाने के बावजूद, ग्रामीण/दूरस्थ सुविधाओं में अभी भी विशेषज्ञों, प्रशिक्षित नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी है।	देखभाल की गुणवत्ता और निरंतरता प्रभावित होती है, प्रतीक्षा समय बढ़ जाता है, शहरी केंद्र अधिक बोझ वाले हैं, कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए लक्षित प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है।
वित्तीय स्थिरता पर दबाव और उच्च स्वयं–भुगतान हिस्सा	स्वास्थ्य व्यय पर दबाव बढ़ रहा है, प्रति माह उपभोग व्यय में स्वयं–भुगतान का हिस्सा 14.4 प्रतिशत है, जबकि लक्ष्य 7.83 प्रतिशत था।	परिवारों के लिए वित्तीय कठिनाइयों का जोखिमय निशुल्क डायग्नोस्टिक्स/दवाओं का विस्तार करने और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता।
मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ वर्तमान सेवा एकीकरण से आगे बढ़ रही हैं	मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके लिए मजबूत नीतिगत ध्यान और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकरण की आवश्यकता है।	अपूर्ण आवश्यकताएँ, उच्च विकलांगता बोझ, और उत्पादकता हानि तब तक बनी रहेगी जब तक कि सामुदायिक स्तर की सेवाओं और रेफरल का विस्तार नहीं किया जाता।
उच्च सड़क यातायात दुर्घटना मृत्यु दर और आपातकालीन देखभाल में अंतर	सड़क यातायात दुर्घटना मृत्यु दर 13.15 प्रति 100,000 है, जबकि लक्ष्य 5.81 था, आपातकालीन ट्रॉमा देखभाल और जिला स्तर की गंभीर देखभाल को मजबूत करने की आवश्यकता।	रोकने योग्य मौतें और विकलांगताएँ, ट्रॉमा सिस्टम, अस्पताल पूर्व देखभाल, और गंभीर देखभाल क्षमता की आवश्यकता।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियाँ और	इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और डेटा–आधारित निर्णय लेने का	मजबूत डिजिटल अपनाने के बिना सीमित वास्तविक समय निगरानी, बंटी हुई देखभाल निरंतरता, और सेवा

डेटा एकीकरण अभी विकासशील हैं	एकीकरण अभी "विकासशील" है और इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है।	वितरण सुधार में धीमी प्रगति।

14.7 भावी दिशा

स्वास्थ्य क्षेत्र की भविष्य की रणनीति में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और निवारक सेवाओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग तथा जीवनशैली सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। गैर–संचारी रोगों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन को जनसंख्या–आधारित स्क्रीनिंग, डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी तथा सामुदायिक पहुंच कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तर पर लागू किया जाना आवश्यक है। टेलीमेडिसिन और मोबाइल डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार भौगोलिक बाधाओं को कम करने और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुधारने में सहायक होगा। उभरती मनो–सामाजिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय को कम करना प्राथमिकता बना रहना चाहिए, जिसके लिए बीमा कवरेज का विस्तार, निःशुल्क जांच एवं दवाओं की उपलब्धता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और कौशल विकास में निरंतर निवेश से मानव संसाधन की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी। प्रोत्साहन–आधारित पदस्थापन नीतियाँ, आवास सुविधाएँ तथा कैरियर उन्नति के अवसर दूरस्थ क्षेत्रों में कर्मियों की स्थिरता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। राज्य को विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन ट्रॉमा केयर प्रणाली को मजबूत करना चाहिए तथा जिला स्तर पर क्रिटिकल केयर क्षमता में सुधार करना चाहिए।

प्रौद्योगिकी–आधारित स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन अत्यंत आवश्यक होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख (ई.एच.आर.), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) आधारित रोग निगरानी तथा एकीकृत स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। आयुष का समेकन, वेलनेस पर्यटन तथा निवारक स्वास्थ्य संवर्धन दीर्घकालीन जनस्वास्थ्य सुधार के साथ–साथ आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जन–केंद्रित, निवारक एवं वित्तीय रूप से संरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली, मजबूत सुशासन और सामुदायिक भागीदारी के साथ मिलकर, राज्य को स्वास्थ्य परिणामों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने तथा भविष्य के जनसांख्यिकीय और महामारी–सम्बंधी परिवर्तनों के लिए तैयार करने में सहायक होगी।

*****

अध्याय
15

समाज कल्याण

कार्यकारी सारांश

क्र. सं.	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का विस्तार**	सामाजिक सुरक्षा पेंशन कवरेज का उल्लेखनीय विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत 5.04 लाख वृद्धजन, विधवाएँ, एकल महिलाएँ, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके लिए ₹800 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2	**महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण**	इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के अंतर्गत महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे 35,687 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.एस.), कौशल विकास एवं विवाह सहायता योजनाओं के माध्यम से भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
3	**बाल विकास एवं पोषण**	आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य तथा पूरक पोषण कार्यक्रम जैसे उपक्रमों के माध्यम से बच्चों, किशोरियों एवं माताओं को समर्थन प्रदान किया जा रहा है। 2.7 लाख बच्चों तथा हजारों गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है।
4	**अनुसूचित जाति विकास योजना (एस.सी.डी.पी.)**	राज्य विकास योजना का 25.19 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति विकास योजना हेतु निर्धारित है। दिसंबर 2025 तक ₹1,228.21 करोड़ व्यय किए गए हैं, जो व्यक्तिगत लाभार्थियों एवं क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित है।
5	**जनजातीय क्षेत्र विकास**	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹638.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे जनजातीय जिलों में अवसंरचना एवं कल्याणकारी पहलों को समर्थन मिल रहा है।
6	**दिव्यांगजन समावेशन एवं समर्थन**	विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ, पुनर्वास सेवाएँ, यू.डी.आई.डी. कार्ड, विवाह प्रोत्साहन तथा संस्थागत सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे दिव्यांगजनों का सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित हो रहा है।
7	**संवेदनशील महिलाओं एवं बच्चों के लिए समर्थन**	स्टेट होम मशोबरा, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री सुख आश्रय तथा मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं के माध्यम से विधवाओं, अनाथों एवं उत्पीड़न के पीड़ितों को संरक्षण, देखभाल, शिक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
8	**स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन**	विकास निगम (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यको) को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत आवधिक ऋण, व्यवसाय ऋण एवं कौशल प्रशिक्षण सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे दिसंबर 2025 तक हजारों लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

15.1 परिचय

समावेशी एवं सतत विकास के लिए समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं, बच्चों तथा अन्य वंचित वर्गों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए सामाजिक कल्याण हस्तक्षेपों का व्यापक ढांचा लागू किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, असमानताओं को कम करना, मानव पूंजी को सुदृढ़ करना तथा राज्य भर में अवसरों तक समान पहुंच उपलब्ध कराना है।

यह अध्याय महिलाओं एवं बच्चों के साथ–साथ अन्य वंचित वर्गों के कल्याण हेतु लागू नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थागत तंत्र का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य–विशिष्ट पहलों तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन को रेखांकित किया गया है। साथ ही, प्रभावी शासन, अभिसरण तथा लक्षित हस्तक्षेपों की भूमिका को भी उजागर किया गया है, जिनके माध्यम से कल्याणकारी उपायों को लक्षित लाभार्थियों के जीवन स्तर में ठोस सुधारों में परिवर्तित किया जा रहा है।

15.2 समाजिक कल्याण

वंचित एवं हाशिए पर स्थित वर्गों के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामले तथा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय (ई.एस.ओ.एम.एस.ए)पर है। यह विभाग इन वर्गों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। इन पहलों का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे लक्षित जनसंख्या के समग्र कल्याण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा अत्यधिक वंचना, जोखिम एवं संवेदनशीलताओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि केवल आर्थिक वृद्धि और बाजार शक्तियां असमानता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं। बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्करण से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आय सहायता भी प्रदान करते हैं। जनकल्याण को सुदृढ़ करने हेतु राज्य में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य में लागू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का विवरण नीचे सारणी 15.1 में संक्षेप में दिया गया है:

सारणी 15.1

राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

योजनाएं	पात्रता शर्तें/बजट प्रावधान	राशि (₹) प्रति माह
वृद्धावस्था पेंशन	• विभाग द्वारा बिना किसी आय सीमा के सभी लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है जिसके लिए दम्पति में से कोई भी सरकारी सेवा की पेंशन न ले रहा हो और न ही आयकर दाता हो। • 60–69 वर्ष के पेंशनर • 60–69 वर्ष की महिला पेंशनर • 70 वर्ष व उससे अधिक के पेंशनर • इस योजना के अन्तर्गत 5,04,253 पेंशनरों के लक्ष्य के लिए ₹854.98 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया हैं जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक ₹622.24 करोड़ व्यय किए गए है।	1,000 1,500 1,700
विशेष दिव्यांगता राहत भत्ता	• जो पुरूष 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगता से पीड़ित है। • जो 40–69 वर्ष प्रतिशत तक की महिला दिव्यांगता से पीड़ित है। • बिना किसी आय सीमा के जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है। • 78,291 पेंशनरों के लिए 118.59 करोड के लक्ष्य के समकक्ष ₹98.57 करोड़ की राशि दिसम्बर, 2025 तक व्यय की गई है।	1,150 1,500 1,700
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन	• 69 वर्ष की महिलाएं । • 70 वर्ष और उससे अधिक । • 1,26,808 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹218.97 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत ₹168.73 करोड़ की राशि व्यय की गई।	1,500 1,700
कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता	• 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगी चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। • 69 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाएं। • 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कुष्ठ रोगी को • 1,021 पेंशनभोगियों के लक्ष्य के लिए 1.86 करोड़ के बजट प्रावधान में ₹1.13 करोड़ खर्च किए गए हैं।	1,000 1,500 1,700

ट्रांसजेंडर पेंशन	• 69 वर्ष तक के ट्रांसजेंडर को पेंशन। • 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर पेंशन । • दिसम्बर 2024 तक 50 पेंशन भोगियों के लक्ष्य के लिए ₹9.00 लाख के बजट प्रावधान में से ₹1.23 लाख व्यय किए गए हैं।	1,000 1,700
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (बी.पी.एल.)	• 60 से 69 वर्ष के व्यक्ति जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 60 से 69 वर्ष की महिला जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 70 वर्ष और अधिक के व्यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार से संबंधित है। • 1,04,740 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹44.10करोड के बजट प्रावाधान के अंतर्गत ₹31.86करोड की राशि व्यय की गई।	1,000 1,500 1,700
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	• 40 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु वर्ग की विधवाएं जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। • 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले बी.पी. एल. परिवार से संबंधित है। • 25,414 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹9.85 करोड के बजट प्रावाधान के अंतर्गत ₹7.19 करोड की राशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गई।	1,500 1,700
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष रूप से दिव्यांगता	• दिव्यांग व्यक्ति, जो 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो और बी.पी.एल. से संबंधित हो। • 1,340 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹53.00 लाख के बजट प्रावाधान के अंतर्गत ₹37.19 लाख की राशि व्यय की गई।	1,700

15.2.1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार से संम्बन्धित 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य कमाने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना मे मृत्यु हो जाती है तो ₹20,000 रुपये की राशि मदद के रुप में दी जाती है। दिसम्बर, 2025 तक 512 परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ₹102.40 लाख धनराशि व्यय की जा चुकी है।

15.2.2 इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 49 प्रतिशत है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र दुर्गम है, जहाँ अन्य क्षेत्रों और राज्यों की तुलना में जीवनयापन अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है। राज्य की महिलाएँ घरेलू कार्यों से लेकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकास और

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना, साथ ही उनका आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

राज्य में महिलाओं को प्रति माह ₹1500 प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024 शुरू की गई है। इस योजना के लिए ₹200.00 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 35,687 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, जिसके अन्तर्गत₹742.21 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

दिसंबर, 2025 तक प्राप्त प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है।

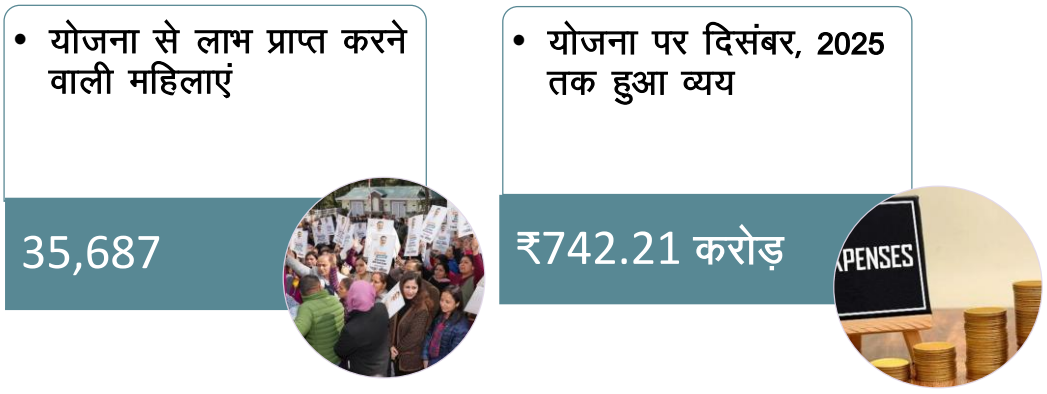

15.2.3 स्व–रोजगार योजनाएँ

वंचित वर्गों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार तीन निगमों का समर्थन करती है, जिनमें हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एच.पी.एस.सी. एवं एस.टी.डी.सी.), हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (एच.पी.बी.सी.एफ. एवं डी.सी.) और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम (एच.पी.एम.एफ. एवं डी.सी.) शामिल हैं। ये निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजनों से संबंधित पात्र लाभार्थियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

दिसंबर 2025 तक इन निगमों द्वारा वितरित ऋणों की वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है:

सारणी 15.2

स्वरोजगार योजनाओं का प्रदर्शन (दिसम्बर 2025)

निगम का नाम	योजना का नाम	लक्ष्य समूह	वित्तीय उपलब्धियाँ (₹लाख में)	भौतिक उपलब्धियाँ
हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग	सावधि ऋण (स्वरोजगार)	अन्य पिछड़ा वर्ग	448.21	74

वित्त एवं विकास निगम				
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	लघु व्यवसाय ऋण	अल्पसंख्यक	573.50	93
		दिव्यांगजन	187.90	25
	कृषि इकाई	अल्पसंख्यक	0.00	0
		दिव्यांगजन	33.00	2
	शैक्षिक ऋण	अल्पसंख्यक	19.71	2
	परिवहन क्षेत्र	अल्पसंख्यक	25.00	1
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम	स्वरोजगार योजना	एस.सी./एस.टी.	0.00	0
	हस्तशिल्प विकास योजना	एस.सी./एस.टी.	0.00	25
	ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण	एस.सी./एस.टी.	3.90	3
	अम्बेदकर लघु ऋण योजना/महिला समृद्धि योजना/ आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना/लघु व्यवसाय योजना	एस.सी./एस.टी.	262.12	410
	दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	एस.सी./एस.टी.	0.00	20
	हिमस्वाबलम्बन योजना	एस.सी./एस.टी.	729.40	176

स्त्रोतः ई.एस.ओ.एम.एस.ए.

15.2.4 अनुसूचित जाति विकास योजना

कुल राज्य विकास योजना आवंटन का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित जाति विकास योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यक्रमों के अर्न्तगत विशेष कवरेज प्रदान करने और अनुसूचित जाति केंद्रित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग रखा गया है। राज्य विकास योजना के अंतर्गत ₹1,829.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्रीय विकास बजट से अतिरिक्त ₹1,325.61 करोड़ की राशि द्वारा पूरक किया गया है।वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, दिसंबर 2025 तक राज्य विकास बजट से ₹1,228.21 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।वर्ष 2020–21 से 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) की अवधि में इस योजना के अंतर्गत व्यय का वितरण निम्नानुसार है।

चित्र 15.1

अनुसूचित जाति विकास योजनान्तर्गत व्यय (₹करोड़ में)

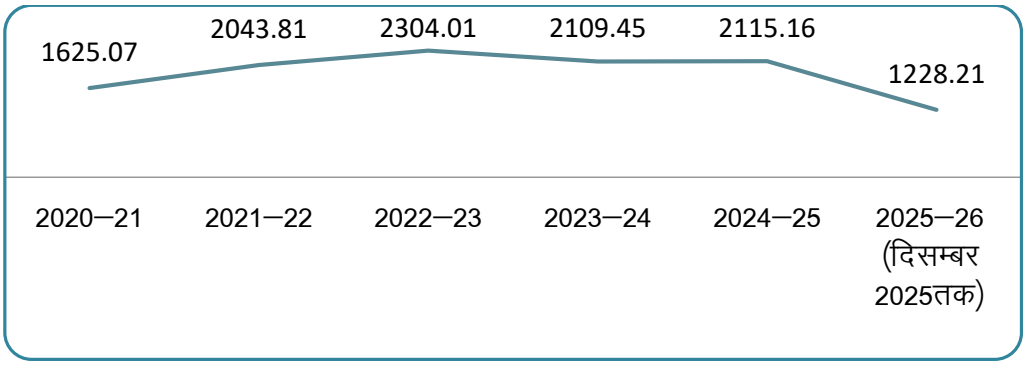

15.2.5 अनुसूचित जनजाति उप–योजना

राज्य जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निरंतर एवं सतत बजटीय प्रावधानों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रहा है।

अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) विकास योजना के हिस्से के रूप में, राज्य में एस.टी. के कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्ष 2025–26 में ₹638.73 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से अब तक सितम्बर, 2025 तक ₹234.16 करोड़ व्यय किए गए हैं। चित्र 15.2 में वर्षवार व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है।

चित्र 15.2

एस.टी./जनजाति उप–योजना के अन्तर्गत व्यय (₹करोड)

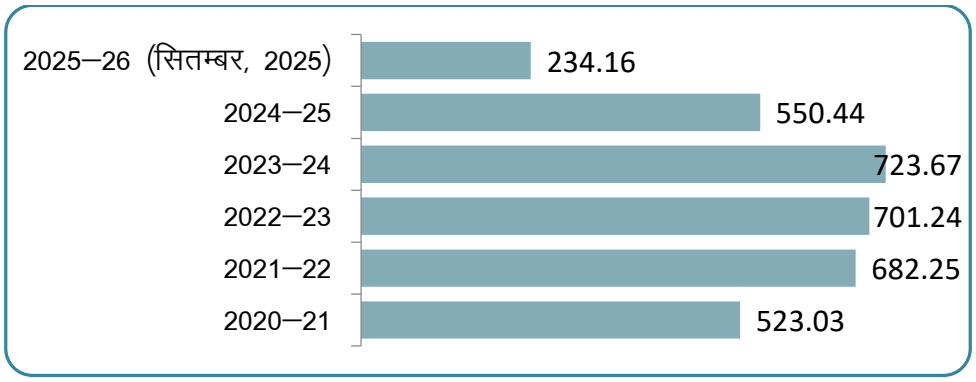

15.2.6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना, रोजगार क्षमता में वृद्धि करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना है।

2025–26 के दौरान लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाएँ इस प्रकार हैं:

सारणी 15.3

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यको के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएँ

योजना	संक्षिप्त विवरण
अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन	अंतर–जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि को 01 नवम्बर, 2025 से ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना हेतु ₹5.10 करोड़ का बजट काप्रावधान किया गया, जिसके अन्तर्गत दिसंबर 2025 तक ₹2.18 करोड़ व्यय कर 493 दंपत्तियों को लाभान्वित किया गया।
स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना/अवास सब्सिडी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जिनकी आय 50,000 से अधिक नहीं है को गृह अनुदान ₹1,50,000 प्रति परिवार घर निर्माण के लिए दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना हेतु ₹6.00 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया हैं।
कंप्यूटर प्रशिक्षण और कार्य में निपुणता एवं संबंधित कार्यकलाप	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,बी.पी.एल. अल्पसंख्यकों, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा को पैनलबद्ध एजेंसियों के माध्यम से पी.जी.डी.सी.ए. और डी.सी.ए. जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की लागत विभाग वहन करता है और प्रशिक्षण के दौरान व सरकारी कार्यालयों में छह माह की नियुक्ति अवधि के लिए छात्रवृतिदी जाती है।
अनुवर्ती कार्यक्रम	₹50,000 तक की वार्षिक आय वाले एस.सी. और ओ.बी.सी. व्यक्तियों की सहायता के लिए उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पारंपरिक व्यवसायों के लिए ₹1,300 और सिलाई मशीन के लिए ₹1,800 की सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना हेतु ₹1.18 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है।
एस.सी./एस.टी. पर अत्याचार के पीड़ितों को मुआवजा अत्याचार के निवारण (पी.ओ.	एस.सी/एस.टी. अत्याचार निवारण(पी.ओ.ए.) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत,पीड़ितों को ₹85,000 से ₹8.25लाख तक की राहत प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 325 पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए ₹3.59 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया

ए.) एक्ट–1989	है और दिसंबर, 2025 तक ₹2.01 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
सिविल सेवा प्रशिक्षण में सहायता	सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हिमाचली उम्मीदवारों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
नशीली दवाओं के सेवन पर रोकथाम	नशा दुरुपयोग की रोकथाम हेतु गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से समेकित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र (आई.आर.सी.ए.) संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। नुक्कड़ नाटकों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अभियानों सहित विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार के समक्ष ₹14.95 करोड़ की धनराशि की मांग प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, 'नशा मुक्त भारत अभियान' की पाँचवीं वर्षगांठ के आयोजन हेतु ₹0.50 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुआ है।
स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदानः वृद्ध आश्रम चलाने हेतु अनुदान	वरिष्ठ नागरिक की सुविधा हेतु वृद्धाश्रम, दैनिक देख–रेख केंद्र एंव वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र संचालित करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹3.00 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत दिसंबर 2025 तक ₹1.61 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

सारणी 15.4

विशेष रूप से सक्षमों का कल्याणः

दिव्यांगजनो के लिए छात्रवृत्ति	40 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति दी गई है। छात्रवृत्ति की दर अध्ययन की कक्षा के अनुसार निर्धारित है, जो अनावासीय–विद्यार्थियों के लिए ₹625 से ₹3,750 प्रति माह तथा आवासीय विद्यार्थियों के लिए ₹1,875 से ₹5,000 प्रति माह तक है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना हेतु ₹1.28 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
अक्षम व्यक्तियों से विवाह करने वाले व्यक्तियों को विवाह	अक्षम व्यक्तियों सेविवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकमुश्त प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाता है। 40 से 74 प्रतिशत दिव्यांगता की स्थिति में ₹25,000 तथा 75 प्रतिशत एवं

अनुदान	उससे अधिक दिव्यांगता की स्थिति में ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना हेतु ₹70.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान (आई.सी. एस.ए.)	ढली–(शिमला), दाड़ी–(धर्मशाला) तथा सुंदरनगर (मण्डी) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिएसंस्थानस्थापित किए गए हैं। बच्चों को शिक्षा और व्यवसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए इसमें ₹1.96 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
जिला पुनर्वास केंद्र	हमीरपुर और धर्मशाला में दो जिला पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। जहाँ दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएँ, परामर्श तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास	मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य में दो हाफवे होम स्थापित किए गए हैं इनमें से एक महिला हाफवे होम कुनिहार (जिला सोलन) में तथा एक पुरुष हाफवे होम नागचला (जिला मंडी) में समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग द्वारा कार्यरत है।
विशिष्ट विकलांगता आई.डी. कार्ड (यू. डी.आई.डी.) :	यू.डी.आई.डी. परियोजना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत दिव्यांग व्यक्तियों को एकीकृत दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, जिससे दिव्यांगता प्रमाणन की एक समान एवं समन्वित प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।
त्यौहार अनुदान	राज्य सरकार वृद्धाश्रमों/विशेष घरों में रहने वाले सभी निवासियों को आठ मुख्य त्यौहार मनानेके लिए ₹500 कि दर से प्रति व्यकित अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 25 निवासियों की क्षमता वाले संस्थानों को ₹5000 और 25 से अधिक निवासियों की क्षमता वाले संस्थानों को ₹10,000भी प्रदान किए जातेहैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. सामाजिक सुरक्षा कवरेज का सुदृढ़ीकरण

लगभग 5 लाख वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आय स्थिरता सुनिश्चित हुई है। विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पेंशन लाभों का विस्तार किया गया।

2. महिलाओं के लिए उन्नत समर्थन

35,687 महिलाओं को प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया, जिन्हें प्रतिमाह ₹1,500 की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

3. बाल संरक्षण एवं पोषण हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाना

- 4,131 संवेदनशील एवं असुरक्षित बच्चों को समग्र देखभाल पहलों के अंतर्गत सहायता प्रदान की गइ हैं।
- 2.7 लाख बच्चों को पूरक पोषण उपलब्ध कराया गया, जिससे प्रारंभिक बाल स्वास्थ्य एवं पोषण परिणामों में सुधार हुआ है।

4. वंचित समुदायों के लिए लक्षित विकास

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति विकास योजना के अंतर्गत ₹1,200 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया है।

5. दिव्यांगजन समावेशन पहल

छात्रवृत्ति, पुनर्वास सहायता, प्रोत्साहन अनुदान तथा संस्थागत देखभाल अवसंरचना में सुधार सुनिश्चित किया गया है।

6. महिला सुरक्षा एवं कल्याण अवसंरचना का विस्तार

सभी जिलों में वन–स्टॉप सेंटर की स्थापना सुनिश्चित की गई, जहाँ चिकित्सा, विधिक एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

7. आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार समर्थन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजनों को आवधिक ऋण, व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण तथा कौशल विकास के माध्यम से विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है।

15.3 महिला एवं बाल विकास

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य भर में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु अनेक पहल कर रही है। इन उपायों का उद्देश्य लैंगिक असमानताओं को कम करना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, घरेलू आय में वृद्धि करना और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है।

स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, विवाह, स्वरोजगार, शिक्षा और पुनर्वास के लिए लक्षित वित्तीय सहायता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है। राज्य की पहलों के साथ–साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण एवं नवीनीकरण भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी।

महिला–केंद्रित योजनाएँ

योजना	सहायता	विस्तार
प्यारी बहना सुख सम्मान	₹1,500 प्रति माह	35,687 महिलाएँ
मुख्यमंत्री कन्यादान	₹51,000	182 लाभार्थी
विधवा पुनर्विवाह	₹2 लाख	45 दम्पत्ति
शगुन योजना	₹31,000	1,118 लाभार्थी
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा	शिक्षा सहायता	21,588 बच्चे

बाल संरक्षण एवं पोषण

योजना	सहायता	विस्तार
मिशन वात्सल्य	संस्थागत + पालक पाषण देखभाल	1,246 संस्थागत + 3,227 पालक देखभाल
सुख–आश्रय	अनाथ एवं संवेदनशील बच्चे	4,131 कवर किया गया
पूरक पोषण	6 माह–6 वर्ष	2.7 लाख बच्चे
पोषण	कुपोषण में कमी	₹30.60 करोड़ व्यय
पी.एम.एम.वी.वाई.	मातृत्व लाभ	72,000 से अधिक किस्तें

सारणी 15.5

महिला, बाल एवं लड़कियों के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएं

योजनाएँ	संक्षिप्त विवरण
राज्य गृह सह सुरक्षात्मक गृह मशोबरा	इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएं जो मानसिक रूप से कमजोर है न्यायालय के आदेश से प्रवेशित को निःशुल्क आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य दवाईयां, परामर्श तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। मशोबरा स्टेट होम में वर्तमान में 16 निवासी हैं। महिलाओं को सेवा सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है तथा शादी करने के लिए उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹0.50 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसके अन्तर्गत् दिसंबर 2025 तक ₹0.30 करोड़ व्यय किए गए।
वन स्टॉप सेन्टर	वन स्टॉप सेन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे निजी तथा सार्वजनिक स्थानो में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है तथा चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्श आपातकाल और गैर आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक "वन स्टॉप सेंटर" की स्थापना की गई है।रामपुर (जिला शिमला) में एक अतिरिक्त केंद्र कार्यरत है।वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹2.48 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत् दिसंबर 2025 तक ₹2.14 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इस अवधि में कुल 1,127 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।
सक्षम गुड़िया बोर्ड	इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं/किशोरियों के सशक्तिकरण, नीतिगत सिफारिशें करना, बचाव व सुरक्षा से सम्बन्धित एक्ट, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों के लिए तथा अपराध के खिलाफ बालिकाओं/किशोरियों की सुरक्षा के लिए उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है।
मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना	यह योजना अनाथ, अर्ध–अनाथ, दिव्यांग, परित्यक्त, आत्मसमर्पण किए गए और ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ–साथ निर्धन और अकेली महिलाओं को आत्मनिर्भर होने तक व्यापक देखभाल और संरक्षण प्रदान करती

	है। इस योजना को 28 फरवरी, 2023 को अधिसूचित किया गया था और उच्च शिक्षा व कौशल विकास के लिए ₹101.00 करोड़ का कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में स्वैच्छिक दान और सी.एस.आर. योगदान भी प्राप्त होते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर, 2025 तक) के दौरान 4,131 बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। इसके लिए ₹35.03 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से ₹25.78 करोड़ खर्च किया जा चुका है।
मिशन वात्सल्य योजना	राज्य में 17 सितंबर, 2012 से मिशन वात्सल्य (पूर्व में बाल संरक्षण योजना) लागू की गई है, जिसका उद्देश्य देखभाल और संरक्षण वाले बच्चों (सी.एन.सी.पी.) और कानून के साथ संघर्ष में फंसे बच्चों (सी. आई.सी.एल.) को देखभाल और संरक्षण प्रदान करना है। 61 बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है, जिससे 1,246 बच्चों को लाभ मिलता है। गैर–संस्थागत देखभाल के अंतर्गत, 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान 3,227 बच्चे पालक देखभाल/प्रायोजन के अंतर्गत और 117 बच्चे उत्तर–देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹61.36 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से दिसंबर 2025 तक ₹29.45 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।
बलात्कार और बाल उत्पीड़न तथा वस्तुकरण पृष्ठभूमि पीड़िता का पुनर्वास	यह योजना परामर्श, आर्थिक सुरक्षा, कौशल विकास, पुनर्वास और आजीविका सहायता के माध्यम से नाबालिग पीड़ितों की गरिमा और आत्मविश्वास को बहाल करती है। अपराध की पुष्टि होने पर, 21 वर्ष की आयु तक ₹7,500 की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, 384 लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई।
आंगनबाड़ी सेवाएं	इस योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, निर्देशन सेवाएं और पूर्व–विद्यालय शिक्षा प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल, 2025 से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को "आंगनवाड़ी–सह–पूर्व–विद्यालय" घोषित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर 2025 तक ₹129.62 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।
पूरक पोषण कार्यक्रम और	पूरक पोषण 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पोषण

बाल पोषाहार टॉप–अप योजना	संबंधी कमियों को दूर करने के लिए प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, 2,70,552 बच्चों, 63,986 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 1,489 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। पूरक पोषण योजना के अन्तर्गत कुल ₹71.10 करोड़ (केंद्रीय) और ₹7.90 करोड़ (राज्य) का बजट का प्रावधान है जिसमें से ₹51.06 करोड़ खर्च किए गए तथा बाल पोषण टॉप–अप योजना के अन्तर्गत् ₹21.00 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था।
किशोरियों के लिए योजना (एस.ए.जी.)	राज्य के आकांक्षी जिले चंबा में किशोरियों (14–18 वर्ष) के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए एस.ए.जी. योजना लागू की गई है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 14,943 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। ₹4.78 करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर 2025 तक ₹2.32 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

कुछ अन्य राज्य योजनाएँ

योजनाएँ	योजना का उद्देश्य	वित्तीय वर्ष 2025–26	बजट उपयोग (दिसंबर 2025 तक)	लाभार्थी / विवरण
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	यह आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए ₹51000 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उन मामलों में वित्तीय कठिनाई को कम करना है जहां पिता की मृत्यु हो गई है या शारीरिक या मानसिक अक्षमता या दीर्घकालिक बीमारी के कारण वे असमर्थ हैं।	₹9.39 करोड़	₹0.93 करोड़	182
विधवा पुनः विवाह योजना	यह पुनर्विवाह के माध्यम से विधवाओं के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाता है। इसका उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह का विकल्प चुनने वाले दंपतियों को ₹2,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि विधवापन से जुड़ी	₹4.67 करोड़	₹0.91 करोड़	45

	सामाजिक असुरक्षा और कलंक को कम किया जा सके।			
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना	इसका उद्देश्य विधवा, बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं तथा विकलांग माता–पिता के बच्चों की निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसयोजना के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए (27 वर्ष की आयु तक) निरंतर वित्तीय एवं शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है।	₹23.37 करोड़	₹22.21 करोड़	21,588
विशेष महिला उत्थान योजना	इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से वंचित महिलाओं, विशेषकर यौनउत्पीड़ितका पुनर्वास करना है। इसका लक्ष्य आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना है।	-	-	मासिक छात्रवृति ₹3,000, परीक्षा शुल्क ₹800
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	इसका उद्देश्य लिंगभेद पर आधारित लिंग–चयनात्मक प्रथाओं को रोकना और बाल लिंग अनुपात में सुधार करना है। यह जागरूकता सृजन, सामुदायिक सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से बालिका की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहता है।	₹1.55 करोड़	₹1.07 करोड़	395
बेटी है अनमोल योजना	बालिका और उसकी माताओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को बदलने के लिए। इसका उद्देश्य बी.पी.एल. (बहुमूल्य निम्न स्तर) श्रेणी के पात्र परिवारों को जन्म के बाद ₹21,000 की वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करके बालिकाओं की शिक्षा में नामांकन, उपस्थिति और निरंतरता में सुधार करना है।	₹1.00 करोड़	₹0.68 करोड़	319
मुख्यमंत्री शगुन	यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए	₹19.47 करोड़	₹3.47 करोड़	1,118

योजना	गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों से संबंधित लड़कियों को विवाह के समय ₹31000/– की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।			
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम सुनिश्चित करने के लिए आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को प्रोत्साहित करके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना और अतिरिक्त प्रोत्साहनों के माध्यम से बालिका के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है।	₹29.84 करोड़	₹28.04 करोड़	34,372 (पहले बच्चे की किस्त), 37,788 (दूसरे बच्चे की

15.3.1 पोषण अभियान

पोषण अभियान का उद्देश्य जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कुपोषण को कम करना है। पोषण माह, विश्व स्तनपान सप्ताह और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियाँ व्यापक रूप से आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, ₹38.67 करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर 2025 तक ₹30.60 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

15.3.2 वो दिन योजना

वो दिन योजना का उद्देश्य बच्चे के पहले 1,000 दिनों के दौरान मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, एनीमिया की रोकथाम और देखभाल करना है। यह योजना स्वास्थ्य और आयुष विभागों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

15.4 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य–स्तरीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

मुद्दे/चुनौतियाँ	साक्ष्य	प्रभाव
सामाजिक सुरक्षा पेंशनों पर उच्च निर्भरता	5.04 लाख से अधिक वृद्धजन, 1.26 लाख विधवाएँ, 78,291 दिव्यांगजन तथा 50 ट्रांसजेंडर व्यक्ति पेंशन	दीर्घकालिक वित्तीय भार में वृद्धि सतत आजीविका के अवसर सृजित कर निर्भरता कम करने की आवश्यकता।

	प्राप्त कर रहे हैं।	
कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ता व्यय	सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यय ₹622.24 करोड़ (दिसम्बर 2025 तक) व अनुसूचित जाति विकास योजना (एस.सी.डी.पी.) व्यय ₹1,228.21 करोड़।	राज्य बजट पर उच्च दबाव दक्षता एवं परिणाम–आधारित संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
बाल पोषण एवं प्रारंभिक बाल देखभाल में अंतराल	2.70 लाख बच्चे तथा 1,489 गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है।	निरंतर कुपोषण की स्थिति का इंगित करना, सीखने एवं स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम।
ऋण योजनाओं के बावजूद सीमित रोजगार/उद्यमिता परिणाम	अनेक योजनाओं में शून्य या अत्यंत कम भौतिक उपलब्धि (जैसे, एच.पी.एस.सी. एवं एस. टी.डी.सी. स्वरोजगार योजना 0 लाभार्थी)।	आर्थिक सशक्तिकरण में कमी योजनाओं का अपर्याप्त उपयोगदुर्लभ पहुँच।
भौगोलिक एवं सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं की संवेदनशीलता	दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों एवं बिखरी हुई आबादी के कारण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका।	कार्यभार में वृद्धि, सीमित गतिशीलता, सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच।
बढ़ते नशा–प्रयोग के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता	सामाजिक जोखिमों में वृद्धि के कारण नशामुक्ति केंद्र संचालित।	सामाजिक अस्थिरता एवं स्वास्थ्य समस्याएँ निवारक एवं पुनर्वास उपायों की आवश्यकता।
बहु–योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी में चुनौतियाँ	उन्नत डिजिटल कल्याण पारितंत्र, रियल–टाइम डैशबोर्ड एवं एकीकृत लाभार्थी आंकडों की आवश्यकता।	योजनाओं में ओवरलैप, संसाधन–लीकेज एवं कमजोर निगरानी से प्रभावशीलता में कमी।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे एवं चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	साक्ष्य
वन स्टॉप महिला सहायता सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता	सभी जिले, अतिरिक्त केंद्र रामपुर (शिमला)	सभी जिलों में वन–स्टॉप सेंटर क्रियाशीलय रामपुर में एक अतिरिक्त केंद्र स्थापित।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास की आवश्यकता	शिमला (ढली), धर्मशाला, मंडी (सुंदरनगर)	इन जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थान संचालित।

जनजातीय क्षेत्र विकास में जिला–स्तरीय अंतराल	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय जिले	₹638.73 करोड़ का प्रावधान, जिसमें से ₹234.16 करोड़ व्यय क्रियान्वयन में अंतराल का संकेत।
आकांक्षी जिले में उच्च संवेदनशीलता, जिसके लिए किशोरियों हेतु केंद्रित समर्थन की आवश्यकता	चंबा	एस.ए.जी. योजना विशेष रूप से चंबा में लागू, 14,943 बालिकाएँ लाभान्वित।
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए सीमित पुनर्वास सेवाएँ	कुनिहार (सोलन) नागचला (मंडी)	हाफवे पुनर्वास गृह केवल इन दो स्थानों पर संचालित।
नशा–उन्मूलन जागरूकता एवं पुनर्वास में अंतराल	सभी जिले (राज्यव्यापी आई. आर.सी.ए.कार्यक्रम)	जागरूकता अभियान एवं आई. आर.सी.ए. एस.केंद्र संचालित केंद्रीय वित्तपोषण पर निर्भरता।
आंगनवाड़ी अवसंरचना पर अत्यधिक निर्भरता	सभी जिले	सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में "आंगनवाड़ी–सह–प्रि–स्कूल" घोषित अवसंरचना उन्नयन की आवश्यकता।

15.5 भावी दिशा

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक कल्याण रणनीति को योजना केंद्रितदृष्टिकोण से हटकर परिणाम–उन्मुख, प्रौद्योगिकी आधारित और समुदाय संचालित मॉडल की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। इसके लिए लाभार्थियों के एकीकृत डाटाबेस, वास्तविक समय (रीयल–टाइम) निगरानी डैशबोर्ड तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) की प्रक्रियाओं के माध्यम से डिजिटल कल्याण तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि लक्षित लाभ वितरण, पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।जिला स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के समन्वित एकीकरण हेतु एकीकृत कल्याण मंचों की स्थापना आवश्यक है, ताकि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को सुदृढ़ करते हुए महिलाओं, बच्चों एवं अन्य संवेदनशील परिवारों तक समग्र सेवाएं पहुंचाई जा सकें।साथ ही, अनुदान आधारित सहायता की परंपरा से आगे बढ़ते हुए सतत आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत कौशल मानचित्रण, स्थानीय संसाधनों पर आधारित मूल्य शृंखला विकास, पर्यटन संबद्ध आजीविका, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों का संवर्धन तथा डिजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करना राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा वितरण को प्रभावी बनाने हेतु मोबाइल सेवा इकाइयों, प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं डिजिटल सेवा केंद्रों की क्षमता को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निवारक सामाजिक कल्याण की अवधारणा को व्यापक रूप देते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था पोषण, किशोर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य

सेवाएं तथा विद्यालय एवं समुदाय आधारित नशा–निवारण कार्यक्रमों को नीति के केंद्र में स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक समस्याओं की रोकथाम संभव हो सके।इसके अतिरिक्त, गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) संसाधनों तथा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से सुदृढ़ सार्वजनिक–निजी एवं सामुदायिक भागीदारी विकसित कर पुनर्वास, कौशल विकास एवं जन–जागरूकता कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।अंततः, तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक अंकेक्षण एवं उन्नत डेटा विश्लेषण के माध्यम से साक्ष्य आधारित नीतिनिर्माण को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना आवश्यक है, ताकि योजनाओं के डिजाइन, क्रियान्वयन एवं परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो सके। इन समेकित प्रयासों के माध्यम से राज्य कल्याण विस्तार से आगे बढ़कर सतत, समावेशी एवं आत्मनिर्भर सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर होगा, जिससे कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता तथा लचीलापन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

******

अध्याय 16

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

कार्यकारी सारांश

क्रमांक	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**अभिसरण आधारित ग्रामीण विकास**	राज्य ने समग्र ग्रामीण विकास के लिए आजीविका, बुनियादी ढांचा, जल संरक्षण, स्वच्छता और विकेंद्रीकृत शासन को एकीकृत करते हुए एक व्यापक ग्रामीण विकास दृष्टिकोण अपनाया है।
2	**स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन**	महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह ग्रामीण आजीविका की नींव बनाते हैं, जिनमें मजबूत वित्तीय समावेशन और एकल महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।
3	**युवाओं के कौशल विकास और रोजगार**	डी.डी.यू. जी.के.वाई. के माध्यम से 2017 से अब तक 22,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया गया है, जिससे रोजगार क्षमता और आय विविधीकरण को मजबूती मिली है।
4	**जलक्षेत्र और जलस्रोत प्रबंधन**	बड़े पैमाने पर जलसंभर कार्य, जलस्रोतों का पुनरुद्धार और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा, कृषि स्थिरता और जलवायु लचीलापन को मजबूत करती हैं।
5	**ग्रामीण स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन**	हिमाचल प्रदेश ने खुले में सुरक्षित रहने का दर्जा हासिल कर लिया है और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तार, ग्राम स्तरीय बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों के माध्यम से खुले में सुरक्षित रहने के साथ–साथ सुरक्षित रहने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
6	**आवास और आपदा सहायता**	पी.एम.ए.वाई.जी. के अन्तर्गत आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष प्रावधानों और राज्य के बढ़े हुए समर्थन के साथ हजारों ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया, जिससे आवास की मजबूती में सुधार हुआ है।
7	**रोजगार गारंटी विस्तार**	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. राज्य में 120 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करता है (राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिनों से अधिक), जिससे आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित होती है और असुरक्षा कम होती है।
8	**कमजोर समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा**	मातृ शक्ति बीमा योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे संकट के दौरान होने वाली कठिनाई कम हो जाती है।

9	**पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना**	केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों के अन्तर्गत प्रमुख वित्तीय हस्तांतरण, डिजिटल शासन (ई–परिवार), बुनियादी ढांचागत सहायता और क्षमता निर्माण ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है।
10	**एकीकृत ग्रामीण शासन के परिणाम**	राज्य में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को मजबूती मिली, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा, पारिस्थितिक स्थिरता में सुधार हुआ और अभिसरण आधारित विकास के माध्यम से पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया।

16.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने, जल संसाधनों का संरक्षण करने और ग्रामीण आबादी–विशेष रूप से समाज के गरीब, हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों–के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हस्तक्षेपों का एक व्यापक समूह शामिल है। इस बहुआयामी परिवर्तन को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.), दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.), वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.सी.), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना–2.0 (डब्ल्यू.डी.सी., पी.एम.के.एस. वाई.–2.0), स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, (पी.एम.ए.वाई.–जी.) और मातृ–शक्ति बीमा योजना (एम.एस.बी.वाई.) के कार्यान्वयन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है।

आर्थिक प्रगति को बनाए रखने में ग्रामीण समुदायों की केंद्रीय भूमिका को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने उनके कल्याण, क्षमता निर्माण और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर निरंतर जोर दिया है। यह अध्याय ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण समुदायों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थागत हस्तक्षेपों के विश्लेषणात्मक अवलोकन पर प्रकाश डालता है।

सारणी 16.1

योजना सारांश (एकीकृत दृश्य)

योजना	मूल उद्देश्य	प्रमुख उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2025–26 के वित्तीय विवरण
डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.	आजीविका	₹19,303 लाख क्रेडिट लिंकेज	₹750 लाख आर.एफ.
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	कौशल और नियुक्तियां	15,234 नियुक्तियां	₹29.75 करोड़ खर्च
डब्ल्यू.डी.सी., पी.एम.के.एस.वाई.	वाटर शैड़	1,488 एन.आर.एम. कार्य	₹39.54 करोड खर्च
एस.बी.एम.–जी.	ओ.डी.एफ.प्लस	15,965 एल.डब्ल्यू.एम. गांव	₹29.10 करोड़ खर्च
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	रोजगार	174.16 लाख व्यक्ति–दिन	₹934.14 करोड़ खर्च
पी.एम.ए. वाई–जी.	आवास	26,306 आवास	₹185.31 करोड़
एम.एस.बी.वाई.	सामाजिक सुरक्षा	61 लाभार्थी	₹1.21 करोड़
पंचायती राज	विकेन्द्रीकरण	₹343 करोड़ एफ.सी. अनुदान	₹467.48 करोड़ एस. एफ.सी.

16.2 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.)

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.) ने 01 अप्रैल, 2013 से राज्य में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का स्थान ले लिया है।डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. गरीब और कमजोर परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से विविध आजीविका के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर ग्रामीण गरीबी को कम करना चाहता है। यहमिशन क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन और स्थायी आजीविका संस्थानों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय–संचालित दृष्टिकोण अपनाता है। राज्य के 91 ब्लॉकों में डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. क्रियान्वित किया जा रहा है।

16.2.1 इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संगठित करके, स्थायी आजीविका के अवसरों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने, गरीबी पर काबू पाने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने तक निरंतर संस्थागत सहायता प्रदान करना है। यह मिशन महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर देता है, इसलिए, ग्रामीण गरीब परिवारों (एच.एच.) को मुख्य रूप से उनकी महिला सदस्यों के माध्यम से इसके दायरे में लाया जाता है। इन महिलाओं को सहायता के लिए पहले एस.एच.जी. में और उसके बाद ग्राम/ब्लॉक/जिला संघों में संगठित किया जाता है।

राज्य का अपना ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) सभी ग्रामीण गरीबों और सबसे गरीब लोगों को कवर कर रहा है, जिनका चयन गरीब लोगों की सहभागी पहचान (पी.आई.पी.) प्रक्रिया और सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011 के आंकड़ों के माध्यम से किया गया है। चयनित महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संगठित किया जा रहा है और उनके संघबद्ध संस्थानों को सूक्ष्म वित्त पोषण के लिए बैंकों से जोड़ा जा रहा है। एन.आर.एल.एम. का मुख्य ध्यान एकल महिलाओं, युद्ध विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्ग वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने पर है, जिनके पास देखभाल करने वाले नहीं हैं।

सारणी 16.2

डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम के अन्तर्गत जिलावार एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2025.26 (दिसम्बर, 2025 तक)

क्र0 सं0	जिला का नाम	स्वयं सहायता समूह का गठन		दी गई परिक्रमा राशि				दिया गया सामुदायिक निवेश				ऋण वितरण			
		लक्ष्य	उपलब्धियां	स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) के लिए परिक्रमा राशि का लक्ष्य		एस.एच.जी. के लिए परिक्रमा राशि की उपलब्धियां		एस.एच.जी. के लिए सामुदायिक निवेश का लक्ष्य		एस.एच.जी. के लिए सामुदायिक निवेश की उपलब्धियां		एस.एच.जी. के लिए बैंको द्वाराऋण वितरण का लक्ष्य		एस.एच.जी. के लिए ऋण वितरण की उपलब्धियां	
				एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)	एस.एच.जी. का लक्ष्य	(₹लाख में)	एस.एच.जी.	(₹लाख में)
1	बिलासपुर	0	0	223	33.45	127	19.05	258	129.00	105	51.07	1140	1660.00	304	629.06
2	चम्बा	30	25	577	86.55	214	32.10	360	180.00	155	76.50	1420	1680.00	288	631.49
3	हमीरपुर	0	0	239	35.85	73	10.95	289	144.50	122	61.00	760	1120.00	599	802.03
4	कांगड़ा	20	18	1171	175.65	868	130.20	1016	508.00	233	116.50	4760	8350.00	2331	5509.36
5	किन्नौर	15	12	56	8.40	24	3.60	94	47.00	31	15.50	210	370.00	136	198.53
6	कुल्लू	12	9	433	64.95	193	28.95	452	226.00	157	78.50	910	1240.00	554	971.28
7	लाहौल–स्पिति	15	8	38	5.70	11	1.65	32	16.00	0	0.00	20	30.00	11	21.07
8	मण्ड़ी	12	10	1006	150.90	560	84.45	1059	529.50	243	142.60	4390	6340.00	1877	3777.41
9	शिमला	6	4	613	91.95	405	60.60	600	300.00	268	142.69	2580	4860.00	1294	2548.03
10	सिरमौर	0	0	115	17.25	123	18.45	314	157.00	235	183.00	920	1660.00	592	1235.26
11	सोलन	5	4	321	48.15	237	35.70	231	115.50	79	55.00	1180	1730.00	489	1123.81
12	ऊना	0	0	208	31.20	134	20.10	295	147.50	135	68.00	1110	1960.00	1015	1856.16
	कुल योग	115	90	5000	750.00	2969	445.80	5000	2500.00	1763	990.36	19400	31000.00	9490	19303.49

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रगति का सारांश: ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाना

आजीविका – डे–एन.आर.एल.एम.

- 91 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया
- वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक):
  - 5,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन (लक्ष्य) इस वर्ष 90 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ
  - ₹750 लाख की परिक्रमा निधि वितरित की गई
  - ₹445.80 लाख सी.आई.एफ. वितरित
  - ₹19,303.49 लाख ऋण संपर्क स्थापित किया गया (9,490 स्वयं सहायता समूह)

अग्रणी जिले (ऋण संपर्क – ₹लाख में)

जिला	स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए	ऋण (₹लाख)
कांगड़ा	2,331	5,509.36
मंडी	1,877	3,777.41
शिमला	1,294	2,548.03
ऊना	1,015	1,856.16
सिरमौर	592	1,235.26

फोकस समूह: अकेली महिलाएं, विधवाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति।

16.3 दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू–जी.के.वाई)

दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, (एम.ओ.आर.डी., जी.ओ.आई.) की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का लक्ष्य 15–35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना है। यहकार्यक्रम बाजार–प्रासंगिक विभिन्न लोकप्रिय ट्रेडों में मुफ्त रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करता है और निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन से अधिक पारिश्रमिक की पेशकश करते हुए वेतन रोजगार में नियुक्ति सुनिश्चित करता है।

16.3.1 दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण लाभ और उम्मीदवारों के अधिकार:

- विभिन्न लोकप्रिय व्यवसायों और नौकरी भूमिकाओं में 3–12 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण।

- निःशुल्क प्रशिक्षण, भोजन तथा आवासीय सुविधा।
- भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रशिक्षण।
- अंग्रेजी बोलने, संवाद कौशल तथा सूचना प्रौद्योगिकी में निःशुल्क 160 घंटों का प्रशिक्षण।
- पढ़ाई के लिए कंप्यूटर लैब्स तथा डिजीटल –टेबलटस् की सुविधा।
- ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से इंडस्ट्री का अनुभव।
- रोजगार मिलने के बाद 2–6 महीने तक ₹1270 प्रति माह का सहायता भुगतान।

16.3.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) के अन्तर्गत मुख्य उपलब्धियां:

हिमाचल प्रदेश में, दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.–जी.के. वाई.) की शुरुआत (सितंबर, 2017) से लेकर 31 दिसंबर, 2025 तक विभिन्न व्यवसायों और नौकरी भूमिकाओं के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए 22,026 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 20,231 लाभार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और 15,234 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुआ।

- डी.डी.यू.–जी.के.वाई. के अंतर्गत अनुमानित व्यय ₹35.00 करोड़ (लगभग) है, जिसे 65 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) को वितरित किया जाएगा। जनवरी, 2026 में परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) की बैठक में 54 पी. आई.ए. का चयन किया गया था।

सारणी 16.3

योजना के निरीक्षण के पश्चात निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

कुल प्राप्त निधि	कुल व्यय
₹ 76.83	₹ 29.75

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।

प्रमुख उपलब्धियां

- स्वयं सहायता समूहों पर आधारित आजीविका विकास का विस्तार हुआ है, जिसके अन्तर्गत 9,490 स्वयं सहायता समूहों को ₹19,303 लाख से अधिक की बैंक ऋण सहायता प्राप्त हुई है।
- कौशल विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू होने के बाद से 15,234 ग्रामीण युवाओं को विभिन्न रोजगार अवसरों में शामिल किया गया है।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना, भूमि और जल स्थिरता में सुधार के लिए 1,488 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों और 936 उत्पादन प्रणाली कार्यों को पूरा करना।
- राज्य भर में 417 झरनों की पहचान की गई है, 178 का पुनरुद्धार किया गया है और 130 पर काम जारी है, इस प्रकार जलप्रपात प्रबंधन में प्रगति हुई है।
- ग्रामीण स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 15,965 गाँव और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 15,201 गाँव शामिल हैं।
- बेहतर आवास वितरण, जिसके अन्तर्गत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का उपयोग करते हुए ग्रामीण आवास पहलों के माध्यम से 26,306 ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया है।
- पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण, जिसे बड़े वित्तीय हस्तांतरणों – ₹343 करोड़ (15वें वित्त आयोग) और ₹467.48 करोड़ (राज्य वित्त आयोग) द्वारा समर्थित किया गया है।

16.4 वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.सी.–प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना–2.0) (डब्ल्यू.डी.सी,पी.एम.के.एस.वाई.–2.0)

राज्य में जलसंभर विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बंजर भूमि, विक्षुब्ध भूमि, सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय क्षेत्रों का पुनर्वास करना है। यह परियोजना केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के वित्तपोषण अनुपात में वित्तपोषित है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 2021–2026 की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

i. वाटरशेड विकास परियोजनाओं के उद्देश्यः

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित/निम्नीकृत भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना।
- आजीविका और वाटरशेड स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना।
- आपसी सहयोग और प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से जलसंभर परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना।

ii. संस्था और क्षमता निर्माण (आई.एण्ड.सी.बी.):

जूनियर इंजीनियरों, कृषि विशेषज्ञों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.), पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) और अन्य गैर–तकनीकी कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग ने इस योजना के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभाग ने 1881 कर्मियों के लिए 63 प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

iii. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.):

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत 1,488 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

iv. उत्पादन प्रणाली:

उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत 936 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

v. हिमाचल प्रदेश में स्प्रिंगशेड प्रबंधन:

स्प्रिंगशेड प्रबंधन में झरनों का विश्लेषण, पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान एवं जल गुणवत्ता, वर्षा और झरने के निर्वहन की निगरानी करना शामिल है। इसका उद्देश्य झरनों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का समर्थन करते हुए पीने के पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

सारणी 16.4

डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई.–2.0 के अंतर्गत पुनर्जीवित किए जाने हेतु पहचाने गए स्प्रिंग्स

स्प्रिंग्स की पहचान	पूर्ण किये जा चुके	चल रहे	शुरु नहीं हुए
417	178	130	109

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग,हिमाचल प्रदेश सरकार

इसके अलावा, भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.), भारत सरकार ने डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई.–2.0 के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र की सीमा के भीतर पायलट आधार पर स्प्रिंगशेड प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए 79 स्प्रिंग्स का लक्ष्य भी सौंपा है। 15 परियोजना क्षेत्रों में हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण के आधार पर सुझाए गए उपायों को ब्लॉकों को सूचित कर दिया गया है।

vi. हिमाचल प्रदेश में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यू.डी.सी.) प्लस क्षेत्रः

विकास खंड लंबागांव (कांगड़ा) और बंगाणा (ऊना) को डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस. वाई. 2.0 के अंतर्गत डब्ल्यू.डी.सी. प्लस वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों के रूप में चुना गया था। डब्ल्यू.डी.सी.–प्लस योजना के अंतर्गत 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

vii. हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त क्षेत्रों का आवंटनः

भारत सरकार ने राज्य को 12,870 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आवंटित की है। घुमारवीं, बालीचौकी, ऊना, बंगाना, लंबागांव, कल्पा, निर्मंड, बैजनाथ और लाहौल सहित 9 परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए 1430 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इन अतिरिक्त क्षेत्रों पर कार्य में तेजी लाई जा रही है और इन्हें वित्त वर्ष 2025–26 तक पूरा किया जाना है। अतिरिक्त क्षेत्रों के अंतर्गत 158 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

viii. वाटरशेड यात्राः

हिमाचल प्रदेश में वाटरशेड यात्रा ने 22 मार्च, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 के दौरान विकास खंड धर्मपुर, नालागढ़, ऊना, गगरेट, बंगाणा, फतेहपुर, इंदौरा, सुल्ला, बैजनाथ, लंबागांव, भोरंज, घुमारवीं, पच्छाद और पांवटा साहिब को कवर किया है।भूमि पूजन, श्रमदान, शपथ समारोह, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां, प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग प्रतियोगिताएं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं।

ix. डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई 2.0 (2024–25 से 2025–26) की वित्तीय उपलब्धिः

- वित्त वर्ष 2024–25 में ₹17.93 करोड़ (केन्द्र वराज्य) प्राप्त हुए हैं।
- वित्त वर्ष 2025–26 में ₹62.27 करोड़ (केन्द्र वराज्य) प्राप्त हुए हैं।
- 31 दिसंबर, 2025 तक वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान ₹39.54 करोड़ का व्यय किया गया है।

16.5 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी.)

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी.), जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, ने हिमाचल प्रदेश को 28 अक्टूबर 2016 को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनाया। एस.बी.एम.–जी.के दूसरे चरण (1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी) के अन्तर्गत, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आई.एच.एच.एल.), सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सी.एस.सी.), ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (पी.डब्लू.एम.यू.) के माध्यम से स्वच्छता में हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

16.5.1 भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियांः

- 4,529 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) और 373 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी.) का निर्माण किया गया है।

- 15,201 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.), 15,965 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एल.डब्ल्यू.एम.) शुरू किया गया है।
- 56 (एस.डब्ल्यू.एम.) (पी.डब्लू.एम.यू.) स्थापित (52 परिचालित)किए जा चुके हैं 774 अलग–अलग शेडों का निर्माण किया गया।
- मल कीचड़ के सह–उपचार के लिए 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) कार्यरत हैं, 20 अतिरिक्त एस.टी.पी. को मंजूरीदे दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कुल धनराशि ₹40.00 करोड़ प्राप्त हुई तथा ₹29.10 करोड़ का व्यय हुआ है।

16.5.2 महत्वपूर्ण पहलः

- व्यापक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) नीति और संचालन एवं रखरखाव (ओ.एंड एम.) ढांचे को अधिसूचित किया गया है।
- ग्राम पंचायत (जी.पी)–स्तरीय शासन को मजबूत करने के लिए मॉडल उपनियम जारी किए गए हैं।
- गैर–पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक कचरे के सह–प्रसंस्करण के लिए सीमेंट उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (परिवहन लागत कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी)।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) और क्षमता निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)।
- मल कीचड़ के सह–उपचार के लिए जल शक्ति विभाग के साथ समन्वय।

उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश वैज्ञानिक ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, नीति समर्थन, अभिसरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) से ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल में परिवर्तित हो रहा है।

16.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) एक अधिकार–आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

16.6.1 विशेषताएं एवं उद्देश्यः

- यह योजना 100 दिनों की गारंटीकृत वार्षिक वेतन रोजगार के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है।

- वित्त वर्ष 2018–19 से, राज्य सरकार ने गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार को 100 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है और अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष में 120 दिनों तक की गारंटीशुदा रोजगार का पात्र है। यह पात्रता इसके परिवारों के बीच साझा करने योग्य है।

सारणी 16.5

वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) के दौरान की गई प्रगति

₹ करोड़ में			संख्या/लाख में	
केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल व्यय	सृजित मानवदिवस	प्रदान किया गया रोजगार
756.13	212.72	934.14	174.16	4.80

स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

16.7 प्रधानमन्त्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई–जी.)

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.–जी.) 2016 में शुरू की गई थी।

16.7.1 पी.एम.ए.वाई. (जी.) की विशेषताएं:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूरी तरह से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) आधारित है।
- वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित की जाती है।
- पी.एम.ए.वाई. (जी.) के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान का आधार सामाजिक आर्थिक और जाति (एस.ई.सी.सी.) डेटा 2011 और उसके बाद आवास+2018 का सर्वेक्षण है।
- राज्य सरकार के ₹20,000 के अतिरिक्त योगदान ने राज्य में पी.एम.ए.वाई. (जी) के अंतर्गत प्रति घर सहायता को ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दिया है।
- न्यूनतम इकाई (घर) का आकार 25 वर्ग मीटर (वर्गमीटर) है जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र भी शामिल है।

- एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. बुनियादी सुविधाओं के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के समन्वय के साथ इकाई सहायता के अतिरिक्त, घर निर्माण के लिए 90/ 95 व्यक्ति–दिनों का अकुशल मजदूरी श्रम प्रदान करता है।
- सभी लाभार्थी भुगतान आधार से जुड़े बैंक / डाकघर खातों में किए जाते हैं।
- लाभार्थियों के नेतृत्व में स्थानीय सामग्रियों, उपयुक्त डिजाइनों और कुशल राजमिस्त्रियों का उपयोग करके टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण घरों का निर्माण।

16.7.2 विशेष परियोजनाः

- विशेष परियोजना पी.एम.ए.वाई. (जी.) के मुख्य घटकों में से एक है और वार्षिक केंद्रीय आवंटन का 5 प्रतिशत विशेष परियोजना के लिए आरक्षित है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पी.एम.ए.वाई.–जी. के अन्तर्गत आपदा प्रभावित लाभार्थियों के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा 10180 नंबर लक्ष्य को मंजूरी दे दी गई है और इन घरों के पंजीकरण और मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।
- 2025–26 में, 31 दिसंबर, 2025 तक पिछले वर्ष के 26,306 घरों के निर्माण के लिए ₹185.31 करोड़ का उपयोग किया गया है।

16.7.3 पी.एम.ए.वाई.(जी.) आवास 2024 के अन्तर्गत **नया सर्वेक्षणः**

- भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत छूटे हुए लाभार्थियों/आवासहीन लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण 18 जून, 2025 तक आयोजित किया गया था।
- आवास+मोबाइल ऐप के माध्यम से 2,18,602 परिवारों को पंजीकृत किया गया था और सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि और सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

16.8 मातृ शक्ति बीमा योजना (एम.एस.बी.वाई.)

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की महिला सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 में मातृ शक्ति बीमा योजना शुरू की गई थी।

- यह योजना ग्रामीण बी.पी.एल. महिलाओं (10–75 वर्ष) और उनके परिवारों को मृत्यु या स्थायी विकलांगता (अंगों या आंखों की रोशनी की हानि) के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है।
- बीमा कवर में दुर्घटना, डूबने, सर्जिकल प्रक्रियाओं और सांप/बिच्छू के काटने से होने वाली मौत शामिल है।

- पति की मृत्यु पर विवाहित बी.पी.एल.महिलाओं के परिवारों को मुआवजा स्वीकार्य है।
- स्थायी मृत्यु, पूर्ण विकलांगता या दोनों अंगों/आंखों या एक अंग और एक आंख की हानि के लिए ₹2.00 लाख (01 अप्रैल, 2017 से) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एक अंग या एक कान की हानि के लिए ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 2025–26 के दौरान (31 दिसंबर, 2025 तक), योजना के अन्तर्गत 61 परिवारों को ₹121.00 लाख जारी किए गए।

16.9 पंचायती राज

यह राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और संविधान के अनुच्छेद 243–जी के प्रावधान के अनुसार इन संस्थाओं की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने पहले ही पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम और निर्णय लिए हैं ताकि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करें और ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

1. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2020–21 से शुरू हो गया है। इस आयोग के अन्तर्गत, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए राज्य के पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को ₹343.00 करोड़ की सिफारिश की गई है।
2. वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान जिला परिषद / ग्राम पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों और (पी.आर.आई.) के तीन स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन/ मानदेय के लिए राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की सिफारिशों पर ₹467.48 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
3. ग्राम पंचायत घरों के निर्माण के लिए एक नया अनुमान और डिजाइन तैयार किया गया है, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ग्राम पंचायत घरों के निर्माण/ उन्नयन/ मरम्मत के लिए ₹21.69 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से ₹9.32 करोड़ 32 नवसृजित ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए है जबकि राज्य में 45 पुराने ग्राम पंचायत घरों के निर्माण/उन्नयन/ मरम्मत के लिए ₹12.37 करोड़ और जिला परिषद (जे.पी) भवनों के निर्माण के लिए ₹2.45 करोड़ जबकि पंचायत समिति कार्यालय भवन के उन्नयन/मरम्मत के लिए ₹6.15 लाख जारी किए गए हैं।
4. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (सी.एस.एस.):
   - वित्त वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से ₹11.11 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
   - इसके अन्तर्गत 86 कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) का निर्माण किया गया है।

- 221 सी.एस.सी. को पंचायत भवनों के साथ सह–स्थित किया गया है।
- 29 नए पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, 11,217 प्रतिभागियों को एस.डी.जी. के स्थानीयकरण, पंचायत विकास योजनाओं (पी.डी.पी.), आपदा प्रबंधन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, एस.एच.जी.–पी.आर.आई. कन्वर्जेंस, पेसाअधिनियम, वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.), महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं के स्रोत राजस्व और ई–पंचायत अनुप्रयोगों सहित कई विषयों पर प्रशिक्षित किया गया था। प्रतिभागियों में पी.आर.आई. के निर्वाचित प्रतिनिधि और सदस्य, संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, एस.एच.जी. सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन शामिल थे।
- राज्य के भीतर और बाहर 160 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की एक्सपोजर यात्राएं करवाई गई।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने और सूचना, संवेदनशीलता और निवारक संदेशों के माध्यम से मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण प्रयासों के हिस्से के रूप में पुस्तकें और ब्रोशर प्रकाशित करना।
- कम्याणा, विकास खंड मशोबरा, जिला शिमला और हरेटा, विकास खंड, नादौन, जिला हमीरपुर में 02 आजीविका आधारित इको–पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ₹4.00 करोड़ (प्रति परियोजना ₹2.00 करोड़) की धनराशि जारी की गई है।
- परंपरागत रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक परिवार रजिस्टर यानी सभी पारिवारिक आंकड़ों का भौतिक रजिस्टर रखती थी। उक्त नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं ताकि इस रजिस्टर को www.eparivar.hp.gov.in पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखना अनिवार्य हो जाए।
- ई–परिवार सॉफ्टवेयर ग्राम पंचायतों को परिवार रजिस्टर से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन प्रबंधित करने की अनुमति देता है, जैसे कि नए परिवारों / सदस्यों को जोड़ना, सदस्यों का स्थानांतरण करना और परिवार नकल की प्रतियां जारी करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, ई–परिवार के अंतर्गत पंजीकृत सभी परिवारों का पशु सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है और ई–परिवार प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत है।

16.10 प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तरीय मुद्दे और चुनौतियाँ

समस्याएँ / चुनौतियाँ	प्रमाण	निहितार्थ
कठिन भूभाग, बिखरा हुआ	इस दस्तावेज में कठिन भौगोलिक भूभाग, बिखरी हुई बस्तियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया है, जिससे बुनियादी ढांचे की लागत बढ़ जाती है और सेवा वितरण की दक्षता सीमित हो जाती है।	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति परिसंपत्तियों और सेवाओं की उच्च लागत, अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और संचालन एवं रखरखाव संबंधी चुनौतियां।
बाजार तक पहुंच और ढ़ांचागत संबंधी बाधाएं ग्रामीण आजीविका और मूल्य श्रृंखलाओं में रुकावट पैदा करती हैं।	कनेक्टिविटी, बाजार तक पहुंच और लॉजिस्टिक्स ग्रामीण आजीविका और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए चुनौतियां पेश करते रहते हैं।	किसानों को मिलने वाली कीमतों में गिरावट, इनपुट लागत में वृद्धि, ग्रामीण उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी।
जलवायु संबंधी जोखिम (अनियमित वर्षा, भूस्खलन, जलप्रपात में कमी) जल और कृषि को खतरे में डाल रहे हैं।	इस लेख में अनियमित वर्षा, भूस्खलन और जलप्रपात में कमी का उल्लेख किया गया है, जो जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं।	अस्थिर पैदावार, पेयजल संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीले निवेशों की आवश्यकता (जलस्रोत क्षेत्र, जलक्षेत्र, जल संरक्षण)।
पंचायतों में क्षमता संबंधी कमियां (तकनीकी जनशक्ति, योजना, डेटा उपयोग)।	पंचायत स्तर पर तकनीकी मानव संसाधन की कमी, सीमित योजना विशेषज्ञता और कमजोर डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता बनी हुई है।	निम्न स्तर की जी.पी.डी.पी. नीतियां, धीमी गति से निष्पादन, कार्यों की कमजोर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण।
योजनाओं में कमजोर क्षेत्र स्तर अभिसरण।	विभागों के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियों के कारण जमीनी स्तर पर योजनाओं का एकीकरण असंगत बना हुआ है।	दोहराव / अतिक्रमण, परिवारों को मिलने वाले लाभों में देरी, कम प्रभाव वाली खंडित संपत्तियां।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे और चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले / क्षेत्र	प्रमाण
प्राथमिकता वाले "प्लस" क्षेत्रों में जलसंभर उपचार को और अधिक गहन बनाने की आवश्यकता	कांगडा, ऊना	इन दोनों ब्लॉकों को पी.एम.के.एस. वाई. 2.0 के अन्तर्गत डब्ल्यू.डी.सी. प्लस वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है, जो उच्च तीव्रता वाले उपचार आवश्यकताओं को दर्शाता है।
बड़े अतिरिक्त जलक्षेत्र आवंटित किए गए हैं–कार्य वित्त वर्ष 2025–26 में पूरे किए जाएंगे।	परियोजना क्षेत्रों के नामः घुमारवीं, बालीचौकी, ऊना, बंगाणा, लंबागांव, कल्पा, निरमंड, बैजनाथ, लाहौल (परियोजना के नाम के अनुसार बहु जिला विस्तार)।	इसके अतिरिक्त 12,870 हेक्टेयर (9 परियोजना क्षेत्रों में से प्रत्येक में 1,430 हेक्टेयर) भूमि आवंटित की गई, और वित्त वर्ष 2025–26 में कार्यों को पूरा करने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण संपर्क का केंद्रीकरण कुछ ही जिलों में है। अन्य जिलों को और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।	स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण प्रदान करने में अग्रणी जिले हैं: कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना, सिरमौर, इसका तात्पर्य यह है कि अन्य जिले इन अग्रणी जिलों से पीछे हैं।	इस दस्तावेज में स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) द्वारा ऋण प्रदान करने के मामले में अग्रणी जिलों (कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना, सिरमौर) की सूची दी गई है, जो जिलों में ऋण जुटाने के असमान वितरण को उजागर करती है।
कई जलसंभर ब्लॉकों में सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता की आवश्यकता है।	कवर किए गए ब्लॉक (बहु जिला): धर्मपुर, नालागढ़, ऊना, गगरेट, बंगाणा, फतेहपुर, इंदौरा, सुल्ला, बैजनाथ, लंबागांव, भोरंज, घुमारवीं, पच्छाद, पौंटा साहिब।	वाटरशेड यात्रा (22 मार्च–15 अप्रैल, 2025) ने इन ब्लॉकों में गतिविधियाँ (जैसे श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रतियोगिताएँ) आयोजित की – जो इन स्थानों में जमीनी स्तर पर सहभागिता की आवश्यकता को दर्शाती हैं।
स्प्रिंगशेड पुनरुद्धार का लंबित कार्य (कार्य जारी हैं/ शुरू नहीं हुए हैं)	कई जिले (दस्तावेज में सूचीबद्ध नहीं किए गए स्थान)	पहचाने गए 417 झरनों में से 130 चालू हैं और 109 शुरू नहीं हुए हैं, जो जिला / ग्राम पंचायत क्षेत्रों को इंगित करते हैं जहां पुनरुद्धार लंबित है।

ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन संपत्तियों का चालू होना अभी बाकी है	कई जिले/ ग्राम पंचायतें (सूची में शामिल नहीं किए गए स्थान)	56 में से 52 पी.डब्लू.एम.यू. चालू हैं; केवल 2 एस.टी.पी. कार्यरत हैं और 20 और को सह–उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है – जो कुछ स्थानों पर चालू करने में कमियों को दर्शाता है।
आजीविक विविधीकरण के पायलट प्रोजेक्ट चुनिंदा जिलों तक ही सीमित हैं — इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता है	शिमला (कम्याणा, ब्लॉक: मशोबरा); हमीरपुर (हरेटा, ब्लॉक: नादौन)	कम्याणा (शिमला) और हरेटा (हमीरपुर) में आजीविका आधारित दो पर्यावरण पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो विविधीकरण के प्रायोगिक स्वरूप और अन्य जगहों पर विस्तार की संभावना को दर्शाती हैं।

16.11 भावी दिशा

ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसके लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, डिजिटल शासन का विस्तार करना और डेटा–आधारित योजना बनाना आवश्यक है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने और संसाधनों के दोहराव से बचने के लिए योजनाओं के समन्वय पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। पंचायतों को स्वयं के राजस्व उत्पन्न करने और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

पर्यावरण–अनुकूल पर्यटन, कृषि–मूल्य श्रृंखला, कौशल–आधारित रोजगार और ग्रामीण उद्यम विकास के माध्यम से सतत आजीविका विविधीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दीर्घकालिक पर्यावरणीय जोखिमों से निपटने के लिए जलवायु–लचीले ग्रामीण अवसंरचना, जल संरक्षण, जलसंभर पुनर्जीवन और जलसंभर प्रबंधन को व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। जी.आई.एस. नियोजन, मोबाइल–आधारित निगरानी और वास्तविक समय में लाभार्थियों की ट्रैकिंग जैसी प्रौद्योगिकी का एकीकरण शासन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है।

महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल, युवा उद्यमिता और सामुदायिक स्वामित्व वाली संस्थाओं पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से सहभागी योजना को मजबूत करना, डिजिटल समावेशन का विस्तार करना और अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार करना टिकाऊ, समावेशी और लचीले ग्रामीण विकास को प्राप्त करने में सहायक होगा।

*****

अध्याय 17

आवास और शहरी विकास

कार्यकारी सारांश

क्र. सं.	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**शहरी रूपांतरण**	हिमाचल प्रदेश योजनाबद्ध विस्तार, सुदृढ़ शासन व्यवस्था तथा बेहतर नागरिक अवसंरचना के माध्यम से संरचित शहरी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, सभी 75 शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) में सुव्यवस्थित, समावेशी एवं सतत शहरी विकास हेतु सरकारी नीतियाँ प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं।
2	**किफायती आवास उपलब्धता**	हिमुडा द्वारा 13,000 से अधिक मकान/फ्लैट निर्मित किए गए हैं तथा 5,800 + से अधिक आवासीय भूखंड विकसित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे किफायती आवास आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा सके और विभिन्न जिलों में योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा मिले।
3	**शहरी स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण**	सभी 75 शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता, गतिशीलता, आवास एवं नागरिक सेवाओं के लिए अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹212.37 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इन उपायों से वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि हो रही है।
4	**स्मार्ट सिटी प्रगति**	शिमला एवं धर्मशाला में डिजिटल शासन, गतिशीलता सुधार तथा सार्वजनिक अवसंरचना उन्नयन सहित प्रमुख स्मार्ट सिटी घटकों को पूर्ण किया जा चुका है। शेष अधिकांश कार्य उन्नत चरणों में हैं।
5	**अमृत 2.0 का क्रियान्वयन**	अमृत 2.0 के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकायों एवं हरित क्षेत्रों से संबंधित ₹296.88 करोड़ लागत की 47 परियोजनाएँ आवंटित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की गई है तथा कई परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं।
6	**आजीविका समर्थन**	डी–जे.ए.वाई. (एस) एवं पी.एम. स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधा, उद्यम विकास तथा स्ट्रीट वेंडरों के वित्तपोषण का विस्तार किया गया है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों में हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। एकीकृत सुविधा केंद्र कल्याणकारी योजनाओं के अभिसरण में सहयोग प्रदान कर रहे

		हैं।
7	**वित्तीय हस्तांतरण एवं अनुदान**	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बंधित एवं अबंधित अनुदानों की पर्याप्त राशि शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डों को जारी की गई है, जिससे शहरी अवसंरचना एवं सेवा प्रदाय में सुधार सुनिश्चित हुआ है। ये हस्तांतरण स्थानीय निकायों को पूर्वानुमेय वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं।
8	**शहरी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन**	स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट जल एवं शौचालय अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार को सुदृढ़ किया जा रहा है।

17.1 शहरी विकास

राज्य का शहरी विकास विभाग, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों (शहरी स्थानीय निकाय – यू.एल.बी.) के साथ समन्वय में, एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमुख शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी परिवहन, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी अवसंरचना, शहरी आवास, शहरी नियोजन, यू.एल.बी. की वित्तीय स्थिरता, शहरी गरीबी उन्मूलन और समग्र शहरी शासन में सुधार करना है।

हिमाचल प्रदेश में 75 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 8 नगर निगम (शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी), 29 नगर परिषदें और 38 नगर पंचायतें शामिल हैं। राज्य सरकार इन स्थानीय निकायों को शहरी निवासियों को आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए अनुदान प्रदान करती है।

चित्र 17.1 राज्य भर में यू.एल.बी. की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, जो 2001–02 की तुलना में 2025–26 के दौरान 75 यू.एल.बी. तक पहुंच गई है।

चित्र 17.1

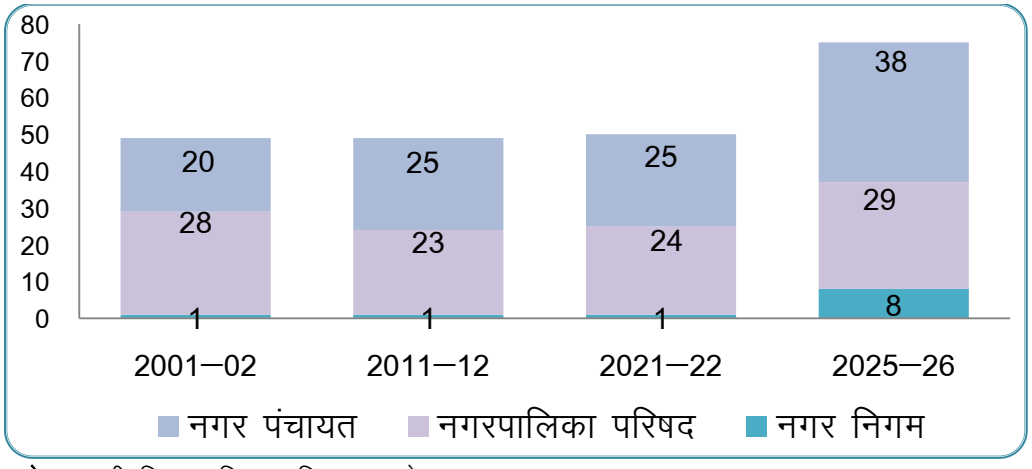

स्त्रोतः शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹212.37 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 80 प्रतिशत बेसिक अनुदान और 20 प्रतिशत प्रदर्शन–आधारित अनुदान शामिल हैं। इसमें से ₹84.94 करोड़ बेसिक अनुदान वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 31 दिसंबर 2025 तक शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को जारी किए जा चुके हैं। शेष धनराशि निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर जारी की जाएगी। इन अनुदानों में विकास अनुदान और आय–व्यय के बीच अंतर को बांटने के लिए अंतर–पूर्ति अनुदान शामिल हैं।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की जिलावार दशकीय वृद्धि दर (जनगणना 2001 और 2011)

चित्र 17.2

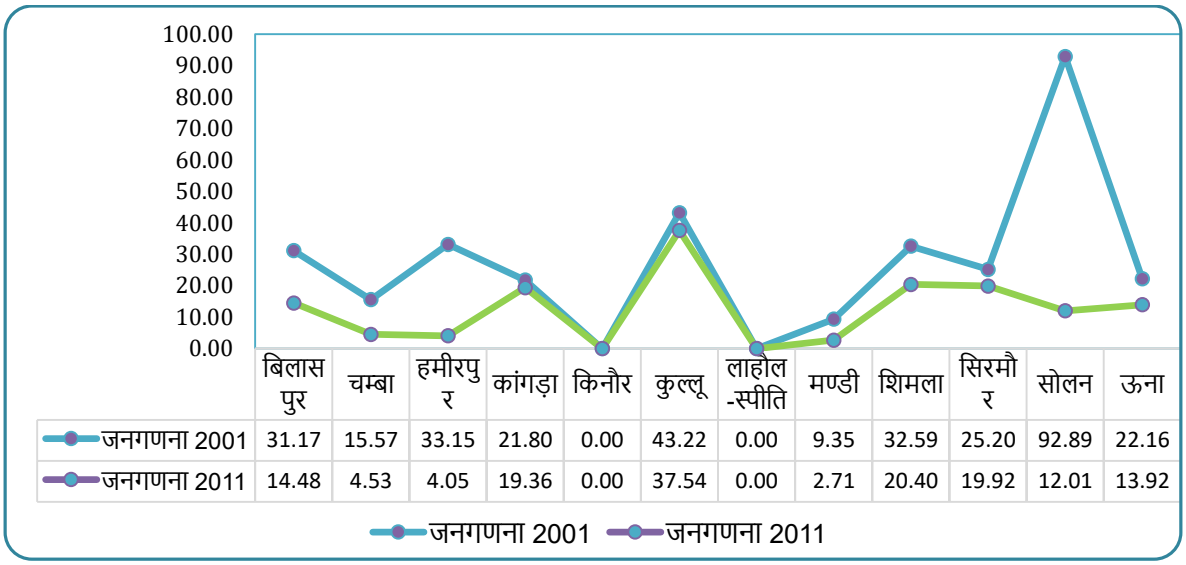

	बिलासपुर	चम्बा	हमीरपुर	कांगड़ा	किन्नौर	कुल्लू	लाहौल-स्पीति	मण्डी	शिमला	सिरमौर	सोलन	ऊना
जनगणना 2001	31.17	15.57	33.15	21.80	0.00	43.22	0.00	9.35	32.59	25.20	92.89	22.16
जनगणना 2011	14.48	4.53	4.05	19.36	0.00	37.54	0.00	2.71	20.40	19.92	12.01	13.92

स्त्रोतः जनगणना 2001 और 2011

17.1.1 नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

राज्य के 75 शहरी स्थानीय निकाय लगभग 5,000 किलोमीटर सड़कों, पगडंडियों, गलियों और जल निकासी अवसंरचना का प्रबंधन करते हैं। 2025–26 के लिए, राज्य सरकार ने इस शहरी सड़क और जल निकासी नेटवर्क के रखरखाव और सुधार के लिए ₹6.00 करोड़ आवंटित किए हैं।

17.2 हिमुडा

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की स्थापना 1972 में आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद समूहों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। शहरी विकास को सुदृढ़ करने के लिए 1 जुलाई 2004 को संबंधित अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत इसका नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कर दिया गया।

अपनी स्थापना के बाद से, हिमुडा ने राज्य भर में नियोजित आवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी सहित कई जिलों में 13,320 मकान/फ्लैटों का निर्माण और 5,823 प्लॉट विकसित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में, ₹112.09 करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले ₹101.55 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 31 फ्लैटों का निर्माण और 202 प्लॉटविकसित किएगए हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹125.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य

किफायती और नियोजित आवास अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए 78 फ्लैटों का निर्माण करना और 165 आवासीय प्लॉटका विकास करना है।

आवास वितरण – हिमुडा

हिमुडा स्थापना से अब तक का प्रदर्शन

- 13,320 मकान/फ्लैट निर्मित।
- 5,823 आवासीय भूखंड विकसित।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 ₹101.55 करोड़ व्यय, 31 फ्लैट, 202 भूखंड।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 लक्ष्य 78 फ्लैट + 165 भूखंड।

प्रमुख जिले सम्मिलतः शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर एवं मंडी।

17.3 दीनदयाल जन आजीविका योजना–शहरी (डी–जे.ए.वाई. (एस))

दीनदयाल जन आजीविका योजना–शहरी (डी–जे.ए.वाई. (एस)) एक प्रायोगिक शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और डी.–ए.वाई–एन.यू.एल.एम. का आनुक्रमिक है। यह एक समावेशी शहरी आजीविका मिशन है जिसे शहरी गरीब परिवारों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा सामना की जाने वाली जटिल व्यावसायिक, सामाजिक और आवासीय कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन निर्माण श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, देखभाल श्रमिकों, अपशिष्ट श्रमिकों और घरेलू कामगारों जैसे निम्न व्यावसायिक समूहों पर विशेष बल देता है, जिन्हें सामान्य स्थिर आय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन स्थितियों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

डी–जे.ए.वाई (एस) का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देकर, शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करके, समुदाय–आधारित संस्थानों को मजबूत करके, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाकर और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए एक विस्तृत डेटाबेस बनाकर शहरी गरीबी को कम करना है।

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2024 को डी–जे.ए.वाई (एस) शुरू की। इस मिशन के अन्तर्गत्, चंबा नगर परिषद को पहाड़ी राज्यों/उन्नत लक्ष्य वाले जिलों की श्रेणी में 25 पायलट शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। डी–जे.ए.वाई. (एस) के अन्तर्गत, चंबा नगर परिषद की घटक–वार प्रगति इस प्रकार है

17.3.1 समुदाय–आधारित संस्था विकास (सी.एल.आई.डी.)

समुदाय–आधारित संस्था विकास (सी.एल.आई.डी.) घटक के अन्तर्गत 170 परिवारों और 417 व्यक्तियों का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरा हो चुका है। प्रोफाइलिंग अभ्यास के आधार पर, 608 व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और आजीविका संबंधी योजनाओं के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया है और 251 योजना संपर्कों को सफलतापूर्वक सुगम बनाया गयाहै।

इसके अतिरिक्त, प्रायोगिक कार्यान्वयन के अन्तर्गत, वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

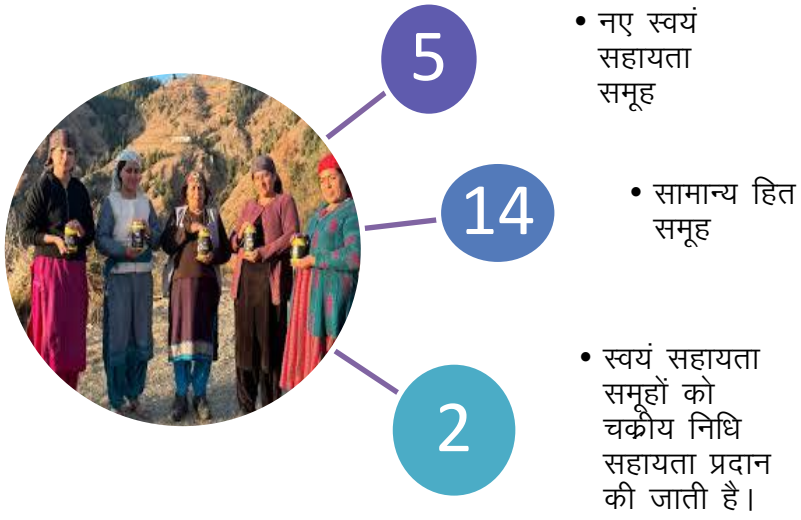

17.3.2 वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास (एफ.आई.–ई.डी.)

एफ.आई–ई.डी घटक के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान 18 व्यक्तिगत ऋण आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिससे आजीविका और उद्यम विकास के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच आसान हुई है।

17.3.3 समन्वय

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सुयोग (सुरक्षा योजना गारंटी)एक सिंगल विन्डो सुविधा प्रणाली को एक स्थायी शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) स्तर के सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह केंद्र एक समर्पित समन्वय मंच के रूप में कार्य करता है, जो पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

17.4 पी. एम. स्वनिधि योजना

पी.एम. स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 5,523 लाभार्थियों को ₹10,000 की पहली, 3,332 लाभार्थियों को ₹20,000 की दूसरी और 1,713 लाभार्थियों को ₹50,000 की तीसरी–किस्त में ऋण प्रदान किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका बनाए रखने व बढ़ाने में सहायता मिली है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **शहरी शासन का सुदृढ़ीकरणः** 75 शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में अनुदानों एवं प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि की गई।
2. **उल्लेखनीय आवास उपलब्धिः** हिमुडा द्वारा राज्यभर में 13,320 मकान/फ्लैटों का निर्माण तथा 5,823 आवासीय भूखंडों का विकास किया गया।
3. **स्मार्ट सिटी प्रगतिः** शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 203 में से 186 परियोजना घटक पूर्ण किए गए, जबकि धर्मशाला में 80 में से 64 परियोजनाएँ पूर्ण की गईं।
4. **शहरी आजीविका समर्थन का विस्तारः** डी–जे.ए.वाई. (एस) के अंतर्गत 417 व्यक्तियों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइलिंग की गई, जिससे 251 सफल योजना–संयोजन (लिंकज) सुनिश्चित हुए तथा 12 ऋण स्वीकृत किए गए।
5. **स्ट्रीट वेंडरों को समर्थनः** पी.एम. स्वनिधि के अंतर्गत 5,523 प्रथम चरण, 3,332 द्वितीय चरण तथा 1,713 तृतीय चरण के ऋण लाभार्थियों को प्रदान किए गए।
6. **अमृत 2.0 का क्रियान्वयनः** ₹296.88 करोड़ लागत की 47 परियोजनाएँ आवंटित की गईं, जिनमें से जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र एवं जल निकायों से संबंधित 16 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।
7. **रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधारः** एच.पी.आर.ई.आर.ए. द्वारा 265 नए परियोजनाएँ तथा 157 एजेंट पंजीकृत किए गए, ₹2.18 करोड़ की राशि गृह–खरीदारों को लौटाई गई तथा अनुपालन न करने पर ₹68 लाख का दंड अधिरोपित किया गया।

17.5 केंद्रीय वित्तायोग अनुदान

15वें वित्त आयोग ने निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और छावनी बोर्डों (सी.बी.) के लिए दो श्रेणियों के अनुदानों की सिफारिश की थी। इनमें

अप्रतिबंधित अनुदान (40 प्रतिशत) और प्रतिबंधित अनुदान (60 प्रतिशत) शामिल हैं, जैसा कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निर्धारित है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, इस अनुभाग के अंतर्गत ₹185.00 करोड़ के बजट प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित अप्रतिबंधित और प्रतिबंधित अनुदानों की दूसरी किस्त, जो ₹86.55 करोड़ है, यू.एल.बी./सी.बी. को जारी कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अप्रतिबंधित और प्रतिबंधित अनुदानों की पहली किस्त, जो ₹88.91 करोड़ यू.एल.बी./सी.बी. को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए दोनों अनुदानों की दूसरी किस्त, जिसकी राशि ₹88.91 करोड़ है, भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है और औपचारिकताओं के पूरा होने पर इसे स्थानीय स्थानीय निकायों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिया जाएगा।

17.6 अटल शहरी कायाकल्प और परिवर्तन मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.) और ए.एम. आर.यू.टी. 2.0

1 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए ए.एम.आर.यू.टी. 2.0 का उद्देश्य शहरी जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन को मजबूत करके, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और हरित क्षेत्रों के विकास के माध्यम से शहरों को जल–सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।

यह मिशन वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि को कवर करता है, जिसमें केंद्र–राज्य का 90:10 का वित्त पोषण अनुपात है और इसमें राज्य के सभी वैधानिक शहरों में 60 स्थानीय स्थानीय निकाय और 6 केंद्रीय निकाय शामिल हैं। स्वीकृत परिव्यय ₹284.44 करोड़ है, जिसमें ₹256.00 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा) और ₹28.44 करोड़ (राज्य का हिस्सा) शामिल हैं।

राज्य जल कार्य योजनाएं (एस.डब्ल्यू.ए.पी.) एस.एल.टी.सी और एस.एच.पी.एस.सी.द्वारा अनुमोदन के बाद तीन चरणों में प्रस्तुत की गईं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए) को ₹170.57 करोड़, ₹39.01 करोड़ और ₹112.08 करोड़ (ऑपरेशन एवं रखरखाव सहित) की किश्तें प्रस्तुत की गईं और सभी को मंजूरी मिल गई है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, ₹60.34 करोड़ (₹54.78 करोड़ केंद्र सरकार और ₹5.56 करोड़ राज्य सरकार) जारी किए गए और शहरी स्थानीय निकायों को वितरित किए गए। मिशन के अन्तर्गत, जल आपूर्ति (17), सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन (2), जल निकायों का पुनःद्धार (17) और हरित क्षेत्र एवं पार्क (11) में ₹296.88 करोड़ मूल्य की 47

परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इनमें से ₹3.27 करोड़ की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

17.7 स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.)

स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.) का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और स्मार्ट, प्रौद्योगिकी–आधारित समाधानों को अपनाकर नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करते हैं।

हिमाचल प्रदेश में, शिमला को भारत सरकार द्वारा 28 जून 2017 को स्मार्ट सिटी मिशन के तीसरे चरण के तहत चुना गया था। शिमला के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा ₹465 करोड़ की राशि जारी की गई है। कुल मिलाकर, राज्य में शिमला और धर्मशाला के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत ₹978 करोड़ जारी किए गए हैं।

शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एस.एस.सी.एल.) ने प्रस्तावित 53 पहलों में से 28 उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान की, जिन्हें आगे 203 परियोजना घटकों में विभाजित किया गया। इनमें से 186 घटक पूरे हो चुके हैं, जिन पर ₹490.62 करोड़ का व्यय हुआ है। शेष 17 घटक, जिनकी अनुमानित लागत ₹320.34 करोड़ है, वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसी प्रकार, धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 80 परियोजनाओं में से 64 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 16 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

17.8 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे सभी शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) में राज्य शहरी विकास विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना और उसे बनाए रखना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य और साफ–सफाई को बढ़ावा देना है। परिणाम–उन्मुख हस्तक्षेपों के माध्यम से, यह कार्यक्रम जन स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए, स्वस्थ और रहने योग्य शहरी वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है।

एस.बी.एम. के विभिन्न घटकों के लिए, वित्त वर्ष 2025–26 में जारी की गई केंद्रीय सहायता सारणी 17.1 में दी गई है।

सारणी 17.1

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	घटक का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक	22.61	4.10
2.	अपशिष्ट जल प्रबंधन घटक	100.91	12.00
3.	शौचालय घटक	2.20	0.19

स्रोतः शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

17.9 प्रधानमंत्री आवास योजना–सभी के लिए आवास (शहरी) (पी.एम.ए.वाई–एच.एफ.ए(यू))

सभी के लिए आवास (शहरी) (पी.एम.ए.वाई–एच.एफए(यू)), योजना जून 2015 में सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह मिशन झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास घटक के माध्यम से झुग्गीवासियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऋण–आधारित सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस), साथ ही साझेदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) घटकों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस), निम्न–आय वर्ग (एल.आई.जी.) और मध्यम–आय वर्ग (एम.आई.जी.) के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देता है।

आवास मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए.)पी.एम.ए.वाई और एच.एफ.ए(यू) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शहरी आवास वितरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से पी.एम.ए.वाई.(शहरी) 2.0 योजना सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण का अनुपात केंद्र और राज्य के बीच 90:10 है।

परिणाम/उपलब्धियाँः

पी.एम.ए.वाई–एच.एफ.ए (यू) के अंतर्गत

- कुल ₹9.92 करोड़ की वित्तीय सहायता से 536 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पी.एम.ए.वाई. (शहरी) 2.0 के अंतर्गत

- 1,361 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी गई है, ₹34.02 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और एम.ओ.एच.यू.ए. से ₹6.75 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है।

17.10 पार्किंग स्थल का निर्माण

शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए, इस योजना के तहत 75:25 के अनुपात में धनराशि जारी की जाती है, जिसमें कुल लागत का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा और शेष 25 प्रतिशत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा वहन किया जाता है।

17.11 मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एम.एम.एस.ए.जी.वाई.)

महामारी के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पात्र परिवारों को 120 दिनों तक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एम.एम.एस.ए.जी.वाई. को अधिसूचित किया। इस योजना के अन्तर्गत, यू.एल.बी. के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्य रोजगार प्राप्त करने के पात्र हैं।

पारदर्शिता और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास विभाग ने एम. एम.एस.ए.जी.वाई के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे लाभार्थियों को नगर पालिका कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना स्वयं को पंजीकृत करने में सुविधा मिलती है।

17.11.1 परिणाम/उपलब्धियाः

दिसंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गतः

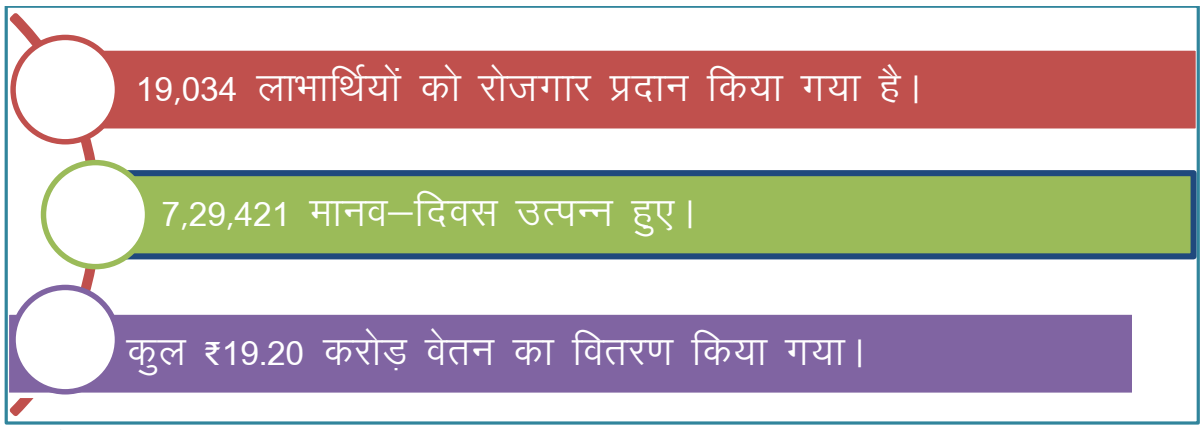

स्रोतः शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

17.12 नगर एवं ग्राम नियोजन (टी.सी.पी.)

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 राज्य भर के 60 नियोजन क्षेत्रों और 36 विशेष क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध, न्यायसंगत

और विनियमित विकास के माध्यम से एक कार्यात्मक, किफायती, टिकाऊ और सौंदर्यपूर्ण जीवन वातावरण सुनिश्चित करना है।

पहलें

- श्री तारा माता हिल हरित क्षेत्र की अधिसूचना के साथ शिमला योजना क्षेत्र में नामित हरित क्षेत्रों की संख्या 25 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है।
- भोटा योजना क्षेत्र, सराहन विशेष क्षेत्र, चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र (2 जून 2025) और धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र (12 अगस्त 2025) के लिए नियोजित विकास को बढ़ावा देने हेतु विकास योजनाओं की अधिसूचना जारी की गई।
- शहरी पार्किंग की कमी को दूर करने के लिए बंद भुमिगत मंजिल को पार्किंग के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर ₹1,500 का शुल्क लिया जाएगा।
- पर्यटन भवनों सहित 500 वर्ग मीटर से अधिक के वाणिज्यिक भूखंडों के लिए 0.25 से 0.50 तक का प्रीमियम एफ.ए.आर (एफ.ए.आर.) दिया गया है, जिससे अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र और राजस्व सृजन संभव हो सकेगा।
- इसके अलावा, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन नियम, 2014 में संशोधन किया है। संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
  - वाणिज्यिक भूखंडों में भूमि हानि में कमी।
  - सड़कों और पगडंडियों की चौड़ाई का युक्तिकरण
  - बहुस्तरीय पार्किंग संरचनाओं की अनुमत ऊंचाई को 21.0 मीटर से बढ़ाकर 25.0 मीटर करना।

17.13 हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एच.पी.आर.ई.आर.ए.)

एच.पी.आर.ई.आर.ए. ने 1 जनवरी 2020 से अपना कामकाज शुरू किया। प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देना तथा हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं और गृह खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए प्लॉट, अपार्टमेंटों और भवनों की बिक्री को कुशल और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है।

17.13.1 एच.पी.आर.ई.आर.ए. की उपलब्धियां

1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान एच.पी.आर.ई.आर.ए की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तेजी लाते हुए 6 दिसंबर 2025 तक 265 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं जोड़ी हैं। जिसमें 157 रियल एस्टेट एजेंटों का पंजीकरण भी किया है और परियोजनाओं, एजेंटों और आवंटनकर्ताओं से संबंधित मामलों पर हितधारकों को मार्गदर्शन देना जारी रखा है।
- शिकायत निवारण के लिए, वर्ष के दौरान 35 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 49 लंबित थीं और 12 शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 8 दिसंबर 2025 तक 72 मामले विचाराधीन हैं।
- प्राधिकरण ने सुगमतापूर्वक विवाद समाधान को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों को ₹2.18 करोड़ की राशि वापस की गई है।
- वर्ष के दौरान, आर.ई.आर.ए अधिनियम का अनुपालन न करने पर प्रमोटरों पर ₹68.00 लाख का जुर्माना लगाया।
- उपभोक्ता–अनुकूल शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी सुनवाई वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं। 1 अप्रैल, 2025 से अब तक 44 वेबएक्स सुनवाई आयोजित की जा चुकी हैं, जिससे कुल संख्या 253 हो गई है।
- पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के लिए, प्रमोटरों, एजेंटों और आवंटियों के लिए एक नई, उपयोगकर्ता–अनुकूल और उपभोक्ता–केंद्रित वेबसाइट लॉन्च की है।

17.14 भवन निर्माण लागत सूचकांक

राष्ट्रीय भवन संगठन ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश को राज्य में भवन सामग्री के भाव एकत्र करने व भवन लागत सूचकांक को संकलित करने का काम सौंपा है। विभाग आधार वर्ष 2011–12 पर राज्य स्तरीय भवन निर्माण लागत सूचकांक (BCCI) तैयार करके जारी कर रहा है। तिमाही सूचकांकों के आधार पर, वार्षिक सूचकांकों को तैयार किया गया है और इन्हें सारणी 17.2 में दर्शाया गया है:

सारणी 17.2

भवन निर्माण लागत सूचकांक

वर्ष	सामग्री लागत सूचकांक	श्रम लागत सूचकांक	अन्य व्यय सूचकांक	समग्र भवन निर्माण लागत सूचकांक
2023–24	148.15	148.29	150.92	148.67
2024–25	147.97	149.58	151.60	148.90
2025–26*	148.87	153.73	149.92	149.92

*सूचकांक जून, सितंबर और दिसंबर 2025 की तीन तिमाहियों का औसत हैं।

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

उपरोक्त सारणी के अनुसार, सामग्री लागत सूचकांक वित्त वर्ष 2024–25 में 148.15 से घटकर 147.97 हो गया, जो वित्त वर्ष 2025–26 में बढ़कर 148.87 हो गया। मजदूरी घटक में वृद्धि के कारण श्रम लागत सूचकांक वित्त वर्ष 2024–25 में 148.29 से बढ़कर 149.58 और वित्त वर्ष 2025–26 में 153.73 हो गया। इसी प्रकार, अन्य व्यय, जिसमें संविदात्मक और पर्यवेक्षी शुल्क शामिल हैं, अन्य व्यय सूचकांक के अंतर्गत आता है। यह वित्त वर्ष 2024–25 में 150.92 से बढ़कर 151.60 हो गया और वित्त वर्ष 2025–26 में घटकर 149.92 हो गया। इन सभी सूचकांकों में वृद्धि के कारण कुल बी.सी.सी.आई. वित्त वर्ष 2024–25 में 148.90 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में 149.92 हो गया।

17.14 मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य–स्तरीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ (साक्ष्य–आधारित)

मुद्दे / चुनौतियाँ	साक्ष्य	प्रभाव
शहरी अवसंरचना पर बढ़ता दबाव	तीव्र एवं असमान शहरीकरण के कारण जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा परिवहन प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है।	सेवा प्रदाय में अंतराल, बढ़ती शहरी भीड़भाड़ तथा प्रमुख नगरों में अवसंरचना पर अत्यधिक भार।
पर्वतीय भू–भाग में उच्च निर्माण लागत	दुर्गम पर्वतीय भू–भाग एवं बिखरी हुई बस्तियों के कारण निर्माण एवं अनुरक्षण लागत अधिक है व श्रम लागत में वृद्धि से निर्माण लागत सूचकांक भी बढ़ रहा है।	अवसंरचना विस्तार में मंदी, आवास मूल्यों में वृद्धि तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं नागरिकों पर वित्तीय दबाव।
शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) की वित्तीय सीमाएँ	शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत सीमित हैं तथा अनुदानों पर उच्च निर्भरता है, जिससे परियोजना क्रियान्वयन एवं परिसंपत्ति अनुरक्षण प्रभावित होता है।	परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में कमी तथा नगर निकायों की स्वायत्तता में कमजोरी।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता	शहरी विस्तार से भूस्खलन, वनों की कटाई, जल संकट एवं जलवायु–प्रेरित आपदाओं का जोखिम बढ़ रहा है।	जन–सुरक्षा पर खतरा, अवसंरचना को क्षति तथा दीर्घकालिक अनुकूलन लागत में वृद्धि।
छोटे शहरी निकायों में अपशिष्ट एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन की कमी	छोटे नगरों एवं नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियाँ असमान रूप से विकसित हैं।	प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम, शहरी जीवन–योग्यता में कमी एवं पर्यावरणीय क्षरण।
आवास की वहनीयता	बढ़ती निर्माण लागत एवं शहरी	विशेषकर निम्न–आय वर्ग के

एवं बढ़ती मांग	दबाव के कारण चल रही योजनाओं के बावजूद किफायती आवास आपूर्ति की गति धीमी है।	लिए आवासीय कमी में वृद्धि।
शहरी शासन में संस्थागत समन्वय की कमजोरी	विभिन्न एजेंसियों एवं विभागों के कारण समन्वय संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे समेकित योजना एवं क्रियान्वयन प्रभावित होता है।	प्रमुख परियोजनाओं में विलंब, संसाधनों का अप्रभावी उपयोग तथा अमृत एवं स्मार्ट सिटी जैसी शहरी पहलों की प्रभावशीलता में कमी।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे एवं चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	साक्ष्य
स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की धीमी प्रगति	शिमला, धर्मशाला	दोनों स्मार्ट सिटी में अनेक परियोजना घटक विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।
प्रमुख शहरी केंद्रों पर जनसंख्या दबाव के कारण अवसंरचना तनाव	शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, ऊना, बद्दी, हमीरपुर, पालमपुर	तीव्र शहरी विस्तार के कारण इन नगरों को नगर निगम घोषित किया गया है।
नियोजित आवासीय आपूर्ति के विस्तार की आवश्यकता	शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी	इन जिलों में नियोजित आवासीय परियोजनाओं एवं भूखंड विकास से केंद्रित मांग का संकेत मिलता है।
छोटे नगरों में शहरी गरीबी एवं आजीविका संवेदनशीलता	चंबा	लक्षित कार्यक्रमों के अंतर्गत शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण एवं लाभार्थी प्रोफाइलिंग हेतु पायलट शहर के रूप में चयनित।
पर्वतीय नगरों में पार्किंग की कमी एवं यातायात जाम	शिमला, सोलन, धर्मशाला, मंडी एवं अन्य प्रमुख नगर	बढ़ती भीड़भाड़ से निपटने हेतु पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए है।
पर्यावरणीय दबाव एवं विनियमित विकास की आवश्यकता	शिमला, भोटा, सराहन, चिंतपूर्णी, धौलाकुआँ माजरा	अनियंत्रित निर्माण को नियंत्रित करने हेतु नए नियोजन क्षेत्र एवं हरित क्षेत्र अधिसूचित किए गए।
रियल एस्टेट परियोजनाओं में विलंब एवं उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता	शिमला, सोलन, कांगड़ा (प्रमुख शहरी केंद्र)	बड़ी संख्या में नई रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण, लंबित शिकायत प्रकरण तथा लगाए गए दंड अनुपालन एवं विवाद निवारण संबंधी चुनौतियों का संकेत देते हैं।

17.15 भावी दिशा

हिमाचल प्रदेश को हरित भवन मानकों, कम प्रभाव वाले बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति संवेदनशील योजना के माध्यम से जलवायु–परिवर्तनशील और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शहरी विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, सार्वजनिक–निजी भागीदारी और राज्य आवास एजेंसियों तथा राष्ट्रीय आवास योजनाओं के बीच मजबूत समन्वय के माध्यम से किफायती आवास वितरण में तेजी लाई जानी चाहिए। बेहतर संपत्ति कर प्रणाली, उपयोगकर्ता शुल्क और डिजिटल राजस्व निगरानी के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए जी.आई.एस.–आधारित योजना, डिजिटल सेवा वितरण और वास्तविक समय शहरी बुनियादी ढांचे की निगरानी जैसी प्रौद्योगिकी–सक्षम शासन व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए।

शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश में जल सुरक्षा, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, गैर–मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों तथा पहाड़ी शहरों के लिए उपयुक्त लचीले तूफानी जल और जल निकासी तंत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्मार्ट सिटी और अमृत पहलों के पूरा होने और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहाड़ी इलाकों के अनुकूल रहने योग्य सार्वजनिक स्थानों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्मार्ट गतिशीलता पर बल दिया जाना चाहिए। मजबूत संस्थागत समन्वय, डेटा–संचालित शहरी योजना और सामुदायिक भागीदारी नीति क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करना चाहिए। आवास, अवसंरचना, पर्यावरण और शासन सुधारों में संतुलित निवेश के साथ, हिमाचल प्रदेश भविष्य की जलवायु और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप समावेशी, अनुकूलनीय और टिकाऊ शहरी विकास प्राप्त कर सकता है।

******

अध्याय 18

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन

कार्यकारी सारांश

क्रम संख्या	मुख्य बिंदु	सारांश
1	**डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क**	राज्य, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड शासन विभाग के माध्यम से ई–गवर्नेंस से एकीकृत डिजिटल गवर्नेंस की ओर अग्रसर है, जिससे नागरिक–केंद्रित सेवा वितरण में सुधार हो रहा है।
2	**केंद्रीकृत शिकायत निवारण**	एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन ने 9 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है, 98 प्रतिशत निपटान दर के साथ, और अब यह प्रमुख विभागीय हेल्पलाइनों को एकीकृत करते हुए एक एकीकृत राज्य कॉल सेंटर के रूप में कार्य कर रही है।
3	**सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना**	एच.पी.एस.डी.सी.लगभग 300 अनुप्रयोगों की होस्टिंग करता है और हिमस्वान 2,575 कार्यालयों को जोड़ता है, जिससे सुरक्षित एवं कुशल राज्यव्यापी डिजिटल सेवा वितरण संभव हो रहा है।
4	**हिमसेवा सेवा वितरण प्लेटफॉर्म**	हिम सेवा पोर्टल 450 . सेवाएँ प्रदान करता है, प्रतिवर्ष लाखों आवेदनों का प्रसंस्करण करता है, डिजिलॉकर का एकीकरण करता है तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु ए.आई. का उपयोग करता है।
5	**एकीकृत डिजिटल पहचान प्रणालियाँ**	हिम परिवार और हिम एक्सेस एस.एस.ओ. नागरिक डेटाबेस का एकीकरण करते हैं, जिससे निर्बाध प्रमाणीकरण संभव होता है और 4.7 लाख से अधिक उपयोगकर्ता शामिल किए जा चुके हैं।
6	**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण**	डी.बी.टी. फ्रेमवर्क के माध्यम से ₹1,857 करोड़ की राशि 23.4 लाख लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई, जिससे समयबद्ध, पारदर्शी एवं चोरी–मुक्त कल्याणकारी लाभ वितरण सुनिश्चित हुआ।
7	**प्रशासनिक डिजिटलीकरण**	ई–ऑफिस 747 कार्यालयों में संचालित है, जिससे पेपरलेस कार्यप्रवाह, ई–साइन, ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग तथा दूरस्थ पहुँच की सुविधा सक्षम हुई है।
8	**रियल–टाइम डेटा गवर्नेंस**	सी.एम. डैशबोर्ड प्रमुख विभागों में 66 के.पी.आई.एस. की निगरानी करता है, जिससे डेटा–आधारित निर्णय–निर्माण सुदृढ़ हुआ है तथा कार्यक्रम प्रदर्शन की निगरानी में सुधार हुआ है।
9	**जी.आई.एस–सक्षम गवर्नेंस**	एकीकृत जी.आई.एस. पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विभागों के बीच परिसंपत्ति मैपिंग, योजना निर्माण तथा भू–स्थानिक डेटा तक पहुँच को समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे साक्ष्य–आधारित शासन को बढ़ावा मिलता है।
10	**उभरती प्रौद्योगिकियों का अपनाना**	राज्य ए.आई., एम.एल. ड्रोन, डिजिटल हेल्पलाइन तथा प्रस्तावित ड्रोन स्टेशनों का उपयोग कर शासन के आधुनिकीकरण और सेवा वितरण में सुधार कर रहा है।

18.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश ने शासन व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस परिवर्तन की अगुवाई राज्य का डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग (डी.डी.टी.जी.) कर रहा है, जिसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में जाना जाता था। उभरती तकनीकों, सशक्त डिजिटल अवसंरचना और समावेशी डिजिटल सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, राज्य सरकार प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और नागरिकों के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प (हेल्पलाइन@1100) और ई–ऑफिस प्रणाली जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से नागरिक अब 300 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं रही हैं और शिकायत निवारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी व सुव्यवस्थित बनी है। वहीं, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) और हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा केंद्र जैसी परियोजनाएँ विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नागरिक सहभागिता के लिए मजबूत डिजिटल आधार उपलब्ध कराती हैं।

हालाँकि दूरदराज़ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या एवं डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी हिमाचल प्रदेश एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक–केंद्रित शासन व्यवस्था के लक्ष्य के साथ अपने ई–गवर्नेंस ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है।

18.2 डिजिटल अवसंरचना और डेटा प्रशासन

18.2.1 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100 (एम.एम.एस.एस.)

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन (एम.एम.एस.एस.) हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए एक एकीकृत और केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करती है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकार के समक्ष अपनी मांगें और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सुविधा टोल–फ्री नंबर @1100, सी.एम. संकल्प पोर्टल, मोबाइल एप और मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित आवेदन जैसे माध्यमों द्वारा उपलब्ध है।

एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन के आरंभ से 5 दिसंम्बर, 2025 तक कुल 9,18,345 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8,97,975 शिकायतों (लगभग 98 प्रतिशत) का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 6,56,413 शिकायतें (71 प्रतिशत) नागरिकों की संतुष्टि के आधार पर हल की गई हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान 1,42,306 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से

1,23,264 (87 प्रतिशत) का समाधान किया गया है। इनमें 95,874 शिकायतें (67 प्रतिशत) नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद संतोषजनक रूप से बंद की गईं।

चित्र 18.1

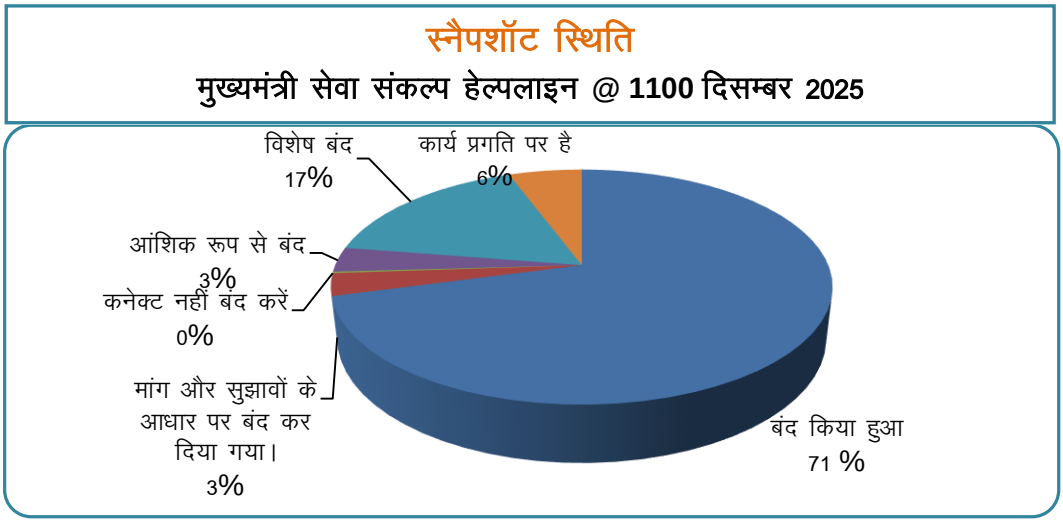

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन को राज्य के केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.), वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) (1967) से संबंधित हेल्पलाइनों को सफलतापूर्वक इस एकीकृत कॉल सेंटर प्रणाली में सम्मिलित कर दिया गया है और अब इनका संचालन इसी माध्यम से किया जा रहा है।

नागरिकों की पहुँच को और सुगम बनाने तथा सेवा अनुभव को बेहतर करने के उद्देश्य से, एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन प्रणाली में 94186–01100 नंबर पर व्हाट्सएप चैटबोट सुविधा भी शुरू की गई है।

18.2.2 हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (एच.पी.एस.डी.सी.)

हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (एच.पी.एस.डी.सी.) डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा विकसित की गई प्रमुख सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) अवसंरचनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकार से सरकार(जी.टू.जी),सरकार से नागरिक(जी.टू.सी) और सरकार से व्यवसाय(जी.टू.बी.)सेवाओंकी प्रभावी और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए सेवाओं, अनुप्रयोगों और आधारभूत ढांचे को एकीकृत करना है।

- विभिन्न विभागों की बढ़ती होस्टिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एच.पी. एस.डी.सी. की क्षमता में विस्तार किया गया है।
- 291 एप्लिकेशन होस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान जोड़े गए 75 एप्लिकेशन/वेबसाइटें भी शामिल हैं।

- होस्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, एकसमान मानकों को सुनिश्चित करने और सभी होस्ट किए गए अनुप्रयोगों में मजबूत सुरक्षा प्रथाओं को लागू करने के लिए एच.पी.एस.डी.सी. के लिए 'एप्लिकेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्टिंग नीति' अधिसूचित की गई है।

18.2.3 हिम परिवार

हिम परिवार परियोजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रीश्री सुखविंदर सिंह द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, 25 जनवरी, 2025 को बैजनाथ में किया गया था। हिम परिवार प्रणाली विभिन्न मौजूदा डेटाबेस जैसे परिवार रजिस्टर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) आदि का एकीकरण है, जिससे एक राज्य सामाजिक रजिस्टर का निर्माण होगा। यह प्रणाली सक्रिय, पात्रता–आधारित लाभ वितरण प्रणाली बनाने, गबन को कम करने और सरकारी लाभ योजनाओं तक पहुँचने के लिए नागरिकों पर दस्तावेजी बोझ को कम करने में सहायक होगी। यह प्रणाली भविष्य में साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण के लिए डेटा भी प्रदान करेगी।

वर्तमान में हिम परिवार के अंतर्गत हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) विकसित किया गया है, जो नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ही साइन ऑन प्रणाली है। एस.एस.ओ. का उपयोग करके, नागरिकों को कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड याद रखना होगा। विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म पर 4.7 लाख उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं। राज्य के भीतर डिजिटल पहचान की सुरक्षा, गोपनीयता और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पहचान और पहुंच प्रबंधन पर नीति दस्तावेज अधिसूचित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हिम परिवार के अंतर्गत एक सर्वेक्षण मंच विकसित किया गया है, जिसका उपयोग निम्नलिखित विभाग जमीनी स्तर से सत्यापित डेटा एकत्र करने के लिए कर रहे हैं:

- **शहरी विकास विभाग:** 2,11,696 शहरी परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें 6,63,371 सदस्य शामिल हैं।
- **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.बी.एल.):** 23,73,303 घरेलू मीटर कनेक्शनों का सर्वेक्षण किया गया और उन्हें पारिवारिक अभिलेखों से मिलान किया गया।
- **भूमि अभिलेख विभाग:** 20,12,784 खातों का आधार संख्या से मिलान किया गया।
- **भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक(बी.ओ.सी.डब्ल्यू):** 49,672 निर्माण श्रमिकों का सर्वेक्षण और सत्यापन किया गया।

- **अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के सशक्तिकरण निदेशालय (ई.एस.ओ.एम.एस.ए.):** ई–कल्याण लाभार्थियों के 6.8 लाख से अधिक का सत्यापन किया गया।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. शिकायत निवारण सुदृढ़ किया गया

- एम.एम.एस.एस.हेल्पलाइन के अंतर्गत 9,18,345 शिकायतें प्राप्त
- 98 प्रतिशत निस्तारण दर (8,97,975 का निपटान)
- 71 प्रतिशत मामलों का नागरिक संतुष्टि के साथ समापन
- एकीकृत राज्य कॉल सेंटर स्थापित (एच.आर.टी.सी.,जी.एस.टी., पी.डी.एस. 1967 एकीकृत)
- व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया गया

2. डिजिटल अवसंरचना विस्तार

- एच.पी.एस.डी.सी. में 291 अनुप्रयोग होस्ट किए गए
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में 75 नए अनुप्रयोग जोड़े गए
- सुरक्षा एवं मानकीकरण हेतु होस्टिंग नीति अधिसूचित

3. सामाजिक रजिस्ट्री एवं डिजिटल पहचान (हिम परिवार)

- हिम एक्सेस (एस.एस.ओ.) पर 4.7 लाख उपयोगकर्ता ऑनबोर्ड किए गए
- 2.11 लाख शहरी परिवारों का सर्वेक्षण
- 23.73 लाख विद्युत मीटर मैप किए गए
- 20.12 लाख खातों को आधार से लिंक किया गया
- 6.8 लाख ई–कल्याण सत्यापन पूर्ण किए गए

4. सेवा वितरण का डिजिटलीकरण

- 451 सेवाएँ ऑनलाइन (हिम सेवा पोर्टल)
- प्रतिदिन औसतन 6,000 आवेदन
- 17 लाख लेनदेन (वित्तीय वर्ष 2025–26, नवंबर 2025 तक)
- 51 सेवाएँ डी.जी. लॉकर के साथ एकीकृत
- ए.आई.–आधारित दस्तावेज कमी पहचान प्रणाली शुरू की गई

5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.)

- 167 योजनाएँ चिन्हित
- 58 योजनाएँ डी.बी.टी. के अंतर्गत संचालित
- ₹1,857.23 करोड़ हस्तांतरित
- 23.4 लाख लाभार्थी शमिल किए गए
- पेपर लेस पत्राचार अनिवार्य किया गया

6. ई–ऑफिस कार्यान्वयन

- 747 कार्यालय ऑनबोर्ड किए गए
- सचिवालय (108 शाखाएँ), 98 निदेशालय, 12 उपायुक्त कार्यालय, 14 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
- वी.पी.एन. आधार ई–साइन सक्षम किया गया

7. राजस्व डिजिटलीकरण

- आर.सी.एम.एस. के अंतर्गत 1,85,018 मामले पंजीकृत
- 1,18,692 मामलों का निपटान
- ई–फाइलिंग शुरू की गई
- रिलीफ पोर्टल 1,35,293 आवेदन, 71,116 स्वीकृत

8. आधार संतृप्ति

- 104.29 प्रतिशत आधार सृजन
- राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान
- 0–5 वर्ष श्रेणी में पहला स्थान
- 215 स्थायी नामांकन केंद्र संचालित

9. सुशासन निगरानी प्रणाली

- सी.एम. डैशबोर्ड लॉन्च (मार्च 2025)
- 8 प्रमुख विभागों में 66 के.पी.आई
- रियल–टाइम प्रदर्शन निगरानी संस्थागत की गई

10. हिमस्वान कनेक्टिविटी

- 2,575 कार्यालय जुड़े
- 72 निदेशालय
- 680 जिला कार्यालय
- 1,733 तहसील/ब्लॉक कार्यालय
- 90 न्यायिक परिसर

11. एच.पी.एस.ई.डी.सी.का वित्तीय प्रदर्शन

- ₹199.25 करोड़ टर्नओवर
- ₹9.69 करोड़ शुद्ध लाभ

18.2.4 हिमसेवा पोर्टल

हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई–जिला) पोर्टल एक एकीकृत मंच है जिसे राज्य भर में सुलभता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। राजस्व, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और शहरी विकास जैसे कई विभागों के कार्यप्रवाहों को एकीकृत और स्वचालित करके, पोर्टल ने सेवा वितरण को सुव्यवस्थित, समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। 451 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, जिनमें औसतन 6,000 आवेदन प्रतिदिन प्राप्त होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, विभाग ने एकीकृत ऑनलाइन सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए हिमसेवा पोर्टल पर 135 अतिरिक्त सरकार से नागरिक (जी.टू.सी.) सेवाओं के लिंक जोड़े हैं या उपलब्ध कराए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में, 30 नवंबर, 2025 तक पोर्टल के माध्यम से लगभग 17 लाख लेनदेन किए गए हैं।

इसके अलावा, हिमसेवा पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) को लागू किया जा रहा है ताकि आवेदन जमा करने के समय दस्तावेजों की कमियों की पूर्व–जांच की जा सके, जिससे नागरिकों को त्रुटि रहित आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण में देरी को कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों को डिजिटल दस्तावेजों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए 51 हिमसेवा (ई–जिला) सेवाओं के साथ–साथ हिम–एक्सेस और हिमपरिवार कार्ड को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है। इस उपलब्धि के लिए, हिमाचल प्रदेश को 4 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डिजिलॉकर 2025 पर राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन में ''**पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड**'' से सम्मानित किया गया।

18.2.5 डिजिटल हेल्पलाइन

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा विभागीय एप्लिकेशनों और पोर्टलों से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की जिज्ञासाओं के समाधान हेतु एक डिजिटल हेल्पलाइन स्थापित की गई है। यह हेल्पलाइन स्टैंडर्ड कार्यालय समय के दौरान दूरभाष नंबर 0177–3525101/02 पर उपलब्ध है। अब तक इस हेल्पलाइन पर 19,000 से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से 401 शिकायतों का पंजीकरण किया गया है तथा उनका प्रभावी ढंग से समाधान किया गया है।

18.2.6 राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.एस.) डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग (डी.डी.टी.एंड जी) द्वारा राजस्व विभाग के साथ मिलकर विकसित किया गया एक व्यापक सॉफ्टवेयर है। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली हिमाचल प्रदेश में राजस्व न्यायालयों के संचालन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल समाधान है। इस पहल के अंतर्गत राजस्व न्यायालय की प्रक्रियाओं, केस प्रबंधन और अभिलेख–संरक्षण को डिजिटल कर दिया गया है। नागरिक और अधिवक्ता अपने मामलों से संबंधित सभी जानकारी नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी में केस प्रोफाइल, केस स्टेटस, अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश, केस लिस्ट आदि शामिल हैं। आर.सी.एम.एस. की शुरुआत से अब तक राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर 1,85,018 मामले ऑनलाइन पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से 1,18,692 मामलों का निपटारा हो चुका है।

पोर्टल में जोड़ी गई प्रमुख सुविधाएँ:

- पटवारियों के लिए ई–कारगुजारी (उपस्थिति) तथा ई–वाकियाती (डायरी) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- कार्यरत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा, जिससे प्रक्रियाओं में अधिक प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- ई–हिमभूमि पोर्टल के साथ एकीकरण।
- राजस्व पोर्टल पर राजस्व मामलों की ई–फाइलिंग व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत नागरिक और अधिवक्ता अब ऑनलाइन ही मामले दर्ज कर सकते हैं।

18.2.7 राजस्व सहायता आवेदन पोर्टल

राजस्व सहायता आवेदन पोर्टल, हिमाचल प्रदेश में राहत निधि के प्रबंधन और वितरण को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया, एक समर्पित डिजिटल समाधान है। यह पोर्टल राहत से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया, उनकी प्रगति की निगरानी तथा राहत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है। यह प्रणाली आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाती है, प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण के लिए ट्रेजरी प्रणाली के साथ एकीकृत है और आवेदकों व अधिकारियों को वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवाती है। इसके अतिरिक्त, यह पोर्टल डेटा–आधारित निर्णय लेने के लिए विस्तृत और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा भी प्रदान करता है। आर.एम.एस. सहायता के माध्यम से 1,35,293 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 71,116 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

18.2.8 आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, जो उसकी जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़ी होती है। यह पहचान संख्या देशभर में पहचान प्रमाण के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है तथा विभिन्न सरकारी लाभों और सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाती है। 31 अक्टूबर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 74,68,000 है, जबकि राज्य में 104.29 प्रतिशत आधार जारी किए जा चुके हैं। पाँच वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी में आधार संतृप्ति स्तर 100 प्रतिशत से अधिक है। आधार नामांकन के क्षेत्र में राज्य ने देशभर में कुल मिलाकर चौथा स्थान तथा 0–5 वर्ष आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। छूटी हुई जनसंख्या को सम्मिलत करने और आधार विवरणों के अद्यतन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा सामान्य सेवा केंद्र और विशेष उद्देश्य वाहन (सी.एस.सी./एस.पी.वी.) के माध्यम से राज्य के सभी जिलों और विकास खंडों में 215 स्थायी नामांकन केंद्र (पी.ई.सी.) संचालित किए जा रहे हैं। बच्चों के आधार नामांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अप्रैल, 2025 में सम्मानित किया गया।

18.2.9 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.)

सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के वित्तीय लाभ नागरिकों तक समयबद्ध रूप से पहुँचाने और लीकेज को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रणाली को लागू किया जा रहा है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान संबंधित विभागों के सहयोग से कुल 167 योजनाओं (केंद्र–81 एवं राज्य –86) की पहचान की गई है। इनमें से 58 योजनाओं(केंद्र–20 एवं राज्य –38) में डी.बी.टी. व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान नवंबर, 2025 तक प्राप्त विभागीय रिपोर्टों के अनुसार, इन 58 योजनाओं के अंतर्गत 23.40 लाख लाभार्थियों को डी.बी.टी. के माध्यम से कुल ₹1,857.23 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई है।

18.2.10 वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल (ए.पी.ए.आर.)

- विभाग द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट तथा वार्षिक कार्य योजना की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाना है।
- ए.पी.ए.आर. प्रणाली कर्मचारियों के प्रदर्शन के आकलन में सहायक है, जो रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्य योजनाओं और लक्ष्यों पर आधारित होती है। ये लक्ष्य मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं

- राज्य के सभी विभागों, निगमों एवं बोर्डों के लिए नई ए.पी.ए.आर. प्रणाली पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गए तथा इसका औपचारिक शुभारंभ मार्च, 2025 में किया गया।

18.2.11 हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान)

मार्च,2005 में भारत सरकार द्वारा देशभर में राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को एस.डब्ल्यू.ए.एन. की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन के लिए प्रारंभिक पाँच वर्षों की अवधि हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसे बाद में एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। एस.डब्ल्यू.ए.एन. की परिकल्पना एक सशक्त और एकीकृत नेटवर्क के रूप में की गई थी, जो पूरे राज्य में डेटा, वॉयस और वीडियो संचार को समर्थ बनाने में सक्षम हो।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मुख्यालयों को जिला, उप–मंडल एवं ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ते हुए आगे तहसील स्तर तक विस्तारित एक राज्यव्यापी नेटवर्क स्थापित करना था। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सरकार से सरकार (जी.टू.जी),सरकार से नागरिक (जी.टू.सी) और सरकार से व्यवसाय (जी.टू.बी.) सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए आधुनिक, विश्वसनीय एवं सुरक्षित नेटवर्क की स्थापना करना है।
- ई–ऑफिस के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, जिससे कागज–रहित कार्यालयों, प्रशासनिक दक्षता और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके।
- राज्यभर में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय परिसरों तथा पुलिस विभाग के उच्च कार्यालयों एवं सभी पुलिस थानों को हिमस्वान के माध्यम से निर्बाध नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

हिमस्वान के माध्यम से जुड़े सरकारी कार्यालयों की स्थिति इस प्रकार है:

सारणी 18.1

क्रम संख्या	कार्यालयों की श्रेणी	न्यूनतम बैंडविड्थ	अधिकतम बैंडविड्थ	जुड़े कार्यालय की संख्या
1	निदेशालय स्तरीय कार्यालय	..	100	72
2	जिला स्तरीय कार्यालय	20	100	680
3	तहसील/ब्लॉक स्तरीय कार्यालय	12	100	1733
4	न्यायालय परिसर	20	100	90
कुल				2575

18.2.12 ई–ऑफिस

ई–ऑफिस हिमाचल प्रदेश में कागज रहित प्रशासन के युग की ओर एक कदम है। यह कार्यालय प्रणाली सरकार को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, कागज का उपयोग कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समग्र दक्षता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म कई तरह की सुविधाएँ देता है, जिसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, फाइल ट्रैकिंग, टास्क मैनेजमेंट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, ई–सिग्नेचर और संचार उपकरण शामिल हैं। इसे सरकारी अधिकारियों के सहकार्य को सुविधाजनक बनाने, फाइलों की भौतिक आवाजाही की जरूरत को खत्म करने, प्रशासनिक कामों में लगने वाले समय और लागत को कम करने और निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित कार्यालय को ई–आफिस से जोड़ा गया है।

सारणी–18.2

क्रम संख्या	कार्यालयों की श्रेणी	ई–कार्यालय	लक्ष्य
1	हिमाचल प्रदेश सचिवालय	108 शाखाएँ	राज्य के सभी कार्यालयों को आपस में जोड़ना।
2	निदेशालय	98	
3	उपायुक्त कार्यालय	12	
4	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	14	
5	उपमंडल मजिस्ट्रेट	73	
6	ब्लॉक विकास कार्यालय	88	
7	अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	354	
कुल		747	

इसके अतिरिक्त, वेब–आधारित एप्लिकेशन होने के कारण ई–ऑफिस प्रणाली का उपयोग किसी भी समय और कहीं से भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.) के माध्यम से प्रभावी रूप से किया जा सकता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंन्द्र एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग से जोड़ा जा सका है। मौजूदा डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा जो कि आधार से जुड़ा है दस्तावेजों ड्राफ्ट पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए तथा ड्राफ्ट पत्र तैयार करने के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय रही है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया है कि सभी आधिकारिक पत्राचार का निपटान ई–ऑफिस एप्लिकेशन के माध्यम से ही किया जाए, ताकि राज्य में पूर्णतः कागज–रहित पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को बढ़ावा मिल सके।

18.2.13 मुख्यमंत्री डैशबोर्डः पारदर्शी एवं कुशल शासन की दिशा में पहल

राज्य सरकार द्वारा शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने तथा समय आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1 मार्च, 2025 को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। यह डैशबोर्ड राज्य के आठ प्रमुख विभागों से संबंधित 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (के.पी.आई.) की प्रगति एवं प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के लिए विकसित किया गया है, सारणी 18.3।

सारणी–18.3

क्रम संख्या	विभाग का नाम	मुख्य प्रदर्शन संकेतक
1.	ग्रामीण विकास	8
2.	लोक निर्माण विभाग	8
3.	जल शक्ति विभाग	6
4.	राजस्व विभाग	7
5.	महिला एवं बाल विकास	4
6.	शिक्षा विभाग	10
7.	जनजातीय विकास	5
8.	स्वास्थ्य विभाग	18
कुल		**66**

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो सटीक डेटा संकलन, समयबद्ध रिपोर्टिंग तथा लाभार्थियों की प्रभावी ट्रैकिंग में सहायक है। इसके माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति और उनकी निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। मुख्यमंत्री इस डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे, जिससे समय रहते आवश्यक हस्तक्षेप संभव हो सके और डेटा–आधारित निर्णय लेने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिले।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- तकनीक–आधारित निगरानी के माध्यम से शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना।
- डेटा संकलन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का स्वचालन कर विभागों पर प्रशासनिक भार को कम करना।
- निर्धारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (के.पी.आई.) के आधार पर विभागों के प्रदर्शन का समय आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए समयोचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

- एक ऐसा विस्तार योग्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, जिसे भविष्य में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए अधिक संख्या में के.पी.आई. विकसित कर एकीकृत किया जा सके।

यह पहल सुशासन, नागरिक कल्याण तथा प्रभावी और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपनाने के प्रति राज्य सरकार की सतत प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

18.2.14 निवेश एवं उद्योग प्रोत्साहन

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) के दो केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक केंद्र शिमला में तथा दूसरा कांगड़ा जिले के गग्गल के समीप चेतडु में स्थापित किया गया है। दोनों स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इन्हें शीघ्र ही संचालन में लाने की योजना है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) वाकनाघाट में 47,595.85 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई. और आई.टी.) भवन का इस्पात ढांचा पूरा कर रहा है। इस परिसर में, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग (डी.डी.टी. और जी) एस.टी.पी.आई. के सहयोग से 1,800 वर्ग फुट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई) स्थापित करेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री की स्टार्टअप/इनोवेशन परियोजना/नए उद्योग पहल के अन्तर्गत एक इनक्यूबेशन सुविधा के लिए 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। शेष खाली स्थान सफल स्टार्टअप और सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आई.टी./आई.टी.ई.एस.) कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराये पर दिया जाएगा।

18.2.15 ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन परियोजना (यू.ए.वी.)

हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल हब के रूप में तीन ड्रोन स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, एच.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से दो बड़े ड्रोन (डिजास्टर प्रबंधन एवं सर्विलांस प्रयोजनों के लिए) भी खरीदे गए है।

18.2.16 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) सेल

हिमाचल प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में योजना, निगरानी और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है। हमारी प्रमुख उपलब्धियों के अंतर्गत, विभाग ने निम्नलिखित जी.आई.एस. मानचित्रण सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं:–

- हिमस्वान नेटवर्क स्थानों का जी.आई.एस. मानचित्रण पूर्ण किया।
- अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए डिजिटल दृश्यीकरण और इंटरैक्टिव मानचित्र तैयार किए।
- पशुपालन विभाग के लिए मानचित्रों सहित व्यापक डेटा दृश्यीकरण किया, जिसमें दुग्ध आधारित समितियों (एम.पी.पी., एम.सी.सी., एम.पी.सी.एस.) का मानचित्रण भी शामिल है।
- एल.जी.डी. ग्राम डेटा का मानचित्रण किया और जी.आई.एस. में सरकारी भवनों को जियो–टैग किया। एच.आर.टी.सी. विभाग के बस मार्गों के लिए जी.आई.एस. –आधारित मानचित्रण और विश्लेषण किया, साथ ही बेहतर बस कनेक्टिविटी के लिए समानांतर मार्गों का विश्लेषण भी किया।
- पशु चिकित्सालयों, बस स्टॉप, ट्रैफिक लाइट, टैक्सी स्टैंड, रेलवे अवसंरचना, सड़क किनारे लगे फर्नीचर और बिजली के खंभों का फील्ड सत्यापन प्रक्रियाधीन है।
- अवसंरचना डेटासेट में भू–स्थानिक नेटवर्क मैपिंग और सुधार प्रक्रियाधीन हैं।
- इन प्रयासों से स्थानिक नियोजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक संकेतकों को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलेगी।

18.2.16.1 प्लेटफॉर्मः एच.पी. जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम

हाल ही में, प्रमाणित भौगोलिक डेटासेट की मैपिंग, भंडारण और पहुंच के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में एक जी.आई.एस. वेब एप्लिकेशन पोर्टल और एक जी.आई.एस. मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न राज्य विभागों द्वारा व्यापक परिसंपत्ति मैपिंग और डेटा–आधारित निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। यह राज्य के विभागों/कार्यालयों को निःशुल्क उपलब्ध है।

सारणी 18.4

योजना एवं पहल मानचित्रण

पहलें	कवरेज / आउटपुट	प्रभाव क्षेत्र	मात्रात्मक परिणाम
एम.एम.एस.एस. हेल्पलाइन	राज्यव्यापी शिकायत निवारण	नागरिक जवाबदेही	98 प्रतिशत निस्तारण
हिम सेवा पोर्टल	451 ऑनलाइन सेवाएँ	सेवा वितरण सुधार	17 लाख लेनदेन
हिम परिवार	सामाजिक रजिस्ट्री	लक्षित कल्याण	23 लाख परिवार मैपिंग
डी.बी.टी.	58 योजनाएँ	चोरी–मुक्त अंतरण	₹1,857.23 करोड़
ई–ऑफिस	747 कार्यालय	पेपरलेस गवर्नेंस	एंड–टू–एंड फाइल ट्रैकिंग

आर.सी.एम.एस.	राजस्व न्यायालय	न्यायिक पारदर्शिता	1.18 लाख मामलों का निपटान
सी.एम. डैशबोर्ड	66 के.पी.आई.	प्रदर्शन निगरानी	रियल–टाइम डेटा
हिमस्वैन	2,575 कार्यालय	बैकबोन कनेक्टिविटी	जी.2जी. / जी.2सी. एकीकरण
आधार	राज्यव्यापी कवरेज	पहचान प्रमाणीकरण	104 प्रतिशत संतृप्ति
जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म	बहु–क्षेत्रीय उपयोग	डेटा–आधारित योजना	केंद्रीकृत भू–डेटाबेस
ड्रोन स्टेशन (प्रस्तावित)	आपदा एवं निगरानी	पूर्वानुमानित गवर्नेंस	2 बड़े ड्रोन क्रय किए गए

18.3 हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.डी.सी.)

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एच.पी.एस.ई.डी.सी.) हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एच.पी.एस.ई.डी.सी.) का नाम बदलकर "हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मानव संसाधन एवं विदेश रोजगार निगम" किया जा रहा है। यह परिवर्तन निगम की मुख्य आई.टी और इलेक्ट्रॉनिक्स गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार की सुविधा प्रदान करने में उसकी विस्तारित भूमिका को दर्शाता है।

निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है:

I. **खरीदः** सरकारी निकायों को उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर हार्डवेयर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और विशेष उपकरण की आपूर्ति।
II. **सॉफ्टवेयर और वेब सेवाएं:** पैकेज्ड सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करना और सरकारी वेबसाइटों का प्रबंधन करना।
III. **सहायता सेवाएं:** विभिन्न विभागों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लिए मानव संसाधन आउटसोर्सिंग और कार्यालय स्वचालन प्रदान करना।
IV. **रखरखावः** मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) और अधिकृत सेवा भागीदारों (ए.एस.पी.) के साथ साझेदारी के माध्यम से हार्डवेयर की लंबे समय तक उपयोग में रहना।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी खरीद Gem पोर्टल, एच.पी.ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल या औपचारिक दरसूची आमंत्रण सूचना (एन.आई.क्यू.) के माध्यम से की जाती है।

18.3.1 वित्तीय उपलब्धियाँ

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान विभिन्न सेवाएं प्रदान की और दिसम्बंर 2025 तक निम्नलिखित व्यवसाय अर्जित किया है।

सारणी–18.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वित्तीय उपलब्धियाँ	कुल बिक्री
1	हार्डवेयर की बिक्री	73.14
2	सेवाओं की बिक्री और अन्य आय	126.11
3	**कुल कारोबार**	**199.25**
4	**शुद्ध लाभ**	**9.69**

स्रोतः डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

18.4 मुख्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ

क) राज्य स्तरीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ

मुद्दे / चुनौतियाँ	प्रमाण (दस्तावेज से)	प्रभाव
पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम छोर संयोजकता	दुर्गम भू–भाग और बिखरी हुई ग्रामीण आबादी, विशेषकर जनजातीय/दूरस्थ क्षेत्रों तथा अत्यधिक मौसम के दौरान, अंतिम छोर संयोजकता में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है।	ई–सेवाओं तक अविश्वसनीय पहुँच, डिजिटल अवसंरचना के विस्तार/रखरखाव में अधिक लागत और विलंब।
नागरिकों में डिजिटल साक्षरता अंतर	वरिष्ठ नागरिकों, वंचित समुदायों और ग्रामीण आबादी में डिजिटल साक्षरता की कमी प्लेटफॉर्म उपयोग को सीमित करती है।	कम अपनापन और संतुष्टिय निरंतर उपयोगकर्ता सहयोग एवं जन–जागरूकता की आवश्यकता।
विभागों के भीतर असमान डिजिटल क्षमता	डिजिटल कौशल एवं परिवर्तन प्रबंधन में असमान क्षमता के कारण ई–ऑफिस और विश्लेषण को पूर्ण अपनाना धीमा होता है।	प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में विलंबय सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता और गति में असंगति।
साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता जोखिम	जैसे–जैसे प्रणालियाँ डेटा–आधारित बनती जा रही हैं, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और सुरक्षित डेटा साझाकरण का महत्व बढ़ रहा है।	डेटा उल्लंघन का अधिक जोखिम सुदृढ़ सुरक्षा ढाँचे एवं प्रोटोकॉल की आवश्यकता।
विरासत प्रणालियों का एकीकरण एवं डेटा मानकीकरण	विरासत प्रणालियों के बीच एकीकरण और डेटा प्रारूपों का मानकीकरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।	डेटा का पृथक्करण तथा दोहराव विभागों के बीच सेवाओं के क्रियान्वयन में लागत और जटिलता में वृद्धि।

अंतर		
डैशबोर्ड हेतु रियल–टाइम डेटा गुणवत्ता	डैशबोर्ड /के.पी.आई. के लिए रियल–टाइम डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु मजबूत गवर्नेंस और जवाबदेही आवश्यक है।	खराब या विलंबित डेटा के कारण निर्णय–निर्माण में जोखिमय प्रदर्शन निगरानी प्रभावित।

ख) जिला–विशिष्ट मुद्दे एवं चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	प्रभावित जिले	प्रमाण
आई.टी. पार्क अवसंरचना का संचालन लंबित, जिससे स्थानीय स्टार्टअप/आई.टी. सक्षमकरण में संभावित विलंब	शिमला (एस.टी.पी.आई. केंद्र) कांगड़ा (एस.टी.पी.आई. केंद्र चेत्तरू, गगल के निकट)	दो एस.टी.पी.आई. केंद्र–शिमला और चेत्तरू (कांगड़ा)–का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शीघ्र संचालन की योजना है।
आगामी सी.ओ.ई.–आई.टी.एवं इन्क्यूबेशन स्पेस की तत्परता एवं उपयोग	सोलन (वाकनाघाट)	वाकनाघाट स्थित सी.ओ.ई.–आई.टी. भवन निर्माण के अंतिम चरण मे ए.आई./एम.एल.एवं इन्क्यूबेटर हेतु स्थान निर्धारित–संचालन एवं उपयोग की प्रक्रिया शेष।
सभी ब्लॉकों में आधार नामांकन/अपडेट की सतत उपलब्धता	सभी जिले एवं ब्लॉक (राज्यव्यापी पी.ई.सी.कवरेज)	215 स्थायी नामांकन केंद्र सभी जिलों एवं ब्लॉकों में संचालित, छूटी हुई आबादी / अपडेट हेतु सतत पहुँच सुनिश्चित करने का संकेत।
पेपरलेस पत्राचार हेतु ई–ऑफिस का अपनाना एवं फील्ड स्तर पर उपयोग	राज्यव्यापी कार्यालय एवं क्षेत्रीय इकाइयाँ	सरकार द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–ऑफिस के माध्यम से पत्राचार भेजने पर बल–जिला/क्षेत्रीयस्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुपालन निगरानी की आवश्यकता का संकेत।
परिसंपत्ति मानचित्रण हेतु जी.आई.एस. पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का क्रियान्वयन और उपयोग	जिलों में स्थित विभिन्न विभाग	परिसंपत्ति मानचित्रण एवं नियोजन के लिए एक केंद्रीकृत जी.आई.एस. वेब एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें जिला इकाइयों का प्रणाली में सम्मिलित होना तथा डेटा सेट का नियमित अद्यतन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

18.5 भावी दिशा

आगामी चरण में हिमाचल प्रदेश को सर्वव्यापी, विश्वसनीय एवं सुदृढ़ डिजिटल संपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। इसके अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर

अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, उच्च–गति मोबाइल इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता तथा दुर्गम एवं सीमांत क्षेत्रों में उपग्रह–आधारित संपर्क समाधानों का विस्तार आवश्यक होगा। साथ ही, शासकीय अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों तथा नागरिकों के लिए संरचित प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता अभियान एवं व्यवहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से डिजिटल क्षमता का विकास किया जाना चाहिए, जिससे डिजिटल विभाजन में कमी आए तथा समावेशी पहुँच सुनिश्चित हो सके।

सार्वजनिक विश्वास की निरंतरता हेतु उन्नत साइबर सुरक्षा ढाँचे की स्थापना, कठोर आँकड़ा संरक्षण मानकों का अनुपालन तथा समग्र एवं पारदर्शी आँकड़ा शासन नीति का संस्थानीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। (ए.पी.आई.), व एकीकृत डिजिटल मंचों तथा अंतःप्रचालनीय प्रणालियों के माध्यम से विभागों के बीच निर्बाध आँकड़ा आदान–प्रदान सुनिश्चित कर साक्ष्य–आधारित एवं समेकित निर्णय–प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है।

राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत आँकड़ा विश्लेषण, भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग पूर्वानुमान–आधारित शासन, आपदा पूर्व चेतावनी एवं प्रबंधन, अवसंरचना निगरानी तथा लक्षित सामाजिक वितरण प्रणाली में करना चाहिए। वास्तविक समय डैशबोर्ड, परिणाम–आधारित निगरानी तंत्र तथा सुव्यवस्थित नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सहभागी शासन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। तकनीकी नवाचार को संस्थागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता तथा सतत क्षमता निर्माण के साथ समन्वित कर हिमाचल प्रदेश स्वयं को एक सुरक्षित, समावेशी, आँकड़ा–आधारित डिजिटल शासन मॉडल के रूप में स्थापित कर सकता है।

******

शब्दावली

मूल कीमत	मूल कीमत वह राशि है जो उत्पादक द्वारा क्रेता से उत्पादित किसी वस्तु या सेवा की इकाई के लिए देय सभी करों को घटाकर और साथ ही उत्पादक द्वारा उसके उत्पादन या बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली किसी भी सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त की जाती है। इसमें निर्माता द्वारा लिया जाने वाला परिवहन शुल्क शामिल नहीं हैं।
आकस्मिक श्रम	एक व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से दूसरों के कृषि या गैर कृषि उद्यमों (घरेलू और गैर घरेलू दोनों) में लगा हुआ था और बदले में दैनिक या आवधिक कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार मज़दूरी प्राप्त करता है उसे आकस्मिक श्रम माना जाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) को एक निश्चित स्थान पर एक परिभाषित जनसंख्या समूह के औसत परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित वस्तुओं के समूह के खुदरा कीमतों के स्तर में समयोपरि परिवर्तन को मापने का तन्त्र है।
स्थिर कीमतें	स्थिर कीमतें मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित होती हैं। स्थिर कीमतों का उपयोग हमें उत्पादन में वास्तविक मूल्य परिवर्तन को मापने में सक्षम बनाता है (न कि केवल मुद्रास्फिति के प्रभाव के कारण वृद्धि)।
वर्तमान दैनिक स्थिति	किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान दैनिक गतिविधि की स्थिति को प्राथमिकता या अधिक समय मापदंड का उपयोग करते हुए संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन उसकी गतिविधि की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति	व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के लिए प्राप्त गतिविधि की स्थिति है। यह एक निश्चित प्राथमिकता या अधिक समय मापदंड के आधार पर तय किया जाता है। प्राथमिकता मानदंड के अनुसार ''काम नहीं कर रहे बल्कि काम के लिए इच्छुक या उपलब्ध'' की स्थिति पर काम करने वालों की स्थिति को प्राथमिकता मिलती है, और 'न तो काम कर रहा है और न ही काम के लिए उपलब्ध हैश की स्थिति पर काम नहीं कर रहे बल्कि काम के लिए इच्छुक या उपलब्ध को प्राथमिकता मिलती है।
प्रचलित मूल्य	प्रचलित मूल्य सकल घरेलू उत्पाद/मुद्रास्फीति/परिसंपति की कीमतों को अर्थव्यवस्था में देखी गई वास्तविक कीमतों का उपयोग करके मापते हैं। वर्तमान कीमतें मुद्रास्फीति के लिए कोई समायोजन नहीं करती हैं। वर्तमान मूल्य वे हैं जो किसी

	निश्चित समय पर इंगित किए जाते हैं।
जनसंख्या घनत्व	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भौगोलिक इकाई, वार्ड, शहर, जिला, राज्य, देश और विश्व है।
राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और उसके राजस्व के बीच का अन्तर है (उस धन को छोड़कर जो उसने उधार लिया है)। किसी देश के राजकोषीय घाटे को आमतौर पर उसके सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।
सकल राज्य आय	सकल राज्य आय जी.एस.डी.पी. से उत्पादन और आयात पर शुद्ध कर घटाकर, कर्मचारियों का मुआवजा घटाकर, शेष दुनिया को देय संपत्ति आय घटाकर,जमा शेष दुनिया से प्राप्त संबंधित वस्तु (दूसरे शब्दों में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद घटाकर गैर–निवासी इकाइयों के लिए प्राथमिक आय जमा अनिवासी इकाइयों से प्राप्त होने वाली प्राथमिक आय) है। बाजार मूल्यों पर जी.एस.आई. को मापने का एक वैकल्पिक तरीका जो सभी क्षेत्रों के लिए सकल प्राथमिक आय के शेष के कुल मूल्य के रूप में है। (ध्यान दें कि सकल राज्य आय सकल राज्य उत्पाद (जी.एस.पी.) के बराबर होती है, जैसा कि पहले आमतौर पर राष्ट्रीय खातों में उपयोग किया जाता था)।
सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए)	सकल मूल्य वर्धित किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। राष्ट्रीय खातों में जी.वी.ए., उत्पादन और उत्पादन लागत का अंतर है।
मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन	मूल कीमतों पर वर्धित सकल मूल्य को मूल कीमतों पर मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में परिभषित किया गया है जिसमें उत्पादन से क्रेताओं की कीमतों पर मूल्यांकित मध्यवर्ती उपभोग को घटाया गया है। यहां जी.वी.ए. उस कीमत से जाना जाता है जिसके साथ उत्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। उत्पादक के दृष्टिकोण से इनपुट के लिए साधनों/कारकों की कीमतें और उत्पादन के लिए मूल कीमतें वास्तव में भुगतान और प्राप्त कीमतों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका उपयोग सकल मूल्य वर्धित माप की ओर ले जाता है जो विशेष रूप से उत्पादक के लिए प्रासंगिक है।
शिशु मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर प्रत्येक 1,000 जीवित जन्मों के लिए शिशु मृत्यु (शिशु के पहले जन्मदिन से पहले मृत्यु) की संख्या का अनुमान है।
मुद्रास्फीति	मुद्रास्फीति को वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के रूप में मापा जाता है।

	जैसे–जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, हमारे पास मौजूद प्रत्येक रूपया किसी एक वस्तु या सेवा का एक छोटा सा प्रतिशत खरीदता है।
श्रम बल	श्रम बल वे व्यक्ति जो या तो 'काम कर रहे' (कार्यरत) या 'काम की तलाश या उपलब्ध' (या बेरोजगार) थे, श्रम बल का गठन करते हैं।
श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)	श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल और समूह के कुल आकार (समान आयु सीमा की राष्ट्रीय जनसंख्या) का अनुपात है।
साक्षरता दर	साक्षरता दर से अभिप्राय 6 या उससे ऊपर की उम्र की जनसंख्या के प्रतिशत से है जो प्रतिदिन के कार्यों में साधारण वाक्यों को लिखने व पढ़ने की क्षमता रखता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर अयोजित किया जाने वाला एक बहु–आयामी सर्वेक्षण है।
प्रति व्यक्ति आय	प्रति व्यक्ति द्वारा एक वर्ष के अन्दर अर्जित आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसका आकलन किसी क्षेत्र में कुल आय से उस क्षेत्र की जनसंख्या को भाग देकर किया जाता है।
खुदरा मूल्य	किसी वस्तु के खुदरा मूल्य से अभिप्राय, ऐसी कीमत से है जिसे अंतिम उपभोक्ता द्वारा सापेक्षित छोटे वस्तुओं के विनिमय/या लेन–देन के लिए दिया जाता है।
लिंग अनुपात	लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या के रुप में परिभाषित किया जाता है।
सामान्य प्रधान स्थिति	यह स्थिति 365 दिनों के संदर्भ अवधि के दौरान अपेक्षित लम्बी अवधि की गतिविधि के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।
बेरोजगारी की दर	यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम बल तथा बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात बताता है। इसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों को कुल श्रम बल से विभाजित करके की जाती है।
सामान्य प्रधान स्थिति (यू.पी.एस.) या सामान्य स्थिति (पी.एस.)	जिस गतिविधि पर किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों में अपेक्षाकृत अधिक समय बिताया हों, उसे उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि माना जाता है। सामान्य प्रधान गतिविधि स्थिति (यू.पी.एस.) जिसे सामान्य स्थिति के रुप में लिखा जाता है, को अधिकतम समय मापदण्ड का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है और उस गतिविधि की स्थिति को संदर्भित करता है जिस पर उसने वर्ष का अधिकतम समय बिताया।
सामान्य प्रधान सहायक स्थिति (यू.पी.एस.एस.) या सामान्य स्थिति	यह दृष्टिकोण उन लोगों में से 'श्रमिकों' की पहचान करने का प्रयास करता है, जिन्हें यू.पी.एस. दृष्टिकोण के अधिक समय मानदंड के आधार पर 'बेरोजगार' या 'सेवाहर श्रम बल' के रुप में वर्गीकृत किया गया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार वे सभी व्यक्ति जो या तो बेरोजगार हैं या श्रम बल से बाहर हैं,

	लेकिन संदर्भ वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिनों की छोटी अवधि के लिए काम किया है, उन्हें सहायक स्थिति मज़दूर के रूप में वगीकृत किया गया है।
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई)	थोक मूल्य सूचकांक लेनदेन के प्रारम्भिक चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर)	श्रमिक जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत को परिभाषित करता है।

भाग – II

सांख्यिकीय सारणी

2025–26

विषय–सूची

सारणी	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	चयनित संकेतक 1950–51 से 2025–26	1
2	सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद	2
3	सकलराज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर /निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय	3
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर (प्रचलित किमतों पर)	4
5	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर किमतों पर)	5
6	स्कल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	6
7	हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं	7
8	क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार	7
9	लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना	8
10	मुख्य फसल का उत्पादन	8
11	पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान	9
12	जिला–वार अमली जोतों कीसंख्या तथा क्षेत्रफल	9
13	पशुधन तथा कुक्कट	10
14	मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य	10
15	वनों का क्षेत्रफल	11
16	उचित मूल्य की दुकानें	11
17	हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस	12
18	हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें	12
19	गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण	13
20	सहकारिता	14
21	विद्युत उत्पादन एवं खपत	15
22	फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल	16
23	फलों का उत्पादन	16
24	हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी	17
25	पर्यटक आगमन वर्ष 2025	17
26	शिक्षा	18
27	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	18
28	सड़कें	19
29	राष्ट्रीय सड़क परिवहन	19
30	हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	20
31	थोक मूल्य के सभी भारतीय सूचकांक	20
32	अपराध की घटनाएं	21
33	विकास बजट परिव्यय	22

सारणी– 1

चयनित संकेतक 1950-51 से 2021-2022

मद / वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आर्थिक संकेतक																		
राज्य सकल घरेलु उत्पाद (₹ करोड)																		
(i) प्रचलित कीमतों पर	27*	48*	223*	794**	2815**	5661***	72720****	103772	114239	125634	138551	148383	159164	151905	170654	191567	209385	230587
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	794**	1285**	5004***	72720****	89060	96274	103055	109406	116414	121227	115894	121481	128277	135947	144656
प्रति व्यक्ति आय (₹ में)																		
(i) प्रचलित कीमतों पर	240	359	651	1704**	4910**	22795***	87721****	123299	135512	150290	165497	174804	186559	173565	193392	214129	234436	258196
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	1704**	2241**	21959***	87721****	105241	112723	122208	129303	136292	140999	132015	137402	143600	151826	161167
उत्पादन																		
(क) खाद्यान्न अनाज (लाख टन)				11.58	14.33	11.12	15.44	16.08	16.37	15.63	15.81	16.92	15.94	15.21	15.79	15.23		
(ख) फलों का उत्पादन (लाख टन)				1.4	3.86	4.28	3.73	7.52	9.29	6.12	5.65	4.95	8.45	6.24	7.53	8.14		
(ग) बिजली उत्पादन (मिलियन यूनिट)	0.4	..	52.8	245.1	1262	1153	1906	2097	1573	1596	1941	2063	2243	1955	2203	2157		
थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011–12 = 100)							100.0	113.9	109.7	111.6	114.9	119.8	121.8	123.4	139.4	152.5		
सामाजिक संकेतक																		
जनसंख्या (लाख में)	11.09	28.12	34.60	42.81	51.17	60.78	69.23	71.10	71.19	72.60	73.30	73.90	74.60	75.20	75.90	76.40		
साक्षरता दर (प्रतिशत)																		
(क) पुरुष	7.5	27.2	42.3	53.2	75.4	85.3	89.5											
(ख) महिला	2.9	6.2	20.0	31.5	52.1	67.4	75.9											
कुल	4.8	17.1	31.3	42.5	63.9	76.5	82.8											

*शुद्ध राज्य घरेलू उत्पान । **आधार 1980–81 *** आधार 1999–2000 ****आधार 2011–12

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

सारणी– 2
सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹करोड़)

वर्ष	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794	794	723	723	1704	..
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	..
(आधार 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	8489
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	8801
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	9140
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	9625
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	10131
(आधार 1999-2000)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	20806
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	21824
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	22543
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	23234
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	24377
(आधार 2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	33348
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	35806
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	38195
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	40143
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	41666
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	43492
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	46682
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)						
2011-12	72720	72720	60536	60536	87721	87721
2012-13	82820	77384	69432	64519	99730	92672
2013-14	94764	82847	80129	69398	114095	98816
2014-15	103772	89060	87345	74553	123299	105241
2015-16	114239	96274	96850	80563	135512	112723
2016-17	125634	103055	108359	88112	150290	122208
2017-18	138551	109406	119704	93525	165497	129303
2018-19	148383	116414	127257	99221	174804	136292
2019-20	159164	121227	136692	103310	186559	140999
2020-21	151905	115894	127987	97348	173565	132015
2021-22	170654	121481	143400	101883	193392	137402
2022-23	191567	128277	159590	107025	214129	143600
2023-24 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	209385	135947	175592	113718	234436	151826
2024-25(प्रथम संशोधित अनुमान)	230587	144656	194344	121311	258196	161167

नोट– *निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51से 2010–11 तक कारक लागत पर।

स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी– 3

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर/ निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित तथा स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(आधार 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(आधार1999-2000)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
(आधार2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
नई श्रृंखला (आधार2011-12)						
2012-13	13.9	6.4	14.7	6.6	13.7	5.6
2013-14	14.4	7.1	15.4	7.6	14.4	6.6
2014-15	9.5	7.5	9.0	7.4	8.1	6.5
2015-16	10.1	8.1	10.9	8.1	9.9	7.1
2016-17	10.0	7.0	11.9	9.4	10.9	8.4
2017-18	10.3	6.2	10.5	6.1	10.1	5.8
2018-19	7.1	6.4	6.3	6.1	5.6	5.4
2019-20	7.3	4.1	7.4	4.1	6.7	3.5
2020-21	-4.6	-4.4	-6.4	-5.8	-7.0	-6.4
2021-22	12.3	4.8	12.0	4.7	11.4	4.1
2022-23	12.3	5.6	11.3	5.0	10.7	4.5
2023-24 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	9.3	6.0	10.0	6.3	9.5	5.7
2024-25 (प्रथम संशोधित अनुमान)	10.1	6.4	10.7	6.7	10.1	6.2

स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर
(प्रचलित कीमतों पर) (₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-)उत्पाद अनुदान	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	30	5	3	3	7	--	--	48
1966-67*	104	24	16	6	21	--	--	171
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
पुरानी श्रृंखला (आधार 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	448	178	79	90	130	--	--	925
1982-83	437	206	85	103	156	--	--	987
1983-84	525	220	102	111	169	--	--	1127
1984-85	489	224	105	121	200	--	--	1139
1985-86	576	312	123	132	228	--	--	1371
1986-87	615	339	145	150	268	--	--	1517
1987-88	627	416	168	162	349	--	--	1722
1988-89	781	549	204	196	427	--	--	2157
1989-90	895	568	229	237	506	--	--	2435
1990-91	987	746	260	266	556	--	--	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	--	--	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	--	--	3824
(आधार 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	--	--	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	--	--	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	--	--	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	--	--	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	--	--	10696
(आधार 1999-2k)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	--	--	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	--	--	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	--	--	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	--	--	20721
(आधार 2004-05)						--	--	
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	--	--	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	--	--	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	--	--	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	--	--	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	--	--	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	--	--	56980
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	13443	33935	8660	11346	11524	78908	3912	82820
2013-14	15262	38440	10285	13002	12369	89358	5406	94764
2014-15	15265	41617	11764	14724	13961	97331	6441	103772
2015-16	17393	45652	13141	15936	15135	107257	6982	114239
2016-17	18762	50237	14200	16897	17399	117495	8139	125634
2017-18	16473	56692	15862	18008	19563	126599	11952	138551
2018-19	18207	62381	17513	19687	21196	138984	9399	148383
2019-20	23340	63013	18927	20288	23474	149042	10122	159164
2020-21	21261	61681	15629	21125	23389	143085	8820	151905
2021-22	22957	67187	19878	24347	25119	159487	11167	170654
2022-23	23893	72172	23510	28217	31590	179381	12287	191568
2023-24 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	25967	77622	25247	32154	32890	193881	15504	209385
2024-25 (प्रथम संशोधित अनुमान)	29482	86083	26944	35568	36526	214603	15984	230587

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।
स्त्रोतः आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 5
बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद
(स्थिर कीमतों पर)

(₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-) उत्पाद अनुदान	बजार कीमतों लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	20	5	3	0	7	--	--	35
1966-67*	57	18	9	4	13	--	--	101
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
(आधार 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	405	164	72	84	116	--	--	841
1982-83	355	173	74	88	128	--	--	818
1983-84	396	168	81	92	124	--	--	861
1984-85	343	161	78	95	137	--	--	814
1985-86	387	207	85	100	147	--	--	926
1986-87	417	208	95	113	158	--	--	991
1987-88	360	235	98	119	188	--	--	1000
1988-89	400	288	108	116	212	--	--	1124
1989-90	488	265	112	139	234	--	--	1238
1990-91	484	316	117	141	227	--	--	1285
1991-92	465	323	124	152	226	--	--	1290
1992-93	469	362	135	162	234	--	--	1362
(आधार 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	--	--	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	--	--	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	--	--	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	--	--	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	--	--	6792
(आधार 1999-2000)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	--	--	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	--	--	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	--	--	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772			17925
(आधार 2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	--	--	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	--	--	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	--	--	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	--	--	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	--	--	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	--	--	39054
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	12725	32049	8040	10598	10714	74126	3258	77384
2013-14	13954	34223	9134	11203	10775	79289	3558	82847
2014-15	13525	37551	10099	12354	11573	85102	3958	89060
2015-16	14674	40724	11460	12793	12275	91926	4348	96274
2016-17	14478	44934	12075	13351	13479	98317	4738	103055
2017-18	13748	49485	12684	13688	14525	104130	5277	109407
2018-19	14186	53092	13054	14632	15049	110012	6402	116414
2019-20	16764	52885	13902	14635	15920	114106	7121	121227
2020-21	15677	50623	13134	14542	15324	109299	6595	115894
2021-22	16129	52273	14228	15991	15823	114444	7037	121481
2022-23	16524	54120	15311	17178	18271	121404	6873	128277
2023-24 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	16839	57551	16727	18592	18813	128523	7424	135947
2024-25 (प्रथम संशोधित अनुमान)	17362	61561	17662	19786	20195	136565	8091	144656

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।

स्त्रोत: आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी –6

सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	(-) 2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	(-) 5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7
1987-88	13.7	13	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	(-)0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(आधार 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	(-) 2.5	9.6
1995-96	2	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(आधार 1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	(-) 2.6	(-) 1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	(-) 1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3	8.1
(आधार 2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	(-) 0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	(-) 0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	(-)10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
श्रृंखला (आधार 2011-12)						
2012-13	6.8	5.4	6.1	10.1	8.4	6.4
2013-14	9.7	6.8	13.6	5.7	0.6	7.1
2014-15	(-)3.1	9.7	10.6	10.3	7.4	7.5
2015-16	8.5	8.4	13.5	3.6	6.1	8.1
2016-17	(-)1.3	10.3	5.4	4.4	9.8	7
2017-18	(-)5.0	10.1	5	2.5	7.8	6.2
2018-19	3.2	7.3	2.9	6.9	3.6	6.4
2019-20	18.2	-0.4	6.5	0.0	5.8	4.1
2020-21	-6.5	-4.3	-5.5	-0.6	-3.7	-4.4
2021-22	2.9	3.3	8.3	10.0	3.3	4.8
2022-23	2.4	3.5	7.6	7.4	15.5	5.6
2023-24(द्वितीय संशोधित अनुमान)	1.9	6.3	9.3	8.2	3.0	6.0
2024-25(प्रथम संशोधित अनुमान)	3.1	7.0	5.6	6.4	7.3	6.4

स्रोत: आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी–7

हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाख में)	दस–वार्षिक विकास दर	लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व	साक्षरता प्रतिशत	शहरी जनसंख्या प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

स्रोत: भारत की जनगणना 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तथा 2011.

सारणी–8

क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार 2011 की जनगणना

जिला	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर		जनसंख्या		लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व
1.	2.		3.		4.	5.
बिलासपुर	1,167	(2.10)	3,81,956	(5.56)	981	327
चंबा	6,522	(11.71)	5,19,080	(7.56)	986	80
हमीरपुर	1,118	(2.01)	4,54,768	(6.63)	1095	407
कांगड़ा	5,739	(10.31)	15,10,075	(22.00)	1012	263
किन्नौर	6,401	(11.50)	84,121	(1.23)	819	13
कुल्लू	5,503	(9.88)	4,37,903	(6.38)	942	80
लाहौल–स्पीति	13,841	(24.86)	31,564	(0.46)	903	2
मंडी	3,950	(7.09)	9,99,777	(14.56)	1007	253
शिमला	5,131	(9.22)	8,14,010	(11.86)	915	159
सिरमौर	2,825	(5.07)	5,29,855	(7.72)	918	188
सोलन	1,936	(3.48)	5,80,320	(8.45)	880	300
ऊना	1,540	(2.77)	5,21,173	(7.59)	976	338
हिमाचल प्रदेश	**55,673**	**(100.00)**	**68,64,602**	**(100.00)**	**972**	**123**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

सारणी–9

लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना

जिला	जनसंख्या								
	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
बिलासपुर	179653	177174	356827	13111	12018	25129	192764	189192	381956
चंबा	241963	241009	482972	19357	16751	36108	261320	257760	519080
हमीरपुर	200748	222590	423338	16322	15108	31430	217070	237698	454768
कांगड़ा	705365	718429	1423794	45226	41055	86281	750591	759484	1510075
किन्नौर	46249	37872	84121	0	0	0	46249	37872	84121
कुल्लू	203269	193243	396512	22183	19208	41391	225452	212451	437903
लाहौल–स्पीति	16588	14976	31564	0	0	0	16588	14976	31564
मंडी	466050	471090	937140	32015	30622	62637	498065	501712	999777
शिमला	314295	298364	612659	110744	90607	201351	425039	388971	814010
सिरमौर	246175	226515	472690	30114	27051	57165	276289	253566	529855
सोलन	249736	228437	478173	59018	43129	102147	308754	271566	580320
ऊना	240254	236006	476260	23438	21475	44913	263692	257481	521173
हिमाचल प्रदेश	**3110345**	**3065705**	**6176050**	**371528**	**317024**	**688552**	**3481873**	**3382729**	**6864602**

स्रोत: भारत की जनगणना-2011

सारणी–10

मुख्य फसल का उत्पादन

('000 टन में)

फसलें	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (लक्ष्य)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
खाद्यान्न (अनाज एंव दाले)					
क. अनाज					
1. चावल	151.39	130.06	172.86	138.00	175.00
2. मक्का	703.26	680.65	607.94	691.54	689.00
3. रागी	1.06	1.07	0.96	0.96	1.13
4. छोटे अनाज	1.41	1.33	1.30	1.31	1.70
5. गेहूँ	642.24	614.15	782.66	647.44	650.00
6. जौ	28.28	26.42	30.72	23.05	30.00
कुल–अनाज	**1527.64**	**1453.68**	**1596.44**	**1502.30**	**1546.83**
ख. दालें					
1. चना	0.27	0.20	0.19	0.21	0.28
2. अन्य दालें	51.51	44.00	46.92	46.95	53.00
कुल दालें	51.78	44.20	47.11	47.16	53.28
कुल– खाद्यान्न	**1579.41**	**1497.88**	**1643.55**	**1549.46**	**1600.11**
1. आलू	195.15	194.50	195.09	194.01	195.00
2. सब्जियाँ	1803.89	1867.41	1849.80	1862.95	1870.00
3. अदरक	33.94	32.80	33.15	34.71	34.00

स्रोतः कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–11

पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान

(मीट्रिक टन)

वर्ष / जिला	खरीफ (एन+पी+के)	रवी (एन+पी+के)	कुल (एन+पी+के)
1	2	3	4
2018-19	21690	35865	57555
2019-20	25898	35880	61778
2020-21	29269	35973	65242
2021-22	26369	31524	57894
2022-23	27479	30373	57852
2023-24	19238	32232	51470
2024-25	26260	33730	59990
जिलावार			
बिलासपुर	1121	1217	2338
चंबा	842	415	1257
हमीरपुर	1183	798	1981
कांगड़ा	3625	4306	7931
किन्नौर	165	261	426
कुल्लू	2632	4368	7000
लाहौल–स्पीति	927	121	1048
मंडी	2489	4049	6538
शिमला	4468	8175	12643
सिरमौर	2220	2516	4736
सोलन	1987	1870	3857
ऊना	4601	5634	10235

स्रोत: कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–12

जिला–वार कार्यरत जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल

(2021-22 कृषि गणना)

जिला	संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	2.	3.
बिलासपुर	52310	52021
चंबा	72582	55398
हमीरपुर	93639	72911
कांगड़ा	233042	195215
किन्नौर	24054	15556
कुल्लू	54389	30000
लाहौल–स्पीति	5573	6519
मंडी	166995	123691
शिमला	133216	117899
सिरमौर	60588	87428
सोलन	76128	83032
ऊना	86057	83856
हिमाचल प्रदेश	1058573	923526

स्रोतः भू-अभिलेख निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–13

पशुधन तथा कुक्कट

(हजारों में)

वर्ग	2003	2007	2012	2019
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
क .पशुधन				
1. मवेशी	2,196	2,269	2,149	1,828
2. भैंस	773	762	716	647
3. भेड़	906	901	805	791
4. बकरियाँ	1,116	1,241	1,119	1,108
5. घोड़ा तथा छोटा घोड़ा	17	13	15	9
6. खच्चर तथा गधा	33	26	31	25
7. सूअर	3	2	5	2
8. अन्य पशुधन	2	2	4	3
कुल पशुधन	5,046	5,216	4,844	4,413
ख .कुक्कट	764	809	1,104	1,342

स्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी–14

मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य

वर्ष	मुख्य उत्पाद		गौण उत्पाद वनोपज (₹'000 में मूल्य)		
	इमारती लकड़ी ('000 घन मीटर)	ईंधन (टन)	बिरोजा	चारा व चराई	अन्य उत्पाद
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80,141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1,68,374
2013-14	245.1	39	85,451	878	2,10,615
2014-15	242.3	775	83,262	1,035	2,29,280
2015-16	148.2	..	94,249	542	5,69,832
2016-17	225.1	..	84,434	382	4,37,722
2017-18	226.5	..	74,655	646	3,51,587
2018-19	187.6	50	58,809	401	4,14,361
2019-20	230.8	178	59,510	582	6,32,175
2020-21	196.02	183	45,938	487	4,11,227
2021-22	126.65	183	45,938	487	4,11,227
2022-23	158.83	1.31	2,76,840	894	5,71,185
2023-24	164.88	2.05	3,59,400	764	9,10,291
2024-25	141.37	6.53	4,29,229	762	11,58,335

स्रोत: वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–15
वनों का क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर)

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	गैर वर्गीकृत वन	अन्य वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
2010-11	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2011-12	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2012-13	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2013-14	1,898	33,123	886	369	750	**37,033**
2014-15	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2015-16	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2016-17	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य वन	गैर–सीमांकित संरक्षित वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
2017-18*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2018-19*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2019-20*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2020-21*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2021-22*	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2022-23	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2023-24	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**
2024-25	1,883	12,852	7,160	16,035	18	**37,948**

स्रोत: वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–16
उचित मूल्य की दुकानें

(31.12.2025 तक)

जिला	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4**
बिलासपुर	244	10	254
चंबा	503	18	521
हमीरपुर	298	22	320
कांगड़ा	1,063	82	1,145
किन्नौर	68	0	68
कुल्लू	450	34	484
लाहौल–स्पीति	65	0	65
मंडी	795	59	854
शिमला	545	79	624
सिरमौर	353	26	379
सोलन	299	49	348
ऊना	291	36	327
हिमाचल प्रदेश	4,974	415	5,389

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –17

हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) उपभोक्ता

(31.12.2025 तक)

जिला	एस. बी. सी.	डी. बी. सी.	कुल
1.	2.	3.	4.
बिलासपुर	64,318	78,929	1,43,247
चंबा	1,15,102	50,801	1,65,903
हमीरपुर	64,424	98,571	1,62,995
कांगड़ा	2,89,656	2,76,954	5,66,610
किन्नौर	9,293	22,057	31,350
कुल्लू	58,937	88,392	1,47,329
लाहौल–स्पीति	3,749	10,262	14,011
मंडी	1,56,508	1,83,841	3,40,349
शिमला	96,116	2,09,528	3,05,644
सिरमौर	80,230	81,875	1,62,105
सोलन	66,732	1,36,754	2,03,486
ऊना	67,120	95,874	1,62,994
हिमाचल प्रदेश	10,72,185	13,33,838	24,06,023

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश

सारणी–18

हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें

(31.12.2025 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	अन्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
बिलासपुर	26	16	19	9	70
चंबा	14	4	5	-	23
हमीरपुर	23	8	13	11	55
कांगड़ा	72	24	20	11	127
किन्नौर	4	-	3	-	7
कुल्लू	18	7	6	1	32
लाहौल–स्पीति	4	-	-	-	4
मंडी	40	10	14	11	75
शिमला	34	7	21	9	71
सिरमौर	16	9	10	5	40
सोलन	40	20	21	9	90
ऊना	40	22	12	9	83
हिमाचल प्रदेश	331	127	144	75	677

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–19

गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण

(31.12.2025 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	आई. बी. पी. सी.	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	6.
बिलासपुर	10	-	4	-	**14**
चंबा	7	2	1	-	**10**
हमीरपुर	10	-	-	-	**10**
कांगड़ा	24	3	10	-	**37**
किन्नौर	5	-	1	-	**6**
कुल्लू	6	5	2	-	**13**
लाहौल–स्पीति	2	2	-	-	**4**
मंडी	21	5	2	-	**28**
शिमला	24	3	2	-	**29**
सिरमौर	13	1	2	-	**16**
सोलन	12	3	5	-	**20**
ऊना	8	2	2	-	**12**
हिमाचल प्रदेश	**142**	**26**	**31**	**-**	**199**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश

सारणी–20
सहकारिता

मद	2023-24	2024-25
1.	2.	3.
I. संस्थायें (संख्या):		
कृषि	2226	2277
गैर–कृषि	2943	3097
शहरी बैंक	5	5
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	4	4
अन्य माध्यमिक संस्थायें	63	63
कुल	**5241**	**5446**
II. सदस्यता ('000)		
कृषि संस्थायें	1371	1376
गैर–कृषि संस्थायें	395	369
शहरी बैंक	30	30
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	145	145
अन्य माध्यमिक संस्थायें	5	4
कुल	**1946**	**1924**
III. कार्यशील पूंजी (₹लाखों में)		
कृषि संस्थायें	828111.09	951594.65
गैर–कृषि संस्थायें	104395.66	652899.18
शहरी बैंक	80053.15	50558.53
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	3801033.00	3995788.65
अन्य माध्यमिक संस्थायें	4594.99	8919.57
कुल	**4818187.89**	**5659760.58**
IV. दिए गए ऋण (₹लाखों में)		
कृषि संस्थायें	69954.34	82925.05
गैर–कृषि संस्थायें	30163.54	48387.39
शहरी बैंक	17622.2	14080.51
तथा राज्य तथा केंद्रीय बैंक	671035	400257.33
कुल	**788775.08**	**545650.28**
V. बकाया ऋण (₹लाखों में)		
कृषि संस्थायें	137040.45	132868.89
गैर–कृषि संस्थायें	44548.08	55414.28
शहरी बैंक	42630.70	54196.83
प्राथमिक भूमि बंधक बैंक तथा राज्य तथा केंद्रीय बैंक	1509363.00	1231357.62
कुल	**1733582.23**	**1473837.62**

स्रोतः सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–21

विद्युत उत्पादन एवं खपत

(मीट्रिक इकाई)

क्र0सं0	मद्	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)
1	2	3	4	5
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की स्वामित्व वाली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन	**1664.57**	**1718.838**	**1659.148**
	उहल–III,एम.डी.(बी.वी.पी.सी.एल.)	**-**	**25.51**	**314.49**
2	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड एवं अन्य राज्यों से विद्युत क्रय	**13566.67**	**14188**	**12023.77**
3	राज्य में खपत की गई विद्युत			
क	घरेलू	2724.49	2859.38	2115.392
ख	गैर घरेलू गैर व्यावसायिक	186.00	200.24	142.24
ग	व्यावसायिक	737.67	747.43	535.456
घ	औद्योगिक	6616.48	6877.11	5111.963
ङ	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	12.97	12.96	9.882
च	कृषि	79.40	97.69	67.73
छ	थोक एवं विविध	192.83	184.79	112.28
ज	सरकारी सिचाई एवं पेयजल योजना	738.93	837.08	579.644
झ	अस्थाई आपूर्ति	54.66	63.02	42.504
ञ	विद्युत वाहन	1.27	2.56	1.991
	कुल (3)	**11344. 69**	**11882.242**	**8719.082**
4	राज्य के बाहर ऊर्जा विक्रय	**2532.48**	**2322.543**	**3061.60**
	कुल खपत/बेची गई	**13877.17**	**14204.785**	**11780.682**

स्रोत: राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश

राज्य मे ऊर्जा उपभोग के आंकड़े अस्थायी हैं तथा एस.ए.पी. आई.एस.यू बिलिंग प्रणाली से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

सारणी–22
फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

वर्ष	सेब	मेवे तथा सूखे फल	नींबू प्रजाति	अन्य फल	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	6.
2010-11	1,01,485	11,022	22,305	76,483	2,11,295
2011-12	1,03,644	11,039	22,396	77,495	2,14,574
2012-13	1,06,440	10,902	22,809	78,152	2,18,303
2013-14	1,07,686	10,819	23,110	79,091	2,20,706
2014-15	1,09,553	10,621	23,704	80,474	2,24,352
2015-16	1,10,679	10,491	24,063	81,566	2,26,799
2016-17	1,11,896	10,364	24,475	82,467	2,29,202
2017-18	1,12,634	10,301	24,649	83,268	2,30,852
2018-19	1,13,154	10,194	24,869	83,922	2,32,139
2019-20	1,14,144	10,070	25,051	84,035	2,33,300
2020-21	1,14,646	10,029	25,654	84,450	2,34,779
2021-22	1,15,016	9,786	26,096	84,887	2,35,785
2022-23	1,15,680	9,583	26,370	84,833	2,36,466
2023-24	1,16,240	9,277	26,432	85,001	2,36,950
2024-25	1,16,338	9,005	26,652	85,373	2,37,368

स्रोत: बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–23
फलों का उत्पादन

('000 टन)

वर्ष	सेब	नींबू प्रजाति	मेवे तथा सूखे फल	अन्य फल	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
2011-12	275.04	25.03	2.49	70.26	**372.82**
2012-13	412.39	24.32	2.81	116.19	**555.71**
2013-14	738.72	22.27	3.48	101.87	**866.34**
2014-15	625.20	22.17	2.41	102.16	**751.94**
2015-16	777.13	26.62	3.37	121.71	**928.83**
2016-17	468.13	28.05	2.99	112.71	**611.88**
2017-18	446.57	26.85	3.38	88.50	**565.31**
2018-19	368.60	29.34	3.65	93.77	**495.36**
2019-20	715.25	32.11	4.25	93.82	**845.42**
2020-21	481.06	33.29	4.69	105.45	**624.49**
2021-22	611.90	32.93	3.68	105.46	**753.98**
2022-23	672.34	31.94	3.27	107.06	**814.61**
2023- 24	506.69	35.31	3.11	92.12	**637.23**
2024-25	502.948	30.95	3.11	111.31	**648.325**
2025-26	646.998	7.23	1.46	77.72	**733.409**

स्रोत: बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–24

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी

31 मार्च तक	नियमित	अंशकालिक कर्मचारी	वर्क चार्जड	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
1.	2.	3.	4.	5.
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337
2014	1,83,600	7,750	0	11,599
2015	1,82,049	6,312	0	11,512
2016	1,78,744	5,687	0	10,950
2017	1,77,338	4,666	0	10,578
2018	1,81,376	4,048	0	7,760
2019	1,81,231	3,334	0	7,253
2020	1,81,379	3,619	0	6,256
2021	1,87,899	3,086	0	4,930
2022	1,90,137	2,430	0	4,412
2023	1,85,698	5,726	0	4,593
2024	1,80,800	6,015	0	3,715
2025	1,75,579	5,960	0	4,054

नोट: अनुबंध, तदर्थ तथा स्वयंसेवी कर्मचारी के आंकड़े शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–25

पर्यटक आगमन वर्ष 2025

जिला	भारतीय	विदेशी	कुल
1.	2.	3.	4.
बिलासपुर	1027683	0	1027683
चंबा	631523	899	632422
हमीरपुर	296333	11	296344
कांगड़ा	796537	29755	826292
किन्नौर	389500	4845	394345
कुल्लू	2742059	10587	2752646
लाहौल–स्पीति	488705	7456	496161
मंडी	1355476	769	1356245
शिमला	2674023	26887	2700910
सिरमौर	1152393	472	1152865
सोलन	2395484	3113	2398597
ऊना	461611	34	461645
हिमाचल प्रदेश	**14411327**	**84828**	**14496155**

स्रोत: पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी–26
शिक्षा

कार्यरत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	2024-25 दिसंबर, 2025 तक
1.	2.
1. प्राथमिक विद्यालय	9,750
2. माध्यमिक विद्यालय	1,744
3. उच्च विद्यालय	967
4. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1,972
5. स्नातक महाविद्यालय	130
6. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय	09
7. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.ई.आर.टी.)	01
8. राजकीय शिक्षण महाविद्यालय (बी.एड.)	01
9. ललित कला महाविद्यालय	02
कुल	14,576

स्रोत: शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

सारणी–27
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

मद	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.एलोपैथिक संस्थान			
(i) संस्थानों की संख्या			
(क)अस्पताल	115	115	115
(ख)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	106	106	106
(ग)प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	583	585	586
(घ) ईएसआई डिस्पेंसरी	16	24	24
कुल	820	830	835
(ii) उपलब्ध बिस्तर	16,699	16,699	16,699
2. आयुर्वेदिक संस्थान			
(क) स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय	1	1	1
(ख) फार्मास्युटिकल साइंस महाविद्यालय	1	1	1
(ग) क्षेत्रीय अस्पताल	2	2	2
(घ) आयुर्वेदिक अस्पताल	31	32	33
(ङ) प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र	1	1	1
(च) आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	1185	1185	1185
(छ) अनुसंधान संस्थान हर्बल गार्डन	4	4	4
(ज) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1	1	1
(झ) आयुर्वेदिक फार्मेसी	3	3	3
(ञ) आमची स्वास्थ्य केंद्र	4	4	4
(ii) आयुर्वेदिक संस्थानों में उपलब्ध बिस्तर	790	790	790
3. युनानी औषधालयों की संख्या	3	3	3
4. होम्योपैथी औषधालयों की संख्या	14	14	14

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

सारणी–28

सड़कें

(किलोमीटर में)

सड़क के प्रकार	2024-25	2025-26 (दिसम्बर, 2025तक)
1.	2.	3.
1. फोर लेन	262	262
2. दोहरी सड़कें	2,027	2,027
3. एकहरी सड़कें	39,163	39,465
4. जीप चलने योग्य सड़कें	1327	1337
5. जीप चलने अयोग्य सड़कें	0	0
कुल	42,779	43,091

स्रोत: लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश।

नोट: आंकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

सारणी–29

राष्ट्रीय सड़क परिवहन

वर्ष	मोटर वाहनों की संख्या							संचालित मार्गों की संख्या	परिचालित की गई दूरी ('000 किलोमीटर)
	बसें	संलग्न बसें	इलेक्ट्रिक बसें	टैक्सियां	इलेक्ट्रिक टैक्सी	अन्य	कुल		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2013-14	2,054	33	0	0	0	52	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	0	0	0	50	2,530	2,225	1,79,396
2015-16	2,645	34	0	0	0	85	2,764	2,325	1,88,292
2016-17	3,105	53	0	0	0	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	0	0	0	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21	3,099	51	75	21	50	92	3,391	2,350	77,767
2021-22	3,103	48	75	21	50	99	3,396	2,170	1,437,17
2022-23	3,142	31	75	38	50	106	3,442	2,813	2,08,837
2023-24	3,180	23	110	47	50	56	3,343	3,466	1,99,559
2024-25	3,079	20	110	47	50	52	3,336	2,721	2,08,235
2025-26 नवम्बर 2025 तक	2,823	0	110	47	50	52	3,082	2,721	1,26,048

स्रोत: हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला।

सारणी–30

हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष/माह	औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार : 2016 = 100	
	सामान्य सूचकांक	खाद्य सूचकांक
1.	2.	3.
2021	123	120
2022	130	128
2023	132.5	131.8
2024	135.9	140.2
2025	140.9	142.5
जनवरी	138.4	140.1
फरवरी	137.7	138.4
मार्च	137.9	138.8
अप्रैल	138.6	138.7
मई	138.7	138.0
जून	140.4	140.7
जुलाई	142.4	144.1
अगस्त	143.3	146.6
सितंबर	143.5	147.0
अक्तूबर	143.9	147.8
नवंबर	143.5	146.7
दिसंबर	**142.1**	**143.4**

स्रोत: श्रम ब्यूरो भारत सरकार

सारणी–31

थोक मूल्य के भारतीय सूचकांक

मद	(आधार : 2011-12=100)			
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	2.	3.	4.	5.
सभी वस्तुएं	**139.4**	**152.5**	**151.4**	**154.9**
I. मुख्य सामग्री :	**160.7**	**176.8**	**183**	**192.5**
(क) खाद्य सामग्री :	167.3	179.5	191.3	205.3
(ख) गैर–खाद्य सामग्री :	158.1	172.1	162.4	161.7
(ग) खनिज	197.2	203.5	217.7	229.0
II. ईंधन, बिजली, प्रकाश तथा स्नेहक	**124.6**	**159.5**	**152**	**150.0**
III. विनिर्मित उत्पाद	**135**	**142.6**	**140.2**	**142.6**
(क) खाद्य उत्पादों	157.9	165.3	160.5	172.0
(ख) पेय पदार्थ, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद	126.8	128.9	131.5	134.1
(ग) वस्त्र	135.2	142.7	134.6	136.3
(घ) लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	141.0	143.2	146.6	149.2
(ङ) कागज एवं कागज के उत्पादों	137.5	152.0	140.3	139.2
(च) चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	119.2	122.2	124.1	125.3
(छ) रबर एवं प्लास्टिक के उत्पाद	124.8	129.7	127.5	129.0
(ज) रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	133.5	145.4	136.9	136.5
(झ) गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	123.7	133.7	134.7	131.5
(ञ) मुख्य धातु, मिश्र धातु एवं धातु उत्पाद	140.1	148.7	141.0	139.7
(ट) बिजली मशीनों सहित मशीनें एवं उनके पुर्जे	120.0	126.2	129.0	130.8
(ठ) परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	131.7	137.4	143.1	145.2

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी–32
अपराध की घटनाएं

जिला / अन्य	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	2	3	4	5	6	7.
बिलासपुर	1562	1349	1319	1435	1325	1420
चंबा	1300	1245	1134	1125	921	**976**
हमीरपुर	1102	901	1020	1115	892	987
कांगड़ा	3850	3390	2261	2585	2222	**1843**
किन्नौर	416	471	465	469	334	383
कुल्लू	1585	1413	1639	1473	1430	**1470**
लाहौल–स्पीति	83	130	215	182	143	157
मंडी	3308	2567	2535	2606	2443	**2526**
शिमला	2704	2621	2426	2469	1942	1934
सिरमौर	1260	1336	1402	1518	1416	**1554**
सोलन	1033	953	1102	1119	1167	1202
ऊना	1329	1355	1317	1431	1414	**1397**
रेलवे एवं ट्रैफिक	10	14	15	20	15	09
पी.एस.सी.आई.डी.	37	32	18	17	01	**04**
पुलिस जिला नुरपुर	0	0	1087	1169	1008	1120
पुलिस जिला बद्दी	1045	1051	1087	1167	1131	**1124**
पी.डी .देहरा	0	0	0	0	0	**625**
पुलिस थाना साइबर अपराध	6	5	11	87	111	75
हिमाचल प्रदेश	**20630**	**18833**	**19053**	**19987**	**17915**	**18806**

स्रोत: पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी–33
विकास बजट परिव्यय

(₹करोड़ में)

क्रमांक	विकास के मुख्य /लघु मद	स्वीकृत परिव्यय (2025–26)
1	2	3
I	आर्थिक सेवाएं कृषि तथा संबद्ध सेवाएँ	
	1.कृषि	109.00
	2.बागवानी	157.98
	3.मृदा तथा जल संरक्षण	6.97
	4.पशुपालन	2.06
	5.डेयरी विकास	0.12
	6.मत्स्य	2.50
	7.वानिकी तथा वन्यजीव	153.20
	8.कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.00
	9. सहकारिता	3.59
	10. बागवानी विपणन	20.00
	कुल -I	455.42
II	ग्रामीण विकास	
	1. डी.आर.डी.ए. प्रशासन	0.00
	2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	19.50
	3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी।.	100.00
	4. एन.आर.एल.एम.	10.00
	5. डी.डी.यू–जी.के.वाई.	7.68
	6. राष्ट्रीय आर–शहरी मिशन	0.00
	7.पी.एम.के.एस.वाय(डब्ल.डी.सी.)	3.00
	8.राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00
	9. अन्य	1.28
	9.भूमि सुधार	3.40
	10.समुदाय विकास तथा पंचायतें	8.79
	कुल -II	153.65
III	विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	4.00
	कुल -III	4.00

जारी.....

सारणी–33 ...

(₹करोड़ में)

1	2	3
IV	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	
	1. प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई	0.16
	2. लघु सिंचाई	113.00
	3. कमांड एरिया डेवलपमेंट	1.03
	4. बाढ़ नियंत्रण	6.66
	कुल - IV	120.85
V	ऊर्जा	
	1. ऊर्जा	838.72
	2. ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्त्रोत	5.00
	कुल - V	843.72
VI	उद्योग तथा खनिज	
	1. ग्राम तथा लघु उद्योग	15.40
	2. अन्य उद्योग (वि एस आई के अलावा)	1.51
	3. खनिज	0.00
	कुल - VI	16.91
VII	परिवहन	
	1. नागरिक उड्डयन	3.00
	2. सड़कें तथा पुल	591.50
	3. सड़क परिवहन	223.63
	4. रेल परिवहन	1.00
	5. परिवहन सेवाओं के अलावा अन्य	0.50
	कुल -VII	819.63
VIII	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	
	1 .वैज्ञानिक अनुसंधान	1.01
	2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	0.00
	3. सूचना प्रौद्योगिकी	5.00
	कुल - VIII	6.01
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	
	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	17.00
	2. उत्पाद शुल्क तथा कराधान	0.03
	3. पर्यटन	13.00
	4. नागरिक आपूर्ति	230.57
	5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	13.00
	6. वजन तथा माप	0.08
	7. जिला योजना / जिला परिषद	0.00
	कुल -IX	273.68
	कुल आर्थिक सेवाएं	2693.87

जारी.....

सारणी–33

(₹करोड़ में)

1	2	3
X	B. सामाजिक सेवाएं	
	1. सामान्य शिक्षा	
	a) प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	107.87
	b)उच्च / माध्यमिक शिक्षा	68.40
	2. तकनीकी शिक्षा	3.54
	3. खेल एवं युवा सेवाएं	0.16
	4. कला एवं संस्कृति	0.03
	5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	87.50
	6. जल आपूर्ति स्वच्छता	414.92
	7. आवास सहित पुलिस आवास	12.21
	8. शहरी विकास	72.58
	9. सूचना एवं प्रचार	0.03
	10. एस.सी, एस.टी एवं ओ.बी.सी. का कल्याण	1618.27
	11. श्रम एवं रोजगार	32.66
	12. महिला एवं बाल विकास	78.96
	13. पोषण	7.90
	कुल -X	2505.03
XI	C. सामान्य सेवाएं	
	1. जेल	0.03
	2. लोक निर्माण	3.03
	3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33.04
	कुल -XI	36.10
	कुल योग	5235.00

स्रोत: योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश

.....अंत

सुख की सरकार

हिमाचल सरकार

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नंबर - 38, एस.डी.ए. कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला
पिन कोड - 171009
फ़ोन एवं फ़ैक्स +91-177-2626302
ईमेल: ecostat-hp@nic.in
https://himachalservices.nic.in/economics

राजकीय मुद्रणालय, हि०प्र०--2013-डी.ई.एस/2026-16-3-2026--100 पुस्तकें।